राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5]   दसवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का छठा दिवस   [संख्या : 4

मंगलवार,

31 अक्टूबर, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे प्रश्नकाल में केवल दो या तीन प्रश्न ही समाप्त हो पाते हैं। आप कृपया नियंत्रित करें और अलग प्रश्न हो, प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हो तो आप फरमा दिया करें कि यह अलग प्रश्न है। वरना दो-तीन ही आते हैं। लोग मेहनत करते हैं, कराते हैं उनका तो यूं ही समय जाया हो जाता है।

प्रश्न संख्या 79

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेनजी चौधरी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अरुण सिंहजी।

कृषि उपज मण्डी समिति, डीग द्वारा प्रस्तावित सड़कें

80. श्री अरुणसिंह (डीग) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

कृषि उपज मण्डी समिति, डीग द्वारा सड़कें बनाने के कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं एवं उन पर स्वीकृति नहीं होने के क्या कारण हैं? विचाराधीन प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि (श्री ज्ञानसिंह चौधरी) : कृषि उपज मण्डी समिति, डीग द्वारा निम्न तीन सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु निदेशालय, कृषि विपणन को दिनांक 25.11.94 को प्रेषित किये गये थे :-

1-	डीग भरतपुर रोड कठेरा	5 किलोमीटर
2-	डीग नगर बढ़ेसिरा वाया ढबारा	4 किलोमीटर
3-	डीग कामां रोड से महमदपुर (खरिया गूजर)	3 किलोमीटर

नवीन सम्पर्क सड़कों की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने से पूर्व मण्डी समिति की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में टिप्पणी भिजवाये एवं सड़क निर्माण की प्रचलित नीति सम्बन्धी परिपत्र दिनांक 5.12.1994 की सूचना तैयार कर भिजवाये जाने हेतु लिखा गया। मण्डी समिति से सूचना प्राप्त होने से पूर्व ही राज्य सरकार ने सड़क निर्माण की नयी नीति निर्धारित कर परिपत्र दिनांक 10.3.1995 जारी कर दिया। अतः मण्डी समिति से नवीन नीति के अन्तर्गत

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

प्राथमिकता की जानकारी भिजवाने एवं निर्धारित प्रमाण पत्र प्रेषित करने हेतु मण्डी समिति को लिखा गया।

जहां मण्डी समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त सड़कों से उच्च वरीयता वाली सड़क मण्डी क्षेत्र में निर्माण के लिये शेष है तथा मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति भी ठीक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त सड़कों के निर्माण की स्वीकृति जारी किया जाना सम्भव नहीं था।

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को यह अवगत कराना चाह रहा हूं कि अभी हाल की बाढ़ में जितनी भी कृषि उपज मण्डी की सड़कें डीग और डीग सब डिवीजन में थीं वे सारी नष्ट हो गयी हैं। मैं इनसे यह अनुरोध भी करना चाह रहा हूं कि डीग कृषि उपज मण्डी एक बी-क्लास मण्डी है। इसलिए इस बी-क्लास मण्डी को वे विशेष अनुदान दें। दूसरा मेरा एक और सुझाव है और प्रश्न भी है कि डायरेक्टर मार्केटिंग बोर्ड और कृषि विपणन बोर्ड should be merged, एक संस्था होनी चाहिये। अभी यह दो अलग-अलग संस्थाएं हैं, लालफीताशाही है, अकाउण्ट सैक्शन अलग है। यह इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। इन दो सालों से मेरा अनुभव यह रहा है कि इन दोनों डिपार्टमेंट्स में कार्डिनेशन नहीं है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। आपने पिछले साल घोषणा की थी कि गांव गोद लेंगे और हर मण्डी में एक गांव गोद लिया जायेगा। आज की तारीख तक मेरे डीग क्षेत्र में कोई गांव गोद लिया नहीं गया है। एक बात के लिये मैं मंत्री महोदय आपको बधाई देता हूं कि आपने कृषि मण्डी के कर्मचारियों के लिये पेंशन का प्रावधान कर दिया है।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय सदस्य संतुष्ट हो गये हैं।

श्री अरुण सिंह : निर्दलीय मंत्री हैं और मैं निर्दलीय विधायक हूं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय मेरे क्षेत्र में कार्य करायेंगे और घोषणा करेंगे।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सवाल पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब आने दें। बिराजें आप। शर्माजी आप बिराजें। दो सप्लीमेंट्रीज हैं।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय ने सबसे पहले तो कृषि उपज मण्डी की सड़कों की बात की है कि बाढ़ में पूरी तरह से वे क्षतिग्रस्त हुई हैं और उनकी मरम्मत कराने का जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि इनके क्षेत्र में जो 12 सड़कें मण्डी की 63 लाख 80 हजार रुपये की थीं, चूंकि वहां की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने विशेष रूप से मार्केटिंग बोर्ड से अनुदान की स्वीकृति प्रदान कर दी है। उनका काम भी अब शीघ्र शुरू करने जा रहे हैं।

दूसरी बात, इन्होंने गांव को गोद लेने की कही। इनके डीग क्षेत्र में गारोली गांव

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

को गोद लिया गया है, जिसकी भी सड़क की स्वीकृति अगले 15 दिन के अन्दर जारी कर दी जायेगी और उस गांव को सड़क से जोड़ दिया जायेगा।

जहां तक अन्य सड़कों का सवाल है, तीन-चार सड़कों का उसमें प्रस्ताव रखा था। उनमें से क्रम संख्या-3 की तीन किलोमीटर सड़क है। उसका तो पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा काम कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस साल तो इसलिए स्वीकृत नहीं हो पायी कि मास्टर प्लान की सड़कें पेंडिंग थीं। अभी जो भी सड़कें इन्होंने क्रम संख्या एक और दो में बतायी है उनके लिये अगले साल बजट देकर उनकी भी स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी जिससे कि इनके क्षेत्र में जो सड़क की मांग है, वह पूरी हो सके।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : गोद गांव के लिये आप कितना खर्च करेंगे ?

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : जो गांव गोद लिये गये हैं उनकी प्रथम वरीयता तो यह रहेगी कि उस गांव को निश्चित रूप से सड़क से जोड़ेंगे। दूसरा, कृषि उपज मण्डी द्वारा जो भी, चाहे कृषि विकास कार्यक्रम चल रहा हो, पौधों का, नर्सरी का, प्रदर्शन का, लोगों को प्रायोरिटी पर नये बीज उपलब्ध करवाने का, यह सारी की सारी जो हमारी टैक्नीक है फव्वारा वगैरह, डिग्गी बना कर इस साल के वित्तीय वर्ष में जितने गांव गोद लिये गये हैं उन सब में यह सारा का सारा कार्यक्रम चालू किया जायेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गोद गांव के लिये आपने मार्केटिंग बोर्ड से कितनी राशि निर्धारित की है ?

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चूंकि सम्पूर्ण भरतपुर जिले में इस बार बाढ़ आयी है। उससे कृषि उपज मण्डी की सड़कें हैं वे पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। पंचायत समिति सेवर और भरतपुर जिले के अन्तर्गत सभी बाढ़ क्षेत्रों में जहां भी कृषि उपज मण्डी की सड़कें खराब हुई हैं उनकी मरम्मत के लिये आपकी क्या कोई योजना है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय कालूलाल जी।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कृषि विभाग से कई सड़कें मन्जूर हुई हैं जिनमें से कोई तीन-चार किलोमीटर सड़क मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी दो-तीन साल पहले....

श्री अध्यक्ष : वैसे तो यह प्रश्न भरतपुर से सम्बन्धित है।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जनरल क्वेश्चन है कि इन्होंने एक-एक किलोमीटर, 500-500 मीटर तक, 600-600 मीटर तक तो बना दी और बाकी सड़कें सारी की सारी अधूरी पड़ी हुई हैं। तो नयी और स्वीकृत करते जा रहे हैं और पुरानी सड़कें जो इन्होंने स्वीकृत की थीं वे नहीं बन पा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री कालूलाल गूजर : तो मंत्री महोदय यह बतायें कि पुरानी को कम्पलीट करेंगे या नहीं करेंगे या नयी-नयी स्वीकृति होती जाएगी और पुरानी ऐसे ही पड़ी रहेगी ? सड़क एक-एक किलोमीटर तक तो बन गयी लेकिन चार किलोमीटर बाकी पड़ी है ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें । बहुत हो गया अब आप बिराजें ।

श्री कालूलाल गूजर : कोई पांच किलोमीटर बाकी पड़ी है । यह क्वेश्चन पूरे राजस्थान से सम्बन्धित है । आप नीति सम्बन्धी जवाब दें ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप खनिज डिपार्टमेंट में थे तब चित्तौड़गढ़ की....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : डीग की बात हो रही है ।

श्री तैयब हुसैन (कामां) : एक सवाल पूछेंगे, डीग का नहीं है ।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं विश्नोई साहब से पूर्णतया सहमत हूं ।

श्री तैयब हुसैन : कामां तो इसी के साथ शामिल है, सर ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हां, इससे बहुत रेलेवेंट है ।

श्री तैयब हुसैन : इससे रेलेवेंट है ।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलें । आप बिराजें । यहां से जहाज गंगाजी नहीं जा रहे हैं ।

श्री तैयब हुसैन : मोहतर स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत मोहतर वजीर साहब से यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने यह तो फरमाया कि कुछ पैसे मन्जूर कर दिये हैं ।

श्री अध्यक्ष : 65 लाख ।

श्री तैयब हुसैन : तो जो सड़कें बाढ़ से पहले की टूटी हुई थीं, बाढ़ से तो हालत बिलकुल खराब हो गये हैं । मैं यह जानना चाहूंगा आपकी मार्फत कि इनकी मरम्मत का काम कब तक मुकम्मिल हो जायेगा ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न केवल यह है कि 10 साल से बनी है, कृषि उपज मण्डी की सड़कें कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ से खराब हो गयी तो क्या मंत्री महोदय उन सड़कों को जो 10 साल से पूर्व बनी हुई हैं, प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कराने के लिए अनुदान देंगे ?

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष जी, नीतिगत प्रश्न मैं पूछूंगा, मैं पहले से ही आपको इशारा कर रहा था, आपकी नजर नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष : नजर तो खूब जा रही है लेकिन यह भरतपुर की बात हो रही है ।

श्री किशन मोटवानी : मेरा निवेदन यह है कि जो कृषि उपज मण्डी की ओर सड़कें 10 साल, 15 साल, 20 साल से बनी हुई हैं, उन सड़कों के रख-रखाव का

(श्री किशन मोटवानी)

जिम्मा किसका है ? जैसे हम शहरी सड़कों को पी.डब्ल्यू.डी को देते हैं तो उनके रख-रखाव का भार पी.डब्ल्यू.डी. पर पड़ता है और हर साल उसके लिये पैसा आबंटित होता है, आपके यहां ऐसी कोई व्यवस्था है ? हम जब भी बात करते हैं, अजमेर में 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी तो कहते हैं कि हमारे पास इसका अभाव है, हमारे पास इसकी योजना नहीं है, यह नीतिगत प्रश्न है, आप इसको साल्व करें।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है। राजसमंद विधान सभा क्षेत्र में कुरस्सी जूणदा, जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसमें 2 किलोमीटर कृषि उपज मंडी के माध्यम से एक सड़क निर्मित हुई हैं और वह अधूरी सड़क थी उसको पूरा करने के लिये माननीय मंत्री महोदय ने पिछले सत्र में आश्वासन दिया था कि इसको हमने सैंक्शन कर दिया है यह पूरी कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : इनके पास राजसमंद का रिकार्ड तो नहीं होगा, डीग की बात चल रही है अभी।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मेरा निवेदन यह है कि अधूरी सड़क टेक अप नहीं की है पूरी करने के लिये, जो अधूरी सड़क बनी है, पूरी बनने के पहले वह सड़क खराब हो चुकी है। क्या मंत्री महोदय उसकी जांच कराएंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप सबके उत्तर सुन लें।... (व्यवधान)....बिराजें आप। माननीय मंत्रीजी....(व्यवधान)....। यह खाली भरतपुर तक सीमित है, डीग तक।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : भरतपुर का ही नहीं। इससे ही सम्बन्धित है। थोड़ा एक सवाल हम पूछ लें तो क्या तकलीफ है ?

श्री अध्यक्ष : तकलीफ तो कुछ नहीं है। आठ हो गये हैं फिर अभी माननीय विश्नोई साहब फरमा रहे थे कि हमारे प्रश्न नहीं आते हैं।

श्री रिछपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना की कृषि उपज मंडी पिछले 10 वर्ष से 50 लाख के कर्जे में डूबी हुई है। क्या मंत्रीजी उस मडी को कर्जे से उबार कर उस विधान सभा क्षेत्र में भविष्य में कुछ सड़कें बनाने की योजना का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सवाल है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराज जायं, It is too much. (व्यवधान)....आप बिराज जायं, भरतपुर तक की बात है, डीग की बात है। यह सारे माननीय सदस्यों ने पूरे राजस्थान की बात पूछ ली है, नीतिगत बात है एकाध होगी तो बता देंगे। आप बिराजें।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : एक प्रश्न के उत्तर में 10 सप्लीमेंट्री बोल गये, जबकि 3 या 2 बोला है, चाहे जवाब ले ल्यो मंत्री रो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आप विपक्ष को तो बोलने देते हो और सत्ता पक्ष वाले कुछ कहना चाहे तो कहने नहीं देते हो।

श्री अध्यक्ष : अब यह आपका थाट है। आप बिराजें। माननीय मंत्रीजी।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अभी बाढ़ के कारण जो हमारी मंडी की सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं उनके बारे में कई सदस्यों ने सवाल पूछे हैं। हमारे अलवर की, भरतपुर की, कोटा की कुछ साइट थी और बारां जिले की जो भी सड़कें हमारी क्षतिग्रस्त हुई थीं उनके लिये हमने 4 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। और मैं यह मानकर चलता हूं कि एक्स. ईएन की रिपोर्ट आयी है। कि ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसको रिपेयर करने के लिये हमने स्वीकृति जारी नहीं की हो। अगले 10–15 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा और हम चाहते हैं कि इसी वित्तीय वर्ष में सारी की सारी सड़कों की मरम्मत का काम पूरा हो। जहां तक हमारे मोटवानी साहब ने जो बात कही, यह बात काफी भिन्न है, क्योंकि जब मैंने मंत्रालय सम्भाला था उससे पहले कृषि उपज मंडियों की सड़कों की मरम्मत का कोई प्रावधान नहीं था। मैंने 17 फरवरी, 1995 को यह निर्णय किया और यह निर्देश दिये कि जो भी हमारी कमजोर मंडियां सी और डी श्रेणी की होंगी उनके मार्केटिंग बोर्ड के अनुदान से सड़कों की मरम्मत करायी जाएगी और बाकी प्राथमिकता के आधार पर ए और बी मंडियां उसमें करेंगे। हमने पिछले साल भी करीब 15–16 करोड़ रुपये खर्च किये और उसके बाद में हमने यह भी निर्णय किया है पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री महोदय से बातचीत करके कि जो हमारी सड़कों की मरम्मत होगी वह धीरे-धीरे उनको ट्रांसफर कर दी जाएगी। दो हजार किलोमीटर सड़क उनको इस साल परिवर्तन कर दी जाएगी, 2 हजार किलोमीटर अगले वित्तीय वर्ष में और बची हुई सारी की सारी सड़कें मरम्मत करके सार्वजनिक निर्माण विभाग को तीसरे वर्ष में सौंप दी जाएंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारी लालजी बैरवा।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : बहुत अर्से से जो अधूरा मसला था उसको भी हम आज पूरा कर पाये हैं।

श्री शांतिलाल खोईवाल : सत्ता पक्ष के विधायकों को जवाब लेने का हक नहीं है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब, पर इनके पास है नहीं वह आपकी रोड टूटी कि नहीं....

श्री शांतिलाल खोईवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे रिलेटेड प्रश्न है। रिलेटेड प्रश्न इसलिए है कि आधी सड़क बनी हुई है, वह पहले ही टूट गयी, पूरी तो बनी नहीं।

श्री अध्यक्ष : यह आप कह रहे हैं कि टूटी हुई सड़कों की मरम्मत करा दी जाएगी।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : जिस सड़क का जिक्र आपने किया है, उसकी स्वीकृति के आदेश हमने कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : यही तो आप सुनने जा रहे थे। बैरवा जी।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : और जो दो किलोमीटर बनने से पहले टूटने की बात कही है उसकी हम अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी से जांच कराके उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : बनवारी लाल जी बैरवा।

बन्ध गोपालपुरा (ढील) सवाईमाधोपुर की पेटा काश्त भूमि

81. **श्री बनवारी लाल बैरवा** (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बन्ध गोपालपुरा (ढील) सवाईमाधोपुर के पेटा काश्त की भूमि सरकार द्वारा आबंटित की जाती है ? यदि हां, तो उसके नियम क्या हैं तथा इसका आबंटन कब किया जाता है ?

(2) क्या गत वर्ष इस पेटा काश्त भूमि को आबंटित किया गया था ? यदि हां, तो किन काश्तकारों को ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी, हां। बन्ध पेटे की भूमि पानी से खाली होने व आबंटन के लिये उपलब्ध होने पर राजस्थान भू-राजस्व (तालाब, नदी, पेटा भूमि काश्त हेतु आबंटन) नियम, 1961 के प्रावधानान्तर्गत उद्घोषणा जारी कर अस्थायी रूप से आबंटन किया जाता है।

(2) जी, हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, जो सूची दी गयी है वह पूर्ण नहीं है, दूसरे जो फोटोस्टेट दी गयी है वह पढ़ने में नहीं आ रही है, उसको ठीक से पढ़ा भी नहीं जा रहा है। इसके बावजूद मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व यह गोपालपुरा बन्ध बना था। उस समय मोली तहसील और निवाई तहसील दोनों जयपुर राज्य के तहत थी और उसके कारण हमारे यहां का जो पानी बहकर करके निवाई तहसील का गोपालपुरा बन्ध के अंदर जाता था और उससे जो जमीन निकलती थी उससे निवाई तहसील के जो काश्तकार थे, जो उसके हकदार थे उनको भी वहां से उस समय आबंटन होता था। जो लिस्ट आज मैंने देखी इसके अंदर एक भी निवाई तहसील का काश्तकार नहीं है कि जिसको आबंटन किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि पहले जमीन निकल जाती है काश्तकार काश्त कर लेते हैं और उसके बाद जो अधिकारी हैं वे बैठकर वहां अलाटमैंट करते हैं और उससे क्या होता है कि बंध गोपालपुरा सवाईमाधोपुर तहसील में है इसलिए वहां के काश्तकारों को तो लिस्ट में अलाट कर देते हैं, हमारी टोंक तहसील के जो काश्तकार हैं, जैसे बहड़ के काश्तकार हैं, भैरूंपुलिया के काश्तकार हैं उनको कहीं एनरोल नहीं किया जाता, उनके अलाटमैंट नहीं किया

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

जाता और जिसके कारण हर साल झगड़े होते हैं माननीय मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करें न्यायसंगत तरीके से अगर यह अलाटमैंट होता है तो फिर हर साल झगड़े क्यों होते हैं, कत्लोगारद तक हो जाते हैं, क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसी बात है कि जो हर साल झगड़े होते हैं और जिनको सुलझाना मुनासिब समझते हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, तनाजा और झगड़े की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है लेकिन में वस्तु-स्थिति निवेदन कर देता हूं। लगभग 293 बीघा भूमि टोंक जिले की इस बंध पेटा में है जो टौंक जिले के काश्तकारों के कब्जे की है और इसका अलाटमैंट सवाईमाधोपुर जिले के अधिकारी नहीं करते हैं। वे हर साल छोड़ देते हैं। एडवाइजरी कमेटी की राय भी यह रहती है कि इस एरिया की भूमि का अलाटमैंट नहीं किया जाय। असल में नियमानुसार कायदा है कि जिस जिले की भूमि होती है उसी जिले के अधिकारियों को वह आवंटन करनी चाहिये। यह पहले से कब्जे में है। मैं इस बात की जानकारी करूंगा कि टोंक जिले के अधिकार में टोंक जिले की जो भूमि पड़ती है उसको पानी खाली होने पर अलाटमैंट क्यों नहीं करते हैं। निर्देश जारी कर देंगे कि नियमानुसार वह भी तीन साला अलाटमैंट हमारे यहां होता है तो तीन साल के लिये अलाटमैंट करें। आयंदा से करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपके कहे अनुसार हो गयी बात।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जब इतने बीघा जमीन छोड़ी जाती है, जैसे आप फरमा रहे हैं तो वह टोंक जिले के काश्तकारों को आबंटित क्यों नहीं की जाती ?

श्री अध्यक्ष : वह यह कह रहे हैं कि मैं आदेश जारी कर रहा हूं। नहीं है, तो वापस कर दी जाएगी।

श्री बनवारीलाल बैरवा : एक मिनट साहब, क्योंकि अभी भी उसमें विवाद है और उन विवादों को सुलझाने के लिये क्या मंत्रीजी ऐसा विचार रखते हैं कि टोंक के कलक्टर, सवाईमाधोपुर के कलक्टर और वहां के जन प्रतिनिधि बैठकर इसका फाइनल फैसला करें ? चूंकि हर साल वहां सिर फुटोव्वल होती है। हर साल खून बहता है उससे हम लोगों को मुक्ति मिल जाएगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : क्या विवाद है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलने दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है, मैं वहां का हूं ये टोंक के रहने वाले हैं और मैं निवाई का रहने वाला हूं। यह निवाई की बात कर रहे हैं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, मुझे आश्चर्य यही है कि हमारे मुख्य सचेतकजी ने पूछा कि विवाद क्या है ? वहां रोज झगड़े होते हैं, रोज सिर फूटते हैं, लोग मर जाते हैं और आदमी वहां पूरी तरह विभक्त हैं। विवाद यह

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

है कि जमीन निवाई की है और जो लोग हकदार हैं.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : टोंक के मामले में एक दूसरे को टोकें नहीं आप। आप बिराजें।

श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल में पूछना चाहता हूं पेटाकाश्त की भूमि के आवंटन का मसला है। आपने तो सिर्फ टोंक की बात उठाई है लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जितनी भी पेटाकाश्त की भूमि जो आवंटित होनी चाहिये थी हर वर्ष कहीं पर भी नहीं हुई है। क्या मंत्री महोदय उसकी जानकारी मुझे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : अभी यह गोपालपुरा की ही बात है जिला सवाईमाधोपुर की....

श्री शांति कुमार धारीवाल : गोपालपुरा के बाद तो कई पुरा आ गये यहां पर।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। हो गयी आपकी बात।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कहां हुई ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मंत्री महोदय, हिंडोली में कोई भी पेटाकाश्त की एक बीघा भी जमीन अलाट नहीं हुई है–कृपया उसकी जांच करवा लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय कोगटा जी–(आप श्री शांति कुमार धारीवाल) बिराजें।

एक माननीय सदस्य : हां, तो करवा रहे हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पेटाकाश्त के सम्बन्ध में एक नीतिगत प्रश्न है, यह सन् 1961 का है लेकिन आजकल क्या परिस्थिति है कि पेटाकाश्त करने के लिये पानी को बहा दिया जाता है और एक महीने के बाद और सारे गांव वाले पशुओं के लिये पानी की हाहाकार करते हैं, पेटाकाश्त के लोग में जो पानी है वह तो बहा दिया जाता है तालाब वगैरह खाली करने के लिये। क्या सरकार इस बारे में पुनर्विचार करेगी ? अकाल परिस्थितिवश जानवरों के लिये या अन्य व्यवस्था के लिये पेटाकाश्त के लिये पानी फालतू छोड़ने के बजाय उसको जानवरों के पीने के लिये रोका जा सकता है ? यह नीतिगत मामला है, माननीय मंत्रीजी बतायें।

श्री अध्यक्ष : श्री माधवसिंह दीवान।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : माननीय मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि सलाहकार समिति की बैठकें समय पर होती नहीं हैं ? तालाब खाली होते रहते हैं और जैसे ही तालाब खाली होते हैं काश्तकार अपने खेत वहां जोतने पहुंच जाते हैं। झगड़े होते हैं। इसलिए सलाहकार समिति की मीटिंग टाइम पर हो और जो अधिकारी समय पर मीटिंग नहीं बुलायें उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये कोई विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह मीटिंग हफ्तेभर तक हो जाये तब जाकर बोये जायें। माननीय रामनारायण जी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें कहना चाहूंगा जो मंत्री जी के भी ध्यान में आये और सरकार के भी। पहली बात तो ऐसे कितने तालाब पेटेकाश्त हैं जिनकी काश्तकारों ने मुआवजा राशि नहीं ली और आपको एम. एल. ए. लिखते हैं? आप कहते हैं कि इनको तीन साल का अलाटमेंट है, गैर खातेदारी की बात मत कीजिए। वह लिखकर देने को तैयार हैं। उसमें लिख दो पेटेकाश्त की जमीन। उनको खातेदारी अधिकारों से वंचित मत करो। यह किसानों के हितों के खिलाफ जो हो रहा है आप उसके बारे में ध्यान रखें।

दूसरा, मेरा निवेदन करना यह है कि यह हर जिले में होता है। बूंदी जिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम हर साल कहते हैं। यह टोंक का ही मामला नहीं है। न तो अलाटमेंट के बाद जाकर कब्जा देते हैं। टाइम पर काश्त करते हैं और इतने बड़े-बड़े हो जाते हैं एक-एक फुट के। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि तब जाकर अलाटमैंट होता है और काश्तकार लड़ते हैं। गरीब को अलाटमैंट होता है और गरीब उस जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। लाठी वाले उस जमीन को हांकते हैं और वह उसकी फसल लेते हैं। इस तरह से आप अलाटमैंट कागजों में दिखाते हैं और रेकार्ड बताते हैं। 20 पाइंट प्रोग्राम की कमेटी आप रेकार्ड पेश करते हैं। वह सारे के सारे फर्जी हो जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप जब तक रेवेन्यू मिनिस्टर रहे तब तक काश्तकारों के हितों की अनदेखी नहीं करें। विधायक आपको चिट्ठी लिखें उस चिट्ठी को आप महत्व दें....

श्री अध्यक्ष : हो गयी रामनारायण जी आपकी बात। आपकी बात तो इतनी सी है कि पेटाकाश्त में जल्दी से जल्दी अलाटमैंट हो। फसल उग जाये उसके बाद नहीं हो....

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप इनको सद्बुद्धि दो।

श्री अध्यक्ष : सूत्र में कहना भी सीखें अपन,....

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, जिन तालाबों में किसी काश्तकार की जमीन डूब में आ गयी और उनको मुआवजा मिल गया तो उनके लिए 1961 का एक नोटिफिकेशन है कि वापस मुआवजा जमा कराने पर काश्तकार को वह जमीन रेस्टोर हो जाएगी लेकिन ऐसा मैं मंत्री महोदय से कहता हूं....

श्री अध्यक्ष : यह सैपरेट विषय है माननीय विधायक, आप बिराजें।

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, ऐसा हमारे यहां हो रहा है भीलवाड़ा जिले में जहां रेस्टोर नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप जमा करायेंगे तो हो जायेगी। कानून में ऐसा है। माननीय मंत्री जी।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गोपालपुरा बांध की भूमि के सम्बन्ध में जो तनाजा माननीय सदस्य ने बताया है उसकी जानकारी तो राज्य सरकार को नहीं है। तनाजा सरहद का हो सकता है या आवंटन का है, मैं जानकारी कर लूंगा, इसका हल निकालेंगे और सम्बन्धित दोनों अधिकारियों को सवाई-माधोपुर और कलेक्टर टोंक को हम हिदायत कर देंगे कि टोंक की सरहद में जो जमीन है जिले में वह भी आबंटन कर दी जाय तो मेरे ख्याल में तनाजा नहीं रहेगा।

दूसरा, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मीटिंग समय पर होने की बात आम तौर पर आई। राज्य सरकार की पहले से ही हिदायत है लेकिन यदि कहीं कमी रहती है तो हम समय पर मीटिंग करने के लिये सब को निर्देश दे देंगे। अब अलाटमैंट तीन साला होता है, अध्यक्ष महोदय, इसलिए हर तालाब ही हर साल बारी नहीं आती है। तीन साल के बाद अलाटमैंट होता है....

श्री अध्यक्ष : फिर भी सितम्बर के लास्ट तक हो जाय या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो जाय तभी काम आता है वह। नहीं तो उनके पास फसल होगी नहीं उसमें।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सितम्बर में आम तौर पर नहीं, अक्टूबर में पानी खाली होता है। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और आया था....

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा आपने फरमाया कि 393 बीघा जमीन टोंक जिले के काश्तकारों के लिये छोड़ी हुई है और उसका अलाटमैंट नहीं किया है। तो फिर वह तो अलाट हो ही सकती है। अगर सवाईमाधोपुर जिले के काश्तकारों को हो चुकी है वह हो जाय लेकिन टोंक जिले की भी जो 393 बीघा भूमि छोड़ी हुई है उसके आवंटन के लिये तो आप आदेश फरमा दें।

श्री अध्यक्ष : वही तो कह रहे हैं आप।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 393 बीघा भूमि छोड़ी हुई है और उस पर भी टोंक के लोग काश्त करते हैं। आबंटनशुदा जमीन है या आबंटनशुदा नहीं है टोंक जिले की उसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तो वह मैं जानकारी कर लूंगा और उसको टोंक जिले के लोगों को आबंटित कर देंगे। उसमें तनाजा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुआवजे के सम्बन्ध में बात आई वह भी मैं निवेदन कर देता हूं कि खातेदारी या गैर खातेदारी अधिकार लौटा दिये जायं अगर आदमी मुआवजा दे देता है, तो राज्य सरकार ने हाल में ही निर्णय लिया है कि जिस आदमी की भूमि एक्वायर करली गयी है, उसका मुआवजा उसने ले लिया है और वह व्यक्ति यदि अभी आधा मुआवजा राज्य सरकार को अदा कर दे कृषि भूमि का, दूसरी सम्पत्ति का नहीं, कृषि भूमि का तो गैरखातेदारी अधिकार उसको दे दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती बीना काक।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मेरा जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : यह जरूरी नहीं है आप जो मर्जी आये पूछें और उसका जवाब आये ही। बिराजें आप।

विभागीय कर्मियों के वेतनमान

82. **श्रीमती बीना काक** (सुमेरपुर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :–

(1) विभाग द्वारा अतिरिक्त निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के पदों पर अन्तिम बार पदोन्नतियां कब की गयी थीं और क्या वह नियमानुसार थीं ?

(2) क्या यह भी सही है कि पर्यटन विभाग में अतिरिक्त निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक तथा अन्य पदों की वेतन श्रृंखला अन्य विभागों से कम है ? यदि हां, तो क्यों ? अन्य विभागों से तुलनात्मक वेतन श्रृंखला का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पर्यटन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर भी अन्य विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों के समकक्ष ही वेतन श्रृंखला लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती नरेन्द्र कंवर) : (1) पर्यटन विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद पर आदेश दिनांक 31–5–1995, उप निदेशक व सहायक निदेशक के पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29–9–1995 के क्रम में अन्तिम बार पदोन्नति हुई है तथा यह राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1975 के तहत नियमानुसार है।

(2) प्रत्येक विभागों में पदों के वेतनमान का निर्धारण विभाग के कार्य-कलापों, मापदण्डों इत्यादि को ध्यान में रखकर वित्त विभाग तथा वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतः अन्तरविभागीय तुलना करना सार्थक नहीं है। फिर भी उदाहरण के तौर पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के पदों की वेतन श्रृंखला से तुलना का विवरण परिशिष्ट (1) संलग्न है।

(3) वेतनमान में बढ़ोतरी का मामला यथासमय राज्य वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय मंत्री महोदया ने 1975 के रूल्स का हवाला दिया है, क्या उसमें एडीशनल डायरेक्टर की पोस्ट दी गयी है या केवल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की ही पोस्ट है ? नम्बर 1। 1975 के रूल्स में अतिरिक्त डायरेक्टर की पोस्ट थी ही नहीं और यदि कहीं इस दौरान रूल्स में अमेंडमेंट हुआ हो या नये रूल्स बने हों, मुझे प्रसन्नता होती यदि उनका हवाला दे दिया जाता या बता दिया जाता। एडीशनल डायरेक्टर की बीच में एक आध पदोन्नति जो आपने की है यह कब, किस प्रकार से और किन रूल्स के तहत की गयी है ? क्योंकि मेरा यह मानना है कि पदोन्नति एक पर्टीकूलर

(श्रीमती बीना काक)

कास्ट के, विशेष जाति के अधिकारी को लाभ देने के लिये की गयी है.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। आपस में वार्ता नहीं करें। धारीवाल साहब, अध्यक्ष की एक सीट है, इधर भी आप मुंह कर सकते हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : जाति ही तो पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप इधर मुंह करके पूछ सकते हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : इनकी जाति नहीं पूछ रहा हूं, उस अफसर की जाति पूछ रहा हूं।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि यह अधिकारी उसी जाति का है जिस जाति के माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं, माननीय मंत्री जी के प्राइवेट सैक्रेटरी हैं और आर. टी. डी. सी. के चेयरमैन महाराजाधिराज जोधपुर हैं....

एक माननीय सदस्य : हैं तो हैं।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पर्टीकूलर अधिकारी को विशेष लाभ देने के लिये मुख्यालय में स्थित उप निदेशक पद को तुरन्त अपग्रेड करवा कर अतिरिक्त निदेशक बना दिया गया जब कि असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद पहले डिप्टी डायरेक्टर बनता है, उसके बाद एडीशनल डायरेक्टर बनता है लेकिन डिप्टी कहीं आया नहीं सीधे ही असिस्टेंट से एडीशनल बना दिया। वह इसलिए कि नीचे लाइन में कुछ शिड्यूल्ड कास्ट के अधिकारी थे जिनका प्रमोशन होना था वह बराबरी पर आ जाते तो उनको बढ़ावा मिल जाता। शिड्यूल्ड कास्ट वाले उस अधिकारियों के अधिकारों का हनन हुआ है एक जाति विशेष को बढ़ावा देने के लिये....

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लें।

श्रीमती बीना काक : यह किन रूल्स के तहत किया उसका यदि आप मुझे ब्यौरा दे देती तो मुझे प्रसन्नता होती।

श्री अरुण सिंह : पूर्व पर्यटन मंत्री अनुभवी हैं। इसकी हम तारीफ करते हैं।

श्रीमती बीना काक : थोड़ी सी अनभिज्ञ हूं इसलिए थोड़ी सी जानकारी चाह रही हूं। अनुभव और उसकी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जवाब सुन लें आप।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति आदेश सं. एफ. 1 (आई) पर्यटन, 90 दिनाक 31–5–1995 के द्वारा, उपनिदेशक के पद पर आदेश क्रमांक एफ 26 (टी) 90 दिनांक 28–10–1995 तथा सहायक निदेशक के पद पर आदेश क्रमांक एफ 78 (टी) 94 दिनांक 28–10–1995 के द्वारा की गयी थीं। यह पदोन्नतियां राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1975 के तहत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर की गयी थीं। विभागीय पदोन्नति समिति के निम्न अधिकारी थे :–

(श्रीमती नरेन्द्र कंवर)

1. अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग
2. सचिव, पर्यटन
3. सचिव, कार्मिक विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि, और
4. निदेशक, पर्यटन।

और जिस तरह से आपने जातिवाद का नाम बोला, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी....(व्यवधान) सुन लीजिये। एडीशनल डायरेक्टर की पोस्ट 1995 के रूल्स के तहत क्रियेट की गयी थी यह मैं आपको बता चुकी हूं। जातिवाद का जैसे आप फरमा रही हैं और जिस एडीशनल डायरेक्टर की आप बात कर रही हैं वह आर.पी.एस.सी. से सलैक्ट हुए थे, तीन साल के लिये वह एडीशनल डायरेक्टर रहे हैं, पांच साल के लिये एडीशनल डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं। और जिस के लिये आप बोल रही है अगर आप उनका नाम बता दें या मैं सही बता दूं। आपके टाइम में जब आपकी गवर्नमेंट थी, बैंकडोर एन्ट्रीज हुईं उसके लिये आप हमें दोषी ठहरती हैं और आप मंत्री रही हुई है, ऐसी बात बोलती हैं। आपको जानकारी होनी चाहिये। सदन को आप + + + करती है। जातिवाद का आप लांछन लगाती है, + + +। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : मेरे ख्याल से माननीय मंत्री जी का इतना + + + (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : अध्यक्ष महोदय, पाइंड आफ आर्डर।

श्रीमती बीना काक : इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : अध्यक्ष महोदय, + + + शब्द असंसदीय है।

श्री अध्यक्ष : हां, वह निकाल देंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, इनको बैठाइये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह असंसदीय शब्द है।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या द्वारा जो शब्द उपयोग किये गये हैं उनको कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अध्यक्ष : यह + + + शब्द निकाल दीजिए।... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, + + +

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। आप क्या श्री पूनमचंद जी विश्नोई का प्रश्न नहीं आने देना चाहते?

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप इनको रोकिये। आप इनको तो रोकते नहीं है। वह अपनी सप्लीमेंट्री पूछ रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आप पांच-पांच क्यों खड़े हो रहे हैं। धारीवाल जी, एक दिन तो + + + अच्छा लगता है, **every now and than, disrupting the House is not proper.**

बिराजिये आप।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह सप्लीमेंट्री पूछ रही हैं। आप उनको नहीं रोक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। बीना जी काक को इतना कमजोर न समझें आप।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीनियर या जूनियर होने का इसमें कोई सवाल नहीं है। मैं बड़ी संजीदगी से, बड़े प्रेम से सवाल पूछ रही हूं लेकिन माननीय मंत्री महोदया का एकदम से खड़े होकर +++ बोलना उचित नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आप कोई प्रश्न पूछना चाहते तो पूछ लीजिए वरना भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है।

श्रीमती बीना काक : यह जो प्रमोशन हुए हैं, उनसे हमारे राजस्थान में अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रमोशन अभी तक रोके हुए थे मेरे सवाल के बाद परसों ही आर्डर निकले हैं। यह प्रमोशन का आर्डर जो पहले रोका हुआ था परसों 29-10-95 को निकाला गया है, यह पहले क्यों नहीं निकाला गया ? डी.पी.सी. होने बाद पहले क्यों नहीं निकाला गया ? और उस अधिकारी का जो प्रमोशन हुआ वह डी.पी.सी. के दो दिन के बाद आर्डर निकाल दिया गया। इन अधिकारियों के अधिकारों का हनन हुआ मैं यह कहना चाह रही हूं। क्या इस विभाग में एक ही जाति का वर्चस्व रहेगा ? मैं तो सिर्फ रूल्स के तहत बात कर रही थी, माननीय मंत्री महोदया इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है, मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है और न ही जिस व्यक्ति का प्रमोशन हुई है उसके खिलाफ कुछ कहना चाहती हूं। मैं तो कह रही हूं कि क्या आप अनुसूचित जाति के लोगों को अक्षम मानती हैं यह बता दीजिए ? वह सक्षम हैं या असक्षम है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब बैठिये आप, बिराजिये आप।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : इसमें जातिवाद का सवाल ही नहीं है और जिस तरह आपने... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिए, धारीवाल जी, बार-बार बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप चुप रहिए, बहुत हो गया आप सुनिये।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप जिस असिस्टेंट डायरेक्टर की बात कर रही हैं वह मैं बता चुकी हूं कि आर.पी.एस.सी. से उनका सलेक्शन हुआ था आज से आठ साल पहले और डी पी.सी. में वह पूरे सही उतरते हैं और जिनके लिये आप बोल रही हैं हो सकता है कि उनकी सर्विस लम्बे समय की हो....

श्रीमती बीना काक : जिस शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति की मैं बात कर रही हूं वह 22 साल से हैं, जिनका प्रमोशन हुआ है वह जूनियर हैं और उनको एकदम जम्प कराके प्रमोशन दिया गया है....

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(16)

श्री अध्यक्ष : उत्तर सुनें। यह गलत है पहले मंत्रीजी को पूरा जवाब देने दीजिए, बीच में खड़े न हों।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप देखिये 22 साल का एक्सपीरियंस अलग बात है और काम करने की....(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : यही तो मैं पूछना चाहती हूं कि आप असक्षम मानती हैं क्या ? एक्सपीरियंस को नहीं मान रही हैं। आप मानती हैं क्या कि जो शिड्यूल्ड कास्ट के अधिकारी हैं यह असक्षम हैं, सक्षम नहीं हैं ? जिसके पास कम साल का एक्सपीरियंस है वह ज्यादा सक्षम हो गया, यही तो मैं पूछना चाह रही हूं।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : यह डी.पी.सी. के हिसाब से, according to the D P.C. सर्विस रूल्स के तहत हुआ है और उसमें यह मापदण्ड में आते ही नहीं हैं। आप मोनिका लाठर की बात कर रही हैं....

श्रीमती बीना काक : माननीय मंत्री महोदया, यही तो मैं कह रही हूं कि उस रूल को अगर आप कोट कर देती अपने उत्तर में। 95 आपने कोट किया, 95 में एडीशनल डायरेक्ट की पोस्ट ही नहीं है। यह रहे सर्विस रूल्स, आप कोट कर देती न मुझे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री आर.पी. शर्मा जी। प्रश्न समाप्त हुआ....(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : हम सप्लीमेंट्री पूछेंगे। यह कैसे हो सकता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब कोई मतलब नहीं है। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : हम सप्लीमेंट्री पूछेंगे।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक साथ खड़े होकर हाउस को रोक देने की चेष्टा कृपा कर नहीं करें....(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : सप्लीमेंट्री नहीं पूछेंगे क्या ? ....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसका जवाब आने दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरा सुनिये पहले। आप बिराज जाएं। बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : एस.सी./एस.टी. के साथ अन्याय है। एस.सी./एस.टी. के साथ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। देखिये मैं खड़ा हूं। आप पहले बिराजिये....सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं। पहले आप बिराजिये। धनखड़ जी आप बिराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहले उसकी चर्चा करवाइये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला अनुसूचित जाति का है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शैलेन्द्र जी आप बिराजिये। अध्यक्ष खड़ा होता है उसकी गरिमा का कोई ध्यान ही नहीं है। जब प्रश्न किया, बीच-बीच में आप सब खड़े हो जाते हो।

(श्री अध्यक्ष)

कोई उत्तर सुनना नहीं चाहते। इधर से 25 जने खड़े हो जाएंगे, फिर अभी इधर से 50 हो जाएंगे....(व्यवधान) Why do you want to rock the House ? एक बार में एक सज्जन खड़े हों तो पूरी बात होगी। कभी धारीवाल साहब खड़े हो जाएंगे, कभी हरिसिंह (महुआ) साहब हो जाएंगे, कभी कोई खड़ा हो जाएगा। यह क्या होगा। आप बिराजिये। पहले आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं तो गरीब के हित में हाथ जोड़ सकता हूं। यह जो व्यक्ति है यह अनुसूचित जाति का है और 22 साल से उसी पोस्ट पर काम कर रहा है और एक अधिकारी जो 8 वर्ष पहले उस पोस्ट पर आया। अनुसूचित जाति के असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर साल्वी के अधिकारों का हनन किया गया, उनको प्रमोशन नहीं दिया गया और राजपूत होने के नाते मैं आरोप लगा रहा हूं कि जाति विशेष के लोगों को प्रश्रय देने के लिये, क्योंकि +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हरिसिंह ((महुआ) : ....अनुसूचित जाति के हितों पर कुठाराघात किया गया है....(व्यवधान)....उस अधिकारी को.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी। बिराजिये आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, हम आसन से अपेक्षा करते हैं, आसन निर्देश दे सरकार को....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हरिसिंह जी, बिराजिये आप।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट का कोई अफसर नहीं है तो वह डिप्टी डायरेक्टर कैसे है ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ....सरकार हमारा भला नहीं करना चाहती.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं विपक्ष के माननीय मुख्य सचेतक जी से निवेदन करूंगा कि अपनी पार्टी के लोगों पर कण्ट्रोल करें। चार जने एक साथ खड़े होकर कह रहे हैं। कभी हरिसिंह जी हो गये, फिर रामस्वरूप जी हो जाएंगे, फिर धनखड़ साहब कहेंगे। किसकी बात सुनेंगे फिर ?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : हम आसन से आश्वासन चाहते हैं कि जो ज्यादतियां, बेईमानियां शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स के लोगों के खिलाफ हो रही हैं उनकी सुरक्षा की जाय। हम आसन से आश्वासन चाहते हैं। राजस्थान में उन लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है उसको दबाया जा रहा है। उनके साथ अन्याय हो रहा है, जातिवाद फैलाया जा रहा है। इस जातिवादी व्यवस्था से आदिवासी हरिजनों को कैसे सुरक्षा दी जाएगी यह हम आसन से व्यवस्था चाहते हैं। सरकार पर कतई विश्वास नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, + + + (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रक्रिया पर रोक लगाइये और जिस योग्य आदमी को प्रमोशन मिलना चाहिये था उसको दिया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, इस सवाल का जवाब दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सब को कह रहा हूं कि बिराज जायं, केवल राधेश्याम जी को ही नहीं कह रहा हूं। धारीवाल जी बिराज जायं आप। अनुमति लेकर बोलें....(व्यवधान) पांच लोग खड़े हो जाएंगे एक साथ, मजा आ जाएगा....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने यह पूछा है कि 1955 के नियम में ऐसी कोई पोस्ट ही एग्जिस्ट नहीं करती, इसका जवाब दे दें मंत्री महोदया।

श्रीमती बीना काक : उससे मुझे संतुष्टि मिल जाएगी कि 1955 के रूल्स में....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 1955 के रूल में इस प्रकार की कोई पोस्ट नहीं थी और यदि संशोधन किया है, तो वह किस तारीख को किया गया? उसकी तारीख बतादें।

श्री अध्यक्ष : आप सुनेंगे तो सुनायेंगे। वे जवाब देने खड़े होते हैं और आप खड़े हो जाएंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइये, स्पेसिफिक क्वेश्चन है। स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बोलें।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : सर्विस रूल्स से पोस्ट का क्या, पोस्ट की जरूरत थी इसलिए पोस्ट क्रियेट की गयी....(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : ऐसे कैसे की गयी? (व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिये। या तो मुझे बोलने दीजिये या आप बोलें।

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुनें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बिना पोस्ट कैसे हो सकता है? (व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप लोगों के लिये तो आर.पी.एस.सी. वाले और जो बैकडोर एण्ट्री आप लोगों ने आपके टाइम में करवाई, वह सब बराबर हैं। आर.पी.एस.सी. वाले भी वैसे ही है... (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सब को निकाल दीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : बैकडोर एण्ट्री से करें भले ही उनकी एकेडेमिक निल हो, उनको बराबर कर दिया आप लोगों ने। आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : अब आप जवाब सुनते नहीं....(व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप सुनिये पहले।

श्री अध्यक्ष : मुझे मजबूर होकर दूसरा प्रश्न पुकारना पड़ेगा या आप उत्तर सुन लें इनका। आप बिराजिये। उत्तर तो सुनते नहीं पूरा....(व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : सुनिये आप। रूल्स के अन्दर....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर ये नहीं दे पाएगी इसलिए प्रश्न को स्थगित करवा दीजिये।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : कैसे करवा देंगे स्थगित आप लोग सुनते तो हैं नहीं इतनी देर हो गयी, मैं जवाब देने को तैयार हूं, आप सुनने को ही तैयार नहीं हैं....(व्यवधान) यह जो मोनिका लाठर की बात कर रही हैं वह खाली सिर्फ साढ़े तीन साल तक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर जो कुशवाह हैं वह पांच साल तक हैं....(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, इर्रेलेवेंट बात क्यों कर रही हैं? स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब दिलवाइये। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : मोनिका लाठर की बात ही नहीं की, नाम ही किसने लिया है? (व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप सुनिये, उसका नाम नहीं, डिपार्टमेंट में to become a Deputy Director, you have to be an Assistant Director for five years.

श्रीमती बीना काक : That is what I want to know. How Kushwaha was promoted? How did Kushwaha get three promotions in just two years time? This is what I wanted to know.

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : He did not get three in three years....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कोई जवाब नहीं है अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री आर.पी. शर्मा जी। महेन्द्र जी आप बिराजिये। ....(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : No question of Monika Lattar. Monika Lattar is not Scheduled Caste. She is Jat....(interruptions)....Monika Lattar is not Scheduled Caste. She is Jat. हम शिड्यूल्ड कास्ट की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप बता दें क्या उत्तर दिया है, कौनसे रूल्स के अनुसार किया है, आप बता दें हम संतुष्ट हो जायेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बात कर लें, बहुत हो गया। बिराजिये आप। श्री आर. पी. शर्मा जी.... (व्यवधान).... इसी प्रश्न में समय....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ....यह बात अभी कर रहे हैं कि आप हमें संतुष्ट कर दीजिये कि उसका उत्तर क्या आया है,

(श्री अमराराम)

आप बता दीजिये कि क्या उत्तर दिया है, किस रूल के अनुसार किया है और पोस्ट कब क्रियेट की गयी है, कौनसे रूल के तहत की गयी है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एस.सी./एस.टी. का मामला है....(व्यवधान) उनको प्रमोशन से रोका जाता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप न्याय कीजिये ।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

एक माननीय सदस्य : उनको डिमोरलाइज किया जाता है, प्रमोशन नहीं किया जाता है... (व्यवधान) न्याय दिलवाइये, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप प्रश्न को स्थगित करवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूरा सुनना नहीं चाहते । जैसे ही वह खड़े होते हैं पांच इधर से खड़े होकर बोलने लग जाते हैं ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हम स्पेसिफिक जवाब चाहते हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब पूरा सुनिये, सुनने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी । जब जवाब दे रहे हों उस समय खड़े नहीं हों तो ठीक है । (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, गुलाब सिंह जी ने जो सप्लीमेंट्री की है उसका जवाब दिलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : वह जवाब दे रहे हैं कि दूसरे माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं, कोई सुनना ही नहीं चाहते हैं । (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : उसका जवाब दिलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, जवाब आ रहा है ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक एडीशनल डायरेक्टर की पोस्ट का सवाल है जनवरी, 1995 में रूल्स में संशोधन कर केबिनेट में यह स्वीकार किया गया और यह पोस्ट क्रिएट की गयी । इसलिये रूल्स में जनवरी, 1995 में....(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, यह जवाब में क्यों नहीं दिया गया ? यह जवाब में क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : आप फिर खड़ी हो गयीं । आप बात ही नहीं सुनना चाहते किसी की । पहले आप बात तो सुनिये । (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एडीशनल डायरेक्टर की पोस्ट क्रिएट करने का रूल्स में संशोधन केबिनेट के द्वारा जनवरी, 1995 में कर दिया गया ।

श्रीमती बीना काक : मेरे प्रश्न के उत्तर में अगर दे दिया जाता....

श्री अध्यक्ष : आप जवाब सुनिये । फिर से आप कहेंगे कि क्या कह दिया इन्होंने, हमने तो नहीं सुना....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एडीशनल डायरेक्टर की पोस्ट का सृजन जनवरी, 1995 में रूल्स में संशोधन करके प्रावधान कर दिया गया....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात सुनें। (व्यवधान) आप तो पहले मंत्री रहे हुए हैं, आप तो सुनें....(व्यवधान) आप बिराजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : दूसरी बात....

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब आप बात तो सुनना ही नहीं चाहते। आपको तो रोक करना है हाउस को....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिये यह सब कार्यवाही की गयी। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जहां तक कुशवाहा की नियुक्ति का प्रश्न था, वह आर.पी.एस.सी. से सलैक्टेड थे, जबकि जिस एस.सी. के कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं वह आर.पी.एस.सी. से सलैक्टेड नहीं थे, उनकी बैकडोर एन्ट्री हुई थी.... (व्यवधान)....

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। अब नहीं होगा। श्री आर. पी. शर्मा जी।

श्रीमती बीना काक : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : श्री आर. पी. शर्मा जी। एक प्रश्न के लिये एक घंटा नहीं बिगाड़ेंगे हम।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही मिनट और लूंगी। (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : प्रश्न संख्या 83।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट और लूंगी... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च स्तरीय जांच करवाइये जवाब की, जब सदन के उप नेता ने अनुसूचित जन जाति के खिलाफ....(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : मैं सिर्फ एक मिनट और लूंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री आर. पी. शर्मा जी। (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : प्रश्न संख्या 83 (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : ....जवाब क्यों नहीं दिया ?

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट और लूंगी।

श्री अध्यक्ष : सुनना तो है नहीं आपको। बिराजिये आप।

श्रीमती बीना काक : आज हमें तो सुनना है लेकिन मुझे इसमें जवाब क्यों नहीं दिया ?

श्री अध्यक्ष : मैं अब इस तरीके से अलाऊ भी नहीं करूंगा (व्यवधान) अब आप बिराजिये।

श्रीमती बीना काक : इसमें जवाब क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, आप बिराज जायें ? भाभड़ा साहब जवाब दे रहे थे। आप सुनना ही नहीं चाहते, आप अपनी ही बात कहे जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : मैं आपके हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि एक मिनट और लूंगी बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूं कि मेरे मूल प्रश्न के उत्तर में यह रूल्स का हवाला क्यों नहीं दिया ? इस रूल्स का हवाला इस प्रश्न के उत्तर में क्यों नहीं दिया गया ? सिर्फ मेरा इतना पूछना है कि (व्यवधान).. केबिनेट के निर्णय का इसमें क्यों नहीं हवाला दिया गया, मैं यह सिर्फ पूछना चाहती हूं. बाद में यह जवाब क्यों दिया गया ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पूछने पर क्लियर कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराज जायें।

श्रीमती बीना काक : एक व्यक्ति को लाभ देने के लिये, मैं बिलकुल आरोप लगाती हूं सरकार के ऊपर, आप भले ही नहीं सुनें....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायें। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आखिर रूल्स में अमेंड करके यह क्यों दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायें। आप किसी से संतुष्ट होंगे भी नहीं।

श्री आर. पी. शर्मा जी।

मदिरा की बिक्री दरों में अन्तर

83. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार राज्य में नशे से उत्पन्न समस्याओं को समाप्त करने हेतु राज्य में नशाबन्दी योजना को लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि शराब बिक्री की स्पष्ट नीति व नियम होने के बावजूद भी शराब की दुकानें विद्यालयों, देवालयों, राष्ट्रीय व राजकीय राजमार्गों पर खुले आम चल रही हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ठेका प्रणाली पर शराब की बिक्री होने के कारण शराब के अधिकृत ठेकेदारों द्वारा शराब शहरों में ऊंची दर पर व ग्रामीण, राष्ट्रीय व राजकीय राजमार्गों पर कम दर पर बेची जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, आबकारी (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) जी, नहीं। समय-समय पर अपनाये गये मद्य निषेध एवं टेम्परेंस कार्यक्रम राज्य सरकार के जनहित के दृष्टिकोण के साक्षी हैं, परन्तु राज्य सरकार की यह मान्यता है कि पूर्ण एवं प्रभावी नशाबन्दी तभी सम्भव होगी जबकि सभी पड़ौसी राज्यों में नशाबन्दी लागू हो जिससे राज्य में अवैध रूप से शराब लाकर बेचने की

(श्री अनंग कुमार जैन)

सम्भावना नहीं रहे। साथ ही आबकारी राजस्व की भरपाई को भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत राजस्व सहायता के अभाव में ऐसा करना बहुत कठिन है। इसलिए राज्य में नशाबन्दी लागू करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(2) जी, नहीं। राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के प्रावधानों के अनुसार अस्पताल, महाविद्यालय एवं सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षण संस्थाओं, देवस्थान विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त मन्दिरों व धार्मिक स्थानों व सिनेमा हाल से 200 मीटर से कम दूरी पर शराब की दुकानें लगाना प्रतिबन्धित हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय व राजकीय राजमार्गों के मध्य से 150 मीटर से कम दूरी में शराब की दुकान नहीं लगाई जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग व राजकीय राजमार्गों का प्रतिबन्ध नगरपालिका सीमा के अन्दर लागू नहीं है। राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के उप नियम (4) में आबकारी आयुक्त को समुचित कारणों तथा परिस्थितियों में प्रतिबन्ध में शिथिलता प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस नियम 75 (4) के तहत शिथिलता प्राप्त दुकानें ऐसे स्थलों से प्रतिबन्धित दूरी के अन्दर संचालित हो रही हैं।

(3) वर्तमान में आबकारी ठेके दुकानों के समूह बनाकर क्षेत्र विशेष के लिए टेण्डर/नीलामी द्वारा एकाकी विशेषाधिकार राशि पर दिये जाते हैं। नियमों में मदिरा का विक्रय मूल्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित करने का प्रावधान नहीं है और न ही ऐसा किया जाना अपेक्षित है। अतः मदिरा विक्रय की दरें, ठेके की एकाकी विशेषाधिकार राशि, मूल्य अन्य लागत, स्थानीय परिस्थितियों तथा पड़ोसी क्षेत्र से प्रतिस्पर्द्धा आदि पर निर्भर करती हैं। इन्हीं कारणों से एक समूह से दूसरे समूह में तथा नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में मदिरा की विक्रय दरों में अन्तर रहता है। ठेकेदारों द्वारा सामान्यतः शहरी क्षेत्र के ठेके अपेक्षाकृत ऊंची राशि पर उठाये गये हैं, अतः इन क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से मदिरा का विक्रय मूल्य अन्य क्षेत्रों से अधिक होना स्वाभाविक है।

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न की यह भावना है कि राजस्थान प्रदेश की आम जनता के साथ-साथ चुने हुए हम विधायक प्रतिनिधि; सत्ता पक्ष के और प्रतिपक्ष, जिसमें दोनों ओर के विधायकगण हैं, उन सबकी चिन्ता का विषय है। आप अच्छी तरह जानते हैं, जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी सूक्ष्म में बताया कि किस नियम के तहत 200 मीटर के अन्दर-अन्दर अस्पताल, औषधालय, शैक्षणिक संस्थाओं के यहां दुकान नहीं खोली जा सकती लेकिन मैं मंत्री महोदय से साफ कहना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने यह जवाब महज अधिकारियों के देने के बाद ही अपना जवाब दिया है या आपने कभी देखा है? मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूं कि हर मोहल्ले में मन्दिर है, हर मोहल्ले में शैक्षणिक संस्थाएं हैं लेकिन खुले आम शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी शराब की दुकानों के ठेके दिये जा रहे हैं इसलिए जो आपने जवाब दिया है, वह नीतिगत रूप से भी गलत जवाब दिया

(२५)

(श्री आर. पी. शर्मा)

है। मैं आपसे खासकर यह प्रश्न करना चाहता हूं कि गांवों तथा शहरी राजकीय, राष्ट्रीय राजमार्गों पर, जैसा कि आपने कहा कि निर्धारित सीमाओं के अन्दर उल्लंघन नहीं हो रहा है लेकिन आप जानते हैं, बालाजी, हलेना और सभी बोर्डर प्लेसेज पर, सभी मन्दिरों के आस-पास में आपकी शराब की दुकानें खुली हुई हैं तो क्या यह जो आपका जवाब है, वह सही है ? अगर यह जवाब सही नहीं है, तो सीमाओं के अन्दर-अन्दर जो दुकानें चल रही हैं, उनके ठेकेदारों को हटाने के लिये क्या आप कदम उठाना चाहेंगे ? प्रश्न नम्बर एक।

प्रश्न नम्बर दो, 'शराब के दामों में भारी कमी' इस तरह के बोर्ड्स लगाकर लुभावने प्रलोभन द्वारा आज लोगों को, नौजवानों को इस तरह से लुभाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि इस नीति का करीब-करीब सभी जगह निश्चित दामों में फर्क होता है। आज इन स्थानों के आस-पास के लोगों को शराब पीने की लत लग रही है, क्या सरकार को इसकी जानकारी है ? अगर सरकार को जानकारी है, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : लक्ष्मण सिंहजी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि केन्द्रीय सहायता के बिना हम मद्य-निषेध नहीं कर सकते तो मैं जानना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश के अन्दर और गुजरात के अन्दर बिना केन्द्रीय सहायता के कैसे पूर्ण मद्य-निषेध है और आपने कहा, क्योंकि सीमावर्ती प्रदेशों में जब तक मद्य-निषेध नहीं होगा तो यहां नहीं हो सकता। गुजरात में मद्य-निषेध लागू है तो सरकार गुजरात के सीमावर्ती जो हमारे आदिवासी जिले हैं, कम से कम पार्शली तो वहां पर मद्य निषेध लागू करने का विचार कर सकती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जैसे महाराष्ट्र में अगर किसी गांव की 75 प्रतिशत महिलाएं लिख कर दे देती हैं कि वहां पर शराब बन्दी होनी चाहिये तो वहां पर ऐसा लागू किया जाता है, तो क्या मंत्री महोदय इस प्रकार के सुझाव पर विचार करेंगे ?

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : एक बार दिल्ली वालों से पूछ कर आओ.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये। श्री भवानी जी जोशी....(व्यवधान) भवानी जी जोशी बोल रहे हैं। पहली बार ही बोल रहे हैं शायद।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने ऐसा बताया कि सार्वजनिक स्थलों के पास में शराब की दुकान नहीं लगायी जायेंगी लेकिन हमारे गर्ल्स कालेज के पास में ही अभी नयी-नयी दुकान खुली है, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उसको बन्द करायी जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा : नये विधायक आये हैं, आज पहली बार अपनी बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। जवाब आने दें। समय समाप्त होने वाला है, जवाब तो आने दें। माननीय मंत्रीजी।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारे यहां मेहंदीपुर बालाजी का स्थान बहुत प्रसिद्ध है हिन्दुस्तान में, वहां शराब की दुकान खुली है (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है और इस विधान सभा के अन्दर समय-समय पर इस विषय पर जिस तरह चिन्ता व्यक्त की जाती है, बार-बार माननीय सदस्यों के द्वारा यह प्रश्न उठाया जाता है कि विद्यालय, स्कूल, कालेज या देवालय के पास में शराब की दुकान खुल रही है। इस विषय में राज्य सरकार ने गम्भीरता से विचार किया है। नियम 75 के अन्दर यह निश्चित पाबन्दी की गयी है कि ऐसे स्थान से 200 मीटर से कम दूरी पर कोई दुकान की इजाजत नहीं दी जाय लेकिन इसके बावजूद कुछ जगहों पर.... (व्यवधान) इसके साथ-साथ जब माननीय सदस्यों ने पिछले विधान सभा सत्र में भी और इस सत्र में भी बार-बार यह आपत्ति उठायी तो राज्य सरकार ने जिला स्तर पर एक कमेटी का निर्माण किया जिसके जिला कलेक्टर चेयरमैन हैं और माननीय सदस्य को भी उसका सदस्य मनोनीत किया है। मानीय सदस्य को स्वयं को यह अधिकार दिया गया है, उस कमेटी में बैठकर यह निर्णय करें, मौके की स्थिति को देखें और उसके आधार पर यदि वह कमेटी यह उपयुक्त पाती है कि यह दुकान अनुपयुक्त है या गलत जगह लगी हुई है या नियमों की अवहेलना हो रही है, यहां तक कि यदि नियमों की अवहेलना भी नहीं हो रही है लेकिन वहां की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार यदि वह दुकान उपयुक्त नहीं है, तो वह कमेटी अपने निर्णय के आधार पर कमिश्नर, एक्साइज को लिखेगी और उसके आधार पर निश्चित रूप से उस दुकान को हटवा दिया जाएगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया कि राज्य सरकार स्वयं इस बात से चिन्तित है, जिस प्रकार सत्ता पक्ष के और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, दोनों इस बात के लिये चिन्तित रहते हैं, राज्य सरकार भी यही चाहती है कि नियमों की अवहेलना नहीं हो और जो दुकानें संचालित हैं, वे नियमों के अन्तर्गत ही संचालित हों।

दूसरा, माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये (व्यवधान) जवाब आ रहा है....

12.00

श्री रामगोपाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में आज तक किसी भी प्रतिनिधि को इस बारे में सूचना नहीं है और न ही कोटा जिले में आज तक कोई आपकी मीटिंग बुलायी गयी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। आप बिराजे अब।

श्री आर. पी. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह प्रश्न चल रहा है, प्रश्न चलते हुए को ऐसी परम्परा रही है कि जब तक

(श्री आर. पी. शर्मा)

वह प्रश्न पूरा नहीं हो तब तक चलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जवाब दे दिया है, आप बिराजें अब।

श्री आर. पी. शर्मा : नहीं, जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी, यह पूरा जब तक कम्पलीट नहीं हो....

श्री अध्यक्ष : जवाब दिया है।.... (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : नहीं, जवाब पूरा नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था, मेरा जवाब नहीं आया है....

श्री अध्यक्ष : जवाब आया था, बीच में ही....(व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, चूंकि सदन में ऐसी परम्परा रही है....

श्री अध्यक्ष : यह अब कोई तरीका नहीं है, हर मामले में आप केवल प्रेस करना चाहते हैं....

श्री आर. पी. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सदन में ऐसी परम्परा रही है कि जब कोई प्रश्न अगर चल रहा हो और प्रश्नकाल पूरा हो जाता है, तो जब तक उस प्रश्न का जवाब नहीं आये तब तक उस प्रश्न को.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया, फिर माननीय सदस्य खड़े होकर बीच में बोलने लगे, जवाब....

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। जब सरकार को वोट चाहिये थे तो शराब की नीति की घोषणा की और आज जब शराबबंदी के लिये तारीख बार-बार पूछी जा रही है कि किस तारीख से बंद होगी, पूछ रहे हैं तब आपत्ति की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : या तो आप प्रश्नकाल को दो घंटे करवा लें, आप तो सदन से दो घंटे करवा लें, मैं तो तैयार हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।....(व्यवधान) आप बिराज जायं अब।

श्री आर. पी. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह घनी आबादी के क्षेत्र से कब तक दुकानें हटा ली जाएंगी यह समय हमें निर्धारित करवाना है माननीय मंत्री महोदय से....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसी परम्परा रही है कि जो प्रश्न चल रहा है वह जब तक पूरा नहीं हो जाय....

श्री शैलेन्द्र जोशी : और यह राज मार्ग पर जो विज्ञापन आ रहे हैं चित्ताकर्षक, वह कब तक हटा दिये जाएंगे, माननीय मंत्री के द्वारा घोषणा की जाय। हम समय की पाबंदी चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय से।

श्री अध्यक्ष : मैं क्या करता, आप भी खड़े हो गये....

श्री आर. पी. शर्मा : जवाब तो आने दें साहब।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, चार ही प्रश्न आये हैं कुल मिलाकर एक घंटे में।

श्री आर. पी. शर्मा : एक का भी जवाब नहीं दिया है....

श्री अध्यक्ष : आप विराज जायं। चार प्रश्न ही आये हैं एक घंटे में। आप विराज जायं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : हाइवे पर रोज एक्सीडेंट होते हैं....(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है....

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है शराबबंदी का, यह पूरे राजस्थान की जो यंग जनरेशन है उसको प्रभावित करेगा।

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

खाजूवाला, पूगल व छतरगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालय

79. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) खाजूवाल, पूगल, छतरगढ़ की राजकीय उच्च प्राथमिक शालाएं कब क्रमोन्नत की गयीं ?

(2) क्या यह सही है कि इन विद्यालयों की कक्षाओं के लिये अलग से बैठने के लिये भवन की व्यवस्था एवं अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) (अ) रा. उ. प्रा. वि. खाजूवाला को वर्ष 1989–90 में माध्यमिक विद्यालय में तथा वर्ष 1994–95 में सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया।

(ब) रा. उ. प्रा. वि. पूगल को सत्र 1991–92 में माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है।

(स) रा. उ. प्रा. वि. छतरगढ़ को सन् 1974–75 में माध्यमिक विद्यालय में तथा 1991–92 में सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया।

(2) तीनों विद्यालयों में छात्रों की कक्षाओं हेतु पर्याप्त कमरे हैं। विद्यालय के स्तर के अनुरूप पदों का आबंटन कर दिया गया है। आबंटित पदों में से व्याख्याता तथा द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों के कुछ पद वर्तमान में रिक्त हैं। व्याख्याता के रिक्त पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने पर नियुक्ति की जाएंगी। द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों पर भरती की कार्यवाही की जा रही है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 129

(स्थगित)

(28)

पंजीयन प्रक्रिया का सरलीकरण

130. श्री रघुवीर सिंह (सराडा) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 5 नवम्बर, 1992 से जोनवाइज भारतीय प्रशासनिक/राजस्थान प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों को भी पदेन उप पंजीयन का कार्य सौंपा गया है ? यदि हां, तो इनके पूर्ण अथवा आंशिक दौरे पर जाने के उपरान्त इनके नाम जिला पंजीयक के मार्किंग उपरान्त किन अधिकारियों द्वारा इनका कार्य सम्पादन किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि मार्किंग प्रक्रिया की जटिलता के कारण आम जनता लेख पत्र को पंजीयन कराने के लिये सुबह से शाम तक अधिकारियों की उपस्थिति के इन्तजार में रहती है? क्या सरकार इस जटिल प्रक्रिया के सरलीकरण अथवा समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। पंजीयन प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से समस्त सम्भागीय आयुक्त मुख्यालयों तथा श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ मुख्यालय पर एक से अधिक अधिकारियों को उप पंजीयक घोषित किया गया है तथा उक्त स्थानों पर जिला प्रशासन के अधीन पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पूर्णकालीन उप पंजीयक के समान क्षेत्राधिकार में पंजीयन के अधिकार दिनांक 5–11–1992 से प्रदत्त किये गये हैं।

एक से अधिक पंजीयन अधिकारियों में दस्तावेज मार्क करने का प्रावधान पंजीयन नियमावली के नियम 128 में किया गया है जिसके अनुसार जिला पंजीयक या जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दस्तावेज मार्क करने की व्यवस्था है। सभी स्थानों पर कलेक्टर द्वारा आदेश जारी करके एक से अधिक अधिकारियों को मार्क करने की शक्तियां दी हुई हैं ताकि एक अधिकारी के बाहर होने या अनुपस्थित होने पर अन्य अधिकारी द्वारा दस्तावेज मार्क किया जा सके।

कलेक्टर/उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा मार्किंग करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिस अधिकारी को दस्तावेज पंजीयन हेतु मार्क किया जा रहा है वह उस दिन मुख्यालय पर उपलब्ध है। इस प्रकार मार्क करने एवं मार्किंग के उपरान्त की प्रक्रिया में अधिकारी के अनुस्थित होने के कारण कोई विलम्ब न हो इसे जिला कलेक्टर स्वविवेक से सुनिश्चित करते हैं।

(2) जी, नहीं। पंजीयन प्रक्रिया के सरलीकरण एवं विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से दस्तावेज मार्किंग करने की व्यवस्था की गयी है ताकि सभी अधिकारियों को दस्तावेज समान रूप से प्राप्त हो सके। उक्त व्यवस्था से आम जनता को मार्किंग हेतु लम्बे समय तक इन्तजार नहीं करना पड़ता क्योंकि प्रत्येक स्थान पर एक से अधिक अधिकारियों को मार्किंग हेतु अधिकृत कर रखा है। इसलिए

(मुख्य (वित्त) मंत्री)

एक अधिकारी के उपस्थित नहीं होने पर दूसरे से मार्क करवाया जा सकता है। उक्त व्यवस्था समाप्त करने या बदलने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है क्योंकि उक्त प्रक्रिया से पंजीयन की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण हुआ है तथा जनता को सुविधा प्राप्त हुई है।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन

131. श्री जियालाल बंशीवाल (दौसा): क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम दयालपुरा, तहसील–बस्सी, जिला जयपुर में अनुसूचित जाति के किन-किन व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1995–96 में सितम्बर, 1995 तक किन-किन व्यक्तियों को उक्त पेंशन का किस-किस दर से भुगतान किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्री मूलचन्द कोली पुत्र स्व. श्री दुलीचन्द को माह मार्च से मई, 1995 तक की वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो अब कब तक भुगतान कर दिया जावेगा।

(4) क्या यह पेंशन राशि वापस राजकीय कोष में चालान द्वारा जमा करवा दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? कोष में जमा करवाने का चालान नं. व दिनांक की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम दयालपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के निम्न अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन उपकोश बस्सी से दी जाती है :–

1– श्री मूलचन्द पुत्र श्री दुलीचन्द एवं श्रीमती भौंरी पत्नी श्री मूलचन्द कोली पी. पी. ओ. नं. 25097

2– श्री दीपचन्द पुत्र श्री शंकर एवं मूली पत्नी श्री दीपचन्द कोली पी.पी.ओ. न. 25098

(2) उक्त दोनों पेंशनर संयुक्त वृद्धावस्था पेंशन की श्रेणी में है। उक्त पेंशनरों को माह 4/95 से 8/95 तक 150/– रुपये प्रतिमाह की दर से जरिये मनिआर्डर भुगतान किया जा चुका है, माह सितम्बर, 1995 का भुगतान किया जाना शेष है।

(3) श्री मूलचन्द पुत्र श्री दुलीचन्द कोली को माह फरवरी, 1995 व मार्च, 1995 की पेंशन जरिये मनीआर्डर नं. 2611/60 दिनांक 5–5–1995 को भिजवाया जा चुका था, किन्तु प्राप्तकर्ता मौजूद नहीं मिलने के कारण पोस्ट आफिस द्वारा दिनांक 16–5–1995 को पेंशन राशि वापस कार्यालय में जमा करवा दी गयी। अब पेंशनर को फरवरी, 1995 व मार्च, 1995 की राशि के भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। माह 4/95 व 5/95 की पेंशन राशि पेंशनर को जरिये मनीआर्डर नं. 2722/60 दिनांक 10–7–1995 द्वारा भुगतान कर दी गयी है।

(4) जी, हां। माह 2/95 एवं 3/95 की पेंशन राशि जो पेंशनर के मौजूद नहीं

(मुख्य (वित्त) मंत्री)

मिलने के कारण पोस्ट आफिस कार्यालय में दिनांक 16–5–1995 को जमा करवा दी गयी थीं। उक्त माहों की अन्य अवितरित राशि में सम्मिलित कर रुपये 7800/– जरिये चालान नं. 265 दिनांक 30–6–1995 के द्वारा राजकोष में जमा करवा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है।

(चालान की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिले बूंदी में विभागों द्वारा किराये पर ली गयी जीप

132. **श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) :** क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अक्टूबर, 1994 से अगस्त, 1995 तक विभिन्न कार्यों के लिये बूंदी जिले में जिला कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों द्वारा किस-किस रजिस्ट्रेशन नम्बर की जीप किस दर पर किन-किन शर्तों के अधीन किराये पर ली गयी तथा इस पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है ? जीपवार विवरण मय डीजल एवं अन्य व्यय के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जीपें प्रतिदिन कितने-कितने किलोमीटर चली तथा लॉग बुक किसके द्वारा भरी गयी ? लॉग बुक की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या खराब चल रहे माइलोमीटर की जीप भी किराये पर ली जाकर सरकारी राशि से डीजल डलवाया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा किसके द्वारा ? जीप नम्बर व दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जीप किराये के लिये बी.एस.आर. में निर्धारित दर टैक्सी जीप के लिये है ? यदि हां, तो निजी नम्बरों पर रजिस्टर्ड जीप को नियम विरुद्ध किराया अदा करने के लिये कौन जिम्मेदार है तथा इस बाबत क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

(5) क्या यह सही है कि बी.एस.आर. दर से अधिक राशि का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी अधिक राशि का ? बी.एस.आर. दर एवं भुगतान की गयी राशि का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आलोच्य अवधि में जिला बूंदी में विभिन्न राजकीय कार्यालयों द्वारा निम्नांकित प्रयोजनार्थ वाहन किराये पर ली गयी :–

जिला निर्वाचन अधिकारी, बूंदी	फोटो पहचान पत्र हेतु।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बूंदी	मलेरिया उन्मूलन अभियान हेतु।
जिला अल्प बचत अधिकारी बूंदी	अल्प बचत प्रसार एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु।
जिला पशुपालन अधिकारी, बूंदी	पशु रोग नियंत्रण अभियान हेतु।

(मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री)

अधिशाषी अभियन्ता, जलदाय विभाग, बूंदी। हैण्ड पम्प सुधार अभियान हेतु।

उपर्युक्त सूचना अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बूंदी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.) बूंदी की सूचनाएं सम्मिलित नहीं हैं जो माननीय सदस्य एवं विधान सभा सचिवालय को सूचनार्थ बाद में उपलब्ध करवा दी जावेगी।

(2) किराये पर लिये गये वाहनों के प्रतिदिन परिचालन की विस्तृत सूचनाएं परिशिष्ट "क" में दी गयी हैं। लॉग बुक्स की प्रति तुरन्त ही संलग्न किया जाना सम्भव नहीं हो सका है, क्योंकि ये सभी वाहन निजी वाहन हैं जो वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर अपने-अपने मालिकों की सुविधानुसार चल रहे हैं और लॉग बुक वाहन के साथ ही रहती है। सो उपलब्ध नहीं हो सकी है। सम्बन्धित वाहनों की लॉग बुक्स की वांछित प्रतियां माननीय सदस्य एवं विधान सभा सचिवालय को शीघ्र ही उपलब्ध करवा दी जावेगी।

(3) किराये पर लिये गये वाहनों में ईंधन/डीजल निविदा की शर्तों के अनुरूप सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया था। मै. हाड़ौती टैक्सी यूनियन, बूंदी द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों में से कुल 18 वाहनों के माइलोमीटर खराब थे, जिनकी सूची संलग्न है (परिशिष्ट "ख")। माइलोमीटर खराब होते हुए भी वाहनों को किराये पर लेना नितान्त आवश्यक था क्योंकि फोटो पहचान पत्र का कार्यक्रम समयबद्ध था और बूंदी जिला छोटा होने के कारण यहां पर पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध नहीं है। लोक महत्व के कार्य को समयबद्ध तरीके से सम्पन्न किये जाने के परिप्रेक्ष्य में यह कार्यवाही की गयी थी।

(4) जी, नहीं। टैक्सी जीप के लिये भी दर किराया निर्धारित नहीं है। अतएव नियम विरुद्ध किराया भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

स्वतंत्रता सेनानियों को सुविधाएं

133. श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों को वर्तमान में सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवायी जा रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि स्वतंत्रता सेनानियों को उपलब्ध करवायी जा रही पेंशन की राशि अन्य राज्यों की तुलना में कम दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में वर्तमान महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए बढ़ोतरी का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों को वर्तमान में सरकार द्वारा दी जा रही

(मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री)

सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पेंशन अन्य कतिपय राज्यों से ही कम है, सभी राज्यों से नहीं। राज्य के आर्थिक परिदृश्य के आधार पर ही पेंशन स्वीकृत की जाती है, कोई निश्चित मापदण्ड इसके लिये निर्धारित नहीं है।

(3) जी, नहीं। राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए वर्तमान में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन में वृद्धि विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भारत सरकार में नियुक्त

134. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कैडर के कुछ भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भारत सरकार के विभागों में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से अधिकारी, किस-किस पद पर, कब-कब से ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। उपलब्ध सूचना के आधार पर सूची परिशिष्ट "अ" एवं "ब" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी, हां। नियमों की प्रति परिशिष्ट "स" एवं "द" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय बूंदी में कर्मचारियों की भर्ती

135. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय, बूंदी में गत 5 वर्षों में कर्मचारियों की भर्ती की गयी है ? यदि हां, तो कब एवं किस प्रक्रिया के तहत ? कर्मचारीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति विधिवत तरीके से प्रतिष्ठित अखबारों में रिक्त स्थानों की विज्ञप्ति निकाली जाकर या रोजगार कार्यालय से आशार्थियों के नाम लेकर नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों व इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

(3) नियुक्तियों में की गयी गड़बड़ियों बाबत जांच नही करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है तथा अब कब तक जांच करवाली जावेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। कर्मचारीवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्तियां अंतर्विभागीय स्थानान्तरण द्वारा की गयी हैं जो कि पूर्व से ही राज्य सेवा में कार्यरत हैं। केवल दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्यालय के स्वीकृत दो पदों हेतु अन्य विभागीय स्थानान्तरण से प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण सीधी भर्ती द्वारा की गयी। सीधी भर्ती की जांच करवायी जा रही है दोषी पाये जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) नियुक्ति में की गयी गड़बड़ियों के लिये जांच कर शीघ्र जिम्मेदारी तय की जायेगी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

झुन्झुनूं जिले में देशी व विदेशी शराब के ठेकेदार

136. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झुन्झुनूं जिले में देशी तथा देश में निर्मित विदेशी शराब के ठेकेदारों को स्वीकृत दुकानों के अलावा अस्वीकृत दुकानों के माध्यम से शराब बेचे जाने के कितने मामलों में पिछले एक वर्ष में कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अदालतों में इन ठेकेदारों के खिलाफ कोई चालान पेश किये गये ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले में देशी तथा देश में निर्मित विदेशी शराब के ठेकेदारों की स्वीकृत दुकानों के अलावा अस्वीकृत दुकानों के माध्यम से शराब बेचे जाने का कोई मामला पिछले एक वर्ष में दर्ज नहीं हुआ है।

(2) शराब के ठेकेदारों के खिलाफ पिछले एक वर्ष में अस्वीकृत दुकानों के माध्यम से मदिरा बेचे जाने का कोई भी अभियोग नहीं बना है इसलिए अदालत में भी कोई चालान पेश नहीं किया गया है।

अधिकारियों के विरुद्ध चालान की स्वीकृति

137. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या मुख्य (राज्य अन्वेषण ब्यूरो) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच के बाद सही पाये जाने वाले मामले राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध चालान की स्वीकृति के लिये सरकार के पास भेजे जाते हैं ? यदि हां, तो गत दो वर्षों में कौन-कौन से मामले कब-कब सरकार को प्राप्त हुये और उनमें कब-कब स्वीकृति दी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन मामलों में से सरकार के पास अब कौन-कौन से मामले कब-कब से विचाराधीन हैं जिसमें स्वीकृति नहीं दी गयी ? मामले विचाराधीन रहने के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(३५)

उत्तर

(1) जी, हां। वांछित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–क)

(2) वांछित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–ख)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्व गांव घोषित करने के मानदण्ड

138. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा उपनिवेशन तहसील छतरगढ़ नं 1 व 2 पूगल व लूणकरणसर में क्रमश: 52, 55, 80 व 24 चक आबादियां आमतौर पर एक हजार की जनसंख्या के लिये सन् 1972 में प्लान की गयी थी ?

(2) क्या उपरोक्त उपनिवेशन तहसीलें (पूंगल को छोड़कर) समाप्त की जाकर ये क्षेत्र राजस्व विभाग के सुपुर्द किया जा चुका है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने राजस्व गांव घोषित करने के लिये 250 की जनसंख्या होने का मानदण्ड घोषित कर रखा हैं ? यदि हां, तो सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा नियोजित उपरोक्त चक आबादियों को राजस्व गांव घोषित करने में अनावश्यक विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी, हां। सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा 1000 की जनसंख्या के लिये उपनिवेशन तहसील छत्तरगढ़ नं. 1 व 2, पूंगल व लूणकरणसर में क्रमश: 52, 55, 80 व 24 चक आबादियां नियोजित की गयी हैं।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। यह सही है कि जिन मजरे/ढाणियों की आबादी 250 व इससे अधिक है, उन्हें राजस्व ग्राम घोषित किया जा सकेगा, यह नीति निर्धारित की हुई है। पूर्व उपनिवेशन तहसील छत्तरगढ़ नं. 1 व 2 तथा पूंगल व लूणकरणसर की 60 चकों जिनकी आबादी 250 व इससे अधिक थी, उन्हें राजस्व ग्राम घोषित किया जा चुका है। उपनिवेशन विभाग द्वारा नियोजित चक आबादियां मौके पर पूर्ण रूप से विकसित न होने के कारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार जनसंख्या आबाद नहीं है, इस कारण अन्य चक आबादियों को राजस्व ग्राम अभी घोषित नहीं किये गये हैं।

प्रश्न संख्या 139

(स्थगित)

ग्राम जाबदी नगर (नावां) की भूमि का स्वामित्व प्रकरण

140. श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम जाबदी नगर, तहसील नावां, जिला–नागौर के पूर्व खसरा नम्बर 1 एवं

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

3 की भूमि वर्तमान में किसके स्वामित्व एवं अधिकार में है ?

(2) क्या उक्त भूमि या अन्य इसी प्रकार की भूमि को आवंटन करने के नियम एवं कमेटी बनी हुई है ? यदि हां, तो नियम एवं कमेटी के सदस्यों के नामों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त खसरा नम्बर की भूमि का आवंटन किया जा रहा है या कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह भूमि किस-किस को, कब-कब आवंटित की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि बाहर के व्यक्तियों को चुपचाप उच्चाधिकारियों की सांठगांठ से नियमों की अवहेलना करते हुए आवंटित की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार इस प्रकार के अवैधानिक आवंटन को निरस्त कर उक्त भूमि स्थानीय निवासियों को ही आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार अवैधानिक आवंटन में लिप्त अधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस को कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम जावदी नगर तहसील नावां के पूर्व ख.नं. 1 व 3 की भूमि वर्तमान में अलावा जोत नाकाबिल काश्त लवण क्षेत्र राजकीय खाते में दर्ज है। जो राज्य सरकार के स्वामित्व एवं अधिकार में है।

(2) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (स्लाइन एरिया अलाटमेंट) रूल्स, 1970 के अन्तर्गत राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ. 6 (15) राज / जी.आर. /4/79/86 जयपुर दिनांक 29.6.81 के नियम बने हुए हैं इन्हीं नियमों के अन्तर्गत नियम 6 "अ" के अन्तर्गत जिला लेवल कमेटी बनायी गयी थीं, कमेटी के सदस्य निम्न हैं :–

1. जिला कलेक्टर सम्बन्धित जिला–अध्यक्ष
2. सब डिवीजनल आफिसर स्लाइन एरिया — सदस्य
3. उद्योग विभाग द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि उद्योग विभाग, सदस्य सचिव
4. प्रधान स्लाइन एरिया पंचायत समिति — सदस्य
5. सरपंच स्लाइन एरिया ग्राम पंचायत — सदस्य

(3) वर्तमान में कोई आवंटन नहीं किया जा रहा है। वर्ष 1991 में गत खसरा नम्बर 3 में से श्री गोपाल पुत्र रामलाल जैन साकिन कुचामन सिटी को प्लाट नं. 43, 44, 45 से 30 एकड़ भूमि,

2. श्री प्रकाशचन्द्र जैन पुत्र नाथूलाल जैन साकिन कुचामन सिटी को प्लाट नं. 31, 41, 42 में 30 एकड़ भूमि,
3. श्री ज्ञानचन्द पुत्र लादूलाल जैन साकिन कुचामन सिटी को प्लाट नं. 18, 19, 20 में 30 एकड़ भूमि,

(३६)

(राजस्व मंत्री)

4. श्री सुरेश कुमार पुत्र नाथूलाल जैन साकिन कुचामन सिटी को प्लाट नं. 28, 29, 30 (30 एकड़) भूमि का आबंटन उद्योग विभाग की आज्ञा क्रमांक 16(74) उद्योग/2/90 दिनांक 6.6.91 के अनुसार किया गया था। शासन सचिव, उद्योग (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर की आज्ञा संख्या प. 16(74) उद्योग 2/90 दिनांक 13.12.93 से उक्त आदेश दिनांक 6.6.91 के, एवं लीज निरस्त किये जा चुके हैं।

(4) जी, नहीं। वर्तमान में कोई आबंटन नहीं किया जा रहा है।

(5) उक्त आबंटन वर्ष 1993 में निरस्त किये जा चुके हैं। भविष्य में आबंटन नियमानुसार किया जा सकता है।

(6) मामले की जांच की जा रही है।

भू-अभिलेख निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति

141. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जालौर में भू–अभिलेख निरीक्षकों के कुल स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त हैं ?

(2) इन पदों को पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा भरने हेतु क्या प्रक्रिया एवं नियम निर्धारित हैं ?

(3) उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है तथा उक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जिला जालौर में भू–अभिलेख निरीक्षक के कुल 44 पद स्वीकृत हैं तथा 17 पद रिक्त हैं।

(2) भू–अभिलेख निरीक्षक पद पर वरिष्ठतम पटवारियों से 80% पदोन्नति से एवं 20% सीधी भर्ती द्वारा विभागीय पटवारियों में से विभागीय परीक्षा से पदोन्नत किये जाने की दोनों ही प्रक्रिया है।

(3) वर्तमान में भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु सीधी भर्ती विभागीय पटवारी जो इसी माह परीक्षा में सफल घोषित हुये है, में से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रक्रिया राजस्व मण्डल के विचाराधीन है। रिक्त पदों की पूर्ति के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल के स्तर से शीघ्र आदेश जारी किये जा रहे हैं।

मन्दिरों की भूमि का आबंटन/नियमन

142. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) एवं

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मन्दिरों की सेवा पूजा के व्यवस्थित तथा नियमित की जाने की दृष्टि से मन्दिर अथवा उसके पुजारी के कब्जे काश्त की भूमि का मन्दिर/पुजारी के नाम पर आबंटन/नियमन किया जाने का

(श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

प्रावधान है ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार इस प्रकार के मामलों में भू–आवंटन नियमों में शिथिलता देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है तथा मूर्ति की भूमि को पुजारी के नाम नियमित करने का नियमों में प्रावधान नहीं है तथा न ही ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(2) पुजारी के हक में मंदिर/मूर्ति की भूमि को कब्जे के आधार पर नियमन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । क्योंकि ऐसा करना लोक नीति के विरूद्ध होगा ।

अतिवृष्टि से फसलों को क्षति

143. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में इस वर्ष अतिवृष्टि हुई जिससे खरीफ की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

(2) क्या सरकार ने फसलों के खराबे की गिरदावरी करवाने के आदेश दे दिये हैं ? यदि नहीं, तो यह आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी, हां । राज्य में इस वर्ष अति-वृष्टि से राज्य के कुछ भागों में खरीफ की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(2) नियमानुसार खरीफ की फसल की गिरदावरी एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक करने के राज्य सरकार के स्थायी आदेश हैं ।

भू–संरक्षण विभाग द्वारा व्यय

144. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में भू-संरक्षण विभाग द्वारा कितनी राशि व्यय की गयी ?

(2) उक्त राशि से किस क्षेत्र में कितना कार्य किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखे ।

(3) पंचायत समिति कुशलगढ़ गढ़ी आनन्दपुरी एवं बागीडोरा में किन किसानों के खेतों पर मेंड बन्दी का कार्य करवाया गया एवं उस पर अलग अलग कितनी राशि व्यय की गयी ?

(4) क्या उक्त कार्य में बतायी हुई राशि संबंधित किसानों के खेतों पर व्यय नहीं होने की कोई शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग बांसवाड़ा जिले में वर्ष 1994-95 में 217.24 लाख एवं वर्ष 1995-96 (30.9.95 तक) 130.47 लाख व्यय किया गया है। वर्षवार एवं योजनावार व्यय की गयी राशि का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	नाम योजना	व्यय की गयी राशि वर्ष 1994–95	वर्ष 1995–96 (30.9.95 तक)
1.	रा.ज.ग्र.क्षे० विकास परियोजना	88.99 लाख	61.10 लाख
2.	डी.पी.ए.पी. योजना	80.95 ,,	64.68 ,,
3.	सुनिश्चित रोजगार कार्यक्रम	33.54 ,,	4.69 ,,
4.	जे.आर. वाई–11 स्कीम	11.92 ,,	—
5.	अकाल सहायता	1.84 ,,	—
	योग :	217.24 ,,	130.47 ,,

(2) पंचायत समितिवार व्यय राशि एवं उपचारित क्षेत्र का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) विभाग द्वारा मेड़बन्दी का कार्य नहीं कराया जाता है।

(4) ग्राम खूटा चन्दणा पं. सं. आनन्दपुरी तहसील बागीडोरा (बांसवाड़ा) के ग्रामवासियों की यूजर्स समिति द्वारा कराये गये भू-संरक्षण कार्य के बारे में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई है। इस प्रकरण की जांच हेतु संयुक्त निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण उदयपुर को निदेशालय के आदेश क्रमांक 294–95 दिनांक 21.10.95 के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

ग्राम खपरिया तहसील आमेर (जयपुर) की भूमि का अमल दरामद

145. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर में खसरा नं. 289 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि का नियमन आबंटन सलाहकार समिति ने सन् 1973 में किया था ?

(2) क्या उक्त रकबे के नियमन का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री कुबेर सिंह)

(3) क्या यह सही है कि सन् 1973 के पश्चात भी आबंटन सलाहकार समिति ने चरागाह भूमि के नियमन की अन्य प्रकरणों में सिफारिश की थी, जिसका सन् 1989 में नियमन राजस्व रेकार्ड कर दिया गया है ? यदि हां, तो सन् 1973 के नियमन का राजस्व रेकार्ड में अभी तक अमल दरामद नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या सरकार सन् 1973 के उक्त नियमन का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं करने में किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी मानती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार अभी भी उक्त नियमन का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम खपरिया के ख. नं. 289 रकबा 10 बीघा भूमि किस्म चरागाह को दिनांक 10.5.73 को आबंटन सलाहकार समिति ने किस्म परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त करके नियमन की सिफारिश की थी।

(2) जी, नहीं। विषयान्वर्गत भूमि को चारागाह से सिवायचक में परिवर्तित नहीं किये जाने के कारण नियमन स्वीकार नहीं हुआ है। अतः अमल दरामद का प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी, हां। वर्ष 1973 के पश्चात दिनांक 29.4.74 को ग्राम खपरिया के चरागाह ख. नं. 289 रकबा 7 बीघा श्री हेमा पुत्र नानगा अहीर को नियमन की सिफारिश की थी। परन्तु भूमि की किस्म परिवर्तन नहीं होने के कारण राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं किया गया। वर्ष 1989 में नियमन का कोई अमल दरामद राजस्व रेकार्ड में किया जाना जाहिर नहीं होता है।

(4) वर्ष 1973 में आबंटन सलाहकार समिति द्वारा चारागाह भूमि की किस्म सिवाय चक में परिवर्तन करने की स्वीकृति के बाद नियमन की सिफारिश की थी। भूमि की किस्म परिवर्तन नहीं होने के कारण राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं हो सका। प्रकरण में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(5) मामले का परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा।

मन्दिर गोवर्धन जी (जोधपुर) का स्वामित्व प्रकरण

146. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जोधपुर शहर में नागौरी गेट के अन्दर बिशनपुरा में गोवर्धनजी का मंदिर है ? यदि हां, तो उक्त मंदिर किसके नियंत्रणाधीन एवं अधिकार में है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मंदिर को श्री इन्दरचन्द पुत्र श्री मदनदास जाति साद वैष्णव निवासी जोधपुर ने मातेश्वरी ट्रस्ट को विक्रय कर दिया है ?

(श्री दयाराम परमार)

यदि हां, तो क्या उक्त सम्पत्ति विक्रय के पूर्व विक्रेता के नाम थी ? यदि हां, तो क्या विक्रेता के पास कोई लिखित सबूत था ? यदि हां, तो विक्रेता के नाम के अधिकार पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ? यदि विक्रेता के नाम उक्त सम्पत्ति नहीं थी, तो विक्रेता ने उक्त सम्पत्ति किस आधार पर विक्रय की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अवैधानिक विक्रय को निरस्त कर उक्त मंदिर अपने कब्जे में लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में नागौरी गेट के अंदर बिशनपुरा में गोवर्धननाथजी का मंदिर सार्वजनिक प्रन्यास के रूप में स्थित है। यह मंदिर देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियन्त्रित नहीं है। मंदिर का प्रबन्ध प्रन्यासियों द्वारा किया जाता है।

(2) जी, हां। उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में विक्रय के पूर्व निजी एवं बंटवारे से प्राप्त होने का विक्रय पत्र में उल्लेख है। विक्रय पत्र की प्रति सदन की पटल पर रखी जा रही है।

(3) सार्वजनिक प्रन्यास बनाने के उद्देश्य से न्यासियों ने इस मन्दिर को पंजीयन से पूर्व सन् 1980 में मकान के रूप में क्रय किया था तथा बाद में विभाग द्वारा इसका पंजीयन किया गया था। अतः उक्त विक्रय को इन तथ्यों के आधार पर अवैधानिक नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में सरकार का उक्त मंदिर को अपने अधीन लेने का विचार नहीं है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सरिस्का पैलेस होटल (अलवर) बेचान प्रकरण

147. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) एवं श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र, अलवर के सरिस्का पैलेस होटल के बेचान को अवैध मानकर विक्रय पत्र निरस्त करने के लिये सरकार द्वारा न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां दीवानी वाद दायर किया गया था ? यदि हां, तो वाद में अब तक क्या-क्या कार्यवाही हो चुकी है ? वाद की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरिस्का होटल के कारण वन्य प्राणियों के स्वतन्त्र विचरण में बाधा आ रही है ? यदि हां, तो इस बाबत सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में पड़ने वाली सम्पत्ति की जांच उप जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो जांच आदेश एवं रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। वाद में प्रतिवादी द्वारा

(वन मंत्री)

वाद का जवाब पेश किया जा चुका है। अब प्रकरण में वास्ते साक्ष्य वादी में आ गयी तारीख पेशी 22–11–95 है। वाद की प्रति संलग्न है।

(2) जी, हां। यह सही है कि सरिस्का पैलेस होटल के कारण वन्य प्राणियों के स्वतंत्र विचरण में कुछ हद तक बाधा आ रही है। इस सन्दर्भ में प्रश्न के बिन्दु संख्या 1 के उत्तर में वर्णित कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी, हां। राज्य सरकार के जांच आदेश सं. एफ 11(22)रेवेन्यू/8/78 दिनांक 27.8.1982 अधिसूचना की प्रति एवं उप जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा की गयी जांच (अवार्ड) दिनांक 24.6.1985 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बीसलपुर बांध परियोजना से वन्य जीवों पर प्रभाव.

148. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस आशय का सर्वे करवाया गया है कि बीसलपुर बांध परियोजना से वन्य पशु पक्षियों एवं पर्यावरण पर तो विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सर्वे रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है ?

(2) क्या सरकार बीसलपुर बांध परियोजना क्षेत्र में वन्य पशु–पक्षियो को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कोई कार्य योजना हाथ में लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और इस पर कुल कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) बीसलपुर बांध परियोजना से वन्य पशु-पक्षियों एवं पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ने का कोई सर्वे इस विभाग द्वारा नहीं करवाया गया है।

(2) जी, हां। इस विभाग द्वारा बीसलपुर बांध परियोजना क्षेत्र के वन्य पशु-पक्षियों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सिंचाई विभाग द्वारा पर्यावरण विभाग भारत सरकार को प्रस्तुत समग्र कार्य योजना रिपोर्ट में, वन्य जीव विकास के विभिन्न कार्य जैसे हैबीटाट विकास, वाच टावर, पुरानी खदानों के पुनर्रोत्थान आदि हेतु 115 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

बांसवाड़ा जिले में अरावली स्कीम के अन्तर्गत वृक्षारोपण

149. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बांसवाड़ा जिले में अरावली स्कीम के अन्तर्गत इस वर्ष किस-किस रेंज में कितना-कितना वृक्षारोपण किया गया ? ग्रामवार मय हैक्टेयर के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त वृक्षारोपण पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी एवं कितने पौधे लगाये गये ? अब कितने पौधे जीवित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री फतेह सिंह)

(3) क्या अरावली स्कीम के तहत कुशलगढ़ क्षेत्र के गरांड खोरा जंगल में वृक्षारोपण गत वर्ष किया गया था ? क्या उक्त वृक्षारोपण के सम्बन्ध में कोई शिकायत थी ? यदि हां, तो जांच के परिणाम से अवगत करायें ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में अरावली स्कीम के अन्तर्गत 1995–96 में किये गये वृक्षारोपण कार्यों की रेंजवार व ग्रामवार सूची परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) उक्त वृक्षारोपण कार्यों पर व्यय की गयी राशि, लगाये गये पौधों की संख्या व जीवित पौधों की संख्या का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) जी, हां । उक्त वृक्षारोपण के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । वन विभाग के मूल्यांकन दल द्वारा रेण्डम बेसिस पर इस वृक्षारोपण का समग्र मूल्यांकन किया गया था । प्रथम दृष्टया अनियमितताएं पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारियों को निलम्बित किया गया । प्रकरण में प्रारम्भिक जांच की जा रही है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कीटनाशक दवा उद्योग

150. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) एवं **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कीटनाशक दवाओं का निर्माण करने वाले उद्योग कहां-कहां स्थित है तथा उनमें कौन-कौन सी दवा निर्मित की जाती है ? उद्योगवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त उद्योगों में निर्मित दवाओं की गुणवत्ता की जांच तथा मूल्य निर्धारण के लिये प्रक्रिया निर्धारित की हुई है ? यदि हां, तो क्या तथा इसकी पालना करवाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) इन उद्योगों में से किनकी कौनसी दवा मिस ब्रान्डेड, घटिया एवं नकली पायी गयी ? उनके विरुद्ध सरकार ने पेस्टीसाइड एक्ट तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कब व क्या कार्यवाही की ? विवरण उद्योग के नाम सहित सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या उक्त में से किसी उद्योग को ब्लेक लिस्टेड किया गया ? यदि हां, तो क्यों व इस सम्बन्ध में सरकार ने अपने स्तर पर क्या निर्णय लिये तथा क्या कार्यवाही की ?

(5) क्या पौध संरक्षण विभाग से सेवानिवृत अधिकारी के कीटनाशक दवा निर्माण करने वाली फैक्ट्रीज में कार्य करने पर पाबन्दी है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत व क्यों ? कार्यरत सेवानिवृत अधिकारियों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या कीटनाशक दवाइयां निश्चित

(श्री रामकिशन वर्मा)

ब्रान्ड की दवाई के उपयोग पर पाबन्दी लगाई गयी थी? यदि हां, तो किस के द्वारा तथा क्यों? पाबन्दी के लिये जारी तथा पाबन्दी हटाने के लिये किये गये आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कीटनाशक दवाओं का निर्माण करने वाले उद्योग जयपुर जिले में 9, सीकर में 1, अलवर में 4, बीकानेर में 1, कोटा में 1, उदयपुर में 4 व भीलवाड़ा में 1 कुल 21 उद्योग स्थित हैं। उद्योगवार दवाइयां निर्मित करने की सूची परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है।

(2) उक्त उद्योगों में निर्मित दवाओं की गुणवत्ता की जांच हेतु प्रक्रिया निर्धारित है तथा मूल्य निर्धारण करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, क्योंकि कीटनाशी दवाइयों पर कीटनाशी अधिनियम, 1968 नियम 1971 व कंट्रोल आर्डर, 1986 के तहत कोई मूल्य नियंत्रण आर्डर नहीं है, दवाइयों की गुणवत्ता की जांच हेतु कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में 203 कीटनाशी निरीक्षक अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में विभिन्न कीटनाशी दवाइयों के नमूने लेकर राजकीय कीटनाशी प्रयोगशाला, दुर्गापुरा व बीकानेर तथा भारत सरकार की अधिसूचित प्रयोगशाला, फरीदाबाद, हैदराबाद व बम्बई में विश्लेषण हेतु भेजते हैं, अमानक पाये जाने पर दवा निर्माताओं/विक्रेताओं के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम, 1968 व नियम 1971 एवं कंट्रोल आर्डर 1986 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) इन उद्योगों में से इस वर्ष (माह सितम्बर, 1995 तक) मैसर्स गुप्ता केमिकल्स जयपुर की मिथाइल पेराथिआन 2 प्रतिशत डस्ट एवं मैसर्स पेस्टीसाइड इण्डिया, उदयपुर की हैक्टाक्लोर 20 प्रतिशत ई.सी. दवा मिस ब्रान्ड पायी गयी। मैसर्स गुप्ता केमिकल्स, जयपुर के विरुद्ध पेस्टीसाइड एक्ट, 1968 व नियम 1971 तथा कंट्रोल आर्डर, 1986 के तहत दिनांक 7.10.1995 को न्यायालय में केस दायर करने की स्वीकृति इंस्पेक्टर को निदेशालय से दी गयी है तथा मैसर्स पेस्टीसाइड इण्डिया, उदयपुर के मामले में केस दायर करने हेतु सम्बन्धित इन्सेक्टीसाइड इंस्पेक्टर से प्रस्ताव अपेक्षित है।

(4) जी, नहीं।

(5) पौध संरक्षण विभाग से सेवानिवृत अधिकारी के कीटनाशक दवा निर्माण करने वाली फैक्ट्री में कार्य करने पर कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत पाबन्दी होने का कोई विवरण अंकित नहीं है, कार्यरत सेवानिवृत अधिकारियों की सूची की जानकारी विभाग में नहीं है।

(6) कुछ कीटनाशी दवाइयों पर इन्सेक्टीसाइड एक्ट, 1968 की धारा 27 के तहत भारत सरकार द्वारा पाबन्दी लगायी गयी थी, पाबन्दी लगाने के आदेश की प्रति परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

शार्दुल स्पोर्ट्स, स्कूल बीकानेर के छात्रों का खुराक भत्ता

151. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि शार्दुल स्पोर्ट्स, स्कूल बीकानेर में छात्रों का खुराक दैनिक भत्ता अभी तक 30/– रु. प्रतिदिन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री जी द्वारा दो वर्ष पूर्व यह घोषणा की गयी थी कि उक्त खुराक भत्ता भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुरूप रु. 45/– कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो यह भत्ता कब तक 45/– रु. कर दिया जायेगा, नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्कूल में 44 छात्रों को प्रतिवर्ष गवेष्णादि के लिये रु. 2,000/– प्रति छात्र दिया जाता है और बाकी 150 छात्रों को रुपये 1,000/– प्रति छात्र दिया जाता है ? यदि हां, तो एक ही विद्यालय के छात्रों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों ? क्या सरकार शेष 150 छात्रों के लिए भी रु. 2,000/– प्रति वर्ष गवेष्णादि के लिये करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही हैं कि गत दो वर्षों से छात्रों को गर्म कपड़े, कोट, जर्सियां आदि नहीं दी जा रही हैं, जबकि कोट के लिये ब्लेजर व जर्सियां स्कूल में जमा हैं ? यदि हां, तो अब छात्रों को गर्म कपड़े कब तक दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी, हां। शिक्षा मंत्री जी द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि खुराक भत्ता 30/– रु. कर दिया जायेगा। इस घोषणा के अनुसरण में खुराक भत्ते में वृद्धि कर दी गयी है। वर्तमान में दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) जी, हां। सत्र 1995-96 से 44 छात्रों (खो-खो, कबड्डी, क्रिकेट, हैंडबॉल के छात्र) को 2,000/– रुपये गणवेश के प्रति छात्र प्रतिवर्ष दिये जा रहे हैं। शेष 150 छात्रों को 2,000/– रुपये प्रतिवर्ष गणवेश के लिये देने के लिये वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि होने पर विचार किया जायेगा। भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी, नहीं। आवासीय छात्रों को दो वर्ष में एक बार गरम कपड़े दिये जाने का प्रावधान है। इसी अनुरूप गरम कपड़े छात्रों को दिये जा रहे हैं।

महिला विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान

152. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रदेश में महिला विद्यालयों व महाविद्यालयों को अनुदान राशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में क्या नियम हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि हरिभाऊ उपाध्याय महिला शिक्षक, महाविद्यालय, हटूण्डी, अजमेर वर्ष 1989-90 से महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से स्थायी मान्यता प्राप्त है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र

(श्री विष्णु मोदी)

में उक्त महाविद्यालय द्वारा विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने तथा गुणात्मक एवं मात्रात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने के उपरान्त भी अब तक उक्त महाविद्यालय को अनुदान सूची में नहीं लिया जा सका है ? यदि हां, तो क्यों।

उत्तर

(1) प्रदेश में गैर सरकारी विद्यालयों व महाविद्यालयों को अनुदान नियमों के अध्याय 3 में उल्लेखित प्रावधानों के आधार पर अनुदान स्वीकृत करने की व्यवस्था है।

(2) जी, हां।

(3) किसी भी नयी संस्था को अनुदान नियमों व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के संदर्भ में ही अनुदान सूची पर लिया जा सकता है।

संस्कृत विद्यालयों का सृजन

153. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य के सभी जिलों में संस्कृत विद्यालय खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन-किन जिला मुख्यालयों पर संस्कृत विद्यालय खोले जा चुके है ?

(2) क्या भरतपुर जिले में भी संस्कृत विद्यालय खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। राज्य के सभी जिलों में संस्कृत विद्यालय खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) भरतपुर जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ उपाध्याय स्तर का विद्यालय वर्ष 1994-95 में क्रमोन्नत किया गया है। वर्ष 1995-96 में डीग पंचायत समिति में बहज एवं नगर पंचायत समिति में सेमली प्राथमिक संस्कृत विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किये गये हैं।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर

154. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम सुधारने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा कोई निर्देश/आदेश पारित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्देश/आदेशों की पालना की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां। उन निर्देशों की पालना कुछ हद तक की जा रही है तथा कुछ मुद्दे विचाराधीन है। श्रेष्ठ व न्यूनतम परीक्षा परिणाम रहने पर मिश्रित प्रक्रियान्तर्गत सीनियर हायर सैकण्डरी परीक्षा परिणाम 40 प्रतिशत से न्यून या सैकण्डरी का परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत के न्यून रहने पर सी.सी.ए. नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। सीनियर हायर सैकण्डरी का परीक्षा परिणाम 80

(५६)

(शिक्षा मंत्री)

प्रतिशत से अधिक व सैकण्डरी का परीक्षा परिणाम 75 प्रतिशत से अधिक रहने पर प्रशंसा पत्र देने की व्यवस्था की गयी है। व्यापक निरीक्षण की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा निदेशालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उन्नयन कार्यक्रम बनाया गया है जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

झुन्झुनूं जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

155. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनूं जिले में ऐसी कितनी सरकारी उच्चतर (10+2) माध्यमिक शालाएं हैं जिनकी छात्र/छात्राओं की संख्या 500, 750 तथा 1000 से ऊपर है? इन विद्यालयों की नामावली मय छात्र/छात्राओं की संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) छात्र/छात्राओं की संख्या के हिसाब से राजस्थान में प्रथम पांच जिले कौन से है जहां पर छात्र/छात्राओं की संख्या का अत्यधिक दबाव है तथा उनके लिए अतिरिक्त कक्षा सेक्शन खोलने की मांग आती है?

(3) इस वर्ष झुन्झुनूं जिले में किन-किन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों से कितने-कितने सेक्शन खोलने की मांग अब तक आ चुकी हैं तथा शिक्षा विभाग ने कहां कहां पर अतिरिक्त कक्षाओं के खोलने के आदेश दिये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) इन अतिरिक्त कक्षाओं में अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं तथा कब तक व्यवस्था सम्पूर्ण रूप से कर दी जावेगी?

(5) क्या यह सही है कि गत वर्ष भी ऐसी मांग जिले के कई विद्यालयों से आयी थी तथा उनमें अध्यापकों की कोई व्यवस्था पूरे सत्र के अन्त तक भी नहीं की जा सकी?

(6) झुन्झुनूं जिले की सरकारी स्कूलों में वर्तमान में कहां-कहां पर कितने पद अध्यापक/अध्यापिकाओं के रिक्त चल रहे हैं? क्या सरकार कोई माकूल व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले की 500, 750 तथा 1000 से ऊपर वाली छात्र/छात्रा संख्या वाले विद्यालय निम्नानुसार है :—

विद्यार्थियों की संख्या	विद्यालयों की संख्या
500 से 750 तक	19
750 से 1000 तक	8
1000 से ऊपर	7

सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) छात्र संख्या के आधार पर राज्य के निम्नांकित जिले प्रथम पांच जिलों की श्रेणी में आते है :—

(शिक्षा मंत्री)

1. जयपुर 2. अलवर
3. श्रीगंगानगर 4. जोधपुर
5. सीकर

(3) जी, नहीं। वर्ष 1995–96 में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है तथा कोई अतिरिक्त कक्षाएं वर्ष 1995–96 में नहीं खोली गयीं है।

(4) अतिरिक्त कक्षा ही नहीं खोली गयी अतः अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(5) जी, नहीं।

(6) रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

बांसवाड़ा के विद्यालयों में रिक्त पद

156. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले के किस-किस विद्यालय में किस श्रेणी के कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं ?

(2) उक्त पदों को भरने हेतु क्या प्रक्रिया चल रही है तथा कितने समय में सभी पद भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले के विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) व्याख्याताओं के पदों को लोक सेवा आयोग, चयन समिति के माध्यम से प्राप्त आशार्थियों के उपलब्ध होने पर भरे जाने संभव हो सकेंगे। द्वितीय वेतन शृंखला तथा तृतीय वेतन शृंखला के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्केल 1 से 6 के शृंखला के पदों पर प्रतिबन्ध के शिथिलन होने पर पद भरना संभव हो सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर शहर का सोजती गेट विद्युत सब–स्टेशन

157. श्री राजेन्द्र चौधरी (सरदारपुरा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर में सोजती गेट के अन्दर विद्युत सब–स्टेशन (कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय) कब से कार्यरत था ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में इस स्टेशन को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि विद्युत स्टेशन एवं शिकायत कक्ष के स्थानान्तरित होने से असुविधा हुई है ? यदि हां, तो क्या मंडल को इस सम्बन्ध में जनता से विरोध पत्र प्राप्त हुए हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सब स्टेशन की भूमि पर मंडल का अभी भी

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

स्वामित्व है ? क्या विद्युत मंडल ने वहां अन्य व्यक्तियों द्वारा दरवाजा निकालने पर केस दायर किया है ? यदि हां, तो क्या जनहित में मंडल पुनः उसी स्थान पर कार्यालय स्थापित करने का इरादा रखता है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में सोजती गेट सब-स्टेशन में कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय वर्ष 1971 से कार्यरत था।

(2) जी, हां। सोजतीगेट सब–स्टेशन पर स्थापित दोनों ही वितरण ट्रांसफार्मरों को वहां से हटा कर लोड सेंटर पर लगा दिया गया। यह कार्य विद्युत की छीजत कम करने एवं उपभोक्ताओं को सही वोल्टेज मिलने हेतु तकनीकी दृष्टि से उचित होने के कारण किया गया।

(3) जी, नहीं। विद्युत सब–स्टेशन के स्थानान्तरण से वोल्टेज में सुधार हुआ है जिससे उपभोक्ताओं को राहत ही मिली है। कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय एवं शिकायत कक्ष को यहां से स्थानान्तरित कर महात्मा गांधी अस्पताल 33/11 के.वी. उप चौकी पर कर दिया गया क्योंकि इसी उप चौकी से सोजतीगेट जाने वाली 11 के.वी लाइन का विद्युत प्रवाह नियंत्रित किया जाता है। इस स्थानान्तरण से किसी प्रकार की असुविधा जनता को नहीं हुई है और न कोई विरोध पत्र जनता से प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में एक शिकायत पत्र बिजली-घर कर्मचारी संघ, जोधपुर द्वारा पेश किया गया है।

(4) जी, हां। उक्त सोजती गेट सब–स्टेशन की भूमि पर विद्युत मण्डल का ही कब्जा है। यह भी सही है कि मण्डल ने अन्य व्यक्तियों द्वारा दरवाजा निकालने पर न्यायालय में एक केस दायर किया है जिससे कि इस स्थान पर अतिक्रमण न हो सके। इस स्थान पर वर्तमान में विद्युत मण्डल द्वारा कार्यालय पुनः स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस स्थान से ट्रांसफार्मर एवं कार्यालय का स्थानान्तरण तकनीकी दृष्टि से उचित होने के कारण ही किया गया है।

कृषि कुओं को विद्युत कनेक्शन

158. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि कुओं के कनेक्शन एक पोल, दो पोल और जनरल श्रेणी के कनेक्शन लाइन क्षमता कम होने के कारण नहीं दिए जाते ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि नर्सरी श्रेणी में कनेक्शन चाहने वालों को कनेक्शन दे दिये जाते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि नर्सरी श्रेणी में कनेक्शन चाहने वाले काश्तकारों को प्रार्थना–पत्र जमा कराने के पन्द्रह दिन में डिमांड नोटिस जारी कर दिया जाता है ? यदि हां, तो उपखण्ड लाडनूं, खण्ड–सुजानगढ़ में इस वर्ष कौन-कौन से प्रार्थना-पत्र इस श्रेणी में कब-कब प्राप्त हुये और उनके डिमाण्ड नोटिस कब-कब जारी किये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त जमा हुये डिमाण्ड नोटिस

(श्री हरजीराम बुरडक)

की वरिष्ठता सूची में से किन-किन को कब-कब कनेक्शन दिये गये ? जमा राशि के और दिये गये कनेक्शनों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि कनेक्शन दिये जाने के पूर्व तकनीकी साध्यता देखना आवश्यक है। लाइन क्षमता कम होने पर प्रसारण एवं वितरण हानियां बढ़ जाती हैं, अतः कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं। मण्डल द्वारा जारी आदेश संख्या दिनांक 18.10.1995 के तहत अब नर्सरी श्रेणी के प्रार्थना पत्र पंजीकृत करने हेतु लाइन क्षमता का कोई बन्धन नहीं रखा गया है। चूंकि ऐसे उपभोक्ता उपभोग खर्च पर प्रति यूनिट अन्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के मुकाबले करीब दुगुना भुगतान करते हैं, अतः मण्डल अपने खर्चे पर कनेक्शन देने से पूर्व लाइनों की क्षमता बढ़ाकर व्यवस्था करेगा।

(2) नर्सरी श्रेणी में कनेक्शन चाहने वाले काश्तकारों को यथा सम्भव प्रार्थना-पत्र जमा कराने के पन्द्रह दिन में मांग-पत्र जारी किये जाने के निर्देश हैं, परन्तु कई क्षेत्रों में हजारों की संख्या में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने से विलम्ब होना स्वाभाविक है। जब यह अवधि निर्धारित की थी तब यह अनुमान नहीं था कि कृषकों में यह योजना खर्चीली होते हुए भी इतनी लोकप्रिय होगी।

उपखण्ड लाडनूं, खण्ड सूजानगढ़ में वर्ष 1995–96 में नर्सरी श्रेणी में प्राप्त हुये आवेदन तथा उन्हें मांग पत्र जारी किये का विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(3) उपरोक्त में से जमा हुये मांग पत्रों में से दिये गये कनेक्शनों का विवरण भी उपरोक्त प्रपत्र "अ" में दर्शा दिया गया है।

(प्रपत्र के लिये कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

तहसील बून्दी के ग्रामों के विद्युत कनेक्शन

159. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम श्रीनगर (तहसील बून्दी) कुम्हारिया खासीपुरा, हीरापुर (ग्राम पंचायत माणी) तथा बन्थली (जिला–बून्दी) के व्यक्तियों द्वारा मांग पत्र की राशि जमा करवाने के उपरान्त भी विद्युत मण्डल ने उन्हें विभिन्न श्रेणी के कनेक्शन नहीं दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों व किन्हें ? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मांग–पत्र की राशि जमा होने के बाद एक निश्चित अवधि में विद्युत सम्बन्ध जारी किया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो कितनी अवधि में तथा उक्त विद्युत सम्बन्ध जारी करने में की गयी देरी के लिये कौन कौन जिम्मेदार हैं ?

(3) अब उक्त विद्युत सम्बन्ध कब तक कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) मांग पत्र जमा होने व कनेक्शन देने में स्वभाविक रूप से समय लगता है। विशेष रूप से जब अनेक प्रार्थना-पत्र एक पोल/दो पोल नर्सरी श्रेणी में प्राप्त हो रहे हैं तब अधिक समय लगना स्वभाविक है।

(50)

(ऊर्जा मंत्री)

ग्राम श्रीनगर, कुम्हारिया, खासीपुरा, हीरा पुरा एवं बन्थली में प्राप्त आवेदनों व उन पर की गयी कार्यवाही की स्थिति निम्न प्रकार है :—

ग्राम श्रीनगर :—इस ग्राम में कृषि के एक आवेदक द्वारा मांग-पत्र की राशि जमा करवायी हुई है, जिसे शीघ्र कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही जारी है। अन्य श्रेणी में किसी भी आवेदक की मांग-पत्र की राशि जमा नहीं हैं।

ग्राम कुम्हारिया :—दो कृषि कनेक्शन सामान्य श्रेणी के एवं 11 व्यक्तियों द्वारा घरेलू कनेक्शनों की माग-पत्र की राशि जमा है जिसमें लाइन का कार्य प्रगति पर है। सामान की उपलब्धतानुसार कनेक्शन दिये जायेंगे।

ग्राम खासीपुरा एव हीरापुरा :—इन दोनों ग्रामों में किसी भी श्रेणी में किसी भी व्यक्ति की मांग पत्र की राशि जमा नहीं हैं।

ग्राम बन्थली :—इस ग्राम में दो कृषि आवेदकों की मांग पत्र की राशि जमा थी उनको दिनांक 21.10.95 को कनेक्शन दिया जा चुका है। वर्तमान में इस ग्राम में किसी भी श्रेणी के कनेक्शन के लिये मांग पत्र की राशि जमा नहीं है। उक्त ग्रामों में जिन आवेदकों की मांग पत्र की राशि जमा है उनकी सूची प्रपत्र "अ" संलग्न है।

(2) मांग पत्र की राशि जमा होने के बाद आवेदकों द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात सामान की उपलब्धता के अनुरूप वरीयतानुसार यथा शीघ्र कनेक्शन दिये जाते हैं। जैसा कि ऊपर अंकित किया है प्रार्थना पत्रों की संख्या अधिक प्राप्त होने से तथा उस अनुपात में सप्लायर्स द्वारा एक साथ सामान सप्लाई करने में कठिनाई को देखते हुये, कुछ समय प्रारम्भ में अधिक लगा है अब इस कार्य को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

(3) उक्त सभी ग्रामों में जिनमें आवेदकों द्वारा माग पत्र की राशि जमा करा रखी है उन्हें शीघ्रातिशीघ्र सामान की उपलब्धतानुसार कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। स्थिति जिलेवार अलग-अलग होगी जहां कार्य कम है वहां कनेक्शन का कार्य प्राय: निपटा दिया गया है। जहां कार्य अधिक है वहां विलम्ब स्वभाविक है।

(प्रपत्र के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विद्युत मण्डल में रिक्त पद

160. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार लाइनमैनों एवं हेल्परों के कितने पद होने चाहिये उनमें से कितने पद रिक्त हैं ?

(2) रिक्त पद कब तक भर दिए जायेंगे ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में विभिन्न श्रेणी के पदों के सृजन हेतु वर्ष

(ऊर्जा मंत्री)

1969 में मापदण्ड (स्टाफिंग पेटर्न) निर्धारित किया गया था। इतने अन्तराल के बाद अब कार्य प्रणाली व सिस्टम आदि में परिवर्तन के परिपेक्ष्य में विशेषतया मितव्ययता की दृष्टि से उक्त निर्धारित मापदण्ड पर पुनः विचार किया जा रहा है। आम तौर पर यह धारणा है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में ओवर स्टाफिंग है।

(2) फिलहाल इस श्रेणी की भर्ती पर रोक है फिर भी कई स्थानों पर ज्यादा स्टाफ होने पर, विशेष कमी वाले स्थानों पर स्थानान्तरित किये जा रहे हैं। कुछ कार्य जो पूर्व में विभागीय कर्मचारी करते थे उन्हें ठेके पर कराया जा रहा है।

निःशुल्क क्रय की जाने वाली दवाइयों के मानदण्ड

161. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग द्वारा निःशुल्क वितरण हेतु खरीद की जाने वाली दवाओं की प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह सही है कि खरीद करने वाली दवाइयां निम्न कोटि की होती और प्रसिद्ध औषध निर्माताओं से नहीं खरीदी जाती? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि पशु पालकों को किसी भी प्रकार की औषधियां मुफ्त नहीं दी जातीं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार मुफ्त दवाइयों के वितरण पर नियन्त्रण हेतु सलाहकार समितियों की स्थापना का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पशुपालन विभाग में खरीद की जाने वाली दवाइयां राज्य सरकार द्वारा विहित सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के भाग द्वितीय में निर्धारित किये गये नियमों एवं प्रक्रिया के तहत किया जाता है। राज्य सरकार दवाइयां खरीद करने के लिये सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के भाग द्वितीय के नियम 50 के तहत विभागीय क्रय समिति का गठन करती है। यह समिति प्रत्येक कैटलागवाइज दवाइयों के क्रय पर विस्तार से चर्चा करती है, चर्चा उपरान्त उनकी दरें एवं गुणवत्ता का अनुमोदन किया जाता है एवं इस प्रकार अनुमोदित की हुई दवाओं की सूची के आधार पर पशुपालन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी आवश्यकतानुसार अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति आदेश देता है उसी अनुरूप दवाइयां क्रय की जाकर उनको भुगतान किया जाता है।

(2) जी, नहीं। (विभाग में क्रय की जाने वाली दवाइयां निम्न कोटि की नहीं होती है) विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने वाले औषधि निर्माताओं से (जिनमें सभी औषधी निर्माता सम्मिलित हैं) ही दरें अनुमोदित करने के पश्चात क्रय की जाती है।

(3) जी, नही। पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध दवाइयों का वितरण उपलब्धि अनुसार निःशुल्क किया जाता है।

(पशुपालन राज्य मंत्री)

(4) जी, नहीं। चूंकि यह औषधियां आपातकाल व जीवन रक्षक औषधियां होती हैं जिनके वितरण पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण रखने से बीमार पशु के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। साथ ही यह औषधियां पशु चिकित्सालय में लाये गये बीमार पशुओं को ही उपलब्ध करायी जाती हैं या पशु चिकित्सा शिविरों में चिकित्सकों द्वारा सीधे पशुपालकों को वितरित की जाती हैं।

पशु चिकित्सालय खोलने के मानदण्ड

162 **श्री राधेश्याम** (गंगानगर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पशु चिकित्सालय खोलने के मानदण्ड निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में मानदण्डानुसार श्रीगंगानगर जिले में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने औषधालय खोले जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर में कई पशु चिकित्सालयों में डाक्टर, कम्पाउण्डर एवं अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने व कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के अनुसार 10,000 पशु इकाई तथा 10 किलोमीटर के दायरे में एक पशु चिकित्सालय स्थापित करने के प्रयास किये जावें। इसके अतिरिक्त जनसंख्या, भवन, आवागमन के साधन, डाक सुविधा आदि साधनों को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्ष 1995–96 में नयी पशु चिकित्सा संस्था खोलने का प्रावधान नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीगंगानगर में पशु चिकित्सालयों में डाक्टर, पशुधन सहायक एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों की सूची (क) संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

जयपुर शहर की पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियां

163. **श्री एमादुद्दीन अहमद खां** (तिजारा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में सहकारिता अधिनियम के तहत गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन किया गया है ? यदि हां, तो किस–किस समिति का ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सहकारी समितियां सदस्य बनाकर सदस्यों से शपथ–पत्र नगरपालिका या निगम क्षेत्र में अन्य रिहायशी मकान भू–खण्ड न होने बाबत प्राप्त कर भू–खण्ड आबंटन करती है ? क्या सरकार या विभाग द्वारा उन

(श्री एमादुद्दीन अहमद खां)

शपथ-पत्रों की जांच की गयी ? यदि नहीं, तो शपथ-पत्र का क्या औचित्य है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या जयपुर शहर की गृह निर्माण समितियों पर प्रशासक नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन समितियों पर व किन-किन कारणों से ? बाकी समितियों पर कोई भी आरोप नहीं होने बाबत क्या विभाग या सरकार आश्वस्त है ? यदि नहीं, तो उन पर प्रशासक क्यों नहीं लगाये गये ? क्या अब सरकार शेष समितियों पर भी प्रशासक लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और किन-किन समितियों पर ?

उत्तर

(1) जी, हां । सूची परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है ।

(2) जी, हां । गृह निर्माण सहकारी समितियों के वर्तमान आदर्श उपनियमों में इस प्रकार का प्रावधान है । विभाग द्वारा इन शपथ पत्रों की जांच नहीं की गयी ऐसा कोई शपथ पत्र असत्य पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध समिति द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा सकती हैं ।

(3) जी, हां । जयपुर शहर की कुछ गृह निर्माण सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त किये गये हैं । ऐसी गृह निर्माण समितियों की सूची मय प्रशासक लगाने के कारणों के परिशिष्ट–ब पर उपलब्ध है । अधिनियमान्तर्गत समितियों पर प्रशासक धारा–36(1) के तहत समितियों के विरुद्ध अनियमितताएं पाये जाने पर तथा धारा–36(1)(ख) के तहत निर्वाचित संचालक मंडल की अवधि पूर्ण हो जाने पर प्रशासक लगाये जा सकते हैं । इन प्रावधानों के तहत प्रशासक लगाये जाने का निर्णय प्रत्येक प्रकरण के गुण-अवगुण के आधार पर रजिस्ट्रार द्वारा लिया जाता है । प्रशासक नियुक्ति हेतु कोई पूर्वाग्रह सरकार या विभाग का नहीं होता एवं औचित्य के आधार पर कानून के अनुरूप ही कार्यवाही सम्भव होती है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर तथा टोंक की एलोपैथिक/ आयुर्वेदिक औषधियों की दुकानें

164. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की जयपुर शहर एवं टोंक शहर में ऐलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकानें कहां-कहां पर स्थित हैं तथा प्रत्येक की स्टाक सीमा कितनी-कितनी है तथा प्रत्येक का इंश्योरेन्स कितना-कितना है ? नाम एवं स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) प्रत्येक दुकान में 31 जुलाई 1995 को कितना-कितना स्टाक था ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) इंश्योरेंस राशि से स्टाक किस-किस दुकान में अधिक रहा और अधिक

(54)

(श्री रघुवीर सिंह)

रहने के क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इंश्योरेंस राशि से स्टाक अधिक होने को उचित मानती है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसमें किसी को दोषी मानते हुए दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं किस-किस अधिकारी/कर्मचारी को, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) सूचना परिशिष्ट "ब" पर प्रस्तुत है।

(3) इंश्योरेंस राशि से अधिक स्टॉक रहने का विवरण परिशिष्ट "स" पर है। विक्रेता द्वारा सीमा से अधिक दवाइयों की प्राप्ति हेतु मांग करना ही स्टॉक अधिक होने का कारण है।

(4) जी, नहीं। स्टॉक निर्धारित सीमा के अनुसार रखने का दायित्व विक्रेता एवं पर्यवेक्षक का है। दवाइयों के मूल्य, किस्म एवं संख्या को देखते हुए स्टॉक सीमा का पुर्नानिर्धारण कर दिया गया है। स्टॉक सीमा की समीक्षा अर्द्धवार्षिक रूप से करने की व्यवस्था की जा रही है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

क्रय-विक्रय सहकारी समिति इटावा (कोटा) की अंकेक्षण रिपोर्ट प्रकरण

165. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या क्रय-विक्रय सहकारी समिति इटावा जिला कोटा की गत वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की आडिट रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो इन वर्षों की आडिट रिपोट में धनराशि के दुरुपयोग के कितने आक्षेप हैं ? आॅडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस प्रकार धनराशि का दुरुपयोग करने वालों पर उचित कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां। समिति की इन वर्षों की आडिट रिपोर्टस में धनराशि दुरुपयोग के कुल 5 आक्षेप हैं। आडिट रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां।

(आॅडिट रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भूमि विकास बैंक जालौर की बकाया वसूली प्रकरण

166. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

(1) भूमि विकास बैंक जालौर के मांग वसूली एवं बकाया के विगत 3 वर्षों के शाखानुसार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आंकड़े प्रत्येक ऋण खाते की मांग वसूली एवं बकाया के आधार पर तैयार किये जाते हैं तथा समस्त खातों की जोड़ ही किसी शाखा की मांग वसूली एवं बकाया की स्थिति को दर्शाती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि भूमि विकास बैंक जालौर की समस्त शाखाओं द्वारा प्रत्येक ऋण खाते के आधार पर तैयार किये गये आंकड़ों एवं शाखा प्रधान कार्यालय को प्रेषित/प्रस्तुत किये गये आंकड़ों में काफी अन्तर है ? यदि हां, तो यह अन्तर क्यों है तथा किसके निर्देश पर रखा गया है ?

उत्तर

(1) भूमि विकास बैंक जालौर की मांग वसूली एवं बकाया के विगत 3 वर्षों के शाखानुसार आंकड़े निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	नाम शाखा	वर्ष	मांग	वसूली	बकाया
			(राशि लाखों में)		
1.	जालौर	92–93	66.97	4242.31	24.66
		93–94	60.72	34.67	32.05
		94–95	60.20	47.05	21.15
2.	सायला	92–93	114.10	80.11	33.99
		93–94	166.72	100.87	65.85
		94–95	197.02	163.02	34-60
3.	भीनमाल	92–93	63.01	44.81	18.20
		93–94	80.00	56.11	23.89
		94–95	94.00	93.05	0.95
4.	रानीवाड़ा	92–93	105.04	63.06	41.98
		93–94	95.07	49.94	45.13
		94–95	97.65	80.01	17.64
5.	सांचौर	92–93	179.15	90.00	89.15
		93–94	186.57	71.38	115.19
		94–95	270.73	149.23	121.50

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं।

श्री शंकर सामूहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड (जालौर)

167. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री शंकर सामूहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड, बागरा के नाम से गांव बागरा, पंचायत समिति–जालौर, जिला जालौर में कोई सहकारी समिति काम कर रही थी ? यदि हां, तो उसके सदस्यों एवं पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समिति के नाम ग्राम बागरा की सरहद में कुल कितनी जमीन दर्ज है ? जमाबन्दी की नकल तथा नक्शे की प्रति (पुराना तथा नया दोनों) सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। अवसायन में लाने के समय उक्त समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) उक्त समिति के नाम ग्राम बागरा की सरहद में कुल साढ़े छियासठ बीघा जमीन दर्ज है। नकल जमाबन्दी नयी व पुरानी तथा नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जलमहल हाउसिंग सोसायटी जयपुर द्वारा भूखण्डों का आवंटन

168. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जलमहल हाउसिंग सोसायटी द्वारा जनता नगर (रांकडी) लक्ष्मीनगर के पीछे, जयपुर में भूखण्डों के पट्टे काटे गये थे ? यदि हां, तो कितने तथा कितने वर्ग गज के ? सूची मय नाम, पिता का नाम तथा साइट प्लान सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सोसायटी द्वारा नक्शों में परिवर्तन किया गया ? यदि हां, तो उक्त कॉलोनी के मूल तथा परिवर्तित नक्शों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। जलमहल हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि. द्वारा जनता नगर (रांकडी) लक्ष्मी नगर के पीछे जयपुर से कुल 63525 वर्गगज भूमि पर पट्टे काटे गये हैं जिसके आबंटियों की सूची मय नाम पिता का नाम एवं आबंटित भूखण्ड संख्या के परिशिष्ट–1 पर तथा योजना के साइट प्लान की प्रति परिशिष्ट–2 पर सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, नहीं। समिति द्वारा नक्शे में परिवर्तन नहीं किया जाना बताया है।

(सहकारिता मंत्री)

समिति द्वारा प्रस्तुत मूल नक्शे जयपुर विकास प्राधिकरण में विचाराधीन बताये हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्न संख्या 169

(स्थगित)

राज्य में संचालित शाही रेलगाड़ी

170. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में वर्तमान में पर्यटन विभाग द्वारा कितनी शाही रेलगाड़ी (पैलेस ऑन व्हील) चलायी जा रही हैं एवं इन पर कितना व्यय किया गया है ?

(2) उपरोक्त शाही रेलगाड़ी में पर्यटकों के लिये कितनी-कितनी सीटें/शैयाएं उपलब्ध हैं एवं इन गाड़ियों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

(3) इन रेलगाड़ियों में कितने दिनों का पैकेज टूर होता है एवं यह गाड़ी किन-किन पर्यटन/ऐतिहासिक/धार्मिक स्थलों पर जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) एक पैकेज टूर में कितनी आय एवं कितना व्यय होता है ? अब तक कितने पैकेज टूर हुए ? प्रत्येक टूर का आय एवं व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार भविष्य में अतिरिक्त शाही रेलगाड़ियां चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व कहां-कहां हेतु ?

उत्तर

(1) वर्तमान में एक ही शाही रेलगाड़ी राज्य में चलायी जा रही है। शाही रेलगाड़ी के निर्माण में भारतीय रेलवे एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम के संयुक्त अंशदान के रूप में कुल 20.00 करोड़ लागत आने का अनुमान है।

(2) शाही रेलगाड़ी में पर्यटकों के लिये 104 सीटें/शैयाएं उपलब्ध हैं। यात्रियों की सुविधा हेतु शाही रेलगाड़ी पूर्णतया वातानुकूलित है। यात्रियों के लिये पृथक से पुस्तकालय, लाउंच कार, दो भोजनालय कक्ष (डायनिंग कार) तथा प्रथम बार प्रत्येक कूपे के साथ स्नानागार एवं शौचालय उपलब्ध कराया गया है।

(3) शाही रेलगाड़ी में सात दिवस का एक पैकेज टूर होता है, जिसमें जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, (बस द्वारा) सवाई-माधोपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, फतेहपुर सीकरी एवं आगरा के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाता है।

(4) वर्ष 1995–96 में सम्पन्न हुए प्रति टूर पर सकल आय का विवरण निम्न प्रकार हैं :–

दिनांक	सकल आय
20–9–95	5.07 लाख

(पर्यटन राज्य मंत्री)

27–9–95	4.57 लाख
4–10–95	6.49 लाख
11–10–95	5.92 लाख
18–10–95	22.25 लाख
योग :	44.30 लाख

चूंकि रेलवे मंत्रालय द्वारा खर्चे की राशि का ब्यौरा निगम को प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः प्रति टूर व्यय राशि का आकलन आज की स्थिति में सम्भव नहीं है।

(5) वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

राज्य में पर्यटन विकास निगम द्वारा अर्जित लाभ

171. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) एवं **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा गत छः वर्षों में कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है? वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) बीयर की दुकानों से हुए लाभ को घटाकर गत 6 वर्षों में निगम को किस-किस वर्ष कितनी लाभ/हानि हुई?

(3) बीयर की दुकानों को छोड़कर जो इकाइयां हानि में चल रही हैं, उनके निजीकरण के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1)

क्र.सं.	वर्ष	शुद्ध लाभ (लाखों में)
1.	1989–90	75.52
2.	1990–91	55.05
3.	1991–92	119.51
4.	1992–93	206.62
5.	1993–94	124.77
6.	1994–95 (अनुमानित)	24.72

(2)

क्र.सं.	वर्ष	सकल लाभ (बिना बीयर)
1.	1989–90	148.57
2.	1990–91	106.94
3.	1991–92	183.68
4.	1992–93	205.70
5.	1993–94	140.85
6.	1994–95 (अनुमानित)	75.59

टिप्पणी :–निगम में वर्तमान में जो लेखा प्रक्रिया अपनायी जा रही है, इसमें मदवार शुद्ध लाभ सूचित कर पाना सम्भव नहीं है, अतः बिना बीयर की आय के निगम का सकल लाभ दर्शाया जा रहा है।

(3) जो इकाइयां हानि में चल रही हैं उन्हें संयुक्त क्षेत्र/लीज पर देने के प्रयास किये जा रहे हैं।

जयपुर एवं अजमेर जिले की पुरातात्विक ईमारतें

172. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर एवं अजमेर जिले में पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व की दृष्टि से कुल कितनी ईमारतें, किले, महल, मन्दिर आदि हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त धरोहरों में से कितनी सरकारी संरक्षण में हैं और कितनी अभी तक निजी संरक्षण में हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त धरोहरों पर गत तीन वर्षों में मरम्मत एवं जीर्णोद्धार पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर एवं अजमेर जिले में पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व की दृष्टि से विभिन्न विभागों द्वारा कुल 199 ईमारतें, किले, महल, मन्दिर संरक्षित घोषित किये हुए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं :–

1– भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार	29
2– राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	53
3– देवस्थान विभाग	117
योग :–	199

(2) राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा जो 53 स्मारक घोषित किये हुए हैं उनमें से 10 निजी संरक्षण में तथा 43 सरकारी संरक्षण में हैं । देवस्थान विभाग के अधीन 117 मन्दिर हैं, वे सभी सरकारी संरक्षण में हैं ।

(3) राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा जयपुर एवं अजमेर जिले में संरक्षित स्मारकों में गत तीन वर्षों में (वर्ष 1992–93, 1993–94 एवं 1994–95) में आयोजना मद अन्तर्गत 4,42,300/– रुपये तथा भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार नयी दिल्ली द्वारा गत तीन वर्षों में आयोजना मद अन्तर्गत 31,23,251.07 एवं आयोजना भिन्न मद अन्तर्गत 9,53,424.10 रुपये की राशि व्यय की गयी है । देवस्थान विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में मन्दिरों की मरम्मत व जीर्णोद्धार पर 2,72,023/– रुपये व्यय किये गये हैं । जयपुर स्थित सिरहड्योढ़ी बाजार में स्थित रामचन्द्रजी के मन्दिर का जीर्णोद्धार आवास विकास संस्थान के माध्यम से कराया जा रहा है जिसमें अनुमानतः 25.00 लाख रुपये व्यय होंगे ।

डी. डी. पी. योजनान्तर्गत कार्य

173. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) डी. डी. पी. योजना में गत वर्ष तक क्या-क्या कार्यक्रम चलाया गया और इस योजना को कार्यरूप देने में क्या प्रक्रिया अपनाई गयी ।

(2) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में

(श्री हरजीराम बुरडक)

इस योजना में कोई फेरबदल किया गया है ? यदि हां, तो क्या तथा उसको किस प्रकार से कार्य रूप दिया जायेगा ।

(3) क्या भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में चालू वर्ष के लिये कोई निर्देश जारी किये हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ? आदेशों की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(4) चालू वर्ष में राज्य के लिये इस योजना में कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है और उसमें से कितनी राशि व्यय की गयी ?

उत्तर

(1) डी. डी. पी. योजनान्तर्गत वर्ष 1994–95 तक निम्नांकित कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये :–

1. भूमि विकास एवं आद्रता संरक्षण ।
2. जन संसाधनों का विकास ।
3. वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास ।
4. अन्य गतिविधियां–फ्लोराइड एवं गिनीवर्म प्रभावित क्षेत्रों में पशु पेय जल टांकों का निर्माण, होर्टीकलचर, उद्योगों से निकलने वाले पानी से खराब हुई जमीनों एवं कुओं के पानी को सुधारने के बारे में अनुसंधान काजरी, जोधपुर द्वारा मरुस्थल रोकथाम हेतु विकसित तकनीकी का मरुस्थल प्रसार के रोकथाम में उपयोग ।

डी. डी. पी. योजना को कार्यरूप देने देने के लिये प्रतिवर्ष संबंधित जिलों से उनकी गवर्निंग काउन्सिल से अनुमोदित वार्षिक योजना के प्रस्ताव मंगवाये गये प्रस्तावों की जांच की गयी व सभी जिलों की वार्षिक कार्यकारी योजना मरु विकास कार्यक्रम हेतु गठित राज्य स्तरीय स्वीकृतिदात्री समिति से अनुमोदित करायी गयी । तत्पश्चात विभिन्न स्तरों से वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति जारी कर संबंधित विभागों द्वारा कार्यकारी योजना क्रियान्वित की गयी ।

(2) जी, हां । वर्ष 1995–96 से केन्द्र सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को नया स्वरूप प्रदान किया गया है । जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 1995–96 से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जल ग्रहण सम्भावित क्षेत्र में जल ग्रहण विकास दृष्टिकोण पर आधारित कार्य तथा अन्य क्षेत्रों में पूर्व की भांति कार्य सम्पन्न कराये जायेंगे । कार्यक्रम को और अधिक सशक्त प्रभावशाली, गतिशील एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप बनाये जाने के उद्देश्य से जन सहभागिता पर विशेष बल दिया जायेगा । कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा गैर सरकार संस्थाओं, सरकारी विभाग यथा जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, वन विभाग तथा सिंचाई विभाग आदि से चयनित पी. आई. ए. (परियोजना क्रियान्वयन अभिकरण) द्वारा गठित जल ग्रहण विकास दल (डब्ल्यू. डी. टी.) द्वारा चार वर्ष परियोजना काल में प्रति जल ग्रहण क्षेत्र का विकास किया जाना है ।

कार्यक्रम के अन्तर्गत जलग्रहण विकास के संदर्भ में तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराये जाने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं (एन. जी. ओज) तथा जलग्रहण विकास दल (डब्ल्यू.

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री)

डी. टी.) सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिये जा रहे हैं।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी नयी मार्गदर्शिका समस्त सम्बद्ध जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को भिजवायी जा चुकी है एवं राज्य सरकार द्वारा भी इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

(3) जी; हां। कार्यक्रम के सन्दर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा जारी नयी मार्गदर्शिका के हिन्दी रूपान्तरण की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध हैं।

(4) वित्तीय वर्ष 1995–96 में डी. डी. पी. के अन्तर्गत रु. 110.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है; परन्तु भारत सरकार द्वारा अभी तक रु. 52.58 करोड़ मात्र ही आवंटन करने की सहमति दी है एवं अभी तक रु. 31.54 करोड़ की स्वीकृति जारी की है। माह सितम्बर, 1995 तक रुपये 23.92 करोड़ व्यय किये गये।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीगंगानगर के ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाएं

174. श्री राधेश्याम (गंगानगर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) श्रीगंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को कराने के लिए कौनसी योजनाएं चलायी जा रही हैं ? वर्ष 1991–92, 1995–96 तक वर्षवार इन योजनाओं के तहत कुल कितनी राशि जिले के लिये स्वीकृत की गयी तथा उपरोक्त में से कितनी राशि व्यय की गयी ?

(2) उपरोक्त योजनाओं में प्रत्येक पंचायत समितियों को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गयी ? राशि आवंटन के क्या मापदण्ड हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत समिति श्रीगंगानगर व सादुलशहर में उपरोक्त सभी योजनाओं के तहत कौन से कार्य स्वीकृत हुए ? विवरण निम्न प्रारूप में सदन की मेज पर रखें।

योजना का नाम	ग्राम का नाम	मंजूर शुदा कार्य का विवरण	मंजूर शुदा कुल राशि
कुल खर्च की गयी राशि	कार्य पूर्ण हो गया या अधूरा है, का विवरण	क्या सहायक अभियन्ता द्वारा ओ.के. कर दिया गया	

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को करवाने के लिये चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं तथा उन पर वर्ष 1991–92 से 1995-96 (सितम्बर, 1995 तक) आबंटित व व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट एक से आठ पर संलग्न कर प्रस्तुत हैं।

(2) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1991–92 से 1995–96 (सितम्बर, 1995 तक) प्रत्येक पंचायत समिति को आबंटन का मापदण्ड तथा आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ट 9 से 16 पर संलग्न है।

(3) पंचायत समिति श्रीगंगानगर एवं सादुलशहर में वर्ष 1991–92 से 1995-96 (सितम्बर, 1995 तक) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य का विवरण, व्यय की गयी राशि एवं कार्य की स्थिति का विवरण परिशिशिष्ट 17 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में गरीबी उन्मूलन योजना

175. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार राज्य में "जिला गरीबी उन्मूलन योजना" लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसके प्रथम चरण में किन-किन जिलों को चयनित किया जावेगा ?

(2) इस योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी किस अनुपात में है ?

(3) इस योजना के तहत क्या काम लिये जावेंगे और किन लोगों के लिये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी, हां। परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के सात जिलों यथा–राजसमन्द, बारां, दौसा, धौलपुर, चूरू, झालावाड़ व टोंक को चयनित करना प्रस्तावित हैं।

(2) यह परियोजना विश्व बैंक से ऋण प्राप्त कर चलायी जावेगी।

(3) परियोजना के अन्तर्गत मुख्यतः तीन प्रकार के कार्य करवाये जाएंगे :–

1. क्षेत्रीय विकास कार्य
2. सामाजिक विकास कार्य
3. सक्षमता निर्माण व कुशलता विकास।

क्षेत्रीय विकास कार्य के अन्तर्गत क्षेत्र के सभी लोगों के लिये आधारभूत संरचना जैसे सड़क निर्माण, सिंचाई, जलग्रहण विकास, कृषि, पशुपालन, बागवानी, दुग्ध विकास, पेयजल व्यवस्था सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे।

सामाजिस विकास कार्यों के अन्तर्गत शिक्षा व चिकित्सा से वंचित क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के अति-

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री)

रिक्त गरीबों के समूह बनाकर आर्थिक उत्थान के उपाय किये जावेंगे।

सक्षमता निर्माण व कुशलता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण के माध्यम से क्षेत्रों के लोगों में तकनीकी ज्ञान की सुविधाएं उपलब्ध करवायी जायेंगी।

सवाईमाधोपुर जिले में सांसद कोटे के अन्तर्गत विकास कार्य

176. **श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सवाईमाधोपुर जिले के सांसदों ने वर्ष 1994–95 व 1995–96 में अपने सांसद कोटे के अन्तर्गत विकास निर्माण कार्यों के लिये कितने रुपये किन-किन कार्यों के लिये कहां-कहां दिये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सांसदों द्वारा वर्ष 1994–95 में दी गयी राशि का निर्माण कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? कौन-कौनसी पंचायत समितियों में कार्य अधूरे हैं व उन्हें कब तक पूरा करवा लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) सवाईमाधोपुर जिले के सांसदों द्वारा वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 में उनके सांसद कोटे से विभिन्न विकास, निर्माण कार्यों हेतु प्रस्तावित राशि के आधार पर विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। वर्ष 1994–95 में स्वीकृत 92 कार्यों में से 16 कार्य पूर्ण हुए, 16 कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुए तथा 60 कार्य वर्षा ऋतु में मार्ग अवरूद्ध हो जाने व निर्धारित मजदूरी दर पर श्रमिक नहीं मिलने के कारण अपूर्ण रहे। इन अधूरे कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। अधूरे कार्यों का विवरण पंचायत समितिवार परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है।

16 कार्य प्रारम्भ नहीं होने का मुख्य कारण तकनीकी विभागों द्वारा कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करना तथा सम्बन्धित पंचायत समितियों में कार्यों की क्रियान्विति हेतु पर्याप्त संख्या में निर्धारित दरों पर श्रमिक उपलब्ध नहीं होना है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

शाहपुरा (धोद) में इन्दिरा आवास योजना

177. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति, धोद के ग्राम पंचायत शाहपुरा में कौन से वर्ष में सामूहिक इंदिरा आवास योजना स्वीकृत की गयी थी तथा कार्य करवाया गया था ?

(2) क्या इस योजना में मजदूरों को मजदूरी का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ?

(श्री अमराराम)

(3) यदि नहीं, तो क्यों एवं इसके लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) मजदूरों को अब भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति धोद की ग्राम पंचायत शाहपुरा में वर्ष 1987–88 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के आदेश क्रमांक 1050–56 दि. 24.2.88 के द्वारा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत इंदिरा आवास योजना में 15 सामूहिक इंदिरा आवास निर्माण हेतु 1.80 लाख रुपये राशि स्वीकृत की गयी थी। इंदिरा आवासों का निर्माण ग्राम पंचायत शाहपुरा के तत्कालीन सरपंच श्री गौरी-शंकर शर्मा द्वारा वर्ष 1987–88 एवं 1988–89 में करवाया गया तथा यह कार्य अभी भी अपूर्ण हैं।

(2) पंचायत समिति धोद द्वारा उपरोक्त स्वीकृति के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शाहपुरा के तत्कालीन सरपंच श्री गौरी-शंकर शर्मा को दि. 4.10.88 को 1,68,565/–रु. अग्रिम राशि दी गयी थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार श्रमिकों का 24,896/–रु. का भुगतान अभी बकाया है जिसका भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना है।

(3) कालोनी के आवास निर्माण में लगे मजदूरों को भुगतान नहीं होने के सम्बन्ध में अभिकरण द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सीकर द्वारा जांच करवाई गयी जिसमें दोषी पाये जाने पर तत्कालीन सरपंच श्री गौरी शंकर शर्मा के विरुद्ध पुलिस थाना लोसल में दि. 15.7.94 को एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी।

(4) चूंकि इस कार्य हेतु स्वीकृत राशि ग्राम पंचायत शाहपुरा को पूर्व में हस्तान्तरित की जा चुकी है, अतः श्रमिकों को बकाया भुगतान की कार्यवाही भी ग्राम पंचायत स्तर पर ही की जानी है।

12.00

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हरिसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से 20 एवं 21 अक्टूबर, 1995 की रात्रि में कुम्हेर कस्बे में पड़ी डकैती से आम जनता में भय व्याप्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री परसादीलाल मीणा एवं 9 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में पुलिस अत्याचार की बढ़ती घटनाओं से जनता में व्याप्त भारी आक्रोश के सम्बन्ध में।

(3) श्री राधेश्याम, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर शहर के नागरिकों को शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए शांतमय वातावरण बनाने के लिये कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री भीमसेन चौधरी एवं 12 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 7.4.95 व 5.5.95 को बीकानेर जिला पुलिस व बी.एस.एफ. के जोइन्ट आपरेशंस द्वारा विदेशी हथियारों का बड़ा जखीरा, हेरोइन व अन्य मादक पदार्थ बताकर, टाडा एक्ट, एन.डी.पी.एस. व आर्म्स एक्ट एवं आई.पी.सी. 307 में तीन नौजवानों के विरूद्ध झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट्स दर्ज कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्यों को दिनांक 2 नवम्बर, 1995 को कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर विचार के समय बोलने की अनुमति होगी।

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब टाडा के मामले झूठे बना दिये....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, पूरा पढ़ लेने दें आप।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 को श्री पूनमचन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा कृषि हेतु कम से कम 8 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा के बावजूद बिजली उतने समय उपलब्ध नहीं होने तथा बिजली का वोल्टेज अधिक होने से किसानों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। नियमान्तर्गत उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को आज विद्युत समस्या पर विचार के समय बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से खाजूवाला सिंचित क्षेत्र की सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से अस्थायी कालेज व्याख्याताओं के स्थायीकरण में कतिपय व्याख्याताओं के साथ कथित भेदभाव बरते जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर व उदयपुर शहरों को नागरिक सुरक्षा योजना में शामिल करने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य की अग्निशमन सेवाओं में कार्यरत स्टाफ के लिये सेवा नियम बनाने व उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(5) श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर बढ़ते हुए यातायात के दबाव को कम करने की दृष्टि से वैकल्पिक राजमार्ग विकसित किये जाने की योजना हाथ में लिये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से अतिरिक्त मुख्य

66

(श्री अध्यक्ष)

अभियन्ता, जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर के कार्यालय में वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामगोपाल बैरवा सदस्य विधान सभा की ओर से जिला कोटा थाना खातौली में सरपंच ग्राम पंचायत बागली के साथ हुए कथित अभद्र व्यवहार की दर्ज एफ.आई.आर. पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर नगर विकास न्यास की नियमन समिति के निर्णय दिनांक 8.10.93 व सामान्य बैठक दिनांक 10.1.94 के बिंदु संख्या 2 की पालना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री रमाकांत, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था में दिन प्रतिदिन भारी गिरावट के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले में इन्द्राणी बांध के निर्माण से उत्पन्न जन समस्याओं के त्वरित निपटारे के सम्बन्ध में।

(11) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से परबतसर जिला नागौर में अतिरिक्त जिला एवं सेशन कोर्ट खोलने के सम्बन्ध में।

(12) श्री रामचन्द्र रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र के कोटपूतली कस्बे के बीच स्थित नगरपालिका पार्क में व्याप्त गंदगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाईमाधोपुर विशेषकर विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में विद्युत आपूर्ति की समस्या के संदर्भ में प्रस्तुत विशेष उल्लेख की सूचना के सम्बन्ध में, उनको आज विद्युत समस्या पर विचार के समय बोलने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री शीशराम ओला (झुंझुनूं) : मोदी जी, एक बार बैठिये। एक मिनट बैठिये। अध्यक्षजी, कल बिजली पर चर्चा करने के लिये प्रत्येक कांग्रेसी सदस्य उत्सुक था....

श्री अध्यक्ष : बिलकुल।

श्री शीशराम ओला : व्यवधान होने के (व्यवधान) आप सुनने की कोशिश कीजिये मेहरबानी से, ज्यादा उग्र बनने की कोशिश न करें। +++

श्री अध्यक्ष : आप नहीं बोलें अब। ज्यादा इसमें नहीं उलझें, काम की बात जल्दी करें।

श्री शीशराम ओला : मैं इस विषय में आपको यह निवेदन करना चाहूंगा, आप

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शीशराम ओला)

बात सुनेंगे साहब, तसल्ली से सुनेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कल यह तय हुआ था, हमको कहा गया था, तय हुआ या नहीं, हम नहीं जानते, हमको यह कहा गया था आसन की तरफ से कि कल बिजली पर पहले बहस शुरू होगी। यह दूसरे विधायी कार्य लेने से पहले तत्काल प्रभाव से बिजली पर बहस शुरू कराई जाय। क्योंकि किसान खेती नहीं कर सका है, उसे बिजली नहीं मिल रही है, पानी कुओं पर नहीं मिलने से पिलाव नहीं हुआ है और सरसों का समय तो बुवाई का चला गया, गेहूं का समय अब है, दस दिन और निकाल दिये तो गेहूं की भी बुवाई नहीं हो सकेगी। किसान बहुत दुखी है इसलिए कृपया बिजली पर चर्चा की जाय, यह आपसे प्रार्थना है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (विद्युत मंत्री): अध्यक्ष महोदय मैं सहमत हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज की कार्य सूची में भी शासकीय कार्य बाद में होंगे, पहले बिजली पर....

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर): +++ जीरो आवर इसलिए बना है कि जहां राजस्थान की जो विभिन्न समस्याएं हैं जो तुरंत लोक महत्व की हैं, जो अरजेंसी की हैं उनको इस हाउस के माध्यम से रेज किया जा सके, सरकार के नोटिस में लाया जा सके, लेकिन यह आज इस सत्र की चौथी मीटिंग है और आपने न तो कालिंग अटेंशन लगाये, न आपने यह 295 आज आप बोल रहे हैं। बिजली की चर्चा हम भी करना चाहते हैं, सरकार भी करना चाहती है लेकिन बिजली के साथ-साथ इस तरह की समस्याएं हैं अजमेर के अन्दर पिछले तीन दिनों से इतना जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, वहां पर पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के तीन गांवों को इस राजस्थान सरकार के यू.डी.एच. डिपार्टमेंट ने....

श्री महावीर प्रसाद जैन : काहे पर बोल रहे हैं ये?

श्री अध्यक्ष : आप किस पर बोल रहे हैं अभी?

श्री विष्णु मोदी : आप एक मिनट सुन लें साहब मेरी बात। माकड़वाली, गगवाना और कायड़, यह तीन जो ग्राम पंचायतें थीं, जो ग्राम पंचायतें मास्टर प्लान के अन्दर भी थीं और 1991 के अन्दर सरकार के नोटिफिकेशन में यह था कि यह मास्टर प्लान इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 72, दिनांक 16.8.76 के द्वारा अनुसूचित अजमेर नगर क्षेत्र के लिये लागू रहेगा....

श्री अध्यक्ष : अब आप बिजली पर चर्चा करना चाहते हैं या और कोई मेरे को कोई एतराज नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मास्टर प्लान 2001 तक लागू था, जो मास्टर प्लान राजस्थान सरकार की अधिसूचना के अनुसार 2001 तक था....

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कौन सा विषय आ रहा है ?

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें ।

श्री विष्णु मोदी : जिसमें चीफ टाउन प्लानर ने यह कहकर कि जब मास्टर प्लान एक लागू है तो उसको नहीं निकाला जा सकता, इस सरकार ने यह अधिसूचना 27.9.95 को जारी कर यह अधिसूचना की है....

श्री अध्यक्ष : आप बिजली पर चर्चा कराना चाह रहे हैं या और कुछ करना चाह रहे हैं, यह बोलें न आप ?.... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : यह तीनों, अजमेर नगर में शामिल यह जो तीनों पंचायतें हैं, वह अजमेर नगर में ही शामिल कर ली गयी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के काम ये बंद करें और इससे जन आक्रोश हो रहा है उससे जनता को राहत दे ।.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष की यह मांग थी कि आज बिजली पर पहले चर्चा की जाय उसी आधार पर आज की कार्यसूची में आज का बिजनस रखने के तत्काल पश्चात् बिजली की मांग रखी गयी है ।

श्री अध्यक्ष : जैसा सदन कहेगा वैसा करूंगा मैं तो । सदन की क्या राय है ? कई माननीय सदस्य 295 रखना चाहते हैं, कई माननीय सदस्य बिजली की बात करना चाहते हैं । कल भी मैंने बिजली की चर्चा सबसे पहले रखी जैसे ही अधिसूचनाएं पटल पर रखीं आपने कहा बिजली पर चर्चा कराओ, मैंने उसी समय चालू करवा दी । अब आप क्या चाहते हैं वह मुझे बता दें आप ।

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया है । अध्यक्ष महोदय, 5 डाक्टर्स हेपेटाइटिस से मरे हैं । (व्यवधान)

श्री भीमसेन चौधरी : सरकार ने एफ. आर. दे दी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाभड़ा साहब, आप कुछ फरमा रहे थे ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मै निवेदन कर रहा था कि कल बिजनस एडवायजरी कमेटी में यही तय हुआ था कि पेपर ले डाउन करने के तुरन्त बाद बिजली पर बहस शुरू हो जाएगी और प्रशासकीय कार्य बाद में होगा । (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, 5 डाक्टर्स हेपेटाइटिस से मरे हैं । (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : केवल तीन मिनट में पेपर्स ले डाउन होंगे और बिजली पर बहस शुरू हो जाएगी ।

श्री अरुण सिंह : राजस्थान में 5 डाक्टर्स हेपेटाइटिस से मरे है यहां ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

श्री अरुण सिंह : और अभी रिसेंटली एस.एम.एस. हॉस्पिटल में एक डाक्टर हेपेटाइटिस से मरा है ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री अरुण सिंह : मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया है।....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मामला है। 5 सरकारी डाक्टर्स हेपेटाइटिस से मरे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, पेपर्स ले डाउन हो जायं उसके बाद में दूसरे सवाल नहीं लिये जायं। न 295 लिये जायं, न जीरो ऑवर लिया जाय और स्ट्रेट-वे बिजली की मांग पर चर्चा करायी जाय। इससे अच्छा होगा जिन माननीय सदस्यों को ...(व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मामला है।... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : मैं इसका विरोध करता हूं। आप पहले ले डाउन कराइये, जीरो ऑवर कराइये और 295 कराइये उसके बाद में हम रात को 12 बजे तक बैठने के लिये तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : हमारे अनुसार तो आप चलना ही नहीं चाह रहे हैं, मैं करूं क्या ? जैसा कहो वैसा करने को तैयार हूं।

श्री विष्णु मोदी : 12 बजे तक बैठने के लिये तैयार हैं, 2 बजे तक बैठने के लिये तैयार हैं। लेकिन इसके अलावा और भी ज्वलन्त समस्याएं हैं जिनका भी यहां विधान सभा में जिक्र होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकारी डाक्टर्स मर रहे हैं यहां। (व्यवधान)

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर के टाडा के मामले सरकार ने सारे मुकदमे झूठे घोषित किये लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने फर्जी मुकदमे बनाये, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मारीशस के प्रधान मंत्री राजस्थान पधारे। वे माउण्ट आबू भी गये और जैसलमेर भी गये लेकिन राजस्थान मंत्रि-मण्डल का एक भी मंत्री उनकी अगवानी के लिये नहीं पहुंचा।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, बिजली की बात हो रही है। अब अंकित नहीं करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : कोई चीज अंकित नहीं करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं हो। अब बोलो आप। आप बिजली नहीं चाहते है तो आपकी मर्जी की बात है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : बहुत जोर से बोल रहे हैं, क्या बात है आज ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(70)

श्री भीमसेन चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : परसों के रोज रख लेना। आप बिराजें, एक सैकण्ड मेरी सुन लें। कल यह बात तय हुयी थी कि पेपर ले डाउन हो जायं और उसके बाद तुरन्त बिजली की चर्चा की जाय। यदि आप सब सहमत हों, तो बिजली की चर्चा चालू करायें ले डाउन करने के बाद। (व्यवधान) आप बिराजें, आपने तो अपनी बात कह ही दी है।

श्री विष्णु मोदी : 295 पर अभी आपने व्यवस्था दी है।

श्री अध्यक्ष : 295 पढ़े हुए मान लिये जायेंगे। (व्यवधान)... बिराजें आप।

(नियम 295 के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

श्री हरिसिंह (महुआ) : नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने डीग से आने वाले माननीय सदस्य को जान से मारने की धमकी दी है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराज जायं। (व्यवधान) बिना काम के बिजली के मामले में आप बाधक क्यों बनना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा का रहा है।

श्री विष्णु मोदी : मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि बयान होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वे भी आ जायेंगे, बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : एक विधायक पर हमला हो और उसके बाद में आप उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। एक विधायक की जान पर हमला हो....

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पोली-टैकनिक कालेज के इंस्ट्रैक्टर्स और लेक्चरर्स के द्वारा आज धरना दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : × × ×

श्री अध्यक्ष : बाद में दूंगा, बिराजें आप।

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी, आप बिराज जाएं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री गोपीचन्द गुर्जर : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपके गुस्से में आपकी मूच्छें फड़फड़ाहट कर रही हैं। आप बिराज जायं। (व्यवधान) टेबिल पर दो मिनट ले डाउन तो होने दें। अभी मैं सब निपटा दूंगा, बिराजें आप। वह भी ले लूंगा। बिराजें आप।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : × × ×

श्री अध्यक्ष : हां दूंगा, आपको भी

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

दूंगा, विराजें आप । सब को दूंगा । पहले बिजली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को ले लें।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराजें ।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं आपको भी दूंगा, आप विराज जायं ।

श्री भीमसेन चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको कहा है कि दो तारीख को हो जाएगा ।

श्री भीमसेन चौधरी : × × ×

सदन पटल पर रखे गये पत्र
अधिसूचनाएं

श्री अध्यक्ष : आप बुजुर्ग हैं और सम्मानित सदस्य हैं ।

वित्त विभाग

श्री भैरोंसिंह शेखावत वित्त मंत्री (मुख्य मंत्री) : वित्त विभाग की चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे। श्री अनंग कुमार जैन ।

श्री अनंग कुमार जैन (वित्त राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या प. 4(25) वित्त/ग्रुप–4/92–पार्ट–11 दिनांक 17 अगस्त, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 विरचित किये गये हैं;

(2) अधिसूचना संख्या एफ 4(25) वित्त/ग्रुप–4/92 पार्ट 11/23 दिनांक 28 सितम्बर, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान कर बोर्ड का गठन करते हुए राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 के अधीन गठित विद्यमान विक्रय कर अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु अनुदेशित किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या एफ 4(11) वित्त/ग्रुप–4/95/13 दिनांक 7 जुलाई, 1995 एवं अधिसूचना संख्या एफ 4(40) वित्त/ग्रुप-4/95 दिनांक 1 सितम्बर, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 में संशोधन किये गये हैं; एवं

(4) अधिसूचना संख्या एफ 4(25) वित्त/ग्रुप–4/92 पार्ट–11–17 दिनांक 5 सितम्बर, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 को 1 अक्टूबर, 1995 से प्रवृत्त किये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल जी या तो बी. ए. सी. को मानिये, कानून को मानिये, व्यवस्था को मानिये, यह आपकी एक कमेटी बनी हुई है बिजनस एडवाइजरी कमेटी, उसने कुछ तय किया है उसके अनुसार कुछ तो करने दीजिये । अभी सब आ जाएगी बात ।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजनस एडवाइजरी कमेटी का सवाल है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मर्जी आवे जो आरोप लगा सकते हैं। आप खुले हुए हैं और मैं बंधा हुआ हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजनस एडवाइजरी कमेटी का सवाल है हम उसके कार्यक्रम को मान रहे हैं सिर्फ एक ही बात का आपसे आश्वासन चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि छुट्टियों के बाद यह जो काण्ड हुआ है उसके बारे में गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी आ जाएंगे, आप बिराजें। यह भी होगा, सब होगा। श्री गंगाराम जी चौधरी, राजस्व मंत्री जी। (व्यवधान)....दो मिनट में निपटने दें सब काम। (व्यवधान)

श्री गोपीचन्द गुर्जर : नहीं, फिर यह क्या मतलब हुआ? आपने कल भी मुझे मौका नहीं दिया, आज भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। यह क्या तरीका है?

उपनिवेशन विभाग

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :–

(1) अधिसूचना संख्या एफ 4(24) रेव/कोल/82 दिनांक 26 दिसम्बर, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 7 के साथ पठित धारा 28 के द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत भूमि आबंटन के विभिन्न नियमों की अनुसूची में संशोधन किये गये हैं; एवं

(2) अधिसूचना संख्या एफ 4(2) कोल/92 दिनांक 11 अक्टूबर, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान उप निवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन और विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने 295 पढ़े हुए मान लिये वैसे ही इनके पत्र भी टेबिल पर रखे हुए मान लिये जायं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का समय लगेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : जब आपने 295 जैसे महत्वपूर्ण इश्यू को पढ़ा हुआ माना तो सरकार के जितने भी पेपर्स हैं, सब को टेबिल पर रखा हुआ मान लिया जाय। यह मेरा प्रस्ताव है आपके सामने।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में हो जाएगा, आप बिराजें। (व्यवधान) आप बोलिये। श्री सुजानसिंह यादव।

सहकारिता विभाग

श्री सुजानसिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 18(4) कोष/94 दिनांक 23–3–1995 जिसके द्वारा राजस्थान सिविल

(श्री सुजान सिंह यादव)

सेवा (शीर्ष सहकारी संस्थाओं और जिला स्तरीय बैंकिंग/थोक उपभोक्ता और विपणन सहकारी संस्थाओं के लिये मुख्य कार्यपालकों कार्यपालक अधिकारियों के विशेष चयन और चयन के लिये सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 1995 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रोहिताश्व कुमारजी।

परिवहन विभाग

श्री रोहिताश्व (यातायात राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

(1) अधिसूचना संख्या परि/रूल्स/च 3 (3)(1)/86 दिनांक 17 मई, 1995 एवं अधिसूचना संख्या प 7(2) परि/रूल्स मु./98-90 दिनांक 26 जुलाई, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1998 में संशोधन किये गये हैं; एवं

(2) अधिसूचना संख्या परि/प.66(1) कर/87 दिनांक 17 अक्टूबर, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं एवं अध्यापक/अध्यापिकाओं को शैक्षणिक भ्रमण हेतु अनुबन्धित की गयी एक बस को कर मुक्त किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल गृह मंत्री जी।

प्रतिवेदन

टिबरेवाल आयोग का जांच प्रतिवेदन एवं राज्य सरकार का कार्यवाही ज्ञापन

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप धारा 4 के अन्तर्गत टिबरेवाल आयोग का जांच प्रतिवेदन एवं उस पर राज्य सरकार का कार्यवाही ज्ञापन; एवं

(2) जयपुर शहर में दिनांक 7 दिसम्बर, 1992 को हुए दंगों का प्रशासनिक जांच प्रतिवेदन मय राज्य सरकार का कार्यवाही ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नरेन्द्र कंवर।

राजस्थान पर्यटन नीति, 1995

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (पर्यटन राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पर्यटन नीति, 1995 सदन की मेज पर रखती हूं।

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन, कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कार्य सलाहकार समिति का चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। कार्य सलाहकार समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय, के वेश्म में दिनांक 30 अक्टूबर, 1995 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे हुयी। समिति ने अपने तेरहवें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 31 अक्टूबर, 1995 से 3 नवम्बर, 1995 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के बारे में विचार विमर्श कर सिफारिश करती है कि

(74)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

समय का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय :–

मंगलवार, दिनांक 31 अक्टूबर, 1995 :

1– राज्य में विद्युत समस्या पर विचार।

2– राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार एवं पारण।

3– राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार एवं पारण।

बुधवार, दिनांक 1 नवम्बर, 1995 :

1– अनुपूरक अनुदान मांगें वर्ष 1995–96 एवं इससे सम्बन्धित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण।

2– राज्य में अकाल एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर विचार।

गुरुवार, दिनांक 2 नवम्बर, 1995 :

1– राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1995

2– भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1995, एवं

3– राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1995, पर विचार एवं पारण।

4– राजस्थान में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर विचार।

शुक्रवार, दिनांक 3 नवम्बर, 1995 :

1– शासकीय विधायी कार्य

2– गैर सरकारी कार्य दिवस।
(समय 2.30 घंटे)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रदान करता है।....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन....

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक बात है। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर कोई आपत्ति नहीं होती है लेकिन यह कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन एक तरफा है। हमें तो इसमें एसोसिएट नहीं किया गया था। सत्तापक्ष ने ही अपना कार्यक्रम तैयार किया है। इसमें और संशोधन की आवश्यकता है। आज आपने बिजली के साथ में दो बिल और संकलित किये हैं। एक है लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का और दूसरा है कोलोनाइजेशन का। यह लैण्ड रेवेन्यू एक्ट वाला बड़ा संशोधन है, इतना व्यापक है इस पर विस्तृत बहस होगी। यही पोजिशन कोलोनाइजेशन एक्ट की है। बिजली वाला इश्यू तो इतना इम्पार्टेंट है कि जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। अब आज ये तीनों एक साथ ले लिये गये तो कल सुबह तक बहस इन पर पूरी नहीं होगी। इसलिये आज आप इन दोनों बिलों को हटाइए और सिर्फ बिजली को चर्चा के लिये रखिये। मैं नहीं कहता कि अभी आप कोई व्यवस्था दे दें लेकिन मेरा आपको सुझाव है कि इनको आप आगे ले जाइए। सुविधानुसार दुबारा बी.ए.सी. की

(श्री रामनारायण चौधरी)

मीटिंग बुला लीजिए। जिससे दूसरे लोगों का भी उसमें अपनी राय देने का दखल होगा। कल हश-अप में जल्दी-जल्दी बुला ली....

श्री अध्यक्ष : तीन तारीख को भी देखेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : और वह पूरी कर दी हम पहुंचे नहीं इससे पहले ही मीटिंग खतम हो गयी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये दोनों एक्ट बाद वाले हैं, भू-राजस्व और कोलोनाइजेशन, ये दोनों बड़े संशोधन हैं। संशोधन छोटे हैं लेकिन उनका असर व्यापक है। क्योंकि पूरे लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के ऊपर बहस होगी और कोलोनाइजेशन के ऊपर पूरी बहस होगी। इसलिए इनमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिये। जितना बिजली पर समय लगेगा उससे कम इसमें नहीं लगेगा। आपसे प्रार्थना है कि आज सिर्फ बिजली के ऊपर ही बहस करायी जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

याचिकाओं का उप-स्थापन। श्री रामनारायणजी मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित तीन याचिकाएं उप-स्थापित करता हूं : (व्यवधान)

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, सहमति तो हो गयी। रामनारायणजी ने जो कहा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह कर लेंगे। (व्यवधान) अभी बिजली पर करनी है। इसलिए बिजली की तरह काम करना है अभी। (व्यवधान) बिजली 136 किलोमीटर प्रति सैकण्ड से जाती है।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, क्या बिजली पर बहस रात को शुरू करेंगे? जब हाउस की समाप्ति का समय आ जाएगा। (व्यवधान) आप मेहरबानी करके बिजली पर बहस शुरू करायें।

श्री अध्यक्ष : बिजली पर कर रहे हैं ना। (व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : यदि हाउस अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं तो हम आपको सहयोग देंगे। बिजली पर आज बहस कीजिए। (व्यवधान) अन्यथा वह कल वाली स्थिति पुनः उत्पन्न होगी।

श्री अध्यक्ष : बिजली पर कर रहे हैं ना। (व्यवधान) बिजली पर कर रहे हैं। मैं तो चालू कर रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : स्थिति कोई भी उत्पन्न हो।

डा. हरिसिंह : अभी तो बिजली पर है लेकिन जो सुझाव रामनारायणजी ने यहां दिया है (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : विद्युत पर विचार होगा। (व्यवधान) 3 घंटे इसमें दिये गये हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक्ट पर बाद में चर्चा होगी। (व्यवधान)

डा. हरिसिंह : अध्यक्ष ने कहां कहा कि मैं इस पर विचार कर लूंगा। (व्यवधान) अध्यक्षजी, आपने यह सब कहा कि मैं इस मामले पर विचार करूंगा ?

श्री शीशराम ओला : यह आपका आदेश है कि अध्यक्षजी का ?

डा. हरिसिंह : आप कम से कम आश्वासन तो देते रामनारायणजी ने जो बात कही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विचार करेंगे, कह दिया मैंने।

डा. हरिसिंह : यह बनी ना कुछ बात।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित तीन याचिकाएं उप-स्थापित करता हूं :—

(1) उच्च प्राथमिक विद्यालय, गुढ़ा-देवजी, जिला बूंदी को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत, 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित;

(2) अलकोडिया माइनर की चैन 0 से 56 तक डामर सड़क निर्माण करने बाबत, 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित; एवं

(3) ग्राम देलपुरा (बूंदी) तक सम्पर्क सड़क निर्माण करवाने बाबत, 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री अध्यक्ष : विद्युत समस्या पर विचार होगा। उसमें तीन घंटे का समय फिलहाल तय किया है। (व्यवधान) आप आगे बढ़ाना चाहेंगे, बढ़ा देंगे। (व्यवधान) मेरा पूरा अर्थ समझ लें।

श्री रामनारायण चौधरी : बिजली पर समय का कोई महत्व नहीं है। इसमें आज पूरे दिन, होल डे विचार होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण मुद्दे पर समय की पाबन्दी नहीं लगायी जाय। पूरे राजस्थान का सवाल है, राजस्थान के भविष्य का सवाल है (व्यवधान) उस पर समय की पाबन्दी नहीं लगायी जाय।

श्री शीशराम ओला : किसान के दुःख-दर्द की बात है इसमें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरकार तो +++ होती जा रही है।....

श्री अध्यक्ष : आप प्रारम्भ तो करें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय सरकार तो +++ होती जा रही है और आप कठोर होते जा रहे हैं। आसन कठोर होता जा रहा है। ऐसी

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण चौधरी)

हालत के अन्दर जब आसन कठोर होगा तो प्रतिपक्ष की बात कैसे फेस होगी। प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का मौका कब मिलेगा। मान्यवर, आपको तो उदार होना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। बहुत उदार हूं, मैंने तो कल भी बहुत तसल्ली से सुना। मैंने तो....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : प्रतिपक्ष के प्रति उदार होना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है। आसन की जिम्मेदारी है कि सदन सुचारू रूप से चले। सत्तापक्ष की तो इच्छा है कि ठीक नहीं चले, दिन भर हंगामा होता रहे। ये भाग जायं यहां से कुछ न कुछ बहाना लेकर के ये भागना चाहते हैं। कल ये साइने-डाइ एडजोर्न करना चाहते थे...

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिलकुल नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, आसन का उत्तरदायित्व है कि वह सदन के सुचारू संचालन में प्रतिपक्ष का सहयोग ले और उदारता का परिचय दे।

श्री अध्यक्ष : बहुत उदारता से आप देख लेना अभी (व्यवधान)....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सत्तापक्ष हाउस चलाना चाहता है। हम चाहते हैं कि आप बिजली पर बहस शुरू करिये। समय की पाबन्दी अध्यक्षजी ने लगायी है लेकिन जो बोलना चाहेंगे सभी को उत्तर मिलेगा। आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : और समय बढ़ा देंगे। (व्यवधान) कितनी दफा कह दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : श्रीमान्, तीन घंटे से क्या होगा। तीन घंटे में क्या शुरू करें, क्या खतम करें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप शुरू तो करिये। बोलते रहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री पूनमचन्दजी विश्नोई।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : यह अब बहस शुरू हो रही है। आप मर्जी आये उतनी देर करना, आप बिराजो तो सही।

श्री रिछपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक अनुसूचित जाति की महिला (व्यवधान) मैं बात कहूंगा मेरी....

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा वक्तव्य होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह परसों बोल देना। अभी थोड़ी देर बाद देख लेंगे और। (व्यवधान) अभी बिजली पर होने दो। सारे लोग बिजली के बारे में कह रहे हैं। अब आप मिर्धाजी खड़े हो रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह : आपने कहा था, हम खड़े हो रहे हैं। लिख कर दिया है। वह स्लिप दी है।...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : ऑन ए पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन। अध्यक्ष महोदय,

(श्री रामनारायण मीणा)

ऑन ए पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन। आसन से निवेदन करूंगा। मेरे पास ऐसी सूचनाएं हैं, जिनको मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। मुझे मौका दिया जाए।.... (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। बाद में कह देना आप। बिराजें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि पहले आप वक्तव्य देंगे।

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य दे लीजिये।

राज्य में विद्युत की स्थिति पर चर्चा

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पिछले कई वर्षों से चली आ रही ऊर्जा की कमी एवं इसको दूर करने के लिये समय-समय पर किये गये प्रयासों से सदन भलीं-भांति परिचित है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किये गये चौदहवें विद्युत सर्वेक्षण एवं उसके बाद के अनुमानों के अनुसार वर्ष 1994–95 से वर्ष 1999–2000 तक राज्य में औसतन पीक डिमाण्ड की लगभग 45 प्रतिशत एवं ऊर्जा की लगभग 40 प्रतिशत कमी आंकी गयी। वर्ष 1994–95 में राज्य में विद्युत की कमी का मुख्य कारण आर.ए.पी.पी. यूनिट फर्स्ट, सौ मेगावाट का दिनांक 12.2.1994 से एवं आर.ए.पी.पी. यूनिट सैकण्ड, दो सौ मेगावाट का दिनांक 1.8.1994 से अनिश्चित काल के लिये बन्द होना रहा है। अगले 3–4 वर्ष तक इनके ठीक होने की सम्भावना नहीं है। कोटा यूनिट पांच, 210 मेगावाट को हर सम्भव प्रयास कर मार्च, 1994 में सिन्क्रोनाइज किया गया था। फिर भी इस इकाई में परीक्षण के दौरान नवम्बर, 1994 में तकनीकी खराबी के कारण 1994–95 में उत्पादन नहीं हो सका। इस इकाई का जनरेटर हरिद्वार से मरम्मत होने के बाद माह अप्रेल में कोटा पहुंच गया था। इसे पुनः स्थापित कर माह जून, 1995 से उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है।

उपरोक्त आकस्मिक कठिनाइयों के बावजूद राज्य सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार अधिक से अधिक विद्युत उपलब्ध करायी जाय। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रयास कर राज्य को केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत गृहों से 250 मेगावाट विद्युत सप्लाई दिनांक 1 अप्रेल, 1994 से, 200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली सप्लाई 1 सितम्बर से, एवं 135 मेगावाट विद्युत दिनांक 15.3.1995 से आबंटित करवाई।

इन सबके अतिरिक्त पड़ौसी राज्यों से एवं केन्द्रीय सरकार के संयंत्रों से, जहाँ से सम्भव हुआ अधिक दर पर भी अतिरिक्त विद्युत क्रय कर राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं की मांग को पूरा किया गया। यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि उपरोक्त विपरीत परिस्थितियों में भी राज्य में विद्युत आपूर्ति वर्ष 1994–95 में वर्ष 1993–94 से लगभग 7 प्रतिशत अधिक रही। वर्ष 1995–96 में कोटा यूनिट, पांच के चालू होने से यद्यपि 210 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध हुई है। फिर भी समग्र रूप

(79)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

से बिजली की कमी ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसा इसलिए है कि राज्य में विद्युत की मांग प्रतिवर्ष 250 से 300 मेगावाट की बढ़ जाती है। वर्ष 1994–95 के अन्त में राज्य में कुल उपलब्ध स्थापित क्षमता 3630 मेगावाट थी, इसमें से आर.ए.पी.पी. को 300 मेगावाट क्षमता अभी उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार सलाल एवं चमेरा पन विद्युत गृहों से राज्य में आबंटित 76 मेगावाट विद्युत विभिन्न कारणों से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस प्रकार राज्य में उपलब्ध कुल स्थापित क्षमता 3254 मेगावाट बनती है। इसके अलावा यह आवश्यक है कि अन्ता, औरेया और दादरी गैस सब-स्टेशनों को समुचित मात्रा में गैस की उपलब्धि हो एवं कोटा थर्मल और अन्य थर्मल स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति में कोई कमी नहीं हो और अपनी क्षमता के अनुसार पूर्ण उत्पादन करे। वर्ष 1995–96 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पन्द्रहवें सर्वेक्षण के आधार पर राज्य में विद्युत की मांग 3475 मेगावाट एवं 19743 मिलियन यूनिट आंकी गयी है। उपरोक्त मांग एवं उपलब्धि के अन्तर को यथा-सम्भव कम करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में एवं राज्य के बाहर स्थापित पन विद्युत गृहों से उपलब्ध विद्युत का पूरा उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार कोटा तापीय विद्युत गृह से अधिक से अधिक उत्पादन किया जा रहा है, इसके लिये समुचित कोयले की आपूर्ति अपेक्षित है। जहां तक कोयला व माल भाड़े के भुगतान का प्रश्न है, कोल इंडिया की तीनों कम्पनियों के हक में विद्युत-मण्डल ने लैटर आफ क्रेडिट खोल रखा है तथा समय पर भुगतान किया जा रहा है। इसके साथ ही मण्डल द्वारा रेलवे को तीन सप्ताह के माल भाड़े का अग्रिम भुगतान किया हुआ है। यह सब कोटा थर्मल स्टेशन को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किया गया है।

राज्य में उपलब्ध कुल क्षमता 3630 मेगावाट में से स्वयं द्वारा संचालित क्षमता लगभग 1/3, 1151 मेगावाट ही है। विद्युत की अतिरिक्त आपूर्ति के लिये राज्य सरकार कुछ अल्पकालीन, 100 करोड़ रुपये से कम लागत की योजनाएं निजी क्षेत्र में देने पर विचार कर रही है। इन योजनाओं के तहत राज्य में विभिन्न स्थानों पर 25–30 मेगावाट क्षमता के विद्युत गृह प्रस्तावित है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त योजनाओं के तहत अतिरिक्त विद्युत क्षमता 20 महीनों में उपलब्ध हो सकेगी। इसी प्रकार कई लिग्नाइट व सामान्य कोयले पर आधारित, सौर ऊर्जा पर आधारित एवं 100 मेगावाट की हैवी डिस्टिलेट पर आधारित योजनाएं भी निजी क्षेत्र में प्रस्तावित हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर ली गयी है व उपयुक्त परिस्थितियों का चयन शीघ्र ही कर लिया जाएगा।

वर्तमान में राज्य की अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति के लिए मुख्यतया केन्द्रीय विद्युत गृहों पर एवं पंजाब पर निर्भर रहना पड़ता है। इन विद्युत गृहों में अन्ता, औरैया एवं दादरी गैस विद्युत गृहों से विद्युत की उपलब्धि गैस आयल की आपूर्ति पर निर्भर करती है। उपरोक्त गैस स्टेशनों को पूरी क्षमता से चलाने हेतु प्रतिदिन 9.3 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आवश्यकता होती है जबकि आम तौर पर 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस ही उपलब्ध हो पाती है। उपरोक्त गैस की कमी को ध्यान में

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

रखते हुए नेशनल थर्मल पावर कम्पनी द्वारा दादरी गैस स्टेशन को एच.एस.डी. से चलाने हेतु व्यवस्था की गयी है, पर इसके लिये आवश्यक मात्रा में एच.एस.डी. उपलब्ध नहीं हो रही है। इसी प्रकार अन्ता एवं औरैया को हेवी डिस्टिलेट से चलाने की व्यवस्था की गयी है, परन्तु उपरोक्त स्टेशनों पर हैवी डिस्टिलेट आयल की समुचित उपलब्धि एवं भण्डारण की व्यवस्था नहीं की गयी है। यद्यपि, पंजाब के रोपड़ एवं गुरुनानक विद्युत गृहों में अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है, पर कोयले की समुचित आपूर्ति के अभाव में इन विद्युत गृहों से अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। केन्द्रीय विद्युत गृहों से पूरी विद्युत उपलब्ध नहीं होने पर अथवा इसमें कोई व्यवधान आने पर राज्य में विद्युत संकट गम्भीर हो जाता है। पड़ौसी राज्यों से भी विद्युत की उपलब्धि पीक आवर्स में नहीं हो पाती है। अतः मांग को अधिकाधिक पूरा करने हेतु यह आवश्यक है कि विद्युत की मांग पर समुचित नियंत्रण किया जाए एवं अधिक से अधिक विद्युत का उपयोग पीक आवर्स के किया जाय। राजस्थान में वर्ष 1995-96 में 17684 मिलियन यूनिट विद्युत आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। यह वर्ष 1994–95 के लक्ष्य के लगभग दस प्रतिशत अधिक है। 1 अप्रेल, 1995 से सितम्बर, 1995 तक राज्य में विद्युत की उपलब्धि 8215 मिलियन यूनिट रही जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में विद्युत की उपलब्धि 7217 मिलियन यूनिट थी। इसी प्रकार वर्ष 1995–96 के पहले छह माह में 1994–95 की तुलना में विद्युत उपलब्धि लगभग 13.83 प्रतिशत अधिक रही। विद्युत-मण्डल का यह सतत् प्रयास रहा है कि राज्य में विद्युत की उपलब्धि अधिक से अधिक रहे। वर्ष 1995–96 के पहले छह महीनों में उत्तरी ग्रिड एवं पड़ौसी राज्यों से 4503 मिलियन यूनिट विद्युत क्रय की गयी जो कि गत वर्ष की इस अवधि में क्रय की गयी विद्युत से 37 प्रतिशत अधिक थी। इसी प्रकार विद्युत मण्डल को पहले छह महीनों में 485 करोड़ रुपये विद्युत खरीदने पर खर्च करने पड़े जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में विद्युत खरीदने पर किये गये खर्च से 56.45 प्रतिशत अधिक था।

कृषि की आवश्यकता के कारण रबी मौसम में विद्युत की मांग प्रायः हर वर्ष ही बहुत अधिक बढ़ जाती है। विद्युत की मांग और आपूर्ति में अन्तर के कारण न केवल किसानों व उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बल्कि राज्य विद्युत मण्डल को भी अत्यधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। राज्य में विद्युत की आपूर्ति हेतु वर्ष 1994-95 में विद्युत मण्डल को विभिन्न स्रोतों से लगभग 8109 मिलियन यूनिट बिजली खरीदनी पड़ी एवं लगभग 859 करोड़ रुपये की लागत आयी जबकि वर्ष 1995-96 में करीब 9074 मिलियन यूनिट की खरीद होने की सम्भावना है और यह खरीद के पेटे 1058 करोड़ रुपये के भुगतान का अनुमान है। इसी प्रकार 1995-96 में विद्युत की खरीद पर विद्युत मण्डल को 199 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को भली-भांति विदित है, इस वर्ष कोयले, रेल-भाड़ा व ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त अन्य सामग्री के

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

दामों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा डेप्रिशिएशन चार्जेज की दरों में बढ़ोतरी, ब्याज हेतु देय राशि में वृद्धि एवं महंगी बिजली खरीदने के कारण बिजली बोर्ड के बजट पर काफी प्रतिकूल असर होगा। उपरोक्त कारणों की वजह से उपभोक्ताओं को बिजली पहुंचाने की औसत लागत बढ़ कर 1.81 पैसे पर पहुंच गयी। इसके विपरीत जो औसतन दर बिजली बोर्ड को उपभोक्ताओं से प्राप्त होती है, वह मात्र एक रुपया पचास पैसे है, अर्थात् प्रत्येक बिजली की यूनिट, जो राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल उपभोक्ताओं को देता है, उस पर उसे लगभग 31 पैसे प्रति यूनिट का नुकसान होता है, जो कि लगभग 13381 मिलियन यूनिट के कुल वितरण को देखते हुए वर्ष भर में 414.81 करोड़ रुपये होगा। राज्य में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध साधनों में वृद्धि हेतु निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :–

राज्य में स्थापित कोटा तापीय विद्युत गृह से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु हर-सम्भव प्रयास किये गये हैं। वर्ष 1992-93 में कोटा तापीय विद्युत गृहों में प्लांट लोड फैक्टर 77 प्रतिशत था तथा यह विद्युत गृह सारे देश में द्वितीय स्थान पर था। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि कोटा तापीय विद्युत गृह में वर्ष 1993-94 का प्लांट का लोड फैक्टर 81 प्रतिशत था जो कि अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। वर्ष 1994-95 का प्लांट लोड फैक्टर भी 75.60 प्रतिशत रहा।

राज्य सरकार के विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने राज्य को केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत गृहों से 250 मेगावाट विद्युत सप्लाई 1 अप्रेल, 1994 से, 200 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत सप्लाई 1 सितम्बर, 1994 से एवं 135 मेगावाट विद्युत 16.3.1995 से राजस्थान को आबंटित की।

राज्य में लघु पन विद्युत परियोजनाओं के अन्तर्गत आर.एम.सी. माही विद्युत गृह प्रथम 0.8 मेगावाट क्षमता का अप्रेल, 1995 में कमीशन कर दिया गया है। रामगढ़ गैस तापीय परियोजना के तहत 3 मेगावाट की गैस पर आधारित इकाई को 15.11.1994 को चालू कर दिया गया था, परन्तु टरबाइन स्किड्स में खराबी से यह इकाई बन्द हो गयी थी जिसे पुनः 19.4.1995 से चालू कर उत्पादन शुरू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त गैस तापीय परियोजना के तहत रामगढ़ में एक 35.5 मेगावाट की इकाई पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। यह इकाई वर्ष 1995-96 में चालू कर दी जाएगी। राज्य सरकार पैट्रोलियम मंत्रालय से अतिरिक्त गैस आबंटन के लिये आग्रह कर रही है जिसमें 35.5 मेगावाट की तापीय गैस टरबाइन लगायी जा सके और इसका तुरन्त लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि गैस टरबाइन जस्टेशन पीरियड 14 से 16 माह ही है।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त सूरतगढ़ तापीय परियोजना जिसमें कि 250 मेगावाट की इकाइयां स्थापित होनी हैं, उनमें से प्रथम इकाई पर कार्य चालू है। उक्त विद्युत गृह की प्रथम इकाई वर्ष 1997 में चालू किया जाना प्रस्तावित है। द्वितीय इकाई का आशय पत्र भी मैसर्स बी.एच.ई.एल. को माह अगस्त, 1994 में दे दिया

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

गया था, परन्तु संसाधनों की कमी के कारण इस इकाई पर अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पायी है। औद्योगिक इकाइयों को स्वयं के विद्युत गृह लगा लेने के लिए नियमों में उचित संशोधन किया है जिससे कि प्रदेश में विद्युत स्थिति में सुधार हो सके। इस प्रकार के केप्टिव पावर प्लांट की सरप्लस ऊर्जा विद्युत मण्डल उचित दर पर खरीद सकेगा।

राज्य में विद्युत की मांग लगभग 250 से 300 मेगावाट प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही हैं। 1995-96 में रामगढ़ गैस विद्युत गृह से 35.5 मेगावाट का योगदान होगा। इस कारण आगे आने वाले वर्षों में उत्तर क्षेत्र ग्रिड व पश्चिमी क्षेत्र ग्रिड पर निर्भरता बढ़ेगी। पश्चिमी क्षेत्र में महंगी दरों की सरप्लस विद्युत प्राप्त करने के लिए नयी संचारण लाइनें बिछाने पर विचार किया जा रहा है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है कि विद्युत की उपरोक्त कमी को पूरा करने के लिए सरकार विभिन्न अल्पकालीन व दीर्घकालीन योजनाओं पर विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त राजस्थान अणु विद्युत गृह की तीसरी व चौथी इकाई से भी राज्य को अधिक से अधिक विद्युत आबंटित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। नवीनतम अनुमानों के आधार पर आर.ए.पी.पी. की तीसरी इकाई माह जनवरी, 1997 में एवं चौथी इकाई से माह जुलाई, 1997 से उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने कम समय में चालू होने वाली परियोजनाएं, जिनकी कुल लागत 100 करोड़ से कम है, की निजी क्षेत्र में निविदाएं आमंत्रित की हैं। इन लघु विद्युत गृहों को स्थापित करने के लिये भारी उत्साह देखा गया है तथा अभी तक 105 भावी उद्यमियों ने रुचि दिखाई है। निविदाएं प्राप्त होने की अंतिम तारीख 31.10.1995 निर्धारित की है।

उपरोक्त योजनाओं के तहत 25 से 30 मेगावाट क्षमता के विद्युत गृह राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किये जा सकेंगे। इस प्रकार की योजनाओं से 16 से 20 माह में उत्पादन उपलब्ध हो सकता है। इस प्रकार राज्य सरकार ने अलवर, भिवाड़ी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व आबू रोड पर हैवी डिस्टिलेट पर आधारित 75 से 100 मेगावाट क्षमता के विद्युत गृहों की स्थापना करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं।

उपरोक्त योजनाओं के विभिन्न पहलुओं पर पार्टियों से विस्तार से विचार-विमर्श किया जा चुका है एवं अन्तिम मूल्य निविदाएं प्रस्तुत करने की तारीख 10.11.1995 निर्धारित की है। उक्त निविदाओं का मूल्यांकन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल एवं ई.आई.एल. द्वारा किया जाएगा। अपेक्षा की जाती है कि निविदाओं के मूल्यांकन का कार्य नवम्बर, 1995 तक पूरा कर लिया जाएगा। इन योजनाओं से 20 से 24 माह में उत्पादन मिलने की सम्भावना है।

उपरोक्त अल्पकालीन योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में लिग्नाइट, सामान्य कोल एवं सौर ऊर्जा पर आधारित योजनाओं पर भी जोर दिया है।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

इन परियोजनाओं की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

बरसिंगसर लिग्नाइट खनन एवं उत्पादन परियोजना : 240 मेगावाट के दो प्लांट राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य माइन्स एवं मिनरल लिमिटेड के माध्यम से लिग्नाइट पर आधारित बरसिंगसर विद्युत गृह की स्थापना हेतु अन्तरराष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की हैं। निविदाकर्ताओं से राज्य सरकार, राज्य विद्युत मण्डल, आर.एस.एम.एम.एल. एवं ई.आई.एल के प्रतिनिधियों के विस्तार से विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया है तथा पावर परचेज एग्रीमेंट और इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट को अंतिम रूप देकर विभिन्न पार्टियों को भेज दिया गया है। अंतिम मूल्य निविदाएं प्रस्तुत करने के लिये 31.10.1995 निर्धारित की है। यह आशा की जाती है कि माह नवम्बर, 1995 के अंत तक परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक पार्टी का चयन कर लिया जाएगा।

जालिपा-कपूरड़ी लिग्नाइट खनन एवं विद्युत उत्पादन परियोजना : उपरोक्त योजना के तहत कपूरड़ी पर 250 मेगावाट के दो एवं जालिपा पर 250 मेगावाट के चार, लिग्नाइट खनन एवं विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिये निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं। 11 ख्याति प्राप्त पार्टियों ने अपनी निविदाएं दी थीं जिनका मूल्यांकन किया जाकर 6 चयनित पार्टियों को आर.एस.पी. दस्तावेज भेज दिये हैं। निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 1995 निर्धारित की गयी है।

सूरतगढ़ द्वितीय चरण : सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह के द्वितीय चरण में 250 मेगावाट की दो इकाइयां लगाना प्रस्तावित है। इसके लिये राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में निर्माण, स्वामित्व, परिचालन एवं संधारण के आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। योग्यता के लिए आवेदन-पत्र हेतु 14 निविदाएं प्राप्त हुई थीं तथा 6 पार्टियों का चयन किया गया। मूल्य निविदाएं 28.9.1995 को खोली गयीं, जबकि दो पार्टियां मैसर्स स्मिथ एण्ड विलकिनसन तथा मैसर्स बी.एस.ई.एस. से निविदाएं प्राप्त हुई हैं जो कि 28.9.1995 को खोली गयीं। उपरोक्त निविदाओं का मूल्यांकन राज्य विद्युत मण्डल एवं मैसर्स ई.आई.एल. द्वारा किया जा रहा है। यह आशा की जाती है कि माह नवम्बर, 1995 के अंत तक परियोजना के लिये एक प्रयोजक का चयन कर लिया जाएगा।

माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले एक वर्ष के दौरान काफी प्रगति की गयी है। माननीय सदस्यों को ज्ञात है ही है कि जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर सौर ऊर्जा की उपलब्धता देश में सर्वाधिक है। राज्य सरकार सौर ऊर्जा के असीमित साधन के व्यवहारिक उपयोग हेतु लंबे समय से प्रयत्नशील है 1 अप्रेल, 1995 में भारत सरकार के गैर परम्परागत मंत्रालयों को एक अमेरिकन कम्पनी "एमको 'एनरान" मे सोलर फोटो वोल्टेक तकनीक पर आधारित सौर ऊर्जा पावर हाउस....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एनरान महाराष्ट्र वाली है क्या ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : वही है।

श्री परसादी लाल मीणा : अपना सौदा हो गया उनसे ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हां, हो गया।....(व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह 'एमको एनरान' है ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह वही एनरान है लेकिन आप पहले एक बार पूरी सुन लीजिए उसके बाद आप बोलना। धारीवालजी, आपको बीच-बीच में खड़ा होने का मर्ज क्या हो गया है ?....(व्यवधान)... आप सुन तो लो। नहीं किया उनसे सौदा। वह तो महाराष्ट्र के लिये छोड़ रखीं है हमने। आप तो यहां बैठे हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो सौदे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में सिर्फ 'एनरान' थी और यहां "एमको एनरान" है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह दो कम्पनिया हैं, एमको और एनरान दो कम्पनियां हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अच्छा, एक के बजाय दो कर दिया मामला ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हां।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : खुशखबरी सुना रहा हूं, प्रसन्न होना चाहिये। देखिये, माननीय सदस्य....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : सुनाइये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अमेरिकन कम्पनी एमको एनरान से सोलर फोटो वोल्टेक तकनीक पर आधारित सौर ऊर्जा पावर हाउस स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। यह मेमो ऑफ अंडरस्टेंडिंग के आधार पर होना था पर यह प्रक्रिया राज्य सरकार की घोषित नीति व पारदर्शिता सिद्धान्त पर खरी नहीं उतरती थी अतः हमने ऊर्जा के दोहन के लिये अगस्त, 1995 में अन्तरराष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित कीं। विज्ञापन के अलावा इन निविदाओं की जानकारी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी 29 देशों के दूतावासों व उच्च आयोगों को भी भेजी गयी। निर्धारित तिथि 30 सितम्बर को धरोहर राशि के साथ पांच निविदाएं प्राप्त हुईं। समीक्षा के आधार पर मैसर्स एनर्जन इण्टरनेशनल कंसोरिटियम की दर न्यूनतम पायी गयी। इन कंसोरिटियम में जर्मनी की ब्लेक वर्गर मैन, श्री लंका की इनर्जन इण्टरनेशनल तथा भारत की सरतनवाल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड भी सदस्य है। राज्य सरकार इस कम्पनी को 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा पर आधारित संयंत्र स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने पर विचार कर रही है तथा कंसोरिटियम से निर्णायक... (व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : कितने समय से विचार कर रही है ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अभी आपको बताऊंगा। यह 15 अगस्त, 1995 को हमने एडवरटाइजमेंट किया था और हम इस नवम्बर में फाइनल कर देंगे। यदि इतना फास्ट काम कहीं हुआ हो, हिन्दुस्तान भर में एक उदाहरण आप बता दें (व्यवधान) विज्ञापन के अलावा इन निविदाओं की

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

जानकारी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी 29 देशों के दूतावासों व आयोगों को भेजी गयी....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो पढ़ दिया !

श्री रघुवीर सिंह कौशल : निर्णायक दौर की बातचीत चल रही है । मुझे विश्वास है कि यह आशय पत्र हफ्ते दस दिन में जारी कर दिया जाएगा । कम्पनी द्वारा अगले पांच वर्षों में 200 मेगावाट की क्षमता प्राप्त करने का प्रस्ताव है । यह परियोजना जोधपुर, जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्रों में प्रस्तावित सोलर एनर्जी एन्टर-प्राइजेज जोन क्षेत्र की प्रथम परियोजना होगी । मैं इस सदन को व प्रदेश की जनता को यह शुभ सूचना देते हुए आशा करता हूं कि सौर ऊर्जा का लाभ प्रदेश की जनता को शीघ्र मिलना शुरू हो जायेगा ।

श्री रामनारायण चौधरी : 2 मेगावाट ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : 200 मेगा-वाट ।....(व्यवधान)

धौलपुर तापीय विद्युत परियोजना : माननीय, मैसर्स आर.पी.जी. एन्टर–प्राइजेज से सी.एफ.वी. टैक्नोलोजी पर आधारित 700 मेगाघाट क्षमता का परि-योजना प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था । इस पर पर्यावरण स्वीकृति व केन्द्रीय विद्युत प्राधि-करण की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्राप्त हुई है । परन्तु एम.आर.पी.जी. ने अब नेफ्था पर आधारित 770 मेगावाट क्षमता का गैस विद्युत गृह लगाने का प्रस्ताव किया है जिसका परियोजना प्रतिवेदन अपेक्षित है । मैसर्स आर.पी.जी. ने 50 लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करा दी है ।

सीपा (कंसोलिडेटेड इलैक्ट्रिक पावर एशिया लिमिटेड) : कंसोलिडेटेड इलै-क्ट्रिक पावर एशिया लिमिटेड, हांग-कांग, जो कि होप वेल होल्डिंग लिमिटेड की एक शाखा है, ने हीरमा, उड़ीसा में 660 मेगावाट का क्षमता का सोलर प्लांट विद्युत परियोजना स्थापित करने का आशय प्रकट किया है । भारत सरकार व सीपा के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं । परियोजना के प्रथम चरण की क्षमता 3300 मेगावाट है जिससे विद्युत की उपलब्धि राजस्थान को 1200 मेगावाट, पंजाब को 800 मेगावाट व गुजरात को 1300 मेगावाट इंगित की गयी है ।

मुख्य सचिव एवं सीपा के प्रतिनिधियों के मध्य हाल ही में एक बैठक दिल्ली में आयोजित की गयी थी जिसमें विद्युत मंत्रा-लय के संयुक्त सचिव व ऊर्जा सचिव, राज-स्थान ने भी भाग लिया । मुख्य सचिव ने सुझाव दिया कि विद्युत मंत्रालयों को सम्ब-न्धित राज्यों के ऊर्जा सचिवों एवं विद्युत मण्डल के अध्यक्षों की तुरन्त एक बैठक बुलानी चाहिये जिससे कि एक समान विचार बनाया जा सके ।

सीपा के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने विद्युत मंत्रालय को विद्युत दरों के विभिन्न विकल्प दिये हैं जिन पर विभिन्न

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

राज्य सरकारों के विद्युत मंडलों द्वारा विचार किया जा सके। यह प्रस्ताव भी सम्बन्धित राज्यों में तुरन्त भेज दिये जाएंगे। इस परियोजना से राजस्थान राज्य को कई लाभ हैं, जिनमें निम्न मुख्य हैं :—

1. कोयला ढोने की अपेक्षा विद्युत का प्रसारण आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभकारी है। खान के समीप स्थित विद्युत गृह से उत्पादित विद्युत की दर लम्बी दूरी पर कोयला ढोकर उत्पादित विद्युत दर से कम होती है।

2. राज्य के पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं होगी।

3. प्रतिष्ठित प्रायोजक द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन अपेक्षाकृत शीघ्र होगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण :

राज्य में वर्ष 1994–95 के अन्त तक कुल 37,124 गांवों में से 30,754 गांव विद्युतीकृत घोषित किये जा चुके हैं। वर्ष 1995–96 में 750 नये ग्रामों को विद्युतीकृत करने एवं 25 हजार नये कुओं को ऊर्जीकृत करने का लक्ष्य है। अब तक 316 गांव एवं 9,356 कुएं ऊर्जीकृत किये जा चुके हैं।

राज्य में विद्युतीकृत की प्रगति हेतु मंडल ने यदि कोई उपभोक्ता कनेक्शन लेने हेतु लाइन एवं सब स्टेशन का आनुपातिक खर्च वहन करने के लिये तैयार हो तो अविद्युतीकृत गांवों में भी कनेक्शन देने के लिये अधिकृत कर दिया है यह समस्त राशि 5 वर्ष पश्चात् लौटा दी जाएगी। ऐसी आशा है कि इस योजना के तहत अच्छी संख्या में गांव विद्युतीकृत हो सकेंगे।

संसाधनों की कमी को देखते हुए एवं कृषि हेतु बहुत बड़ी प्रतीक्षा सूची को ध्यान में रखते हुए विद्युत मण्डल ने निर्णय लिया है कि यदि काश्तकार विद्युत लाइन का खर्चा वहन करने को तैयार हों एवं सब स्टेशन के खर्च हेतु 1250 रुपये प्रति हार्स पॉवर देने को तैयार हों तो उन्हें तुरन्त प्राथमिक योजना के तहत कनेक्शन दिये जा सकेंगे। ऐसे काश्तकारों के लिये विद्युत उपयोग की दर घरेलू दर की आधी होगी। इस योजना के तहत 07 सितम्बर, 1995 तक 10,627 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदन पत्रों में से 6,452 आवेदकों को डिमाण्ड नोटिस दिये जा चुके हैं और 4,567 आवेदकों ने डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करा दी है।

पहले से चली आ रही सिंगल पोल, टू पोल योजना में 21,150 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे, जिनमें से 18,669 आवेदकों को सितम्बर, 1995 तक डिमाण्ड नोट जारी किये जा चुके हैं। सामान्य श्रेणी में बहुत से कनेक्शन काफी समय से लंबित थे जिन्हें विभिन्न कारणों से कनेक्शन नहीं दिया जा सका था और इसके कारण उपभोक्ताओं में काफी असन्तोष था। विद्युत मण्डल ने यह तय किया है कि वर्ष 1995-96 में पहले उन सभी सामान्य श्रेणी वाले लम्बित कनेक्शन, जिनकी 31.3.95 तक मांग पत्र की राशि जमा हो गयी थी, उन्हें कनेक्शन दिये जाएंगे। वर्ष 1994–95 में सितम्बर, 1994 तक सामान्य श्रेणी में 1128 कनेक्शन दिये गये थे जबकि वर्ष 1995–96 में इसी अवधि में 3155 कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

माह सितम्बर, 1995 तक 3,155 कृषि कनेक्शन सामान्य श्रेणी के 1052 नर्सरी श्रेणी के एवं 4,349 एक पोल दो पोल योजना के तहत दिये जा चुके हैं। इस प्रकार माह सितम्बर, 1995 तक इस वर्ष 9,356 कनेक्शन दिये जा चुके हैं। कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये विद्युत मण्डल ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं और इस प्रकार के निर्देशों की प्रतिलिपि जन प्रतिनिधियों एवं पंचायत स्तर तक दे दी गयी है।

विद्युत मण्डल ने यह भी निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति के दिनांक 3.1.1990 तक सामान्य श्रेणी के जितने भी आवेदन पत्र लम्बित हैं, उन सभी को तुरन्त डिमाण्ड नोटिस जारी कर इसी वित्तीय वर्ष में कनेक्शन दे दिये जाएंगे।

गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिये घरेलू कनेक्शन की कुटीर ज्योति योजना में वर्ष 1994–95 में 6,220 कनेक्शन देने की योजना ग्रामीण विद्युतिकरण के लिये निगम से स्वीकृत हुई है। इस योजना में 4,920 कनेक्शन दिये जा चुके हैं। इस वर्ष भी 6,220 कुटीर ज्योति कनेक्शनों की योजना स्वीकृत हुई है। इसमें वर्ष 1994–95 की योजना के शेष 1300 तथा इस वर्ष की योजना के 6,220 कुल 7,520 कनेक्शन इस योजना में दिये जाएंगे।

उच्च प्रसारण लाइनों व सब-स्टेशनों का निर्माण : राज्य में सन् 1995–96 के अन्तर्गत उच्च प्रसारण के लिये 220 के.वी. की 300 किलोमीटर की, 132 के.वी. की 402 किलोमीटर की लाइनें बनाने का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत 220 के.वी. की 106 किलो मीटर लाइन व 132 के.वी. की 95 किलो मीटर लाइन माह सितम्बर, 1995 तक बनायी जा चुकी है।

12.55

(श्री समर्थ लाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

शेष 220 के.वी. एवं 132 के.वी. की लाइनें खींचने का काम प्रगति पर है जिन्हें मार्च 1996 तक पूर्ण करना है। इस वर्ष जो नये 220 के.वी. सब-स्टेशन मेड़ता एवं बाली में स्थापित करने का प्रावधान है, उसके अन्तर्गत इन दोनों सब-स्टेशनों पर कार्य चालू है और इसी वर्ष निर्माण कर लिये जाएंगे।

वर्ष 1995–96 में 132 के.वी. के 15 ग्रीड सब स्टेशन सायला, अमरपुरा, खींवसर, मांगलवाड, मान सरोवर, बयाना, कामां गजनेर, सरदारशहर, पीपलिया कलां, सलूम्बर, कायलाना, लालगढ़, जोधपुर स्टेशन, हमीरगढ़ एवं श्री महावीर जी में बनाने का प्रस्ताव है। इन सभी स्टेशनों का चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक निर्माण कर लिया जाएगा। वित्तीय वर्ष के अन्त तक राज्य में 150 एम.वी.आर. के कैपेसिटर लगाने का कार्य भी प्रगति पर है। विभिन्न मौजूदा सब स्टेशनों पर ट्रांसफार्मर क्षमता 350 एम.वी.ए. के जोड़ने का लक्ष्य था।

13.00

इसके अतिरिक्त 343 एम.वी.ए. की क्षमता बढ़ाई जा चुकी है। विद्युत वितरण

'88

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

तंत्र में सुधार हेतु मण्डल ने 306 करोड़ रुपये की पच्चीस शहरों की विद्युत तंत्र योजना बनाकर ऊर्जा वित्त निगम को वित्तीय सहायता के लिये मार्च, 1995 तक भेजी थी। छह बड़े शहर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, व अजमेर की योजना है। जिसकी अनुमानित लागत 139.48 करोड़ रुपये है जो कि विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित होनी है, के लिये ऋण की स्वीकृति हो चुकी है। तथा इन शहरों की योजनाओं पर कार्य भी प्रारम्भ किया जा चुका है। अन्य शहरों सीकर, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, पाली व भीलवाड़ा की योजनाओं के लिये जिनकी अनुमानित लागत 77.93 करोड़ रुपये है की भी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

इसके अतिरिक्त छह अन्य शहरों टोंक, श्री गंगानगर, बारां, ब्यावर, किशनगढ़, चित्तौड़गढ की लगभग 90 करोड़ रुपये की योजनाओं की भी स्वीकृति ऊर्जा वित्त निगम की 9.10.1995 की बैठक में हो चुकी है। शेष सात शहर हिण्डौन हनुमानगढ़, नवलगढ़, नागौर, बूंदी, बाड़मेर एवं धौलपुर की योजनाओं की, जिनकी अनुमानित लागत 48.88 करोड़ रुपये की है की स्वीकृति अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1995–96 में भी 9 शहर जैसे झुन्झुनूं, चूरू, बांसवाड़ा, फतेहपुर, रतनगढ़, सरदारशहर, सुजानगढ़, मकराना एवं गंगापुरसिटी की तंत्र सुधार योजनाएं प्रस्तावित हैं। इनमें से प्रथम चार शहरों झुन्झुनूं, चुरू, बांसवाड़ा, एवं फतेहपुर की तंत्र सुधार योजनाएं जिनकी अनुमानित लागत 18 करोड़ रुपये है, को बनाकर ऊर्जा वित्त निगम को वित्तीय सहायता के लिए भेज दिया गया है तथा शेष पांच शहरों की योजनाएं बनाने का कार्य प्रगति पर है।

मुझे बड़ा हर्ष है कि विद्युत मण्डल ने विद्युत क्षेत्र में पूंजी निवेश करने के लिए कई नये स्रोतों तथा माध्यमों से पूंजी एकत्रित करने के प्रयत्न किये तथा विद्युत मण्डल द्वारा पहली बार विद्युत उपकरणों की लीजिंग के द्वारा वर्ष 1994–95 में 280 करोड़ रुपये प्राप्त किये। वर्ष 1995–96 में भी बहुत अच्छी प्रगति रही है तथा अन्य विद्युत मण्डलों के मुकाबले हमारे विद्युत मण्डल ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। राज्य सरकार प्रदेश में विद्युत की छीजत में कमी करने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील है और इस दिशा में वितरण एवं प्रसारण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं और मण्डल अब विस्तार पर जोर देने के बजाय प्रसारण व उप प्रसारण प्रणाली को सुदृढ़ रखने का विशेष जोर देगा। इस वर्ष कुछ क्षेत्रों में जहां विद्युत छीजत अत्यधिक है तथा ट्रांसफार्मर काफी जलते हैं वहां एल. टी. लेस व्यवस्था कर कृषकों को अलग-अलग छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर लगाये जाएंगें ताकि विद्युत चोरी पर अंकुश लग सके तथा विद्युत छीजत में कमी आ सके। पी. एफ.सी से जिसके लिये लगभग 61 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये हैं। विद्युत मण्डल में एनर्जी आडिट का कार्य भी प्रगति पर है। विद्युत की चोरी को रोकने के लिए भी अथक प्रयास किये जा रहे हैं तथा कई स्थानों पर बिजली की चोरी के मामले पकड़े हैं तथा उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा रही है। इस इस वर्ष परम्परागत

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

मीटरों के स्थान पर नये पिलफर प्रूफ मीटर लगाये जा रहे हैं। जिनसे विद्युत की चोरी की संभावनाएं कम होंगी।

उपरोक्त सन्दर्भ में यह बताना प्रासंगिक होगा कि एच.टी. इण्डस्ट्रीज को विद्युत सप्लाई में छीजत कम होती है जबकि सुदूर गांवों में कुओं पर बिजली सप्लाई करने में छीजत अधिक होती है। अतः जब कुल उपभोग में एच.टी. उद्योग द्वारा उपयोग में लायी बिजली का अनुपात कम होता है अथवा कृषि हेतु उपयोग में लायी विद्युत का अनुपात अधिक होता है तो विद्युत के प्रसारण एवं वितरण तंत्र में छीजत बढ़ जाती है। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि राज्य सरकार प्रदेश में विद्युत की छीजत में कमी करने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील है। इस सन्दर्भ में विधान सभा के माननीय सदस्यों की एक समिति भी अध्ययन कर रही है। इस समिति की बैठकों में कई रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुए हैं।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के गम्भीर आर्थिक संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने औद्योगिक मिश्रित भार एवं अघरेलू श्रेणी उपभोक्ताओं की दरों में कुछ वृद्धि की है। लघु उद्योगों में यह वृद्धि 18 पैसे प्रति यूनिट की गयी है जिससे यह दर अब 2.10 पैसे प्रति यूनिट है जबकि हरियाणा में 2 50 व उत्तरप्रदेश में 2.49 पैसे प्रति यूनिट है। मध्यम श्रेणी में 100 हार्स पावर तक 16 पैसे एवं 100 हार्स पावर से अधिक 15 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गयी है जिससे यह दर क्रमशः 2.30 पैसे और 2.35 पैसे प्रति यूनिट है। जबकि यह दर महाराष्ट्र में 3.49 व तमिलनाडू में 2.81 पैसे प्रति यूनिट है। बड़े उद्योगों पर 23 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि से यह दर 2.55 पैसे प्रति यूनिट हो गयी है जबकि दिल्ली में यह दर 3.30 पैसे तथा उत्तर प्रदेश में 2.80 पैसे प्रति यूनिट है। अघरेलू श्रेणी में 10 से 15 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गयी है जिससे यह दरें प्रथम सौ यूनिट के उपभोग पर 2.25 पैसे, 100 यूनिट से 400 यूनिट उपभोग पर 2.40 पैसे तथा 400 से अधिक पर 2.55 पैसे प्रति यूनिट हो गयी है। 25 किलोवाट के मध्य के भार के लिए 2.60 पैसे तथा 50 किलोवाट से अधिक भार पर 2.75 पैसे प्रति यूनिट हो गयी है जबकि यह दर गुजरात में 3.87 पैसे, कर्नाटक में 3.60 पैसे प्रति यूनिट है। मिश्रित भार श्रेणी में 24 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि से यह दर 2.50 पैसे प्रति यूनिट हो गयी है जबकि महाराष्ट्र में 3.49 पैसे व मध्यप्रदेश में 3.19 पैसे प्रति यूनिट है। इस वृद्धि से इस वित्तीय वर्ष में लगभग 58 करोड़ रुपये की आय बढ़ने की सम्भावना है। जबकि वर्तमान में 42 लाख में से 41.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को अनुदान चालू रहने से 600 करोड़ रुपये का घाटा प्रति वर्ष राज्य विद्युत मण्डल को हो रहा है।

जैसाकि सर्वविदित है कि रेल भाड़े, कोयले की कीमतों में एवं अन्य सामग्री में वृद्धि हुई है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा डेप्रिशिएशन चार्जेज, मंहगी दर पर बिजली खरीदने पर मण्डल के ऊपर काफी आर्थिक भार पड़ा है। उपभोक्ताओं को बिजली पहुंचाने की औसत दर प्रति यूनिट 1.81 पैसे है जबकि विद्युत मण्डल को

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

उपभोक्ता से मात्र 11.50 पैसे प्रति यूनिट ही प्राप्त होते हैं अतः टैरिफ की दरों में वर्तमान वृद्धि भी अपर्याप्त है। दरों में उपरोक्त बढ़ोत्तरी के पश्चात भी विभिन्न श्रेणी की दरें अन्य राज्यों के मुकाबिले निम्नलिखित स्थान पर हैं: घरेलू में हम चौदहवें स्थान पर हैं, अघरेलू में आठवें स्थान पर, कृषि में नवें, लघु उद्योगों में पांचवें, मध्यम उद्योगों में सातवें, वृहत उद्योगों में सातवें, वृहत उद्योग एक हजार किलोवाट अनुबंधित मांग पर आठवें, वृहत उद्योग पांच हजार किलोवाट अनुबंधित मांग पर सातवें, सार्वजनिक प्रकाश में पांचवें और मिश्रित भार में आठवें।

विगत में जले हुए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स को बदलने में विभिन्न कारणों से काफी समय लगता था। जन-प्रतिनिधियों एवं कृषि उपभोक्ताओं द्वारा इस सम्बन्ध में कई शिकायतें प्रतिदिन प्राप्त होती थीं। मण्डल ने राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार दिनांक 6 जनवरी, 1994 को यह आदेश प्रसारित किये कि जले हुए ट्रांसफार्मरों को दस दिन के समय के भीतर मरम्मत किये हुए ट्रांसफार्मरों अथवा नये ट्रांसफार्मरों द्वारा बदल दिया जाए। इस निर्देश की अनुपालना की नियमित रूप से जांच की जा रही है तथा इस सम्बन्ध में काफी प्रगति हुई है। यद्यपि वर्ष 1994-95 में काफी संख्या में नये ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये हैं। फिर भी किसी भी समय जले हुए ट्रांसफार्मरों की संख्या लगभग पिछले वर्ष की उस अवधि से कुछ कम ही रही है।

यह भी ध्यान रखने योग्य है कि जले हुए ट्रांसफार्मरों की दर जुलाई से सितम्बर के मध्य प्रायः ऊंची रहती है विशेष तौर पर बाढ़ग्रस्त और अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में। वर्ष 1994–95 में 17 हजार, 918 जले हुए ट्रांसफार्मर बदले गये। जबकि वर्ष 1993–94 में इनकी संख्या 15 हजार 122 थी। अप्रेल, 1994 से सितम्बर, 1994 तक 12 हजार 633, 677 एम. वी. ए. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की उपलब्धि थी, जबकि अप्रेल, 1995 से सितम्बर, 1995 की अवधि में 14 हजार 754, 854 एम. वी. ए. ट्रांसफार्मर्स की उपलब्धि थी।

संसाधनों की कमी के बावजूद यह प्रयास रहा है कि ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता में कमी न हो।

आय-व्यय के अनुमानों के अनुसार वर्ष 1995–96 में विक्रय के लिये उपलब्ध विद्युत 13 हजार 882 मिलियन यूनिट एवं आय 2 हजार 85 करोड़ रुपये आंकी गई थी वर्ष 1995–96 के नवीनतम आकलन के अनुसार विक्रय हेतु उपलब्ध विद्युत में 59.25 मिलियन यूनिट की वृद्धि हुई है। परन्तु राजस्व में यह वृद्धि 244 रुपये की अनुमानित है। इस वृद्धि में मण्डल द्वारा विद्युत मीटर की किराये पर विभिन्न सेवा शुल्कों में माह मई, 1995 से की गयी बढ़ोतरी तथा वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में माह अक्टूबर, 95 में की गयी वृद्धि सम्मिलित है।

डा. हरिसिंह : यह पैसेज जो आपने पढ़ा है यह सक्युलेट करवा दीजिये इतना सदन का समय आपने खराब किया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उत्पादन एवं मांग में भारी अन्तर की पूर्ति करने के लिये बाह्य एवं महंगी दरों पर विद्युत क्रय करनी पड़ती है। वर्ष 1991-92 में 386 करोड़ रुपये के विद्युत क्रय पर किया गया भुगतान बढ़कर 1994-95 में 865 करोड़ रुपये हो गया है। उल्लेखनीय यह है कि चालू वित्तीय वर्ष 1995-96 में बढ़ कर 1 हजार 70 करोड़ रुपये हो जाएगा। एक तरफ जो मण्डल को महंगे स्रोतों से विद्युत क्रय करनी पड़ती है दूसरी तरफ भण्डार सामग्री की दरों में वृद्धि बिना श्रमिकों की संख्या बढ़ाये उपरोक्त कारणों से संस्थापन व्यय में वृद्धि, ऋणों में देय ब्याज की दरों में वृद्धि ऐसे कारण हैं जो कि मण्डल की स्थिति को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। व्यय में हुई इस वृद्धि ने हाल में हुई वृद्धि को तुलनात्मक रूप से नगण्य कर दिया है। विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 59 के अनुसार विद्युत मण्डल 3 प्रतिशत रेट आफ रिटर्न देने के लिये बाध्य है। यदि मण्डल 3 प्रतिशत रिटर्न अर्जित करने में असफल हो तो, उसके निम्न दूरगामी परिणाम होंगे :

पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा ऋण की अदायगी बन्द कर दी जाएगी तथा भविष्य में ऋण के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। कई राज्यों की सहायता बन्द की जा चुकी है। विश्व बैंक से कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। विभिन्न वित्तीय संस्थानों से भविष्य में ऋण स्वीकृत कराने में कठिनाई होगी, क्योंकि ऋण स्वीकृति हेतु 3 प्रतिशत रिटर्न की शर्त आवश्यक होगी। समुचित लाभ नहीं होने से पड़ोसी राज्यों से ऊर्जा का क्रय सम्भव नहीं हो पाएगा। जिसके फलस्वरूप राज्य में ऊर्जा की कमी रहेगी। जिससे उद्योगों को एवं किसानों को मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करना मुश्किल हो जाएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम स्थगित करने होंगे। आंतरिक संसाधन नहीं होने से पूंजीगत कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कोयले एवं रेलवे के माल भाड़े की अदायगी करना सम्भव नहीं होगा। जिसके परिणामस्वरूप राज्य में विद्युत उत्पादन केन्द्रों को बन्द करने की सम्भावना उत्पन्न हो जाएगी। भुगतान में विलम्ब के कारण कई बार कोटा थर्मल में केवल दो तीन दिन का कोयला बचता है। निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन पर अत्यन्त विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

मण्डल की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु उठाये गये अन्य कदमों का विवरण :

मण्डल द्वारा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं : जिससे वित्तीय वर्ष 1995-96 में अनुकूल परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। स्थाई सम्पत्तियों के विक्रय एवं लीज पद्धति द्वारा वित्त की व्यवस्था। आवश्यक कार्यशील पूंजी की व्यवस्था तथा नकद तरलता की स्थिति में सुधार लाने हेतु मण्डल ने मार्च, 1995 में 275 करोड़ रुपये की राशि स्थाई सम्पत्तियों के विक्रय एवं उनको लीज कर प्राप्त कर रखी है। व्यवस्था की इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में भी मण्डल ने वित्त प्राप्ति हेतु कदम उठाये हैं एवं आशातीत सफलता प्राप्त की है। नकद तरलता की स्थिति में सुधार के फलस्वरूप मण्डल ऊर्जा क्रय के भुगतान, कोटा थर्मल परियोजना को कोयला पहुंचाने के लिये किराये

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

के भुगतान, सामग्री खरीदने से सम्बन्धित भुगतान में छूट प्राप्त कर लागत में बचत कर रहा है। तत्काल भुगतान के फलस्वरूप मण्डल में 100 करोड़ से अधिक की वार्षिक बचत होने की सम्भावना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनम चन्द जी विश्नोई।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसकी एक प्रति हमें भी मिलनी चाहिये। वरना इतना बड़ा स्टेटमैंट है और इसमें वैल्युएबल जानकारी है, उसके आधार पर ही बहस का आधार बनेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपने ध्यान से सुना है ना।

श्री बनवारीलाल बैरवा : सभी ने ध्यान से सुना है लेकिन बहुत लम्बा स्टेटमैंट है। इतना लम्बा स्टेटमैंट सक्युंलेट करवाया जाना आवश्यक है। बहुत सारी बातें मिस हो जाएंगी। आप इसको सक्युंलेट करवायें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्रीजी ने बड़े ध्यान से पढ़ा है आप उनसे पूछ लें कितना प्रतिशत याद है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द जी विश्नोई।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : पिछली बार ऐसा हुआ था....(व्यवधान).... यहां स्टेटमैंट की कापी दी गयी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो कल से तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी तो तैयारी है, तो हमें दिलवा दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारी तैयारी है ले लेना आप।

श्री रामनारायण चौधरी : दे दोगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत :हां, दे देंगे। मैं सारे माननीय सदस्यों को अभी देने की बात नहीं कहता लेकिन जितनी उपलब्ध है, जितनी आप चाहेंगे, पार्टी को दे देंगे।

श्री पूनम चन्द विश्नोई (फलौदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरा सदन इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिये उत्सुक था, आज भी इसको उच्च प्राथमिकता दी गयी और मंत्री महोदय ने थोड़ा लम्बा भाषण दिया। यह जरूरी होगा जैसे माननीय सदस्यों ने मांग की है कि हम सभी माननीय सदस्य इस बात से परिचित रहें कि अभी हमारी उत्पादन क्षमता बिजली की कितनी है, स्रोत कौन-कौन से हैं, कौनसे स्रोतों से हम भविष्य में बिजली प्राप्त करेंगे, बिजली के उत्पादन के लिये क्या कार्यक्रम बनेंगे ? इन सबकी जानकारी होना अति-आवश्यक है। आप जानते हो आधुनिक सभ्यता और संस्कृति में भी बिजली एक मुख्य स्तम्भ है। यदि आज के समाज से बिजली को हटा दिया जाय, तो पूर्ण संसार है वह पाषाण युग में दुबारा प्रवेश कर जाएगा। इसलिए इस विषय पर सबकी चिन्ता होना और इस पर गहराई से विचार करना आवश्यक हैं। मैं आपका थोड़ा ही समय लूंगा। लेकिन इसको 2-3 हिस्सों में

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

बांट कर मैं बात कहूंगा । पहली तो यह है कि इसका जो मैनेजमैंट है बिजली का चाहे बोर्ड करता हो, चाहे मंत्रीजी करते हों, जनता की शिकायतें आती हैं तो इसका प्रशासनिक ढांचा है इसमें टैक्नीकल साइड एक है, प्रशासनिक साइड एक है, जनता की शिकायतें, खास तौर से कृषकों की शिकायतें हैं वह एक दूसरा पक्ष है । आगे प्लानिंग किस तरह से करें, बोर्ड किस तरह से इसका संचालन करे, उत्पादन करे, इसका विस्तार करे, बिजली दे और फिर जो शिकायतें होती हैं उनके निवारण के लिये क्या व्यवस्था होनी चाहिये, इसके सम्बन्ध में मैं आपको सुझाव दूंगा ।

सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा, जैसा मैंने आपको निवेदन किया बिजली है आधुनिक सभ्यता और सभ्यता ही नहीं संस्कृति का एक मुख्य स्तम्भ है और बिजली ने अब कृषि के क्षेत्र में भी बड़े मायने में प्रवेश किया है । बिजली की मांग दिनों-दिन बढ़ती जा रही है इसका कारण क्या है ? यदि हम गहराई से इसमें जायं, तो जहां बरसात कुदरत की देन है, होती है तो किसी को एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है । बिजली से सिंचाई की मशीनें चलाते हैं तो मान लीजिये एक रुपया काश्तकार का खर्च होता है, अगर उसी क्षेत्र को हम डीजल की मशीन से सिंचित करें, तो उसमें 4 रुपये खर्च होता है और उसी को यदि बैल से सिंचित करें तो उससे दुगुना, आठ गुना खर्चा होता है । बैल तो चाहे पानी सिंचाई में काम आवे नहीं आवे उन पर पूंजी लग गयी, रोज के 100 रुपये खड़े-खड़े ही खाते हैं, तो बिजली ही सबसे सस्ता सरल और एफिशेंट जिसको कह सकते हैं, वह साधन है । इसलिए लोगों का इसके प्रति आकर्षण है । कृषि का जहां तक सवाल है, आप जानते हैं जैसे बिजली आधुनिक सभ्यता का मुख्य स्तम्भ है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तम्भ आज भी कृषि है, उद्योग हैं, धंधे हैं, व्यापार है, दूसरे कार्य-कलाप हैं, सब कुछ है लेकिन जैसे शरीर में खून का महत्व है, अगर खून की कमी आ जाय, खून सूख जाय, तो अपना एक-एक अंग सड़ करके गिर पड़ेगा । यदि हमारे देश की कृषि का स्रोत सूखने लगता है, तो आप समझिये कि जितने भी कारखाने हैं, जितने वस्त्रों की मिलें हैं, जितना फैशन का सामान है, जितना मशीन निर्माण का काम है सब का सब धीरे-धीरे ठप्प हो जाएगा, अर्थ व्यवस्था ही ठप्प हो जाएगी । इसलिए इस कृषि को कहा है कि यह हमारा मुख्य आधार है । हालांकि 75 प्रतिशत लोग इसमें लगे हुए हैं और 25 प्रतिशत लोग दूसरे में लगे हुए हैं लेकिन इनडायरैक्टली 25 प्रतिशत का भी धंधा इसके ऊपर ही चलता है ।

यहां पर कई तरह की शिकायतें आती हैं कि बिजली के अभाव के कारण किसान की फसल नष्ट हो गयी, यह हो गया । हमारी परम्पराओं को सोचो, आपने इतिहास पढ़ रखा है । शेरशाह सूरी के राज में यह कायदा था कि अगर उसकी फौज जा रही हो और किसी सिपाही के घोड़े ने एक बाजरे का सिट्टा या ज्वार का सिट्टा या मक्का का सिट्टा खा लिया तो उस व्यक्ति का, उस सिपाही का कान काट लेने के आदेश थे । जोधपुर के महाराजा यूं निरंकुश थे लेकिन जो व्यक्ति प्रथम उनको सूचना

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

देता कि हमारे क्षेत्र के अन्दर पर्याप्त बरसात हुई है और खेती हो सकेगी, तो उसको मोहरें इनाम में देते थे। अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा है कि कृषि को इतना महत्व दिया जाता था कि आम तौर पर खून-खराबों के युद्ध चलते रहते थे लेकिन किसान मजे से खेती करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि लड़ रहे हैं, मर रहे हैं लेकिन हमारे काम में कोई दखल नहीं देगा, हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। यह जो हमारी परम्परा रही है उसके मुकाबले में, क्षमा कीजिये आपके जो छोटे-मोटे बिजली के कर्मचारी हैं, उनका आज क्या दृष्टिकोण है अभी बुवाई का सीजन चल रहा है। हम कहते हैं कि आठ घंटा बिजली देंगे। टूटी-फूटी करके कहीं चार घंटा, कहीं दो घंटा, कहीं छह घंटा, कहीं आठ घंटा और कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, तो दस-बारह घंटा ले लेते हैं। लेकिन आम लोगों को वोल्टेज कम से कम 400 आना चाहिये उनको 250 और 300 के बीच में ही वोल्टेज आता है। नतीजा यह होता है कि मशीनें जल जाती हैं। जितना बीच में ट्रिप आ गया, मरुस्थल क्षेत्रों के अन्दर खास तौर से लम्बी-लम्बी दूरी तक कच्चे नालों के अन्दर पानी ले जाते हैं और ज्यों ही मशीन चलनी बन्द हुई उस नाली के अन्दर वह पानी बैठ जाएगा और वापस क्यारी में पानी आधे घंटे बाद जाएगा जितने में फिर ट्रिप आ जाएगा। नतीजा यह होता है कि फसल की बुवाई नहीं होती। आम तौर से बुवाई के वक्त और जब फसल को आखिरी पाण देनी होती है, आखिरी पिलायी करनी होती है उस वक्त सबको बिजली की जरूरत होती है लेकिन नतीजा यह होता है कि उस वक्त बिजली नहीं मिलती और किसान को बड़ा भारी नुकसान हो जाता है।

मुझे इस बात की शिकायत है कि चाहे छोटे-मोटे कारखाने चलाने वाले हों, बड़े कारखाने चलाने वाले हों, शहर के अन्दर उद्योग धंधे चलाने वाले हों एवं चक्की चलाने वाले हों, उनकी शिकायतें होंगी लेकिन आज तक मैंने उनकी शिकायतें सुनी नहीं। आपने यहां पर 15 मिनट अगर बिजली बन्द हो जाय तो हा-हाकार हो जाएगा और जो शिकायत जहां की जाती है वहां के टेलीफोन ही नहीं मिलेंगे। लेकिन किसान है रात-दिन तड़फता रहता है। मुख्य मंत्रीजी स्वयं खेती किये हुए हैं, यहां पर अधिकतर माननीय सदस्य हैं वे भी खेती से जुड़े हुए हैं लेकिन यह जो दुर्दशा है इसका हम इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई मंत्री सक्षम होता है तो थोड़ी बहुत अपनी बात चला देता है वरना मंत्री जी यही कहते हैं कि साहब यह तो बोर्ड की बात है, इसको बोर्ड वाले करते हैं, वह तो स्वायत्तशासी है, यह है, वह है। तो पहली बात तो यह है कि प्रशासनिक स्तर पर, ठीक है टैक्नीकल साइड है, लाइनों का मेंटीनेंस करना है, जनरेशन करना है, यह करना है वह उनके जिम्मे है। लेकिन फिर भी एक कारगर व्यवस्था होनी चाहिये कि ज्योंही बिजली की शिकायत आये, आधी रात को भी शिकायत आये, तो हर स्तर के ऊपर एक सक्षम इकाई होनी चाहिये जनप्रतिनिधियों की, काश्तकारों की और इंजीनियर्स वगैरह की ताकि उनकी उस दुविधा को दूर किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसान के लिये, किसान

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

कभी पराधीन नहीं था चाहे अंग्रेजों का राज था तो उसमें इतना था कि लगान वसूली के लिये शिकायत होती थी, 40-50 रुपये देकर उसके बाद में वह स्वतंत्र था। आज किसान हैं बराबर गुलामी भुगत रहा है, रात-दिन चिन्ता रहती है, हम तक उसमें चिन्तित रहते हैं अब व्यक्तिगत क्या बतायें कि कितना खेती में खर्चा किया और कितना हमारा उत्पादन हुआ, व्यक्तिगत उस प्रश्न पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको निवेदन करता हूं, बहुत ही कटु अनुभव है किसान का इसके प्रति। इसलिए पहली बात यह है कि आपको इसमें सुधार लाना होगा और केवल बिजली बोर्ड और टैक्नीकल अधिकारी हैं उनके ऊपर इस बात को छोड़ दें, वह ठीक नहीं है।

दूसरा, दृष्टिकोण है कि आज-कल यह एक सामाजिक दायित्व भी है कि आप इस को केवल लाभ और हानि के हिसाब से नहीं देखें, नुकसान होता है, नुकसान और भी अधिक होगा लेकिन नुकसान होकर के भी हमको बिजली देनी पड़ेगी। क्योंकि इसके वगैरह समाज का सुधार हो नहीं सकता, उसकी आर्थिक स्थिति कभी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए उसके मैनेजमेंट में केवल व्यापारिक दृष्टिकोण अपना लें और नयी नीति जो बनी है, उसमें क्षमा कीजियेगा पहले 10 खम्भों तक फ्री था, उसके बाद में 4200 रुपये प्रति खम्भे के हिसाब से होता था, अब दूसरे तो करीब-करीब कनेक्शन बन्द ही है, कोई घरेलू कनेक्शन चालू होंगे। नर्सरी वाली है, तो नर्सरी वाले में 50 हजार से लाख और सवा लाख रुपये दुगुनी उसकी रेट वह देकर के, 50-60 और लाख रुपये, एक आम आदमी जिसके पास एक गधा हो तो वह सिंचाई कर सकता है, उसके जितना हॉर्स पावर ही नहीं है, गधे पावर जितनी उसको पावर चाहिये उसको आप दे नहीं सकते, बैल वह रख नहीं सकता, इतनी उसके पास जमीन नहीं। उसको कनेक्शन देने में आप यह इतना महंगा भार 9 हजार 200 रुपये उसके बाद में ट्रांसफार्मर लगता है उसमें जितना हॉर्स पावर है उसमें 1200 रुपये इस तरह से आप लगाते हो, तो सामने चीज तो लटका देते हो। लेकिन मुंह नजदीक ले जाय, जलेबी रेस पहले होती थी वह जलेबी रेस कराने से कोई लाभ नहीं है और हमको किसी भी कीमत पर, चाहे कितना ही दृष्टिकोण ठीक है, मैनेजमेंट एफिशेंट होना चाहिये। फाइनेंशियली जितना आप कर सकते हो अच्छी तरह से मेनटेन करो लेकिन इसको कभी लाभ में ले आयेंगे या केवल लाभ हानि की दृष्टि से इस पर विचार करते हैं, तो यह सोचने का तरीका बहुत ही गलत होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि कृषि और आधुनिक सभ्यता और संस्कृति का आधार बिजली है। हर कीमत पर हमको बिजली देनी है और इस के लिये जो योजनाएं बनायी हैं मैं मुबारकबाद देता हूं सरकार को, पहले वाली सरकार को। कई दफा कहते हैं कि कांग्रेस ने 40 साल से क्या किया। मैंने कहा, मुख्य मंत्री जी को भी याद है कि यहां से ब्यावर तक जाते थे तो किशनगढ़ बिजली आती थी, उसके बाद में अजमेर आती थी, अजमेर के बाद में पाली और पाली के बाद में जोधपुर। आज आप केरल से हवाई जहाज में रात को उड़ियेगा और लेह तक जायें

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

कोई झील आ गयी और कोई पहाड़ ऊंचे आ गये तो आपको बिजली की रोशनी नहीं मिलेगी वरना सब जगह रोशनी चमचमाती आपको नजर आएगी। काम तो बहुत हुए हैं लेकिन फिर भी अभी काम बहुत होने बाकी हैं। इसलिए इसमें केवल लाभ-हानि वाला, जिससे आपके मण्डल को अधिक लाभ हो, कई योजनाएं आ गयीं और जो योजनाओं में परिवर्तन किया है इसमें गरीब आदमी, एक तरह की पहले शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स, अपंग, भूतपूर्व सैनिक, दूसरे, तीसरी कई तरह की केटेगिरीज थीं शायद वह केटेगिरी भी समाप्त कर दी और केवल नर्सरी वाला है, वह एक खुला रखा है। यह जो योजनाएं हैं और इन पर जो आपने वर्तमान में नीति बनायी है इसको केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं देखें, उस पर आप बहुत गहरायी से विचार करें, क्योंकि कई दफा इतनी लापरवाही होती है, फलौदी के अन्दर हमारे एक तार गलत खींचा हुआ है वह तार दूसरे के ऊपर पड़ गया। एक आदमी मर गया, कई आदमी घायल हो गये, सबके टी.वी. वगैरह-वगैरह जल गये। इसी तरह से आपकी चैकिंग पार्टी वाले जाते हैं, वह जाकर के कई मीटर लगाते हैं, कह देते हैं कि सात हार्स पावर की मशीन चल रही है, वह कहते हैं नहीं इसमें तो 12 हार्स पावर की चल रही है और मनमाने ढंग से वह उसमें बकाया निकाल देते हैं, यह किसानों के प्रति इस तरह से बहुत से अन्याय हो रहे हैं। इसकी तरफ भी मैं मंत्रीजी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा ताकि यह जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसके बारे में भी वह विचार करें।

आज मैंने एक प्रश्न पूछा था, वह प्रश्न आया नहीं। नये राजस्व ग्रामों का आपने निर्माण किया है, राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में किया है और उसके पीछे उद्देश्य यह है कि हर राजस्व गांव है उसके अन्दर सड़क की सुविधा हम देंगे, समय आने पर वहां स्कूल खोलेंगे, वहां चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे, वह पर बिजली पहुंचायेंगे। लेकिन जो उसमें उत्तर दिया, उत्तर में भी अन्तर विरोध है। मैंने यह पूछा है कि आप उसी गांव को राजस्व गांव मानते हैं जिसको मर्दुमशुमारी में एक डेढ़ साल पहले एक नम्बर दिया जाता है गांव का जिसको कोड नम्बर कहते हैं तो यह 1981, 1991, 2001 में होगा। तो साल भर पहले वह कोड तय होता और हर 10 साल बाद में कोड तय होता है। आपने कहा है इसमें हां, हम उस कोड के अनुसार उसको मान्यता देते हैं। इसका मतलब आपने जो राजस्व गांव घोषित किये हैं उनको आप बिजली नहीं देना चाहते लेकिन लास्ट प्रश्न में पूछा है उसका उत्तर दिया कि नहीं हम सबको बिजली दे रहे हैं। तो यह गोलमाल जवाब है। सबको बिजली दे रहे हैं आप लेकिन उसमें खम्भों की लागत, मैं आपको माल-सिंह की सीड बताता हूं, उस गांव के छह गांव बने हैं, वह लम्बी लकीर है, कोई 15 किलोमीटर लम्बी है और 2 किलोमीटर चौड़ी है उसके छह गांव हुए हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपकी बात मान ली है। हर गांव को कोड नम्बर दिये जाते हैं लेकिन हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जो गजट नोटिफिकेशन हो गया अलग से गांव का उसको बिजली बोर्ड अलग से गांव मान लेगा।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : लेकिन उसमें कठिनाई है, मैंने सुना है, मैंने इसकी जांच की है कि केन्द्र सरकार का जो आर्गेनाइजेशन है रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन का वह आपकी बात को नहीं मानता है, वह आपके गजट को नहीं, जो कोड है, उसको मानता है। उसका इलाज आपने किया है कि नहीं? टंटा दरअसल वहीं से आता है। इसलिए आपको बिजली चाहिये....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : सारे झगड़े वहीं हैं।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : वहीं है तो आप किस काम के लिये हैं आपको.... (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : जैसे मान लिया किसी गांव को, जैसे आपने अभी एक पर्टिकूलर गांव का नाम लिया, उसका कोड नम्बर है उसको आपने इलैक्ट्रीफाइड कर दिया, उसी गांव का हिस्सा है उसको आप अलग से इलैक्ट्रीफाइड क्यों कर रहे हो ? आप उसको इलैक्ट्रीफाइड मानें, कहां दिक्कत है आपको ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हमने इलैक्ट्रीफाइड माना हुआ है, उस गांव के हिस्से को हम इलैक्ट्रीफाइड मानने को तैयार हैं लेकिन आपका मतलब दूसरा है। आप यह चाहते हैं कि उस गांव को अलग से मानकर उसका इलैक्ट्रीफिकेशन होगा तो वहां ट्रांसफार्मर लगेगा और यह उस गांव से चार किलोमीटर दूर लाइन जाएगी, उसमें ज्यादा पैसा लगेगा, यह मतलब है आपका।.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : चार किलोमीटर जो लाइन गांव तक जाएगी ट्रांसफार्मर जहां रखा जाएगा वह गांव इलैक्ट्रीफिकेशन करो। जब बिजली बोर्ड उसको वहन करता है और अब ऐसे गांवों के लिये जो न्यूली बनाये गये हैं, नये गांव बने हैं उनका खर्चा पूरा बिजली बोर्ड मांगता है....

श्री पूनम चन्द विश्नोई : बिजली बोर्ड की नहीं, यह खराबी ठेठ ऊपर से है....

श्री रामनारायण चौधरी : वही तो चक्कर है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : वहां से आप को तय करवाना पड़ेगा, नहीं तो इसका खर्चा आपको वहन करना पड़ता है, इतना बिजली बोर्ड के पास पैसा नहीं है। दिक्कतें हैं साहब एक लो आउट गांव के 16 गांव बने हैं, उसकी सरहद 22 किलोमीटर लम्बी और 22 किलोमीटर चौड़ी, गांव की आबादी 30 हजार। सब अलग-अलग ढाणियों में बसते हैं। इसलिए उनकी ग्रुपिंग करके नहीं तो क्या है कि जैसे चाखू गांव है, चाखू गांव की सरहद है 25 किलोमीटर लम्बी, गांव आया हुआ है एक किलोमीटर के अन्दर, वहां आपने नलकूप कर दिया, वहां आपने बिजली कर दी, वहां आपने स्कूल कर दी, वहां से 23 किलोमीटर पर जो ढाणियों का समूह है, उसके ऊपर बिजली आप कैसे ले जाओगे।

यह ढाणियों वाली समस्या केवल राजस्थान की 5-6 तहसीलों में ही है, भारत में भी कहीं नहीं है....(व्यवधान).... और दूसरी जगह हाका पाड़ो इतना 4-4 हजार बीघा का तो आपका क्षेत्रफल है।

(98)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

हमारे वहां क्षेत्रफल है चाखू का डेढ़ आवनी, इसका मतलब 1 लाख 4 हजार बीघा का एक गांव है जिसमें आपके आते हैं 50 गांव। इसलिए वे सब बिखरे हुए उसमें रहते हैं, यह समस्या वहां की है, वहां वाले उस समस्या को समझते नही हैं। यहां तो क्या है आधा किलोमीटर पर तो सड़क आ जाती है यहां पर इतने छोटे-छोटे गांव है और अपने-अपने कुओं पर बैठे हैं और वहां आपने बिजली ले ली। दो-दो, तीन-तीन पोल का डिस्टेंस रहता है, यह है मेरे कहने का....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय सदस्य इसमें आर.ई.सी. बाधक नहीं है। कोड नम्बर का वहां है लेकिन हम कोड नम्बर के साथ-साथ उसकी ढाणियों का भी कर सकते हैं और आर.ई.सी. कितना-सा पैसा देती है, बिजली बोर्ड का ज्यादा पैसा लगता है। इसलिए आपकी बात को सिद्धांततः स्वीकार करते हुए हम उन गांवों का अलग से, गजट नोटिफिकेशन जिन गांवों का हो जाएगा उनको अलग से गांव मानेंगे, सिद्धांततः स्वीकार करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव की महत्वपूर्ण समस्या पर आपने आज हमें समय दिया इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमारे देश का और विशेषतः राजस्थान का मुख्य धंधा खेती है। अधिकांश लोगों का व्यवसाय ही खेती है और खेती के लिये बिजली बहुत आवश्यक है। अभी फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य ने इसका महत्व बताया है, वास्तव में खेती के साथ बिजली का जो सम्बन्ध है उस पर इस सदन को विशेष तौर से रियायत देनी चाहिये। खेती के लिये पहले कुछ गांव को, जिस तरह की आज परेशानी है, उनको बिजली दे दी गयी और जितने गांव आज दिन तक बच गये हैं वे बिजली का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, एक तो उनको यह नुकसान हुआ और दूसरे अब अगर कनेक्शन लेते हैं तो उनको बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। अभी तक वह अपने सामने वाले गांव में बिजली की मोटर से पानी की धांध पड़ते हुए देखते रहे। वे अपने पोलों से और डीजल सेट से सिंचाई करते रहे और आज उनका नम्बर नहीं आता, अब मांग करते हैं तो उनके ऊपर पोल का भार लगाना, ट्रांसफार्मर का भार लगाना, यह उचित नहीं है। जो गांव बचे हैं, जिन काश्तकारों की 8–9 साल से कृषि कनेक्शन की फाइलें पेंडिंग हैं। मेरा माननीय मंत्रीजी से और सरकार से अनुरोध है कि उनको बिना किसी अतिरिक्त भार के जैसे पहले बिजली मिलती आ रही थी उसी तरह से उनको बिजली दी जाय। अधिकांशतः होता यह है कि जो नये गांव घोषित होते हैं, गांव में 15–20 आदमी कनेक्शन लेने वाले होते हैं और मात्र दो कुओं को कनेक्शन देकर उस गांव की शुरूआत कर दी जाती है। उसके बाद उस गांव की 8-10 साल तक फाइल पेंडिग रहती हैं। तो किस को दें और किस को नहीं दें इसके लिये गांव में एक तरह से लड़ाई हो जाती है और हम लोगों के लिये मुश्किल हो जाती है कि किस की सिफारिश करें किस की नहीं करें। इसलिए जो गांव घोषित होते हैं उनमें जो मांगने वाले हैं, पहली बार तो सबको दे दी जाय और उसके बाद फिर

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

किसी की फाइल या फार्म आता है तो उस को नम्बर से दी जाय। यह उचित होगा।

मेरे क्षेत्र बेगूं में जो सप्लाई होती है वह मांडलगढ़ की जी.एस.एस. से होती है। वह दूर और अलग होने से तथा दूसरा जिला होने से अक्सर कर वहां से व्यवधान हो जाता है, लाइन बन्द हो जाती है और काश्तकार दुःखी रहते हैं, सभी लोग परेशान रहते हैं। अत. मेरा अनुरोध है कि बेगूं पंचायत समिति की पोटेंन्शेलिटी को देखते हुए बेगूं में 132 के.वी. का जी.एस.एस. होना अतिआवश्यक है। वहां बहुत अधिक संख्या में काश्तकार हैं, अच्छी जमीन है, पानी है और खेती करने वाले लोग अच्छी मेहनत करते हैं इसलिए जैसा मांडलगढ़ में 132 के.वी. का जी.एस.एस. है वैसा ही बेगूं में स्थापित किया जाय।

1986 तक की जो पेंडिग फाइलें हैं उनको थोड़ा गति से लिया जाय। साल दो साल में, जैसे 1987 तक की इस साल ले ली जाय, यों करके निपटाया जाय तो काश्तकारों को बिजली मिल सकेगी। मेरे क्षेत्र में छोटे-छोटे किसान 3-3 और 5-5 बीघा वाले हैं और वह नर्सरी योजना में कनेक्शन लेने में समर्थ नहीं हैं इसलिए उनके लिये जो सुविधा पहले थी, नम्बर से कनेक्शन दिये जा रहे थे वैसे ही दिये जायं।

पिछली बार माननीय ऊर्जा मंत्रीजी भैंसरोडगढ़ और बेगूं पधारे थे। मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं कि उन्होंने रावतभाटा में 132 के.वी. जी.एस.एस. का शिलान्यास किया और आज वह 4 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है और उसी दिन बेगूं के आबरेड़ा गांव में 33 के.वी. जी.एस.एस. का शुभारंभ किया था वह भी आज काश्तकारों के लिये बड़ा लाभदायक हो रहा है मैं आपका उसके लिये बहुत-बहुत आभार मानता हूं।

एक बात मैं और स्मरण कराना चाहता हूं कि उसी दिन माननीय मंत्रीजी ने भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति को सम्पूर्ण विद्युतीकृत घोषित किया था लेकिन उसके बाद भैंसरोडगढ़ के कई गांवों में जैसे बरखेड़ा की फाइलें हम जमा करवाने गये, माननीय मंत्री महोदय मैं आपको बड़े ही दुःख के साथ कहता हूं कि वहां के ए. ईएन. यह कहते हैं कि हमारे पास इस गांव के आर्डर्स ही नहीं हैं। बरखेड़ा की 40 फाइलें बिलकुल हमारे पास पेंडिग पड़ी हैं। उनको जमा नहीं कर रहे हैं। इस तरह से जब पंचायत समिति पूरी विद्युतीकृत घोषित हो गयी तो फिर किसी गांव की फाइलें नहीं लेना, अनुचित है। मेरा अनुरोध है कि गांव और मजरे जो भी हैं उनकी फाइलें जमा की जायें तभी सम्पूर्ण विद्युतीकृत का अर्थ सही होगा।

बेगूं में इसी तरह से माननीय मंत्रीजी ने 8 गांवों को अलग से विद्युतीकृत किये जाने की घोषणा की थी लेकिन वह भी अटके हुए पड़े हैं। किसानों की एक मौलिक समस्या और होती है। हमारे यहां बहुत बड़े बड़े काश्तकार नहीं हैं लेकिन जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं उनको थ्रेशर चलाने के लिये जयपुर के हिसाब से अस्थाई कनेक्शन लेना पड़ेगा और पैसे जमा कराने पड़ेंगे। मैं कहता हूं कि जब उनके कुए में 5 हार्सपावर की मोटर लग रही है और 5 हार्सपावर का थ्रेशर है तो उस काश्तकार को इजाजत होनी चाहिये

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

कि मक्का, ज्वार, गेहूं, सरसों जो भी है वह उस थ्रेशर को कुए की मोटर से कनेक्शन लेकर अपना माल निकाल सके और उनका चालान नहीं हो। यह काश्तकार को सुविधा मिलनी चाहिये। आपकी बिजली चाहे वह मीटर से लेकर चलाये तो भी वही खर्चा होता है और अलग से कनेक्शन लेगा तो भी वही बिजली खर्च होगी। जब वह चोरी नहीं कर रहा है तो उसको यह सुविधा मिलनी चाहिये, उसका चालान नहीं होना चाहिये।

मेरे क्षेत्र में इस वर्ष जो बिजली की सुविधा दी है, हालांकि सरकार के सामने कमी का प्रश्न है, भारी कमी होते हुए भी मेरे क्षेत्र में विशेष तौर पर सप्लाई सन्तोषप्रद रही है और उसके कारण काश्तकारों की फसलें नहीं सूख पायीं। इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। खास तौर से पिछले समय में कई बार तीन चार महीने तक ट्रांसफार्मर्स नहीं पहुंच पाते थे लेकिन इस वर्ष तो कई जगह ऐसा भी हुआ है कि 24 घंटे और 48 घंटे में दूसरा ट्रांसफार्मर सप्लाई करके फसलें नहीं सूखने दी गयीं। यह एक उपलब्धि रही है। माननीय मंत्री जी ने 'एल' फार्म की समाप्ति कर काश्तकारों को सुविधा दी है, काश्तकारों की समस्याओं को निपटाने के लिये उप-खण्ड स्तर पर और जिलास्तर पर जो कमेटियां बनाकर हर माह उनकी एक निश्चित तिथि को जो बैठकें रखी हैं उसके कारण भी काश्तकारों की समस्याएं समय पर सामने की सामने ही हल होती जा रही हैं। इसके लिये भी मैं आपका आभारी हूं मुझे भरोसा है कि जो सरकार प्रयत्न कर रही है और बिजली उत्पादन करने में इतनी जागरूक है इससे हमारी स्थिति सुधरेगी। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, आपने मुझे समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) : उपाध्यक्ष जी, बिजली के मामले में अलग-अलग समस्याएं हैं। मैं कुछ सुधार की बातें आपको निवेदन करना चाहूंगा। बिजली आवश्यक है। आज चाहे शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, या औद्योगिक या कृषि क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र बिजली के बिना नहीं चल सकता है। इसकी इम्पार्टेंस हम जानते हैं। लेकिन उन बातों में मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे प्रान्त में बिजली की डिमांड और सप्लाई में गैप है। गैप को पूरा करने की चेष्टा की जा रही है लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं कि हमने यह योजना बनायी है, हमने इतना किया है लेकिन कांग्रेस ने पिछले 40 साल में नहीं किया। एक बात और कहते हैं कि केन्द्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। कल ही उनका एक स्टेटमैंट अखबारों में आया था कि जो नये एग्रीमेंट्स हैं उनमें केन्द्र सरकार बीच में नहीं आये और स्टेट को सीधे कांट्रेक्ट करने की इजाजत मिलनी चाहिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान राजस्थान नहीं है। हिन्दुस्तान बहुत बड़ा है और इसमें भी प्रान्तों का संतुलन देखकर चलना पड़ता है। केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरा देश संतुलित विकास के रास्ते पर चले और इसलिए यह आवश्यक है कि केन्द्र का अंकुश, केन्द्र

(श्री शिवनाथ सिंह)

का नियंत्रण रहे। यह बात मैं जानता हूं कि जहां तक दूसरे प्रान्तों पर असर नहीं पड़ता है एक प्रांत हो, राजस्थान हो, चाहे दूसरा हो, उसको छूट मिलनी चाहिये लेकिन इस तरह से पूरा अधिकार आप लेना चाहें, वह सम्भव नहीं होगा।

दूसरी बात, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब कोई बात आती है तो केन्द्र का सर्टिफिकेट वह हमेशा अपने सामने रखते हैं। आपके प्रधान मंत्रीजी ने मेरे को यह सर्टिफिकेट दे दिया, आपके प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन ने मेरे को यह सर्टिफिकेट दिया। हम यह समझ कर चलते हैं कि आपके मधुर सम्बन्ध केन्द्र से है पर इस बात के लिए आप हम से क्या चाहते है? यह सदन आपकी पूरी मदद करने के लिये तैयार है। केन्द्र के साथ में कहीं बाधा आती है तो पूरा सदन आपके साथ है। लेकिन बार-बार यह बहाना करके कि केन्द्र हमारे काम में दिक्कत करती है यह मेरे ख्याल से उचित नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज मैं मानकर चलता हूं कि राजस्थान ने योजनाएं बनायी, बिजली का उत्पादन बढ़ाने की बराबर चेष्टा की जा रही है और वह कर भी रहे हैं। लेकिन उसके नियंत्रण में कठिनाई है। आज किसान इस बात को नहीं सोचता कि केन्द्र बाधक है, बिजली बोर्ड बाधक है, वह यह चाहता है कि मेरे खेत में बिजली मिले। आज का बिजली बोर्ड किसान विरोधी है, उसकी नीतियां किसान विरोधी हैं यह कहने में किसी को संकोच नहीं है और प्रमाण के आधार पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड का दिमाग स्पष्ट नहीं है। बिजली बोर्ड के दिमाग का इलाज करवाया जाना बहुत आवश्यक है। मैं विस्तार में नहीं जाकर आपसे निवेदन करना चाहूंगा....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : किसका दिमाग बिजली बोर्ड का या उसको चलाने वालों का?

श्री शिवनाथ सिंह : जैसा आप ठीक समझो वैसा कर लो। लेकिन इलाज करवाओ। इलाज के लिये माननीय चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड अपने आप में स्पष्ट नहीं है कि हमको किसान को बिजली देने के लिये क्या स्पष्ट नीति अपनाई जानी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 8-12-1994 से 7-4-1995 तक बिजली बोर्ड के 11 आदेश निकले हैं। वह सब एक दूसरे से सेल्फ कंट्राडिक्ट हैं। सुबह एक आदेश निकाल दिया, रात को सोते हुए स्वप्न आ गया दूसरा निकालना चाहिये। आपको यह देख कर आश्चर्य होगा कि 16-2-1995 को एक आदेश निकाला गया, 16-2-1995 को दूसरा आदेश निकाला गया, 16-2-1995 को ही तीसरा आदेश निकाला गया। यह आदेश किसान को बिजली देने के सम्बन्ध में हैं। किसी में आपने ट्रांसफार्मर्स का खर्चा 68 हजार रुपये मांग लिया, कहीं आपने नर्सरी की रेट लगा दी, कहीं आपने दो पोल का, एक पोल का कनेक्शन देने की स्कीम बता दो और दूसरे आदेश में उसको आपने रद्द कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष जी, यहां समस्या इस बात की है कि आज हजारों किसान लाइन में खड़े हुए हैं और वह

(श्री शिवनाथ सिंह)

बिजली चाहते हैं। मैं सब आदेशों को नहीं, केवल एक आदेश को आपकी इजाजत से मैं पढ़ना चाहूंगा जिससे सदन को जानकारी हो सके कि कितना भयंकर भ्रष्टचार का रास्ता इस बिजली बोर्ड ने अपना रखा है। किसान का शोषण कर के अपने चहेते को पारितोषिक देना चाहते हैं। एक आदेश 31-3-1995 को निकाला गया। अविद्युतीकृत गांवों में कृषि कनेक्शन देने के आदेश संख्या फलां-फलां के अन्तर्गत कनेक्शन देने हेतु विद्युत मण्डल का जो अधिकारी कर्मचारी आवेदकों को प्रेरित करके लाएगा उन्हें ऐसे गांव के पहले कनेक्शन के लिये प्रोत्साहन राशि के रूप में रुपये एक हजार दिये जाएंगे। उपाध्यक्ष जी, लोग चिल्ला रहे हैं हमको कनेक्शन दो और यह कहते हैं कि हम कर्मचारी को पहले कनेक्शन के लिये प्रोत्साहन राशि देंगे। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से, जो इस वक्त विद्युत मंत्री जी का भी काम कर रहे हैं, जानना चाहूंगा....

एक माननीय सदस्य : बैठे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : कि इस आदेश के अन्तर्गत किन-किन लोगों को प्रोत्साहन राशि दी गयी। बड़ा भयंकर घोटाला है। आज बिजली बोर्ड के लो लेवल के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके सामने जाते हैं और कहते हैं कि साहब हमको कनेक्शन लेना है तो वह कहते हैं कि हमको पता नहीं है किस आदेश के तहत हम आपसे कनेक्शन के लिये दरख्वास्त लें। क्योंकि सुबह एक आदेश हमारे पास आता है, कल दूसरा आदेश हमारे पास आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कर्मचारी कंफ्यूजन में है और वह आपको स्पष्ट नहीं कर सकता। माननीय ऊर्जा मंत्री जी नहीं हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता था कि क्या उनके दिमाग में है कि कितने आदेश इन 6 महीनों में बिजली बोर्ड में निकले हैं, नहीं हो सकता, क्योंकि उनको जानकारी भी नहीं है। हमारे ऊर्जा मंत्री जी सीधे-साधे हैं, काम करना चाहते हैं और विद्युत मण्डल पर अंकुश लगाना चाहते हैं। उनके काबू में मामला नहीं आ रहा है। मैंने पहले भी निवेदन किया था, आज भी कह रहा हूं कि जिस मंत्री पर हमारे मुख्य मंत्री जी की क्रूर दृष्टि पड़ती है तो उनको बिजली का महकमा संभला दो और भण्डारी जी को चेयरमैन बना दो, उस मंत्री का सफाया है। आज कोई अंकुश नहींहै।....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया कंस्ट्रेक्टिव सुझाव दें।

श्री शिवनाथ सिंह : कंस्ट्रेक्टिव सुझाव ही दे रहा हूं। पहला तो कंस्ट्रेक्टिव सुझाव है कि बिजली बोर्ड के दिमाग का आपरेशन करवा दो। मैं कंस्ट्रेक्टिव सुझाव यह दे रहा हूं, जिसको निकालना हो, क्रूर दृष्टि हो, उनका यह काम कर दो। माननीय उपाध्यक्ष जी।

एक माननीय सदस्य : उनसे सुना नहीं गया, इसलिए हाउस छोड़कर चले गये।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं सुझाव देना चाहता हूं आप विद्युत मण्डल में भ्रष्टाचार को रोकिये। भ्रष्टाचार कहां होता है। लाइनमैन किसान के खेत पर जाता है और उसके मीटर को टेम्परविद करता है। आकर रिपोर्ट करता है कि मीटर टेम्परविद है, चोरी की है, विजिलेंस को रिपोर्ट होगी

(श्री शिवनाथ सिंह)

और उस किसान का सब कुछ खाया-पिया निकाल लेंगे। कायदा यह है कि मीटर के पास में एक कागज होना चाहिये, जो कोई मीटर में खराबी हो, लाइनमैन की ड्यूटी हो, मीटर रीडर की ड्यूटी हो, उसमें इंगित करें। इस आदेश का पालन कहीं नहीं हो रहा है अगर पालन हो जाएगा तो कर्मचारियों को रिश्वत कौन देगा। आज डिमाण्ड नोटिस निकलता है। सही बात है, डिमाण्ड नोटिस टाइम पर निकलता है लेकिन डिमाण्ड नोटिस जमा करने के लिये पांच हजार रुपये की तय राशि हमारे झुंझुनूं जिले में है और जिलों की मैं नहीं कह सकता। लेकिन हमारे झुंझुनूं जिले में पांच हजार रुपये दिये बिना न तो डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा होती है और न ही उनको सामान दिया जाता है।

एक कंक्रीट उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। गुढ़ा रोड के ए. ईएन के आफिस के सम्बन्ध में एक काश्तकार ने दरख्वास्त दी कि मेरे से पांच हजार रुपये मांगे जा रहे हैं दो हजार रुपये मैंने ए.ईएन को दे दिये हैं और तीन हजार रुपये मैं फलां तारीख को दूंगा, एण्टी करप्शन वालों को उसने इत्तला दी, एण्टी करप्शन वाले पहुंचे और तीन हजार रुपये कैश कर्मचारी के पास मिले। पूछा कि रुपये किसके हैं? कर्मचारी ने कहा कि ए.ईएन. साहब ने कहा था कि फलां आदमी आएगा आप रुपये ले लेना। वह रुपये हैं यह मेरा इसमें लेना देना नहीं है, मैंने तो इसका हाथ भी नहीं लगाया है। उस कर्मचारी पर केस बनाया गया और केस बनाने के बाद में पुलिस से सांठ-गांठ की की इस आदमी का एक्चुअल रुपये लेने में हाथ नहीं था। मैं इस डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहता कि पुलिस केस क्यों नहीं बना, लेकिन क्या विभागीय कार्यवाही उस आफिसर के खिलाफ नहीं हो सकती? क्या आज एक कर्मचारी की यह हैसियत है कि वह ए. ईएन. के आफिस में बैठकर 5 हजार रुपये ले ले बिना ए.ईएन. की सहमति के? इस प्रकार के जो काम होते हैं उनसे कर्मचारियों को भ्रष्ट तरीके अपनाने का प्रोत्साहन मिलता है। आपके लाइनमैन हैं, एक काश्तकार से, खेत वाले से एक बोरी गेहूं वसूल करते हैं उनको जो काश्तकार एक बोरी गेहूं एक फसल पर दे देता है उसके यहां कोई मीटर की गड़बड़ नहीं होगी, लाइन की गड़बड़ नहीं होगी, डिफाल्ट की गड़बड़ नहीं होगी और जो नहीं देता है उसके तो वह साल भर में दस बोरी लगवा देते है। यह कंक्रीट सुझाव मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

14.00

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज बिजली की चोरी का आरोप लगाया जाता है, मैं इन्कार नहीं करता, चोरी होती होगी, होती भी है लेकिन उसका उपाय है। आप छोटे–छोटे स्थानों पर सब स्टेशंस कायम कीजिये, 33 के.वी. जितने भी अधिक आप सब-स्टेशंस कायम करेंगे और जगह जगह ट्रांसफार्मर्स लगाएंगे तो बिजली की चोरी में रूकावट आएगी। वह आप नहीं करना चाहते हैं। ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक किसान 11 के.वी. की लाइन नीचे ट्रांसफार्मर्स की दरख्वास्त देता है, दूसरा भी देता है लेकिन पांच हजार रुपये पहुंच गये उसके यहां डी. पी. मिल गयी, दूसरे ने नहीं दिये तो उसको डी.पी. नहीं मिलती है। इस प्रकार की

(104)

(श्री शिवनाथ सिंह)

जो अलग-अलग नीतियां हैं उन नीतियों पर मेरे ख्याल से अंकुश होना चाहिये। एक बात यह कहने से कि हमने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने की चेष्टा की है, मेरे ख्याल से, उपाध्यक्ष जी, इससे भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। एक जमाना था जब लोग पुलिस से आतंकित थे, उसके बाद जमाना आया जब रेवेन्यू अधिकारी, पटवारी से लोग आतंकित थे। आज, उपाध्यक्ष जी, दोनों गौण हो गये, आज बिजली के कर्मचारी से लोग आतंकित हैं। पुलिस में गांव में मुश्किल से एक आदमी जाता था, आज हर किसान, हर कंजूमर इस बिजली के महकमे से पीड़ित है।

मैं एक बात के लिए हमारे चेयरमैन को, हमारे बिजली बोर्ड को साधुवाद दूंगा कि इसने किसान से रुपया ऐंठने में कोई कसर नहीं रखी। किसान से इतना रुपया लिया गया है, तुमको ट्रांसफार्मर का पैसा देना पड़ेगा, तुमको लाइन का पैसा देना पड़ेगा, तुमको सामान का पैसा देना पड़ेगा। आज बिजली के कनेक्शन के लिये जो भी आवश्यक चीजें हैं, उन सब का पैसा किसान को देना पड़ेगा तो फिर किस बात के लिये सरकार है? किस बात के लिये आप इस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं? मेरा सुझाव है कि किसान को कुएं पर बिजली मिले उस वक्त तक का सब खर्चा बिजली बोर्ड वहन करे। उस किसान के कुएं के ऊपर उसकी मोटर लगा दो, कनेक्शन कर दो उसके बाद खर्चा किसान देगा। आपके पास बिजली बोर्ड में कमी है, घाटा है उसको ठीक ढंग से वसूल कीजिये। मैं यह नहीं कह कर चलना चाहता कि आज बिजली बोर्ड घाटे में रहे, आप रेट बढ़ा सकते हैं, दो पैसे, पांच पैसे रेट बढ़ा सकते हैं। बिजली बोर्ड को पैसा चाहिये, सही है लेकिन बिजली बोर्ड का पैसा लेने के लिये यह जो भ्रष्टाचार का माध्यम है उसको आप समाप्त कीजिये।

उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हजारों की संख्या में काश्तकार....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

बिजली का कनेक्शन लेने के लिये लाइन में खड़े हैं। आप कहां से बिजली लायें यह आपका काम है लेकिन उन लोगों के आज, प्रायोरिटी के हिसाब से, जिन लोगों ने साधारण स्कीम में दरख्वास्तें दी थीं, 10 साल से 8 साल से पड़े हुए हैं और रुपया ऐंठने के लिये आपने स्पेशल स्कीमें लगा दीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि साधारण स्कीम के अन्तर्गत कनेक्शन मिलेगा वह किसान भी अन्न उत्पादन करेगा, स्पेशल स्कीम में आप रुपया लेकर कनेक्शन देंगे वह भी अन्न का उत्पादन करेगा, हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति में दोनों का योगदान बराबर है इसलिए इस स्पेशल स्कीम के नाम पर किसानों का शोषण मत कीजिये। लाख-लाख, डेढ़-डेढ़ लाख रुपया किसान ने खर्च किया है और आज 6 महिने, 8 महीने, या दो-दो साल से वह पड़े हुए हैं। स्पेशल स्कीम वाले काश्तकार भी बिना कनेक्शन के रो रहे हैं और जो ओरिजनल स्कीम थी वह भी 10 साल से पड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपका अधिक समय नहीं लेकर इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो पेंडिंग ऐप्लीकेशंस किसानों की हैं उनको यथा सम्भव

(श्री शिवनाथ सिंह)

शीघ्रता से निपटाया जाय और जो साधारण स्कीम में किसान पड़े हुए हैं उनको पहले बिजली दी जाय तथा रुपये के लालच में किसान को लूटने की तरकीब बन्द कीजिये।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम जी ओला।

श्री शीशराम ओला (झुन्झुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज बिजली की जो एक गम्भीर समस्या राज्य के समक्ष है उस पर चर्चा हो रही है। मुझे भी आपने अवसर दिया, धन्यवाद।

आज एक लम्बे समय से मैरिट से जो कनेक्शन काश्तकार को दिये जा रहे थे वह बिलकुल समाप्त कर दिये गये और पुराने कनेक्शन काश्तकारों के पास थे, उन्हें बावजूद मुख्य मंत्री जी की घोषणा के, जो सदन में घोषणा की थी कि आठ घंटे बिजली काश्तकार को मिलेगी, दो घंटे, तीन घंटे, ढाई घंटे बिजली मिलती है और वह भी कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट। आंख मिचौली होती रहती है जिसकी वजह से काश्तकार की मोटर जल जाती है और काश्तकार के कुएं का पानी उसके खेत में सिंचाई के लिये पहुंच नहीं पाता है और काश्तकार बेहद परेशान है। पुराने कनेक्शंस के ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं वे 15-15, 20-20 दिन तक रिप्लेसमेंट नहीं होते। बिजली विभाग में जाते हैं तो छोटे लेवल के अधिकारी ठीक से बात नहीं करते और उनका व्यवहार काश्तकार के साथ पुलिस से भी बदतर रहता है। ऐसी स्थिति में, खासतौर से मैं झुन्झुनूं जिले की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे जिले में नहर का कोई पानी खेती के लिये उपलब्ध नहीं है, केवल काश्तकार के सामने बिजली के माध्यम से सिंचाई का ही साधन है। ऐसी स्थिति में प्रायोरिटी पर जो कनेक्शंस दिये जाने थे जिनको 15 साल से 10 साल से, जैसे मेरे से पूर्व वक्ता माननीय श्री शिवनाथ सिंह जी ने फरमाया, पेण्डिग पड़े हैं और वह भी पेण्डिग पड़े हैं जो जीवन धारा में कुएं खुदे, वह भी पेण्डिग पड़े हैं जो 10 वर्ष पहले सरकार ने सब्सिडी देकर, बैंक से कर्ज दिलाकर कुएं खुदवायें, उनकी एप्लीकेशंस 10-10 साल से पड़ी हैं उन्हें कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। वे काश्तकार जिन्होंने कर्ज लेकर कुआ खोदा, 10 साल हो गये, 15 साल हो गये, उसने कुछ अर्जन करने के लिये कुआं खोदा था और वे कुएं सूखे पड़े हैं, किसानों पर ब्याज चढ़ रहा है। वह कहां से ब्याज दें? यह एक बड़ी विकट समस्या है।

भण्डारी जी ने जो एक पोल, दो पोल और नर्सरी योजना के तहत कनेक्शन देने की योजना निकाली उससे कम से कम मेरे जिले के किसानों को प्रोत्साहन मिला, एक आशा जगी और उन्होंने अपने खेतों में पुराने कुएं थे उनके लिए एप्लाई किया, नये कुएं खोदे। किन्तु खेद की बात है कि बोर्ड का एक आदेश यह है कि 15 दिन में नर्सरी के तहत पैसा जमा करवाने वाले व्यक्ति को, काश्तकार को स्वतः ही कनेक्शन

(106)

(श्री शीशराम ओला)

दिया हुआ मान लेना चाहिये लेकिन मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितम्बर में हजारों काश्तकारों ने कर्ज लेकर अपना जेवर गिरवी रखकर कैसे भी पैसे जमा कराये, कुआ खोदा, उन्हें आज तक बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अब सरसों की बुवाई तो समाप्त हो गयी, क्योंकि 5 तारीख से पहले तक बोई जाती है, गेहूं की बुवाई चल रही है। वह किसान कनेक्शन लेने के लिये बिजली विभाग के पास जाते हैं तो उनको कहते हैं कि हमारे पास न पोल है, न तार है। पहले एक पोल पर पैसा नहीं लिया जाता था और यहां तक कि काश्तकार के खेत में आर.एस.ई.बी. के ट्रक, मोटर फ्री में सामान डालकर आते थे कनेक्शन होते थे। धौलपुर से अनूपगढ़ तक, झुन्झुनूं से जैसलमेर तक, इन्दुपुर कोट से बांसवाड़ा तक, सब जगह फ्री पोल्स कांग्रेस ने दिये। किसानों को खेत-खेत में बिजली दी। हर गांव में बिजली दी और हर शहर में बिजली दी, 32,000 कनेक्शन कांग्रेस शासन में मिलते थे हर साल के, आज वह तो प्रायः समाप्त कर दिये और एक योजना जो भण्डारी जी ने बहुत साहस करके निकाली, उसके तहत लोग हजारों की संख्या में हमारे जिले में तैयार हुए, पैसा जमा करवाये, कनेक्शन उनको आज तक नहीं मिले और कितने ही लोग डिमांड नोटिस के इन्तजार में बैठे हैं। उन्हें डिमांड नोटिस इश्यू नहीं हो रहे हैं जबकि उन्होंने सारी फोर्मल्टीज पूरी कर दी। ऐसी स्थिति में, जैसा मैंने कहा, सरसों की बुआई समाप्त हो गयी, गेहूं की बुआई आ रही है। यदि इन्हें बहुत समय रहते 5–7 दिन में कनेक्शन नहीं दिये गये तो वह बुवाई कहां से करेगा। पिलाई के बगैर बुवाई होती नहीं। आप भी काश्तकार हैं और समय नहीं नजर आता। मुझे तो यह भा.ज.पा. सरकार ट्रेडर्स तो है, व्यवसायी सरकार तो है, यह तो मान लिया। किसान विरोधी सरकार तो है यह तो मान लिया लेकिन यह अजीब ट्रेडर्स सरकार है। दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार से हम सौदा लेते हैं। गेहूं लें, चावल लें, गुड़ लें, शक्कर लें, कपड़ा लें तो दुकानदार बड़ी इज्जत से तो बैठाता है ग्राहक को और बड़ी तसल्ली से सब चीजें उसको दिखाता है। जो ग्राहक को पसन्द आती है वह चीज उसको दे देता है और जब ग्राहक चलने लगता है सामान लेकर दुकानदार कहता है भई, पैसा तो इतना हुआ दे दो, वह पैसा दे देता है, सामान लेकर चला जाता है लेकिन यह ट्रेडर्स सरकार पैसा ले लेती है 6–6 महीने पहले, एक–एक साल पहले।

मैं एक उदाहरण दूंगा, एक हरिजन का मामला बताऊंगा जो तहसील राजगढ़ जिला चूरू का है। उसने 10 अक्टूबर, 1994 को पैसे जमा कराये, डिमांड नोटिस राजगढ़ के विद्युत विभाग के इंजीनियर ने उनको दिया। यह उसने पैसा जमा कराया, इसकी रसीद नम्बर है 55773 और इसको आज तक एक साल से ज्यादा समय बीतने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं रिलीज किया गया। एक हरिजन का मामला है। एक साल से ज्यादा समय हो गया। आज तारीख हो रही है 31 अक्टूबर और उसने 10 अक्टूबर, 1994 को ही करा दिया था। ऐसी सरकार ट्रेड में भी फेल हो गयी

(श्री शीशराम ओला)

और तो सब कार्यों में पूर्णतः फेल। ट्रेड का कार्य शुरू किया उसमें भी फेल हो गयी। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह सरकार कैसे और कितने दिन टिक पाएगी।

मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्रीजी नहीं हैं, लेकिन सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिन किसानों ने नर्सरी, एक पोल–दो पोल योजना के तहत पैसे जमा करा दिये हैं या दूसरे प्रकरण में भी बिजली लेने के लिए पैसा जमा जिस किसी के हो गये हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से कनेक्शन दिलाये जायं और सामान नहीं है तो जब करोड़ों रुपया जमा हो गया बोर्ड में तो सामान की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी। इसके लिये किसान दोषी नहीं है, इसके लिये दोषी है तो सरकार। ऐसी स्थिति में मैं पुनः आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि तत्काल प्रभाव से जिन किसानों ने पैसे जमा करा दिये हैं उन किसानों को कनेक्शन मिले और जो डिमांड नोटिस के लिये दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, विभाग के अधिकारियों की झिड़कन सुन रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से डिमांड नोटिस जारी किये जाने चाहिये ताकि वे कनेक्शन आगे ले पायें, क्योंकि एक पोल-दो पोल तो बन्द कर दिये। अब तो एक ही योजना है केवल नर्सरी की और यदि इसको भी सरकार फेल करना चाहती है तो दोष सरकार का है काश्तकारों का नहीं है। काश्तकार इस समय बहुत साहस से आगे आ रहा है। काश्तकार दुगुनी रेट देने के लिये तैयार हैं लेकिन सरकार उन्हें कनेक्शन नहीं दे तो यहां दोष काश्तकारों का नहीं, सरकार का है।

इसी तरह पुराने कनेक्शन के बारे में कहना चाहूंगा कि पुराने कनेक्शन जो मिले हैं उनमें निश्चित रूप से राजस्थान छीजत में सबसे अग्रणी है। छीजत क्यों होती है, यह कंट्रोलिंग अथोरिटी का कार्य है। वह इसको देखें, मंत्री देखें, मुख्य मंत्री देखें, बोर्ड देखे। जो छीजत होती है उसे रोका जाय, उसे कम किया जाय ताकि बोर्ड को इसका लाभ मिले। 1990 में जब कांग्रेस से शासन भा. ज. पा. ने लिया तो 500 करोड़ का घाटा था। आज 1100–1200 करोड़ का घाटा पहुंच जाए और यह तो तब पहुंचता है जब हर जगह रेट बढ़ा दी गयी। काश्तकार को 27 पैसे से 60 पैसे करीब कर दिया गया। इण्डस्ट्री की रेट बढ़ा दी, डोमेस्टिक कनेक्शन पर रेट बढ़ा दी और एक पोल के रुपये 9,000/– कर दिये, ट्रांसफार्मर के पैसे काश्तकारों से ले रहे हैं, उसके बाद इतना बडा घाटा हो, एक गम्भीर विषय है। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक सरकार को यह कहना चाहूंगा कि यदि बिजली की स्थिति यही रही तो सरकार का मुश्किल हो जाएगा दफ्तर से बाहर निकलना और कोई ताज्जुब नहीं की दफ्तर में लोग घुस जायं। ऐसी स्थिति में यदि कल्याणकारी सरकार है तो उसे काश्तकार के संकट को समाप्त करना होगा। हम कोई बहाना सुनना नहीं चाहते कि बिजली नहीं है, यह हो गया, वह हो गया। बिजली किसानों को कोई कल्याणकारी सरकार होगी तो देगी और देनी होगी। आज गांवों में बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए चार बजे, जब इम्तिहान के दिन आते हैं तो पढ़ने के लिये बिजली नहीं। दीपावली के दिन ट्रांसफार्मर

(श्री शीशराम ओला)

जल गया और झुंझनूं के कई गांव अंधेरे में डूबे रहे, दीपावली मना नहीं सके, रोशनी कर नहीं सके, पानी पी नहीं सके, क्योंकि पानी आजकल कुएं के माध्यम से नहीं आता है बिजली के माध्यम से आता है। पहले एक अलग प्रकार की व्यवस्था होती थी, आज वह व्यवस्था समाप्त हो गयी तो आज बिजली होगी तो पानी आएगा, बिजली का बटन दबाएंगे, वह कुएं से पानी बाहर निकालेगा अन्यथा कहां से पानी आएगा, तो कई गांव में खाना तक नहीं बन सका दीपावली के दिन। यह स्थिति बिजली विभाग के लोअर लेवल के अधिकारी की है। इस पर काबू करना अत्यन्त आवश्यक है। शहरों को बिजली मिलती है 24 घंटे। मेरा गांव जहां दो कॉलेज हैं, 4,000 लड़कियां पढ़ती हैं अरड़ावता गांव है, वहां छह बजे बिजली काट देते हैं। बच्चियों को अंधेरे में खाना खाना पड़ता है, वे हॉस्टल्स में रहती हैं और इसी प्रकार से चिड़ावा मेरे यहां से 4 किलोमीटर दूर है, वहां पर बिजली चलती रहती है। हर गांव की यही हालत है। गांव का बच्चा आज उतना अनभिज्ञ नहीं रह गया, किसान उतना अनभिज्ञ नहीं रह गया। शहर और गांवों के अन्दर, किसान के ट्रेडर्स के अन्दर यदि सरकार इतना अन्तर करके चलेगी तो इस अन्तर को कभी भी काश्तकार बर्दाश्त नहीं करेगा गांव....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरी पार्टी का टाइम है प्लीज। डोंट डिस्टर्ब मी। मैं आपकी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं। सजेशन दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, बोलिये। कृपया आप बोलिये। समय बर्बाद मत कीजिए।

श्री शीशराम ओला : मैं बर्बाद कहां कर रहा हूं, +++मैंने एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, बोलिये। आप बोल कहां रहे हैं। आप बोलिये ना।

श्री शीशराम ओला : तो आप मुझे बोलने दीजिये। मैं कोई आउट ऑफ विषय नहीं बोल रहा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि काश्तकार के साथ इतना बड़ा भेदभाव उचित नहीं है। काश्तकारों के बच्चों के जब के इम्तहान होते हैं तो उन्हें बिजली मिलती नहीं है, कैसे पढ़े अंधेरे में और वे बच्चे शहर के जिनको 24 घंटे बिजली मिलती है, वे आराम से पढ़ते हैं, फर्स्ट डिवीजन परीक्षा में आते हैं और गांव के बच्चों को कहीं नौकरी मिलती नहीं। मुश्किल से कहीं थर्ड डिवीजन आ पाते हैं या नहीं आ पाते, कोई फेल हो जाते हैं, क्योंकि सरकार जो साधन उपलब्ध कराती है वह सम्पूर्ण रूप से एक साथ नहीं कराती तो व्यवसायीपना आपने शिक्षा में भी कर दिया। आपने चार-चार लाख रुपये जमा करा लिये स्कूल्स के नाम पर, हायर सैकण्डरी स्कूल बनाने के नाम से, दो लाख सैकण्डरी स्कूल के नाम से, पैसा तो आपने जमा करा लिया और स्कूल खोली नहीं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शीशराम ओला)

इसी व्यवसाय में भी सरकार फ़ेल होती जा रही है। इसलिए हो रही है कि पैसा लेकर सौदा नहीं देती पैसा लेकर भी काम नहीं करती। किसान पैसा देना चाहता है सरकार को, बिजली विभाग को किसान खम्भे के पैसे दे रहा है, बिजली विभाग को किसान ट्रांसफार्मर के पैसे दे रहा है। सरकार जो मानती है वही किसान बिजली विभाग को दे रहा है, उसके बावजूद भी बिजली नहीं। आज जिस किसान ने चार लाख रुपये लगा दिये बिजली के कुएं के, उसको कनेक्शन मिला नहीं। वह कहां से इसका ब्याज देगा, इस पर सरकार कभी सोचती नहीं, ऐसी स्थिति में यहां असेम्बली में आज बात कही जा रही है सदन में, उपाध्यक्ष महोदय, यह गांव-गांव में, शहर-शहर में, कस्बे-कस्बे में यह बात जाने वाली है,...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बात नहीं करें।

श्री शीशराम ओला : और गांव का किसान हर जगह आंदोलन पर उतारू है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो सरकार के लिये उस पर नियंत्रण करना कठिन हो जाएगा और राज करता गांव का किसान इस सरकार को, भाजपा की+++सरकार को भुला देगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कांत (अनुपस्थित)। श्री भंवर सिंह डांगावास।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, कल सत्ता पक्ष के सारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार रख दिये, आज बहुत थोड़ा समय बिजली के लिये मुकर्रर किया है तो कम से कम सारा समय ही विपक्ष के माननीय सदस्यों को बोलने के लिये दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : निर्दलियों का भी सम्मान किया जाय।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैंने तो अपना सुझाव दिया है कि या तो समय बढ़ाया जाय और हमको पूरा बोलने का, हरेक सदस्य अपने क्षेत्र की बात रखना चाहता है इसलिए आपसे निवेदन है कि चाहे आप पांच मिनट का समय दीजिये, दस मिनट का समय दीजिये लेकिन सब को दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवर सिंह डांगावास।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल सरकार मूड में नहीं थी, निर्दलियों को भी पूरा सुना नहीं गया, हो-हल्ला बहुत था इसलिए उन सब को अवसर पुनः देना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : दे रहे हैं।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बिजली की कमी से जितना प्रतिपक्ष चिंतित है उतना मैं, हमारे ऊर्जा मंत्री और हमारी सरकार भी चिंतित है। लेकिन क्या कारण हुए, इस तरह का संकट क्यों आया, पूर्व सरकारों ने यह विचार ही नहीं किया कि

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

पांच वर्ष बाद या दस वर्ष बाद कितनी बिजली की खपत होगी और खपत का अनुमान लगाकर ऐसी कोई उत्पादन की योजनाए नहीं बनायीं।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : भंवर सिंहजी छह साल में आपके राज में एक मेगावाट भी बिजली जोड़ी है क्या ?

श्री भंवरसिंह डांगावास : मैं आदर करता हूं फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य का और एक मेगावाट या कितने मेगावाट, वह सभी आंकड़े मैं आपको बता देता हूं। आप यह मत विचारिये कि हमने कुछ नहीं किया। लेकिन बिजली उत्पादन करने के लिये कोई रातों-रात हथेली में सरसों नहीं उगती, योजना बनती है और योजना के बाद उसकी क्रियान्विति में, जैसा कि हमारे ऊर्जा मंत्रीजी ने आपको विस्तार से बताया, हमने विचार किया है कि दस साल बाद भी जितनी बिजली की आवश्यकता होगी उसके उत्पादन की अभी से योजना बनायी गयी है।

श्री अनंग कुमार जैन : यह है हमारी दूरदर्शिता।

श्री भंवरसिंह डांगावास : आप माननीय सदस्य कितना भी बीच में बोलें, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कोई नहीं करेगा।

श्री भंवरसिंह डांगावास : और आप हमेशा आदर्शों की बात करते हैं और आदर्शों के ऊपर आप चलते नहीं। चार पंक्तियां सुनाता हूं माननीय श्री परसादी लालजी को–"दीप जलता है कोई-कोई, वृक्ष फलता है कोई-कोई। आदर्श की बात करने वालों, आदर्श पर चलता है कोई-कोई।"

श्री हरिसिंह (महुआ) : आज आपने मूंछों की इज्जत बढ़ा दी।

श्री भवंरसिंह डांगावास : हरिसिंह जी साहब, आप अपनी ही तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद। मेरा आग्रह है कि हम इस विषय को कि किस तरह से बिजली उत्पादन की जाय, कौन-कौन चीजें बिजली उत्पादन में सहायक हो सकती हैं, दो सरकारें हैं राजस्थान सरकार और भारत सरकार। मैं आपको उदाहरण दूं कि जितनी भी योजनाएं यहां से बनकर जाती हैं मैं ऊर्जा सचिव से चार-पांच दफा एक योजना के लिये मिला था और यही जवाब मिला कि हम जाकर आये हैं कोशिश कर रहे हैं वह योजना मेरे क्षेत्र की है। घटिया किस्म के कोयले को जमीन के अन्दर जलाकर के उस से बिजली उत्पादन करने की, कोल्स इण्डिया लिमिटेड के द्वारा वह योजना है, इसको अण्डर ग्राउंड गैस, कोल गैसिफिकेशन कहते हैं, मीरा नगर, मेड़ता के पास अपार भंडार है कोयले का और वह योजना यहां तक पहुंच गयी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोल्स इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से रशिया के एक्सपर्ट्स बुलाये, रिपोर्ट तैयार करवाई, कोल्स इण्डिया लिमिटेड ने गवर्नमेंट आफ इण्डिया को रिपोर्ट पेश की और राज्य सरकार को मैंने उस रिपोर्ट को पेश करके कई दफा गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से आग्रह कराया कि इसको स्वीकृत किया जाय। एक छोटा सा उदाहरण है। यह भारत सरकार के द्वारा यदि स्वीकृत हो

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

गयी होती. रशियन टीम से मैंने बात की है, उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट को जो 3.35 मेगावाट का है; चार महीने के अन्दर इन्स-टाल्ड करके बिजली उत्पादन का कहा था और उसके बाद 320 का वह प्रोजेक्ट लाते । ऐसे कई उदाहरण हैं । कहीं पर्या-वरण बीच में आ जाता है, पता नहीं पर्या-वरण क्या करेगा । जब किसान पैदा नहीं करेगा, बिजली नहीं मिलेगी तो देश क्या खायेगा, देश क्या पहनेगा । फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य, को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत सा चिंतन बताया । कृषि के बगैर कोई भी राष्ट्र जिंदा नहीं रह सकता, सिर्फ हथियारों से या उद्योगों से कुछ नहीं होगा । यहां तक कि उद्योग भी कृषि पर आधारित हैं, अधिकतर कृषि पर, या तो यह यंत्र बनाते हैं कृषि के लिये या अन्य के लिये या हमारे उत्पादन का वह कपड़ा बनाते हैं, आटा बनाते हैं, तेल बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, यह कारखाने चलेंगे किस से ? माननीय सद-स्यगण, उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करता हूं. प्रतिपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों से, आपका एक प्रतिनिधि मण्डल जाय. दिल्ली जाय, आपके प्रधान मंत्रीजी से मिले और हमारी जितनी भी राजस्थान की योजनाएं वहां पेण्डिग पड़ी हैं वह लाकर आप दें । आपका सहयोग होगा, आपके हम आभारी होंगे और यह राजस्थान के किसान....

श्री रामनारायण चौधरी : कौन सी पेण्डिग पड़ी हैं ?

श्री भंवरसिंह डांगावास : एक तो बताई है न आपको ।

श्री रामनारायण चौधरी : कौन सी ?

श्री भंवरसिंह डांगावास : योजना, मीरा नगर, अण्डर ग्राउण्ड गेसिफिकेशन की । अब और बताऊंगा आपको, और हैं मेरे पास ।

श्री रामनारायण चौधरी : यह भैरोंसिंहजी से नाम सुन लिया है, कौनसी पड़ी है, अन्डर ग्राउण्ड की कौनसी पेण्डिग पड़ी है ?

श्री भंवरसिंह डांगावास : मैंने आपको नाम दिया है । जब मैं बोल रहा था तो आप पत्र पढ़ रहे थे कृपया मुझे भी सुनें । ऐसा न करें, फिर बाद में नींद से जगकर बोलते हैं कि कौन सी योजना । खैर आप बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता । राजस्थान के अन्दर....

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह तो पुलिस वाले डण्डे की आदत पड़ी हुई है....

श्री भंवरसिंह डांगावास : नहीं, मैंने उसका उपयोग नहीं किया है । राजस्थान सरकार की चालू तीन योजनाएं, आप कहते हैं कि कौन सा उत्पादन किया है, वही बात हथेली पर सरसों न उगने वाली....

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो कह देंगे मंत्री महोदय, आप तो किसानों की कोई बात कहो ।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपका समय निकलता जा रहा है ।

श्री भंवरसिंह डांगावास : अच्छा । मैं इस विवाद में ज्यादा नहीं फंस कर, समय

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

तो यह निकाल रहे हैं, इनको रोकिये, मैं तो बोल रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : समय इंतजार नहीं करेगा किसी का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : समय ठीक आ रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार को मजबूत कर रहे हैं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : सरकार मजबूत है किसानों से ही मजबूत है किसानों की बात पहले बोली है। आप चिंता नहीं करें। खैर, मैं बिजली बोर्ड के सम्बन्ध में कुछ बातें जो प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कही हैं, उनसे मैं सहमत हूं। विशेषतः इलेक्ट्रिक लोस को इन्होंने ध्यान में लिया है, लेकिन पूर्णतया कार्य नहीं हुआ। 33 के.वी.ए. के प्रति पचास कुओं के ऊपर अगर स्टेशन बनें होते तो आज हमको लोड कुओं पर चार सौ मिलता लेकिन नहीं हुआ। साधनों की कमी है या क्या कारण है इनके लिये तो ऊर्जा मंत्रीजी ही बताएंगे। इसके अलावा ट्रांसफार्मर्स जल जाय या ट्रांसफार्मर कनेक्शन के टाइम नहीं मिले, मैंने पिछले सेशन में भी यह निवेदन किया था कि दस प्रतिशत ट्रांसफार्मर्स एस. ई. के पास एडवांस पड़े रहने चाहिये ताकि किसान का आज ट्रांसफार्मर जले और दूसरे दिन मिल जाय। एक बात, यह घोषणा तो मंत्री महोदय ही कर सकते हैं, मैं तो आग्रह कर सकता हूं....

श्री रतनलाल ताम्बी : है ही नहीं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : नहीं, मंत्री महोदय हमारे बैठे हैं जो लिख रहे हैं। एक निवेदन और कर दूं। राजस्थान सरकार ने जो बड़े जी. एस. एस. हैं उनको वास्तव में, 132, 220 के.वी.ए. के यह जी. एस. एस. हैं इनका काम वाकई द्रुत गति से किया है और मैं ऊर्जा मंत्रीजी को बधाई देता हूं कि मेड़ता में 220 का जी. एस. एस. कुछ ही महीनों में प्रारम्भ होने वाला है।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : किसानों की बात करो आप तो।

श्री भंवरसिंह डांगावास : किसानों की बात है, वह मैं कर चुका हूं। रहा सवाल....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक सैकण्ड, बिजली के लिए जो कहते हैं कि दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे मिलती है, मैं इस हाउस के सामने सही बात कहता हूं कि हमारे यहां सात घंटे बिजली मिल रही है मेड़ता में। देखिये, जोधपुर में मैं गया श्री लादूराम विश्नोई, एस.ई. से मिला। उन्होंने कहा हम आठ घंटे बिजली दे रहे हैं। (व्यवधान) शांति रखिये आप, बीच में डिस्टर्ब मत करिये मैं आपसे कहता हूं बिजली के अभाव में आप लोग हल्का कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, कृपया व्यवधान न डालें। बिराजें आप, बैठिये।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मैंने व्यक्ति विशेष का नाम लिया। मैं असत्य नहीं बोलता और आप जो बात कर रहे हैं कतई गलत है। मैं आपसे कहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन की तरफ ही देखें।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि बिजली का अभाव है, परन्तु जितना किसान चाहता है उतनी नहीं मिलती है लेकिन बिजली जो मिल रही है वह सात घंटे से कम नहीं है। अवरोध की बात अलग है। अवरोध आते हैं ...

श्री रामनारायण डूडी : 563 मेगावाट यूनिट बिजली दी तो इसका मतलब यह समझ लें कि अपने को 12 घंटे बिजली मिल रही है। रविवार के दिन जो अखबार के अन्दर दिया है 563 मेगावाट यूनिट राजस्थान को उपलब्ध करायी गयी है तो इसका मतलब यह मान लें कि अव्यवस्था है ही नहीं तो एक दिन में आठ घंटे किसी दिन कोई दे दे....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप दूसरे का समय न लें।

श्री भंवर सिंह डांगावास : मैं भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि कम से कम आपका जो अवसर हो, आप बोलिये। मुझे डिस्टर्ब न करें। अब यह बिजली कम क्यों मिल रही है। रावतभाटा का जो प्लांट था वह दो साल से बन्द पड़ा है केन्द्रीय सरकार का प्लांट है और उसको चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार बाध्य है उसके बावजूद नहीं दे रही। हमे एक किलोवाट बिजली भी नहीं दी गयी। ऐसी-ऐसी बाधाएं हैं इसलिए माननीय प्रतिपक्ष के बुजुर्ग और वरिष्ठ सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो प्रतिनिधि मण्डल जाय, वह जाकर भारत सरकार से राजस्थान के लिये मेक्सिमम बिजली रावतभाटा की यदि हमें दिला दें, जो 350 मेगावाट यूनिट है उससे किसानों को बिजली मिलेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री इन्द्र सिंह पूनिया।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पक्ष-विपक्ष के माननीय सदस्यों के बिजली की समस्या के बारे में अपने-अपने विचार रखे हैं और भी रखेंगे। एक ही समस्या खास कर विचारों में आ रही है लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह राजस्थान के बिजली बोर्ड ने नर्सरी स्कीम घोषित की है और गांवों के विद्युतीकरण में भी यह स्कीम की है। मेरे विचार मे यह स्कीम बिलकुल निकम्मी, बेकार है और मैं पक्ष–विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपने सीने पर हाथ रखकर सोचें कि आपके क्षेत्र में आपके मतदाता क्या इस स्कीम को सराह रहे हैं ? बाकी तो आने वाला समय बतायेगा। अगर स्कीम जनता को अच्छी लगेगी, आने वाले लोक सभा चुनावों में आपको वोट मिलेंगे, अच्छी नहीं लगेगी तो विरोध होगा और जनता विरोध करेगी। हम तो यह निवेदन कर सकते हैं कि यह जो हमारे बोर्ड ने स्कीम बनायी है किसानों के लिये बिलकुल निकम्मी और बिलकुल बेकार है। हो सकता है किसी जगह के लिये अच्छी हो जैसे झुन्झुनूं जिला है, कम दूरी की जगह है। एक पोल, दो पोल में कनेक्शन होते हैं, किसानों के कनेक्शन हो जायं, उनके लिये हो सकता है अच्छी हो लेकिन जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, बीकानेर के जिलों में

(श्री इन्द्र सिंह पूनिया)

आपको 20-20 पोल पर कनेक्शन लेने पड़ें तो आप सोचिये, कितनी परेशानी की बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी भी नहीं हैं, अब किसके पास चार्ज है, सुन रहे होंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरे पास है।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : आपके पास है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चतुर्वेदी साहब से निवेदन करना चाहूंगा, मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस के समय में घाटा नहीं रहा होगा, इनके समय में घाटा नहीं है, घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के समय में भी बढ़ा, अब भी बढ़ रहा है और बढ़ेगा लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम बोर्ड को यह तो सोचना चाहिये कि घाटा क्यों बढ़ रहा है, किन-किन नीतियों से बढ़ रहा है। अभी झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि जब नर्सरी स्कीम में सरकार इतना पैसा किसानों से ले रही है, बिजली के पैसे बढ़ाये जा रहे हैं फिर भी घाटा बढ़ा है, यह चिन्ता की बात है। मेरे विचारों में घाटे के कई कारण हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और बोर्ड से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उस घाटे को भी रोकिये और जहां तक मेरी मान्यता है, कृषि क्षेत्र की जहां तक मुझे जानकारी है, सबसे बड़ा घाटा यह बोर्ड ही करवा रहा है। किसी की, दूसरे की गलतियां नहीं हो रही हैं। बोर्ड कैसे करवा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिजली बोर्ड में इतना भारी भ्रष्टाचार है कि किसान बैठे अपने घर पर रो रहा है इस बिजली बोर्ड को, मैं मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र की बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुओं के कनेक्शन में 20-20 हजार रुपये लिये गये। हमने आवाज उठायी, हमने कमेटी गठित की और कमेटी में आवाज उठायी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एस.ई. को कहा, एक्स. ईएन. को कहा लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 20-20 हजार रुपये लेकर किसानों के कनेक्शन हो रहे हैं और यह बात अगर असत्य हो तो मैं इस पावन सदन से इस्तीफा देने को तैयार हूं। माननीय मंत्री जी, आप इसकी जांच करवा लीजिये। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, राजस्थान की नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो रहा होगा। सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में 20-20 हजार रुपये लेकर किसानों के फिर भी कनेक्शन नहीं हुए। किसी को तार दिये, किसी को खम्भे दिये, किसी को डिस्क नहीं दी। फिर भी यह हालत है और चोरी कैसे होती है इसके कारण से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। मेरे खेत में दो साल, तीन साल से कुआ चल रहा है, मेरे खेत में ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है 40 के.वी.ए. का। जब तीन साल से मेरा ट्रांसफार्मर नहीं जल रहा है तो आम किसान के क्यों जलता है? यह जरा एक सोचने की बात है। मेरे पास लोग आते हैं। विधायक जी, हमें ट्रांसफार्मर दिलवाइये। मैं उनसे बड़े व्यक्तिगत तौर पर पूछता हूं कि आपका ट्रांसफार्मर

(श्री इन्द्र सिंह पूनिया)

क्यों जला, मेरे नहीं जल रहा है, मेरे नहीं चल रहा है, मैं उनसे लहजे में पूछता भी हूं कि क्यों भाई चोरी करते हो क्या ? 10 की मोटर है, 12 की चला रहे है या 15 की चला रहे हैं ? लास्ट में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे स्वीकार करते हैं कि हमारे कनेक्शन 10 का है, साढ़े 12 की मोटरें चला रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर 25 का है और उस पर 30 का लोड है तो भाई तुम क्यों ऐसा करते हो ? कहते हैं साहब, कुछ इंसान की प्रवृत्ति होती है चोरी की, अब हमारे पानी ज्यादा निकला है तो मैं कहता हूं इससे तो तुम्हें नुकसान है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने मुझे बताया है कि हम हेल्पर से लेकर ए.ईएन. तक 2 हजार, 3 हजार रुपये प्रति कुआ देते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या कभी इस प्रकार की चोरी को रोकने का प्रयास किया ? एस.ई. से लेकर ए.ईएन तक इसमें मिले हुए हैं, मेरा खुला आरोप है । आप इसकी जांच करवा लीजिये और मैं इस पवित्र सदन में यह घोषणा करना चाहता हूं । एक मेरी कांस्टीट्यूएंसी को छोड़कर मुझे कहीं भी इनकी विजिलेंस के साथ कर दीजिये, मैं इनकी चोरी पकड़कर दिखाऊंगा और लाखों और करोड़ों रुपये के ट्रांसफार्मर अगर नहीं जलें तो मैं इस विधान सभा में यह बोर्ड पर स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं कि इसके अधिकारी एस.ई. से लेकर ए.ईएन., एक्स.ईएन. तक चोरी करवाते हैं और करोड़ों रुपये के ट्रांसफार्मर जो किसान चलाते हैं वह जलते हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, किसान चक्कर काटते हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र की मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि वहां का ए.ईएन. कोई भी किसी किसान को चाहे एम.एल.ए. फोन करे, चाहे एम.पी. फोन कर दे, दो हजार और तीन हजार रुपये से नीचे लिये बगैर ट्रांसफार्मर नहीं देता है ।

इसी प्रकार से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिजली बोर्ड को यह भी कहना चाहूंगा कि गांवों में वह बिजली की चोरी करवाते हैं । राजस्थान की मैं नहीं कहता, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र चूरू जिले की बात कह रहा हूं । चूरू जिले की मुझे जानकारी है । गांवों में कितने कनेक्शन हैं, आपके पास जानकारी होगी । हर गांव में देखिये, आपके कितने कनेक्शन जारी किये हुए हैं । गांव-गांव में नंगे तार डाले हुए हैं । मैंने यह मीटिंगों में भी कहा है । नंगे तार डालकर लोग लाइट चलाते हैं, चक्कियां चलाते हैं, अवैध कनेक्शन ले रखे हैं और इधर बोर्ड के निर्देश हैं कि लोगों को कनेक्शन दे दिये जायं । बोर्ड लोगों को कनेक्शन दे नहीं रहे और करोड़ों रुपयों की बिजली की चोरी यह बोर्ड करवा रहा है । क्यों नहीं ये लोगों को कनेक्शन देते, क्यों नहीं ये भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ते हैं, कुओं पर क्यों नहीं रेड पड़वाते ? इस प्रकार से इनके अधिकारियों के कारण से करोड़ों रुपये की बिजली की चोरी, ट्रांसफार्मर्स का जलना, कुओं में पैसे खाना, यह बोर्ड की रीति नीति में शामिल हो गया है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2–4 बातों का सुझाव देना चाहूंगा । अभी हमारे

(श्री इन्द्र सिंह पूनिया)

ऊर्जा मंत्रीजी हैं, मैं इनको बहुत भला आदमी मानता हूं, हैं भी। चेयरमैन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। सभी आदमी ईमानदार भी नहीं हैं और सभी बेईमान भी नहीं हैं। अभी विधान सभा में घोषणा की कि कमेटियां गठित की जाएंगी, जिला लेवल पर, मण्डल लेवल पर और उप मण्डल लेवल पर। मैं राजस्थान के दूसरे जिलों की तो नहीं कह सकता हूं हमारे चूरू जिले में, हमारे यहां के मंत्रीजी भी बिराजे हैं, आज तक उसकी एक मीटिंग नहीं बुलायी। एक मीटिंग बुलायी जिसमें मैं व्यक्ति गत रूप से गया और जो-जो गड़बड़ी थी, वहां मैंने बतायी। इस तरह से यह गड़बड़ हुई, यह गड़बड़ हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह मानना है, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी तो नहीं हैं लेकिन चतुर्वेदीजी मेरे एक सुझाव को आप नोट करना। जिस कमेटी में चोर बैठे, उसी का उसको चेयरमैन, वहां कौन सुनवाई करेगा। एस.ई. उसका चेयरमैन है, एक्स.ईएन. उसका मेम्बर है और उन्हीं के खिलाफ तो हम बोलते हैं और वे ही अपने....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट और लेना चाहूंगा। माननीय चतुर्वेदीजी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने पिछली मीटिंग में इतने आरोप लगाये थे बिजली बोर्ड पर, इतनी कमियां बतायी थीं। लेकिन मुझे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा दुःख हुआ जब उसकी प्रोसीडिंग मैंने पढ़ी। प्रोसीडिंग को टोटली सेंसर कर दिया गया जो मैंने आंकड़े पूछे थे, एक आंकड़ा उसमें नहीं आया। जो मैंने चोरियों के एलिगेशंस लगाये थे वह एक एलिगेशन नहीं आया, तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, मेरा सुझाव है कि उस का चेयरमैन जिले का कलेक्टर होना चाहिये ताकि बिजली बोर्ड की जितनी भी गड़बड़ियां हों, वह पूरी तरह से अंकित हों और वह कापी माननीय मंत्रीजी और चेयरमैन तक आये।

मेरा यह निवेदन है कि कमेटियों में चेयरमैन बिजली बोर्ड का रखा है, यह बिलकुल गलत है। उस डिपार्टमेंट के खिलाफ तो हम बोलते हैं। उस डिपार्टमेंट का चेयरमैन और इसमें ये तीनों अधिकारी लिप्त होते हैं। एस.ई., एक्स.ईएन., और ए.ई एन.। वह उनकी बात ही नहीं सुनता है। (व्यवधान) नहीं, आजकल कलेक्टर नहीं है। आपको भी मालूम नहीं है। आपके यहां कैसे है, नहीं है। आपके यहां चेयरमैन एस.ई. है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में पी.एच.ई.डी. की जो लाइनें डाली थीं वे कह रहे हैं कि बोर्ड को घाटा हो गया। घाटे की बात बता रहा हूं कि वह घाटा कैसे हो रहा है। पी.एच.ई.डी. की हमने अलग से लाइनें डलवायीं ताकि गांवों में 24 घण्टे बिजली मिले, पानी मिले। लेकिन हमारे यहां उस समय ऐसा भ्रष्ट ए.ईएन. लगा उन्होंने पी.एच.ई.डी. की लाइन से ही कनेक्शन दे दिये। मुझे यह बताइये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आठ घंटे बिजली देंगे तो ग्राम पानी से वंचित और अगर इनसे कनेक्शन चलेंगे तो 24 घण्टे कुओं

(श्री इन्द्र सिंह पूनिया)

को बिजली पैसे लेकर देते हैं। मैं इसलिये निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये हर बार पब्लिक पर डाल देते हैं, इतना घाटा हो गया है। यह घाटा, बिजली बोर्ड की चोरी इनके भ्रष्ट अधिकारियों के कारण से हो रही है।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, मेरा यह स्पष्ट चार्ज है। मैं किसी मंत्री पर नहीं लगा रहा हूं, बोर्ड को मैं बताना चाहता हूं, आप जांच करवा लीजिए मेरे तथ्यों की। नर्सरी में एक-एक लाख रुपये जमा करवाये और उसके कनेक्शन में भी आज के दिन दस-दस हजार रुपये लेकर के भी कनेक्शन दे रहे हैं। एक-एक लाख रुपया जमा होने के बावजूद भी, मैंने कलेक्टर के पास एस.ई. को तीन दिन पहले कहा कि गांव बेवड़ में मैं किसी बूढ़े आदमी की मुकाणे में गया तो मुझे लोगों ने कहा कि बड़ी अच्छी सरकार है, आप लोग बोलते भी नहीं हो वहां। नर्सरी में हमने पैसे जमा कराए फिर भी हम से दस-दस हजार रुपये ले लिये और आज तक कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें कम से कम ऐसे भ्रष्ट आदमियों पर तो कार्यवाही कीजिए। पिछली बार हमारी मीटिंग में भी मुद्दे उठाये, वन पोल और टू पोल के कनेक्शन हुए। हमारे वहां उस समय एक ए.ईएन. +++ थे। बीस-बीस हजार रुपये रिश्वत के लेकर के उन्होंने एक पोल की बजाय डेढ़ पोल में कनेक्शन दिये। डेढ़ पोल की जगह तीन पोल के कनेक्शन दिये। तीन-तीन पोल की दूरियों पर दिये और मैंने सतर्कता समिति में यह मामला उठाया। उस मामले को सेंसर कर दिया गया और हो सकता है कि शायद उसकी कार्यवाही मंत्री या चेयरमैन तक भी नहीं हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जांच करके उनको तुरन्त निलम्बित कीजिए ताकि आगे आने वाले समय में लोगों को पता लगे।

1994-95 में राजगढ़ तहसील में जो वन पोल कनेक्शन हुए वह माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनकी जांच करवायें। एक सिंगल कुआं भी आपको विदिन लिमिट मिल जाय तो मैं आपसे माफी मांगूंगा पूरे सदन में। लेकिन बीस-बीस हजार रुपये की रिश्वत लेकर के उन्होंने बोर्ड को अनाप-शनाप चूना लगाया और आज भी वे वहीं पर हैं। यदि उनकी जांच होगी तो जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं वह सही मिलेगा। ईमानदार आदमियों को आप रहने भी नहीं देते हैं। मेरे क्षेत्र में, न मैं उसको जानता हूं कि वह कौन था। कोई जेठमलानी, कोई सिन्धी ए.ईएन. लगा। वह सही काम करने लगा, किधर से प्रेशर पड़ा उनको तो पता नहीं कहां फैंका और वहां ये पैसे खाने वाले आ गये। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब पोस्टिंग करवायें तो कृपया उनको कम से कम समझाएं कि भ्रष्टाचार न फैलाएं। घाटा है, सरकार का घाटा बढ़ रहा है लेकिन यह तीन-चार बिंदु हैं, जो यह किताब भण्डारीजी ने लागू की है, कृपया आप

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री इन्द्र सिंह पूनिया)

अक्षरशः इसकी पालना करायें। पब्लिक पर ही यह न डालें, घाटा बढ़ रहा है। हम हर चीज देने को तैयार हैं लेकिन बोर्ड में इतना भ्रष्टाचार है कृपया मंत्रीजी, चतुर्वेदीजी आप इन बोर्ड वालों को भी खींचिये कि यह चोरियां आपके डिपार्टमेंट्स के माध्यम से हो रही हैं, उनको आप कम करिये।

मेरा आपसे बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन है कि यह जो जिला लेवल पर कमेटियां गठित की हैं उनका आप चेयरमैन कृपया कलेक्टर को बनायें ताकि माननीय सदस्यों की सभी बातें आप तक पहुंचे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कलेक्टर ही है।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : नहीं, श्रीमान्, कलेक्टर नहीं है। आपको भी मालूम नहीं है।.... (व्यवधान).... कलेक्टर नहीं है। (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : अमरारामजी (व्यवधान). श्री अमराराम (पचपदरा)....

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : एक मिनट, मैं एक बात पूछना चाहूंगा।....(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, मुझे आप बतायें कलेक्टर है क्या उसका चेयरमैन ?....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : मैं यह जानकारी लेना चाहता हूं, कलेक्टर है क्या उसका चेयरमैन... (व्यवधान) कलेक्टर है (व्यवधान) आपको जानकारी नहीं है फिर क्या स्टेट....(व्यवधान) आप पूछिये इनको, नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : राजस्थान में दो तरह के आदेश लागू हैं क्या कुछ जिलों में कलेक्टर होते हैं, कुछ में एस.ई. है क्या ? (व्यवधान)

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : यह किताब पड़ी है। जब माननीय मंत्रीजी को ही जानकारी नही है, हमारा भला क्या + + + करेंगे ? उनको खुद को जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ये नयी कमेटियां बनी हैं। माननीय सदस्य....

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक किताब पढ़ कर सुनाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नयी कमेटियां बनायी हैं, अभी नयी कमेटियां बनी हैं। (व्यवधान)

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : जिला स्तरीय समिति के निम्न सदस्य होंगे, विद्युत मण्डल का सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य अभियंता अध्यक्ष, ये हैं। मुख्य अभियंता, जिला के सभी सांसद, सदस्य। जिले के सभी विधान सभा सदस्य, सदस्य। जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि, सदस्य। जिला प्रमुख का प्रतिनिधि, सदस्य। ये हैं। कलेक्टर नहीं है इसका।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, चुनौती के साथ कि भीलवाड़ा जिले में इस कमेटी का चेयरमैन

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

एस.ई. है, नो कलेक्टर । (व्यवधान)....दो तरह के आदेश लागू है क्या ?

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इंचार्ज मंत्री अभी बैठे हुए हैं, +++ (व्यवधान)

श्री भंवर सिंह डांगावास : जिले में कलेक्टर अध्यक्ष है और एस.ई. इसका सचिव है ।....(व्यवधान)

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : नहीं, नहीं । (व्यवधान) हो सकता है मैं गलत होऊं तो आप खड़े होकर बताइये । (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : एस.ई. है इसका अध्यक्ष और जहां एडीशनल चीफ है वहां एडीशनल चीफ इंजीनियर है...(व्यवधान)

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : यह आपकी किताब बोल रही है । मैं नहीं बोल रहा हूं ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह कमेटियां तीन तरह की हैं ।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : यह पी. एन. भण्डारी बोल रहे हैं .. (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद (तारानगर) : किताब बोल रही है । खड़े होइए ना आप ....(व्यवधान) कहिये आप ।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : आप खड़े होकर बोलिये....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक का कलेक्टर चेयरमैन है, एक का एस.ई. है और एक का एस.डी.ओ. है । तीन स्तर की कमेटियां बनी हुई हैं यह आप कहिये ।

श्री चन्दन मल बैद : खड़े होकर बोलिये, आप बैठकर बोल रहे हैं ।(व्यवधान)

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : किताब बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं । यह किताब है....

श्री चन्दन मल बैद : क्या बोल रहे हैं आप, यह किताब बोल रही है, आपकी...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप बोलिये (व्यवधान) तीनों कमेटी का जवाब दूंगा...

श्री चन्दन मल बैद : क्या जवाब देंगे । जब आप बैठे-बैठे कह रहे हैं कि कलेक्टर है, किताब बोल रही है आपकी....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं तो नहीं कह रहा हूं, उन्होंने पूछा इसलिए कह रहा हूं बताऊंगा मैं .. (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : आप कह रहे हैं कलेक्टर है इसका चेयरमैन....

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : मैंने तो चतुर्वेदी जी कई दफा कहा है और अभी भी कह रहा हूं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये.... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : यह किताब

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

120

(श्री रतनलाल ताम्बी)

राजस्थान विद्युत मण्डल की ओर से जारी है। अब उसके आधार पर एस.ई. चेयरमैन हैं हर जिले में, कलेक्टर नहीं है (व्यवधान)

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : या तो आपके भण्डारीजी के रातों-रात आदेश नहीं हुए। यह भण्डारीजी के आदेशों की किताब है। इसमें चेयरमैन डिप्टी चीफ और एस.ई. चेयरमेन है, कलेक्टर नहीं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी। बोलिये आप।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : +++ बैठे बैठे सदन को आप +++ जब आपको खुद को ज्ञान नहीं है तो माननीय सदस्यों को +++

श्री चन्दन मल बैद : +++ और राज चला रहे हैं यह .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी (पचपदरा)।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : और यह लोग कह रहे हैं कि इस विभाग से किसानों का हित होगा, क्या हित होगा ? माननीय मुख्य मंत्रीजी आ गये, इनसे कहलवा दीजिये कि कौन है चेयरमैन... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : जवाब दो।

श्री उपाध्यक्ष : काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : कम से कम इसका स्पष्टीकरण तो दिलायें कि चेयरमैन कौन है इसका...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : काफी चर्चा हो गयी।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : इसका चेयर-मैन कौन है, कम से कम इसका जवाब.... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : जब आपके अधिकारी बैठे हैं, उनसे मालूम करके बता दीजिये कि....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे तब बता देंगे।

श्रीमती कमला : वास्तविकता क्या है ? क्योंकि हमारे जिले में कलेक्टर है और आपकी किताब में एस.ई. है या डिप्टी चीफ इन्जीनियर है। कौनसी बात सही है ?

श्री नरेन्द्र बुडानिया : सीधी-सीधी बात है कि चेयरमैन कौन है, यह बात बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : अमराराम जी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सम्माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक बिजली की समस्या का प्रश्न है, किसानों के लिये अनाज पैदा करना आज के समय में इतना महंगा हो गया है, जो कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन किसान अपने कुओं को छोड़कर दूसरी जगह पलायन नहीं कर सकता है, इसीलिये वह अपने कुएं पर रह कर अपने जीवन-यापन के लिये प्रयास करता है, वह गांव छोड़ कर शहरों में भी

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अमराराम चौधरी)

नहीं जा सकता, क्योंकि शहर में भी उसको कोई काम-धंधा नहीं मिल सकता। इसके लिये वह ज्यादा से ज्यादा यह प्रयास करता है कि अन्न का उत्पादन करे और जो वर्तमान समस्या बिजली की है, वह उस हद तक, जो हमारे बिजली के उत्पादन पर है, उत्पादन हमारा बढ़ नहीं रहा है, यह बात सही है, लेकिन जो व्यवस्था है, बिजली बोर्ड ने पिछले एक साल के अन्दर दो साल के अन्दर जो सर्कुलर निकाले हैं। कभी एक पोल वाले को कनेक्शन देते हैं, कभी दो पोल के लिये करते हैं और जो किसान यह सोचता है कि मेरी दो पोल में नम्बर आ जाएगा तो फिर सर्कुलर तीसरा निकल जाता है। यह जो नर्सरी योजना हुई है, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जैसे जिले के अन्दर जहां लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है और वहां पर पानी की उपलब्धता के कारण जो नये कुएं खुद रहे हैं, बहुत लम्बे समय से जो लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि हमको कनेक्शन मिले, लेकिन नर्सरी योजना के अन्दर 50-50, 60-60 हजार रुपये देने पड़ते हैं, लाईन बहुत ही लम्बी है। जिसके एक खम्भा लगता है उसके तो फिर भी कम रेट आती है लेकिन हमारी जो रेतीली जमीन है, उस एरिये में, वहां पर हमारी जो जोत है, वह कुछ ज्यादा है। पचास बीघा, साठ बीघा जमीन है तो एक कनेक्शन, जहां मैन लाइन है वहां से लाने में पांच-छह खम्भे लगते हैं। एक लाख रुपये तक उसको देना पड़ेगा, जो उसके पास है नहीं, जिसके कारण सैकड़ों कुएं ऐसे हैं जो बिना बिजली के आज डीजल इंजन से चल रहे हैं और डीजल इंजन के कारण, एक कहावत है कि— "बैरा की छांयां तो बैरा बीचे रह.। बेटी रो मोल अम्बाले तो जवाई रो जीव दिया ही नहीं छुटह।।" यानि यदि खेती का मोल सम्भाले तो जो खर्चा होता है, उससे जो आय होती है, वह नहीं के बराबर हो रही है। उसमें कोई लाभ नहीं है। मैंने पूर्व में भी कहा है कि काश्तकार जो है, वह अपनी जमीन को छोड़कर नहीं जाता है, उसका मोह वहां पर बना हुआ है। इसीलिए आज के समय के अन्दर वह बिजली की बहुत ज्यादा आवश्यकता समझता है। सस्ती दर पर, कम खर्चे पर उत्पादन होता है बिजली से। मेरा निवेदन यही है, पहले ऐसा था, जिसके दो बच्चे थे उनको प्रायोरिटी से कनेक्शन दिया जाता था। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रायोरिटी से कनेक्शन दिया जाता था, आप पुनः उस पर विचार करके, क्योंकि हमारे जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के गरीब भाई हैं वे तो इस नर्सरी योजना में अपने जीवनभर में कनेक्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं और जो स्कीम्स आप दो बच्चों की, जो आप कानून बना रहे हो, को-आपरेटिव में भी बना रहे हो, पंचायत में भी आपने बनाया है, क्यों नहीं जिनके दो बच्चे हैं उनको कनेक्शन दिये जाएं। मेरा भी, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि आज से आठ साल पहले कनेक्शन, मतलब मेरी पत्नी कह रही है, आपको कनेक्शन क्यों नहीं मिला, आपके तो दो बच्चे हैं, फिर क्यों नहीं मिलता? मैंने कहा, ऐसा है, प्रायोरिटी में नम्बर नहीं आ रहा है और पांदरू के अन्दर जो...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका कनेक्शन तो कट गया अब क्यों मांग रहे हो।

(122)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपका कनेक्शन तो पिछले चुनावों में कट गया, अब क्यों मांग रहे हो ?

एक माननीय सदस्य : अब जुड़ गय ।

श्री अमराराम चौधरी : वह जुड़ा या नहीं जुड़ा, सुनिये । मेरा निवेदन यह है कि दो बच्चे वालों को भी कनेक्शन नहीं मिल रहा है, जो पहले यह योजना थी, तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कम से कम आप सब जगह, जब वोटों में यह कानून बना रहे हो तो यह तो बना दो, ताकि जनसंख्या की कमी हो और लोग कनेक्शन को ज्यादा प्रिफरेंस करेंगे, एक बच्चे से ज्यादा । आज मेरे यहां जो सबसे बड़ी प्राब्लम आ रही है, पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में, कानाना में एक जी.एस.एस. बना हुआ है और उसके बीच में लूणी नदी है । लूणी नदी आती है । लाइन कट जाती है । खम्भे हैं, वे पानी में बह जाते हैं या तार टूट जाते हैं और कानाना से जुड़े हुए होते हैं, नदी के दक्षिण के गांव । चार-पांच गांव ऐसे हैं – बिटुजा है, खिचनोद है, भिण्डाकुआं है, गोलिया है, आसोतरा है तो यह गांव जो ज्यादा कानाना फीडर, मतलब जी.एस.एस. से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण वहां हमेशा दो घंटे और तीन घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है । पिछले साल भी हड़ताल हुई और कल भी वहां पर हड़ताल हुई । मेरा निवेदन आपके माध्यम से यह है कि आपके पास में यह प्रस्ताव यहां से इंजीनियर्स ने भेज दिया है कि आसोतरा के अन्दर जी.एस.एस. 33 के.वी. की शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जावे । माननीय प्रभारी मंत्रीजी यहां पर नहीं बिराज रहे हैं, मैं माननीय चतुर्वेदी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आसोतरा के अन्दर 33 के.वी. का जो ट्रांसफार्मर, जब सारा सर्वे होकर यहां आ चुका है, उसकी स्वीकृति तुरन्त जारी की जाए ताकि काश्तकारों को बिजली के वोल्टेज में सुधार मिल सके । उनको बराबर बिजली मिल सके, यह मेरा विशेष तौर से निवेदन है ।

15.00

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

इसके अलावा 220 के.वी. की आपने लाइन लगा दी, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन 220 के.वी. का आपका जो अभी चार्जिंग हो रहा है, उसमें हमारे जो दूसरे छोटे-छोटे जी.एस.एस. हैं, उनको भी आप उसमें कनेक्ट करें तो वोल्टेज में अवश्य ही सुधार होगा । इसलिए मेरी विशेष रूप से आपके माध्यम से, सभापति महोदया, सरकार से निवेदन है कि जो नर्सरी योजना है, उसको तुरन्त जो लेना चाहे, उसके लिये आप रखें लेकिन जो जनरल योजना आपकी है, प्रायोरिटी बेसिस, जिन्होंने फाइलें भर रखी हैं और वे आज बहुत पीछे हैं । पादरू का जो जी.एस.एस. आपने स्वीकृत कर दिया, आपके एक साल से खम्भे लगे हुए हैं । वहां पर चार सौ काश्तकारों की एप्लीकेशन कुओं में बिजली के कनेक्शन के लिये पड़ी हुई है, उस जी.एस.एस. को अभी तक पूरा नहीं किया गया है । आज दो साल से उस पर काम पूरा नहीं हुआ है । सिर्फ एक बार खम्भा रोपते हैं, उसमें छह महीने लगते हैं । मुझे पिछली बार भी यही आश्वासन दिया गया था कि यह जी.एस.एस. जून तक पूरा हो जाएगा लेकिन उसका काम जून तक पूरा

(श्री अमराराम चौधरी)

नहीं किया गया है और खाली खम्भे खड़े किये गये हैं। तो पादरू के जी.एस.एस. का शीघ्र निर्माण हो, आसोतरा 33 के.वी. जी.एस.एस. की स्वीकृति तुरन्त देकर के दो महीने में कार्य चालू किया जाय, क्योंकि उसकी लाइन बहुत कम है, 8 किलोमीटर आपको लाइन लगानी है, 220 के.वी. से उसको जोड़ा जाए ताकि वोल्टेज में सुधार हो और जो जनरल कनेक्शंस हैं, उस स्कीम में जो 8, 10, 15 साल से जिनकी फाइलें पड़ी हैं उनको भी कनेक्शन दिये जायं।

मुझे टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : सभापति महोदया, आज बिजली की गम्भीर समस्या पर जो चर्चा हो रही है उसके लिये सरकार, राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिहजी शेखावत, ऊर्जा मंत्रीजी और बोर्ड बहुत ही चिंतित हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। हालांकि कल विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने पूरे सदन में बिजली की समस्या पर चर्चा कराने के लिये शोर, हंगामा किया लेकिन सरकार चर्चा कराने के लिये तैयार थी मगर मैदान छोड़ कर भाग गये। बिजली की गम्भीर समस्या को लेकर कांग्रेस के बंधु.... (व्यवधान) ...

श्री मोहन लाल मोदी : मैदान छोड़ कर भाग आप गये।

श्री राकेश मेघवाल : सुन लो, सच्ची बात कड़वी लगती है। आगे तो सुनो.... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : सभापति महोदया, जब माननीय सदस्य अपने विचार प्रस्तुत कर चुके हैं....

श्री राकेश मेघवाल : जब आपका नम्बर आये तब आप खूब बोलना, दिल खोल कर बोलना। अभी सच्ची बात कड़वी लग रही है। आप आराम से पहले सुनिये।

एक माननीय सदस्य : आप कितने गम्भीर हैं, जब पूनम चन्दजी विश्नोई बोल रहे थे .. (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : सभापति महोदया, जब कल माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर चुके हैं, उनको तो अवसर ही नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : आप बिराजें, माननीय सदस्य, बोलने दीजिये माननीय सदस्य को।

श्री राकेश मेघवाल : आप बोलते हैं तो हम बिलकुल आराम से सुनते हैं आपकी बात को बीच में टोका-टाकी नहीं करते हैं।

श्री सभापति : बोलने दीजिये माननीय सदस्य को। आपका समय आये तब आप बोल लीजियेगा।

श्री राकेश मेघवाल : जब हम सभी के श्रद्धा के पात्र इस सदन के माननीय वरिष्ठ सदस्य पूनम चन्दजी विश्नोई बोल रहे थे तो कांग्रेस के 15 सदस्य ही उपस्थित थे इस सदन में। यह आपकी उपलब्धि है।.... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : बिजली की समस्या पर बोलिये, आरोप क्यों लगा रहे हैं।

श्री राकेश मेघवाल : और जनता के सामने जो जबरदस्त समस्या कल फैला रहे थे और बार-बार यह कह रहे थे किसानों को कि हम बिजली के प्रति इतने कृत संकल्प हैं, यह आपका लक्ष्य है।.... (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : 10 ही थे।

श्री राकेश मेघवाल : यह लो, अब 10 ही हो गये, यह और सुनो।

माननीय श्री शीशरामजी बोल रहे थे तब मात्र 11 या 12 सदस्य थे। यह आपके शोर, हंगामे की और विशेष चर्चा, जो जनता को आप देने जा रहे हैं, यह इनकी उपलब्धि है।

माननीय समापति महोदया, इस विरोधी दल को हा-हुल्लड़ करके अखबारों में नाम छपवाने से मतलब है, बिजली की समस्या पर चर्चा करने के लिये इनके पास कोई समय नहीं है और न कोई इनके पास गम्भीर समस्या है। समस्या अगर पैदा की है तो इनकी पैदा की हुई है। आज कहते हैं कि बोर्ड चोर है, बोर्ड को चोर बनाया किसने ? बोर्ड को चंदा किसने दिया ? बोर्ड को रिश्वत किसने दी ? यह चाल-चलन किसने सिखाया ? यह आपके लोगों ने सिखाया है, कांग्रेस के लोगों ने सिखाया। अब उस परिपाटी को बदलने के लिये राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत अगर कोई भी शिकायत करता है तो उसको उसी समय उसी दिन दण्डित करते हैं और उस पर कार्यवाही करते हैं। आपकी सरकार ने कभी ऐसा किया ? यह आपकी उपलब्धि है और किया तो वोटों की राजनीति से वापस ले लिया।

सभापति महोदया, अब इनकी बात पर तो मेरा समय निकल जाएगा इसलिए मैं मेरे मुख्य मुद्दे पर आ जाता हूं, क्योंकि मेरा एक-एक मिनट कीमती है। हमारी सरकार के माननीय सभी सदस्य चिंतित हैं, सरकार चिंतित है, हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री अभी भी इस बिजली की समस्या के बारे में मीटिंग करके आये हैं।....(व्यवधान) ... हमारे कोई सदस्य असंतुष्ट नहीं हैं। यह परिपाटी कांग्रेस ने डाली है और कांग्रेस में ही है। हमारे यहां नहीं है।

माननीय समापति महोदया, औद्योगिक क्षेत्र मार्बल मंडी विद्‌यात.... (व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ) : वह भ्रष्टाचार का दरवाजा खोल दिया।

श्री राकेश मेघवाल : अब शांति से सुन तो लें।

पावर यूनिट्स और कृषि बिजली की सप्लाई को ब्लोक में वितरित कर उपभोक्ताओं की सप्लाई कराना मुश्किल है और किसानों को, उद्यमियों को जो मार्बल की डाइमंडें हमारे विद्‌यात में लगी हुई हैं उनको बिजली की काफी कठिनाई होती है, यह भी मैं मानता हूं लेकिन वहां अगर सरकार की तरफ से 132 के. वी. का जी. एस. एस. नया लगा दिया जाय तो आने वाले समय में रबी की फसल या जो 132 के.वी. जी. एस. एस. से डाइमंडें चलती हैं, कटिंग की मशीनें चलती हैं, जिनसे सरकार

(श्री राकेश मेघवाल)

को भी काफी मात्रा में टैक्स, रायल्टी मिलती है, सरकार को भी काफी हानि होती है क्योंकि डाइमंडें बंद पड़ी रहती हैं इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से और माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि परबतसर में 132 के. वी. जी. एस. एस. का निर्माण कराया जाय।

समापति महोदया, मकराना में एक स्टोर रूम स्वीकृत है। इसमें बोर्ड की गलती है यह भी मैं मानता हूं, काफी समय से स्टोर रूम स्वीकृत है लेकिन पूरा सामान, जैसे ट्रांसफार्मर है, बिजली की जो भी सामग्री है वह हमारे यहाँ से मकराना के बजाय नागौर पहुंचती है और मकराना से नागौर की दूरी 100 किलोमीटर है। आज अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो एक्स. ईएन. कहेंगे कि नागौर से लाना पड़ेगा। किसानों को नागौर जाना पड़ता है। एक्स. ईएन. ए. ईएन. और जे.ईएन. को भी नागौर जाना पड़ता है। इसमें सरकारी वाहन का भी खर्चा होता है और सरकारी कर्मचारी अपने मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहते हैं। यह भारी समस्या है। जब भी किसान आते हैं और पूछते हैं कि एक्स. ईएन. साहब कहां हैं, ए. ईएन. साहब कहां हैं? तब कहते हैं कि नागौर गये हुए हैं। क्यों गये हुए हैं? ट्रांसफार्मर जल गया। यह ट्रांसफार्मर रोज जलते रहते हैं इसलिए मकराना में जो स्टोर रूम स्वीकृत है उसको मकराना उप-खण्ड की परबतसर उप-खण्ड की सामग्री मकराना एक्स.ईएन. आफिस में ही दी जाय। उसको नागौर के बजाय मकराना की जाय, यह माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि तुरन्त यह स्टोर रूम चालू की जाय।...

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

सरकार की उपलब्धियों में बहुत कुछ सरकार ने किया, लम्बा-चौड़ा है अगर चार दिन भी बताऊंगा तो बता नहीं पाऊंगा। समय 10 मिनट का मिला है, 10 मिनट में मुख्य तथ्य ही बता पाऊंगा।

समापति महोदया, अभी विरोधी दल के सदस्य परेशान हो गये थे जब ऊर्जा मंत्री जी ने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनको ब्योरा दिया तो यह सुन नहीं पाये और सदन छोड़ कर चले गये, मैं अगर 4 दिन बोलूंगा तो यह सदन छोड़ कर और चले जाएंगे।..(व्यवधान).... इसलिए मुझे, इनको ऐसा नहीं करना चाहिये... (व्यवधान) ....समापति महोदया, फिर देखिये। 10 एच.पी. से ज्यादा के कनेक्शंस पर अब पोल सब्सिडी दी जाती है। यह पहले कभी नहीं दी जाती थी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : समापति महोदया, समय और बढ़ा दें सत्तापक्ष भी ....(व्यवधान)....

श्री समापति : आप शांति से सुनिये, बिराजिये।

श्री राकेश मेघवाल : कृषि उपभोक्ताओं को अब एल फार्म देने की आवश्यकता नहीं। यह सरकार की उपलब्धि है। उपभोक्ताओं के प्रार्थना-पत्रों पर आउट ऑफ टर्न स्कीम के लिये एक-दो पोल की सर्विस लाइन की आवश्यकता नहीं है। आपने कभी ऐसा नहीं किया। अधिकृत ग्रामों में अब नर्सरी कनेक्शन दिये जा रहे हैं, पहले कभी दिये क्या? मण्डल की कार्य

(श्री राकेश मेघवाल)

प्रणाली एवं जानकारी के लिये विस्तृत पत्रिका जारी की। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया पूरा करिये। आप लोग इनको क्यों डिस्टर्ब करते हैं, बोलने दीजिये (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : शांति से सुनिये। जब आप लोग बोलते हैं तो सरकार के इधर के जितने भी माननीय सदस्य हैं, कोई बोलते नहीं हैं अनुशासन में रहते हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी पीछे हाथ का इशारा कर देते हैं हम लोग एकदम चुप हो जाते हैं। आपके नेता के कहने पर भी आप लोग चुप नहीं रह सकते ? हम राजस्थान के मुख्य मंत्री जी का सिर्फ हाथ ही देखते हैं हाथ यूं किया कि पूरे चुप। आपमें अनुशासन है कहां ? शुरू से ही यही किया हा-हुल्लड़, हा-हुल्लड़। (व्यवधान) हाथ तो हमेशा ये यूं ही रहेगा ऊपर जाने वाले हो।

माननीय सभापति महोदया, अब औद्योगिक उपभोक्ताओं से प्रथम छह माह में कोई मिनिमम चार्ज नहीं लिया जाता व अगले छह माह में सिर्फ 50 प्रतिशत मिनिमम चार्ज लिया जाता है जबकि यह हण्डरेड पर्सेंट लेते थे। अब लार्ज औद्योगिक रूग्ण यूनिट एक महीने के नोटिस में कनेक्शन कटवा सकती हैं। अब विद्युत विच्छेद के बाद कोई भी मिनिमम चार्ज नहीं लिया जाता। विद्युत विच्छेद के समय की बकाया राशि पर सिर्फ 18 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है। आज बैंक भी 18 प्रतिशत ब्याज लेती है अब कौनसा ब्याज ज्यादा है बताइये आप।

औद्योगिक उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता के लिये डीजल सैट लगाने की मंडल से अनुमति लेने की आवश्यकता हटा दी। डायरेक्ट लगाओ। नहीं तो पहले अनुमति लेनी पड़ती थी और डीजल सैट नहीं लगा पाते थे।

माननीय सभापति महोदया, सेवा में सुधार के लिये 5 नये अधीक्षण कार्यालय, 14 नये अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय तथा करीब 80 सहायक अभियन्ता कार्यालय खोले गये।

एक माननीय सदस्य : बेईमानी के लिये।

श्री राकेश मेघवाल : बेईमानी के लिये नहीं आपकी बेईमानी रोकने के लिये। जगह-जगह आपके ऊपर छोड़ दिये कि यह बेईमानी कहीं कर नहीं पाये इसलिए खोल दिये गये। माननीय सभापति महोदया, विद्युत की चोरी को कम करने के लिये, विद्युत विभाग में व्यय में कमी लाने की दृष्टि से कोई इन्वेस्टमेंट स्कीमें लागू नहीं की गयीं। (व्यवधान) चौपड़ के लोग चौपड़ का भाषण नहीं देते। कल आप चौपड़ पर भाषण दे रहे थे और यहां सदन में पूरी बात नहीं सुन सकते। चौपड़ पर हो-हल्ला करने से कुछ नहीं होता यहां अपने विचार सही लाकर रखते तो आपकी बात राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी, ऊर्जा मंत्री और विद्युत मण्डल, आपकी बात पर विचार करते। सड़क पर भाषण देने से और धरना देने से विकास नहीं होता है, कभी बिजली नहीं आती है। यहां अगर सही सुझाव रखोगे तो राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी.... (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : सभापति जी, आप इसको एक्सपंज करवाइये।

श्री सभापति : आप पूरा करिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : एक माननीय सदस्य को चौपड़ का व्यक्ति कहना शोभा नहीं देता।

श्री सभापति : अपन सब चौपड़ के हैं क्यों चिन्ता करते हो। आप पूरा करिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदया, चौपड़ तो राजस्थान की शान है जिसके लिए मंत्री महोदय चार चांद लगा रहे थे चौपड़ पर....(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : इसलिए इनको वह चौपड़ वाली बात नींद में भी याद रह गयी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपना काम पूरा करिये। पूरा करिये इसको।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय सभापति महोदया, पूरा तो बहुत है लेकिन अब आपका आदेश . (व्यवधान)

श्री सभापति : हम आपका थोड़े में बहुत मान लेंगे। पूरा कीजिये।

श्री राकेश मेघवाल : आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद देता हूं अगर आप मुझे 10 या 15 मिनट देवें तो इस सदन में बहुत सुझाव और इन दो चौपड़ पर बैठने वालों के झाम नहीं कस दूं तो मेरा नाम राकेश नहीं।

श्री सभापति : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदया, आपको ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन के सात साल में 5 मेगावाट भी बिजली पैदा नहीं की। यह राजस्थान की जो जन कल्याणकारी सरकार अपने आपको कहने का दावा करती है यह बीसियों तरह के आरोप लगा दें लेकिन यह बात बिलकुल रेकार्ड पर है कि सात साल के शासन काल में 5 मेगावाट बिजली भी राजस्थान के किसानों के लिये पैदा नहीं की। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन करना है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जब तक सरकार थी जब एक भी कृषक से बिजली कनेक्शन के लिये .. (व्यवधान) आप बैठिये। एक भी कनेक्शन के लिये एक भी रुपया नहीं लिया गया था। माननीय सभापति महोदया, एक रुपया भी किसी भी बिजली के कनेक्शन वाले से नहीं लिया गया था और आज ... (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : पंचवर्षीय योजना कांग्रेस के जमाने में स्वीकृत थी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक मेगावाट भी बिजली इन्होंने स्वीकृत होने के लिये कोई प्लान बनाया हो, तो यह बात बता दें।... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदया, आप देखिये कांग्रेस का जब तक शासन था एक पैसा भी एक पोल का नहीं लिया गया। भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आयी यह पोल पोल हो गयी। बिजली में पोल लगायी गयी और पोल का पैसा यहां गया। यह पोल-मोल पार्टी है। पोल के पैसे लेती है। पोल तो आपने की बिजली में और पैसा किसान भरे....(व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : उस वक्त आपने क्या किया ?

(128)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह आपकी सरकार है, सक्रिय सरकार है। मेरा निवेदन करना यह है कि जिस तरीके से किसानों से अब एक पोल का, तार का चार्ज, मेंटीनेंस चार्ज, हर तरह का चार्ज लिया जा रहा है। आज गांव के किसानों के ऊपर जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी तो प्रायोरिटी बेसिस पर कनेक्शन दिया जाता था। एक गरीब किसान जिसके पास बहुत कम पैसा होता था वह प्रायोरिटी पर अपना विद्युत का कनेक्शन लेता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में पैसे वाले किसान की बन आई है। पैसे वाला किसान जिसके पास एक पोल के देने के लिये 9 हजार हों, जिनके पास दो पोल के लिये 18,000 हों, जिनके पास एक्सट्रा देने के लिये 6,000 हों और जिसके पास फिक्स चार्जेज की रेट छह हजार हों, तो पचास दो और सिक्योरिटी के 2170 रुपये हों, तो इस प्रकार एक कनेक्शन लेने के लिये वह पैसे वाला किसान 26,420 रुपये दे तो उसके बिजली लगती है। आप पैसे वाले किसानों की पैरवी करते हैं या उस किसान की पैरवी करते हैं जो गोपाला है, धन्ना है और मंगली है और ऐसे लोग हैं जो एस.सी. के हैं, एस.टी. के हैं, ओ.बी.सी. के हैं। एस.सी. की बात करते हैं, एस.टी. की बात करते हैं, ओ.बी.सी. की बात करते हैं। कहां से लाएंगे 26 हजार। आपने उनको कौन से पैसे दे दिये। आज बात की जाती है हम बिजली दे रहे हैं नर्सरी कनेक्शन लेगा कौन? कौन ले सकता हैं, कोई नहीं ले सकता बगैर पैसे के और जिन किसानों के पास करोड़ों, लाखों रुपये हैं, जिनके पास ट्रैक्टर हैं जो धन-धान्य से परिपूर्ण हैं वह तो निश्चित तौर पर दो-दो, चार-चार कनेक्शन ले सकते हैं।

अब तो बिजली विभाग ने पैसे की भरमार कर दी है। पैसा फेंको और बिजली का कनेक्शन लो, मजे लूटो और गरीब किसान जिसने कांग्रेस के शासन में, 1985 में जिसने एप्लीकेशन दी थी आज वह रो रहा है, आज वह आंसू बहा रहा हैं. दीजिए बिजली उसको। है कोई इसका जवाब आपके पास, बोलिये. कोई प्रावधान नहीं है आपके पास। बोलेंगे क्या? क्योंकि आपने तो पैसे की होली लगायी है। आपके पास तो पैसा है पैसा। चुंगी की तो चुंगी ठेकेदारों को दे दी, सफाई ठेके पर दी, सचिवालय में टाइप का काम है तो ठेके पर दे दिया। ठेकेदारों से आपको लाभांश मिलता है। +++ ऐसी स्थिति में आप गरीबों को क्या निहाल करेंगे? बताइये, राजस्थान के किसानों का कोई प्रावधान है। आज राजस्थान का कोई भी किसान बगैर पैसे के बगैर पैसे की होली जलाये बिजली का कनेक्शन ले सकता है? यह तो कर दिया आपने, आप गरीबों का भला करने चले। आप गरीब को गणेश बताते हैं। गरीब को तो आपने गोबर गणेश कर दिया, +++ कर दिया (व्यवधान) भाषा क्या करेगी? किसानों का दिल जलता है। किसान कहते हैं आपकी सरकार अच्छी थी। जब बगैर पैसे के प्रायोरिटी बेस पर, आपने प्रायोरिटी तोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी है पैसा, पैसा, पैसा न कि उसकी सिनियोरिटी... (व्यवधान)

सभापति महोदय, इसके अलावा.... (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राकेश मेघवाल : किसान आपसे नाराज हैं इसलिए आप विपक्ष में बैठे हैं आपको +++ किसान, हमको नहीं +++ हमको तो दुहाइयां दे रहे हैं। इसलिए हम सत्तापक्ष में हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको मालूम है एक विशेष वर्ग +++ एक्सपर्ट होता है, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता।

माननीय सभापति महोदया, मेरा निवेदन करना है कि आप यह देखिये, आज राजस्थान का किसान जो बेबस है, जिसके पास कम जोत है जो एक प्रायोरिटी बेसिस पर 1984,85, एवं 86 में अपने कनेक्शन के लिये आवेदन कर चुका उसके लिये भारतीय जनता पार्टी ने कौनसा विकल्प ढूंढा है, कोई विकल्प हो तो सोच-समझकर बता दो। विकल्प है 25 हजार रुपये से ज्यादा की बात।

अब मेरा निवेदन यह है कि आज राजस्थान का किसान चाहे वह धन्नालाल हो, चाहे गोपाला हो, चाहे मंगलाराम हो चाहे गंगासहाय हो वो नहीं कहता कि सौर ऊर्जा से चाहिये, थर्मल पॉवर से चाहिये या एटोमिक पावर प्रोजेक्ट से चाहिये, आर.ए.पी.पी. की फर्स्ट यूनिट बंद हुई या सैकण्ड खुल गयी या थर्ड चालू हो गयी या फोर्थ बंद हो गयी। इससे उनको कोई मतलब नहीं है। आज प्राइवेट सैक्टर को बिजली देंगे।

आपने निविदाएं जारी कर दी इससे कोई वास्ता नहीं। उसके धोरे का पानी कब मुड़ेगा। वह अपनी क्यारी में पानी कब मोड़ पाएगा। जब बिजली आयेगी। उसको कोई मतलब नहीं कि आने वाले 10 साल तक आप कहेंगे 24 महीने बिजली आएगी। 24 महीने तक आप सत्ता में रह पाएंगे क्या जो बिजली देंगे ? आप ऐसी कपोल कल्पित कल्पना कर रहे हैं, यूटोपियन कंसल्ट कर रहे हैं आज की बात है इस आने वाली फसल में राजस्थान का किसान मांगता है 12 घंटे बिजली, 10 घंटे बिजली, 8 घंटे बिजली देगी सरकार यह ? और सरकार देगी तो बताये। सभापति महोदया, मेरा निवेदन करना यह है कि आज राजस्थान के किसानों की जो मांग है वह यह है कि लगातार उसको अच्छे वोल्टेज पर दस घंटे, आठ घंटे बिजली मिले। गयी फसल में जो बिजली मिली थी वह ऐसी मिली थी, सरकार ने कहा था कि हम 6 घंटे किसानों को बिजली देंगे और आठ घंटे के नाम पर अस्सी मिनट भी बिजली नहीं मिली। वोल्टेज सही नहीं आता था और ढाई सौ वाट का बल्ब ऐसा लगता था कि बहुत दूर से कोई बीड़ी पी रहा है उसका टुट्का जल रहा है। ऐसा टंगस्टन का तार फिलामेंट के साथ जो लगता था ऐसी ही भारतीय जनता पार्टी की बिजली है। जो पोल की है जो पोल के पैसे लेती है।

मेरा निवेदन करना यह है कि ऐसी स्थिति में सरकार यह आश्वस्त करे कि राजस्थान के किसानों को आठ घंटे बिजली दी जाय और हर एक्स.ईएन., ए.ईएन. और एस.ई. के आफिस में एक चार्ट हो, ब्लेक बोर्ड लगाया जाय जिस पर लिखा

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

जाय कि इस तहसील को इतने भागों में बांटा जाता है। इस तहसील के इतने गांवों में इतने घंटे बिजली दी जाएगी और उसी के अनुरूप दी जाय। माननीय मंत्री महोदय के पास जाकर कहते हैं, एस. ई. के पास जाकर कहते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहां से तो बिजली चली गयी। बिजली दी है, दी कैसे नहीं और आप गलत कहते हैं।

श्री राकेश मेघवाल: यह गलत रिकार्ड तो आपके ही....(व्यवधान)...

श्री शैलेन्द्र जोशी: आप तो चुप रहिये। आप असंतुष्ट हैं और आपको कभी भी मंत्री पद नहीं मिल सकता....(व्यवधान)....सभापति महोदया, इस तरह डिस्टरबेंस करके पहले तो राजस्थान के किसानों को डिस्टर्ब कर दिया।

श्री राकेश मेघवाल: हम असंतुष्ट कभी थे ही नहीं और रहा मंत्री पद का सवाल तो राजस्थान के मुख्य मंत्री जी चाहते हैं जब किसी को बना देते हैं। यह सब मंत्री जितने हैं सभी माननीय सदस्य हैं। आपके कहने से नहीं बनाते हैं। सभी मंत्री हैं।

श्री सभापति: आपस में बात नहीं करें। अब आप कन्क्लूड करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी: हां मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। मेरा निवेदन करना यह भी है कि जिन उपभोक्ताओं ने आज से चार महीने पहले एक नार्मल श्रेणी में अपना पैसा जमा करा दिया और डिमाण्ड नोटिस जो मिला था उसकी एवज में पैसा जमा करा दिया। उनको जबरन तौर पर जान बूझकर नर्सरी में कनेक्शन लेने के लिये एनफोर्स किया जा रहा है, एस.ई. दौसा के द्वारा। इस तरह के कनेक्शन के नोटिस मिले हैं। उसमें कहा गया है जिनकी मैं संख्या बता देता हूं, यह 30.10.1995 को नोटिस मिला जिसमें कहा गया है कि आप या तो नर्सरी में कन्वर्ट करा लीजिए या पैसे ले लीजिये। इस तरह किसानों के साथ धोखा है। जिन किसानों ने सामान्य श्रेणी में अपना आवेदन किया और डिमाण्ड नोटिस मिलने के बाद पैसा जमा करा दिया उनको अब यह कहा जाय कि पैसा वापस ले लीजिए या नर्सरी में कनेक्शन लीजिये। यह गलत है।

सभापति महोदया, जो पहले आर्डिनरी क्लास के कनेक्शन हैं उनकी बिजली 47 पैसे पर यूनिट की है और 47 पैसे की जगह कुल चार्जेज 65 पैसे आती है जबकि नर्सरी कनेक्शन जिसमें कि हाइयेस्ट बिड है। जिसके पास पैसा है वह फेंके और कनेक्शन ले। उसके लिये 110 पैसा एकस्ट्रा चार्ज मिलाकर 125 पैसे यूनिट आती है। तो इस तरह राजस्थान का वह किसान जिसको आपने स्वपन दिखाया, जिसको आपने एक लुभावना स्वप्न दिखाया कि 47 पैसे पर यूनिट आपको बिजली मिलेगी। आज आप उस बिजली की बात पर टिक नहीं पा रहे हैं और आप पालिसी चेंज कर रहे हैं और उन लोगों से बलात् ढंग से कह रहे हैं पैसा वापस ले लीजिए या नर्सरी में आइये, यह गलत है। यह राजस्थान के किसानों के साथ खिलवाड़ है और इस तरह का खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक ही मकसद है जो पैसे

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

वाला है, जहां भी कहीं है, किसान हो, कोई हो उनको फायदा पहुंचाना, गरीब किसानों का जो हक है, अधिकार है उनका कत्लेआम करना है।

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदया, मैं सही बात कह रहा हूं।

श्री सभापति : आप अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं। बिराजिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर। (अनुपस्थित)। श्री राजेन्द्र गहलोत। (अनुपस्थित)। श्री बाबू लाल वर्मा।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : सभापति महोदया, बिजली पर चर्चा चल रही है। सबसे पहले तो मैं मुख्य मंत्री जी को और राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने डग क्षेत्र के लिए 132 के.वी. की जो स्वीकृति जारी की इस साल उसके लिए पूरे डग क्षेत्र की ओर से बधाई देना चाहता हूं।

सभापति महोदया, अभी चर्चा के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर काफी बातें हुई, काफी मुद्दे सामने आये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जो कार्य हुआ, यदि उस कार्य को हम देखें तो वह कार्य बिलकुल नगण्य था। मैं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र पूरी डग पंचायत समिति के 229 गांव थे, 229 गांवों में से चालीस साल के दौरान कांग्रेस पार्टी ने कितना विद्युतीकरण किया? उसको यदि मैं देखूं तो मात्र पचास-साठ गांव पूरे चालीस साल के दौरान उन्होंने विद्युतीकृत किये। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय मेरे पूरे डग विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण की गति में तेजी आयी। विद्युतीकरण तेजी से हुआ। आज लगभग पचास पर्सेंट ही विद्युतीकरण हुआ है लेकिन फिर भी उसमें से 6-7 साल के दौरान अधिकांश विद्युतीकरण कम से कम जनता पार्टी की सरकार में हुआ। आज जो स्थिति है उस पर ऊर्जा मंत्री जी ने भी विशेषकर ध्यान दिया। ऊर्जा मंत्री जी ने इस साल जो 132 के.वी. का सेंक्शन हुआ उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण का कार्य और आगे बढ़ेगा।

सभापति महोदया, एक सुझाव और देना चाहूंगा कि फेज्ड प्रोग्राम में जो गांव स्वीकृत किये जाते हैं उनमें कम से कम क्षेत्रीय विषमता को हमें ध्यान में रखना चाहिये। कि जहां एक पंचायत समिति में एक क्षेत्र में तो लगभग अस्सी पर्सेंट, सौ पर्सेंट विद्युतीकरण हो चुका है और जिस एरिया में पचास पर्सेंट या उससे कम विद्युतीकरण हुआ है तो कम से कम ऐसे क्षेत्र में फेज्ड प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा गांव लिये जाएं जिससे कि उस क्षेत्र में विकास हो सके।

सभापति महोदया, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जिन गांवों का रिप्रीटेशन होता है, फेज प्रोग्राम में तो गांव आ जाते हैं लेकिन फेज प्रोग्राम में आने के बाद उन गांवों का विद्युतीकरण उस साल के प्रोग्राम के हिसाब से नहीं किया जाता है।

(श्री बाबू लाल वर्मा)

यदि उन गांवों का विद्युतीकरण उसी साल में कर दिया जाय तो यह भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। वैसे तो ऊर्जा मंत्री जी इस मामले में बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमको इस चीज पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदया, मेरा डग विधान सभा क्षेत्र पूरा एम.पी. बोर्डर से लगा हुआ है। लगभग सौ किलोमीटर का जो एरिया है उसके आस-पास पूरी एम.पी. की सीमा लगती है तो आधे क्षेत्र में मेरे यहां सप्लाई एम.पी. से आती है। एम.पी. से सप्लाई आने से मुख्य समस्या यह होती है कि एम.पी. गवर्नमेंट अपने हिसाब से बिजली देती है और अपने हिसाब से बिजली बंद कर देती है। एक बार तो मुझे यहां तक देखने को मिला मेरे क्षेत्र में बच्चों की परीक्षाएं थीं और एम पी. सरकार ने बिजली बंद कर रखी थी। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के स्तर पर कम से कम ऐसी व्यवस्था अपनायी जाय या ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे कि हमारी बिजली की आपूर्ति पूरी हो सके।

एक बात बिजली की चर्चा के दौरान मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार नीतियां बहुत अच्छी बना रही है। प्रोपर मोनिटरिंग यदि इन नीतियों की होती है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो एक संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो एक दावा करती है कि हम पूरे गांवों में किसानों को बिजली देंगे, किसानों को राहत पहुंचाएंगे, यह तभी सम्भव है जब हम इन अधिकारियों के ऊपर पूरी मोनिटरिंग करें। यदि एक साल में कोई कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है तो हमारा यह भी कर्तव्य होना चाहिये कि उसी एक साल के दौरान उस कार्यक्रम को हम पूरा करें। इस चीज के लिए आवश्यकता होगी कि हम पूरा नियंत्रण इन गतिविधियों पर करें।

132 के.वी. के लिये और जो डग विधान सभा क्षेत्र का विद्युतीकरण हुआ उसके लिये मैं राजस्थान सरकार को और माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हुआ आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मण सिंह जी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : सभापति महोदया, बिजली पर आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं। यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय है। एक तरह से देखा जाये तो प्रदेश की सारी इकोनोमी और प्रगति विद्युत के ऊपर निर्भर करती है और हमारी जो दो भुजाएं हैं इण्डस्ट्री और एग्रीकल्चर वह पूर्ण रूप से इसी पर निर्भर करती है। लेकिन आज प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं, सभापति महोदया, उससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि हमारी सरकार इस दिशा के अन्दर कोई भी ठोस कार्य नहीं कर रही है। थोथी घोषणाएं बहुत होती हैं, थोथे वायदे बहुत किये जाते हैं लेकिन ठोस परिणाम कुछ सामने नहीं आता। सभापति महोदया, राजस्थान के गठन के समय राजस्थान में सिर्फ 42 गांवों के अन्दर बिजली थी, विद्युतीकृत थे। लेकिन 1990 में सातवीं योजना के पश्चात् राजस्थान के अन्दर करीबन 27 हजार गांव विद्युतीकृत

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

हुए। और यह मुख्यतः कांग्रेस के शासन की देन थी, कांग्रेस के जो नेता थे उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि हम इतनी प्रगति कर सके। सभापति महोदया, राजस्थान के गठन के समय कुओं पर, संभवतः किसी कुएं पर बिजली नहीं थी। लेकिन सातवीं योजना के पश्चात् 1990 तक करीबन 3 लाख 42 हजार कुओं का विद्युतीकरण किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस के शासन में उद्योगपतियों को और किसानों को भरपूर बिजली प्रदान की गयी।

हमारे नेताओं का, चाहे पण्डित जवाहर लाल नेहरू थे, चाहे इन्दिरा गांधी थी, चाहे राजीव गांधी थे उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था जिसके कारण से आज कई अन्तरराज्यीय परियोजनाएं हमें देखने को मिलती हैं। चाहे हम गांधी सागर ले लें, चाहे राणा प्रताप सागर, चाहे जवाहर सागर ले लें, चाहे भाखरा, पोंग डेंडर या सतपुड़ा को ले लें यह इन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ही की देन थी। सभापति महोदया, इसके साथ-साथ कोटा थर्मल, कोटा अटोमिक, अन्ता, रिहन्द, ओरिया, नरोरा, कनकपुर, दादरी योजनाएं भी यह सब कांग्रेस शासन की ही देन थी। अगर हम राज्य में देखें तो सूरतगढ़, मांगरोल, पूंगल, चारणबाड़ा, माही राइट कैनाल की योजनाएं भी कांग्रेस ने ही प्रारम्भ की थीं।

सभापति महोदया, मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि अभी हमारे जो साथी यहां पर स्वयं की वाहवाही कर रहे थे उनको यह सोचना चाहिये कि जो आधार तैयार किया था वह कांग्रेस के शासनकाल में ही तैयार किया गया था। सभापति महोदया, विद्युत के दृष्टिकोण में चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जनरेशन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन और चौथा कंजरवेशन। जहां तक जनरेशन का प्रश्न है जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आयी, मैं 1977-80 का जिक्र नहीं करूंगा मुख्यतः 1990 की बात करूंगा। जब से मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह जी पावर में आये, उन्होंने राजस्थान में पावर को ठप्प कर दिया। सिर्फ बजट के अन्दर यह लम्बी-लम्बी घोषणाएं करते रहे और बजट की सेंक्टिटी को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना कम किया है, जितना कमजोर किया है सम्भवतः पहले की किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया।

मैं आपको उदाहरण बजट में से प्रस्तुत करूंगा कि ये घोषणाएं क्या करते थे और उसके बाद में परिणाम क्या सामने आये। 1990 के बजट में यहां पर कहा गया था कि 420 मेगावाट थर्मल प्रोजेक्ट चित्तौड़गढ़ के लिये लाइसेंस जारी कर दिया गया है क्या हुआ उस चित्तौड़गढ़ प्रोजेक्ट का। मैं यह जानना चाहता हूं कि 1990 के अन्दर आपने यहां कहा था कि 240 मेगावाट बरसिंगसर के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृति मिल गयी है क्या हुआ उसके बाद, क्या प्रगति रही? 1991 में आपने कहा कि रामगढ़ में 125 मेगावाट की गैस बेस्ड प्रोजेक्ट लगायी जाएगी। उसकी जगह 35 पर आ गये और आप प्रोजेक्ट भेज रहे हैं 160 और 165 का। कहते कुछ हैं आप और करते कुछ हैं। आपकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। सभापति महोदया, 1994 में आपने कहा कि हमने

(134)

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

रामगढ़ के लिए 160 मेगावाट की योजना सैंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजी है। उसकी भी प्रगति का अभी कुछ पता नहीं है। आपने 1994 में कहा कि सूरतगढ़ की 250 मेगावाट का प्रोजेक्ट जून, 1996 तक उत्पादन कर देगा। आप अपने दिल से पूछ कर बताइये कि क्या जून, 1996 तक उसका उत्पादन हो जाएगा? सभापति महोदया, 1994 के बजट में कहा गया कि कोजड़ा में 100 किलो वाट की 16 यूनिट लगाने की बात है, मैंने अपने साथियों से पूछा, क्यों भाई 16 यूनिट का कुछ है? कहीं 16 यूनिट का कोई अता-पता नहीं है।

सभापति महोदया, पिछले बजट के अन्दर आपने कहा कि निजी क्षेत्र में 43 सौ मेगावाट की परियोजनाओं पर कार्यवाही चल रही है। 6 महीने हो गये वह कार्यवाही वहीं की वहीं पड़ी है। इन पर तो युद्ध स्तर के ऊपर कार्य होना चाहिये था। अगर सरकार ने इस विषय को गम्भीरता से लिया होता। लेकिन सरकार ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया। सभापति महोदया, जनरेशन में कमी आयी है यह बात सरकार स्वयं स्वीकार करती है। आपने अपनी आर्थिक समीक्षा, इकोनोमिक रिव्यू के अन्दर इस बात को इन्होंने माना है, जो जनरेशन पैरा है उसके अन्दर पिछले वर्षों में कमी आयी है। उत्पादन शुद्ध पेज 30 पर इकोनोमिक रिव्यू में है जो शुद्ध उत्पादन है वह 1992–93 में 7961 मिलियन यूनिट था, 1993–94 में 7888 रह गया और 1994-95 में 6913 मिलियन यूनिट रह गया। सभापति महोदया, इसका एक प्रमुख कारण मैं भी मानता हूं कि जो योजना व्यय इस क्षेत्र में किया जा रहा है वह बहुत कम किया जा रहा है। यह सरकार अपने आप ढिंढोरा पीटती है किसान की पक्षधर सरकार होने का लेकिन यह एलोकेशन है जो बजट का वह कैसा करती है वह आप देखिये। सिंचाई पर यह सरकार 1992 में 18 पर्सेंट एलोकेशन करती है, 1993 में 16 पर्सेंट और 1994 में 15 पर्सेंट करती है और ऊर्जा पर यह सरकार 1992-93 में 28 पर्सेंट करती है, 1993-94 में 28 पर्सेंट करती है और 1994-95 में यह एलोकेशन बजट का 26.51 पर्सेंट हो जाता है। सभापति महोदया, हर वर्ष जब एलोकेशन में कमी आ रही है तो कैसे ये जनरेशन की अपनी योजनाओं को क्रियान्विति कर पाएंगे। यह एक गम्भीरता से सोचने की बात है।

सभापति महोदया, यह तो गनीमत समझिये कि नरसिम्हा राव जी की सरकार ने राजस्थान के प्रति सद्भावना दिखाते हुए सहानुभूति रखते हुए एक अन्ता का प्रोजेक्ट हमें अलाट कर दिया। इसके साथ-साथ में जो एन.टी.पी.सी. से जो 200 मेगावाट का एलोकेशन किया है उसके कारण से कुछ घंटों के लिये किसानों को बिजली मिल रही है। वरना आज अगर इसी सरकार के भरोसे किसान रह गये होते तो वह पूरे बरबाद हो चुके होते।

सभापति महोदया, जो सैकण्ड इम्पार्टेंट आस्पैक्ट है वह है डिस्ट्रीब्यूशन का। यह बोर्ड काफी समय से प्रयास कर रहा है जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने कहा लेकिन प्रयास के ठोस परिणाम क्यों नहीं आ पा रहे हैं, इस पर भी गहराई से सोचने की आवश्यकता है। मैं आपको तुलनात्मक रूप से

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

बताऊंगा कि किस प्रकार से राजस्थान के लाइन लोसेज बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान का लाइन लोसेज जो 1991-92 में 22.54 प्रतिशत था सी.ए.जी. की रिपोर्ट के हिसाब से 1992-93 में 23.62 हो गया और 1993-94 में 23.82 हो गया था लेकिन आर.एस.ई.बी. की एन्युअल रिपोर्ट के हिसाब से 1992-93 में वह पूरे सिस्टम में 24.47 और 1993-94 के 25.18 यह लाइन लोसेज हो गया। हमारे मंत्री महोदय ने सिर्फ एक दो वह राज्य यहां पर बता दिये जिनसे कि प्रगति से राजस्थान आगे है लेकिन वे अनगिनत राज्य इन्होंने नहीं बताये हैं जहां पर कि राजस्थान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। लाइन लोसेज पंजाब में 18.80 परसेंट, गुजरात में 21.70 परसेंट, महाराष्ट्र में 15.50 परसेंट, आंध्र प्रदेश में 19.20 प्रतिशत, कर्नाटक में 19.30, केरल में 21 प्रतिशत, तमिलनाडु में 18.40 परसेंट, बिहार में 22 परसेंट और वेस्ट बंगाल में 21.50 परसेंट यानि इन सभी राज्यों से राजस्थान के लाइन लोसेज ज्यादा थे। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में कमी होने के कारण से हमारे यहां पर काफी नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। यहां पर एक इम्पार्टेंट आस्पेक्ट यह भी है कि हमारे माननीय सदस्य स्वयं की बड़ाई कर लें उससे काम नहीं चलता है। दूसरे इनके लिये क्या कहते हैं यह ज्यादा इम्पार्टेंट है। पैसे की कमी की हम बात करते हैं लेकिन वर्ल्ड बैंक ने हमारे बोर्ड को पिछले वर्ष में इसीलिए लोन नहीं दिया, क्योंकि यहां मिस मैनेजमेंट था यहां का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं था और इस कारण से वर्ल्ड बैंक ने अपने लोन में कमी कर दी। मैं 28-7-1995 का टाइम्स आफ इण्डिया कोट करना चाहूंगा जिसमें :—

"The world Bank has canoelled the loans to the Electricity Boards in all other states, because of poor management of the Boards, Electricity Boards continued to be poorly managed, the Bank decided to cancel the loans with only exception for Maharashtra and Kerala."

15.38

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जब वर्ल्ड बैंक की बात चली, उपाध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक की पिछले वर्ष की रिपोर्ट मेरे पास है, उस रिपोर्ट में से मैं यह बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक ने हमारे बोर्ड की कार्य प्रणाली पर करीब-करीब सभी बिन्दुओं पर एडवर्स टिप्पणी करी। इन्होंने बिलिंग और कनेक्शन के मामले में एडवर्स टिप्पणी करी, मेटेरियल मेनेजमेंट के बारे में एडवर्स टिप्पणी करी, फाइनेंशियल एकाउण्ट्स सिस्टम के बारे में एडवर्स टिप्पणी करी, प्रोजेक्ट प्लानिंग कन्ट्रोल के बारे में एडवर्स टिप्पणी करी, टेरिफ स्ट्रक्चर के बारे में एडवर्स टिप्पणी करी, मेनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम के बारे में एडवर्स टिप्पणी है, बजटरी कन्ट्रोल के बारे में एडवर्स टिप्पणी है। मैं इसमें दो बिन्दुओं पर विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि मेटेरियल सिस्टम के बारे में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि:—

"No action has been taken by R.S.E.B. on the weakness establi-

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

shed in the previous reports. No monitoring of actually purchases viz-a-viz budgets has taken place. The current status continued to be the same as it was three years back." और साथ में उन्होंने कोट किया कि:–

"Kota Thermal power station holds O&M stores equivalent to consumption of 33 months furnace oil about 6 months and HSD oil about 2 months against average delivery period of 2 days for both the furnaces"

यानी कि बोर्ड पर्चेज कर करके इकट्ठे करने में तो विश्वास करता है लेकिन उसका प्रोपर डिस्ट्रीब्यूशन और कैसे उसका एलोकेशन होना चाहिये उसकी उसमें बोर्ड के अन्दर कोई भी प्रोपर प्लानिंग नहीं है। कहने का मतलब है कि वर्ल्ड बैंक जैसे ही इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन ने हमारे बोर्ड के ऊपर जितने एक्सपर्शन कास्ट किये हैं वे इस सरकार के लिये बड़े+++

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ में जो सी.ए.जी. की रिपोर्ट है, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है उसकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सी.ए.जी. की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि फण्ड्स के क्रिएशन के अन्दर डिले किया गया है उसके कारण से हमको करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि जो डिले इन रियलाइजेशन आफ ड्यूज, डोमेस्टिक रियलाइजेशन आफ ड्यूज 1992–93 के अन्दर करीब 18.58 करोड़ था, नान-डोमेस्टिक 13.3 करोड़ था और इंडस्ट्रियल करीब 105.97 करोड़, यह हमारे बोर्ड के ड्यूज थे। बोर्ड ने ड्यूज रियलाइजेशन के अन्दर अपना सही ढंग से काम नहीं किया। इस प्रकार से अनड्यू पेमेंट जो बैंक से किये गये उसके कारण से 55 लाख का बोर्ड को घाटा हुआ। यह सी. ए. जी. की रिपोर्ट 1993 की बताती है। इसी प्रकार से नान रिकवरी ऑफ सिक्योरिटी डिपोजिट फ्रॉम रेलवे से बोर्ड को 42 लाख रुपये का घाटा हुआ। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारे इस बोर्ड की कार्य प्रणाली में बहुत सुधार की आवश्यकता है। बोर्ड के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और बोर्ड के खर्चों के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता है। हमारे यहां पर मंत्री महोदय कहते हैं कि हमने अपने खर्चे कम किये हैं। हमने कई बार नये लोगों को रोजगार नहीं दिया लेकिन फिर भी बोर्ड के लगातार खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। यह इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट 1994 की है उसमें बताया गया है कि कर्मचारी लागत पर 1992–93 में 23 करोड़ 206 लाख रुपये खर्च हुए, 1993–94 में 24 करोड़ 988 लाख रुपये और 1994–95 में 28 करोड़ 476 लाख रुपये खर्च हुए। प्रशासन के ऊपर जिसमें आपके एस.टी.डी. और टी.ए./डी.ए. है इसके ऊपर 1992–93 में 2533 करोड़ जो बढ़ करके 1993–94 में 3895 करोड़ और 1994–95 में 4182 करोड़ हो

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

गया। बोर्ड अपने खर्चों के ऊपर तो कंट्रोल कर नहीं पा रहा है और इसका खामयाजा भुगतना पड़ रहा है कंजूमर को, कंजूमर के ऊपर इसका बोझ यह डालते जा रहे हैं।

मेरा अंतिम पाइंट, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि कंजरवेशन की तरफ, बिजली की बचत की तरफ हमारी सरकार और बोर्ड का ध्यान बिलकुल नहीं जा रहा है और अगर हम बिजली की बचत की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आगे हमें पछताना पड़ेगा। इसके लिये रिसर्च और एनेलीसिस विंग स्थापित करनी चाहिये और इस काम को, कंजरवेशन को, वार फूटिंग के ऊपर लेना चाहिये। उदाहरण के तौर पर एक इस प्रकार का बल्ब यदि बनाना है कि जिसके उपयोग से सिर्फ 25 प्रतिशत बिजली खर्च होती है और 75 प्रतिशत बिजली की बचत होती है, तो इस प्रकार से रिसर्च की तरफ और कंजरवेशन की तरफ बोर्ड को ध्यान देना चाहिये।

साथ ही साथ केरल के अन्दर जो एनर्जी आडिट होती है उस सिस्टम को हमारे यहां पर लागू करना चाहिये और अगर हमको रेट्स बढ़ानी भी है तो हमको मीडियम और हैवी इंडस्ट्रीज की रेट्स बढ़ानी चाहिये। डोमेस्टिक के ऊपर रेट बढ़ाने से या एग्रीकल्चर के ऊपर रेट बढ़ाने से हम उन लोगों के साथ....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

में अन्याय करेंगे। विशेष रूप से मैं यह कहना चाहूंगा कि हमको सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की तरफ अपना अटेंशन फोकस करना चाहिये। क्योंकि आने वाला समय सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का है। 21वीं सदी की तैयारियां अगर हम अभी से नहीं करेंगे तो अभी के जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं या लग रहे हैं ये 25–30 साल के बाद में जाकर रेलिक्स हो जाएंगे। इसलिए हमको सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की तरफ ध्यान देना चाहिये।

मैं अंत में, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात माननीय मुख्य मंत्रीजी से विशेष रूप से पूछना चाहूंगा कि आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि केन्द्र सरकार को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 43(1) के अन्दर संशोधन जो किया है उसको वापस लेना चाहिये। मुख्य मंत्रीजी के स्टेटमेंट में विरोधाभास कई बार नजर आता है। पता नहीं किन कारणों से कभी कुछ चीज कहते हैं और कभी कुछ कह देते हैं। 17 जुलाई को मुख्य मंत्रीजी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बिजली को राष्ट्रीय विषय सूची में शामिल कर लिया जाय ताकि राज्यों में इसके उत्पादन तथा वितरण को लेकर तनाव तथा आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति नहीं बन पाये। श्री शेखावत ने जयपुर में कल कहा, यह 17 अप्रेल की बात है कि केन्द्र को इस दिशा में पहल करनी चाहिये। अप्रेल में तो माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि केन्द्र को इसमें इन्टरफियर करना चाहिये यह सबजेक्ट कंकरेंट लिस्ट में है। इसलिए स्वाभाविक है कि राज्य का और केन्द्र का, दोनों का इसके अन्दर योगदान रहता है लेकिन अप्रेल में मुख्य मंत्रीजी के यह कहने के बाद आज प्रातःकाल वह यह कहते हैं एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 43(1) की धारा में जो संशोधन किया गया है वह वापस लिया जाय और राज्यों को स्वतंत्रता दी जाय

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

काम करने के लिये। मेरे ख्याल से राज्यों को इस दृष्टि से स्वतंत्रता दी जाती है तो वह उसके दूरगामी परिणाम ठीक नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यूरोप के अन्दर भी कई देश हैं वहां पर उनका एक ग्रीड बना हुआ है, कई देशों के अन्दर और हम अगर यहां पर नेशनल ग्रीड की स्थापना नहीं करना चाहते और इसके विरोध में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे तो मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बघेला साहब बोल रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : देखिये अब आप किसके मुंह में जाते हैं। आपको शेर की जरूरत है या बघेरे की जरूरत है। जिसकी जरूरत है उसका ही मुंह खुल जाएगा आपकी तरफ। शांति से सुनें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम बहुत ही संवेदनशील और अत्यंत आवश्यक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा की शुरुआत करते हुए माननीय श्री पूनम चन्दजी विश्नोई ने सदन में कल जिस प्रकार से इस बारे में माननीय सदस्यों की यह चिंता थी कि बिजली की बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या से मैं स्वयं भुगतभोगी हूं। मेरा तो पूरा का पूरा क्षेत्र ही, चाहे वर्तमान क्षेत्र हो, चाहे पहले का क्षेत्र हो, पूर्णतया बिजली की दया पर निर्भर है। आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि मेरे वर्तमान विधान सभा क्षेत्र से 10 करोड़ रुपये प्रति महीने का रेवेन्यू हम बिजली विभाग को देते हैं। आप अन्दाज लगा सकते हैं कि बिजली पर हमारा कितना सारा काम आधारित है और जिस प्रकार से राजस्थान में तीन लाख से अधिक कृषि कुए विद्युतीकृत हैं और अन्दाज लगाये कि पांच आदमी उसके ऊपर निर्भर हैं तो राजस्थान के डेढ़ करोड़ तो केवल कृषि वाले हैं जो विद्युत पर आधारित हैं और इससे अन्दाजा लग जाता है कि विद्युत की हमारे को कितनी महती आवश्यकता है। यह कहना, उपाध्यक्ष महोदय, समीचीन नहीं होगा और न मैं इससे इत्तफाक रखता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया हम सब कुछ कर रहे हैं या हमने कुछ नहीं किया कांग्रेस ने सब कुछ किया। यह कहने से कोई मतलब इस चर्चा का निकलेगा नहीं। इस चर्चा का मतलब निकलेगा कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम इसका चिन्तन करें और कहां तक सफल हों हम इस बात की चर्चा करें। मैं उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि यह कहना भी बिलकुल सही नहीं है कि सारे राजस्थान में लगातार आठ घंटे बिजली मिल रही है, यह कहना भी सत्य नहीं है कि सिर्फ दो-ढाई घंटे बिजली मिलती है। मैं मेरे क्षेत्र का आपको उदाहरण देकर कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक क्षेत्र खेजरोली है जिसमें दो-ढाई घंटे की बिजली लगातार 10 दिन तक मिली लेकिन बाकी क्षेत्र में छह घंटे से आठ घंटे तक लगातार बिजली मिलती रही। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम विद्युत सप्लाई की जो व्यवस्था है उसको अभी तक पूर्ण रूप से इस प्रकार से नहीं कर सके कि जितना विद्युत किसानों को चाहिये वह पूरे समय मिल जाय। और उसमें सबसे बड़ा अवरोध है और जिससे किसान को तकलीफ

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

होती है वह सबसे बड़ी बात यह है कि बार-बार ट्रिप होना और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया, विस्तार पर ध्यान नहीं दिया। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 220 के.वी. सब स्टेशन बनने की जरूरत है और आज के 15 वर्षों से थी लेकिन नहीं बना। अब बन गया लेकिन आज भी, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर तब तक रामपुरा और जेतपुरा के बीच में 132 के.वी. का स्टेशन नहीं बनेगा, इटावा से खेमरोली के बीच में दूसरा 125 के.वी. स्टेशन नहीं बनेगा और 33 के.वी. के तीन-चार स्टेशन जब तक निर्मित नहीं होंगे तब तक हमारे यहां पर पूरे आठ घंटे बिना बाधा के बिजली पहुंच पाना सम्भव नहीं है। यह जमीन का भार है, इस भार को स्वीकार करके। हमको इससे सुधार का प्रयत्न करना चाहिये। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह हम तब सप्लाई करेंगे जब हमारे पास विद्युत होगी। अब विद्युत हमारे पास कहां से आएगी। आज बिजली के बारे में कई प्रकार की बातें आयीं मगर एक मूल बात इस समय उठी है वह यह उठी है कि विद्युत का आपने कौनसा समझौता कर लिया या आपने कितनी विद्युत उत्पन्न कर ली जिसके कारण राज्य की जनता को हम फायदा दे सकें। मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन इतना सत्य जरूर है कि सम्पूर्ण देश में 1991 के बाद में, बिजली के उत्पादन के बारे में 1991 के बाद में बहुत जागृति पैदा हुई और उसके हिसाब से विदेशी कम्पनियों को भी आमंत्रित किया गया, विदेशी कम्पनियों से बातचीत भी की गयी और 1991 के बाद में कुल 243 एम.ओ.यू. (मेमो ऑफ अण्डर-स्टेंडिंग) विश्व की भिन्न-भिन्न कम्पनियों से किये गये लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, न कांग्रेस की सरकार ने और न केन्द्र सरकार ने, कोई भी सरकार इस बात में सक्षम नहीं हुई कि उन्होंने उन कम्पनियों से जो एम.ओ.यू. किये थे उन एम.ओ.यू. के आधार पर उत्पादन प्रारम्भ करें। केवल एक आता है जिसमें निर्माण का काम एनरान ने महाराष्ट्र में प्रारम्भ किया था, उसका हश्र हुआ आप सबको ध्यान है, उसकी गलतियों में, अच्छाइयों में मैं नहीं जाना चाहता। जहां तक राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान के बारे में आज कहा गया कि....

श्री रामनारायण चौधरी : उसका भी खुलासा कर दो कि क्या नुकसान है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इतना विद्वान मैं नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नागपुर से निर्देश दिये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नागपुर के निर्देश से तो कई काम होते हैं और भी, कई काम होंगे नागपुर के निर्देश से, आप चिंता क्यों करते हो (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठे-बैठे न बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनको अनावश्यक रूप से नागपुर का डर लगता रहता है जबकि नागपुर तो आपकी सुरक्षा का ही काम कर रहा है।

(140)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, खड़े होने की आप इजाजत नहीं दे रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जहां तक राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान में 40 प्रतिशत से अधिक विद्युत की इस समय कमी है इसमें कोई दो राय नहीं है और जिस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध हैं, अगर सरकार ने पूरी ताकत लगाकर काम नहीं किया तो सन् 2002 तक 50 प्रतिशत बिजली की कमी राजस्थान में हो जाएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब आवश्यकता यह है कि हम दो प्रकार के मानदण्ड अपनायें, एक तो जिसमें तुरंत बिजली उत्पादन होता हो वह काम करें और एक आगे जाकर जो बिजली उत्पादन हम कर सकते हों, उसकी ओर ध्यान देवें।

मैं माननीय लक्ष्मणसिंहजी से इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें थ्री हण्डरेड क्लियर सन डेज हमको मिलते हैं। यह हमको बहुत बडी उपलब्धि है। हाइडल पावर हमारे पास नहीं है, यह प्रकृति ने हमारे साथ अगर निषेध किया है तो सोलर एनर्जी के थ्री हण्डरेड क्लियर सन डेज हमको मिलते हैं। यह हमारे साथ एक बहुत बड़ी देन और वरदान साबित हो सकते हैं और इसके लिये हमको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।

जैसा कि आज मंत्री महोदय ने कहा है, मैं शुभ कामना करता हूं कि मंत्री महोदय की भविष्यवाणी सिद्ध हो, सही हो नवम्बर में यह समझौता हो जाय और दो सौ मेगावाट बिजली सोलर एनर्जी से हम उत्पन्न करने की ओर बढ़ सकें। इसके बाद में इसका जो सिस्टम मथानिया है, हम कई बार चर्चा करते हैं लेकिन इसके सिस्टम को अगर हम देखेंगे तो इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सोलर एनर्जी की है, वह बहुत ज्यादा है, उसको किसी न किसी प्रकार से कम करके उसका उत्पादन किया जाय तभी वह काम की हो सकती है। निश्चित रूप से इस टैक्नीक में सुधार होगा और हमको सफलता मिलेगी। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि एक बात का हमको भी ध्यान रखना होगा कि जितना हम जनरेशन पर खर्च करेंगे उससे दुगुना हमको ट्रांसमिशन पर खर्च करना पड़ेगा, वह व्यवस्था भी हमको करनी पड़ेगी, उसके बिना भी काम नहीं चलेगा।

अब लाइन लोसेज की बार-बार कई बार मांग उठती है। इसमें आंकड़े भी दिये गये हैं, कहीं 21 प्रतिशत है, राजस्थान में 23 प्रतिशत, कहीं 19 प्रतिशत है। लेकिन हमारा एक दुर्भाग्य है, उस ओर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। लाइन लोसेज कुछ तो राजस्थान के अंदर है, कुछ लाइन लोसेज राजस्थान के बाहर है। उस राजस्थान के बाहर के लाइन लोसेज को आप देखेंगे। पंजाब से हमको जो बिजली मिलती है उसमें 4 प्रतिशत लाइन लोस, पंजाब से राजस्थान में बिजली के ट्रांसमिशन में आने में खर्च हो जाती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश से, इसी प्रकार से अन्य स्टेट्स से, तो राजस्थान में जो लाइन लोसेज का काम है, वह लाइन लोसेज का काम राजस्थान के अंदर तो है ही लेकिन राजस्थान

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के बाहर से जो हमको विद्युत प्राप्त होती है उसमें भी है और उस लाइन लोसेज के बारे में निश्चित रूप से सुधार करने की आवश्यकता है। इसके लिये एक स्कीम आर.एस.ई.बी. ने बनायी है जो एल.टी. लेस लाइन की स्कीम जो बनायी है और जयपुर जिले को केन्द्र बनाया है; उस एल.टी.लेस लाइन के सिस्टम का हमको निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिये ताकि हमको इसमें लाइन लोसेज कम हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, एक जो सबसे बड़ी शिकायत है, मुझे भी शिकायत है और मैं शिकायत ही करना चाहूंगा, यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड जो प्रायोरिटी से कनेक्शन दे रहा था, वह कनेक्शन रेगुलर रूप से दे रहा है। एक यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार 50 हजार, एक लाख रुपये लेकर किसानों को कनेक्शन दे रही है।

इस बार अब तक 25 हजार कनेक्शन राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड ने जो प्रायोरिटी से कनेक्शन दिये, इसके बावजूद बिजली की मांग पूरी नहीं हुई। किसानों को कनेक्शन की जबर्दस्त आवश्यकता है।.... (व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : 25 हजार के टार्गेट रखे थे उसमें अभी तक 9 हजार कनेक्शन दिये हैं और उन 9 हजार कनेक्शन में भी सिर्फ नर्सरी कनेक्शन दिये हैं जो प्रायोरिटी पर नहीं आ रहे हैं....(व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आपका बोलने का नम्बर आ रहा है, श्रीमान् बिराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोदीजी को मैं यह स्मरण कराना चाहूंगा कि 25 हजार कनेक्शन देने का फुल टार्गेट नहीं है। अलग-अलग टार्गेट्स हैं, नर्सरी का अलग है, वन पोल और टू पोल के अलग हैं और रेगूलर प्रायोरिटी मिलने वाला टार्गेट अलग हैं और रेगुलर.... (व्यवधान)....

श्री हरजीराम बुरडक : यह गलत बात कह रहे हो।

श्री विष्णु मोदी : नर्सरी का टार्गेट उसमें शरीक नहीं है लेकिन उस 25 हजार के अंदर सिर्फ 9 हजार कनेक्शन दिये गये हैं, वे सब नर्सरी केटेगिरी में दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : यह गलत है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं फिर आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब तक 3 हजार से अधिक कनेक्शन सामान्य प्रायोरिटी के हो चुके हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं हुए, एक भी डिमांड नोटिस नहीं निकाला। इस साल का एक भी टार्गेट नहीं हुआ है।

श्री अमराराम (धोद) : पिछले साल डिमांड नोट जमा हुए थे, मार्च, 94 में उनको दिये गये हैं। नये डिमांड नोट मार्च के बाद आज दसवें महीने तक एक भी डिमांड नोट प्रायोरिटी का जारी नहीं किया गया। पिछले साल जिन्हें डिमांड नोट जारी हुआ उनको दिये गये है.... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, हां, मैं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनिये, जोशी जी बिराजिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कह रहा हूं वही बात माननीय सदस्यों ने भी कही है । 1992 में-1993 में सामान्य जो कनेक्शन थे जिनके डिमांड नोटिस जमा हो चुके थे उनके तीन हजार कनेक्शन इस साल दे दिये हैं और इस साल भी अगर सामान्य के डिमांड नोटिस जारी होते तो कनेक्शन नहीं मिल पाते । एक तो मै सरकार से चाहूंगा कि जो आदमी लाइन तोड़कर कनेक्शन चाहते हैं उनसे आप पैसा लेते हो, बात ठीक है, वह किसान भी लाइन तोड़कर नर्सरी का कनेक्शन चाहते हैं । जो वन पोल, टू पोल, जिसका नम्बर प्रायोरिटी में नहीं आ रहा है, वह कनेक्शन चाहते हैं, उनको आप दीजिये । लेकिन जितने मानदंड आपने किसानों को कृषि कनेक्शन के बारे में घोषित कर रखे है, वह घोषित कनेक्शन साधारण प्रायोरिटी के अंदर नियमानुसार किसान को प्रायोरिटी में मिलते चाहिये । मैं समझता हूं कि सरकार निश्चित रूप से इस बात की व्यवस्था करेगी और सरकार का मानस भी है ।

अब जो लोग लाइन तोड़कर कनेक्शन लेते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिये सरकार की आलोचना करने की कि वह 50 हजार रुपये लेकर के कनेक्शन दे रही है । एक बार त्वरित योजना में पहले कनेक्शन हुए थे, उनको रोक दिया गया था, किसानों ने विरोध किया था, सदन में विरोध किया था, बाहर विरोध किया था । आज किसान इस बात को चाहता है, आज किसान सक्षम है, मैं कहना चाहूंगा कि शहरों के आसपास के किसान जो सब्जी पैदा करते हैं, जो अन्य चीजें पैदा करते हैं....

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : वह कुलक हैं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब आप उनको कुलक कहिये, मै नहीं समझता कि राजस्थान में कोई भी किसान कुलक है। अगर आप किसानों को कुलक कहना चाहते हो तो मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आता है । निश्चित रूप से राजस्थान में आपके भूमि सुधार कानून लागू हो चुका है, राजस्थान में सीलिंग कानून लागू हो चुका है, उसके बाद कौन किसान कुलक बचा है । मुझे तो 15–15, 20–20 बीघा वाले किसान नजर आते हैं ।

श्री अमराराम (धोद) : पूरे राजस्थान में राजा महाराजाओं के पास, आपके राजस्व मंत्री ने उत्तर दिया है, 8 हजार एकड़ जमीन आज भी सीलिंग कानून लागू होने के बाद भी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप उस पर कब्जा करने में सक्षम हो जायं ।

श्री रामनारायण चौधरी : कुलक का मतलब बड़े जमींदार हैं और बडा जमींदार होना गलत नहीं है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, बड़े जमींदार हैं....(व्यवधान)... और आपकी भाषा में वह गाली है । इस प्रकार से मैं चाहूंगा कि जो वन पोल, टू पोल की स्कीम है और उसमें जो पैसा लिया गया है वह किसान ने मर्जी से दिया है और उसका स्वागत किया जाना चाहिये ।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

16:00

...और इसकी किसान शिकायत कर रहे हैं लेकिन जो किसान प्रायोरिटी में रहे हैं उस प्रायोरिटी के किसान को जितनी सरकार को सब्सिडी देकर कनेक्शन देने का है, उस किसान को देने के बाद में यह कनेक्शन निश्चित रूप से दिये जाने चाहिये। लेकिन इसमें भी एक समस्या है....

श्री रामनारायण चौधरी : यह प्रायोरिटी के कितने हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह सरकार बतायेगी। वह मुख्य मंत्रीजी या मंत्रीजी बताएंगे। अब मेरे क्षेत्र में ढाई हजार कनेक्शन ऐसे हैं जिनके कि पैसे जमा हो चुके हैं, वन पोल, टू पोल का और नर्सरी का – ढाई हजार केवल चौमू और गोविन्दगढ़, इन दो दफ्तरों में हैं। ढाई हजार के डिमाण्ड नोटिस जारी हो चुके हैं और ढाई हजार के पैसे जमा हो चुके हैं। अब उनके कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। वहां 60 हजार रुपये और 50 हजार जमा हुए हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन किसानों ने यह रुपये जमा करा दिये उनको टाईम बाउण्ड प्रोग्राम के हिसाब से कनेक्शन मिलने चाहिये। क्योंकि जैसे सरसों और चने की बुवाई हो गयी और अब गेंहू की बुवाई का समय है; नवम्बर का महीना है। इसके बाद अगर कनेक्शन होंगे, तो किसानों को फायदा कम मिलेगा। फायदा फिर भी मिलेगा, क्योंकि हमारे आस-पास के किसान हर मौसम में हर प्रकार की सब्जी उगाकर जयपुर लाना चाहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो ढाई-तीन हजार कनेक्शन इस प्रकार के हैं, उनको कनेक्शन निश्चित रूप से दिये जाने चाहिये।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे विद्युत के स्रोत सीमित हैं और स्रोत सीमित हैं, तो माननीय लक्ष्मण सिंह जी, आपने जो स्थिति मुख्य मंत्रीजी की पढ़ कर सुनाई थी – मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की इस बात से तो इत्तफाक करता हूं कि इसको राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न माना जाय और अगर राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न माना जाय तो हिमाचल प्रदेश में हजारों मेगावाट हाइडल पावर उत्पन्न की क्षमता है, वह तब तक पैदा नहीं हो सकती जब तक कि इसे राष्ट्रीय महत्व का नहीं माना जाय और राजस्थान का उसमें हिस्सा तय नहीं किया जाय ....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तभी आप राष्ट्रीय नीति में मुख्य मंत्रीजी को राष्ट्रीय स्तर पर भेजना चाहते हैं यह राष्ट्रीय महत्व बताकर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो भारत सरकार को 6 महीने के अन्दर-अन्दर स्वीकार करना पड़ेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप कल पधार जाओ तो स्वीकार करा लो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कहीं भी जाऊं राजस्थान का हित मेरे साथ होगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह दिल्ली में जाएंगे तो आपको फिर भी उधर ही बैठना पड़ेगा। अब आप सोच लो, फैसला आपको करना है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हम तो आज भी इधर ही बैठे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फिर आप भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि आप दिल्ली में उधर बैठें और हम फिर कोशिश करेंगे कि यह दिल्ली पधार जायं।

श्री विष्णु मोदी : अब तो गुजरात ने आपकी यह उम्मीद खतम कर दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मोदी जी यह लैम्प है ना, यह नीचे से चौड़ा है और ऊपर से संकड़ा है। यह पड़ता नहीं है। (व्यवधान)....

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और विद्युत मण्डल के अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा जिस बात का वास्तव में मुझे दुःख है। 11 के.वी. की लाइन में बी.आर. का एक आर्डर निकला है जो कि शिवनाथ सिंहजी बता रहे थे। उस आर्डर में यह है कि नर्सरी कनेक्शन में यदि बी.आर. नहीं बैठता है, तो भी कनेक्शन दे दिये जायं। लेकिन वन पोल में, टू पोल में और साधारण प्रायोरिटी में डिमाण्ड नोटिस जमा है और बी.आर. नहीं बैठता है तो कनेक्शन नहीं दिये जायं। यह बात बिलकुल गलत है। इस बात को परिवर्तित किया जाना चाहिये कि अगर नर्सरी कनेक्शन दिया जा सकता है और साधारण श्रेणी का कनेक्शन है। वन पोल का, टू पोल का कनेक्शन किसान का है उस कनेक्शन में भी किसान के साथ निश्चित रूप से 11 के.वी. की बी.आर. में एक समान व्यवहार होना चाहिये। बी.आर. बैठता है तो नर्सरी वालों को मत दीजिए और अगर बी आर. नहीं बैठता है तो सब को दीजिए, सब को मत दीजिए। यह भेदभाव किसान के साथ करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत उत्पादन के बारे में बार-बार आरोप लगते हैं कि आपने 5 मेगावाट भी पैदा नहीं की। ऐसा नहीं है। आप जिस किताब को पढ़ रहे थे 1990 में कोटा की यूनिट की स्वीकृति हुई थी और उसके बाद में यह 250 मेगावाट बिजली राजस्थान में भैरोंसिंह जी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में बनकर हमको मिल रही है....

श्री विष्णु मोदी : 1989 में हो गया था। आप कृपया भैरोंसिंह जी को सारा क्रेडिट नहीं दें....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं बोलें।

श्री विष्णु मोदी : ....लेकिन कम से कम सदन को +++ नहीं करें। इस पर पहले से कार्यवाही शुरू हो गयी थी और उत्पादन उनके काल में हुआ....

श्री उपाध्यक्ष : सीधे बात नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी जानकारी के लिये बता देऊं कि कोटा ताप विद्युतघर यह मेरे जमाने में 1978 में मैंने सैंक्शन लेकर चालू किया था।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 1975 में पावर मिनिस्टर श्री के.सी. पंत कोटा आये

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

और हमने 400 आदमियों ने उनके गले में माला पहनायी सर्किट हाउस में। हमने सर्किट हाउस में अनशन किया, यह ललित किशोर जी चतुर्वेदी साहब की जानकारी में है, और मंजूरी करवाई। सभा की अध्यक्षता महाराज कुमार ब्रजराज सिंह जी से करवायी और आपके मित्र और प्रधान मंत्री कार्यालय में मंत्री, श्री भुवनेश जी चतुर्वेदी भी वहां मौजूद थे। वह गवाह हैं। मेरा खयाल है कि उनकी बात को आप असत्य नहीं मानेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इस बात की खुशी है कि आपने भुवनेश जी चतुर्वेदी को याद किया और यों ही याद करते रहें और आपके सम्बन्ध ठीक रहें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि मैं 1977 में आया था उस समय तो इसकी एनवायरनमेंटल क्लियरेंस नहीं थी। अब आप कहेंगे कि थी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह एनवायरनमेंटल का झगड़ा तो उस समय था ही नहीं।

एक माननीय सदस्य : अब बिगड़ा है यह तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सारा झगड़ा था आप एक मिनट सुन लें....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप अगर क्रेडिट लेना ही चाहें तो यह क्रेडिट हम आपको देने के लिए तैयार हैं कि आपके वक्त में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो आपके पड़ौस में जो बैठे हैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं। यह कह रहे थे कि नहीं, यह तो हमारी योजना थी। यह योजना किस की थी और किस की नहीं थी लेकिन इसकी सैंक्शन मैंने करवायी। काम मैंने चालू करवाया और इसके बाद में 5 यूनिट लगे हैं। वह क्रेडिट कोई कांग्रेस को या बी.जे.पी. को नहीं है। वह एक सिलसिला था। उसके अन्दर पांचों यूनिट लगे हैं। लेकिन आखिरी यूनिट लगाया, टाइम के पहले उसको चालू करवाया और चालू कराने में हिन्दुस्तान की सरकार से ईनाम भी लिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं पहले कह रहा था कि इस विवाद को राजनैतिक नहीं बनाना चाहता हूं। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि चालू हुआ। सब सरकारों ने इसमें काम किया और उसी प्रकार से मैं फिर एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी हमको इस बारे में सोचना पड़ेगा। आज इस बात की आलोचना हो रही है कि इस सन् में यह घोषित किया, इस समय घोषित किया, इतने मेगावाट आ रहा है, इतने मेगावाट आ रहा है। आया नहीं, लेकिन जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि 15 नवम्बर तक इतना काम हो जाएगा, 30 नवम्बर तक इतना काम हो जाएगा और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार बिजली के समझौते करने में सफल होगी।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बशर्ते कि नीमकाथाना से, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य उसमें रोड़ा नहीं अटकायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं उनसे

(146)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूंगा.... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं मेरे भाषण के समय आपको ऐसा सुझाव दूंगा जिससे इनका रोड़ा अटकाना बन्द हो जाएगा। आप जरा गौर से सुन लें उस सुझाव को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं गौर से सुनूंगा और आपके सुझाव को स्वीकार भी करूंगा। यह रोड़ा हटा दें तो हम दोनों मिलकर उस रोड़े को दूर कर देंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पर यह तो दोनों मिलकर करना चाहते हैं,

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लेकिन मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें न तो मुख्य मंत्रीजी को हस्तक्षेप करने दूंगा और न शांतिकुमार जी को करने दूंगा। विष्णु मोदी जी पर पहले हक मेरा है और मैं उनको एक राय दूंगा कि राज्य के हित में अपने व्यापारिक स्वार्थ को आड़े नहीं आने दें।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन कर रहा था कि इस सारी स्थिति में जब यह समझौते होंगे और जिस बात की घोषणा की गयी कि आज कोयले की स्थिति क्या है। माननीय मदेरणा जी ने कहा कि हम को समझना चाहिये कि विद्युत का संकट कैसे पैदा होता है। क्या आज आन्दोलन करने से, जैसा माननीय शीशराम जी कह रहे थे कि क्या इसमे संकट का समाधान हो जाएगा। हिन्दुस्तान भर के राज्यों में जब कोयला दो दिन का बचा हुआ है, कोयला आने में विलम्ब हो रहा है, एक दिन कोयला नहीं पहुंचा और कोयला नहीं पहुंचने के कारण बिजली बन्द रही तो क्या आन्दोलन से उसका समाधान हो जाएगा? उसका आन्दोलन से समाधान नहीं होगा। हम एक सरकार पर या दूसरी सरकार पर आरोप लगाकर भी नहीं चल सकते कि राजस्थान की सरकार का दोष है या केन्द्र की सरकार का दोष है। हमको कोयला लाना ही पड़ेगा। भारत सरकार भी कोयला राजस्थान सरकार को देना चाहेगी। भारत सरकार भी नहीं चाहेगी कि राजस्थान के बिजलीघर बन्द हों और इसी प्रकार से गैस हमको मिलती है, गैस मिलना बन्द हो जाय, गैस की लाइन में खराबी हो जाय, किसी कारण से गैस नहीं आये और यह आर. पी. पी. की दोनों यूनिट बन्द हो गयीं और 300 मेगावाट बिजली चली गयी हमारी, इसको भारत सरकार ने तो बन्द नहीं किया। यह बन्द हो गयी और इसके बन्द होने से राजस्थान को 300 मेगावाट का नुकसान हुआ है। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि आन्दोलन की धमकी से काम नहीं होते हैं और अगर बिजली की स्थिति खराब होती, ज्यादा बिगड़ी हुई होती, तो पांच साल में एक भी बिजली का आंदोलन हमारा राज आने के बाद में राजस्थान में नहीं हुआ, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हम आन्दोलन करना नहीं जानते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली की जो हमारी समस्या है और जिस प्रकार से बिजली के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उत्पादन करने का प्रोग्राम बनाया गया है और प्रोग्राम बनाने की जिस प्रकार की स्थिति बनायी गयी है अगर वह प्रोग्राम और वह स्थिति ठीक रही तो 1997-98 तक राजस्थान बिजली में आत्म निर्भर हो जाएगा और इस बात की हमें पूरी-पूरी उम्मीद है। राजस्थान जिस दिन बिजली में आत्म निर्भर होगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य अन्य अग्रिम राज्यों की श्रेणी में निश्चित रूप से आ जाएगा इसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रकार का प्रयत्न हमको करना चाहिये लेकिन .. (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : इस साल रबी में क्या होगा ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस साल का बता रहा हूं। पिछले साल इस समय 300 मिलियन यूनिट बिजली राजस्थान को मिल रही थी। इस साल, इसी सीजन में 560 मिलियन यूनिट बिजली मिल रही है और अगली साल जब रबी की फसल आएगी तो सात सौ लाख यूनिट बिजली का प्रबन्ध राजस्थान की सरकार कर लेगी आपको किसी भी प्रकार का मौका नहीं मिलेगा, आप इस बात को ध्यान में रखें।

डा. हरिसिंह : यह होने वाला नहीं है। आपकी बात से यह लग रहा है कि आपको जरूर गुड़ लगा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : देखिए, अगर मैं जाट होता तो गुड़ लगवाता। मेरे पास तो खीर रखी होगी। अगर मेरे पास रखी भी है तो खीर रखी है, गुड़ नहीं है, गुड़ होता तो आपके लगाता। ब्राह्मण को खीर चाहिये।

डा. हरिसिंह : यह बात आप सोच समझ कर करना। यह आपने इरादा कर लिया है, चौमूं नहीं जाने का। चौमूं नहीं जाने का अगर इरादा कर लिया हैं तब तो जाटों को खिलाफ कर लो और अगर आपको चौमूं जाना है, तो ऐसा मत करिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको तो घर में बता दिया था, यहां क्यों पूछ रहे थे ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं खतम कर रहा हूं।

डा. हरिसिंह : मैं समझ गया, भैरोंसिंह जी ने पटा लिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जब आपको पटा लिया, तो मेरे को क्यों नहीं पटा लेंगे ?

एक माननीय सदस्य : पटा लिया या डरा दिया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपको भी पटाया था 1978 में।

डा. हरिसिंह : मैं जानता हूं + + + में आप माहिर हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : डा. साहब, अपन दोनों की यह कमजोरी है कि अपन पट जाते हैं।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मोहन लाल मोदी : आपके झण्डी लग जाएगी क्या ? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरे झण्डा लगा हुआ है'। झण्डी नहीं, मेरे यहां भारतीय जनता पार्टी का बड़ा झण्डा लगा हुआ है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फिर आज दो घंटे ही बिजली क्यों दे रहे हो ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिजली 8 घंटे मिल रही है। मेरे यहां मिल रही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : किसान को दो घंटे बिजली मिलती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी-अभी मुझे कह कर आये हैं 8 घंटे बिजली मिलती है रात में मिलती है, दिन में नहीं मिलती।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो आपसे मिला ही कहा हूं। मेरे और आपमें कब मुलाकात हुई ? कब डिस्कशन हुआ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी-अभी सब के सामने मुलाकात हुई, आपने कहा बिजली तो 8 घंटे मिलती है लेकिन रात और दिन दोनों में मिलती है, यह कहा था आपने।

डा. हरिसिंह : मुख्य मंत्रीजी और खेतसिंहजी आप दोनों माहिर हैं, राम ही जाने आपकी क्या बात हुई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 8 घंटे खेत सिंहजी सी.एम. साहब से मिलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : घनश्याम जी समाप्त कीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करके समाप्त करना चाहूंगा। इस रबी की फसल में बिजली बोर्ड को निश्चित रूप से व्यवस्था करनी पड़ेगी ट्रांसफार्मर की और विजिलेंस की। जहां 8 घंटे से कम बिजली किसी कारण से पहले दिन नहीं मिलती दूसरे दिन या तीसरे दिन उसकी पूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिये और हम सबको मिल कर एक चौकसी करनी चाहिये, विधायकों को भी चौकसी करनी चाहिये और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी चौकसी करनी चाहिये और आप एक नोट बुक रखिये हर ए.ईएन. के यहां पर, कि जितनी आपके यहां बिजली कम आती है दूसरे दिन निश्चित रूप से आप उसकी पूर्ति करिए और 8 घंटे का आपने वायदा किया है। मंहगी से महंगी कीमत पर मंगाइये और राज्य सरकार को घाटा खाना पड़े तो राज्य सरकार घाटा खाये लेकिन इस रबी की फसल में, क्योंकि राजस्थान में कई जगह इस बार बाढ़ से तबाही हुई है और कई जगह अकाल से तबाही हुई है, इसलिए राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है कि घाटा खाकर भी इस रबी की फसल में येन-केन-प्रकारेण 8 घंटे राजस्थान में किसानों को बिजली उपलब्ध कराये और मुझे आशा है राजस्थान की सरकार निश्चित रूप से यह काम करेगी। इसी के साथ, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले में प्रान्त की जो स्थिति है वह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। भयानक स्थिति है। पावर जनरेशन के मामले में जो ट्रेक रिकार्ड मदन के नेता का रहा है इतना खराब ट्रेक रिकार्ड, मैं समझता हूं, किसी भी और मुख्य मंत्री

(श्री जगदीप धनखड़)

का नहीं मिलेगा। कहा तो बहुत कुछ गया है, परन्तु 50 साल के बाद भी पूरे राज्य में कहीं ऐसी स्थिति नहीं है। छोटे कारखाने वाले को 12 साल इन्तजार करना पड़ता है, या 14 साल इन्तजार करना पड़ता है या बड़ा उद्योग लगा रहा है उसको 5 साल इन्तजार करना पड़ता है। परन्तु +++ गरीब किसान को 10 साल, 15 साल इन्तजार करना पड़ता है। उसके सम्बन्ध में कोई नीति नहीं अपनायी गयी है। ऐसी दोहरी नीति कि यदि वही किसान एक दिन अगर छोटा व्यापार शुरु करता है, छोटा उद्योग लगाता है उसको बिजली उपलब्ध हो जाएगी। परन्तु अगर वह खेती-बाड़ी के लिये बिजली लेना चाहता है तो उसको बिजली नहीं देंगे। उसका ऐसा एक्सप्लायटेशन करने की व्यवस्था कर दी गयी है कि हम आपको कनेक्शन देंगे पर बकडोर एण्ट्री से, हम आपसे बहुत ज्यादा पैसा लेंगे। मैं समझता हूं इस प्रकार की स्थिति को खतम करने का सवाल है। गांव में जो आदमी बैठा है, शुरुआत तो इन्होंने की है, अब खतम करने का मौका आ गया है। गांव के अन्दर जो आदमी बैठा है वह शहर में आ जाय आप उसको बिजली का कनेक्शन दे दोगे पर वही व्यक्ति अपने गांव में जाकर बिजली का कनेक्शन लेगा, नहीं दिया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सब सदन में यहां बैठे अधिकांश लोग गांवों से आये हैं why such a hostile discrimination ?

इसका क्या आधार है ? क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि किसान को भी इस हालत में रखेंगे कि छोटे उद्योग वाली हालत में तो आये। क्यों नहीं वह सदन एक ऐसा निर्णय ले कि राज्य के पास जितनी बिजली उपलब्ध होगी उसका एक निश्चित प्रतिशत किसान वर्ग के लिये सुरक्षित रखा जाएगा। ताकि किसान कम से कम बरसों तक उस लाइन में नहीं खड़ा रहे जिसके अन्दर उसको कहा जाएगा कि प्रायोरिटी से आपको बिजली उपलब्ध होगी। आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता से अपील करूंगा कि किसान का पेशंस अब खतम हो गया है। अब और इन्तजार करने की गुंजाइश नहीं है। कुछ न कुछ समय रहते अवश्य किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साल के अन्दर जो कारनामें इस सरकार के हैं उनसे स्पष्ट जाहिर है कि इनका मानस पावर जनरेशन के मामले में स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है कि 4300 मेगावाट की योजना बनायी गयी है। इस वर्ष का बजट भाषण देते समय भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा 4300 megawatt generation in power sector. परन्तु इनका ट्रेक रिकार्ड क्या रहा है ? नेवेली का मामला लीजिए। 'लिग्नाइट के मामले में पोटेंशियल तो भयंकर है। नवम्बर, 1987 के अन्दर पहला सम्पर्क नेवेली लिग्नाइट से हुआ। सत्ता में आ गये पांच साल का समय निकल गया कुछ नहीं किया। पहला कदम यदि आपने उठाया तो जनवरी, 1994 में। यह किस तरीके से कार्य किया, 24 जनवरी, 1994 को

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगदीप धनखड़)

निर्णय लिया, क्योंकि मैसर्स नेवेली से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, अतः राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विभाग ऊर्जा विभाग के सहयोग से इस योजना के लिये सुविधा क्षेत्र में कोई कार्यवाही करेगा पैसा विदेशों से जुटाने की व्यवस्था करेगा, यह निर्णय लिया।

मान्यवर, 11 फरवरी को जो बैठक हुई उसमें इस निर्णय को बदल दिया गया और एक दूसरा निर्णय लिया गया जिसमें कहा गया कि एक संयुक्त क्षेत्र में कम्पनी बनायी जाय तथा कम्पनी बनने तक इस परियोजना के लिये परियोजना समन्वय समिति का गठन किया जाए। इस बीच, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक विदेशी कम्पनी से बातचीत हो गयी, विदेशी कम्पनी के लोगों को यहां बुला लिया गया, निर्णायक स्थिति में बातचीत हो गयी, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी, सदन में भी कर दी और सदन के बाहर भी कर दी, यहां तक कह दिया कि मेरे चैम्बर में वे लोग बैठे हैं और आप देखिये राजस्थान के अन्दर पावर जनरेशन में कितना करिश्मा हम दिखायेंगे। अचानक उस आस्ट्रेलियन कम्पनी को छोड़ दिया। सिद्धांत क्या लिया, यह लिया कि हम ट्रांसपरेंसी चाहते हैं, हम ऐसा मुद्दा चाहते हैं कि हमारे पर कोई अंगुली नहीं उठाये। चलो ट्रांसपरेंस के कंसेप्ट को आपने अडाप्ट किया और आपने ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया। यदि अगर ट्रांसपरेंसी से आपका इतना ही लगाव है तो इस प्रकार के घटनाक्रम के बाद क्या औचित्य था सदन के नेता के समक्ष, कि एमको एनरान से वे बात करते। जब आस्ट्रेलिया की कम्पनी से आपने बात बीच में छोड़ दी, आपने निर्णय ले लिया कि ग्लोबल टेंडर के हिसाब से ही हम पावर जनरेशन के सैक्टर में जाएंगे। आपने एमको एनरान से बात की, जमीन का आइडेंटिफिकेशन किया, सदन के वरिष्ठ सदस्यों के साथ में आपने विचार-विमर्श किया, आपके अधिकारियों ने एक नीतिगत निर्णय की घोषणा की उसके बाद अचानक आपने कहा कि एनरान से आप नहीं करेंगे, एमको एनरान के साथ नहीं करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं न कभी एनरान से मिला, न कभी बातचीत की।

श्री जगदीप धनखड़ : आप मेरी बात को कंट्राडिक्ट कर दीजिये उनके लिए जमीन का आइडेंटिफिकेशन हुआ। उनके साथ विचार-विमर्श हुआ। उनके साथ आपके पावर सैक्रेटरी ने विचार-विमर्श किया। उनके साथ आपके आर.एस.ई.बी. के चेयरमैन ने विचार-विमर्श किया और सदन के नेता ने इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया, प्रतिपक्ष के नेता के साथ विचार-विमर्श किया।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या एनरान के साथ सोलर जनरेशन के लिए एम.ओ.यू., कोई साइन हुआ था बोर्ड के और एनरान के बीच में ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : किसी और पार्टी के साथ हुआ था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं हुआ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं पूरी जानकारी के लिए बता दूं कि यह प्रपोजल आया सैण्ट्रल गवर्नमेंट के नॉन कन्वेंसनल एनर्जी मिनिस्टर, श्री कृष्णकुमार जी की तरफ से, जिसमें लिखा हुआ था कि दो रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी, आप एमको एनरान से समझौता कर लें। इसके ऊपर आगे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कि 2 रुपये 25 पैसे की दर आपने किस आधार पर तय की, यह बताइये। वे नहीं बता पाये। मेरे ध्यान में यह था कि सोलर एनर्जी नयी टैक्नोलोजी के आधार पर इससे सस्ती उपलब्ध हो सकती है इसलिए इण्टरनेशनल बिडिंग इसमें किया गया और उसका फैसला कुछ दिनों में आपको जानकारी में मिल जाएगा कि उसको रिजेक्ट करने के कारण राजस्थान की जनता को कितना लाभ हुआ है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सब चाहते हैं कि एनरान से समझौता हो, भगवान जाने एनरान की बीमारी आपको कैसे लग गयी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : महाराष्ट्र में कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : महाराष्ट्र में कर रहे हैं लेकिन अब जयपुर में लग रही है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपके बारे में आपने साथियों ने जो कुछ सलूक किया उससे हम भयभीत हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें इंटरेस्ट था कि पर यूनिट कास्ट जिसकी कम आयेगी उसी टैक्नोलोजी को और उसी कंम्पनी को स्वीकार करूंगा।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को मैं यह बताना चाहता हूं कि जब राजस्थान की सरकार ने, सदन के नेता ने निर्णय लिया 1994 में, कि लिग्नाइट बेस पावर जनरेशन के मामले में हम ग्लोबल टेंडर जारी करेंगे। उसके पश्चात् एमको एनरान से बात करने का कोई आधार नहीं था लेकिन बात की। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन में कह रहा हूं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैण्ड हुआ, उसके बाद क्या होता है, देश के अन्दर एक नयी परम्परा जारी हुई। हमारे सदन के नेता एक ट्रेड यूनियन के नेता बन गये। चार मुख्य मंत्रियों की बैठक की इन्होंने अध्यक्षता की। महाराष्ट्र के अन्दर एनरान का सौदा रद्द हुआ, आपने यहां कर दिया। यदि आपने कोई सौदा किया ही नहीं तो आपको घोषणा करने की कहां आवश्यकता थी? मैं तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता से पूछना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप आगे बढ़िये।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं मेरी बात कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि पारदर्शिता

(152)

(श्री जगदीप धनखड़)

का एक सिद्धांत आप आगे लाते हैं, उस सिद्धांत को आप सलेक्टिव करते हैं, आप अपनी मनमर्जी का परिचय देते हैं, राजस्थान की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। इतना समय क्यों नाजायज रूप से नष्ट कर दिया? इसका दूसरा पहलू देखिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ गलतफहमी है, मैं दूर कर दूं, एमको एनराम और लिग्नाइट के अन्दर कन्फ्यूजन है....

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात कह रहा हूं....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एमको एनरान लिग्नाइट के अन्दर हैं ही नहीं, वह सोलर के लिये है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : कुछ गलतफहमी है, मैं दूर कर दूं। इतना ही निवेदन है कि एमको एनराम लिग्नाइट के अन्दर है ही नहीं, वह सोलर के लिए प्रपोजल आया था और उसके अन्दर जब इंटरनेशनल बिडिंग की उसके अन्दर एनर्जन जो अभी बात कही उसके अन्दर ज्यादा अच्छा प्रपोजल एमको एनरान से मिला। लिग्नाइट का जो आपने जिक्र किया Amco Enron is not in reckoning है ही नहीं, नाम ही नहीं है उसका वहां पर।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य, अभी जो जिक्र कर रहे थे एनरान का वह सोलर पावर जनरेशन के बारे में कर रहे थे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सोलर की बात कर रहे थे।

श्री परसराम मदेरणा : लिग्नाइट की पहले ही उन्होंने बात समाप्त कर दी। जब सोलर की वे बात कर रहे थे और एनरान की बात आयी तब मैंने कहा था कि सोलर पावर जनरेशन के लिये एम.ओ.यू. हुआ था या नहीं हुआ था?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : नेवेली से पहुंच गये एमको एनरान पर, लिग्नाइट पर, लिग्नाइट का और सोलर का थोड़ा कंफ्यूजन था।

श्री परसराम मदेरणा : आज दुनिया साइंस के एडवांस के बाद में ग्लोबल विलेज हो गयी है। 14 घंटे में आदमी न्यूयार्क पहुंचता है। पहुंचने के लिये पहुंचना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना से तीन नतीजे निकले हैं। एक तो राजस्थान की जनता की डिग्निटी को कम्प्रोमाइज किया गया कि हमारा +++ शिवसेना की सरकार जो निर्णय करेगी उसके पश्चात ही रिवोक करेगा एम को. एनरान से, ऐसा क्यों किया? दूसरा, अगर आपको ऐसा करना था तो शुरू में क्यों नहीं किया गया? तीसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगदीप धनखड़)

एक पार्टी को बुलाते हो, अधिकारियों से विचार-विमर्श करते हो, जमीन का आइडेंटिफिकेशन करते हो, फिर ग्लोबल टेंडर करते हो, तो क्या यह सिगनल नहीं जाएगा कि आप एक पर्टिकुलर पार्टी को फ़ेवर करना चाहते हैं या आप यह दिखाने के लिए कि हम फेवर नहीं कर रहे हैं उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके तहत, यह जो पारदर्शिता का फार्मूला अडाप्ट कर रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है। पता नहीं पीछे से क्या-क्या हो रहा है? माननीय सदन के नेता से मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस प्रकार के नेगोशियेशंस के लिये तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था? और अगर किया गया तो सदन में उसकी घोषणा क्यों नहीं की गयी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो संसद सदस्य और एक गैर-संसद सदस्य, तीन को किया गया और कहा गया कि इनफार्मल मीटिंग होगी, इनफार्मल कमेटी है। राज्य का हित हो रहा, राज्य सरकार को करना चाहिये कि बिलकुल ट्रांसपेरेंट रहे। इनफार्मल तो कल हो सकता है कि कोई अपने घर में कर ले It is State function।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मेम्बर कौन-कौन से थे?

श्री जगदीप धनखड़ : सदन के नेता कह दें कि इस प्रकार की कमेटी नहीं थी, मैं नाम दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो बताओ न कि मैम्बर कौन-कौन थे?

श्री जगदीप धनखड़ : आप तो यह कह दीजिये कि ऐसी कमेटी नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बताता हूं, मैंने रामनिवास जी को कागज दिखाये, जसवंत सिंह जी को दिखाये, आप को आपत्ति है तो कह दो।

श्री विष्णु मोदी : कमल मोरारका को भी कहा।

श्री जगदीप धनखड़ : और कमल मोरारका को भी कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तीनों को ही दिखाये और जरूरत पड़ेगी तो जो भी इस मामले को जानते हैं, उनको दिखाऊंगा।

श्री जगदीप धनखड़ : कमेटी बना दी, प्रतिपक्ष के नेता को भी नहीं पता, सदन में किसी को नहीं पता, क्या बनाया, किस कानून के तहत बनाया?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं, कोई कमेटी नहीं बनायी। जसवंत सिंह जी पार्लियामेंट में एनर्जी कमेटी है उसके चेयरमैन हैं, रामनिवास जी इलेक्ट्रिसिटी के मैटर्स में और कम्पनी के मामलों में खूब-अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं। यदि ऐसी जानकारी आपको होती तो मैं आपसे भी सलाह ले लेता। वह जानकारी आपको नहीं थी इस कारण से उनकी सलाह ली है।

श्री परसराम मदेरणा : मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को बहुत जानकारी थी और दोनों विद्वान लोग हैं। आपने कमेटी तो नहीं बनायी लेकिन आपके एनर्जी सैक्रेटरी

(154)

(श्री परसराम मदेरणा)

गुप्ता, आपके चेयरमैन, दूसरे चीफ इंजीनियर, आपने हमारी पार्टी के कुछ आदमियों को अपने चैम्बर में बुलाया, उस वक्त इसी एनरान के बारे में वे जब जा रहे थे और कुछ एग्रीमेंट साइन करने के पूर्व बुलाया, हमसे बात की कि यह जा रहे हैं। यह बात तो साफ है कि पहले आपका इरादा चाहे वह नॉन कन्वेंसनल एनर्जी में था या कुछ था, आपके 12-13 प्रोजेक्ट्स हैं राजस्थान में, मेरे पास किताब है अभी बताऊंगा। उसमें सब में आपने ग्लोबल टेंडर इन्वाइट किये हैं। एनरान वाला एक ऐसा मामला था जिसमें आपने नेगोशियेसन किया था और आपके नेगोसियेशन करने के बाद में उत्तर भेज रहे हैं। यहां पर हमको भी बुलाया था कि यह जा रहा है और पावर के बारे में ये कुछ ज्यादा बता रहे हैं। अगर कुछ करेंगे तो इसमें सोचा जा सकता है। कमेटी तो नहीं थी तो हमको काहे के लिए बुलाया था। हमको अगर आप एक्सपर्ट नहीं समझ रहे थे और एक्सपर्ट सारे दिल्ली में बैठे थे तो हमारी यहां पर आपने किरकिरी करने के लिये काहे को बुलाया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं, दिल्ली में बैठे हों चाहे कलकत्ता में बैठे हों, यदि कुछ लोगों की इसमें राय ले ली जाए। राय लेने में ही उनको आपत्ति है...

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, राय में नहीं....

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनको यह आपत्ति है कि रामनिवास जी, जसवंत सिंह जी और मुरारका जी से राय क्यों ली है, इनसे राय लेनी चाहिये थी। ठीक है, मैं समझता हूं आदमी की जिज्ञासा हो सकती है और जहां तक एनरान ...

श्री परसराम मदेरणा : उनकी राय से हमें कोई एतराज नहीं है। राय तो हमसे ली, हमसे भी राय ली है, हमारी राय का क्या हुआ ?

श्री जगदीप धनखड़ : आपने तो मना ही कर दिया कि राय ली नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपसे भी ली है। आप मेरी सुनिये। आपकी राय ली तो आपको कहा था कि रेट्स ज्यादा हैं, यह कहा था। रेट्स कम नहीं करेंगे तो मंजूर नहीं करूंगा। रेट्स उन्होंने कम नहीं की, मैंने मंजूर नहीं किया, इन्टरनेशनल टेण्डर इन्वाइट कर लिये....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने कम से कम यह तो माना कि एनरान से बात हुई थी। यह तो माना कि विचार-विमर्श हुआ था। आपके पावर सैक्रेटरी से हुई....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी नहीं हुई, मेरी कोई बात-चीत नहीं हुई। आपके कहने से मानने वाला नहीं हूं। आपने तो बात बिलकुल असत्य कह दी जिसको आप मेरे गले उतारो, ऐसा सीधा मैं नहीं हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : सीधे आप नहीं हैं, यह पूरा राजस्थान जानता है। अब तो गुजरात भी जानता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तभी तो आप इस आदमी से क्यो यह तर्क कर रहे हो।

श्री परसराम मदेरणा : अगर कोई इन्टरनेशनल रेप्यूट की कम्पनी आपके पास आती है और आप बात कैसे नहीं करेंगे। यह दयाल सिह था आपका जो अमेरिका में पकड़ा गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाँ, मैं बात करूंगा, मैं बिलकुल बात करूंगा लेकिन ये मेरे पास आये नहीं हैं इसलिए मैं कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, एनरान, .. मैं एक बात कहूंगा आपसे यह....

श्री हरिसिंह (महुआ) : राजस्थान में ढपली बजाने आ रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, ढपली नहीं बजा रहे हैं। आपने बात करने में जैसा आपका चरित्र है और करेक्टर की दृढ़ता है, बैठकर बात सबसे करनी पड़ेगी और करने के बाद में आप यह कहें कि मैंने बात नहीं की, मैंने बात नहीं की। आपने क्यों बात की . (व्यवधान) अगर मैं होता....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह फैक्ट्स है, परसराम जी.... आप मेरी सुनिये.... (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा नहीं-नहीं, अगर मैं होता तो सबके सामने बैठकर बात करता, बात करने में आपको क्या बुराई है एण्ड एक्रोस द टेबल बात करनी चाहिये। मैं इसलिए कह रहा हूं, अपन बात नहीं करेंगे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह मेरी बात नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : हो सकता है, चीफ मिनिस्टर इसमें रहें कि ट्रांसपरेंसी में बात नहीं करनी है। ट्रांसपरेंसी में तो पूरी बात करनी है, ट्रांसपरेंसी का मतलब ही यही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे ट्रांसपरेंसी सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी आवश्यकता यह है कि राजस्थान के कंजूमर को कम से कम कीमत के ऊपर बिजली मिले। यह ट्रांसपरेंसी में सबसे बड़ी बात है। जो माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि आज एनरान के, एमको एनरान के लोग आते हैं और मेरे से बात करते हैं तो कोई मुझे संकोच नहीं होता। मैं बात करता निश्चित रूप से, उसमें कोई बात ही नहीं है लेकिन मेरे से मिले ही नहीं और वे कहते हैं कि आपसे मिल लिये। अब इस बात को कैसे स्वीकार कर लूं....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अन्दर प्रमुख अखबारों में इस बात को छापा है कि राजस्थान की सरकार ने एमको एनरान से अपनी बातचीत महाराष्ट्र की सरकार के निर्णय के बाद बन्द कर दी। राजस्थान की जनता के साथ अन्याय हुआ है। स्वयं हमारे मुख्य मंत्रीजी कर दें, समझ में आता है। शिवसेना प्रमुख के बातचीत करने के पश्चात या एक ट्रेड यूनियन के लीडर की हैसियत से अपने रोल को अदा करते समय आप ऐसा करें, मैं समझता हूं कि इस वीर भूमि में इस प्रकार की गतिविधियां आप द्वारा नहीं करनी चाहिये (व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अच्छी बात कहें तो आपकी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने की छवि निखरे।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात Let me come to the next point. यदि ट्रांसपरेंसी से इतना ही लगाव था तो सदन के माननीय नेताजी, आप बताइये, धौलपुर के मामले में आर.पी.जी. एण्टरप्राइजेज के मामले में आपने सीधे ही बात क्यों की ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बता दूंगा मैं।

श्री जगदीप धनखड़ : करनी चाहिये थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको लगातार घंटियों से विचलित तो खैर नहीं होना चाहिये, पावर ट्रिपिंग हो रही है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, आपके सोच में ट्रिपिंग हो रहा है (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : जब भी भारत के संविधान के तहत सत्ता मिलती है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसमें पावर मिनिस्टर की भी एक हैसियत है। भारत के संविधान के तहत उनकी एकाउण्टेबिलिटी है। जिस रोज यह घोषणा की गयी कि एनरान एमको से हम आगे बातचीत नहीं करेंगे, अगस्त के दूसरे सप्ताह में, उसी समय उसी दिन पावर मिनिस्टर कोटा के अन्दर कह रहे थे कि एनरान से बातचीत पूरी हो गयी है और इतने मेगावाट बिजली हमें उपलब्ध होगी। सोचिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज मंत्री महोदय क्यों नहीं है ? इसलिए नहीं है कि इस प्रकार की बातों को सुन नहीं सकते थे। हमने उनको वैसे भी कहा, उन्होंने कहा कि यह थोड़ी ट्रिपिंग हो गयी। ट्रिपिंग क्या खाक हो गयी। You are Power Minister. You do not know what is happening in the Secretariat. आप घोषणा कर रहे हैं वहां पर और माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह छोटी घटना नहीं है कि आपके पावर मिनिस्टर आज यहां नहीं हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे खेद है कि पावर मिनिस्टर इसलिए गये हैं कि उनकी मदर बहुत ज्यादा सीरियस हो गयी हैं और आपको इतनी भी मानवता के नाते, आप मजाक कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : नेता महोदय इनको जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और पावर मिनिस्टर नहीं हैं तो मैं बैठा हूं। सारी एक एक बात का जवाब दूंगा।

श्री शिवनाथ सिंह : इनको जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को व्यक्तिगत इस बात की जानकारी नहीं थी। मुझे इस बात के लिए खेद है कि इस प्रकार की बात मैंने कही। उसमें भी मैंने जो मूल बात कही वह किसी भी तरीके से इस बात से रन-डाउन नहीं होती है, क्योंकि यदि पावर मिनिस्टर ने कोटा के अन्दर घोषणा की, छाती ठोककर कहा कि हम सोलर एनर्जी के अन्दर इतना जनरेशन कर लेंगे एनरान के माध्यम से, उसी समय सेक्रेटेरिएट के अन्दर अधिकारी-

(श्री जगदीप धनखड़)

गण उसको रद्द करें। मैं समझता हूं it is a challenge to the democratic system माननीय मुख्य मंत्रीजी को वैसे भी उनकी पार्टी के एक सदस्य कह चुके हैं कि इनका आचरण प्रजातांत्रिक नहीं है। कम से कम मंत्री महोदय को इसका शिकार नहीं बनायें (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, लेखा-जोखा लीजिए कि पावर जनरेशन के मामले पर खर्चा कम किया गया है, इस बात में तो गलती हो नहीं सकती। मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसका अगस्त में जवाब आया है, इसमें 1993–94 में अगर कोटा को छोड़ दें और सूरतगढ़ को छोड़ दें तो मात्र 27 करोड़ का खर्चा किया है। इससे पहले साल में 20 करोड़ का खर्चा किया है, उससे पहले छह करोड़ का तथा उससे पहले 17 करोड़ का खर्चा किया है। आगे आप 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले मुख्य मंत्रीजी इस छोटी-मोटी ड्राप से सेटिसफाई हैं?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको यह भी जानकारी होगी कि हिन्दुस्तान में किसी सरकार ने गवर्नमेंट सैक्टर में कोई पैसा खर्च ही नहीं किया।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बढ़िया बात कही, मेरे प्रश्न का एक हिस्सा यह भी था कि....

श्री परसराम मदेरणा : ओन गोइंग प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट प्लान से फाइनेंस करती है, उनको भी ड्राप कर दिया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : देखिये आप, चालू स्कीम्स हैं उनको चालू कर रखा है। नयी स्कीम्स जितनी ली जा रही हैं, सब प्राइवेट सैक्टर में आ रही है।

श्री परसराम मदेरणा : हां, तो यही बात है। आपका 3,000 कुछ करोड़ का प्रावधान है एट्थ फाइव ईयर प्लान में और उसके अन्दर आपका जो कमिटमेंट हुआ है केवल कमिटमेंट बिजली जनरेशन में नहीं है, लेकिन आगे लाकर के आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की और ट्रांसमिशन की लाइनों के एक्सटेंशन का भी है तो आपका 3,000 कुछ करोड़ रुपये फर्स्ट कोर सेक्टर, कोर सैक्टर होते हुए भी 3,000 का जो आउट ले है, 3008 करोड़ का, वह कम है इसलिए लोगों के पास में फाइनेंसेज की पोसिटी है कान्स्ट्रेन्ट्स आफ फाइनेंस है। यह नहीं है कि हम कोई प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं कर रहे हैं। हरेक ने आन गोइंग प्रोजेक्ट ले रखे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : देखिये, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान में हम पावर प्रोजेक्ट ले रहे हैं। पावर प्रोजेक्ट में जहां तक डीजल इंजिन का है, अगर गवर्नमेंट आफ इण्डिया की फ्यूल पालिसी हो और उसमें कोई रोड़े नहीं अटकाए जाएं तो एक-डेढ़ वर्ष के अन्दर पावर का जनरेशन शुरू हो जायेगा। इसी तरह से 25 मेगावाट के लिये है लेकिन क्वेश्चन यह है, जैसा मदेरणा साहब ने कहा कि इतनी पावर लेने के बाद उस सारे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक प्रकार से हो, तो हमारा ज्यादा खर्चा ट्रांसमिशन के इम्प्रूवमेंट पर हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

(158)

श्री जगदीप धनखड़ : मैं दो मिनट और लूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में बिजली उत्पादन के सम्बन्ध में किये गये अनुबंधों का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रख कर जवाब आया–राज्य में बिजली उत्पादन के सम्बन्ध में कोई अनुबंध नहीं हुए हैं, और कहते हैं कि नवम्बर में हो जाएंगे, माननीय मुख्य मंत्रीजी, पावर मिनिस्टर कहते हैं, हो क्या जाएंगे, जेस्टेशन पीरियड पांच साल है। उपाध्यक्ष महोदय, सर्वविदित है, बाई द टर्न आफ द सेंच्युरी, सूरतगढ़ के अलावा कहीं से कोई बिजली उपलब्ध होने वाली नहीं है। राजस्थान बिजली बोर्ड की हैसियत ने सरकार यह बना दी कि दिसम्बर, 1994 में पंजाब को आप पैसे नहीं दे पाये तो आपको जो सस्ती बिजली पंजाब से मिल रही थी वह आपको नहीं मिली।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या भाव मिल रही थी सस्ती ? क्या भाव मिल रही थी पंजाब से ?

श्रीमती कमला : भाव तो आप जाने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, सस्ती बता रहे हैं न, क्या भाव मिल रही थी।

श्री जगदीप धनखड़ : बहुत ठीक है। (व्यवधान) हां-हां, बिलकुल-बिलकुल, लीजिये न। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा जिसका जवाब सितम्बर में आया, उस में लिखा हुआ है कि बिजली पर्चेज का वेरियेशन है, तो माननीय मुख्य मंत्रीजी के विवेक पर छोड़ता हूं, आगे भी मुझसे कहलाना चाहेंगे क्या। आपको माननीय मुख्य मंत्रीजी, पचास पैसे से कम से लेकर 144 पैसे तक मिलती है और पंजाब के बारे में आप जवाब चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां बताओ।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, आप बोलिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोलिये, मैं क्या बोलूं।

श्री जगदीप धनखड़ : आपके बिजली बोर्ड ने राज्य की सरकार के साथ कम से कम 250 करोड़ का खिलवाड़ किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, बैठ जाओ।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिगर दे रहा हूं कि दिसम्बर, 1994 में इन्होंने मांग की पंजाब से, पंजाब वालों ने कहा कि 16 करोड़ रुपये आपके बाकी हैं वह नहीं देंगे तो हम बिजली काट देंगे। इनको रियायती दर पर बिजली मिल रही थी। उस बिजली को इन्होंने करीब काफी पर्सेंटेज, ऊपर उसका मापदण्ड रखिये, वहां से खर्च करनी पड़ेगी, क्यों इनकी क्रेडिट कम हो गयी। तो एक तो हमारी जनता के साथ खिलवाड़ कर दिया महाराष्ट्र से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर कर और दूसरा एक राज्य सरकार का क्रेडिट इस प्रकार का कि 16 करोड़ के लिए हमको पता नहीं कितने करोड़ों का नुकसान करना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि power generation is not a child's play. It is a very difficult subject. It is the job of experts.

(श्री जगदीप धनखड़)

There can be nothing behind the back of somebody.

आप खुलकर सामने आइये, सीधी बात कीजिये । पहली बार घोषणा मत कीजिये, मैंने मिर्धाजी की कमेटी बना दी जसवंतसिहजी की बना दी और कमल मोरारका जी की बना दी । आप इस पर नी-जर्क रिएक्शन मत दीजिये अब आ पलोंग टर्म पालिसी ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आप से पहले राय लेने का विचार कर रहा था, आज का भाषण सुनने के बाद मैं ऐसा समझता हूं कि आपसे राय लेकर समय खोना व्यर्थ है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरा राम (धोद)। आपके दो मिनट समाप्त हो गये ।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आधा मिनट का समय देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट समाप्त ।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, मुख्य मंत्रीजी, मैं करबद्ध आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने इस प्रकार की भावना व्यक्त की ।

श्री किशनगोपाल कोगटा : आपको पहचान गये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरा राम ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : धनखड साहब, आपने जो एक बात कही की पंजाब से आप को सस्ती....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज आपने अपना इतना बड़ा नुकसान किया है जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकता । मैं तो यह समझता था कि इन मामलों में यह होशियार हैं, इनकी राय ली जाय ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, होशियार तो हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, होशियार हैं ।

एक माननीय सदस्य : बहुत हैं ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस मामले में होशियार हैं....

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह कम से कम हर मामले में आप से होशियार हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह हर मामले में आप से होशियार हैं ।

डा. हरिसिंह : यह हर मामले में आप से होशियार हैं, हर मामले में, चक्कर देने में भी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह डाक्टर साहब, आपने इनको खूब पहचाना, बहुत अच्छा पहचाना, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । लेकिन अपने मित्र हैं....

श्री अमराराम (धोद) : वैसे चक्कर देने में भजन लालजी को पीछे छोड़ दिया है इसलिए धनखड़जी को भी पीछे छोड़ेंगे भैरोंसिंह जी ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही उसका मैं स्पष्टीकरण दे दूं ....

श्री अमरा राम (धोद) : घनखड़जी तो बैठ गये, बिराज गये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इन्होंने कहा कि जो हाइडल पावर पंजाब से मिलती है वह सस्ती मिलती है, उनकी जानकारी के लिये मैं बता दूं कि सी.ई.ए. और नेशनल थर्मल की एक रूलिंग है कि जो सबसे महंगा बिजली उत्पादन होता है पंजाब, वह चार्ज कर सकता है राजस्थान से।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप उनके बजाय इनकी राय जरूर लीजिये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

राज्य में विद्युत की स्थिति पर विचार

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो ऊर्जा मंत्रीजी ने....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह डिबेट पूरी कर दूसरे शुरू करें....

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिजली की डिबेट बंद करके वह शुरू करें, यों ?

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं-नहीं, मुख्य मंत्रीजी, आप शायद मौजूद नहीं थे, यह निर्णय हुआ था कि दो जो बिल हैं वह इम्पोर्टेंट बिल हैं, कालोनाइजेशन का और लेण्ड रेवेन्यू का इसलिए उसमें समय कम रहेगा, चेयर से हमको आश्वासन दिया गया था कि आज बिजली पर ही चर्चा होगी और उनको आगे किसी रोज ले लेंगे। इसलिए मेरे ख्याल से....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आश्वासन दिया होगा, माननीय मंत्रीजी की मदर की अस्वस्थता के कारण, यह हुआ था, मुझे यह कहा गया कि माननीय अपोजिशन के नेता भी कल बोलेंगे, तो मैंने कहा मैं कल जवाब दे दूंगा। आज पांच बजे तक का तीन घंटे का समय था। पांच के पांच घंटे हो गये, अब मैं समझता हूं इस डिबेट को तो खतम करें और जो बिल्स हैं उनको ले लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कल इसका जवाब हो जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और कल इसका जवाब दे देंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : कल इस पर चर्चा होगी क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : आज स्पीकर साहब की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव दिया था कि बिजली बहुत इम्पार्टेंट है, पक्ष

(श्री रामनारायण चौधरी)

और विपक्ष इससे कंसर्न है तो आज सिर्फ बिजली पर रख ली जाय, और बिल भी दोनों बहुत इम्पार्टेंट हैं तो उसको आप कल ले लें, आज सिर्फ बिजली के ऊपर चर्चा हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिजनस तो आज पूरा होगा, आप चाहें बैठे रहें, एक घंटे और बैठेंगे।

श्रीमती कमला : बिजली पर चर्चा फिर कल भी होगी न ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, कल केवल दो बोलेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन और मैं।

श्री उपाध्यक्ष : चलिये, अमरा रामजी बोलिये।

श्रीमती कमला : नहीं, हम लोग बोले ही नहीं, बहुत मेम्बर बिना बोले रह गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजे।

श्रीमती कमला (बैराठ) : हमारा नम्बर ही नहीं आया आज अभी तक।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोल लें आज अभी।

श्रीमती कमला : नहीं, बोल कैसे लें, आप बंद करेंगे तो कैसे बोल लें।

श्री उपाध्यक्ष : नम्बर आएगा आपका, बिराजें आप।

श्रीमती कमला : अभी तो लिस्ट लग रही है वहां पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी एक घंटा और कर देंगे। नहीं तो सब मेम्बर बोलने का मतलब क्या है।

श्रीमती कमला : जिन्होंने नाम दे रखे हैं वह तो बोलेंगे। बहुत लोग रह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, आप विधेयक को लेना चाहते हैं जो आज बिजनस में हैं, दो विधेयक-कालोनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट और लेण्ड रेवेन्यू अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन बिजली ऐसा इम्पोर्टेंट विषय है कि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। प्रारम्भ में भी जब पहले दिन 26 तारीख की बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में जैसा मैंने एप्राइज किया था कि बिजली के मामले में काफी लोग चिंतित हैं और वह बोलना चाहते हैं और आपको रचनात्मक सुझाव देना चाहते हैं और रचनात्मक सुझाव देना चाहते हैं तो बहुत कम लोग बोले हैं, अभी तो लिग्नाइट, एनरान उसमें कोई ठीक है, आपने बात की होगी, एनरान कहां पर आया, कि घर से आया, यह तो बात आप छोड़ दें, लेकिन यह मुझे मालूम है, मैंने कहीं पढ़ा था, गवर्नमेंट ग्राफ इण्डिया की एक लिस्ट आयी थी और उस लिस्ट में कहीं पढ़ा था, एम.ओ.यू. यह नहीं है तो कोई दूसरा एम.ओ.यू., आपका कहीं है जरूर एक-आधा। लेकिन यह बिसाइड द पाइंट है, अभी सीनियर आदमी बोलना चाहते हैं। कुछ लोग सुझाव भी देना चाहते हैं। जैसे भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बहुत टेक्नीकल बाते मुझे कह रहे थे कि एक नयी पालिसी अख्तियार की है जिसमें आपका बैरोमीटर नाप करने का टेस्टर है, उसमें मार्किंग किया हुआ है

(श्री परसराम मदेरणा)

कि बीस मेगावाट का है लेकिन उसकी पावर एम्पायर में उसमें ज्यादा दिख जाती है वह कैसे दिख जाती है, मैंने कहा कि टेक्नीकल मामला है, आप मुझे समझा रहे हैं, मैं समझा ही नहीं हूं, आप तो स्वयं इस बात को बताओ। यह अगर नहीं बताते हैं तो आप मुझे कह देंगे कि वह बोलें, आपकी बात कह दें और मैं कह ही नहीं सकूंगा। कुछ माननीय सदस्य जो ऐसे सजेशंस देना चाहते हैं, बाकी लोगों के वहां भी समस्याएं हैं तो मैं ऐसा चाहता था कि थोड़ा सा समय इसमें बढ़ा कर इस पर चर्चा कर लीजिये। अब रहा प्रश्न की आज बिजनस में दो इम्पोर्टेंट बिल हैं, कल....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, कल नहीं होगा, आज ही होंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : 3 में काफी जगह है।

श्री परसराम मदेरणा : इनको बाद में ले लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आगे नहीं होंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कल अकाल, बाढ़ है।

एक माननीय सदस्य : तो आज लेट तक बैठ जाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : एक दिन के लिए हाउस और बढ़ा दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के लिये कल का पूरा समय था। आप बोले नहीं, यह मेरा दोष नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : वह तो अखबारों में आ चुका है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, वह आ चुका है। वह अखबारों में आ चुका है, तो आपके नेता बोले क्यों ?

श्री शिवनाथ सिंह : वह आ चुका है ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए कल किसी कारण से चर्चा नहीं कर सके तो आज चर्चा के लिए समय रखा। अब उस स्थिति में अगर माननीय दो-चार सदस्य और बोलना चाहें तो सदन देर तक बैठेगा लेकिन आज का एजेंडा पूरा कराना है और यह एजेंडा पूरा हो जाय इस दृष्टि से आप बोलिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : ठीक है साहब, करा देंगे।

एक माननीय सदस्य : देर तक बैठ जाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैठो चाहे मर्जी आये जितना।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली राजस्थान की समस्या के बारे में हमारे ऊर्जा मंत्रीजी ने जो अभी वक्तव्य दिया और जहां तक उत्पादन का सवाल है, उसको सुनकर लगता है कि हमारी सरकार भाषण से और वक्तव्यों से उत्पादन करना चाहती है, इस सरकार का

(श्री अमराराम)

पांच साल तक का जो इतिहास रहा है उस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि काफी माननीय सदस्यों ने उस पर अपनी राय व्यक्त कर दी है, जो विद्युत सप्लाई के सम्बन्ध में राजस्थान के किसानों और उद्योगपतियों को जिस तरह के, दोहरे व्यवहार का जिक्र कुछ माननीय सदस्यों ने किया है जहां तक सप्लाई का सवाल है, आज किसान को आठ घंटे के आदेश होने के बाद कहीं तीन घंटे मिले, कहीं चार घंटे मिले, वह सिस्टम पूरा का पूरा ठप्प है। अगर उद्योगपति का 24 घंटे कारखाना चलेगा, अगर कमी है तो जितनी कारखाने को मिलती है उतनी राजस्थान के किसान को भी मिलनी चाहिये। अगर कमी है तो बांट के लेंगे। फायदा है तो भी बांट लेंगे। उद्योग में जब कटौती नहीं है, 24 घंटे की सप्लाई है तो किसान को भी 24 घंटे की बात तो छोड़िये कम से कम 12 घंटे तो दें लेकिन हम यह करने के लिये तैयार नहीं हैं।

जहां तक सप्लाई है, हमारे मंत्री महोदय ने अभी स्टेटमेंट में बताया कि एल. टी. लैंस का जो प्रोविजन पहले किया गया था उससे बोर्ड और सरकार वापस हट गयी। आपने उसके डिमाण्ड नोटिस जमा करा लिये और अब कहा कि एल. टी. लैंस तीन पोल और चार पोल से कम हम नहीं देंगे। लेकिन अब आर्डर वापस करके यह कर दिया कि जितना एल. टी. से फिजिबिलिटी में हो सकता है, आठ पोल तक हो सकता है, वहां तक दे दिया जाय। जिस किसान से दो पोल का पैसा ले लिया गया था उससे अब आठ पोल के, छह पोल के एक्स्ट्रा पैसे लेने की बात की जा रही है। जहां तक मेंटिनेंस का सवाल है, सप्लाई का जहां 440 वोल्ट पहुंचने चाहिये, पर आधे से ज्यादा सिस्टम ऐसा है कि कहीं भी 440 वोल्ट सप्लाई का नहीं पहुंच पाता है, कही 133 के.वी. बनाते हैं, 33 के.वी. बनाते हैं उसके दो साल, एक साल के बाद में उसी सिस्टम में वापस वोल्टेज डाउन का सिस्टम हो जाता है। जहां तक सप्लाई का और ट्रांसफार्मर का सवाल है, हमारी सरकार के मंत्री यह कहते हैं कि 10 दिन से मिलेगी। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जिस फसल में पानी की आवश्यकता है, बिजली की कमी है अगर ट्रांसफार्मर जल गया और 10 दिन में ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा तो वह फसल नहीं बच सकती।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री अमराराम : 10 दिन के लिये जो हमारी सरकार कह रही है और जिस किसान का ट्रांसफार्मर जल जाता है, आज राजस्थान में एक-एक महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता और वह किसान औद्योगिक इकाइयों से पांच-पांच सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराये पर लाकर अपनी फसल को किसी तरह से बचाता है और यह इसी का नतीजा है कि एक-एक महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलने के कारण अपनी फसल को बचाने के लिये बहुत से जिलों मे ऐसे सब डिवीजन आपको मिल जाएंगे जहां एक-एक ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिये 10-10 हजार रुपये बिजली विभाग के अधिकारियों को रिश्वत के रूप में देने पड़ते हैं, केवल इसलिए कि उसकी जिन्दगी 6 महीने की फसल पर बची हुयी है। अगर ट्रांसफार्मर लाकर फसल को नहीं बचाएगा तो उसका परिवार बरबाद हो जाएगा।

164

(श्री अमराराम)

इसलिए उसको किसी न किसी रूप से बचाने के लिये जो भी हथियार मिलते हैं उसको वह काम में लेता है। जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, आज बोर्ड के पास अगर किसी भी ट्रांसफार्मर की केबल जल गयी तो पूरे बोर्ड में राजस्थान में कहीं भी एक मीटर केबल नहीं है। ऐसे आपको बहुत ट्रांसफार्मर मिल जाएंगे जो 30 प्रतिशत आज जमीन पर हैं, उनके कारण छोटे बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं, जानवर मर जाते हैं इससे अगर बोर्ड के किसी भी कार्यालय में जाकर कहें आपको ऐसे कार्यालय मैं बता सकता हूं, लोसल एक ऐसा कार्यालय है जहां चैन पुली ही नहीं है जिससे कि ट्रांसफार्मर को जमीन से उठाकर ऊपर रखा जा सके। इसलिए नीचे जोड़ दिया जाता है उसके कारण किसान का वह बहुमूल्य पशुधन एक्सीडेंट होकर खतम हो जाता है और जनहानि भी हो जाती है। केबल नहीं, ट्रांसफार्मर रखने के लिये सामान नहीं, यहां तक कि करोड़ों रुपये के ट्रांसफार्मर इसलिए जल जाते हैं कि आपके बोर्ड के पास जिस कैपेसिटी के फ्यूज होने चाहिये उस कैपेसिटी के फ्यूज नहीं हैं और आप दोष उस हैल्पर को दे रहे हो जो फ्यूज बांधता है। फ्यूज नहीं हैं, आपके सबस्टेशंस के ऊपर जितने कर्मचारी रहने चाहिये वह नहीं हैं जो 8 घंटे में बदलने चाहिये।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य शांत रहें।

श्री अमराराम : वह लगातार 24 घंटे ड्यूटी देते हैं जिसके कारण से एक तरफ बोर्ड को नुकसान होता है और दूसरी तरफ उस किसान को सफर करना पड़ता है जो कुछ पैदा करके इस देश को और अपनी जिन्दगी को पालना चाहता है। जहां तक सप्लाई का सिस्टम है हमारे बोर्ड के अधिकारी केवल इस काम में लगे रहते हैं कि उनको कहां से ऊपर की कमाई मिल सकती है। सिस्टम ठीक हो, इसकी कोई उनकी जवाबदारी नहीं है। जितने ट्रांसफार्मर हैं किसी का अर्थ सही नहीं, किसी की कोयल बराबर नहीं और उसी का कारण है कि इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पहले बिजली बोर्ड के स्तर पर रिपेयर होते थे, सब बन्द कर दिये। क्योंकि बोर्ड में कमीशन का आधार है। छोटी से छोटी ट्रांसफार्मर की खराबी हो अगर अन्दर से फ्यूज खुल गया तो वह बिजली बोर्ड के ए.ईएन. आफिस में नहीं बांध सकते, मात्र जरा सा काम है लेकिन उसके लिये 10 हजार रुपये बिजली बोर्ड के खर्च हो जाएंगे और किसान को 10 दिन सफर करना पड़ेगा। अब कहां तक आप इसको सही कर पाते हैं, सही करें, सिस्टम को सुधारें। सामान की कमी बतायी जा रही है, पर मेरा दावा है कि 50 प्रतिशत सामान जहां इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है वहां मौजूद है। 10 पोल की लाइन है आपके तीन पोल में कनेक्शन हो सकता है लेकिन यह करने के लिये न बोर्ड तैयार है और न हमारी सरकार तैयार है। जितना सामान लगा हुआ है दो साल तक सिवाय ट्रांसफार्मर खरीदने के दूसरे किसी सामान की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन इसके लिये उनके पास समय नहीं है।

अब जहां तक कनेक्शन देने का सवाल है, आज कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि नर्सरी योजना बहुत पापुलर हुई है, पापुलर नहीं हुई है किसान की जिन्दगी का सवाल है। 15 साल से कनेक्शन नहीं मिल रहा

(श्री अमराराम)

था, इसलिए आप किसी भी योजना में दें, चाहे मुर्गीपालन में दें, चाहे नर्सरी में दें। किसान अपनी जमीन जायदाद या जो भी प्रोपर्टी है उसको बेच कर बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं जिससे वह अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण कर लें। केवल इसलिए कि 15 साल से आप कनेक्शन नहीं दे रहे हैं और उसके लिए जब आप योजना निकालते हैं वन पोल, टू पोल, आपने पैसे जमा करा लिये, 6 महीने हो गये और अब आप क्या कह रहे हैं कि उसमें दूरी ज्यादा हो गयी। दूरी 210 मीटर जो आपने प्रेस-क्राइब्ड कर रखी है उसका एस्टीमेट किसान ने नहीं बनाया, आपके जे.ईएन. ने बनाया, आपके ए.ईएन और एक्स.ईएन. ने पास किया है। अगर उसमें दूरी की गलतियां किसी ने की हैं तो वह आपके बोर्ड के इंजी-नियर्स ने की हैं। उसके लिये सजा किसी को दी जाय तो बिजली बोर्ड के अधिकारियों को दी जाय न कि किसान को दी जाय। आज 5 महीने के बाद कह रहे हैं या तो आप नर्सरी में ले लीजिये। आप पोल के 9 हजार और अगर 9 हजार रुपये भी लेने हैं तो जिस अधिकारी ने गलती की उससे वसूल किये जाने चाहिये। उनसे कोई वसूली का कार्यक्रम नहीं है। हां, जहां आपके आदेश से वन पोल, टू पोल में जाइंट स्कीम बना दी गयी, 35–35 हजार के हिसाब से 4 कंजूमर्स से कनेक्शंस के पैसे ले लिये गये और आज आप कह रहे हैं कि यह तो हमने इसकी जाइंट स्कीम के लिये आदेश नहीं दिये थे, हमने तो आदेश नहीं दिये थे, जिस किसान ने जाइंट स्कीम में पैसे दिये थे उन्होंने तो आदेश नहीं निकाला था। उन्होंने एप्लीकेशंस लगायीं, आपने डिमाण्ड नोटिस दिया, पैसे जमा कर लिये और आज आप 6 महीने बाद कहें कि आप पैसे वापस ले लीजिये या नर्सरी में लीजिये। इससे बड़ी दुःखदायी बात और कोई हो नहीं सकती। अगर कोई फाल्ट रहा है तो आपके स्तर पर रहा है और उसका नुकसान आप उस किसान को भुगताना चाहते हैं। जहां इस इलेवन के फीडर के वोल्टेज में आपने पैसे जमा किये, या तो आपको उस समय पैसे जमा नहीं करने चाहिये थे कि आपके लिए वायर नहीं हैं इसलिए हम इसमें वन पोल, टू पोल में नहीं देंगे। पहले आपने पैसे ले लिये और आज उसको मना कर रहे हैं और वहीं कनेक्शन है, वहीं बिजली ली जायेगी। नर्सरी में कनेक्शन लगे उसी के पास-पड़ौस में किसी अन्य को तो कनेक्शन दे दिया जायेगा, क्योंकि वह आपको टैरिफ ज्यादा देने के लिये तैयार है। आज हमारी इतनी विसंगतियां हैं केवल सरकार और बोर्ड का मात्र मकसद यह रह गया है कि किसान से जितना ज्यादा पैसा हम निकलवा सकते हैं वह निकलवा लें, चाहे वह अपना सब कुछ बेच दे। उसके लिये केवल पैसे जमा करवाने की स्कीम है, इसके सिवाय कोई नहीं। लास्ट सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिये किसान दरख्वास्त देता है, उसके लिये कहते हैं कि पैसा जमा करवाइये तो मैं समझता हूं कि यह तो फिर कल्याणकारी सरकार नहीं होगी, यह बिजली बोर्ड और हमारी सरकार मुनाफे की दुकान होगी। उसको मुनाफा होगा तो वह काम करेगी वरना नहीं करेगी।

17.00

जहां तक कनेक्शन देने का सवाल है

(श्री अमराराम)

हमारे 25 हजार की घोषणा की गयी। एक डिमाण्ड नोटिस 31 मार्च, 1995 के बाद आज तक नहीं निकला। जिनका पिछले साल निकला था उनको पिछले साल के टार्गेट में गिन लिया गया। इस साल उनको कनेक्शन देकर के गिन लिया जायेगा। एक ही कनेक्शन को दो साल काउण्ट करके केवल काउण्टिंग के लिये, इस साल 1994-95 में डिमाण्ड नोटिस जारी करके उसको काउण्ट कर लिया, इस साल कनेक्शन देकर कर रहे हैं तो यह कब तक करेंगे? इन 25 हजार को कनेक्शन देना है, तो मैं समझता हूं कि अब 6 महीने पूरे हो गये, 7 महीने हो गये उस सत्र को, एक भी डिमाण्ड नोटिस जारी नहीं किया गया है। जहां तक नर्सरी में 15 दिन में डिमाण्ड नोटिस निकल जाएगा, एक महीने में कनेक्शन हो जाएगा। 6-6 महीने हो गये और जितना सामान लगेगा उससे कई गुना ज्यादा पैसे ले लिये गये हैं और सामान उपलब्ध है, उत्पादन में 5 साल लग सकते हैं। कई बाहर से भी मंगाना पड़ेगा लेकिन मैं समझता हूं कि सामान सब उपलब्ध है और अगर समय पर हम कनेक्शन दे देते हैं तो कुछ न कुछ वह इस रबी की फसल में पैदा कर सकता है लेकिन हमारा दृष्टिकोण नहीं है। मैं समझता हूं ट्रांसफार्मर मिल जाएगा, पोल भी मिल जाएगा, तार भी मिल जाएगा लेकिन हम व्यवस्था को तो व्यवस्थित करें। यह मैं समझता हूं कि हमारी इच्छा अगर किसान के प्रति हो तो कनेक्शन मिल सकते हैं छह महीने हो गये, चक्कर लगा रहे हैं लोग ज्यों-ज्यों फसल का टाइम जा रहा है, बुवाई का टाइम जा रहा है, किसान अपना धैर्य खोता जा रहा है और उसी का नतीजा है कि हजार किसानों ने इकट्ठा होकर के बिजली बोर्ड के कार्यालयों को घेरा है। अभी हमारे चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आन्दोलन नहीं हुआ। यदि यही स्थिति रही तो आन्दोलन भी हो जायगा आप इसका इन्तजार करें कि आन्दोलन होना चाहिये....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री अमराराम : दो ही मिनट और लूंगा। इसके अलावा जो छोटे कस्बे हैं, आपने आर्डर निकाल दिया कि जहां दो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, छोटी म्यूनिसिपैलिटीज जिनके गांव उसमें शामिल हैं अगर उनको कनेक्शन लेना हो तो नर्सरी के अलावा किसी को नहीं दिया जाएगा। क्योंकि वह शहरी क्षेत्र में गिनती में आ गया है, अब शहरी क्षेत्र में, जयपुर शहर में आने वाले को 24 घंटे में मिलेगी। म्यूनिसिपैलिटीज में 24 घंटे मिलेगी लेकिन जब आप उसको म्यूनिसिपैलिटी के आधार पर काउण्ट कर रहे हैं तो वह 24 घंटे की सुविधा उनको भी उपलब्ध करवायें। वह उपलब्ध करवाने की बात जब बिजली बोर्ड के अधिकारियों से की जाती है तो कहते हैं कि इसमें दो करोड़ का खर्चा आता है इसलिए यह तो हम कर नहीं सकते हैं। बोर्ड और सरकार ने आदेश निकाल दिये कि नर्सरी के अलावा कोई कनेक्शन नहीं दे सकते तो ऐसी विसंगतियां हैं। आप सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते और किसान को कनेक्शन देने वाली बात जहां तक है उसके लिये हमारे कानून आड़े आ जाते हैं। जहां सप्लाई, कुटीर ज्योति, जले हुए ट्रांसफार्मर की बात है, केवल जहां तक कुटीर ज्योति की बात है

(श्री अमराराम)

उसमें इतनी विसंगति है कि जिस गरीब को कनेक्शन देने की बात है, एक गरीब को कनेक्शन नहीं मिलता है और जितनी राशि डिमाण्ड नोटिस डी. एल में जमा होती है उससे ज्यादा उन औपचारिकताओं पर खर्च हो जाता है। इसलिए केवल आंकड़े भले ही आ जायं बाकी कनेक्शन किसी को मिलता नहीं। मैं पुनः जो बिजली के आज कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं उनको तुरन्त कनेक्शन देने की, सिस्टम को ठीक करने की और वे ठीक नहीं हो सकते हैं उसके लिये पूरी व्यवस्था नहीं की जाय और

17.05

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष पदासीन)

निजीकरण में देकर यह सोचा जा रहा है कि वहां सही तरीके से काम हो सकता है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप व्यवस्थाओं को ठीक करके किसान को राहत पहुंचाये अन्यथा वह मजबूर होकर आन्दोलन करने के लिये उतारू होगा और इसकी जवाबदारी सरकार पर होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : आदरणीय अध्यक्षजी, आज सदन जिस विषय पर चर्चा कर रहा है वह काफी गम्भीर विषय है। मैं तो यहां तक मानता हूं कि जैसे व्यक्ति को जीने के लिये रक्त की जरूरत होती है, शरीर में जैसे धमनियों में, शिराओं में, कोशिकाओं में रक्त बहता है और व्यक्ति जीवित रहता है उसी प्रकार से समाज के आर्थिक और उसके सामाजिक जीवन को उन्नत और प्रगति करने के लिये बहुत आवश्यक था कि बिजली के ऊपर हम गम्भीरता से विचार करें और जो कुछ भी सदन इस विषय में कर सकता है उसको करने का पूरा प्रयास करे।

मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेसियों ने कुछ नहीं किया या कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ। यहां पर यह भी नहीं कहता कि हम जो कर रहे हैं वह सारा सही कर रहे हैं क्योंकि हम व्यक्ति हैं, अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। अपने कर्तव्य का निर्वहन कांग्रेस ने भी किया होगा, हम भी अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं लेकिन यह दोषारोपण जो पिछले मेरे विपक्ष के सदस्यों की ओर से आया उसके लिये निश्चित रूप से मैं अपना जवाब देना, जो मेरी बुद्धि के अनुसार है उसको मैं कर्तव्य समझता हूं।....(व्यवधान)

श्री किशनाराम नाई : चुकाओ मत। हमने बड़ी शांति से सुना है आपको, आपके आरोपों को। आपने 40 साल तक क्या किया ?....(व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : मान्यवर, मैं निवेदन करता हूं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी परिवार हो या चाहे कोई भी समाज हो, वातावरण के ऊपर सारे का सारा आचरण निर्भर करता है। मैं वही व्यक्ति हूं, मैं यदि गांव में जाता हूं मेरे घर में एक घूंघट लेने की प्रथा है लेकिन मेरी पत्नी मेरे साथ जाती है, वह स्कूटर पर बैठी है तो निश्चित रूप से वह मेरे साथ है, उसने पल्लू लिया या नहीं लिया, मैं चिन्ता नहीं करता। लेकिन जब वह मेरे गांव में पहुंचती है तो धीरे-धीरे वह

(श्री अर्जुनदास मदान)

अपने आप 50 कदम पीछे हो जाती है, पल्लू ले लेती है। पति और पत्नी के रिश्तों में गांव में और शहर में कोई अंतर नहीं होता। मान्यवर, केवल मात्र यहीं कारण होता है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं तो आदमी का व्यवहार भी बदल जाता है। यदि कोई सबल आदमी गाली देता है तो आदमी इस तरह से चला जाता है उसने कुछ सुना नहीं, कोई कमजोर आदमी गाली देता है तो उसको झापट मार देता है। व्यक्ति वही होता है, गाली वही होती है। परिस्थितियां ज्यों-ज्यों बदलती हैं त्यों त्यों आदमी का आचरण बदलता है, व्यवहार बदलता है और इसीलिए आर. एस. इ. बी. ने भी यदि यदा-कदा कोई परिवर्तन किया किसी प्रकार की कोई नीति में तबदीली लाया। तो परिस्थितियों के अन्तर्गत ही हुआ। इसीलिए यह कहना कि साहब आज सारी की सारी नीतियां जो भारतीय जनता पार्टी के अन्तर्गत बनी हैं वे ठीक नहीं है, यह कहना बिलकुल अनुचित होगा।

मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि मुझे इस बात का सौभाग्य है कि आज कोटा में सभी प्रकार की बिजली का उत्पादन होता है और जहां से मैं विधायक बनकर के आता हूं, मान्यवर, मैं तो यह सहता हूं कि आज 1000 यूनिट इस राजस्थान में उत्पादन होता है और लगभग-लगभग 800 यूनिट आज कोटा थर्मल पावर स्टेशन बनाता है जो मेरे ही विधान सभा क्षेत्र का एक अंग है। चाहे कोई भी यूनिट ले लें आज हमारी इकाइयों में ज्यादा योगदान कोटा का है। इसलिए बिजली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो मुझे है उसके ऊपर मैं अपना विवरण दे रहा हूं। मान्यवर, आज जैसा कि मेरे से पूर्व माननीय सदस्य महोदय, ने कहा कि बहुत घाटा हो रहा है और इसी राज में घाटा हो रहा है। मान्यवर, जब बिजली चलती है जब उसका ट्रांसमीशन होता है, जनरेशन होता है, जब तक वह किसी मकान के दर तक अपना मस्तक झुकाती है तो उस समय एक रुपया 85 पैसा प्रति यूनिट पर खर्च हो चुका होता है। मान्यवर, किसान को आप एक रुपये 85 पैसे खर्च करने के उपरान्त 50 पैसे में दे रहे हैं। एक उपभोक्ता को आप एक रुपये से लेकर के एक रुपये 20 पैसे तक प्रति यूनिट पर दे रहे हैं। एक उद्योग वाले को आप ढाई रुपये यूनिट पर दे रहे हैं। मैं यह निवेदन कर दूं कि जब प्रथम 50 पैसे और एक रुपये से लेकर एक रुपये बीस पैसे उपभोक्ता से आप वसूल करेंगे, दोनों में आपको घाटा है, तो तीसरा कितनी पूर्ति करेगा। और हमारे प्रान्त में औद्योगिकीकरण है कितना। मान्यवर, आज समूचे राष्ट्र में औद्योगिकीकरण के चित्र को यदि हम देखें तो तेरह प्रतिशत तो आज गुजरात में है, साढ़े तेरह प्रतिशत आज महाराष्ट्र में है, साढ़े छब्बीस प्रतिशत तो दोनों प्रान्त ले जाते हैं जहां बिजली का रेट तीन रुपये प्रति यूनिट है और मेरे प्रान्त में जहां पर इन सारी विसंगतियों के बावजूद भी इतने घाटे में यदि देना पड़ता है आज पैसा बढ़ा है तो सारे लोग कहते हैं कि पैसा कैसे बढ़ा। आप टैरिफ को बदल नहीं सकते। उद्योगों की रेट को बतायें तो महाराष्ट्र से तीन रुपये है जैसा मैंने आपसे अभी निवेदन किया यहां पर अभी भी ढाई रुपये है, तीन सौ करोड़ रुपये का घाटा प्रतिवर्ष इस सरकार

(श्री अर्जुनदास मदान)

को होता है। मान्यवर, कारण केवल मात्र इतना, क्योंकि उत्पादन की कोस्ट में और वितरण की कोस्ट की जो खायी है वह दिनों-दिन बढ़ती जा रही है और पाटी नहीं जा रही है, उसकी चौड़ाई दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। अतः निश्चित रूप से सदन को बहुत गम्भीरता से विचार करना होगा। किसी की बुराई करने से मैं अच्छा नहीं बन जाऊंगा। मैं यह कह दूं कि कांग्रेसी बुरे हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी अच्छी बन जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। आदमी चाहे कोई भी हो वह अपने आचरण से अच्छा और बुरा बनता है।

इसलिए, मान्यवर, परिस्थितियां यदि बदली हैं और घाटे का प्रारूप इतना दिनों-दिन बढ़ता चला जा रहा है तो कौनसोचेगा। क्या हम किसी बाहर के आदमी को बुलाएंगे। इसी सदन को सोचना होगा, क्योंकि यह राजस्थान का प्रश्न है। मूलभूत प्रश्न है, यह बात अलग है कि कभी कांग्रेस सत्ता में आएगी। और कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। लेकिन सदन में तो राजस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना प्रत्येक पार्टी को करनी होगी इसलिए मेरी बहुत विनम्रता से याचना और प्रार्थना है इस सदन से, सदन के सारे सदस्यों से, चाहे वे किसी भी दल के हों कि इसके ऊपर वे विचार करें, मंथन करें और चिंतन करें।

आज 2700 यूनिट, मान्यवर, हमारा कंजम्पशन है, उत्पादन हम करते हैं केवल मात्र 1300 यूनिट, उसमें से सिर्फ 1000 और 1300 यूनिट हम दूसरे प्रांतों से ले लेते हैं। अब निवेदन कर सकता हूं और इसमें भी 400 यूनिट का घाटा है ही उत्पादन में और ढाई सौ लगभग-लगभग प्रतिवर्ष हमारी आवश्यकता बढ़ती चली जाती हैं। आज अगर 400 यूनिट हम कम उत्पादन, उत्पादन से मेरा मतलब है उत्पादन तो हम बहुत कम कर रहे हैं लेकिन व्यवस्था हम केवल मात्र 2300 मेगावाट की कर रहे हैं और कंजम्पशन हमारा 2700 मेगावाट का। अभी 400 मेगावाट की कमी और ढाई सौ मेगावाट की प्रतिवर्ष की पूर्ति, इस साल में सामंजस्य बैठाने के लिये सदन को निश्चित रूप से विचार करना चाहिये।

इसके लिये मेरा निवेदन है आज इस सदन के लोग यह भी कह रहे थे कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, जब से वह आयी है, उसने एक यूनिट का भी उत्पादन नहीं किया। मान्यवर, थर्मल का एक्चुअल जो मैंने आपसे निवेदन किया, यह बिलकुल सत्य है, इसमें कोई यह नहीं समझे, मैं यह कह सकता हूं कि कोटा में थर्मल पॉवर स्टेशन 1977 से 1980 के बीच में, जब जनता पार्टी का शासन था, उस समय माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिहजी शेखावत थे, तब बना और उसके बाद अभी भी 210 यूनिट का यूनिट जो अभी बना थर्मल में, वह भी यूनिट हमारी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना। यह बात अलग है कि कोटा थर्मल, कोटा अणुशक्ति केन्द्र बन्द हो गया और 300 मेगावाट का आपका उत्पादन कम हो गया। मैं तो एक रुपया कमाने चला था लेकिन यह मेरा दुर्भाग्य है कि रास्ते में मेरी दो अट्ठनियां गुम हो गयीं तो घाटा तो मैं कुछ नहीं लेकर आया, क्योंकि एक रुपया मैंने कमाया जरूर। 210 यूनिट का हमने उत्पादन किया लेकिन

(170)

(श्री अर्जुनदास मदान)

साथ-साथ 300 यूनिट का उत्पादन अणु-शक्ति केन्द्र के कारण कम होने के कारण हमें जो सप्लाई मिल रही थी, वह कम हो गयी, इसलिए यह कहा जाता है। लेकिन कोई यह कह दे कि उत्पादन हमारा नहीं हुआ, मैं यह मानता हूं कि यह बिलकुल मिथ्या है। बिलकुल 210 यूनिट का समय से पहले उत्पादन कोटा थर्मल यूनिट में हुआ है।

मान्यवर, इसके उपरान्त मेरा निवेदन है कि आज यदि दूसरे प्रांतों से मैं तुलना करूं। आज भी राजस्थान यू. पी. से बैटर है, बिहार से बैटर है, उड़ीसा से बैटर है, हरियाणा से बैटर है लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि चूंकि हम उनसे बैटर है इसलिए हम सबसे अधिक उसकी प्रगति की ओर चिन्तित हैं और चिन्तित होना चाहिये इस सदन को। लेकिन कई-कई प्रान्तों में ऐसा भी है, आप यह समझिये कि पूरे का पूरा प्रान्त अन्धेरे में हो जाता है लेकिन भगवान की कृपा से या जिन लोगों के ऊपर यह उत्तरदायित्व है, उनकी सजगता के कारण आज राजस्थान पूरे समय या एक दिन के लिये भी पूरा कभी अन्धेरे में नहीं रहा। दूसरे प्रान्त की कई एग्जाम्पल हमको मिलती हैं कि वहां पर अन्धेरे में हम लोग रहे।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या मध्य-प्रदेश से बैटर है, गुजरात से बैटर है?

श्री अर्जुनदास मदान : मध्य-प्रदेश के लिये तो मैं नहीं कह रहा हूं, चौधरी साहब। मैं जिसके लिये कह रहा हूं, मैंने जो नाम लिया है देखिएगा, मैं जो बात बोल रहा हूं, जो मैंने लिखा है, चिट है उसको पढ़ो। मास्टर ने तो लिख दिया कि 'कल स्कूल बन्द रखा जाएगा' और एक शिष्य यह पढ़े कि 'कल स्कूल बन्दर खा जाएगा' तो इसमें अध्यापक का कोई दोष नहीं है। उसने तो सही भाषा में लिखा कि कल स्कूल बन्द रखा जाएगा और आप पढ़ रहे हो कि कल स्कूल बन्दर खा जाएगा, तो आप पढ़ें। मैंने तो जो लिखा है वही मैं कह रहा हूं। मैं किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं तो जो स्थिति है उसका मैं सदन को विवरण दे रहा हूं, निर्णय करना आपके ऊपर है।

मान्यवर, अभी आपने कहा कि कांग्रेस का इसमें क्या दोष है? मैं आपसे चार सवाल करता हूं और अगर उसमें से यह आप मान लें कि अगर उसमें कहीं दोषारोपण दिखे तो आप मुझे क्षमा कर देना और यदि वास्तविकता है, तो उसको स्वीकार कर लेना। मान्यवर, कांग्रेस ने यह कमियां की हमारे थर्मल पॉवर का अणुशक्ति का जो बनना चाहिये था, 1985 का एक समझौता था कि पांच यूनिट बनेंगे। दो यूनिट बनें और दो यूनिट बनकर पिछले डेढ़-दो साल से वह दो यूनिट भी बन्द पड़ी हैं। आज उसका पैसा कौन खर्च करेगा? पूरा का पूरा केन्द्रीय सरकार करेगी लेकिन क्या किया सरकार ने? किसका दोष है? क्या भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान का दोष है या कांग्रेस का दोष है? दूसरा सवाल मैं इस सम्बन्ध में आपसे यह निवेदन करता हूं कि जितने अनुबन्धों के अनुसार शर्तों के अनुसार जितनी बिजली केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार को दिलवायी जानी चाहिये थी, चाहे वह पंजाब से हापुड़ से, क्या हमको उतनी मिल रही है? आज वह

(श्री अर्जुनदास मदान)

हमें नहीं मिल रही है, उसमें भी आप अपना कोई योगदान दें। धौलपुर की यूनिट का हमने प्रस्ताव किया, उसके ऊपर स्थिति यह हो गयी कि अगर आपके यहां बिजली दी जाएगी और चिमनी का धुआं उड़ेगा तो इससे ताजमहल खराब हो जाएगा। अब वह किसका विषय था ? यह विषय कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं, पूरे सदन का विषय है और इसलिये सदन को इसके ऊपर निश्चित रूप से विचार करना चाहिये। आज सूरतगढ़ का चौथा एग्जाम्पल देता हूं। मान्यवर, 250 मेगावाट यूनिट के दो यूनिट लगने थे, एक पर तो काम चालू हो गया, दूसरे पर काम फिर चालू होगा। लेकिन आज इसमें भी यदि कोई गतिरोध आया, यदि कोई शिथिलता आयी, यदि इसमें कोई रुकावट आयी तो क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार, राजस्थान का दोष है ? चाहे सूरतगढ़ की योजना आप ले लें, चाहे धौलपुर की ले लें, चाहे आप थर्मल के दोनों यूनिट्स की ले लें और किसी भी स्थान की यूनिट को ले लें, मान्यवर, इनमें सारा का सारा योगदान केन्द्र की कांग्रेस सरकार को देना चाहिये था, जिस गति से देना चाहिये था वह हमें नहीं मिल पाया, इस कारण से हम पीछे रह गये।

अध्यक्ष महोदय, केवल मात्र मेरे चार-पांच सुझाव हैं, जो देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं और यह निवेदन करूंगा कि उन सुझावों के ऊपर आप विचार करें। एक तो मेरा यह निवेदन है कि जितनी भी योजनाएं लम्बित पड़ी हैं, उन पर यथाशीघ्र कार्यवाही होनी चाहिये ताकि बिजली के उत्पादन में और ज्यादा कहीं विलम्ब नहीं हो। दूसरा, इसमें मेरा सुझाव यह है कि आर.ए.पी.पी. के दोनों यूनिट्स बन्द पड़े हैं, जहां से 300 मेगावाट बिजली हमको मिलती थी, उनको वापस उत्पादन में जल्दी से जल्दी लाया जाना चाहिये। अन्ता में जो आपका बिजली का उत्पादन होता है बहुत उपयुक्त हो कि इसका पूरा का पूरा उत्पादन राजस्थान को ही मिले और उसमें जो थोड़ी-बहुत कटौती हो रही है, उस कटौती को भी बन्द किया जाय। इसके बाद एक मेरा सुझाव यह है कि एग्रीकल्चर पर कभी-कभी यदा-कदा एक मजदूर एक किसान, एक आदमी अतिक्रमणकर्ता वहां पर अपना मकान बना लेता है। मेरा विधान सभा क्षेत्र में कई बड़ी-बड़ी झोंपड़िया, बहुत बड़े-बड़े कच्चे इलाके आते हैं और मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जब एक आदमी मकान बनाता है तो पास की मान लीजिये एग्रीकल्चर लैंड उसने खरीदी और मकान बना लिया। अब जब वह बिजली का कनेक्शन लेता है तो बिजली वाले तो न जाने वहां पर खम्भा गाड़ देते हैं। जब मेरे को मकान बनाने का नम्बर आता है तो मैं अपने प्लाट की तरफ झांकता हूं तो देखता हूं कि वहां पर खम्भा लगा हुआ है। मैं वहां से वापस हटाने की बात करता हूं तो मुझसे पैसे मांगे जाते हैं कि आप इतना जमा करवाओ। दोष किसका है ? आप पहले नक्शा देख लेते। पूरी रूप-रेखा देख लेते। जिस आदमी ने गलती की है, सजा उसको मिलनी चाहिये, मैं दूसरे की गलती, why should I be penalised for other's mistake ? यह मेरा निवेदन है कि अपराध दूसरा करे और उसकी सजा मैं पाऊं। इसके लिये मेरा बहुत विनम्र निवेदन है

(श्री अर्जुनदास मदान)

कि बिजली के जो भी अधिकारी यहां पर बिराजमान हों वे इस पर भी सोचें और यहां पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय से और जो भी आज इस बात को देख रहे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप इसमें यथा-शीघ्रता करें।

एक चोरी होती है, जैसे भरतपुर में, नाम नहीं लेता, क्षमा चाहूंगा। आप इसको व्यक्तिगत नहीं लें लेकिन जो चोरी के आंकड़े आते हैं, उनसे पता चलता है। सवाईमाधोपुर है, भरतपुर है, झुन्झुनूं है, नागौर है। आज हो तो सभी जगह रही है। मेरे हिसाब से हमारे यहां पर लगभग 12 से 15 प्रतिशत के बीच में होती है, राजस्थान में....

श्री विष्णु मोदी : तीस पर्सेण्ट।

श्री अर्जुनदास मदान : चोरी, चोरी कह रहा हूं। मैं आपसे 12 से 15 पर्सेण्ट के बीच में निवेदन कर रहा हूं। इसमें एकाध पर्सेण्ट आगे-पीछे हो सकती है। इसमें कोई गलती नहीं है। टैरिफ की बात आप मत कीजिये, लाइन लीकेज की बात मत कीजिये। दो चीज अलग अलग हैं। एक लाइन लीकेज है और एक चोरी है। लाइन लीकेज में देखिएगा, जैसा मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि आपको बिजली मान लीजिये हापुड़ से लें या पंजाब से मिले, तो यहां आते-आते उसका लाइन लीकेज बढ़ेगा। निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि जब आप इतनी दूरी से बिजली को लेंगे लाइन लीकेज उसका धीरे-धीरे अधिकतम होता चला ही जाएगा। इसमें कटौती आप नहीं कर सकते। केवल मात्र चोरी, जिसमें होती है, उसमें जितनी कमी लायी जा सके, मेरा निवेदन है कि उसके ऊपर भी सरकार को विचार करना चाहिये।

इसके बाद, आज लगभग तीन सौ, पौने तीन सौ करोड़ रुपये की वसूली है, चाहे वह उद्योगों के ऊपर हो, चाहे वह किसानों के ऊपर हो, चाहे वह उपभोक्ताओं के ऊपर हो, उसमें अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी जितनी वसूली हम कर सकें, हम करें।

मेरा अन्तिम सुझाव, मान्यवर, यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में थर्मल है इसलिये वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं, मैं उनकी वेदनाओं के बारे में भी थोड़ा सा निवेदन करना अपना कर्तव्य समझता हूं, क्योंकि यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, आज हम चिन्ता यह तो करते हैं कि उत्पादन हो, हम यह तो करते हैं कि वितरण की प्रणाली सही हो लेकिन यदा-कदा हम भूल जाते हैं कि जो आदमी निर्माण कर रहा है, जो आदमी आज उत्पादन कर रहा है, उसके हितों की रक्षा कौन करेगा? 1992 में एक हड़ताल हुई थर्मल पॉवर में और इसके लिये मैं अध्यक्ष महोदय से भी दो बार मिल चुका हूं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने मुझे सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये कहा है। लेकिन मन में एक बहुत बड़ा दुःख है कि इनमें से जिन लोगों को पकड़ा गया इंजीनियर्स हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं। हड़ताल जिस दिन होनी थी, उससे दो दिन पहले सरने, पुलिस ने उनको पकड़ लिया, तो एक आदमी, पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में चला गया था तो उसके ऊपर हड़ताल का दोष कैसे लगा सकते हैं। वह तो जेल में

(श्री अर्जुनदास मदान)

था। जब हड़ताल हुई और उनको दो-दो दिन पहले पकड़ लिया गया, जितना सर्विस पीरियड उनका है, उससे पहले हड़ताल के दिनों के पहले या उसके बाद जब उन्होंने ज्वाइन किया, एक भी उनके पर्सनल रिकार्ड के ऊपर एडवर्स रिमार्कस नहीं हैं। उत्पादन इतना करते हैं प्रतिशत में जिसके ऊपर हमको हर थर्मल पॉवर स्टेशन से,आज इंडिया में प्रथम या द्वितीय पुरस्कार प्राप्त होता है। उसमें, मान्यवर, यह लोग जो उत्पादन करते है, आज अदालत ने उनको क्षमा-याचना दे दी, उनको बरी कर दिया गया, रिकार्ड उनका बहुत अच्छा है, आज यहां पर आते हैं, पेशी साधते हैं, उसमें क्या उनको टी.ए.,डी.ए. सरकार देती है ? वे वहां से चलते हैं और यहां पर पेशी बदल जाती है तो मेरा बहुत विनम्र आग्रह है कि ऐसे लोग जो हड़ताल में शामिल नहीं थे और जिनके ऊपर मुकदमे चलें, जिनको कोर्ट ने भी क्षमा कर दिया, कम से कम यदि सदन भी क्षमा कर दे तो उसके लिये मैं बहुत-बहुत आभारी रहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अभी ज्यादातर जितनी चर्चा सुनी है, बिजली के बारे में कि किसी तरह से उत्पादन हो, उत्पादन कम हो रहा है, इतना मेगावाट होना चाहिये था, इतना नहीं होना चाहिये था, इतना मिलना चाहिये, उसके ऊपर काफी चर्चा हुई और होगी भी मैं उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं कि जितनी बिजली मिल रही है, उपलब्ध है, प्रांत में उस बिजली का किसानों को कितना लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। आम किसान जब बिजली के लिये दफ्तरों में जाता है, बिजली के लिये फाइल लगाता है, वहां से लेकर जब उसके एल. फार्म जमा होने के बाद कनेक्शन होता है तब तक जिन-जिन समस्याओं का उसे सामना करना पड़ता है, उसके ऊपर मैं सदन का थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले किसी एक वक्ता ने और कहा था कि अगर आप शहर में बिजली लेंगे या किसी उद्योग के लिये लेंगे, चाहे बड़े उद्योग के लिये, चाहे लघु उद्योग के लिये लें, बिजली की फाइल लगायी, फटाफट जे.ईएन., ए.ईएन., एक्स. ईएन. लेवल पर एस्टीमेट बनकर डी.एन. इश्यू हो जाएगा। डी.एन. जमा हो जाएगा और कनेक्शन हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों की तरफ देखिये कि एक गरीब किसान जब आवेदन करता है और आवेदन करने के बाद में अगर वह किसान रोजाना कर्मचारियों के यहां चक्कर नहीं लगायेंगे, यहां तक मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, यह मेरा आर.एस.ई.बी. के अधिकारियों/कर्मचारियों पर चार्ज है कि जो समृद्ध आदमी होता है, जो उनकी पाकेट भर देता है उसको तो बाद में डिमाण्ट नोटिस जमा होकर और पैसे जमा होकर भी कनेक्शन मिल जाता है और जो गरीब आदमी रिश्वत देने लायक नहीं होता है, डिमाण्ड नोटिस जमा होने के बाद भी उसके दो-दो साल से कनेक्शन नहीं होते।

अध्यक्ष महोदय, आज माननीय रघुवीर सिंहजी नहीं हैं। मुझे खेद है कि उनकी

(174)

(श्री जुबेर खान)

मां की तबीयत खराब होने की वजह से चले गये हैं; जब से वे मंत्री बने हैं तब से मेरे क्षेत्र के बारे में 33 के.वी.जी.एस.एस. का गोविन्दगढ़ पंचायत समिति का एरिया है, वहां विलेज वाइज मैंने यह लिखा है कि इस गांव में फलां तारीख को आर.एस.ई.बी. जयपुर से विद्युतीकरण स्वीकृत हुआ, फलां तारीख को लाइन खिची, फलां तारीख को अमुक किसान ने कृषि के लिये आवेदन लगाया और फलां आदमी ने डोमेस्टिक लाइन के लिए फाइल लगायी। अध्यक्ष महोदय, बोर्ड का नियम है कि जिस गांव को प्रथम बार विद्युतीकृत किया जाएगा पहले दो कनेक्शन उस गांव में दिये जायंगे। तभी उस गांव को विद्युतीकृत समझा जाएगा। लोग फाइल लगा देते हैं, लोगों के डिमाण्ड नोटिस दो-दो साल में जमा होते हैं और उसके बाद भी, अध्यक्ष महोदय, खेद है दो–दो साल बाद कनेक्शन नहीं होते।

मैं कुछ ऐसे उदाहरण दूं, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय नहीं हैं, उनके व्यक्तिगत जानकारी में है कि 1990-91 में जिन लोगों ने डिमाण्ड नोटिस राशि जमा करा दी और आप जानकारी कराना चाहें तो अधिकारियों से करा लीजिये, गोविन्दगढ़ क्षेत्र में 1990--91 के डिमाण्ड नोटिस जमा हुए, आज 1995--96 में भी उनको कनेक्शन नहीं दिये गये। यह बड़े दुःख की बात है और जब भी यह मीटिंग होती है, चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे माननीय मंत्री महोदय लें, हमने प्रत्येक गांव का उदाहरण देकर और यहां सदन में भी प्रश्न लगाया है कि दो गांव तो हैं जिनके बिजली की लाइन गिर गयी और माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया कि एक महीने के अन्दर खड़ी हो जाएगी, आज तक उन गांवों में लाइन खड़ी होकर ट्रांसफार्मर नहीं लगे हैं।

अध्यक्ष महोदय, बड़ा खेद हुआ यह देख कर कि रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में तीन गांव हैं मेगावास, बारोली और पथरोड़ा, हमने बिजली वालों से पूछा कि इस गांव में बिजली क्यों नहीं है? हमने उनकी प्रायोरिटी लिस्ट को देखा, उन गांवों में 1988–89 के साल में लिस्ट में विद्युतीकृत डिक्लेयर कर रखा है और आज 1995–96 में उन गांवों से दो–दो किलोमीटर दूर तक लाइन नहीं है और जब हम कर्मचारियों के पास जाते हैं तो कहते हैं, साहब, प्रावधान नहीं है हम कहां से लगायें। मैंने कहा तुम क्यों नहीं लगाओगे, तुमने कागजों में तो कह दिया विद्युतीकृत हो गया और दो–दो किलोमीटर तक वहां से लाइन नहीं है। तो गांव वाले किसके पास जाएंगे? उन्होंने कहा कि आप फाइल लगवाइये। फाइल लगा कर डिमाण्ड नोटिस कहां से लगाएंगे, जहां दो किलोमीटर दूर से उनका खर्चा लगाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस तरह की जहां डिमाण्ड नोटिस जमा कर दिये, पैसे जमा हो गये, 'एल' फार्म जमा कर दिये, जिन गांवों को आधिकारिक तौर पर आपने आज से आठ-आठ साल पहले विद्युतीकृत घोषित कर दिया, पहले उन गांवों को तो बिजली पहुंचा दीजिये। कितने ही गांव हैं जहां डी. पी. खड़ी है और लाइन खिची हुई है, लोगों की फाइल लगी हुई है। न डोमेस्टिक कनेक्शन दिये जा रहे हैं, न कृषि कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और

(श्री जुबेर खान)

कहना चाहूंगा कि बड़ौदामेव पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ में अभी हाल ही में 33 जी.एस. एस. शुरू होने जा रहा है। हमने अधिकारियों को बार-बार लिखा है कि लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति का ही एरिया गोविंदगढ़ लगता है जिसके 33 जी. एस. एस. पर बिजली आती है भरतपुर के नगर पंचायत समिति से। नगर में जिस तरह की गुण्डागर्दी वहां के कर्मचारी और लोग करते हैं, जब देखते हैं कि लोड फ्लक्चुएट होता है गोविंदगढ़ की लाइन काट देते हैं, क्योंकि जिला दूसरा है, संचार सुविधा नहीं है, लोगों के 10–10 घंटे बाद फाल्ट्स ठीक नहीं होते हैं। हमने उनसे कहा था आप लक्ष्मणगढ़ से वाया जालूकी होते हुए लाइन खींचिये बड़ौदामेव से, क्योंकि जालूकी से गोविंदगढ़ तो पहले ही 33 के वी. लाइन खिंची हुई है उसमें मुश्किल से दो या तीन किलोमीटर का फर्क पड़ेगा और अलवर में बैठे हुए अधिकारी कहते हैं कि पहले बड़ौदा जाएगी और बड़ौदा से फिर गोविंदगढ़ जाएगी। इसमें अगर आज जालूकी से लाते हैं तो सिर्फ तीन किलोमीटर का फर्क है और बड़ौदा से लक्ष्मणगढ़ ले जाएंगे तो 15 किलोमीटर का फर्क है। कहां तक कहें इन अधिकारियों को, कोई मानने को तैयार नहीं है और फिर दूसरी तरफ माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कोई अच्छे सुझाव दीजिये हम लागू करायेंगे। आपके सुझाव यह लागू कहा करते हैं।

मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा कि आपके यहां ओ. सी. बी. इक्विपमेंट होता है जो 33 जी.एस.एस. में लगता है, आज 10–10 साल लगे हो गये जी.एस.एस. को और ओ.सी.बी. नहीं पहुंचाई जाती है और ओ.सी.बी. अगर पहुंच भी गयी तो उनको लगाया नहीं जाता है। अब कहते हैं हमको तो लगाना ही नहीं आता, वह लोग ही नहीं रहे जो ओ.सी.बी. लगाना जानते हैं। गोविंदगढ़ में यह वाकया हुआ। अध्यक्ष महोदय, यह कितनी दुःख की बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन अलवर के बारे में कहना चाहूंगा। अलवर से पांच तो मंत्री बन गये, एक उपाध्यक्ष बन गये अब अलवर की लड़ाई कौन लड़े? आपने बार-बार कहा है कि भिवाड़ी में 100 मेगावाट का जनरेशन करेंगे, अलवर में 100 मेगावाट का करेंगे एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्रीजी बड़े-बड़े शहरों में जाकर कह आते हैं, आप आइये और इंडस्ट्री लगाइये हम आपको हर सुविधा देंगे। जब आप भिवाड़ी में एक तरफ तो अलग से प्राधिकरण बनाने जा रहे हैं, मोडल इंडस्ट्रीयल टाउन बनाने जा रहे हैं और जब वहां वह आकर देखते हैं कि बिजली 8 घंटे से ज्यादा नहीं आती, तो इस तरह कैसे आएंगे? मेरा निवेदन है कि हर बार अलवर और भरतपुर के साथ अन्याय होता रहा है इस सरकार में। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्वी राजस्थान के साथ हमेशा अन्याय हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्वी राजस्थान पर भी ध्यान दिया जाए। जब आपका यह प्लान है कि कामां में 100 मेगावाट की लगायी जाएगी, भिवाड़ी में लगायी जाएगी, अलवर में लगायी जाएगी। लेकिन तब दुःख होता है जब आपके भाषण आते हैं जो पश्चिमी

(176)

(श्री जुबेर खान)

राजस्थान और उदयपुर डिवीजन के आते हैं और अलवर, भरतपुर और धौलपुर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। कृपया समाप्त करें।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा।

यह नर्सरी योजना चलायी। एक तरफ कहते हैं कि इसमें पैसे तो बहुत आ रहे हैं, जब आदमी की मुसीबत आती है तो गरीब आदमी को भी अगर दिल का आपरेशन कराना पड़ता है तो कहीं न कहीं भीख मांगकर, रिश्तेदारों से लेकर, कर्ज से लेकर कराता है। आज बिजली की भी वही स्थिति है इसलिए इसको यह गलतफहमी नहीं समझें कि लोग धड़ाधड़ पैसा जमा करा रहे हैं, वे सक्षम हैं। जो सक्षम हैं वही करा रहे हैं, आम आदमी को बिजली नहीं मिल पा रही है। मेरा इसमें यह कहना है कि अब माननीय मुख्य मंत्रीजी घोषणा करेंगे, क्योंकि 18 हजार, जो टार्गेट तो था 20–25 हजार का, 18 हजार लोगों ने तो नर्सरी कनेक्शन में पैसे जमा करा दिये। अब बच क्या गया गरीब लोगों के लिये, क्या बच गया एस.सी./एस.टी. के लिये, क्या बच गया विकलांगों के लिये, क्या बच गया पूर्व सैनिकों के लिये? माननीय मुख्य मंत्री जरूर कल घोषणा कर देंगे कि यह स्कीम बंद की जाती है। तो बंद क्या कर रहे हो, आपका कोटा पूरा हो गया। आपकी स्थिति ही नहीं है, आपके पास खम्भे नहीं हैं, आपके पास तार नहीं हैं, आपके पास सामान नहीं है। आप नर्सरी कनेक्शन ही नहीं दे पाएंगे और अब वाहवाही लूटेंगे कि हम टार्गेट उसी आधार पर देंगे, इतने सामान्य श्रेणी में देंगे, इतने एस.सी./एस.टी. श्रेणी में देंगे, यह जनता के साथ धोखा होगा।

अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि बिजली को तो राष्ट्रीय समस्या मानना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौनसी समस्या है जिसको राष्ट्रीय समस्या नहीं मानना चाहिये? क्या पेयजल को राष्ट्रीय समस्या नहीं मानना चाहिये? क्या कानून व्यवस्था को राष्ट्रीय समस्या नहीं मानना चाहिये? क्या बढ़ती हुई जनसंख्या को राष्ट्रीय समस्या नहीं मानना चाहिये? क्या जो आर.एस.ई.बी. में पीक पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है उसको राष्ट्रीय समस्या नहीं मानना चाहिये? राजनीतिक जीवन में गिरावट आ रही है, इसको राष्ट्रीय समस्या नहीं मानना चाहिये? बिजली को तो आप राष्ट्रीय मुद्दा मान रहे हैं, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी की कमी रही है, फेल्योर रही है इसलिए इस बात को डाइवर्ट करने के लिये इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहिये? और प्रान्तों में तो यह स्थिति नहीं है जो राजस्थान में है। पंजाब में यह स्थिति नहीं है, मध्य प्रदेश में यह स्थिति नहीं है फिर आप यहां राष्ट्रीय मुद्दा तो इसको बनाइये कि कहां हम और प्रांतों के बराबर हों।

श्री अध्यक्ष : अब और ज्यादा समय हो जाएगा, अभी लम्बी लिस्ट है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सुझाव दें अब।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मेरा

(श्री जुबेर खान)

अंतिम निवेदन यह है कि समाज कल्याण विभाग हरिजन बस्तियों को स्ट्रीट लाइटों के लिए अंधाधुंध पैसे देता है और इस बार तो हरिजन बस्तियों के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी पैसा है और मेरा यह आरोप है सरकार पर और अधिकारियों पर, क्योंकि हरिजन गरीब लोग, एस.सी. और एस.टी. के लोग रिश्वत नहीं दे सकते फाइल मूव कराने के लिये क्योंकि उनके तो फ्री में बिजली लगेगी। उनके पांच-पांच साल से गांव के लिये पंचायतों की तरफ से फाइल लगायी हुई है कि इस गांव में स्ट्रीट लाइट लगा दी जाए। आज तक उनमें भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगायी गयी। क्यों नहीं लगायी जा रही? आर. एस. ई. बी. को समाज कल्याण विभाग से पैसा मिल रहा है इसमें कौनसे रास्ते से बचना चाहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। समाज कल्याण विभाग का जो प्रतिवेदन आता है, अध्यक्ष महोदय, उनमें देखेंगे तो कितना ही पैसा लैप्स हो जाता है जो कि कुटीर ज्योति और अन्य योजनाओं में हरिजन और एस. सी./एस.टी. योजनाओं में लागू होना चाहिये (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें, कन्हैया लाल पाटीदार। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि जो माननीय मदान साहब ने भी कहा कि यू. आई. टी. या नगर पालिका या पंचायत के तहसीलदार जब मकान बनाने की इजाजत देते हैं तब यह क्यों नहीं सोचते कि ऊपर से लाइन जा रही है या लाइन जाएगी। वे गरीब लोग घर बना लेते हैं और बनाने के बाद जब वह खम्भे आ जाते हैं तो कहते हैं कि आप पैसे लेकर हटवाइये। मेरा इसमें आपसे यह निवेदन है कि जहां इस तरह की स्थिति है वहां एक को-आर्डिनेशन होना चाहिये उन लोगों के और आर. एस. ई. बी. के बीच में। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल जी पाटीदार।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बहुत ही सीमित विद्युत है और विद्युत किसानों के लिये जीवन-मरण का प्रश्न है, उनके अपने परिवार के भरण-पोषण से सम्बन्ध रखती है उसी विद्युत समस्या के बारे में आज सदन में चर्चा चल रही है। जहां तक मैं सोचता हूं एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। बेहतर यह होगा कि हम आपस में मिल-जुलकर इस समस्या के समाधान के लिये प्रयत्न करें तो निश्चित रूप से हम इस समस्या को हल करने में सफल हो पाएंगे।

अभी माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, ने अपने वक्तव्य में प्रदेश में विद्युत उत्पादन के नये विकल्प सुझाये हैं और उनके ऊपर कार्य भी प्रारम्भ करा दिया गया है। इसके लिये मैं समस्त किसान वर्ग की तरफ से माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय को, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही अनुरोध करना चाहूंगा कि विद्युत उत्पादन में हम प्रयत्न कर रहे हैं उसका जो समय निश्चित है उसे शीघ्र पूरा कराया जाय ताकि किसानों को शीघ्र इसका लाभ प्राप्त हो सके।

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसा शुरू में किसानों को सामान्य प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिये जाते थे उसी आधार कनेक्शन चालू रखे जायं ताकि हमारे गरीब तबके के किसानों को इसका लाभ मिल सके।

दूसरा, अभी जो थ्रेशर कनेक्शन के लिये एक नया नियम बनाया है, मेरा ऊर्जा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि यदि जिस किसान के कुएं के ऊपर पांच का या दस का कनेक्शन है उसको नया कनेक्शन लेने के लिये बाध्य नहीं किया जाय और उसी कनेक्शन के ऊपर उन्हें थ्रेशर चलाने की अनुमति दे देनी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र मध्य प्रदेश की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। मेरे क्षेत्र का बहुत ज्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश से लगा हुआ है और मेरे क्षेत्र में लगभग 50–60 गांवों में मध्य प्रदेश से विद्युत आपूर्ति होती है। यह 50–60 गांव मध्य प्रदेश की दया के ऊपर निर्भर हैं। जहां लगभग 70–80 प्रतिशत समय में बहुत कम वोल्टेज मिलते हैं और जिसकी वजह से किसानों की मोटरें जलती हैं। मैंने माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से मांग की थी कि मेरे क्षेत्र में एक 132 के.वी. जी.एस.एस. सैंक्शन किया जाय ताकि इस क्षेत्र की विद्युत समस्या हल हो सके। इस बाबत प्रपोजल भी डिपार्टमेंट को भिजवाये हुए हैं। पिड़ावा में सब-डिवीजन के प्रपोजल भी राज्य सरकार को भिजवाये गये हैं उसके लिये भी मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी भी सैंक्शन तुरन्त जारी की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में पांच जी.एस.एस. 33 के.वी. के स्वीकृत शुदा हैं लेकिन सामानों के अभाव में जैसे वहां के एस.ई. और एक्स. ईएन. बताते हैं कि बोर्ड के पास सामान नहीं है। यदि सामान के अभाव में इन जी.एस.एस. का काम रूका हुआ है तो मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि सामान की व्यवस्था कर इन जी.एस.एस. का काम शुरू कराया जाय। ये जी.एस.एस. दो वर्ष से स्वीकृत पड़े हुए हैं।

एक मेरा निवेदन यह है कि शहरी क्षेत्र में दिन-रात बिजली चालू रहती है और हमारे गांव में लोड शैडिंग के नाम से चार घंटे, छह बजे से दस बजे तक, जो किसानों के लिये मवेशियों के चारे-पानी का समय होता है, भोजन बनाने का समय होता है, भोजन करने का समय होता है, बच्चों के पढ़ने का समय होता हैं उस समय अंधेरा रखा जाता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय छह से दस बजे के समय यदि पावर हमें नहीं मिले तो कम से कम रोशनी के लिये तो उस समय कुछ विद्युत मिलनी ही चाहिये।

मेरा एक निवेदन और है, यदि हमारे पास विद्युत सीमित है उसको यदि व्यवस्थित रूप से वितरित करें तो निश्चित रूप से हम किसानों की काफी समस्या हल कर पाएंगे।

हमारे पास फील्ड वर्कर्स की बहुत कमी है। बीस-बीस गांवों में एक-एक लाइन

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

मैन है। यदि कहीं लाइन फाल्ट हो जाती है, लाइन टूट जाती है उसको सही करने में दो-तीन दिन का समय लग जाता है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि फील्ड वर्कर्स की संख्या बढ़ायी जाए ताकि हमारे किसानों को होने वाली दिन-रात की परेशानियों से मुक्ति मिल सके।

अन्त में, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने पिछले बजटों में से एक बार चिकित्सा को और एक बार शिक्षा को समर्पित किया। यदि अगला बजट हम विद्युत को समर्पित करें, तो हम किसानों का बहुत भला कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर वर्तमान में बिजली की जो व्यवस्था है और इस व्यवस्था को लेकर इस सदन के सभी माननीय सदस्य चिन्तित हैं। अब चाहे कितनी भी बात की जाय, कितने भी आंकड़े पेश किये जायं, पर यह बात सही है कि राजस्थान के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है एक भी यूनिट बिजली पैदा करने का प्रयास नहीं किया गया, घोषणाएं जरूर करती रही है पर इसका कोई भी उत्पादन शुरू नहीं किया गया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाहर से बिजली खरीदने का काम तो किया जा रहा है और आज ही भण्डारी जी का स्टेटमेंट आया है कि पिछले वर्ष में 500 लाख यूनिट बिजली हमने ले ली। आप बाहर से खरीद रहे हैं, एक हजार मेगावाट यहां पैदा कर रहे हैं और दो हजार मेगावाट बाहर से खरीद रहे हैं। अगली बार आप तीन हजार मेगावाट खरीद लेंगे पर आप बिजली स्वयं पैदा नहीं कर रहे हैं। बात मैं उसकी कह रहा हूं और यह बात सही है कि 40 पर्सेण्ट की जो बिजली आपूर्ति की मांग है उसमें कमी है और यह इससे ज्यादा एक मजाक और सरकार के लिये शर्म की बात होनी चाहिये कि मैंने एक प्रश्न पूछा और ऊर्जा मंत्रीजी ने जवाब दिया। वह जवाब यह दिया, अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा कि आठ घंटे बिजली किसानों को देने की घोषणा की थी और आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? तो ऊर्जा मंत्रीजी ने जवाब दिया कि हम बिलकुल आठ घंटे बिजली दे रहे हैं। थोड़ा-सा व्यवधान आ गया था और अब किसानों को कोई घाटा नहीं हुआ इससे। मैं इस सदन में यह पूछना चाहता हूं कि आप दिल पर हाथ रखकर कहें कि क्या आठ घंटे किसानों को बिजली दी गयी पर सरकार का जवाब यह है हम आठ घंटे बिजली दे रहे हैं ....(व्यवधान) इतना असत्य बयान मंत्री महोदय ने दिया। रोहिताश्व जी मेरे पास है उत्तर, मैं असत्य बात नहीं कर रहा हूं।

आज हालत यह है और उसके बाद में आप देखें, अध्यक्ष महोदय, तो जिस तरह से आप बिजली दे रहे है चार घंटे और चार घंटे भी ट्रिपिंग के अन्दर आ रही है, उसका भी लाभ नहीं मिल रहा है और सरकार कह रही है किसानों को कोई घाटा नहीं हुआ। बिजली आपूर्ति हम पूरी दे रहे हैं, कितना असत्य बयान किया जा रहा

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

है। आप देखिये, अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री महोदय आप भी जानते हैं कि अभी विधान सभा के उप चुनाव हुए थे। अपने राजस्थान के मुख्य मंत्री भाषण देकर आते हैं भीलवाड़ा के अंदर कि यहां पर 100 मेगावाट का डीजल जनरेटिंग सैट मैं लगवा दूंगा वोट लेने के लिये और हमारे पी.एन. भण्डारी जी जाते हैं और प्रेस वाले पूछते हैं तो वह कहते हैं कि भीलवाड़ा के अंदर 100 मेगावाट पैदा करने का कोई प्लान ही नहीं है। अब इसमें पी.एन. भण्डारी असत्य बोल रहे हैं या मुख्य मंत्री असत्य बोल रहे हैं? मैं भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि वहां पर डीजल का जनरेटर सैट लगाया गया है आपके....

एक माननीय सदस्य : लगेगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी : हां, लगेगा। जनरेटर सैट लगेगा, बिजली आएगी, बरसात होगी, आप यह गा, गे, गी में बात करो। जनरेटर सैट नहीं लगा पर वोट जरूर प्राप्त करके बी.जे.पी. के माननीय सदस्य यहां जीतकर आये जनता को झांसा देकर। मुख्य मंत्री जी यह काम तो कर रहे हैं, यह बात तो सही है। अब जनरेटर सैट वहां नहीं लगा डीजल का, यह बात भी सत्य है पर भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य की बोलने की हिम्मत नहीं है यहां पर कि हमारे मुख्य मंत्रीजी वहां पर +++ आये हैं। अब स्थिति आप देखिये। एक बात मैं महत्व पूर्ण कहना चाहता हूं, जिस तरह से उद्योगों के अन्दर सौ हार्स पावर का कनेक्शन है और उसी फैक्ट्री के अन्दर दस मोटरें अलग-अलग दस-दस, पांच-पांच हार्स पावर की लगी हुई हैं तो वह तो काम ले सकते हैं और एक किसान जिसने कनेक्शन लिया हुआ है 20 हार्स पावर का, उसके कुएं का पानी नीचे चला गया है, सूख गया है वहीं पर यदि उसने दूसरा ड्रिल कर लिया है, सौ हार्स पावर के पैसे दे रहे हैं, बीस हार्स पावर के पैसे दे रहे हैं, उसके पास में उसने दूसरा ट्यूब-बैल खोदा है, उसको बिजली बोर्ड कहता है तुम चोरी कर रहे हो। किसान चोरी नहीं कर रहा है, किसान उसका पैसा दे रहा है और उसको बिजली बोर्ड मानने को तैयार नहीं है और यह कहता है कि इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं कि उद्योग वाले ज्यादा पैसे देते हैं, किसान ज्यादा पैसे नहीं देते हैं इसलिए उनको नहीं देंगे। यह मेरा सुझाव है सरकार को कि उन किसानों को जो बराबर जितने हार्स पावर का कंजम्पशन कर रहे हैं उनको रेगुलराइज किया जाय।

दूसरी बात, जिस तरह की बिजिलेंस की टैस्टिंग की जा रही है कि जितने हार्स पावर की मोटर अन्दर लगी हुई है, अपनी उसमें कोई बेईमानी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है पर उसमें ज्यादा एम्पीयर आने की वजह से बिजिलेंस वालों ने उसके चार्जेज इतने बढ़ा दिये हैं और उसके कारण किसानों के साथ एक तरफा कार्यवाही हो रही है और उनको इस बारे में न्याय नहीं मिल रहा है।

दूसरी बात यह कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि जिस तरह से नर्सरी कनेक्शन

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

की बात सरकार कह रही है, बिलकुल ठीक है। पैसा लेने के लिये आपने, कुछ किसान पैसा देने की ताकत रखते हैं, आपने उनके लिये एक स्कीम बना दी है, परन्तु सरकार जो कि लोकप्रिय और जनता की सरकार है वह पैसा इकट्ठा करने की नीति नहीं बनाये। उस सरकार का, पोपुलर गवर्नमेंट का काम यह है कि ऐसे लोग जिनकी ढाई लाख एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं आपके पास, उनको एक भी कनेक्शन नहीं मिला। अभी घनश्याम जी बोल तो रहे थे, बोलने को खड़ा कर दिया गया, बोलना जरूरी है सरकार की तरफ से। घनश्याम जी की स्थिति ऐसी थी, अध्यक्ष महोदय, कि आंकडे उनके मुंह से निकल रहे थे उल्टे सीधे। अब क्या है मजबूरी है, खड़े होकर बोलने की।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि टू दी पाइंट बात कहें। नहीं तो रात को दो बजेंगे। उन्होंने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा। आप तो अमूल्य सुझाव दें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं टू दी पाइंट बात कह रहा हूं, अमूल्य सुझाव दे रहा हूं कि नर्सरी के कनेक्शन आप दे रहे हैं, वह ठीक हैं, आप केटेगरी रखें पर, अध्यक्ष महोदय, जो बहुत साधारण किसान हैं, कांग्रेस के शासन में जिस तरह की व्यवस्था थी, सभी किसानों को, गरीब किसानों को कनेक्शन दिया जा रहा था, उसमें चाहे वह विकलांग केटेगरी, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, भूतपूर्व सैनिक थे, सभी को कनेक्शन दिये जा रहे थे पर इस सरकार ने केवल पैसा कैसे इकट्ठा किया जाय उस नीति को अपना रखा है और नैचुरली आप जानते हैं कि पैसे वाले जो लोग होंगे वे एप्लीकेशन देंगे। उन्होंने एप्लीकेशन दे दी पर बोर्ड उनको भी कनेक्शन देने की स्थिति में नहीं है। आज दो-दो साल से जिनके पैसे जमा किये हुए हैं क्या बोर्ड को अधिकार हैं कि उनको कनेक्शन नहीं दे? उनके साथ आज हालत यह है कि वह खम्बे भी अपने ट्रेक्टर के अन्दर, गाड़े में डालकर लेकर जाएंगे, आज ट्रांसफार्मर भी वह अपना डालकर लेकर आएंगे। बिजली बोर्ड खाली पैसे की रसीद देता है और रसीद आप जमा नहीं कराओ तो आपकी जिम्मेदारी है। आज हालात इस तरह के हैं। आज ट्रांसफार्मर जितने जल रहे हैं, अभी कोई माननीय सदस्य बोल रहे थे....

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका एक मिनट ही बाकी है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : राजस्थान में आज इस तरह की स्थिति है, आज मैं यह कहना चाहूंगा फलोदी में, बहुत भारी दुर्घटना हुई। वोल्टेज के कारण वहां आग लग गयी एक बस्ती के अन्दर और वहां काफी भारी नुकसान हुआ, क्षति हुई, एक आदमी की मृत्यु हो गयी, कई लोग घायल हुए और मुझे यह जवाब दिया गया आज ध्यानाकर्षण के अन्दर कि वहां पर सारी गलती उन

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

लोगों की थी जो वहां रह रहे थे। बिजली बोर्ड की कोई गलती नहीं है और बिजली बोर्ड क्षतिपूर्ति करेगा ही नहीं। यह उनकी गलती है। बिजली बोर्ड इसको मानने को तैयार नहीं है। आज स्थिति ऐसी है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के हालात हैं। मैं यह चाहूंगा कि सरकार की कृषि कनेक्शंस की जो नीति है उसके अन्दर परिवर्तन किया जाय और जनरल केटेगरी के कनेक्शंस भी दिये जायं।

इसके अलावा जिस तरह की पी.एच.ई.डी. की जो लाइन्स हैं उन लाइन्स के अन्दर बिजली बोर्ड को सप्लाई नहीं है और इस बात का झगड़ा इनका पी.एच.ई.डी. के साथ बराबर बना रहता है। उस झगड़े को समाप्त किया जाय और पानी का है उसको प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिया जाय। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीरजी भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ऊर्जा पर चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था....

श्री अध्यक्ष : यदि पांच मिनट में समाप्त करें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री महावीर भगोरा : बिलकुल पांच मिनट में ही बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्रों में विद्युतीकरण का सवाल है, आज तक विद्युत विभाग की या राज्य सरकार की जो नीति रही है उसके बारे में मैं जो वर्तमान हालात हैं उनका जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे यहां ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आदिवासी क्षेत्र बिखरा हुआ है, आबादी भी बिखरी हुई है। गांव के किनारे ले जाकर डी.पी. खड़ी कर दी और यह बताया गया कि यह गांव विद्युतीकृत हो गया है। मेरा वर्तमान व्यवस्था में यह आग्रह है कि कम से कम उस डी.पी. को गांव के मध्य में तो ले जाकर स्थापित करें ताकि गरीब आदिवासी कनेक्शन ले सकें।

आज अगर कोई आदिवासी कनेक्शन लेना चाहता है तो कम से कम 17 से 18 हजार की डिमाण्ड आती है। आदिवासी के घर के ऊपर सत्रह हजार केलुड़े भी नहीं मिलते हैं तो वह पैसे कहां से लाकर जमा करायेगा। दूसरा, हमारे साथी जुबेर खान जी ने कहा कि पिछले वर्षों में 1986–87 में मेरे विधान सभा क्षेत्र में पच्चीस गांवों में बिजली के खम्भे गाड़ दिये, परन्तु आज तक वहां बिजली की लाइन नहीं खींची गयी। वह खम्भे किस खुशी में गाड़े गये थे। क्योंकि चुनाव में वोट लेने थे और भोले भाले गरीब आदिवासियों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस शासन ने खम्भे गाड़ दिये और आज भी वह गांव अंधकार में हैं। यह स्थिति उस समय की रही है।

दूसरा, आदिवासी क्षेत्र में विद्युतीकरण की जो नीति है, वैसे आप और हम सभी जानते हैं कि आदिवासी बिलकुल पिछड़ी हुई आबादी में रहते हैं। तीन कनेक्शन पर एक पोल का प्रोवीजन है जैसा मेरी जानकारी में है। तो एक गांव और एक घर इस टेकरी पर और दूसरा दूसरी टेकरी पर, तो क्या आदिवासी इस तरह के कनेक्शन ले सकता है?

(श्री महावीर भगोरा)

एक निवेदन मेरा यह है कि वहां जो कुओं पर बिजली कनेक्शन का सवाल है हमारे क्षेत्र में अभी जो वर्तमान ग्रिड स्टेशन हैं उनमें सेच्युरिटी पाइंट आ गया है और कोटड़ा और गोगुन्दा में, गोगरूद और कमोल में ग्रिड स्टेशन स्वीकृत जो हुए हैं उसको भी पांच वर्ष हो गये हैं पर आज तक बजट प्रावधान नहीं होने से वहां नये स्थापित नहीं हो पा रहे हैं और फर्दर कनेक्शंस की बात है वह नहीं हो पा रही है।

एक निवेदन मैं करना चाहता हूं कि किस तरह से विद्युत विभाग की इस क्षेत्र की उपेक्षा है कि वहां हजारों खम्भे वर्षों से पड़े-पड़े टूट-फूट रहे हैं और हमारे विभाग को आगाह करने के बावजूद भी, सूचना देने के बावजूद भी वह खम्भे आज तक इकट्ठे नहीं किये गये हैं। गरीब किसानों को एक पोल कनेक्शन के माध्यम से देना है तो सात आठ हजार रुपये के बीच में विद्युत विभाग चार्ज करता है। मेरा विभाग के अधिकारियों से, माननीय विद्युत मंत्री जी से आग्रह है कि कम से कम उदयपुर डिवीजन में ऐसे हजारों खम्भे बेकार पड़े हुए हैं और जिनकी टूट-फूट हो रही है, इनको कहीं इकट्ठे तो करवा लें ताकि भविष्य में कभी आप उस क्षेत्र में कनेक्शन करना चाहें तो उन खम्भों का उपयोग हो सके।

अभी हमारे माननीय लक्ष्मणसिंह जी ने एक बात कही थी सौर ऊर्जा की। कोटड़ा में सौर ऊर्जा की बात है, वास्तव में आपने किससे इन्फोर्मेशन ली मुझे मालूम नहीं है, परन्तु मेरे वहां 22 गांवों में सौर ऊर्जा से विद्युत कनेक्शन हो चुका है और मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप पधारें और उसका अवलोकन करें।

विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे हो इसके लिए यह आवश्यक है कि विद्युत विभाग में जो सृजित पद हैं विशेष रूप से जे.ईएन. के, इवन मैं कहता हूं लाइनमैन के भी पद, मेरे क्षेत्र में लाइनमैन के 80 पद स्वीकृत हैं जिसमें सिर्फ 16 लाइनमैन काम कर रहे हैं तो कैसी आपकी व्यवस्था हो सकती है यह आप अन्दाजा लगा सकते हैं।

इसी तरह से मेरे क्षेत्र में कोटड़ा पंचायत समिति आती है उसमें 304 गांव है इसमें मात्र 57 गांवों में विद्युतीकरण है। बिजली सप्लाई होती है सरूपगंज सिरोही से, वहां विभाग का कोई अधिकारी नहीं है। न कोटड़ा मुख्यालय पर हैं और न सरूपगंज में है तो इसकी देख-रेख कौन करेगा? और देख-रेख नहीं करने से पंचायत समिति मुख्यालय पर, अध्यक्ष महोदय, 15–15 दिन तक....

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु जी मोदी।

श्री महावीर भगोरा : बिजली सप्लाई नहीं होती है तो मेरा यह आग्रह है कि कम से कम विभाग इस ओर ध्यान देवे और जितने पद स्वीकृत हैं उनकी पूर्ति करे। समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी है।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास जो लिस्ट दी हुई है उसी के अनुसार बोल रहा हूं मैं। आप बिराजिये, मैं अभी जल्दी-जल्दी करवा रहा हूं। इसीलिये करवा रहा हूं। बिराजिये।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : (व्यवधान) +++ किसान की बात मैं कहूंगा....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : +++

श्री अध्यक्ष : आप ही का नाम आने वाला है।.... (व्यवधान)... रामस्वरूप जी आप ज्यादा समय जाया नहीं करें। श्री मोदीजी। कृपया छह मिनट में बात समाप्त करें। आप तो विद्वान हैं गागर में सागर भरेंगे ओर अमूल्य सुझाव देंगे। फरमायें।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल से जब से मुझे सदन में आने का मौका मिला ऐसा कोई सैशन नहीं गया जिसमें बिजली पर चर्चा नहीं हुई हो। और चर्चा में बहुत सुझाव भी आये, लोगों ने जो समस्याएं हैं उनका जिक्र भी किया। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि पिछले दो साल में जितना +++ इस विद्युत विभाग का हो गया उसका तो अन्त ही नजर नहीं आता कि कहां जाकर यह अन्त होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली की बात है। एक तरफ हम जनरेशन की बात करते हैं मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि कब जनरेशन हुआ, किस पार्टी को क्रेडिट मिलता है। यह तो एक बात साफ है कि कब-कब राजस्थान में बिजली का जनरेशन हुआ और कौनसी पार्टी उस वक्त सरकार में थी। लेकिन पिछले दो साल से हम इस सदन में आये हैं तब से यह सुनने को आया कि अब प्राइवेट पार्टीसिपेशन हो रहा हैं और राजस्थान के अन्दर 4,300 मेगावाट बिजली आएगी। उसमें 15 हजार से 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बरसिंगसर ताप विद्युत गृह, सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह, डीजल आधारित ताप विद्युत गृह, कपूरड़ी ताप विद्युत गृह, जालीपा ताप विद्युत गृह, धौलपुर ताप विद्युत गृह, चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत गृह, यह कुछ योजनाएं हैं जिनके लिये सरकार कहती है कि इनसे बिजली आएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इनमें बरसिंगसर तो एडवांस स्टेज है लेकिन वह बरसिंगसर भी लोकसभा के चुनाव के पहले यह सरकार उस पर कुछ नहीं करने वाली। आज स्थिति यह है कि पिछले साल रबी की फसल में किसानों को बिजली इसलिए मिल गयी कि पंजाब से राजस्थान को बिजली मिल गयी थी। इस बार पंजाब बिजली देने वाला है नहीं। पिछली बार सरकार की घोषणा होने के बाद में कि आठ घंटे किसान को बिजली देंगे, वह आठ घंटे बिजली इस रबी की फसल के अन्दर नहीं दे पाये। इस साल ये कितनी ही घोषणाएं कर दें आप इस रबी की फसल के अन्दर दो-ढाई घंटे ज्यादा बिजली, यह बिजली बोर्ड और यह सरकार देने की स्थिति में नहीं है। यह जिन योजनाओं की बात करती है, उन योजनाओं में बरसिंगसर जो ये कहते हैं कि हमारा ग्रीन फील्ड एरिया है, हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपेरेंसी की बात करें, चाहे ग्लोबल टेंडर की बात करें, चाहे वाह-वाही लूटने की बात करें कि भारत सरकार ने हमारी प्रशंसा की है लेकिन जो कोलमैन

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री विष्णु मोदी)

एसोसिएट्स ने 1991 में जो बिजली की दर दी थी क्या आपकी इनएफीशिएंसी के कारण, क्या आपके निर्णय न लेने की क्षमता के कारण, माननीय मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि राजस्थान के उपभोक्ता को कम पैसे से बिजली का भुगतान करना पड़े, तो मैं यह पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 1991 में कोलमैन का जो आफर मिला था ...

श्री परसराम मदेरणा : यह कोलमैन क्या है ?

श्री विष्णु मोदी : आस्ट्रेलिया की कोलमैन एण्ड कम्पनी थी, जो वनखड़ साहब अभी जिक्र कर रहे थे । उन्होंने जिस रेट में बिजली आफर की और अभी जो ग्लोबल टेंडर हुए उसमें भी उस आस्ट्रेलियन कम्पनी ने यह रीइट्रेट किया कि मैं 1991 में जिस रेट पर बिजली उत्पादन करना चाहता था, देना चाहता था उसी रेट पर मैं उत्पादन करूंगा । लेकिन इन्होंने जो अपना एक तंत्र बनाया है, जिस सिस्टम ट्रांसपेरेंसी की ये बात करते हैं उसने इसको शार्ट लिस्ट में बाहर कर दिया । आप शार्ट लिस्ट में बाहर करें क्योंकि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो इसमें माहिर है कि किसको शार्ट लिस्ट करना, किसको निकालना और फिर किसको टेंडर अलाउ करना है । उसमें तो एक रिकार्ड है कि जो टैक्नीकल फ्लो में निकल गया, जो टैक्नीकली फिट नहीं है उसको भी वर्क अलाउ हुए हैं । आप कोलमैन को निकालें या रखें लेकिन राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करें कि आप अपने आप की वाहवाही लूटने में ऐसा कोई सौदा करने जायं जिससे कि महंगी बिजली राजस्थान के उपभोक्ताओं को मिले ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक आर.एस.ई.बी. का सवाल है, मैं तो समझता नहीं कि किस तरह की यह सरकार है कि उसका एक चेयरमैन पिछले चालीस साल की सरकारों की गारण्टी वो कर दे कि यह सरकार समझती नहीं है, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कोई ध्यान ही नहीं देता है । रोज नयी-नयी कहानियां आती हैं– "राजस्थान बिजली बोर्ड को रोज ढाई करोड़ का घाटा – भण्डारी" । राजस्थान बिजली बोर्ड में यह घाटा क्या पिछले डेढ़ साल में हो गया ? जब से राजस्थान बना है तब से बिजली बोर्ड बना है, जब से बिजली भी मिलती थी, इतने सारे किसानों को कनेक्शन भी मिले । पिछले दो साल में जितनी गिरावट इस आर.एस.ई.बी. में आयी है, मैं समझता हूं गिरावट तो सभी विभागों में आयी है लेकिन सबसे ज्यादा अगर गिरावट आयी है तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के काम में आयी है । इन्हीं की किताब से मैं कहूं, इन्होंने टार्गेट रखे । बिजली की अगर आप बात करते हैं तो बिजली के उत्पादन की भी आपको बात करनी पड़ेगी, बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करनी पड़ेगी, इसमें लाइन लोसेज की भी बात करनी पड़ेगी, थैफ्ट की भी बात करनी पड़ेगी, ओवरआल सिनेरियो को देखकर काम करना पड़ेगा । इन्होंने इस साल के टार्गेट बनाये – 220 के.वी. लाइन 300 किलोमीटर डालेंगे, 151 किलोमीटर डाली । 132 के.वी. लाइन 402 किलोमीटर डालेंगे, 146 डाली । 220 के.वी. सब स्टेशन नये विस्तार होंगे 300, 150

(१८८)

(श्री विष्णु मोदी)

कर पाये। 132 के.वी. सब स्टेशन 450, 255 कर पाये। कैपेसीटर्स एम बी.ए. 150, उसमें 20 कर पाये। 1.3 के.वी.ए. लाइन 1250 किलोमीटर, उसमें 185 किलोमीटर कर पाये। 11 के.वी ए. लाइन 250 78 कर पाये। 750 गांवों का विद्युतीकरण करेंगे 316 कर पाये। 25,000 कुएं करेंगे उसमें 9356 कर पाये और उसके अन्दर भी, माननीय मुख्य मंत्री जी, अगर आपमें पोलिटिकल विल हैं अगर आप चाहे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सिर्फ एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से चलाना चाहते हैं या आपके सोशल या पोलिटिकल कमिटमेंट्स हैं उसके हिसाब से चलाना चाहते हैं। आप जब प्रतिपक्ष में रहे, जब झुन्झुनूं में आपने प्रदर्शन किया उसमें एक आदमी की मौत हो गई उस वक्त जो आपने बयान दिये क्या आप अपने उन कमिटमेंट्स पर कायम हैं या आप आज यह देखना चाहते हैं कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में घाटा कैसे कम हो ? आप 50 पैसे की रेट नहीं बढ़ाते, दूसरी तरफ आपने नर्सरी कनेक्शन के नाम पर आपने बैक डोर एण्ट्री कर दी। आज आपको फैसला करना होगा कि जो 40 साल से प्रतीक्षा में है, जो लाइन में खड़ा है यह लाइन तोड़ने के बाद में यह आप नये-नये कायदे-कानून लेकर आये हैं। आप कम से कम राजस्थान के साथ खिलवाड़ नहीं करें। राजस्थान के अन्दर किसान बड़ी मेहनत करके....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुबह से इन्तजार कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य कर रहे हैं सुबह से। मैं तो 9 बजे ही आ गया हूं, आप तो 11 बजे आये हैं।

श्री विष्णु मोदी : यह तो स्थिति है कि आप रेट बढ़ाते नहीं, रेट नहीं बढ़ाना आपका कमिटमेंट है आप बढ़ाएंगे भी नहीं। रेट बढ़ायेंगे तो आपको मालूम है कि आपकी पोलिटिकली क्या हैसियत होने वाली है। वैसे भण्डारीजी को जितने दिन आप रखोगे कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो आप रखना तो उससे बड़ा राजस्थान में....

18.00

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप 9 बजे क्यों पधारते हैं ? उसी का परिणाम यह होता है कि जब कभी हाउस में उत्तेजना होती है तो 11 बजे तक आप थक जाते हैं इसलिए बिजनस को जल्दी-जल्दी निकालने में रहते हैं। इसलिए आप थोड़ा-सा टाइमली, आधा घंटा पहले पधारिये।

श्री अध्यक्ष : मै आपका पौन घंटे तक इंतजार करता रहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जैसे आप आते हैं उस तरह से आएंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपके गेट तक आया था....

श्री अध्यक्ष : मुझे यह बताया गया था कि मीटिंग में व्यस्त हैं, नहीं पधार रहे हैं। सी.एम. साहब भी नहीं पधारे और आप भी नहीं पधारे।

श्री परसराम मदेरणा : मेघवालजी जो बिजनस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं उनसे मैंने पूछा कि बिजनस एडवाइजरी

(श्री परसराम मदेरणा)

कमेटी की मीटिंग ओवर हो गयी या चल रही है तो उन्होंने कहा कि बिलकुल ओवर हो गयी है।

श्री अध्यक्ष : पूरे 45 मिनट तक....

श्री महावीर प्रसाद जैन : चार बजे की बात है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हमें विद्युत की समस्या का निराकरण करना है तो हमें दो तरह की पालिसी बनानी पड़ेगी। एक शार्ट टर्म पालिसी और एक लोंग टर्म पालिसी। लोंग टर्म पालिसी का हिमाचल प्रदेश में पार्वती का प्रोजेक्ट है जो अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है। हमें लोंग टर्म स्ट्रेटेजी में प्लान करना पड़ेगा कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम हो और इनकी बिजली जल्दी से जल्दी राजस्थान को मिले। शार्ट टर्म में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लाइन लोसेज को जितना कम कर लेगा उतनी बिजली हमको तुरन्त मिलेगी लेकिन लाइन लोसेज के बारे में कहते हैं कि हमने एनर्जी आडिट शुरू किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि चाहे माननीय ललित किशोर जी जवाब दें या माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब दें कि क्या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आज यह बताने की स्थिति में है कि किस जिले में कितनी बिजली दी और उससे इतना बिजली का पैसा आया। अगर जिले का नहीं तो एक सर्कल आफिस और सर्किल आफिस भी नहीं तो कोई एक ए.ईएन. आफिस या उसमें भी नहीं है तो एक सब स्टेशन का एनर्जी आडिट बता दें कि यह एनर्जी आडिट हमारे पिछले 12 महीने का है।....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री विष्णु मोदी : आडिट नहीं है, यह जानकारी नहीं है कि कितनी बिजली कहां दी जा रही है और बिजली का कितना लाइन लोसेज और चोरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो +++ फरमान है, नयी-नयी स्कीमें हैं उसमें टैक्नीकली इवेल्यूएशन देखा कि नहीं देखा लेकिन कनेक्शन दे देते हैं तो उससे लाइन लोसेज बढ़ता है।....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री विष्णु मोदी : एक नयी कहानी और शुरू हुई है कि हम 33 के.वी. लाइन बढ़ाएंगे, एक पोल, दो पोल और एल.टी. लेस सिस्टम करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह टैक्नीकल बातें हैं, यह सिर्फ हवा में नहीं है। लाइन लोसेज एक नेशनल सब्जेक्ट है। राजस्थान में बिजली की कमी है लाइन लोसेज हो और उसमें एक पोल, दो पोल, एल.टी. लेस सिस्टम, एल.टी. लेस सिस्टम में कह रहे हैं कि साहब हम वहां से बड़ी लाइन लाएंगे फिर उससे उसमें जाएंगे उससे लाइन लोसेज कम होंगे। आपने क्या कोई टैक्नीकली इवेल्यूएशन कराया है? क्या आपने यह देखा है कि इसमें कहां लोसेज है? 11 के.वी. लाइन बढ़ाने से कितना खर्चा आयेगा,

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री विष्णु मोदी)

उसका कितना लोस होगा, जो ट्रांसफार्मर लगाएंगे उससे कितना लोस होगा ?....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री विष्णु मोदी : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर लाइन लोसेज कम करना चाहते हैं तो बेस कंडक्टर केबल सिस्टम जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक आपका लाइन लोसेज कम नहीं होगा और आप फैसला चाहे आज करें या दो साल बाद में करें आपको यह फैसला करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक करप्शन की स्थिति है, आज कनेक्शन चाहे डोमेस्टिक हो एग्रीकल्चर हो या इण्डस्ट्रीयल हो, बिजली विभाग का जो मीटर विभाग है उसके अन्दर तो इतना भारी करप्शन है कि पैसे जमा हो गये, सारा काम हो गया लेकिन मीटर विभाग वाले जब तक मीटर नहीं देंगे तब तक कनेक्शन नहीं होगा। भण्डारी साहब ने एक नया काम और कर दिया।....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री विष्णु मोदी : दो मिनट का समय लूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब तीन मिनट वैसे ही ज्यादा हो गये।

श्री विष्णु मोदी : अब इंडस्ट्रीज के लिये लोग कहते हैं कि फौरन कनेक्शन हो जाता है ! मैं एक साइटेशन कर रहा हूं कि अब एक नया सिस्टम निकाला है उधर तो एग्रीकल्चर में नर्सरी निकाला है, इंडस्ट्री में क्या निकाला है कि आपको मण्डल के आदेश संख्या 1665 दिनांक 27-6-1995 के तहत राशि जमा करानी है। उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मण्डल के उपरोक्त आदेश संख्या के तहत 500 रुपया प्रति किलोवाट जो सिक्योरिटी चार्जेज है, कनेक्शन चार्जेज है, लाइन चार्जेज है, पोल चार्जेज है, और इसके अलावा आप राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को 500 रुपया प्रति किलोवाट इंटरेस्टलैस पैसा देंगे कि वगैर इंटरेस्ट के पैसा दीजिये जिसको आगे जाकर एडजस्ट कर लेंगे। उसके खिलाफ स्टार लाइट एक फैक्ट्री है वह कोर्ट से स्टे ले आयी। आर. एस.ई.बी. ने पैसे मांगें लेकिन कोई कानून में नहीं है, किसी कायदे में नहीं है उसके बावजूद चूंकि यह +++ फरमान है, फैसला है कि आप 500 रुपया और दीजिये और वगैर इंटरेस्ट दीजिये तो पार्टी ने जाकर कोर्ट से स्टे ले लिया। कोर्ट से स्टे लेने के बाद में भी आज तक 500 रुपया प्रति किलोवाट इंटरेस्ट फ्री लोन टू दी आर.एस.ई.बी., आज तक उसका कनेक्शन नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि स्टे तो ले लिया पर कनेक्शन तो हम देंगे।....

श्री अध्यक्ष : अब माननीय समाप्त करें। अब बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री विष्णु मोदी)

चाहता हूं कोटा की यूनिट से आप जल्दी से जल्दी बिजली ला सकते हैं जो कि राजस्थान को तीन साल में मिल जाएगी। सूरतगढ़ के अन्दर पहली यूनिट, दूसरी यूनिट का हश्र है कि जून, 1996 से पहले नहीं आने वाली है और उसको भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही है, सैकण्ड यूनिट के लिए तो टेंडर भी मांग लिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट सैक्टर की बात तो आप कर रहे हैं, मैं भी हामी हूं लेकिन आपको एक बैलेंस रखना होगा। अगर आज आपके पास खुद का जनरेशन नहीं होगा, तो अगर पीक लोड है या रबी की फसल का लोड है तो वह उसको बंद नहीं करेंगे। अगर उसको मेनटेन करना है तो वह आपको नहीं देखेगा, रबी की फसल है तो वह अपने हिसाब से ही बंद करेगा। आप कम से कम कोटा की और सूरतगढ़ की दूसरी यूनिट का फैसला करके....

श्री अध्यक्ष : बहुत हो गया। अब बिराजें। श्री वी. पी. सिंहजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक्सपर्ट ओपिनियन सुन लें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, बिजली के वाद-विवाद पर सभी माननीय सदस्यों ने समस्या बतायी और चिन्ता जतायी। बहुत से माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि नर्सरी योजना में और सामान्य योजना में भी हमें कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। आप लोग भी जानते हैं कि बिजली की कमी है। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आठ घंटे बिजली नहीं मिलती है तो नये-नये कनेक्शन दे करके आठ घंटे से चार घंटे और चार घंटे से कम करके दो घंटे देना चाहते हैं, तो समस्या तो है।

मैं ज्यादा फिगर्स में नहीं जाकर जैसा कि आप लोगों ने कहा और मैं भी मानता हूं, भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 40 पर्सेण्ट कमी है और आगे कमी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जनरेशन अभी तक नहीं हो पाया है। किसकी गलती रही उस पर मैं नहीं जाना चाहता, चाहे हमारी सरकार की तरफ से या आपकी सरकार की तरफ से गलती रही, पर एक प्लानिंग के अन्दर गलती रही है। जब मैं बोल रहा था तब प्रतिपक्ष के नेता ने बहुत सही बात कही कि आज इस क्षेत्र के अन्दर इतना नया रिनोवेशन हो रहा है, सभी क्षेत्रों के अन्दर हो रहा है बिजली पर भी हो रहा है तो उसका हमें क्या लाभ मिलना चाहिये या लेना चाहिये। साथ ही चौमूं से आने वाले सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही जिसकी काट बहुत सारे सदस्यों ने की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये। यह सही बात है आज जो अन टेप्पड केपॅसिटी है और बिजली किस-किस से उत्पन्न होती है, आप देखेंगे कि हाइडल सबसे सस्ती बिजली है और आज सबने कहा है कि 85000 मेगावाट की अनटेप्पड केपॅसिटी है, हिमाचल है या कहीं पर भी है, अपने यहां तो पानी है नहीं पर राष्ट्रीय नीति हो, जैसे आप कोल की बात कर लें। कोल राजस्थान में नहीं है, हरियाणा में नहीं है तो बिहार और उड़ीसा से आता है, हम लोग उत्पादन के काम में लेते हैं

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

या नहीं। ऐसे ही हाइडल, अगर दूसरे में ज्यादा अनटेप्पड पानी जा रहा है, बह रहा है उस पर अगर हम लोग हाइडल लगा दें तो सबसे सस्ती बिजली मिल जाएगी।

दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो शोर्ट टर्म और लोंग टर्म की बात रखी। राजस्थान के अंदर दो साल से मैं भी बोल रहा हूं, अन्य सदस्य भी बोल रहे हैं कि हमारे पास पोल तो नहीं है पर लिग्नाइट के ब्राउन पोल है और लिग्नाइट पर हम लोगों ने काफी चर्चा की है। सही तो यह है कि हमारे घर की खेती है। वहां हमें यह फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि स्ट्राइक हो रही है, बिहार में, उड़ीसा मे, आन्ध्रा में और यहां-वहां, और कोल नहीं आयेगा तो क्या होगा? हमने इतने साल तक बिजली का उत्पादन क्यों नहीं किया? अब हम आगे, बहुत आगे बढ़ गये हैं। एक महीने के अंदर ही फाइनल डीड हो जाएगा। पर फिर भी समय लगेगा, 5–6 साल तो जस्टेशन होता ही है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कब आ रही है फाइनल डीड ...

श्री परसराम मदेरणा : आपने जो पन बिजली, अलग-अलग रा इनपुट्स और दूसरी बातें कहीं, लेकिन आपने विंड और अन्य के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं आ रहा हूं, नोन कंवेंशनल और इनोवेशन पर आ रहा हूं। प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही, बहुत सही कही। अभी तक यह थिंकिंग थी कि जब भी आप इस समस्या से डाइवर्ट करना चाहते हो....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नेता महोदय, यह विंड की बात हुई, बादल वाली बिजली को भी ला सकते हैं क्या?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं आ रहा हूं, इनोवेशन की बात आयी....

श्री परसराम मदेरणा : बादल की क्या?....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बादल से बिजली ले रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अभी तक तो ऐसी टैक्नोलॉजी का ज्ञान मुझे कम है, क्योंकि अमेरिका में सोलर टैक्नोलॉजी डवलप हुई है। अमेरिका में कौनसी टैक्नोलॉजी आ रही है, वी.पी. सिंह साहब से ज्यादा ज्ञानी आदमी इस सदन में नहीं है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हैं?

श्री परसराम मदेरणा : कौन हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप बादल में यह करना चाहते हैं, (व्यवधान) ...वह बिजली तो नहीं लेकिन जब बादल हटेंगे तब बिजली आपको मिलेगी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं निवेदन कर रहा हूं कि बादल पर तो मुझे पता नहीं पर यह सही है कि समुद्र से हाई टाइड और लो टाइड से बिजली पैदा हो रही है। अपने यहां तो नहीं होती, आप कह देंगे कि राजस्थान में समुद्र कहां से आया? पर जैसे नेशनल बात हो गयी है, गुजरात के अन्दर, उड़ीसा में है, हाई टाइड और लो

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

टाइड से बिजली पैदा हो रही है तो यह भी बादल से ज्यादा बढ़कर बात है।

अब मैं आपसे सोलर एनर्जी पर निवेदन करना चाहता हूं। नोन कंवेंशनल की बात जब आती थी तो लोग कहते थे कि यह नोन कंवेंशनल की बात इस लिए कर रहे हैं कि जो समस्या है उससे अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं अभी तक तो यह थिंकिंग थी पर अब लोग सोचने लगे हैं कि कोयला भी सीमित है, डीजल भी सीमित है और कब तक डीजल और कोल से हाइडल बनाते रहेंगे। इसलिए अब सोलर के अंदर उन्होंने नयी टैक्नोलॉजी शुरू की है। यह सही बात है कि उनके पास, एनर्जेट के पास कोई एक्सपियरेंस नहीं है और उनका जो एक्सपियरेंस था वह छोटे रूप में, 65 किलोवाट तक ही था वह भी स्पेन का था। उनको इंट्रेस्ट ही नहीं था क्योंकि वहां जितने भी यूरोपियन कन्ट्रीज हैं वहां बिजली एक्सेस है, हमारे जैसी वहां समस्या नहीं है, वहां तो पावर प्लांट बंद हो रहे हैं। जब से रशिया टूटा है वहां पर बहुत से पावर प्लांट हैं जो बंद पड़े हैं, वह उनको चालू नहीं कर रहा है। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि जस्टेशन पीरियड कम करने के लिये, सस्ती बिजली के लिये आप लिग्नाइट पर सैकण्ड हैण्ड पावर प्लांट जो पड़े हुए हैं, वह 1/10 प्राइस पर आपको मिल जाएंगे बस वहां से लाकर यहां पर स्थापित करना है। अब आप यह कह दें कि पावर फैक्टर और लोड पूरा नहीं मिलेगा, वह अपनी समस्या नहीं है, हम तो उनसे कह देंगे कि साहब 10 या 12 साल तक हम आपसे दो रुपये या ढाई रुपये या डेढ़ रुपये, जितने में भी हम बिजली खरीदेंगे, बिजली अगर वह लगा नहीं पाये, लोड फैक्टर नहीं मिला तो यह उनकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। यह की यह समस्या एनरान के साथ हुई। हिन्दुस्तान के अन्दर एनरान पर बात हुई, महाराष्ट्र सरकार जाते हुए, वह जानते थे कि हम पीछे नहीं आने वाले हैं, उन्होंने दो रुपये सैंतालीस पैसे, वह भी डालर के अंदर पेमेंट के साथ और वह भी ऐसा उन्होंने कहा कि 68 प्रतिशत तक उनको प्रोफिट होने वाला था पर एनरान वह सौदा करके भाग गये। इसलिए यह मेसेज दुनिया के लोगों को हम लोगों ने दिया है कि आप यह नहीं समझे कि हमें बिजली की जरूरत है तो किसी भी कीमत पर, कहीं पर भी हम लगा देंगे। अब वही पीछे आने के लिये तैयार हैं। तो एनरान को निगोशियेट करके, अगर वह हमें अच्छे टर्म देता है, उन्होंने कांग्रेस को खराब टर्म दिये और हमें अच्छे टर्म दिये तो हमें क्या दिक्कत है ?

मैं अब एक ही बात और निवेदन करूंगा कि जो शोर्ट टर्म की बात है, एक तो मैंने जैसे बताया कि एक मीटिंग थी और उसके अंदर मुझे कहा कि सैकण्ड हैण्ड सैट का भी हमने आपके लिख दिया है, तो वह तो डीजल जनरेटिंग में लिखा है, डीजल जनरेटिंग में कोई सैकण्ड हैण्ड नहीं लगाएगा। उसमें लिखना ही गलत था।

मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो पावर प्लांट बंद पड़े हैं, मेरे पास यहां पर कोटेशन हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसको सदन की मेज पर रखें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अगर कोई मांगे तो ... मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डीजल जनरेटिंग सेट जो आप लगाने के लिये जा रहे हैं, आप तो खाली छूट दे दो, हमने जो सीलिंग लगा दी है, दो रुपये बीस पैसे या पन्द्रह पैसे लेकिन उससे नीचे कोई भी अपने को टर्म्स दे, हण्डरेड मेगावाट लगाना चाहे, 20 मेगावाट लगाना चाहे, 25 मेगावाट लगाना चाहे, उससे काम होना चाहिये। आपकी एक समस्या तो हल, क्योंकि यह 15 महीने के अन्दर लगा सकते हैं, बड़ी समस्या नहीं है। एन्वायरनमेंट के बारे में भी उन्होंने एम.ओ.ई.एफ. में लिख दिया है कि 25 मेगावाट का होगा तो हम क्लियरेंसेज बहुत जल्दी दे देंगे, एक तो यह करना चाहिये, हमने जो किया भी है....

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इसकी खाली छूट दे दें कि चाहे जितने लगाना चाहे जल्दी से जल्दी लगायें। मैंने दूसरी बात कही कि फोरेन कंट्रीज के अन्दर जितने भी पावर प्लांट्स बन्द पड़े हैं उनको अगर आमंत्रित करें और वह लगाना चाहें और आप कह दें कि इस पैसे से हम (व्यवधान).. एक मिनट और चाहूंगा, एक बात और मैं कहूंगा।

बोर्ड की एक ही बात की तारीफ करना चाहता हूं कि सप्लायर आज आर.एस.ई.बी. को सप्लाई करने को तैयार हो गये, दो साल पहले तैयार नहीं थे, सप्लाई नहीं करते थे, क्योंकि पैसा नहीं मिलता था। अब एक दो साल से, जब से यह नर्सरी और दूसरी स्कीम्स आयी हैं, सप्लायर्स की लाइनें लगी हुई हैं और आर.एस.ई.बी. को सप्लाई करने को तैयार हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री रामेश्वर-लालजी।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां) : अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि प्रदेश के अन्दर बिजली की कमी है। बिजली के ईंधन का किसानों से इतना रिश्ता है कि इसके अभाव में उसकी रोजी-रोटी खतम हो जाती है। अगर बिजली समय पर और सही आती है तो वह आराम से रह सकता है।

सरकार किसी की हो, चाहे कांग्रेस की हो या बी.जे.पी. की हो, कांग्रेस ने क्या किया, बी.जे.पी. ने क्या नहीं किया, ये सब बातें गौण हैं। मैं तो किसान होने के नाते हमारे सदन के नेता से यह पूछना चाहता हूं कि इस साल कितने घंटे प्रोपर आप किसानों को बिजली देंगे ? दूसरी बात यह कि आपने पिछले साल एम्फोर्ट के अन्दर किसानों की लुटायी की थी, करोड़ों रुपये लूटे थे। इस साल नर्सरी योजना में करोड़ों रुपये लिये हैं तो उन्हें कनेक्शन फसल के टाइम, 15 नवम्बर तक का सही टाइम है, कनेक्शन दे दें, उसके बाद में तो आप चाहे जनवरी में दो या फरवरी में, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आपने नर्सरी योजना में 50-50 हजार रुपये, 70-70 हजार रुपये लेकर जमा किये हैं उन्हें आप कनेक्शन इस 15 नवम्बर के पहले-पहले दे सकते हो या नहीं ? मेरे यहां करीब 450 एप्लीकेशंस हैं जिनमें से 250 ट्रांसफार्मर्स लगाने की हैं। पहले जब किसानों ने डिमांड की तो आपने कह दिया कि बी.आर. नहीं बनते इसलिए

(श्री रामेश्वर लाल चौधरी)

इनको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पैसे दे दिये और बी.आर. कैसे बन गये? बिना बी.आर. बने वह कुआ कैसे चलाएगा? इसी तरह से अगर किसानों को लूटना चाहते हो तो सड़क पर बैठकर भी लूट सकते हो, कोई खास बात नहीं है। आपने पहले यह आदेश कर दिया कि इनको कनेक्शन नहीं दिये जायं और अब आपने यह कह दिया कि इस नर्सरी योजना में बी.आर. की कोई आवश्यकता नहीं है। किसानों को तो आपने लूट लिया। यह बात आपने की है। माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके मार्फत मुख्य मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि पहले तो यह एश्योरेंस सदन के अन्दर दें कि इस साल इतने घंटे किसान को बिजली मिलेगी, और यह जो नर्सरी योजना की बात की गयी है उसको कब तक बिजली के कनेक्शन दे देंगे ताकि किसान ने, जिसने गहना रखा है, किसी ने लड़की का गहना रखा है, किसी ने औरत का गहना रखा और तब जाकर के उसने पैसे जमा कराये हैं, उसको कब तक आप बिजली के कनेक्शन देने की बात कहोगे।

दूसरी बात जले हुए ट्रांसफार्मर की बात भी आप कहते हैं। मंत्रीजी ने भाषण दे दिया कि 10 दिन के अन्दर बदल देंगे। पिछली साल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भाषण दिया कि 7 दिन के अन्दर-अन्दर ट्रांसफार्मर बदल दिया जायेगा। मैं आपको एक्चुअल बात बता रहा हूं कि मेरे यहां सौलाई के अन्दर एक महीने सात दिन से ट्रांसफार्मर बदला गया है। मैंने कहा कि 7 दिन के लिये तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा था तो एक महीना भूल गये होंगे या लिखने में भूल गये होंगे, स्लिप हो गया होगा। इसलिए एक महीना 7 दिन के अन्दर ट्रांसफार्मर बदला है। अब आप ही बता दें, आप ही फैसला कर दें, आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप विद्वान आदमी हैं कि उस किसान की खेती होगी या नहीं होगी। इसी तरह से मेरे मिंडा और देवली हैं। मिंडा के अन्दर 33 के.वी. का स्टेशन है। पिछली साल देवली और मिंडा दोनों गांवों के किसानों में आपस में लड़ाई हुई। तो एक 1/5 का ट्रांसफार्मर 1/6 का ट्रांसफार्मर मैं ले गया, वह जल गया। जुलाई में वह जला है और जुलाई से लेकर आज नवम्बर का महीना आ गया है, कल लग जाएगा, कल लग जाएगा लेकिन आज तीन-चार महीने हो गये और 4 महीने में उस ट्रांसफार्मर का कोई अता-पता नहीं है। रिपेयर हो रही है या नहीं हो रही है, फसल का सीजन है। किसान वहां का वहां लड़ाई लड़ेगा और दूसरा ट्रांसफार्मर फिर जलेगा। फिर वह बात हो जायेगी। इसलिए मेहरबानी करो, किसान के साथ में धोखा मत करो। किसान आपकी और देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान डूब जाएगा तो सरकार तो अपने आप ही डूब जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ किसान आपके पीछे लगे थे इसलिए आप उधर बैठे हैं और जिस दिन इधर आ जायेंगे उस दिन आपका कोई अता पता नहीं रहेगा।

आपने नर्सरी योजना चालू की। जिसका पैसा मिल गया उसको आपने इस योजना में कनेक्शन दिलवा दिया पर किसानों ने 5 हार्स पावर के लिये फार्म भरा और सन् 1982 से इंतजार कर रहे हैं, आज 13 साल हो गये, शर्म आनी चाहिये इस सरकार

(१९५)

(श्री रामेश्वर लाल चौधरी)

को, कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो। 13 साल के अन्दर उस किसान को अगर 5 हार्स पावर का कनेक्शन नहीं दे सकते तो फिर आप हमें क्या दोगे ? हम हमारे बच्चों को किस तरीके से पालेंगे ? यह तो आप बता दो। आप अपने हिसाब से, बिजली बोर्ड के हिसाब से यह तय करो कि इस साल तक की जो भी फाइल पैंडिंग है उनको हमने सबको एडजस्ट कर दिया है। 13-13 साल तक अगर 5 हार्स पावर के लिये किसान रोता फिरे, उसके बच्चों को नौकरी नहीं, उसके बच्चों को पढ़ाई नहीं, उसके बच्चों के लिये बिजली नहीं – फिर आप कह रहे हैं कि कल्याणकारी सरकार है हमारी। किसान का हित यह कर रहे हैं आप ? हरिजन और शिड्यूल्ड कास्ट की हम दुहाई देते हैं। ज्यादातर शिड्यूल्ड कास्ट कि भाई उधर बैठे हैं। मैं समझता हूं कि इस नर्सरी योजना के अन्दर एक परसेंट भी शिड्यूल्ड कास्ट ने और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के किसानों ने फार्म नहीं भरा होगा, क्योंकि उसके पास में पैसे ही नहीं हैं। यह तो आपने किसानों को लूटना चाहा है। लूट लिया। इसके लिये तो धन्यवाद, बहुत खुशी की बात है। कोई खास बात नहीं है।

आपके पास लाइन के हिसाब में एडजस्ट करने के लिये कोई ट्रांसफार्मर नहीं हैं। मेरे यहां पांचवा की लाइन है। दो साल से सैंक्शन है। हमने खम्भे इस बार मेहनत करके, सहयोग करके खड़े करवा दिये। तार नहीं हैं और आज फसल का टाइम है। वही की वही लड़ाई होगी। पिछली बार भी हमारे यहां गोलियां चली थीं और अब फिर वही की वही स्टेज आ गयी है। भांवता से इंडाली 120 खम्भे आज 5 साल से खड़े हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें भारतीय जनता पार्टी के राज में बिजली मिलेगी और हमारे वोल्टेज की प्राब्लम हल होगी। दो ट्रक तो मैं लड़कर लेकर आया था एस.ई. से कि भाई कुछ तो दो वरना ठीक नहीं रहेगा। विजिलेंट में मैंने एप्लाई की और आज तक खम्भे यों के यों नंगे के नंगे खड़े हैं। फसल का सीजन है। मेहरबानी करो और बता दो कि हम इस टाइम तक तारों को खम्भों पर लगा देंगे ताकि किसान की कुछ तो समस्या हल हो। आप न तो 33 के.वी. का स्टेशन बना सकते हैं, न इन तारों को खम्भों पर लगा सकते हैं। कुछ तो करो आप। किसान की यों ही असत्य दुहाई दे रहे हो, वाहवाही ले रहे हो कि यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। हमारे भंवरसिंह जी के यहां जरूर धन्यवाद जैसा काम किया है। 220 के.वी. का स्टेशन आप ले आये। मैं भी आपसे यह निवेदन करता हूं कि हमारे यहां माननीय शिवचरण जी आये थे चीफ मिनिस्टर के हिसाब से उस समय 33 के.वी. का स्टेशन मेरे कुचामन में था। मैंने कहा कि इस तरह से प्राब्लम है और इस जिले के अन्दर पोटेंशेलिटी है। मेहरबानी करो 132 के.वी. का स्टेशन बनवा दो। दवे साहब खतम हो गये, भगवान के घर चले गये। उन्होंने उसी वक्त आर्डर किया और 6 महीने के अन्दर 132 के.वी. का स्टेशन शुरू हो गया। सदन के नेता महोदय हमारे यहां दो-तीन दफा पधारे। खूब मोटर साइकिलों से आपका स्वागत किया। सारी बातें कीं। मैंने कहा कि + + + चीफ मिनिस्टर

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामेश्वर लाल चौधरी)

साहब आये हैं कुछ तो मांगो । इनकी याद तो रहेगी । 220 के.वी का स्टेशन तो लो। हमारे यहां राजपूतों की बस्ती है और पूरा का पूरा एरिया राजपूतों का है, वहां तो 132 के.वी. का स्टेशन तो लो । फिजिबल भी है । 25 मेगावाट का लोड है वहां पर । डिमाण्ड भी है आपके पास में । कुछ तो करो ताकि हम भी आपको याद करें । मेरे यहां नावां में अभी मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया कि 132 के.वी. का स्टेशन यहां-यहां बन रहे हैं । मेरे ख्याल से बोर्ड के ऐसे आदेश थे 132 के.वी. का स्टेशन कायम करने के। अब मंत्रीजी ने स्टेटमेंट में नहीं दिया । तो हो सकता है बोर्ड ने कैंसिल कर दिया हो। उस पर काम इतना ही करना है कि सिर्फ लाइन के पास में हमारा जो 132 के.वी. का स्टेशन बनाने का है उसका ट्रांसफार्मर फुलेरा के अन्दर उसी परपज के लिये पड़ा है । अगर वह ट्रांसफार्मर उठाकर गांव में लगा दिया जाता है तो सरकार को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, न लाइन लासेज होंगे और न कोई और बात बात होगी । किसानों को आराम से सारी बिजली मिलती रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : ....तो कई तरह की बातें हमारे यहां पर हैं। टोडास में स्टेशन मंजूर हुआ, शिव में है, मुहाना में पेंडिंग चल रहा है । अगर इन स्टेशनों को इस साल में फाइनेंशल संक्शन हो गयी है और शुरू नहीं किये हैं तो हमारे पल्ले तो वही की वही लड़ाई आएगी । मेहरबानी करो, आपके हम हाथ जोड़ते हैं । आपका राज है । आपकी वाहवाही होगी । लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको यह दिया, वह दिया । भैरोंसिहजी ने हमें बहुत खुश होकर यह दिया है । कुछ एक-दो घोषणा तो करो ताकि हमारे इलाके की समस्या हल हो ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी ।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी । राजस्थान के बगल वाले प्रदेश गुजरात के अन्दर भारतीय जनता पार्टी का शासन आया । शासन आते ही वहां के मुख्य मंत्रीजी ने जो छोटे घरों को कनेक्शन दे, उन घरों के कनेक्शन वालों के लिये सीधे 25 परसेंट की घोषणा कर दी और व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट करके, छाप करके, जो अपनी व्यक्तिगत चिट्ठी थी, जो मेरा वादा था वह पूरा कर दिया है । कर्नाटक में 5 हार्स पावर से 10 हार्स पावर तक के इरिगेशन के पम्पिंग स्टेशन के लिये पैसा नहीं लगता है, आंध्र प्रदेश में पैसा नहीं लगता है, तामिलनाडू में पैसा नहीं लगता है, मध्य प्रदेश में पैसा नहीं लगता है। लेकिन अचम्भे की बात यह है कि राजस्थान जो सबसे पिछड़ा इलाका है उसमें आज बिजली के लिये किसानों के ऊपर ही विशेष तौर से जुल्म क्यों है ? जब कि यह किसानों की हितैषी सरकार है । भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि....

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : कर्नाटका में, एक दिन में बिजली कितनी बार जाती है ?

श्री भीमराज भाटी : उसकी वजह है। आप अभी नये-नये आये हैं। वहां हाइडल बेस जो पावर स्टेशन हैं वहां बरसात की कमी है इसलिए वहां बिजली जाती है। वह तो जब हाइडल बेस पावर प्लांट होगा तो जाएगी। मेरा कहना यह है कि जब राजस्थान में किसानों के ऊपर जुल्म और वह भी कोई एक तरह से नहीं।

आज इण्डस्ट्रीज को आप कनेक्शन देते हैं। उसे आज इमीडियेट कनेक्शन मिलता है। इण्डस्ट्रीज को एक ही प्रिमिसेज के अन्दर अलग-अलग काम के लिये एक मीटर लगता है। कोई रा-मैटेरियल को प्रोसेस करने के लिये, ग्राइण्ड करने के लिये, स्क्रीनिंग करने के लिये, पलवोनाइज करने के लिये अलग-अलग मोटर्स लगाते हैं। जहां 200 हार्स पावर का कनेक्शन है वहां आप 40 मोटर लगाना अलाऊ कर देते हैं। कोई 20 की लगी, कोई 40 की लगी, कोई 5 की लगी तो कोई 2 की लगी। लेकिन किसी काश्तकार ने अगर एग्रीकल्चर का कनेक्शन है, मीटर उसका यहां भी एक ही है लेकिन उस काश्तकार ने अपने ही खेत में, एक ही खसरा नम्बर पर एक कुएं की जगह दो कुएं बना लिये, एक कुएं में पानी कम हो गया, गहरा चला गया तो वहां बाजू में उसने कुआ खोद लिया तो वह उस कुएं पर भी आपने 50 हार्स पावर का कनेक्शन लिया है तो 60 हार्स पावर नहीं कंजूम कर रहा है। वह उस बेरे पर मोटर नहीं लगाकर दूसरे बेरे पर लगा रहा है तो उस काश्तकार को आप चोर बना रहे हो। इण्डस्ट्री को एक ही मीटर से अलग-अलग मोटरों के लिये अलाऊ कर रहे हैं और एग्रीकल्चर में आप एक ही खसरा नम्बर पर, एक ही खेत में और एक ही परपज के लिये आप उसको चोर बना रहे हो। उसका आप डिस्कनेक्शन कर रहे हैं और जो आपके अधिकारियों को पैसा दे देते हैं वह एक नहीं, दो नहीं तीन भी चला रहे हैं। आप उसको अलाऊ करते जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साधारण श्रेणी के किसानों के बारे में मेरे साथी माननीय विधायकों ने बहुत कुछ कह दिया है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन नर्सरी की यह जो दिमाग की उपज है नर्सरी का मतलब जहां तक मैं समझता हूं कि जिस कैटेगरी में आप नर्सरी का नाम लेकर उसको कनेक्शन दे रहे हैं सिर्फ महज पैसा बटोरने के लिए है। नर्सरी वाला भी वही खेती कर रहा है, वही गेहूं की पैदाइश कर रहा है, वही सरसों की पैदाइश कर रहा है। उन्हीं काश्तकारों को 9 हजार कनेक्शन देना बता रहे हैं। 9 हजार में से 900 काश्तकार भी आप ऐसे बता दें जो वास्तव में खेती नहीं करके कुछ और काम कर रहे हैं। सिर्फ दिमाग से नर्सरी का नाम लेकर उसको कामर्शियलाइज करके पैसा बटोर रहे हैं। उस नर्सरी योजना में पहले 500 यूनिट का चार्ज अलग और अगले 500 यूनिट का और एडीशनल चार्ज है। यह तो लूटने की कार्यवाही है। आप इण्डस्ट्रियल सैक्टर में कोई एक उदाहरण बता दीजिये कि इसमें हमने ऐसी कोई योजना बनायी है। इण्डस्ट्रियल सैक्टर के लिये तो बहुत-सी बातें हैं, बहुत खुशी की बात है कि इण्डस्ट्रीज को इमीडियेट कनेक्शन देने की प्रावधान की बात करते हैं। जब इण्डस्ट्रीज के लिये इमीडियेट कनेक्शन देने की कार्यवाही करते हैं तो फिर एग्रीकल्चर के लिये भेदभाव क्यों कर रहे हैं ?

(श्री भीमराज भाटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एग्रीमेंट होता है चाहे डोमेस्टिक कनेक्शन हो, चाहे इण्डस्ट्रियल कनेक्शन हो, चाहे एग्रीकल्चर कनेक्शन हो, उसमें मिनिमम चार्ज हमको भरना पड़ता है। चाहे कोई दो महीने के लिये तीर्थ यात्रा पर जाये, पीछे ताला लगा हो, तो भी मिनिमम चार्ज आएगा। इण्डस्ट्री चाहे बन्द पड़ी है तो भी मिनिमम चार्ज आएगा। खेती जैसा हमारा एक फसली इलाका है हम चार महीने बिजली की मोटर काम में लेते हैं लेकिन 8 महीने का मिनिमम चार्ज भरना पड़ता है। लेकिन आर.एस.ई.बी. से मिनिमम सप्लाई कि हम इतने यूनिट तो देंगे ही देंगे आपका इतने हार्स पावर का कनेक्शन है या इतने समय के लिये तो देंगे ही देंगे, यह वन-वे ट्रेफिक भी आप चला रहे हो। मिनिमम चार्ज हमसे लेना है और लेते जा रहे हैं पर मिनिमम सप्लाई की आपकी कोई गारण्टी नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पावर जनरेशन की बात है। जनरेशन के लिये तब जो कांग्रेस ने किया वही आप लोग कर रहे हैं। माननीय मंत्रीजी ने आज स्टेटमेंट भी दिया है हम सोलर एनर्जी के थ्रू ऐसा कर रहे हैं, लिग्नाइट के थ्रू ऐसा कर रहे हैं, उसमें लम्बा टाइम लगेगा और अगर आपका अब भी इस दिशा में सही सोच है तो मुझे उम्मीद है कि अभी भी कुछ न कुछ राजस्थान को प्राप्त होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, Power saved is power generated. जो वेस्टेज आफ पावर है, आप जयपुर राजधानी में बैठे हैं, यहां पर बड़े से बड़े आई.ए.एस. आफिसर, मुख्य मंत्री, हम दो सौ लोग यहां बैठे हैं, कई लोग सुबह घूमने भी जाते हैं, 7 बजे तक आपके सोडियम लैम्प जलते रहते हैं कोई बुझाने वाला नहीं है। कस्बों में कहीं चले जाइये, मैं मेरे यहां पाली में भी देखता हूं 7 बजे तक बल्ब जलते रहते हैं कोई देखने वाला नहीं है। आपने पता नहीं आर.एस.ई.बी. का कैसे हाथों में एडमिनिट्रेशन दे रखा है टाइम स्विचेज इजाद हो गये, सौ सवा सौ रुपये का टाइम स्विच लगा दीजिये आपके आटोमैटिक बन्द हो जाएगा, किसी लाइनमैन को दौड़-धूप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिन्दू संस्कृति में विश्वास करने वाले हैं तो पौ-फटते ही आपकी बिजली बन्द हो जानी चाहिये। आप क्यों नहीं टाइम स्विच इन्स्टाल कर लेते हैं, क्यों आप अपने लाइनमैनों के पीछे लगे रहते हैं और वह बन्द करते ही नहीं हैं। रात को तो वह दारू पीते हैं, सुबह उनकी नींद खुलती नहीं है और पता नहीं आपके नेता लोगों की भी नींद नहीं जगती जिनको दिखता ही नहीं। एम.आई. रोड पर सोडियम लाइट के लैम्प सुबह 7 बजे तक जलते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जो बिजली का अनप्रोडेक्टिव यूज है उसके ऊपर भी आपको रोक लगानी पड़ेगी। आप किसी भी मौके पर डेकोरेशन वगैरह के लिये टैम्परेरी कनेक्शन देते हैं। मैं कहता हूं जब राजस्थान में बिजली की इतनी कमी है, यहां चिल्ला-चिल्ला कर कहते हैं कि हम बड़ी मुश्किल से महंगी बिजली खरीद कर ला रहे हैं और यहां सस्ती बांट रहे हैं तो कम से कम जो अनप्रोडक्टिव बिजली का यूज है उसके लिये तो टैम्परेरी कनेक्शन देना बन्द करिये।

(198)

(श्री भीमराज भाटी)

डैकोरेशन में जो फालतू बिजली खर्च हो रही है, किसान के खेत में बिजली लगती नहीं, फैक्ट्रियों में पावर कट होता है, घरों में बिजली की व्यवस्था नहीं तो फिर अनप्रोडेक्टिव यूज के ऊपर आप क्यों टैम्परेरी कनेक्शन देकर उसके ऊपर रोकथाम क्यों नहीं लगाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां थैफ्ट आफ पावर का सवाल है मैंने आज तक तो किसी राजस्थान के अखबार में पढ़ा नहीं कि बिजली की चोरी में फलां बड़ी फैक्ट्री वाले के ऊपर यह किस्सा हो गया। छोटे-मोटे किसानों के ऊपर, छोटे-मोटे उद्योग वाले के ऊपर, छोटे-मोटे कस्बों में जरूर कार्यवाही होती है कि इसके बिजली की चोरी में इसके ऐसा हो गया। दो-ढाई हजार, दस हजार रुपये, बीस हजार रुपये उससे वसूल कर लिये जाते हैं। आपके बोर्ड के विजिलेंस के जो आफिसर आते हैं मुझे मेरे यहां के किस्से पता हैं कि विजिलेंस के आफिसर फैक्ट्रियों में चोरी के केस बनाकर उनको धौंस और डर बताकर 25-25 हजार रुपये एक-एक फैक्ट्री से लेकर के गये हैं। काश्तकारों से दो-दो, चार-चार हजार रुपये रास्ते चलते वसूल कर लेना मामूली बात है। जब तक आप इस बिजली की चोरी को नहीं रोकेंगे तो जो बिजली आपके पास अवेलेबल है उसकी व्यवस्था ठीक नहीं होगी। उस चोरी को आप रोक दीजिये, यह चोरी रुक गयी तो ही आपका कल्याण हो जाएगा।

दूसरी बात, सोलर एनर्जी की तरफ आपका ध्यान गया है। मैं विंड पावर की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे ज्यादा याद नहीं है कि हिन्दुस्तान में विंड पावर कब इन्ट्रोड्यूस हुई। लेकिन मैं 1981 से तिरुपति बालाजी जाता रहा हूं तब से मैं वहां पर पवन चक्कियां देखता रहा हूं और राजस्थान के ही कोई बन्धु हैं खेमका जी एन ई.पी सी. वाले। वह इतने साल पहले विंड पावर का यूज करके इतने बड़े पैसे वाले आदमी बन गये हैं कि उनकी एन.ई.पी.सी. की हवाई जहाज चलने लग गयी। एन.ई.पी.सी. की न्यूज तक आने लग गयी तो फिर राजस्थान के किसी भाई से आपको सलाह करके विंड पावर की तरफ जाने में आपको क्या तकलीफ है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आर.एस.ई.बी. की दुकान घाटे की दुकान है पहले 500 करोड़ का घाटा था, 700 करोड़ का घाटा था, यह किताब आज सब माननीय सदस्यों को मिली है इस किताब के कागज पर जरा हाथ फिराइये। यह ट्रांसपेरेंसी की सरकार है इसके कलर देखिए। राजस्थान में बिजली का बल्ब लगता नहीं लेकिन यह नक्शा कितना चमचमाहट कर रहा है। इस घाटे की दुकान के इतने कलरफुल प्रतिवेदन छप सकते हैं तो कौन इसके लिये जिम्मेदार है? हमने समाज कल्याण विभाग के प्रतिवेदन भी देखे हैं, हमने श्रम विभाग के प्रतिवेदन भी देखे हैं, वह साधारण से साधारण कागजों पर और मामूली साइकलोस्टाइल होकर हमारे पास आये हैं....

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री भीमराज भाटी : लेकिन यह घाटे की दुकान का पैम्फलेट इतना कलरफुल है तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा

(श्री भीमराज भाटी)

कि घाटे की दुकान को बन्द करके अच्छा होगा इस आर.एस.ई.बी. को, इस बिजली की व्यवस्था को किसी प्राइवेट हाथों में सौंप दें ताकि कुछ तो व्यवस्था हो, कुछ तो जिम्मेदारी हो । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिनारायण जी बैरवा । (अनुपस्थित) । श्री मोतीलाल जी ।

श्री मोतीलाल (रूपवास) : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह से ही बिजली के बारे में चर्चा हो रही है । लेकिन मैं सदन का ध्यान आर.एस.ई.बी. के जो भी कर्मचारी बैठे हैं उनकी तरफ दिलाना चाहूंगा । मेरे भरतपुर के बारे में बताऊंगा, कांग्रेस के शासन से ऐसा ही रहा है । बर्फ की एक फैक्ट्री पर 7 लाख ड्यू पड़ा है 1988-89 का । आज वह बर्फ वाला कांग्रेस में होने के नाते दस-बीस हजार रुपये महीना आर.एस. ई.बी. वालों को दे देता है लेकिन अभी तक यह नहीं कहा गया कि इसको बिल दिया जाय । यह कलेक्टर की मीटिंग में तय हुआ था कि इसका कनेक्शन काटा जाय और इस चोरी को रोका जाय लेकिन अभी वही चल रही है । इसलिए मैं यह आरोप नहीं लगाता कि हमारी सरकार में नहीं और कांग्रेस सरकार में ऐसा हो रहा है । सदन में जो माननीय विधायक बैठे हैं मैं सभी से यह कहना चाहूंगा कि हमारे रूपवास क्षेत्र में यह हकीकत है जो कुछ लोगों ने कहा है कि डिमाण्ड नोटिस भरे पड़े हैं लेकिन उनकी अभी लाइट की सम्भावना नहीं है । दो-दो, तीन-तीन साल हो गये और कह देते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है । जिन लोगों ने डिमाण्ड नोटिस भर दिये हैं तो कम से कम उनके पैसों से ही गांव में लाइट पहुंचा दी जाय । उच्चैन में ओ.सी.बी. रुकी पड़ी है, दीपावली के समय में हमारे उच्चैन कस्बे में अंधेरा रहा और जब हमने उनसे जाकर कहा तो कहते हैं कि आप तो सत्ता पक्ष के विधायक हैं मंत्रीजी से कह कर वह चीज हमें भिजवा दो हम उच्चैन में लाइट दे देंगे । छोटे-छोटे नुक्ते के पीछे हमारे किसान भाइयों को या ग्रामीण क्षेत्र की जो बिजली की समस्याओं के पीछे हमें वहां लड़ाई लड़नी पड़ रही है । इसलिए मैं ज्यादा न बोल करके अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहता हूं । हमारे यहां के चीफ इंजीनियर यहां आये हुए हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उच्चैन के लिये ओ.सी.बी. भिजवायें ताकि वहां की समस्या साल्व हो सके ।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लाल जी ।

श्री पूनम चन्द बिश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, सुबह से बिजली के विषय पर चर्चा चल रही है । यहां सभी वर्ग बैठे हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, छोटे-मोटे उद्योग धन्धे वाले हैं, कुछ पैसे वाले भी हैं । उद्योग धन्धों वालों को, मशीनों वालों को, शहर वालों को कोई शिकायत नहीं है, न तो उनके ऊपर बिजली के उत्पादन का असर होता है, न ट्रांसमिशन लोसेज का असर होता है केवल एक गरीब किसान है उसकी यह सब कुछ है । दूसरों के लिये कोई समस्या नहीं, ग्रामीणों के लिये यह सारी समस्यायें क्यों हैं ? कृपया उत्तर दें तब इस बात को जरूर ध्यान में रखें ।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लाल जी ।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, आने वाली फसल के लिये

(श्री परसादी लाल मीणा)

बिजली की आपूर्ति कैसे हो, किसानों के कनेक्शन कैसे हों इस विषय पर आज विशेष रूप से चर्चा निर्धारित की गयी है।

अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड ने 24 जून, 1995 को एक किताब प्रकाशित की थी और उस किताब के बाद बिजली बोर्ड ने यह तय किया था कि सामान्यतया किसानों को कृषि कनेक्शन दो श्रेणी में दिये जायेंगे। एक साधारण श्रेणी और दूसरी नर्सरी योजना। अध्यक्ष महोदय, इस किताब के पेज नम्बर दो पर लिखा हुआ है कि आवेदन आने के 15 दिन के अन्दर किसान को डिमांड नोटिस मिल जायेगा। किसान ने बहुत जल्दी में कनेक्शन लेने की गरज से 5-5 हजार रुपये आवेदन के साथ जमा कराये। अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके के 400 किसानों ने इस योजना में पैसे जमा कराये और जुलाई, अगस्त के आवेदनकर्ताओं को आज तक डिमांड नोटिस नहीं दिया गया और आज वह सारे लोग रोज दौसा और लालसोट के चक्कर लगाते हैं कि हम को डिमांड नोटिस तो दो जिससे हम कनेक्शन लें। अध्यक्ष महोदय, 400 में से केवल 30 किसानों को अब तक यह कनेक्शन दे पाये हैं। 15 नवम्बर तक इन किसानों को, जिन्होंने जुलाई और अगस्त में आवेदन किया था, कनेक्शन नहीं मिलेंगे तो 15 नवम्बर के बाद वे उन कनेक्शन का क्या करेंगे? नर्सरी में किसान का बिजली बोर्ड ने गला दबाया है और गले दबे हुए में भी किसानों ने 25 हजार, 40 हजार, 50 हजार, लाख रुपये तक भी जमा कराकर कनेक्शन लेने के लिये जो तैयार हुए हैं, उस योजना पर बिजली बोर्ड के अधिकारियों की दोहरी नीति हो गयी। एक लाख रुपये कोई किसान जमा करायेगा, नर्सरी योजना में कनेक्शन लेगा उसको एक रुपया 17 पैसे प्रति यूनिट खर्चा देना पड़ेगा और साधारण श्रेणी के किसान को इन्होंने अब तक एक भी लक्ष्य राजस्थान में आबंटित नहीं किया है। बिजली बोर्ड ने, इन्होंने सारा दारोमदार यह छोड़ दिया, आज तक जिलों में एक्स. ईएन. और एस.ई. के, साधारण श्रेणी के जो इन्होंने कहा है कि वे प्राथमिकता से होंगे, एक भी कनेक्शन का लक्ष्य वहां पर आज तक नहीं किया है। हर महीने जिलेवार मीटिंग होती है, मैं भी 2-3 बार मीटिंग में गया हूं। अध्यक्ष महोदय, एस.ई. से जब हम कहते हैं कि साधारण श्रेणी की प्रायोरिटी में कनेक्शन के जो 25 हजार रखे हैं उनका क्या होगा, वे कहते हैं कि इस किताब के बाहर हम नहीं जा सकते। इस किताब में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। इस किताब के बाहर हम कुछ नहीं कर सकते। 15 नवम्बर के बाद प्रायोरिटी के 25 हजार कनेक्शन के लक्ष्य आपने आज एक प्रश्न के जवाब में निर्धारित किये हैं कि जिलेवार यह लक्ष्य हमने बांटे हैं। अध्यक्ष महोदय, 15 नवम्बर के बाद किसान क्या इन कनेक्शनों को चाटेगा? क्या करेगा किसान 15 नवम्बर के बाद? अध्यक्ष महोदय, यह बहुत विचारणीय मुद्दा है। साधारण श्रेणी में और एक आर्डर है कि जो भी आवेदनकर्ता एप्लीकेशन लगायेगा उसको 2500 रुपये आवेदन के साथ जमा कराने पड़ेंगे जबकि आज अगर वह आवेदन करेगा तो उसको कनेक्शन 10 साल से पहले नहीं मिलेगा। इस तरह के आर्डर बिजली विभाग ने इस किताब में छाप कर किसानों को बताये हैं।

(श्री परसादी लाल मीणा)

हमारे मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी शायद भण्डारीजी के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं और मुख्य मंत्रीजी मैं कहता हूं कि भण्डारीजी ने किसान का गला काटा है, आपके साथ विश्वासघात किया है। आप जो किसान के हिमायती हैं, आप केवल किसानों की खातिर उधर बैठे हुए हैं। किसानों ने आपको वोट दिया है, किसानों ने आपको चुना है, आज उनका इस तरह यह भण्डारी गला काटे। आप देखें नहीं, आपके मंत्री को फुर्सत नहीं, आपके मंत्री का आर्डर चले नहीं। इन्होंने एक आर्डर निकाला कि दो पोल और तीन पोल से ज्यादा रेडियल लाइन नहीं खींची जायेगी सीधी लाइन खींचेंगे। जब वहां के इंजीनियर ने एस्टीमेट बनाकर एस ई. को भेजा तो भण्डारी ने एक आर्डर निकाला कि रेडियल लाइन नहीं, आप बिना रेडियल की हम दो पोल, तीन पोल, पांच पोल, 10 पोल की लाइन खींचेंगे और बी.आर. बने या नहीं बने उसका कोई कायदा नहीं। आज वह एस्टीमेट सारे बने हुए पड़े हैं, अगर उन एस्टीमेट को दुबारा रेडियल लाइन बनाकर बनाये जायेंगे तो उनको और दो महीने एस्टीमेट बनाने में लगेंगे। फिर किसान इस कनेक्शन का क्या करेगा? गला कटवा लिया है। एक रुपया 17 पैसा पर यूनिट के हिसाब से देने को किसान तैयार हो गया, 50 हजार रुपये, एक लाख रुपये देने को किसान तैयार हो गया, पर यूनिट जो साधारण श्रेणी में इनकी 41 रुपये पर हार्स पावर पर माह का फ्लेट रेट है उसको 82 रुपये तक भी किसान देने को तैयार हो गया फिर भी आप समय पर कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप किसान को बिजली नहीं दें और, अध्यक्ष महोदय, जब आप 4 घंटे और 6 घंटे बिजली देंगे, जिस किसान ने एक लाख रुपये खर्च किये हैं, जो एक रुपये 17 पैसे में बिजली लेने को तैयार है, मुख्य मंत्रीजी यह बतायें कि उसको कितने घंटे आप बिजली देंगे? अगर उसको आप चार घंटे बिजली देंगे तो जो पैसा वह जमा करायेगा, जो फ्लेट रेट वह 165 रुपये तक देगा पर महीने जो सात हार्स पावर की मोटर का ज्यादा वह 165 रुपये फ्लैट रेट पर हार्स पावर पर महीना देगा उसको चार घंटे अगर बिजली मिलेगी तो वह कर्जा कैसे चुकायेगा। यह सब से विचारणीय मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय, जब यहां पर दो पैसे बढ़ाये गये थे, विपक्ष के नेता थे, हम भी इस सदन के सदस्य थे, उस समय इन्होंने दो पैसे के लिये एक बालूराम की हत्या करवा दी, यहां विधान सभा पर कम से कम 50 हजार किसानों का इन्होंने प्रदर्शन किया सिर्फ दो पैसे की खातिर। आज तो मुख्य मंत्रीजी आप एक रुपये 17 पैसे तक बढ़ गये इस किताब में। यह शर्म की बात है हमारे लिये कि आप किसानों के हितैषी आज कहते हैं कि बिजली नहीं है, आप कनेक्शन क्यों दे रहे हैं? आपने यह कह दिया कि 10 हजार कनेक्शन लो नर्सरी में, हम कनेक्शन देंगे। आप पर पोल 9 हजार रुपये लेते हैं। मुख्य मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है कि एक पोल की एक्चुअल प्राइस क्या है और एक पोल पर जो तीन तार खिचेंगे उनकी क्या कीमत है? आप उनका एस्टीमेट करवाइये, आप 9 हजार रुपये ले रहे हैं, आप चार हजार रुपये के 9 हजार

(श्री परसादी लाल मीणा)

रुपये किसानों से वसूल कर रहे हैं। हम कहते हैं कि आप एक्चुअल प्राइस हमसे वसूल कर लें। आप 9 हजार रुपये क्यों ले रहे हैं? पहले 4250 रुपये थे, फिर उसको 7 हजार किया, अब 9 हजार किया और अन्तिम पोल से किसान जो 10 मीटर पर जो केबल लेगा उसका सर्विस चार्ज यह करेंगे। इस किताब में लिखा है कि जो केबल लगेगी वह उपभोक्ता लायेगा अन्तिम पोल से मीटर तक और उसका चार्ज सर्विस कनेक्शन का यह लिखा हुआ है कि दो हजार रुपये तक किसान को देना पड़ेगा। जब डोरी हम लायेंगे अन्तिम पोल से वहां तक तो फिर आप किस बात के हमसे दो हजार रुपये वसूल कर रहे हैं? किस बात के ले रहे हैं? आप केबल मत लगाइये, हम लायेंगे चाहे हजार की आये, 500 की आये। आप सर्विस कनेक्शन के लिये दो हजार रुपये किस बात के लिये ले रहे हैं? यह सारा इस किताब में लिखा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, इस किताब को विधान सभा के माननीय सदस्यों को जिला लेवल पर दिया है। माननीय सदस्यों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैं नहीं जानता पर मुख्य मंत्रीजी ने यदि ईमानदारी से पढ़ा होगा तो अन्दर बहुत दुःख हुआ होगा पर मुख्य मंत्रीजी ने शायद पढ़ा नहीं और पढ़ा होता तो मुख्य मंत्रीजी इस किताब में जो विसंगतियां हैं, किसान का गला काटने के जो काले कानून इसमें बनाये गये हैं मैं कहां तक बताऊं आपको। सारे काले कानून हैं, किसान के फांसी का फंदा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : और इस भण्डारी ने + + + फांसी लगाने का काम किया है। मुझे बहुत दुःख है इस बात का कि किसानों को तीन-तीन महीने से, जुलाई-अगस्त के महीने से जो मेरे लालसोट के किसान थे आज उनको डिमांड नोटिस नहीं मिला, आज उनको कनेक्शन नहीं मिले। 80 के आवेदकों को आज 15 साल हो गये और प्रायोरिटी की लाइन में खड़े हैं। आपने 25 हजार कनेक्शन देने की घोषणा कर दी, लक्ष्य दिया था आपने....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, बिजली की बात करिये। चार घंटे, 6 घंटे बिजली नहीं मिलेगी। किसान बिजली केवल चार महीने काम में लेता है। सरसों में एक पानी और दो पानी लगता है। सरसों में दो महीने के बाद पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आज किसानों की 80 परसेंट जमीन पर सरसों होती है और सरसों में दो पानी पर्याप्त होता है। क्या दो पानी के लिये भी सरकार अगर किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं दे सकती है, उनको 8 घंटे, 12 घंटे बिजली नहीं दे सकते हैं, आप इण्डस्ट्रीज की काट दीजिये। जब किसान जयपुर में और शहरों में जाता है, वहां 24 घंटे में एक मिनट बिजली नहीं जाती है। किसानों के साथ दोहरा बर्ताव किया जाता है, उनके साथ दो दर्जे का व्यवहार किया जाता है। शहरों के भरोसे किसी की सरकार नहीं बनती,

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसादी लाल मीणा)

भैरोंसिंह जी कभी शहर से चुन कर मुख्य मंत्री नहीं बने, मेरा आपसे निवेदन है कि मुख्य मंत्रीजी आप इसकी स्टडी करा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री परसादी लाल मीणा : आप इसकी कमेटी बना दीजिये। आपके मंत्रिमण्डल की बना दें, चाहे विपक्ष के नेता की बना ले। इसमें जो विसंगतियां हैं....

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। कृपया समाप्त करें।

श्री परसादी लाल मीणा : किसान के कनेक्शन में आप इनको दूर करिये और जो नर्सरी योजना के प्रार्थना-पत्र हैं, जिनके पैसे जमा हैं, आप उनको हर हालत में 15 नवम्बर से पहले कनेक्शन दिलाइये। अगर नहीं दिला पायें तो इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरजी मानूदा।

श्री राधेश्याम (गंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक इन्फार्मेशन देना चाहता हूं, मैं यह निवेदन करता चाहता हूं कि गंगानगर जिले में एग्रीकल्चर बेस जो स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज हैं उनकी चार घंटे से लेकर 6 घंटे, 8 घंटे तक लाइट गयी है .

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये... बिजली पर चल रही है।

श्री राधेश्याम : मैं एक इन्फार्मेशन देना चाहता हूं। ऐसी बात नहीं है कि इण्डस्ट्रीज को तो लाइट पूरी मिल रही है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाह रही हूं कि आपके पास जो सूची है, मेरा कहीं नाम हो तो बता दें वरना मैं....

श्री अध्यक्ष : उसी के अनुसार बोल रहा हूं। बिलकुल है आपका, नेक्स्ट आपका ही है।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारा कहीं नाम हो तो हमको भी बता दें।

श्री अध्यक्ष : आपका भी है पर मैं तो अपनी सूची से बंधा हुआ हूं (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नाम नहीं हो तो श्री कमलाजी को बुलवा देना।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कमलाजी का है। (व्यवधान) प्रारम्भ करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी कहीं है क्या ?

डा. शंकर मानूदा (कपासन) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी फख्र की बात है कि आज हमारा बिजली विभाग ....

श्री अध्यक्ष : आपका भी है, 28वां नम्बर है। पार्टी के हिसाब से 28वां नम्बर आपका है।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमें तो आप अपनी ही लिस्ट से बुलवा लें।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

डा. शंकर मानूदा : ....ऐसे मंत्री से सुशोभित है जो स्वयं किसान हैं और उनके मन में किसानों के प्रति उतना ही दर्द है

(डा. शंकर मानूदा)

जितना कि और किसी किसान के मन में हो सकता है। ऐसे मृदुभाषी और कर्मठ मंत्री के नेतृत्व में हम ऊर्जा समस्या जो अभी विद्यमान है उससे पार पा जायेंगे उसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिये। लेकिन एक-दो बातें मैं पाइंट आउट करना चाहता हूं। ज्यादातर बातें आ चुकी हैं लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं, पिछली सरकार के समय में जो सप्लाई सिस्टम था, उसमें एक बेसिक डिफेक्ट पैदा हो गया था, वह ऐसा था कि 100 के.वी. का जो ट्रांसफार्मर था उस पर 150 एच.पी. मोटर कनेक्शन तक दे दिये गये थे। एग्रीकल्चर साइड में ऐसा मानकर किया गया है कि एक साथ सभी मोटरें नहीं चलायेंगे और जो मोटर लोड होगा वह 100 के.वी. से कम ही होगा और 100 के.वी. के ट्रांसफार्मर से सारा सिस्टम चालू रहेगा और कालान्तर में जब बिजली की समस्या पैदा हुई और बिजली की सप्लाई कंटीन्यूअस की बजाय पीरियोडिकल होने लगी, जब रुक-रुक कर या विशेष समय में, एक नियत समय में बिजली दी जाने लगी तो उसका परिणाम यह हुआ कि सभी लोग एक साथ स्विच-आन करने लगे मोटर चलाने के लिये ओबिवियसली और इस वजह से वे ट्रांसफार्मर ओवर-लोड होने लगे। उसके समाधान के लिये इस सरकार ने प्रयास किये और 100 के.वी. के जो ट्रांसफार्मर हैं उन पर 100 एच.पी. का लोड ही चालू किया। उसके बावजूद समस्या बनी हुई है, उसका कारण है बिजली की चोरी। 100 एच.पी. की मोटर चलती है लेकिन उस पर 50 या 100 से ज्यादा मात्रा में एच.पी. का लोड चोरी की वजह से पड़ जाता है और उसी की वजह से बिजली की सप्लाई इन्टरमीटेंड हो जाती है। हमारे क्षेत्र में यह हाल है कि एक बार स्विच आन करो, पानी खेत में पहुंचा नहीं और मोटर ट्रिप हो गयी। इस समस्या का समाधान बिजली की चोरी पर इफेक्टिव तरीके से रोकथाम करने से ही सम्भव है और अगर हो सके तो 100 के.वी. के ट्रांसफार्मर की स्ट्रेंथ भी बढ़ायी जानी चाहिये ताकि यह समस्या पैदा ही नहीं हो सके। यह एक मेरा मामूली सुझाव था।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा, धन्यवाद।

डा. शंकर मानूदा : मैं खासकर एक निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हमारे कर्मठ मंत्री महोदय का नेतृत्व हमें मिल रहा है, वहीं हमारे चेयरमैन हैं, उनके बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं। अभी थोड़े दिन पहले उनसे मेरा एनकाउण्टर हुआ था....

श्री जुबेर खान : कितने मरे एनकाउण्टर में ?

डा. शंकर मानूदा : मैं उनके दरबार में पहुंचा, दरबार बड़ा शानदार था। अभी माननीय सदस्य ने बताया कि बहुत बढ़िया उन्होंने पोस्टर, नक्शे और किताबें छपा रखी हैं, उसी स्टाइल में उनका आफिस है बहुत शानदार, आलीशान। शायद हमारे मुख्य मंत्री महोदय का आफिस भी वैसा नहीं है जैसा हमारे चेयरमैन साहब का आफिस है। मैं अपने क्षेत्र की एक समस्या लेकर गया था हमारे किसानों की, हमारे किसान जिनको डेढ़ साल से डिमांड नोटिस जारी हो रखे हैं। पहले ऐसा था....

श्री परसादी लाल मीणा : एक बार मैं गया था, मैं तो स्लिप हो गया।

डा. शंकर मानूदा : मेरी बात आने दें महोदय। पहले शहरी क्षेत्र के लिये बिजली की कोई स्पष्ट पालिसी नहीं थी नगरपालिका क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में प्रायोरिटी बनती थी। उसकी वजह से शहरी क्षेत्र में जिसने कनेक्शन मांगा उसको कनेक्शन मिल जाता था और प्रायोरिटी में उनको नहीं जोड़ा जाता था। उसके बाद उसी समय हमारे डिमांड नोटिस जारी हुए कई कनेक्शन हो गये और अभी भी चालू है लेकिन अन्तिम समय तक हमारा कोई आडिट आब्जेक्शन हुआ उसमें और उसमें ऐसा आया, अगर इनको कनेक्शन देते हो, तो कामर्शियल चार्ज करना चाहिये। अगर कोई पालिसी हो तो वैसा होने में हमें कोई एतराज नहीं लेकिन कामर्शियल चार्ज होना चाहिये, ऐसा आब्जेक्शन किया गया। उस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से मिला, आपसे निवेदन किया कि इन किसानों को पहले पता नहीं था कि इतना चार्ज देना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने इस तरह से एप्लाई किया और उन्हें कनेक्शन मिल जाना चाहिये। अब जितने डिमांड नोटिस निकल चुके हैं उनको एक बार कनेक्शन दे दें, बाकी के ग्रामीण क्षेत्र में प्रायोरिटी लिस्ट है, उसी में उनके नाम जोड़ दिये जायं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

डा शंकर भानूदा : महोदय, यह मेरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं समाप्त करके ही रहूंगा। एक ही बात कह रहा हूं। (व्यवधान) मंत्री महोदय बहुत प्रकांड हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने पिछली विधान सभा में घोषणा की थी कि जिन्हें शहरी क्षेत्र में डिमांड नोटिस एक बार जारी हो गये उनको कनेक्शन दिया जायेगा। यही बात लेकर मैं वहां के विभागीय अधिकारियों से मिला। उन्होंने कनेक्शन देने के लिए मना कर दिया। आपकी कोई बुकलेट छपी वह बुकलेट दिखायी, उसमें भी शायद कहीं लिखा हुआ है, मैंने देखा नहीं। इस तरह का आर्डर या ऐसे डायरेक्शन दे रखे हैं, उसके बावजूद उन्होंने कनेक्शन देने से मना किया तो मैं मंत्री महोदय से मिला। उनसे निवेदन किया कि ऐसी समस्या है। आपने चैयरमैन से बातचीत की और मुझे उनके पास भेज दिया। उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला। वहां जाने के बाद में मैंने हमारे माननीय चैयरमेन साहब से निवेदन किया कि यह हमारी समस्या है और मंत्री महोदय ने विधान सभा में घोषणा की है कि इस तरह के कनेक्शन मिलने चाहिये तो ये विधान सभा का नाम सुनते ही एकदम से आग-बबूला हो गये और कहने लगे कि विधान सभा में घोषणा होने से क्या होता है (व्यवधान) मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, **do you mean it ? Mr. Chairman, do you really mean it ?** विधान सभा में घोषणा का मतलब, हमने करोड़ों-अरबों रुपयों के लोन माफ कर दिये विधान सभा में घोषणा करके और आपके लिखने से एक पैसे का लोन माफ नहीं हो सकता है। हमने करोड़ों रुपयों के लोन विधान सभा या संसद के माध्यम से माफ किये हैं। यह विधान सभा का अधिकार है, ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई लेकिन वे एग्रीड नहीं थे। वे कहने लगे, कायदे-कानून है, उनके तहत काम करना पड़ता है, हमें यह

(डा. शंकर मानूदा)

करना वह करना, बहानेबाजी करने लगे। उसके बाद मैं पुनः मंत्री महोदय के पास गया और मैंने कहा कि आप ऐसी घोषणा अगर आने वाले समय में करें तो पहले चेयरमैन साहब से बात करके पहले तय कर लें कि वास्तव में ऐसा करना चाहिये या नहीं। आपका कहना भी सही है कि विधान सभा में घोषणा से कुछ नहीं होता है। आज आपके लिये कुछ कह दूं तो भी इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा. मुझे अच्छी तरह पता है। यह हकीकत है, यह स्थिति है। आप सबके सामने हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्रीमती कमलाजी।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिन भर से माननीय सदस्यों ने विद्युत सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं के ऊपर काफी चर्चा की है इसलिए मैं न तो विद्युत फिलोसोफी पर जाऊंगी कि प्रगति के इस रथ की यह धुरी किसी राज्य में, किसी देश में कमजोर रही तो उसका क्या भविष्य होगा और न मैं उन आंकड़ों में जाऊंगी, न पूछूंगी कि पहले कांग्रेस शासन में कितना उत्पादन हुआ और अब इस राज में कितना उत्पादन किया और उत्पादन और वितरण के बीच में और उपलब्धि में कितना गेप रहा। उसका कोई अभी उपयोग नहीं है। मैं इस आंकड़े में भी नहीं जाना चाहती कि विद्युत मण्डल कितने घाटे में है, क्यों घाटे में है और उसके क्या-क्या कारण हैं। उन्होंने अपने-अपने कारण लिख रखे हैं, माननीय सदस्यों ने बहुत से और कारण भी उसमें जोड़े हैं। मैं सीधे ही एक बात पर आना चाहती हूं कि विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिये, विद्युत की ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि कराने के लिये, किसानों को निर्धारित मात्रा में विद्युत देने के लिये और ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन देने के लिए मण्डल के अध्यक्ष, माननीय मुख्य मंत्री महोदय. मंत्री महोदय सरकार सारे बड़ी लगन से मौलिक योजनाएं लेकर, अलग-अलग स्कीम्स लेकर तत्परता से अपनी कार्य विधि पब्लिक में दिखाने के लिये बहुत कुछ काम कर रहे हैं

19.00

और मैं यह भी नहीं कहती कि उनकी नेकनीयती नहीं है, वह बहुत मन से और बहुत उत्साह से इस काम को करने में लगे हैं लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी को और विभाग के मंत्रीजी को भी यह निवेदन करना चाहती हूं कि जिन योजनाओं के माध्यम से मण्डल अपनी मौलिकता दिखा रहा है जिस चिंता के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और सरकार किसान और उपभोक्ता के प्रति चिंता दिखा रही है और अलग-अलग विधियां नित्य नयी आयोजित कर रही है, उसका धरती पर क्या अंजाम हो रहा है और उपभोक्ता के साथ क्या बर्ताव हो रहा है, यह शायद उन्हें पूरा पता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जिस बेदर्दी के साथ, जिस बेरहमी के साथ किसान का शोषण किया जा रहा है, जिस गैर-जिम्मेदाराना ढंग से, जिस अनियमित और गैर-संवैधानिक तरीके से किसान की अर्थव्यवस्था को बरबाद किया जा रहा रहा है, जिस तरह से आंकड़ों का मायाजाल फैलाकर सरकार को

(श्रीमती कमला)

और स्वयं को भ्रमित करके ग्राम किसान के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है उसके बारे में, अध्यक्ष महोदय, आपको और माननीय मुख्य मंत्रीजी को शायद जानकारी नहीं है और नहीं है तो उनको करनी चाहिये कि जिस योजना के तहत वह मण्डल के भण्डारों में अनाप-शनाप धन इकट्ठा करके अपने कर्ज को चुकाने का कार्यक्रम अपनाये हुए है वह किन लोगों का शोषण करके और किस तरह से शोषण करके किया जा रहा है, यह सोचने की बात है। आप और हम सब जानते हैं कि जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वह सामान्य कैटेगरी है, चाहे वह वन पोल, टू पोल की कैटेगरी है और चाहे नर्सरी कैटेगरी है उसमें आपने लोगों से पैसे लिये हैं और यह कह करके पैसे लिये हैं कि हम आपको कनेक्शन देंगे। आप कनेक्शन देंगे, वह अगर आप करते होते तो मैं समझती हूं कि शायद वह अपने शोषण को कुछ मल्हम लगा सकते। आप यह समझते हैं कि किसान इतनी कम बिजली आ रही है, कहीं ढाई घंटे आ रही है, कहीं चार घंटे आ रही है, कहीं साढ़े तीन घंटे आ रही है और हो सकता है कि घनश्यामजी के इलाके में आठ घंटे लगातार आ रही हो, वह सौभाग्यशाली हैं, उनके इलाके से मेरा इलाका जुड़ा हुआ है, दो दिन पहले मैं पूरे इलाके में, जो इनके इलाके से भी निकलता है, उसमें दौरा करके आयी हूं। शाहपुरा से चली हूं और पूरे इलाके में घूमते हुए चौमूं सामोद होते हुए जयपुर निकली हूं। एक-एक जगह, जहां पांच आदमी भी बैठे थे, पन्द्रह भी बैठे थे, बीस भी बैठे थे, गांव भी था, सब जगह रूक कर पूछती आयी हूं कि क्या स्थिति है। ढाई घंटे, दो घंटे मिल रही है शाहपुरा के आस-पास, उससे आगे चलें तो एक जगह चार घंटे मिल रही है, अमरसर के पास पहुंचे तो पांच घंटे मिल रही है, उसके बाद पहुंचे तो दो घंटे मिल रही है, फिर अगले बास पहुंचे तो, साहब आज दिन हमको बिलकुल भी आई ही नहीं है रात को भी और दिन को भी और यह कह रहे हैं कि हमको लगातार आठ घंटे मिल रही है। ठीक है इनके 220 के.वी. का स्टेशन बना हुआ है। यह वह सदस्य हैं जो राज को हिलाने के लिये लगे रहते हैं, तो शायद उधर से भी मिलती होगी या कुछ ज्यादा बोलते होंगे या धमकाते होंगे अफसरों को तो इसलिए भी मिलती होगी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि न मेरी ज्यादा बोलने की आदत है कि मैं कम बात को ऊंचा करके बोलूं और न मैं जितनी है उसको भी कम करके बोलना चाहती हूं। स्थिति यह है कि आज अगर किसान से लिये हुए पैसे का हिसाब आपसे मांगा जाय कि आपने किस आधार पर यह पैसे लिये और जिस आधार पर पैसे लिये तो आपके पास कनेक्शन के लिये छह-छह महीने से, साल-साल भर से, डेढ़-डेढ़ साल से लोगों के पैसे आपके पास जमा पड़े हैं लाखों की तादाद में और आपने कनेक्शन क्या दिये हैं? मेरे क्षेत्र में तीन ए.ईएन. सर्किल हैं। एक ए.ईएन. सर्किल का मैं आपको नमूना बताना चाहती हूं और दूसरे सर्किल का इससे भी बदतर नमूना है। किस कारण से मण्डल यह पैसे ले रहा है। जो आपकी सामान्य कैटेगरी है उसको भी इन्होंने बंद कर रखा है। जो वन पोल, टू पोल कैटेगरी है वह इन्होंने खतम कर रखी है, बंद कर रखी है, बल्कि वन पोल, टू

(श्रीमती कमला)

पोल की कैटेगरी के जो इन्होंने डिमाण्ड नोट जारी किये उसके पेटे लोगों ने सिक्योरिटी जमा करा दी उनको भी अब कहते हैं कि हम सिक्योरिटी के पेटे कनेक्शन नहीं देंगे। नर्सरी का जो रेट है वह आप जमा कराइये, उनको दुबारा नर्सरी का डिमाण्ड नोट जारी हुआ है तभी उनको मिलेगा। सिर्फ एक नर्सरी का आइटम मण्डल ने रख रखा है। अब नर्सरी का मतलब क्या, प्लाट्स होने चाहिये, चाहे वह नर्सरी है या नहीं है लेकिन नर्सरी का नाम दे रखा है, खेती भी नर्सरी है, पैसा लेना है। नर्सरी मतलब प्लांट्स की जरूरत नहीं है, आपका खेत चाहे खाली पड़ा हो लेकिन आप वह रेट जमा करा दीजिये तो वह नर्सरी हो गयी, चाहे खाली खेत है लेकिन आप नर्सरी का पैसा जमा करा दीजिये, आपकी नर्सरी हो गयी।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि आप देखिये, जो एग्रीकल्चर के आर्डिनरी कनेक्शन के लिये आवेदन पेण्डिग हैं वह मेरे यहां पर 1279 हैं। उस 1279 के पेटे इन्होंने एक भी कनेक्शन इस साल में नहीं दिया। आर्डिनरी जो कैटेगरी है उसमें इन्होंने एक भी कनेक्शन नहीं दिया। आप बताइये, 1279 के इन्होंने पैसे जमा कर रखे हैं और उसके पेटे कनेक्शन इन्होंने दिये नहीं। दूसरा आता है वन पोल, टू पोल का, इसके पेटे लोगों ने 451 अर्जियां दीं, उन 451 अर्जियों के पेटे जो डी.एन जारी हुए वह 340 के जारी हुए। उनमें से 284 लोगों ने सिक्योरिटी जमा करायी 69 लाख 29 हजार 922 रुपये। यह जमा कराये हुए हैं और, माननीय अध्यक्ष महोदय, कनेक्शन कुल अगस्त में दिये चार। इतने पैसे जमा है, इतनी सिक्योरिटी जमा है, इतने डिमाण्ड नोटिस जारी हुए हैं लेकिन कनेक्शन मात्र चार दिये हुए हैं। अब यह जो इतने पैसे जमा है उस पैसे का क्या आप ब्याज देंगे? क्या उस पैसे का आप कहीं भराव करेंगे? इसका कहीं पर कोई हिसाब नहीं है। इसी तरह से जो नर्सरी की आपकी एप्लीकेशंस हैं नर्सरी की एप्लीकेशंस 114 हैं, उसमें 49 में डिमाण्ड नोटिस जारी हुए, 28 ने उसके पेटे सिक्योरिटी जमा करायी रुपये 6 लाख 76 हजार. 738। उसके पेटे सिर्फ चार कनेक्शन दिये हैं अगस्त के महीने में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं कि आप कभी भी अपने दिल पर हाथ रखकर एक क्षण को भी यह नहीं सोचते कि आप अपना दीवाला ठीक करने के लिये या आप अपने घाटे की पूर्ति के लिये किस तरह से किसान के साथ जुल्म कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि उसके घर में यह पैसा बरस रहा है, किस तरह से वह अपनी जमीन को, अपने मकान को गिरवी रख कर लाता है, बहन-बेटी का जेवर गिरवी रख कर लाता है, किन्हीं रिश्तेदारों से उधार लेकर आता है, तब यह आपको लाखों रुपयों का यह जमा देता है और महीनों तक, बरसों तक आपके पीछे फिर रहा है और उसके बाद आप हमको बराबर यह कहते जा रहे हैं कि अभी तक जितने हमने जमा किये हैं उन सबको हमने कनेक्शन दे दिये हैं और मैं बराबर इस बात को सोच रही हूं कि हां भाई, दे रहे हैं लेकिन नतीजा यह निकल रहा है। यह एक ए.ईएन. सर्किल का हिसाब है। जो दूसरा ए.ईएन. सर्किल रवाड़ा-चौमू में बैठा है उसकी इससे भी ज्यादा डेढ़ी एप्लीकेशंस

(श्रीमती कमला)

हैं और उनका भी कनेक्शन का यही हिसाब है, लाखों रुपये जमा हैं। इसी तरह बैराठ का विराट नगर ए.ईएन. सर्किल का भी यही हिसाब है। अब आप बताइये, आपने नर्सरी की योजना लागू करके शाबासी तो लूटनी चाही है, किसान भी यह चाहता है कि भाई कैसे भी उधार करके, कैसे भी दुःख पाकर एक बार अगर जमा करा दूंगा तो दो-ढाई वर्ष के अन्दर चुकारा भी कर दूंगा और अपने खेत की सिंचाई भी कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें अब।

श्रीमती कमला : लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसान अगर अपनी बहबूदी के लिये इतना कष्ट पाकर, इतना उधार करके, इतना दुःख पाकर लाखों रुपये आपको दे रहा है और आप उसको कनेक्शन ही नहीं दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं मैं आपको एक और नमूना बताना चाहती हूं। जो नर्सरी का कनेक्शन है इसकी सिक्योरिटी जमा कराये हुए कंजूमर्स को कई महीने हो गये और उन्होंने कह दिया कि इनका तो कनेक्शन हो गया और आपने बिल पकड़ा दिये हैं। एक मेरी ढाणी है, नायन के पास में बांगड़ों की ढाणी, उसके घासी बांगड़ के अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है, उसके खेत में बहुत दूरी तक कोई खम्मा नहीं है, न खम्मा है, न तार है, न कनेक्शन है, न बिजली का करंट है, कुछ नहीं है और उसको 400 रुपये का बिल थमा दिया है। बताइये किसान के साथ क्या हालत हैं? इसी तरह नायन के पास मालियों की ढाणी है, उसमें 2–3 काश्तकारों के साथ यही घटना हुई है। कोई कनेक्शन नहीं है, कोई खम्मा नहीं है, कोई तार नहीं है लेकिन उनको भी बिल अगाऊ थमा रखे हैं। अब वे उन बिलों को लेकर घूम रहे हैं, साहब, बिजली तो लगी नहीं, कनेक्शन तो हुआ नहीं।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें आप।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मनोरमा सिंह।

श्रीमती कमला : जरा तसल्ली रखिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनकी तकलीफ है उनको पहुंचने दीजिये मुख्य मंत्रीजी तक।

श्री अध्यक्ष : मैंने पूरे 15 मिनट दिये हैं आपको।

श्रीमती कमला : मैं पूरे 15 क्या 20 मिनट लूंगी इसलिए मुझे आप कहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अब इसी तरीके से सभी लेंगे तो रात के 4 बजे तक चलायें, मुझे तो कोई एतराज नहीं है।

श्रीमती कमला : इसी तरह का सवाल नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि जो पैसे, जिस केटेगरी में ले रहे हैं उस केटेगरी में कम से

(श्रीमती कमला)

कम यह तो समय निर्धारित करिये कि इतने समय के भीतर उनको कनेक्शन दे दिया जाएगा अन्यथा उस पैसे के ऊपर उनको ब्याज दिया जाएगा। मुफ्त में किसानों का पैसा लेकर वर्षों तक मण्डल बैठा रहे, उनको कनेक्शन तक नहीं दे और वह जहां से उधार लेकर आये हैं उनको बराबर चुकाना पड़े। यह किसानों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय और शोषण है।

दूसरा, मैं एक निवेदन यह करना चाहती हूं कि पिछले 15–20 वर्षों से जो सिस्टम कायम है उस सिस्टम के आगमेंटेशन के लिये, स्ट्रेंथन करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस इलाके में 14–15 पंचायतों में कुछ पंचायतों को चौमू से बिजली मिल रही है, कुछ को खेजरोली से बिजली मिल रही है, कुछ को अजीतगढ़ से मिल रही है, कुछ को शाहपुरा से मिल रही है। पिछले 10 वर्षों से वहां एक 132 के.वी. का स्टेशन बनाने के लिये मण्डल ने दो बार सर्वे करवा लिया लेकिन अभी तक वहां पर 132 के.वी. का स्टेशन नहीं बना और नतीजा यह है कि उन पंचायतों में कहीं भी पूरी बिजली नहीं पहुंच पाती है। इसी तरह से, 33 के.वी. के स्टेशन, चाहे वह खोरालाडखानी का हो, चाहे वह छापड़ा का हो, चाहे वह थानोता का हो, वह भी कई-कई वर्षों से सर्वे होकर एस्टीमेट बनकर पड़े हुए हैं। मेरा निवेदन है कि जिनके पैसे जमा हैं उनको तुरन्त कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। सिस्टम के आगमेंट करने का तत्परता से कार्य किया जाना चाहिये और आज के समय जबकि सारी खेती की एक चौथाई भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, बुआई नहीं हुई है। मैं पूछकर आयी हूं, देखकर आयी हूं खेतों के ऊपर सरसों और चना मात्र एक चौथाई, कहीं चार आना, कहीं पांच आना, कहीं छह आना से अधिक बुआई कहीं नहीं हुई है और उसमें भी एक तिहाई सिर्फ बारानी बुआई है बाकी दो तिहाई ही सिंचाई की बुआई है। आगे आने वाले समय में आप कैसे प्रोडक्शन पूरा करेंगे सारा प्रोडक्शन का एरिया खाली रह जाएगा। गेहूं की बुआई का तो अभी नम्बर ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : अब विराजें आप।

श्रीमती कमला : इसलिए आपसे निवेदन है कि आठ घंटे की जो घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है उसकी तो कम से कम पूर्ति करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी आपकी घोषणा तो पूरी नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्रीमती कमला : लेकिन आपसे तो भंवरलालजी शर्मा ही ज्यादा जोरावर रहे। उन्होंने जयपुर में दीवाली के दिन शहर को कहा कि 5 दिन तक भरपूर बिजली जलाओ। आपसे रेट भी कम लेंगे। उन्होंने जयपुर शहर में भरपूर बिजली जलवायी और अपनी बात पूरी की। हमको भी खुशी है। हम जयपुर में रहते हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा जो किसान को आठ घंटे बिजली देने का काम था।

श्री अध्यक्ष : यह सभी रिपिटेडली बातें हो रही हैं। 3–4 बातें आपने कही वहां तक तो ठीक है, अब चौथी बार आपने इस बात को रिपीट किया। अब विराजें आप।

श्रीमती कमला : मेरा निवेदन है कि इसको बहुत हल्के ढंग से किसान के साथ.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मनोरमा सिंह ।

श्रीमती कमला : खिलवाड़ करना बन्द करें और उनकी जो समस्याएं हैं, राष्ट्र की जो समस्याएं हैं, उनकी पूर्ति के लिये ईमानदारी से काम करें । धन्यवाद ।

श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी को बताना चाहती हूं कि राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम ईटकी, कासगंज, शाहपुर, बैराठ-कलां, विधनीपुरी, राण्डोली के घरेलू कनेक्शनों की क्रमशः 40–40 फाइलें लम्बित चली आ रही हैं किन्तु ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लाभ नही मिल पाया है । उन गांवों में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, माननीय यातायात मंत्री ने और माननीय ऊर्जा मंत्री ने, इन तीनों मंत्रियों ने यह वायदा किया था कि हम जीतने के बाद इन गांवों में बिजली दे देंगे । माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से मेरा विनम्र निवेदन है कि ग्रामीण विद्युतीकरण-योजना के अनुसार क्षेत्र की समस्या का निराकरण करने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी समय से बहुत ही सारपूर्ण और सार्थक बिजली के ऊपर बहस चल रही है । मैं बहुत संक्षेप में आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि राजस्थान के किसान को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपका बिजली बोर्ड घाटे में जा रहा है या मुनाफे मे जा रहा है । आपकी दुकान है आप चलाइये । राजस्थान का किसान तो बिजली चाहता है । उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि राजस्थान सरकार एनरान से समझौता करती है या किसी आस्ट्रेलियन कम्पनी से समझौता करती है । उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कितने पारदर्शक हैं अथवा नहीं हैं । राजस्थान का किसान तो अपनी फसल के लिये उसको जो कनेक्शन आपने दे रखे हैं, उस पर बिजली लेना चाहता है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को स्पष्ट रूप से आज इस बात की घोषणा कर देनी चाहिये कि वह कितने समय तक, कितने घंटे किसान को बिजली दे पाएगी । आप आठ घंटे बिजली दे सकते हैं तो आज बताइये कि 8 घंटे बिजली देंगे, आप 10 घंटे दे सकते हैं तो 10 घंटे बिजली देंगे और आप अगर 8 घंटे नहीं दे सकते हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई लिहाज की बात नहीं है । आप कह दीजिये कि 8 घंटे बिजली हम नहीं दे सकते, हम तो 4 घंटे बिजली देंगे, 2 घंटे बिजली देंगे क्योंकि उससे किसान अपनी फसल का उसी हिसाब से इंतजाम करेगा । आपने यह कह दिया कि हम 8 घंटे बिजली देंगे और फिर 8 घंटे आपने बिजली नहीं दी उसका गेहूं तो खेत के अन्दर सूख जाएगा । आप अगर यह कहेंगे कि हम 6 घंटे बिजली देंगे तो 6 घंटे के हिसाब से अपनी फसल बोयेगा उस हिसाब से अपना इंतजाम करेगा, डीजल पम्प सैट लगाएगा और कोई इंतजाम करना पड़ेगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बहस में आपको पड़ने की जरूरत नहीं

(श्री हरिसिंह)

है। आज की इस तमाम बहस से हमें यह तय करना होगा कि हमें बिजली का उत्पादन बढ़ाना चाहिये। स्पष्ट रूप से आज सरकार से इस बात का उत्तर चाहता है राजस्थान का किसान कि आप कितने घंटे उसको बिजली देंगे और उत्तर के उस वायदे को आप निभाइये अगर आप नहीं निभायेंगे, + + + करेंगे केवल तो बहुत बड़ा विश्वासघात आप राजस्थान के किसान के साथ करेंगे।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में एक विशेष समस्या है। बाढ़ की वजह से बिजली की तमाम लाइनें खराब हो गयी हैं। आपके पास बिजली जितनी है उतनी ही रहेगी लेकिन बिजली के ट्रांसमीशन तो आप ठीक कर सकते हैं। बाढ़ की वजह से लाइनें खराब हो गयीं, लट्ठे गिर पड़े और हालत क्या हुई कि क्षेत्र के अन्दर जितने भी सांप और बिच्छू थे वह पानी की वजह से गांव के अन्दर आ गये और किसान के घरों में सांप और बिच्छू घूमने लगे और रात को आपकी बिजली गायब, बड़ा खतरा हो गया। हम कहते-कहते थक गये, एस.ई. और एक्स. ईएन. से, कि यह सांप और बिच्छू किसान के घर में घुस गये हैं, इन लट्ठों को ठीक करके आप लाइन ठीक करके इनकी रोशनी तो आप दे दीजिये लेकिन ये बिजली देने की स्थिति में नहीं हैं। हमारे क्षेत्र में 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक किसी भी घर में बिजली का बल्ब जलता ही नहीं है। इनसे पूछते हैं कि क्या बात है, कहते हैं हमारे यहां तो लूपिंग होती है। यह जो आप बता रहे थे कि हमने कमेटी बना रखी है उस कमेटी के अन्दर हमने बात रखी और उन्होंने एडमिट किया कि भरतपुर जिले में 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बिजली नहीं दे सकेंगे तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, जबकि समय होता है बच्चों के पढ़ने का, किसान को अपने घर का कार्य करने का, उस समय 6 से 10 तक आप उतनी बिजली क्यों नहीं देते कि उसका बल्ब जल सके।

दूसरी बात, आप यह करते हैं कि आप कटे पर नमक और छिड़कते हैं। कुम्हेर का पहले तो एक्स. ईएन. भरतपुर के अन्दर बैठता था। आज कुम्हेर का एक्स. ईएन. बजाय भरतपुर के डीग में बैठता है। कुम्हेर सब डिवीजन भरतपुर के अन्दर आता है। कुम्हेर का किसान अपने कचहरी के काम से, अपने बाजार के काम से, पी.एच.ई.डी. के काम से, अन्य कामों से भरतपुर आता है और आपने एक्स. ईएन. बैठा दिया डीग के अन्दर। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आवश्यकता है इस बात की। मैंने चेयरमैन साहब से भी निवेदन किया है कि ऐसी क्या आफत आ रही है कि आप कुम्हेर सब-डिवीजन, कुम्हेर एरिया को आप बजाय भरतपुर के डीग लगा रहे हैं। डीग के बजाय इसको भरतपुर क्यों नहीं बैठा देते हैं। वहां भी एक्स. ईएन. बैठता है। दूसरी बात मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, कोई सुनने को तैयार नहीं है न, आफत यह आ रही है।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिसिंह)

इसके अलावा मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, कि हमारे यहां कई ऐसे मजरे हैं जहां 40–40, 50–50 आदमियों ने बिजली की फाइलें भर रखी हैं। आप क्या कहते हैं कि हम यहां पर ग्राम विद्युतीकरण में ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते हैं। हमारे यहां बड़े बड़े मजरे हैं 400-500 की आबादी है। 40-40, 50-50 आदमियों ने बिजली की फाइलें भर रखी हैं। वहां ट्रांसफार्मर नहीं ले जाना चाहते हैं। आप तीन सौ किलोमीटर दूर से ट्रांसफार्मर का खर्चा और पोलों का खर्चा उस किसान के माथे मढ़ना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में आपसे मैंने एक सवाल पूछा था। उसका आपने जवाब भी दिया है कि हम ट्रांसफार्मर रखेंगे लेकिन जैसे-जैसे हमारी आर्थिक स्थिति हमें परमिट करेगी उस हिसाब से हम रखेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति क्या परमिट करेगी, कब परमिट करेगी ? यदि आप उनको बता दें कि आपकी फेज की क्या स्थिति है, आप किस हिसाब से उन गांवों के अन्दर बिजली देना चाहते हैं ?

इसके अलावा मैं आपसे एक और बात निवेदन करना चाह रहा था कि जिन गांवों में, मैं आपको बता रहा हूं अभी तक लट्ठे गिरे हुए पड़े हैं। कई गांव है ऐसे, जैसे बराबई है, पेगोंर है उसमें आप लट्ठियों को खड़ा करवाकर के कम से कम रात को बिजली देने का प्रबन्ध करें। एक आफत हमारे यहां और खड़ी कर रखी है इन्होंने जो पी.एच.ई.डी. की लाइन है उनसे कनेक्शन दे रखे हैं, एग्रीकल्चर कनेक्शन दे रखे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि वही पी.एच.ई.डी. की लाइन है, आपने पी.एच.ई.डी. वालों से पूरा पैसा लिया है, उनकी अलग लाइन रखें और किसान की लाइन अलग करें जिससे कि कम से कम पेयजल समस्या तो हमारी दूर हो सके, यह मैं आप से कहना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भवानीजी जोशी। (व्यवधान)

श्री रूपाराम (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो दो-तीन मिनट ही सदन का समय लूंगा। एक कविता सुना दूं।... (व्यवधान)....काफी पहले से ही.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी आपका ही नाम आने वाला है, आप बिराजिये। (व्यवधान) जिन-जिन की लिस्ट है....(व्यवधान)

श्री रूपाराम : कविता से वंचित रह जाएंगे आप। मैं तो घर जाकर सुना दूंगा किसी को....(व्यवधान)

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा के बिजली तंत्र के सुधार के लिये जो योजना बनाकर ऊर्जा वित्त निगम को सहायता के लिये भेजी है, इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन इसमें मेरा निवेदन यह है कि इसको तत्काल प्रारम्भ किया जाय। दूसरा, यह निवेदन था कि आये दिन कोई न कोई कारण से बिजली कटौती के अलावा भी बांसवाड़ा जिले में बिजली व्यवस्था ठीक नहीं बैठती है तो उस व्यवस्था को ठीक करवाया जाय।

(श्री भवानी जोशी)

एक निवेदन यह था कि किसान को बिजली कनेक्शन नहीं दिये जाने से, हमारा क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र है, वहां का व्यक्ति बिलकुल अनपढ़ है, पढ़ा-लिखा नहीं है, उस काश्तकार को अपने खेत में कनेक्शन लेने के लिये काफी कसरत करनी पड़ती है। मेरा निवेदन है कि उसमें कोई ऐसा प्रावधान या सरलीकरण किया जाय कि उसे तत्काल कनेक्शन मिल जाए। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में शाम को 6 बजे के बाद कटौती होती है जबकि 6 बजे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के आने का समय होता है, दूध निकालने का समय होता है और बच्चों की पढ़ाई का भी समय होता है, इसलिए मेरा यह निवेदन है कि उस समय को सही किया जाय और वहां के स्थानीय लोगों के निवेदन पर उस व्यवस्था को ठीक किया जाय। इतना ही निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी मीणा। श्री रामनारायण जी मीणा।.... (व्यवधान)....मुझे क्या पता कि वे चले गये हैं या आप आकर के बैठ जाओ यहां आकर के।....(व्यवधान) श्री रामनारायणजी डूडी।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर बिजली पर चर्चा हो रही है और सभी माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे। मैं राजस्थान के जोधपुर जिले और जोधपुर जिले में भी भोपालगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह की हालत इस बार बिजली की आपके पूरे राजस्थान के अन्दर और इसमें भी जोधपुर के अन्दर है, काश्तकारों ने बिजली के लिये न जाने कितने ज्ञापन, जिस प्रकार धरने वगैरह दिये और उसके बावजूद भी इस बिजली की व्यवस्था के अन्दर किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं आया। जब अपना यह सेशन शुरू हुआ मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, 22 तारीख के बाद अचानक बिजली के अन्दर परिवर्तन आया। यह परिवर्तन कैसे आया? जब यह बात हुई तो कहा गया कि सेशन आ रहा है, लोग हल्ला करेंगे, एम.एल.एज. लोग भी हल्ला करेंगे, सत्तापक्ष के लोग हल्ला करेंगे, पार्टी के अन्दर डिवीजन हो जाएगा और इस प्रकार की बात जब आयी तब यह परिवर्तन आया।

मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, आज जब हम इनके स्टेटमेंट पढ़ते हैं बिजली कहां से आएगी, कहां जाएगी। मगर राजस्थान का काश्तकार, वहां का काश्तकार जहां अन्न का एक टुकड़ा पैदा नहीं होता था, अमरीका से हम अनाज मंगाते थे, हमारे यहां लिफ्ट इरिगेशन और कैनाल इरिगेशन दो तरह की सुविधाएं हैं। लिफ्ट इरिगेशन के अन्दर जिस प्रकार से काश्तकार को खर्चा पड़ता है यदि उसकी तुलनात्मक समीक्षा कैनाल इरिगेशन के साथ की जाय तो जिस प्रकार से विद्युत महंगे भावों के अन्दर, जिस प्रकार से बढ़े हुए सामान के अन्दर आज एक काश्तकार का ट्यूबवैल, कम से कम 2–3 लाख रुपये में इनकी एक क्यारी के अन्दर पानी जाता है और उसमें भी हमारे चेयरमैन साहब हैं, न जाने वे किस हिसाब से केलकुलेट करते हैं कि इस राजस्थान के काश्तकार बहुत ही धनाढ्य हैं और बांगड़-बिड़ला की श्रेणी के अन्दर आते हैं।

(श्री रामनारायण डूडी)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जब आप 35 पैसे, 30 पैसे और 28 पैसे के अन्दर बिजली देते थे उस वक्त के अन्दर 16 घंटे या 20 घंटे काश्तकारों को बिजली मिलती थी और उस वक्त के अन्दर कुएं के सामान सहित, सब सिंचाई के सामान सहित जो हमारे काश्तकारों के लिये नीति थी, प्रणाली थी, जो काश्तकार इनडायरेक्ट बेनिफिट इस देश को दे रहा है, उस काश्तकार का ट्यूबवैल 30-32 हजार में स्टार्ट होता था, हमें डीजल केवल 84 पैसे में मिलता था, हमारा जो ट्रैक्टर था वह 24 हजार रुपये में आता था। जब हम इन बातों का कैलकुलेट करते हैं तो आज काश्तकार की हालत क्या है ? आपने ओ.टी.पी. के अन्दर कनेक्शन दिये। लाखों रुपये आपने वसूल किये, जब आप पूर्व में चेयरमैन थे और आज आप नर्सरी के अन्दर दे रहे हैं। 36 हजार रुपये पर ईयर उनकी कॉस्ट आएगी, बिलिंग होगा और 40 बीघा यदि एक काश्तकार, 20 हार्स पावर की एक मोटर लगाता है तो 40 बीघा जमीन वह जोतता है। आज 40 बीघा जमीन के अन्दर एक हजार रुपये बीघा उसका खर्चा पानी की पिलाई का आ गया, कुछ बोने का आ गया कुछ और आ गया और कैनाल इर्रिगेशन के अन्दर एक बीघे का 20 रुपये या 18 रुपये आता है, कितना डिफरेंस है। अध्यक्ष महोदय, इस हालत के अन्दर यदि काश्तकार का गला घोंटा गया तो आने वाले वक्त के अन्दर आपका प्रोडक्शन, जो महज 3-4 घंटे बिजली देकर पैदा कराना चाहते हैं, क्या काश्तकार जीवित रह सकता है ? आप काश्तकार को बिजली खेत में नहीं दे सकते। गांव के अन्दर काश्तकार का बच्चा पढ़ रहा है तो उनको बिजली शाम को पढ़ने के लिये नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष : यह बात तो कई बार आ चुकी है, आप कोई नयी बात कहना चाहते हैं तो कहें।

श्री रामनारायण डूडी : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, आपने जोधपुर जिले के अन्दर विजिलेंस पार्टियां भेजीं। हमारे काश्तकार ने अपने लोड एक्सटेंशन के जरिए एक ही खसरा नम्बर के अन्दर एक ट्यूबवैल 20 हार्स पावर का, चालीस हार्स पावर का लगा रखा है, कनेक्शन दूसरा 20 हार्स पावर का चला रहा है और वह दो-दो, तीन-तीन साल से उनके बिल दे रहा है, पैसे भर रहा है। विद्युत विभाग ने उनकी चैकिंग करवायी। चैकिंग के अन्दर जो उनका दूसरा कनेक्शन था उसको अन-आथोराइज्ड माना और अन आथोराइज्ड मानकर उन पर चोरी के मुकदमे चालू किये। मुकदमे चालू करने के बाद उनसे पैसे भरवाये, जबकि वे दो साल से, तीन साल से, चार साल से अपने लोड एक्सटेंशन के पैसे भर रहे थे, उनका सम्बन्ध विच्छेद कर दिया। सम्बन्ध विच्छेद करने के बाद में भी यदि नहीं करते हैं तो पुलिस इनके साथ में रहती है। एक बहुत बड़ा बवण्डर काश्तकारों के साथ हो रहा है। पुलिस के साथ तीन-तीन, चार-चार गाड़ियों में बैठकर अमला का अमला गरीब काश्तकार के कुएं पर जाता है और कहते हैं कि आपको किसने कनेक्शन का अधिकार दिया ? क्या मतलब, वे चालीस हार्स पावर की मोटरें, बीस-बीस हार्स पावर की मोटरें अपने घर से ही परमीशन लेकर लाये ? आपके अधिकारियों ने परमीशन

(श्री रामनारायण डूडी)

दी, उन्होंने मोटरें लगायीं, आपके डिपार्टमेंट को पैसे भर रहे हैं और उसके बाद में भी उन पर चोरी का मुकदमा करके लाखों रुपये वसूल किये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, लाखों रुपये वसूल करने के बाद में एक लाख रुपये का चैक दे रहे हैं, हमारे पुलिस एस.पी. को वहां जोधपुर के अन्दर, जो उनका दस पर्सेण्ट कमीशन देते हैं यह लोग। चोरी के माल में से, यदि काश्तकार के चोरी पायी जाती है, चोरी नहीं जब वह दूसरा ट्यूबवैल चला रहा है, उसको यह चोरी मानते हैं और उनको एक लाख रुपये का चैक जोधपुर में एक बड़े समारोह के साथ आपका विद्युत विभाग दे रहा है। बड़ी लज्जा की बात है। काश्तकार से पैसे लेकर पुलिस डिपार्टमेंट को लाखों रुपये दे रहे हैं और उनके साथ में डर पैदा करते हैं।

दूसरी बात मै यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, टंग टेस्टिंग प्रणाली है, जिसके तहत चैक किया जाता है कि कितनी हार्स पावर की मोटर काश्तकार के ट्यूबवैल में लगी हुई है। अब काश्तकार के ट्यूबवैल में मान लीजिये 20 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है, इनकी विजिलेंस पार्टी आती है और विजिलेंस पार्टी आकर कहती है कि आपकी मोटर 25 हार्स पावर की है क्योंकि यह एम्पियर 25 की जगह 33 लेती है। हमारा जो मापदण्ड है कि इतने वोल्टेज से इतनी एम्पियर आएगी और इतनी एम्पियर आएगी तो हमारी बिजली इतनी किलोवाट खर्च होगी और इतनी किलोवाट बिजली खर्च होगी तो आपकी मोटर कुएं के अन्दर 20 की नहीं 25 हार्स पावर की है। इसी प्रकार मोटरों को 25 हार्स पावर की मान कर....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा मानकर काश्तकारों से लाखों रुपये वसूल किये हैं। उनके वहां केस चल रहे हैं, प्रदर्शन हुए हैं। हम अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिये जयपुर आये....

श्री अध्यक्ष : श्री रूपाराम जी। आप बिराजिये।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप सुनिये जरा। और एक भी कनेक्शन नर्सरी के अन्दर नहीं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप रिपीटेडली एक ही बात कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं।

श्री रामनारायण डूडी : दो-तीन घंटे बिजली दे रहे हैं। वोल्टेज मिल नहीं रहा है और वोल्टेज नहीं मिल रहा है इस कारण से हमारी मोटरें जल रही हैं और मोटरें जलने पर उनकी भरपाई यह कर नहीं रहे हैं, उल्टे पुलिस के जरिए काश्तकारों को डराया और धमकाया जाता है और पुलिस को यह लोग इनाम देते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। कई माननीय सदस्यों ने इस पर किया है।

श्री रामनारायण डूडी: अध्यक्ष महोदय,

(श्री रामनारायण डूडी)

तो इस प्रकार हमने इनसे यह निवेदन किया कि आप पीक सीजन के अन्दर हमारी चैकिंग करवाइये। विजिलेंस भिजवाइये वहां। और विजिलेंस भिजवाने के बाद में....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, डूडी साहब।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, जिस फीडर के अन्दर दो घंटे, तीन घंटे पानी जो चढ़ा हुआ होता है, मैं एक काश्तकार हूं, 400 वोल्टेज यदि है और एक बीस वोल्टेज की मोटर, यदि ज्यादा पानी होगा, तो वह 30–35 एम्पियर लेगी। ये मान रहे हैं 25 एम्पियर लेना चाहिये और 10 एम्पियर के वेरिएशन से यह बिल भेज देते हैं और सम्बन्ध विच्छेद कर देते हैं। इस प्रकार इन्होंने लाखों रुपये जोधपुर जिले, मथानिया, बावड़ी और भोपालगढ़ कांस्टीट्यूएंसी से, भोपालगढ़ से इन्होंने वसूल किये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यहां बोर्ड ने कई सर्कुलर निकाले। 2500 रुपये हार्स पावर के हिसाब से नर्सरी से पैसे जमा करवाये। आपने वह वापस 1250 रुपये पर हार्स पावर कर दिये।

श्री अध्यक्ष : अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री रामनारायण डूडी : लाखों लोग, हजारों लोगों ने पैसे जमा करवा दिये। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि उनके पैसे को रिफण्ड करने की बात आयी तो कहते हैं, हम आपके बिलों के अन्दर एडजेस्ट करते जाएंगे। अब उन पर ब्याज लग रहा है दो का और आप 18 पर्सेण्ट से....

श्री अध्यक्ष : यह माननीय कमलाजी ने कह दिया। दूसरे सभी माननीय सदस्यों ने यह बात कह दी। अब आप बिराजिये। श्री रूपाराम जी।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात और कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कम से कम 12 माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की बात कही है कि रुपये का ब्याज नहीं है....

श्री रामनारायण डूडी : आप लाइनों के लोसेज को मिटाइये, छोटे-छोटे 33 के. वी. के जी.एस.एस. बनाइये। जहां 132 की लाइन है वहां पर 220 का भोपालगढ़ और आसोप में सब स्टेशन बनाइये और जो सबसे ज्यादा पोटेंशल आपका एरिया है, वह एरिया आपको हजारा, रायड़ा, कपास वगैरह दे रहा है, आपको लाखों रुपये दे रहा है तो आप उनको सब स्टेशन से जोड़िये। और सबसे लास्ट में जोधपुर जिले के अन्दर बिजली आती है सिंगरोली से और सबसे लास्ट पाइंट भोपालगढ़ जाता है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, अब बिराजिये। श्री रूपारामजी।

श्री रूपाराम (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की गम्भीर समस्या पर आज चर्चा चल रही है और ज्यादातर माननीय सदस्यों ने इस पर अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं, अपने सुझाव दिये हैं। सभी के सुझाव करीब-करीब एक से हैं। बिजली की समस्या राजस्थान में सभी क्षेत्रों

(श्री, रूपाराम)

में है । भ्रष्टाचार के बारे में भी और उपभोक्ताओं के द्वारा कुछ चोरी के बारे में भी सभी ने सुझाव दिये हैं । मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेकर जिन माननीय सदस्यों ने बिजली के संकट के बारे में कहा, समस्या के बारे में कहा, भ्रष्टाचार के बारे में कहा, उनके अनुसार मैं अपने विचार रखता हूं ।

जो मेरा सुझाव है वह यह है कि बिजली की कमी, बिजली के उत्पादन की सम्भावनाओं का पता लगाने, भ्रष्टाचार के कम होने के लिये सम्भावनाओं का पता लगाना तथा बिजली की चोरी कम हो इस बात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये एक कमेटी गठित की जाए और इस पर गम्भीरता से विचार किया जाए अन्यथा यह तीसरी बार बिजली पर चर्चा चल रही है और चर्चा में सिर्फ सुझाव-सुझाव रह जाते हैं और उसके बाद में फिर चौथी बार भी तैयारी होकर इसी तरह मेरे हिसाब से अगर सदन की कार्यवाही हम गम्भीरता से नहीं लेते हैं, चाहे हम सदस्य हैं, मुख्य मंत्री जी हैं या मंत्री हैं, और यहां पर कही हुई बात को केवल यही कहते हैं कि यह केवल कहने की बात है, करने की, कानून की है, तो मेरे हिसाब से सदन का समय और राजस्थान की गरीब जनता का धन बरबाद होना निश्चित है । मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा एक कविता बोल रहा हूं :–

"न बिजली है और न ही पानी है,
अब है तो किसान की दुःख भरी कहानी है ।
अब आशा की किरण नहीं,
बादल निराशा के छाये हैं ।
लगता है, अब किसान की जिन्दगी में गमों के साये हैं ।
हर क्षेत्र में गैर जिम्मेदारी और मनमानी है ।
यह किसान की दुःखभरी कहानी है ।
औरों का पेट भरने वाला खुद भूखा सोता है ।
बिजली के लिये दर-दर की ठोकरें खाता और विभाग को रोता है ।
जब रक्षक ही भक्षक बन जाय
तो बहुत बड़ी हैरानी है,
न बिजली है, न पानी है,
यह किसान की दुःख भरी कहानी है ।।"

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । बिराजिये । श्री रामस्वरूपजी । कृपया, प्रारम्भ करें आप । आपके महत्वपूर्ण सुझाव दें ।

श्री रामस्वरूप मीणा : आदरणीय अध्यक्ष जी, आखरी में मेरा नम्बर आया । मेरे दिल में एक दुःख था कि मैं एक किसान का बेटा होते हुए भी मेरा नम्बर नहीं आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष : आप उप मुख्य सचेतक हैं, यह मैं आपकी लिस्ट से ही बोल रहा हूं ।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं कोई अपने लिये दुःख प्रकट नहीं कर रहा था लेकिन मैं इस बात के लिये आपको धन्यवाद देता हूं, आदरणीय अध्यक्षजी, कि कोई बात नहीं आखिर में किसान का नम्बर तो आ ही गया ।

आज मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो विद्युत समस्या चल रही है जिस पर आज हमारा सारा सदन बहुत दुःखी है, जब सारे राजस्थान के अन्दर दीपावली मनी थी, जयपुर में लाइटों की जगमगाहट थी, होड

(श्री रामस्वरूप मीणा)

लगी हुई थी कौन इसमें प्रथम आएगा, लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर दीपावली के दिन भी अंधेरा रहा था। कस्बे का सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर उसी दिन जल गया था और दो दिन में जाकर के दूसरा ट्रांसफार्मर लगा था।

माननीय चेयरमैन साहब भी यहां विराजमान हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्दर एक को-आपरेटिव थी उसके अन्दर सारी व्यवस्था होती थी लेकिन उसी व्यवस्था के बारे में हमने जब शिकायत की तो माननीय चेयरमैन साहब ने हमारी को-आपरेटिव को तोड़ दिया।.... (व्यवधान) ...हां, को-आपरेटिव की व्यवस्था थी हमारे यहां।

श्री अध्यक्ष : अभी तो विधेयक आने शेष हैं, आप बोलने दें इन्हें।.... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में टोडाभीम में ही को-आपरेटिव व्यवस्था थी लेकिन जब आपको यह महसूस हुआ कि को-आपरेटिव के कारण आपकी व्यवस्थाएं सही नहीं हो रही हैं, बिजली सही नहीं मिल रही है तो चेयरमैन साहब ने हमारी को-आपरेटिव को तोड़ा। लेकिन बड़े दुःख की बात है, हमारी यह पतली छाछ से भी हम गये। आज यह हालत हो रही है कि आपने को-आपरेटिव को तोड़ दिया लेकिन वहां पर आपका कोई अधिकारी नहीं बैठता। न एक्स. ईएन. बैठता है, न आपका कोई और अधिकारी बैठता है। किसान दरदर की ठोकर खाता फिरता है। ट्रांसफार्मर जल रहे हैं हमारे, कनेक्शन हमको नहीं मिल रहे हैं। हमारे यहां की हालत यह हो रही है कि आन्दोलन की तैयारी लगातार होती रहती है। वहां पिछली साल भी गोली काण्ड इस प्रकार का हुआ था और हमारा एक किसान का भाई उसके अन्दर मारा भी गया था।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, 132 के.वी. का ट्रांसफार्मर मन्जूर हुआ उसको भी आपने कैन्सिल कर दिया और उसकी जगह आपने गुढ़ाचन्द्रजी के अन्दर एक 32 के.वी. का ट्रांसफार्मर स्वीकृत किया लेकिन बड़े दुःख की बात है कि एक साल हो गया, ठेका आपने दे दिया गुढ़ाचन्द्रजी का लेकिन आज तक वहां ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। इसी प्रकार श्री महावीर जी से हमको बिजली मिलती है। 132 के.वी. की आपने स्वीकृति दे दी, एक साल से वह मामला भी अटका हुआ है। आज तक वहां से हमको बिजली नहीं मिली है। टोडाभीम का 3 के.वी. का एम.वी. का ट्रांसफार्मर जला और जलने के बाद में आपने कहा 5 एम.वी. का हम दे देंगे आपको, आज तक वह ट्रांसफार्मर भी हमको नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है कि इस प्रकार का भेदभाव मेरे क्षेत्र के साथ बरता जा रहा है। क्या वहां किसान नहीं रहते? क्या कांग्रेस का एरिया है, क्या उनको बिजली नहीं चाहिये? क्या कांग्रेस के लोगों को बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती है? यह भेदभाव मेरे साथ क्यों बरता जा रहा है? मैं आपके

(श्री रामस्वरूप मीणा)

माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो भेदभावपूर्ण भावना हमारे साथ बरती जा रही है उसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आप न्याय करायेंगे।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज किसानों के लिये इतनी पुकार हो रही है, फिर किसानों के लिए बिजली क्यों बंद हो जाती है? राजस्थान की राजधानी के अन्दर 24 घंटे बिजली सदन में कैसे आ रही है? +++ की बात है हम सबके लिये, फिर यहां की बिजली भी बंद हो जानी चाहिये अगर वहां बिजली नहीं आ रही है तो, तब आपको पता चले कि राजस्थान में बिजली की समस्या है। यहां बिजली कैसे 24 घंटे आ जाती है? यहां सचिवालय में बिजली कैसे आ जाती है? माननीय चेयरमैन साहब भी यहां बिराजमान हैं, आप न्याय करो सबके साथ। कितना भी बड़ा कोई अधिकारी हो, चाहे कोई मंत्री हो अगर किसानों के लिये बिजली नहीं है तो इनके लिये भी बिजली नहीं होनी चाहिये। करो कोई हिम्मत आज इस बात की। सब कहते हैं कि किसानों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, कोई यहां पर किसानों के हितैषी नहीं हैं सब खाली यह चाहते हैं कि हमारा अखबारों में नाम आ जाए, लोग जान जाएं। इस बात के लिये सब बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप आज यह घोषणा करा दें कि किसानों को 12 घंटे बिजली दी जाएगी जब तो हमारा और आपका पुकारना सार्थक हो। अगर हम 12 घंटे बिजली नहीं दे सके तो आप और हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे क्षेत्र के अन्दर। मेरा आपसे निवेदन है एक किसान का बेटा होने के नाते मैं दुःखी हूं। रातभर किसान पानी के अन्दर खड़ा रहता है, जब उसका ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 15–15 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलते। जब आपकी सरकार में जरा सी भी कोई गड़बड़ होती है तो मुख्य मंत्रीजी गुजरात से चले आते हैं, दिल्ली से भागे चले आते हैं और इन किसानों की कोई सुनता भी नहीं है। इससे बुरी बात और +++ क्या होगी। राज की परवाह क्या करते हो, किसान आपका होगा तो राज तो अपने आप ही मिल जाएगा आप तो इसलिये परवाह करो उस किसान की अगर वास्तव में किसान के हितैषी हो, नहीं तो किसान आपको भी बदल देगा जिन्होंने हमको बदल दिया है।.... (व्यवधान).... और वह दिन भी दूर नहीं है, बहुत जल्दी दिन आने वाला है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, हो गया आपका। श्री गुलाबसिंहजी।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि किसान के बेटे यहां अगर कोई बैठे हुए हैं तो किसानों को 12 घंटे बिजली देने की घोषणा कराएं वरना यहां भी बिजली बंद कर दो। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब सिंहजी।

श्री गुलाब सिंह (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गुलाब सिंह) . . . .

हूं कि मेरे जैसलमेर जिले में दो साल से नये कनेक्शन नहीं दिये हैं, यह साधारण कनेक्शन दिलवाये जाएं।

जो थर्मल प्लाण्ट रामगढ़ में बनाया जा रहा है उसका 3 मेगावाट का शुरू हो चुका है लेकिन पीछे जो 35.8 मेगावाट का चलने वाला है उसको तुरन्त चालू किया जाए जिससे जैसलमेर और बाड़मेर को भी लाभ मिले और नजदीक के जिलों को भी उसका लाभ मिल सके।

पिछले साल से जो नये कनेक्शन मिलने थे वह हमें मिल नहीं पाये हैं। जैसलमेर जिले के काश्तकार बहुत ही गरीब हैं, पूरा जिला गरीब है। नर्सरी के तहत जो कनेक्शन दिये जाते हैं, यह नियम जैसलमेर के लिये लागू नहीं किये जाएं। कृपया साधारण कनेक्शन के अन्दर जैसलमेर जिले को कनेक्शन देने की व्यवस्था की जाय।

जैसलमेर जिले में सभी पिछड़े हुए लोग हैं बाकी सभी जिलों में बिजली की, पानी की और हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसलमेर जिला हर तरह से पिछड़ा हुआ रहा है। जैसलमेर जिले में थोड़ी ही जगह ऐसी है जहां कुओं में पानी आता है। इतना ज्यादा कुओं का एग्रीकल्चर कनेक्शन भी नहीं है इसलिये कृपया जैसलमेर जिले में जितने पांच-पचास कनेक्शन हैं उनको तुरन्त देने की कृपा कराएं।

पिछले साल से जिनके पैसे जमा थे उन लोगों को कनेक्शन देने के लिये जो 6 ट्रांसफार्मर लगाये उसके लिये मैं विभाग का बड़ा आभारी हूं। आगे भी निवेदन है कि दो साल से जिनकी फाइलें भरी हुई हैं, तीन-तीन साल हो गये पोकरण मे फाइलें भरी हुई हैं, पोकरण में जो रहे हुए कनेक्शंस हैं कृपया उन्हें दिलाने की मेहरबानी करायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीरामजी बुरडक। (अनुपस्थित)। श्री भीमसेन जी चौधरी। (अनुपस्थित)। श्री जितेन्द्र जी नीनामा। (अनुपस्थित)। श्री हीरालाल जी विश्नोई। (अनुपस्थित)। श्री शंकरलाल अहारी। (अनुपस्थित)। श्री बृजेन्द्र सिंह जी सूपा।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, काफी दिनों से बिजली पर चर्चा चल रही है। विद्युत की समस्या पूरे राजस्थान में भयंकर रूप से है और खास तौर से जब से यह सरकार आयी है इसके समय में यह समस्या और भी गहरा गयी है। जब भी गांवों में वोट लेने के लिये जाते हैं तो हर पार्टी किसानों को बड़े लुभावने सपने दिखाती है, परन्तु किसान का दुर्भाग्य है कि किसान को समय पर बिजली नहीं मिलती और कई स्थानों पर तो जहां विद्युत कृषि कनेक्शन के डिमाण्ड नोटिस निकाले गये और पैसे जमा करा दिये, 1992 में पैसा जमा कराया और सारे कायदे-कानून पूरे करने के बावजूद उन गांवों में कनेक्शन नहीं दिया गया, विद्युत का कृषि कनेक्शन नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल भी किया था माननीय विद्युत मंत्री जी से, तो मंत्रीजी ने जवाब दिया कि, तार चोरी हो गये हैं जब आपूर्ति हो जाएगी तब उनको कनेक्शन दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कब वह तार चोरी की आपूर्ति होगी, कब उन किसानों को कनेक्शन दिया जाएगा? ऐसी स्थिति में किसान

(श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा)

अपने दर्द को रो रहा है। हमारी यहां की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है एक तरफ तो किसान बाढ़ से दुःखी, उस पर यह फसल चौपट हो गयी। दूसरी तरफ किसान को समय पर बिजली नहीं मिल रही है, अगली फसल की कोई उम्मीद नहीं कि वह फसल उत्पन्न हो जाए।

अभी सरकार की तरफ से जो हरी किताब निकाली है इसमें मीठे-मीठे सपने निकाले हैं पर इससे भी किसानों को हमारे यहां कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि खास तौर से इसमें जो नर्सरी की बात कही गयी है, यह नर्सरी के कनेक्शन हमारे भरतपुर जिले में और धौलपुर जिले में कोई अहमियत नहीं रखते, क्योंकि इतना पैसा गरीब किसान कहां से देगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के पास अपनी फसल के लिये बीज डालने को पैसा नहीं है, अपनी फसल के लिये खाद डालने को पैसा नहीं है वह इतने बड़े प्रोजेक्ट के अनुसार, इस किताब के अनुसार कहां से पैसा दें और जिन किसानों ने कृषि के लिये पैसा दे रखा है थानाडांग में, उनको अभी तक कनेक्शन नहीं मिले।

कई गांवों की स्थिति तो, अध्यक्ष महोदय, ऐसी भी है हमारे बयाना तहसील में कि जो गांव बड़े हैं, रेवेन्यू विलेज एक है और उसकी ढाणी हैं और ढाणी दूर है और उसकी आबादी भी रेवेन्यू विलेज से कई गुना ज्यादा है, उन गांवों में घरेलू कनेक्शन नहीं मिल रहा है, कृषि कनेक्शन तो देना बहुत बड़ी बात है। घरेलू कनेक्शन के लिये हमने एक्स ईएन. एस.ई. साहब से निवेदन किया कि हमें कनेक्शन दिया जाए जिससे वह घरेलू कनेक्शन उनको मिल सके परन्तु वह कहते हैं कि वहां हम ट्रांसफार्मर नहीं रख सकते, हमारे लम्बाई पड़ती है। कई गांवों में तो यह भी स्थिति आयी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हमारे गांव विद्युतीकृत घोषित कर दिये? 1990 में और 1991 में वह गांव विद्युतीकृत घोषित हुए हैं, उन गांवों में आज तक लट्ठा तो पहुंचना दूर, कहीं बिजली दूर तक दिखायी नहीं देती और कागजों पर बता रखा है कि यह गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं। जब जवाब आया तो यह बताया कि यह 2-3 गांव विद्युतीकृत होने से रह गये। क्यों रह गये? तो बताया कि गांव पथरीले हैं। क्या उन गांवों का दुर्भाग्य है अगर वह गांव पहाड़ी एरिये में बसे हुए हैं, उनको बिजली मिलेगी या नहीं? मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उन गांवों में कब तक बिजली पहुंचा दी जाएगी जिससे उन गांवों को राहत मिल सके?

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां चोरी हो गयी है, ट्रांसफार्मर बह गये हैं या तार बह गये हैं, लट्ठे बह गये हैं उन गांवों में सुचारू रूप से बिजली कब तक पहुंचा दी जाएगी? इसका, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आश्वासन देने की कृपा करें जिससे कि हमारे किसानों को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना

(श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा)

चाहता हूं जिन किसानों की डिमाण्ड नोटिस का पैसा जमा है, उनको शीघ्र बिजली के कनेक्शन दिये जायें। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है, माननीय मंत्रीजी, इसका जरूर जवाब दें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलालजी मोदी। (अनुपस्थित)। श्री नाथूराम जी अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बिजली की समस्या पर विचार हो रहा है। कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिये हैं। मैं भी अपने एरिये के कुछ सुझाव और समस्याएं आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

वैसे मुझे आज सोलहवां साल चल रहा है राजनीति में और लगातार हूं लेकिन जब से बी.जे.पी की सरकार आयी है तब से.... (व्यवधान).... क्या व्यवस्था बढ़िया है ? यह हालत हो गयी है कि बिना पैसे बिजली मिलती थी;....

श्री अध्यक्ष : समय जाया नहीं करें, समय लिमिटेड है।

श्री नाथूराम अहारी : लेकिन आज एक पोल का नौ हजार रुपया लिया जाता है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो-तीन साल हुए- कोई भी काश्तकार आज तक उस बिजली का फायदा नहीं ले सका है। चूंकि इतनी डिमाण्ड नोटिस है। अधिकांश मंत्रियों ने और माननीय सदस्यों ने डूंगरपुर और उदयपुर जिले की भौगोलिक परिस्थिति देखी होगी, इस पहाड़ी पर एक है तो दूसरा उस पहाड़ी पर है। मैं समझता हूं भैरोंसिह जी 10 बार फिर मुख्य मंत्री बन जाय तो भी आदिवासी आपके इस कानून के अनुसार कभी बिजली नहीं ले सकता, यह मेरा दावा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे खुद के गांव में, मेरे खुद के घर में तीन साल से पोल लगे हुए हैं, पोलों के ऊपर तार लगे हुए हैं लेकिन उससे केवल मेरे मकान तक और ट्रांसफार्मर तक जोड़ने के लिये इनके पास हर समय यह जवाब रहता है कि सामान नहीं है। तीन साल तक यह हालात एक एम.एल.ए. के घर में हो सकती है तो औरों के घर में क्या होगी? अभी मेरे से पूर्व एक वक्ता ने यह बताया कि न तार है, न खम्भा है, न मोटर है इसके बाद भी उसके बिल आते हैं। वह कैसे आते हैं, क्या कारण है? ऐसे कौनसे कानून बना रखे हैं ?

मैं एक और बात निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पोलों की कीमत किस हिसाब से लगा रखी है ? क्या यह बणिये की दुकान है? बणिये की दुकान में भी हिसाब होता है। कोई हिसाब-किताब नहीं, आपके मन में आये वह रेट लगा दो, मन में आवे जो आप हिसाब कर लो और लोगों को, जनता को लूटे जाओ और इस तरह से आप चाहते हैं कि हम गरीब जनता का कोई फायदा करना चाहें तो मुझे लगता है कि कभी फायदा नहीं हो सकता है।

मेरे स्वयं के 23 हजार रुपये का डिमाण्ड नोटिस आया था। उस डिमाण्ड नोटिस के आधार पर, मैंने यह कहा था कि अभी मैं दो बार और एम.एल.ए. बनूं तो

(श्री नाथूराम अहारी)

भी मैं घासलेट ही जलाऊंगा। मुझे जरूरत नहीं है। तो एम.एल.ए. नहीं मर सकता तो गरीब काश्तकार, आदिवासी या कोई जनरल काश्तकार, मेरा खयाल है बिजली नहीं ले सकता। आप इस कानून को, ज्यादा नहीं करें तो उदयपुर डिविजन के लिये बिलकुल बदल दीजिये। यह कोई जरूरी नहीं कि हर जिला, हर गांव आपको फायदा ही फायदा दे।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि न यह किसानों की हितैषी सरकार है, आपको दिल खोल कर ऐसे एरिये के लिये बिलकुल फ्री बिजली देनी चाहिये। आप अगर उस को सही फायदा दिलाना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है।

इसी के अनुसार, अभी हमारे जनजाति मंत्री यहां नहीं बैठे हुए हैं, जनजाति विभाग की तरफ से जो पोलों की कीमत दी जाती थी वह आज नहीं के बराबर है और आज तीन-तीन, चार-चार साल हो गये हैं, मैं समझता हूं लाखों नहीं, करोड़ों रुपये जमा हैं लेकिन बिजली विभाग ने उन गांवों को भी इलैक्ट्रिफाइड नहीं किया। क्या कारण हैं? अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने बताया था कि क्या ब्याज लेता है विभाग? तो इस तरह दो-दो, तीन-तीन, चार-चार साल से डिमाण्ड नोटिस से पैसा भर कर के रखा जाए इसके बाद भी आप बिजली नहीं देते हैं तो मैं समझता हूं यह घोर अन्याय है। आप अगर इस तरह से किसानों के साथ अन्याय करेंगे तो मै समझता हूं काश्तकारों के लिये यह बिलकुल घातक है और काश्तकार बर्बाद हो जाएंगे, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं। आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी (महुआ)। श्री हीरालाल जी इन्दौरा। (अनुपस्थित)। श्री शांतिकुमार जी धारीवाल। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली): शायद मैं लास्ट बैट्समैन हूं। यह तो इनिंग डिफिट खा चुके। अब....(व्यवधान)....रन-वन तो क्या बनने हैं, आज वक्त ही बहुत ज्यादा हो गया।

श्री अध्यक्ष : आप ज्यादा भूमिका नहीं बनायें, आप तो पाइण्ट पर आ जाएं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप से प्यार की बात तो करूं।....(व्यवधान).... अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार का कौनसा ऐसा विभाग है जहां चोरियां नहीं होती?....(व्यवधान) हम तो चोर हैं ही। हम तो मीणे हैं, चोर हैं....(व्यवधान).... चोर हैं।

अध्यक्ष महोदय, रोड टैक्स की चोरी यहां होती है, पी.एच.ई.डी. के पानी की चोरी होती है, सहकारी समितियों में गबन यहां होता है, रोडवेज में....(व्यवधान).... सुनिये, जरा धीरज रखिये। मदन दिलावर, बहुत कागज हैं मेरे पास।

श्री मदन दिलावर : 1965 वाला कागज मेरे पास भी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरा बिजनस चलने दीजिये। मंत्रीजी, आप उलझे नहीं। धारीवाल जी, आप उलझें नहीं, इधर देख कर बात करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ट्रांसपोर्ट में चोरी होने के बावजूद भी आज राजस्थान की रोडवेज प्रोफिट में चल रही है। हर जगह चोरी है लेकिन कई विभाग राजस्थान के सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, यह कहने में मुझे कहीं झिझक नहीं है। लेकिन जब कभी बिजली का मसला आता है, यह कह दिया जाता है कि चोरी हो रही है, चोरी हो रही है, घाटे में चल रहा है, घाटे में चल रहा है, छीजत हो रही है, छीज तो ये सब ही रहे हैं। कोई मंत्री नहीं बना तो छीज रहे हैं, इसका तो हम क्या करें। यहां का किसान और यहां का उपभोक्ता सीधा-सीधा बिजली चाहता है

20.00

और बिजली जब तक नहीं मिलेगी वह सन्तुष्ट नहीं होगा, यह समस्या दूर नहीं होगी और बिजली तब ही मिलेगी जबकि यहां पर विद्युत की परियोजनाएं डाली जाएंगी। सन् 1991 में बिजली के क्षेत्र में केन्द्र सरकार ने अपनी नीति बदली और निजी क्षेत्र को आमन्त्रण दिया। परिणामस्वरूप बराबर के प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने 19 एम.ओ.यू. सात हजार मेगावाट बिजली पैदा करने वाली विभिन्न कम्पनियों के साथ करार पर दस्तखत किये। केन्द्रीय मंत्री माननीय एन.के.पी. साल्वे ने मार्च में कहा कि तीन हजार मेगावाट की कम से कम सात परियोजनाएं दो वर्ष में चालू हो जाएंगी और इसके पहले 13 करार और कर चुके।

आपने ग्लोबल टेंडर फ्लोट किये। आलोचना हो गयी, एनरान को सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने गारण्टी दे दी। आर.एस.ई.बी. की तरफ से अखबार में एक स्टेटमेंट छपा कि दिक्कत यह आ रही है कि केन्द्र सरकार ने गारण्टी देना बन्द कर दिया। एक तरफ तो एनरान को जो सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने काउंटर गारण्टी दी उस पर भारतीय जनता पार्टी ने एतराज किया और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार ने चूंकि अब काउंटर गारण्टी देना बन्द कर दिया है इसलिए हमने विश्व बैंक के हाथ जोड़े हैं और छह आदमियों की टीम फरवरी में यहां पर बुलवाई है। कितना विरोधाभास है। आपकी नीयत साफ नहीं है, आपके पास कोई तैयारी नहीं है। यह कितनी भी बड़ी-बड़ी किताबें आप छाप दो लेकिन एक परियोजना लोक सभा के चुनाव के पहले आप करवा नहीं सकते, क्योंकि आपकी पोलिटिकल विल नहीं है। मैं दावे से कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जब तक लोक सभा के चुनाव होकर नहीं निपट जाएंगे, तब तक भैरोंसिंह जी इस मुख्य मंत्री पद पर रहते हुए एक भी विदेशी कम्पनी से या एन.आर.आई. से या किसी भी निजी कम्पनी से कोई एम.ओ.यू. साइन नहीं कर सकते, यह चाहे कितना भी कुछ कर लें।

अनडाउटेड इन्टिग्रिटी के दोनों अफसर यहां मौजूद हैं। चाहे वह पावर सैक्रेटरी हों या आर.एस.ई.बी. के चेयरमैन हों। यह चाहे कितनी ही कोशिश कर लें। ओवर टाइम काम कर रहे हैं, तनख्वाह वो की वो ही है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। यह रघुवीर सिंह जी को न तो हटा सकते। रघुवीर सिंह जी का किस्सा यह है कि यह भी कोटा के रहने वाले हैं, मैं भी कोटा का रहने वाला हूं। सन् 1951–52 में यह तो साइकिल चलाते थे और अडवाणी जी पीछे

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

लगेज के कैरियर पर बैठते थे। आज यह भैरोंसिंह जी के बस की बात नहीं है कि वह राजस्थान का विद्युत मंत्री बदल लें। वह तो मुझे ही बात करनी पड़ेगी अडवाणी जी से। जहां तक सवाल इस बात का है भण्डारी साहब और गुप्ता साहब तो, देखो ओसवाल की जगह तो ओसवाल तैयार हैं और अग्रवाल की जगह अग्रवाल तैयार हैं...

श्री राकेश मेघवाल : मेघवाल भी तैयार है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेघवालों का क्या काम ?

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। इस भूमिका की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा समय हो रहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ, यहां के किसानों के साथ यह खिलवाड़ बन्द करो आप। उत्पादन के लिये लगातार कोशिश की, जितनी योजनाएं आपने कीं। यह आप ही के द्वारा, राजस्थान की सरकार के द्वारा यह घोषित किया गया था, फरवरी में एक स्टेटमेंट छपा था, जिसमें लिखा था कि राजस्थान में लगने वाले 13 बिजली घरों की स्थापना के लिये समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। किसने कहा था आपसे कि आप यह समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित कर दें, तारीखें दे दें। एक एक की तारीखें दी हैं। आखिर इन प्रोजेक्ट्स का हुआ क्या ? इस राजस्थान की जनता को और सदन के सदस्यों को यह जानने का हक है कि आपने जब यह अखबार में छपवाया और एक-एक परियोजना की तारीखें निश्चित कीं.... (व्यवधान).... भइया, यह दिमाग की बात हो रही है। कोई मजाक की बात हो तब बोल लेना आप। आपके पल्ले नहीं पड़ेगी ये बातें। इन सभी बिजली घरों की स्थापना के लिये इस वर्ष के अन्त तक निजी फर्मों से अनुबन्ध कर दिये जाएंगे। जह डीजल के सौ-सौ मेगावाट के सैट, उनके लिये लिखा हुआ है कि 15 मई तक इन फर्मों से समझौता हो जाएगा और तीस जून तक अनुबन्ध कर दस्तखत कर दिये जाएंगे। लिग्नाइट पर आधारित के लिये लिखा है कि 15 मई तक इन पर अन्तिम निर्णय लेकर के 30 जून तक उस पर भी दस्तखत कर दिये जाएंगे। बरसिंगसर के लिये लिखा है कि 15 अप्रेल तक इसका सलेक्शन करके 15 जून तक एग्रीमेंट पर सिगनेचर हो जाएंगे। धौलपुर में लगने वाले 750 मेगावाट पर 15 मई तक इसके अनुबन्ध पर दस्तखत कर दिये जाएंगे। धौलपुर का किस्सा तो यह है कि आर. पी. जी. को ट्रांसपेरेंसी की बहुत बातें करते हैं। महाराष्ट्र से उठी है ट्रांसपेरेंसी की बातें। आपने आर.पी.जी. को एम.ओ.यू. साइन कर दिया। आर.पी.जी. को जो केन्द्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय से नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला, वह मिला कोल बेस पर और अब वह नेफ्था पर चले गये। कोल में उन्होंने यह समझ कर एन.ओ.सी. दिया कि ताज को खतरा नहीं होगा लेकिन नेफ्था का धुआं तो इतना तेज है कि वह मुश्किल में पड़ जाएगा और यह धौलपुर का प्रोजेक्ट भी वैसा का वैसा रहने वाला है। इसमें भी कोई प्रगति नहीं होने वाली है। चित्तौड़ में लगने वाले के लिये तारीखें दे दीं। आगे

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

भी दो-चार की तारीखें दे दीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता।

मुख्य मंत्री जी से दुबई के एक एन.आर.आई. माधव धामाई ने फरवरी में चर्चा की और उन्होंने यह बताया कि मैं नेफ्था से बिजली पैदा करने का प्लान लेकर के आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं बिलकुल आपसे एग्री करता हूं और आप फौरन बनाकर के दे दीजिए, मैं मंजूर करता हूं। आज तक कुछ नहीं, यह फरवरी की बात है। नीयत बिलकुल साफ नहीं। सोलर एनर्जी के बाबत बातचीत चला रखी है कि एमको एनरान ने जो प्रोजेक्ट बनाया है, जिस सोलरएनर्जी के लिये बहुत उछल-उछल कर भारतीय जनता पार्टी वाले बात कर रहे हैं उसकी चिमनी एक किलोमीटर ऊंची है। उस बोर्डर एरिया में, क्या डिफेन्स वाले इजाजत दे देंगे? यह किसको बेवकूफ बनाना चाहते हो....(व्यवधान).... आप तो सब बन चुके अब हम बनने वाले हैं।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी, यहां नहीं बैठे हैं लेकिन टी.वी. पर जरूर सुन रहे होंगे, मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह डर छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज बनेगी न कल बनेगी दिल्ली में। लोक सभा में वही चार-पांच सीटें लेकर के यह पहुंचेंगे। लोक सभा के चुनाव से डरें नहीं। दस्तखत धड़ाधड़ करें।

कनाडा की एक फर्म आयी थी। पावर प्लाण्ट राजस्थान में डालना चाहती थी। + + + से मिली और यह कहती हुई भाग गयी कि नहीं, नहीं, इतना तो नहीं। तो आप अगर रघुवीरसिंह जी को नहीं हटा सकते तो दो जगह तो थी वह तो हमने बता दी। अपने आपको ओफर कर दिया। रघुवीरसिंह जी को नहीं हटा सकते, + + + को अगर आप विद्युत मंत्री नहीं बना सकते तो ओ.एस.डी. लगा दो। एक्स्ट्रा कांस्टीट्यूशनल आथोरिटी दे दो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं सही कहता हूं आपसे कि प्रोजेक्ट डलवा देंगे वह और राजस्थान की जनता तो प्रोजेक्ट चाहती है। आप चाहे जितना कर लेना जितना चाहो इकट्ठा कर लेना। आखिरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। अब तो हो गयी, दस मिनट हो गये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + कहां हो गयी + + + किसानों को बिजली देने में राजस्थान सबसे पीछे बताया जाता है। कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, किसानों को वहां पर 23 घंटे बिजली प्रोवाइड की जा रही है।

श्रीमती तारा भण्डारी : दिन में दस बार जाती है, दस बार।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जालौर की याद दिला रही होंगी आप।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं बैठता हूं, क्योंकि न आप सुनने के मूड में हो, न बात आपके समझ में आ रही है। मेरा अर्ज करना आपसे यही है कि डरिये मत जो पार्टी आती है, अगर दो-पांच पैसे महंगी भी बिजली मिलती है तो बिजली तो जरूरी है, प्रगति के लिये जरूरी है, जीने के लिये जरूरी है, हर चीज में बिजली जरूरी है। और बिजली का दाम अगर पांच रुपया भी होगा, छह रुपया भी होगा तो भी लोग खरीदेंगे। जब पैट्रोल आठ आना लीटर मिलता था तब भी कारें चलती थीं और आज 20 रुपये लीटर मिलता है तब भी कारें चलती हैं। इस तरह का बहाना मत बनाइये और धड़ाधड़ एग्रीमेंट कीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। श्री राजेन्द्र जी पारीक।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मिनट में खतम कर रहा हूं, साहब। आपको उर्दू का शेर सुनाना चाहता हूं। वैसे उर्दू का नहीं है, इसमें दो-तीन फारसी वर्ड्स हैं। आपके नहीं समझ में आयेगी, मैं आपको उसका अर्थ समझा दूंगा।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) आपके समझ में आनी चाहिए। हम तो समझ लेंगे,

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मदन दिलावर साहब, +++ आपके बस की नहीं हैं।

"है मुसीबत का जमाना वह क्या जानें,
मोहत मिम ही नहीं ढरोग हलफी है
और फन ही नहीं।"

मोहत मिम ही नहीं, मतलब व्यवस्था करने वाला कोई नहीं है और ढरोग हलफी है मतलब कसम खा करके असत्य बोलने वाले लोग हैं और फन ही नहीं।

"मांगता हूं जो दुआ चिराग की उनके आगे
चुपके-चुपके वह कह जाते हैं कि
मुमकिन ही नहीं।"

श्री अध्यक्ष : आदाब अर्ज है। बिराजें आप। श्री पारीकजी, आप बोलें।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, डिमांड और सप्लाई की कमी है जो मुझे भी सुबह बोलने के बजाय इस वक्त बोलने का मौका मिल रहा है। न आपका सुनने का मन है न मेरे बोलने का मन है। लेकिन सुबह से शाम तक यहां बैठा हूं इसलिए दो शब्द कहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष में बैठे हुए लोग और प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोग सुबह से जिस तरह से ऊर्जा की महती समस्या पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इससे एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि हकीकत में न केवल राजस्थान का किसान बल्कि आम उपभोक्ता इस विद्युत की समस्या से ग्रसित है। समस्या जग जाहिर है और इस समस्या के निदान के लिये प्रथम तो जरूरी यह है कि ऊर्जा हमारे पास हो और दूसरी बात यह है कि जो कुछ ऊर्जा हमारे पास उपलब्ध है उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन हो और सही ढंग से उसका उपयोग हो। समस्या डिमाण्ड और सप्लाई की है। डिमाण्ड ज्यादा है और सप्लाई कम है और कन्जूमर्स बढ़ते जा रहे हैं। जहां हम पचास पैसे की बात करते थे वहां आज किसान

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

नर्सरी के नाम से ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको जमा करवा रहा है। किसी भी योजना की बात आप कर लीजिये। किसान या अन्य उपभोक्ता या इण्डस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी कन्जूमर आज किसी भी रूप में ज्यादा से ज्यादा आपको पैसे देने में कोई कोताही नहीं बरत रहा है। इसलिए यह बात तो स्पष्ट हो गयी कि इन कन्जूमर्स को जिस रेट में भी आप बिजली उपलब्ध करायेंगे वह बिजली लेंगे और हालात जब यहां तक पहुंच गये कि कन्जूमर किसी भी रेट में बिजली खरीदने को तैयार है, तो सरकार का यह दायित्व बन जाता है कि अपनी विल पावर को, पोलिटिकल विल को मजबूत करे और इधर-उधर की बात को छोड़ कर एक निश्चित समयबद्ध योजना तैयार करें जिससे जो कुछ भी ऊर्जा उनको स्वयं को एनरजाइज करनी है और बाकी की अन्य स्टेट से या जहां कहीं से भी उनको उपलब्ध करनी है, इन सबका उपयोग करके इस स्टेट के कन्जूमर्स को बिजली उपलब्ध करायें।

इन सबके साथ-साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्या जो है वह न केवल एनर्जी की है बल्कि समस्या इसके साथ-साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव की भी है। हमारे पास जो कुछ भी ऊर्जा उपलब्ध है उसको हम सही ढंग से वितरण नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या के पीछे पिछले दिनों जिस तरह से मण्डल ने करप्शन पर जो कुछ भी रोक लगाने के लिये कुछ लोगों को निलम्बित किया, कुछ लोगों को प्रताड़ना दी, कुछ लोगों पर किसी तरह से और अंकुश लगाने की कोशिश की। तो यह एडमिनिस्ट्रेटिव प्राब्लम भी है। इसका सही ढंग से मानीटरिंग नहीं होने की वजह है। ट्रांसफार्मर जल जाता है, किसान उसके लिये दौड़ता रहता है और हकीकत यह है कि कई वक्त बोर्ड के पास ट्रांसफार्मर पड़े रहते हैं बावजूद जे.ईएन. की मर्जी नहीं, ए.ईएन. की मर्जी नहीं या किसी अन्य अधिकारी की मर्जी नहीं और इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता और यह समस्या धीरे-धीरे बढ़ती जाती है।

मेरा आपसे एक निवेदन है कि जिस तरह हम भयंकर गर्मी के दिनों में पानी की समस्या से जूझने के लिये मंत्री स्तर पर कुछ कमेटीज बनाते हैं, कुछ जिलों को सौंपते हैं और उनको प्रभारी बनाया जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि किसान की समस्या बड़ी माकूल है। ऐसी समस्या को देखते हुए हमें मंत्री स्तर पर कुछ ऐसी कमेटी बनानी चाहिए और एक-एक मंत्री के जिम्मे 3–3 जिले सौंपने चाहिए, मंत्री इस बात की मानीटरिंग करें कि किसान ने पैसा जमा करवा दिया और जब अपन बिल को समय पर जमा नहीं करने के चक्कर में कन्जूमर्स से ज्यादा पैसा वसूल करते हैं,तो क्या गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी नहीं है कि पैसा लेने के बाद वह उसको कनेक्शन दें ? उस वक्त यह कह देते हैं कि हमारे पास फलां सामान उपलब्ध नहीं है, यह हमारे पास में फलां चीज उपलब्ध नहीं है इसलिए नहीं दिया जाता। यह सुनिश्चित किया जाए कि जब कन्जूमर ने पैसे जिस योजना के तहत जमा करवा दिये तो उसको उस योजना के तहत कनेक्शन मिले और वह किसी भी कीमत पर मिले और उसमें किसी तरह की कोताही यदि होती है तो वह गलत है।....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसके साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा । यह समस्या मेरे जिले में बहुत ज्यादा है । पानी का स्तर नीचे चला गया और जब पानी का स्तर नीचे गया तो निश्चित रूप से जिस कुएं पर 10 एच.पी. की मोटर थी तो उसने पावर बढ़ा लिये, उसने 15 एच.पी. की मोटर लगा दी । जब वह डिपार्टमेंट के पास जाकर इस बात की शिकायत करता है कि साहब 10 की बजाय मैंने मोटर 15 की लगा ली है इसको आप रेगुलर कनेक्शन में कंवर्ट कर दीजिये तो वे करते नहीं हैं । जब किसान मजबूरी से 10 की बजाय 15 एच पी की मोटर चलाता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज करते हैं । उसको थेप्ट के लिये मजबूर किया जा रहा है । मेरा आपसे निवेदन है जहां कहीं ऐसे कनेक्शन हो और जो आदमी रेगुलर करना चाहता है तो उसको तुरन्त सुविधा दी जाए ।....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप ।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक छोटी सी समस्या और निवेदन करूंगा । वह समस्या यह है कि मेंटीनेंस ही बहुत बड़ा कारण है । मेंटीनेंस की कमी की वजह से पावर लीकेज होता है उससे अन्य कई समस्याएं खड़ी होती हैं जिसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विभाग की एक नीति बनी हुई है कि इतने कन्जूमर्स पर एक ए.ईएन. होगा इतने कन्जूमर्स पर एक जे. ईएन. होगा । विभाग का जब इतना खर्चा लग रहा है, इतने करोड़ों रुपये का जब विभाग का खर्चा हो रहा है, तो क्यों नहीं वे विभागीय स्टाफिंग पैटर्न है, नार्म्स के तहत उस अनुपात में नहीं करें तो थोड़ा बहुत अनुपात आगे पीछे करके करना चाहिये ।

मैं आपसे निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर शहर में तीस हजार कन्जूमर हो गये । छह हजार कन्जूमर के पीछे एक ए.ईएन. की पोस्ट होती है जो उस लोकेलिटी की मानीटरिंग करता है और मेंटीनेंस करता है । अब 30 हजार कन्जूमर स्ट्रेंथ पर एक ए.ईएन. यदि काम करता है तो न तो वह सही ढंग से कार्य क्षेत्र को अन्जाम दे पाता है और न ही सही ढंग से कनेक्शन कर पाता है ।—

श्री अध्यक्ष : आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अब आप बिराजें ।

श्री राजेन्द्र पारीक : ऐसे में कन्जूमर सुविधा को देखते हुए सही ढंग से मेंटीनेंस हो, स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार विभाग यदि कुछ और नयी नियुक्तियां करें । माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्षों से विभाग में नयी नियुक्तियां नहीं हुई हैं । जब करोड़ों रुपयों का खर्च हो रहा है तो विभाग थोड़ा बहुत खर्च और वहन करे । इससे विभाग को जहां एक ओर फाइनेंशियली बर्डन पड़ेगा लेकिन जो मेंटीनेंस के नाम पर इधर-उधर का खर्च होता है, आये दिन ट्रांसफार्मर जलते हैं उसमें शायद यह कम्पेनसेट हो जाएगा । आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य । विचारार्थ

(श्री अध्यक्ष)

लिया जाने वाला विधेयक। श्री गंगाराम जी प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : Sir: I raised my point of order.

मेरे को रेज तो करने दीजिये। Let me raise my point of order. My point of order is....

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : यह उपनिवेशन बिल है, दूसरा बिल है, आप जो समझ रहे हो वह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंहजी। (अनुपस्थित)। श्री जुबेर खान। (अनुपस्थित)। श्री माधव सिंह दीवान। (अनुपस्थित)। श्री शैलेन्द्रजी जोशी।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 में पांचवीं बार संशोधन किया जा रहा है और काश्तकार में निहित अधिकारों को इंटरचेंज को विधिमान्य करने के लिये समय-समय पर अल्पकाल और अल्प अवधि के लिए इस तरह जो संशोधन किये गये हैं जिसमें कि जिलाधीश के आवेदन करने के लिए 180 दिन की कालावधि अनुज्ञात की गयी थी लेकिन यह 1987 में, 1992 में, जो 31-12-1992 को संशोधन किया गया है उसमें 5 साल और 6 महीने की अवधि बतायी गयी थी, लेकिन उस कालावधि के दौरान भी आवेदनों पर जो अंतरण हुआ नहीं और पट्टा या और अधिकार नहीं दिये गये थे और वह इस पूर्व शर्त पर दिये गये थे कि यदि धारा 13(क) की उप धारा 1 के अधीन कम्पाउंडिंग फीस जिसको कि सम्मन राशि बतायी है, वह कम्पाउंडिंग फीस इन एडीशन टू दी टोटल फीस यदि 18 प्रतिशत के हिसाब से दी जाए तो मान्य कर दी जाए।

मेरा निवेदन करना यह है कि एक जनवरी, 1993 से 5 साल और 6 महीने की अवधि के लिए यह बढ़ायी गयी है इसकी मान्यता प्राप्त की अवधि बढ़ाना, जो बार-बार अवधि बढ़ायी जाती है उसकी बजाय एक बार ही ऐसा प्रावधान लाया जाए कि जिससे हर बार समय नहीं व्यतीत हो और इस सदन का समय बार-बार नहीं बढ़ाया जाए। एक ही बार में इसमें इस तरह का प्रोवीजन रखा जाए जिससे कि इसको आगे के लिए, परपीचुअल पीरियड के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सके।

इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन करना है कि इसमें यह प्रोवीजन किया गया था कि सिंचित भूमि के मामले में प्रत्येक 25 बीघा के लिए 20 हजार रुपये की रकम का और बारानी और अनकमांड भूमि पर 25 बीघा के लिए 4 हजार रुपये की रकम का धारा 7 की उप धारा 2 में प्रोवी-

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

जन था और उसको चार अलग-अलग इंस्टालमेंट में देने का प्रोवीजन था ।

मेरा निवेदन करना यह है कि चार आसान किश्तों में कम्पाउंडिग फीस जमा कराने का जो था उसको तो यथावत बनाये रखा जाए किन्तु अब इसको संविधान संशोधन के द्वारा जो 18 प्रतिशत कम्पाउंडिग फीस पर इंटरेस्ट लगाया गया है, यह एक्सेसिग इंटरेस्ट है और 18 प्रतिशत का ब्याज सरकार कम्पाउडिग फीस, कम्पाउंडिग फीस अपने आप में एक पेनेल्टी है तो पेनेल्टी पर भी इंटरेस्ट लगाया जाए यह कैसे भी जस्टीफाई नहीं होगा । मेरा यह निवेदन करता है कि इसको जनमत जानने के लिए रखा जाए ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी मीणा । श्रीमती उजला अरोड़ाजी । श्री विष्णु जी मोदी । श्री हरजीरामजी बुरडक । श्री भीमसेनजी । श्री अमरारामजी (धोद) ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन संशोधन विधेयक, 1995 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रवर समिति को सुपुर्द करने के बारे में श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर) बोलना चाहेंगे ?

विधेयक को प्रवर समिति के निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इस बिल को एक सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाए । उसका कारण यह है कि कोलोनाइजेशन एक्ट, 1954 में सन् 1983 में एक नया सेक्शन जोड़ा 13(ए), उसके अन्तर्गत यह प्रावधान था कि जो ट्रांसफर्स हुए थे खातेदारी इंटरेस्ट के सम्बन्ध में उनको कुछ समय फिक्स हुआ कि जिस समय के अंदर वह वेलिडेट कर दिया जाएगा । वह समय 1983 के बाद में 1987 में और अंततोगत्वा 5 साल और 6 महीने का बढ़ा दिया गया और इस समय, समय सीमा है 1992 । 1992 तक जो भी ट्रांसफर्स वेलिडेट होंगे उनके लिए कुछ प्रोवीजन्स हैं । दो प्रोवीजन्स आलरेडी बने हुए हैं । इसमें और उस प्रोवीजन के अन्तर्गत 4 इंस्टालमेंट्स में कम्पाउंडिग फीस को जमा किया जा सकता है और कोई एक किश्त में अगर उस रकम को जमा करा दे तो 25 प्रतिशत उस कम्पाउंडिग फीस में भी कमी हो सकती है । अब सरकार यह प्रोविजन ला रही है । इसमें दो प्रोविजन ला रही है और वह यह कहना चाहती है कि 31 दिसम्बर, 1992 के बाद भी वह ट्रांसफर्स वेलिडेट हो जाएंगे । लेकिन वेलिडेट करने के लिए उन्हें कम्पाउंडिग फीस पर 18 प्रतिशत ब्याज और देना पड़ेगा । अब इसमें विचारार्थ बात यह है कि जो चार इंस्टालमेंट्स 1992 के पहले वाले ट्रांसफर्स को वेलिडेट करने के लिए अलाउड थे, जिन लोगों के लिए 25 प्रतिशत की छूट हो सकती थी, क्या वह इन ट्रांसफर्स के लिए जो 1992 के बाद में

(श्री हरिसिंह)

वेलिडेट होंगे, अलाउड होगी या नहीं होगी ? क्यों नहीं होगी या होगी ? इस सम्बन्ध में, विचार श्रीमन्, सरकार ने मेरे ख्याल से किया ही नहीं। अन्यथा कोई वजह नहीं है कि 1992 के पहले उसी प्रकार के ट्रांसफर्स, उसी प्रकार के वेलिडेशन हैं उसी एक्ट के अंदर, वेलिडेशन है और उसी प्रकार के लोग उसमें प्रार्थी हैं उनको तो यह छूट 25 प्रतिशत तक काफी कीमत होती है इस 20,000 की। 20 हजार पर 25 प्रतिशत, 5 हजार रुपये हो गये श्रीमन्। 5 हजार रुपये की छूट है और 1992 के बाद में आप अलाउड करने जा रहे हैं काश्तकार के लिए और उसको आप वंचित करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं और इसमें आपने जो समय सीमा दी है, इस समय सीमा के अन्दर आप इंस्टालमेंट देना अलाऊ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं ? कम्पाउंडिंग फीस पर 25 प्रतिशत आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, यह ऐसे विषय हैं जिन्हें सरकार को अपने आप में तय कर लेना चाहिए। यह एक ऐसी सम्पदा है किसानों के सम्बन्ध में जिस पर पूरे हाउस के सामने विचार होना चाहिए और आपके डिपार्टमेंट से जो बिल बनकर के आया, उसको हाउस के सामने रख दिया। इस प्रकार के मामले जिनमें कि पूरे किसानों का हित निहित है, उस पर विचार करने के लिए उनको प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए, मेरा आपसे यह निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, मेरा भी प्रस्ताव यही है कि सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाए, पर उसके पीछे कारण है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोलोनाइजेशन एक्ट बना, एक अलग तरह की व्यवस्था वहां थी और जिस वक्त कानून बना, सरकार की मंशा यह नहीं थी कि जिनको कोलोनाइजेशन में जमीन मिले वह उस जमीन को बेचकर मुनाफा कमाते रहें। यह जमीन उन लोगों को दी गयी थी जो लैण्डलैस थे और जिनको जमीन देना आवश्यक था लेकिन इसके साथ ही सरकार का यह सोच था कि ये लोग, बाग फिर जमीन बेच करके लैण्डलैस नहीं हो जाएं, इस मंशा से कानून बना था। उसके बाद किन्हीं कारणों से, प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, इसमें छूट दी गयी कि कुछ ट्रांसफर्स छह महीने की अवधि में रेगुलराइज कराये जा सकते हैं। यह पीरियड बढ़ता गया और अंत में 5 संशोधन इसमें किये गये और पांचवें संशोधन के बाद का जो समय अब समाप्त हो गया 31–12–1992 को। अध्यक्षजी, इस अमेंडिग बिल के द्वारा यह प्रावधान किया जा रहा है कि 31–12–1992 के बाद में यानि एक जनवरी, 1993 के बाद में भी यह जो ट्रांसफर्स हैं वे वेलिडेट किये जाएंगे। उसकी कुछ कंडीशन्स हैं और जिन लोगों को पहले ट्रांसफर की इजाजत दी गयी, उन पर कोई ब्याज नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब 18 प्रतिशत का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा जैसा माननीय सदस्यों ने कहा 25 प्रतिशत की छूट देने का भी प्रावधान है। एक तरफ आप 25 प्रतिशत कम्पाउण्ड फीस में छूट देना चाहते हैं दूसरी तरफ 18 प्रतिशत का ब्याज करना चाहते हैं, इन दोनों में सामंजस्य कहां है ? यदि आप इस ट्रांसफर्स को वेलिडेट करना

(श्री शिवनाथ सिंह)

चाहते हैं और रिलीफ देना चाहते हैं तो ब्याज रखने की आवश्यकता नहीं। ब्याज से उनको दंडित करना चाहते हैं तो फिर कम्पाउंडिंग फीस में 25 प्रतिशत छूट की आवश्यकता नहीं।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इतना बड़ा अमेंडिंग बिल यह लाये हैं, यदि यह सोचते, रेवेन्यू विभाग, इनके ड्राफ्ट्समैन जिन्होंने यह बिल ड्राफ्ट किया है, थोड़ा-सा भी सोच लेते तो इतने बड़े बिल की आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ 3-4 लाइन जो ऑरिजनल एक्ट है उसमें डिलीट की जा सकती थी, वह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो पहले 13 'ए है उसका प्रोवीजो वन है, तीन लाइन है, जो पढ़ कर सुनाना चाहूंगा।

"Provided that the State Government may, on being satisfied that it is necessary of expedient to do so, extend by notification the period beyond 30the June, 1987 not exceeding five year & six months, upto the day as deemed fit" आज भी इस बिल की भावना यही है कि आप इस वेलीडेशन एक्ट को लगातार, कन्टीनुअस, हमेशा के लिए लागू करना चाहते हैं। यदि आपकी मंशा यह है, हालांकि मैं इस मंशा के कतई खिलाफ हूं, जिन लोगों को विशेष परिस्थिति में जमीन दी गयी थी उनको यह अवसर नहीं मिलना चाहिए। पैसे वाले उनको पैसे देकर उनको जमीन से बेदखल करते रहें, जमीन विहीन करते रहे और सरकार उनको जमीन देती रहे लेकिन फिर भी यदि आपकी मंशा यह है और सरकार इसको करना चाहती है तो, माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो प्रोवीजो मैंने अभी पढ़ा है उसमें शब्द है 'नोट एक्सीडिंग 5 इयर्स एण्ड 6 मन्थ्स' इन वर्ड्स को डिलीट कर दो, आपकी मंशा पूरी हो जायेगी। जो नया सेक्शन आपने जोड़ना चाहा हैं इसकी आवश्यकता ही नहीं है। आपने यह प्रावधान किया हुआ है प्रोवीजो में कि आप उसको 87 के बाद में 5 साल 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। 5 साल 6 महीने के पीरियड को डिलीट कर दो। हमेशा के लिए छूट मिल गयी। अब कोई गवर्नमेन्ट नयी आयेगी और वह इसको सोचेगी तो वह अमेन्ड कर सकती है लेकिन आपकी मंशा इस बात की है कि हम हमेशा के लिए छूट देना चाहते हैं तो छूट इस तरह के अमेन्डमेन्ट से मत दीजिए। आप यह दो शब्द हटवा दीजिए उसके बाद आपकी मंशा पूरी हो जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष जी, यह जो कानून है कोलोनाइजेशन का और इसमें अलाटमेन्ट उन लोगों को होता है जो लैण्डलैस हैं या एक्स रिटायरमैन हैं या और विशिष्ट कैटेगरी के लोग हैं। आज हालत यह है, अध्यक्ष जी, कि जितना अलाटमेन्ट हुआ है वह अधिकांशतः बिक्री में चला गया है। बहुत कम लोग वहां पर वास्तव में जमीन को काश्त कर रहे हैं। यह ऐसा फर्जी

(श्री रामनारायण चौधरी)

कानून है कोलोनाइजेशन का कि इससे किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक गरीब आदमी को, हरिजन को शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स को, एक्स मिलिट्रीमैन को, लैण्डलेस लेबर को, मार्जिनल फार्मर को जमीन मिलती है और वह उस जमीन को जिसके पास पैसा है उसको बेचकर आ जाता है। वह बिक्री आप वेलिड नहीं मानते हैं। उसकी कागजों में बिक्री दिखा रखी है। उसको आधा पैसा ही मिला है। अब उसको कम मिला है इसलिए ट्रांसफर करने के लिये नही आते। तो मैं सरकार से यह चाहता हूं कि इसको आप अगर जनमत जानने के लिये भेजेंगे, सलेक्ट कमेटी को भेजेंगे तो हम यह भी सुझाव देंगे कि इस कानून को आप बदल दीजिए। अलाटमेन्ट जिस किसी को भी, गरीब आदमी को, शिड्यूल्ड कास्ट को, ट्राइब्स को, लैण्डलेस को या किसी को भी मिला है, मैं जो माननीय सदस्य गुढ़ा से आते हैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं कि जमीन इसलिए नहीं दी गयी थी कि उसको बेचे। आपने उसको इसलिए दी थी कि वह काश्त करे लेकिन वह काश्त नहीं कर सकता। उसको जमीन मिल गयी उसके बाद में अब गवर्नमेंट का क्या ठेका है कि वह उसको ट्रांसफर नहीं करे या बेचे नहीं। उसकी मर्जी है जिसको चाहेगा बेच देगा। उसको बेचने का राइट दे दीजिये और बेइमानी के कानून को हटा दीजिए। क्या मतलब हुआ? ट्रांसफर आप नहीं करते हैं। जमीन बिक गयी और वह पजेशन में ही नहीं है। पजेशन में श्री पूनमचन्द विश्नोई और रामनारायण के है कि इन्होंने खरीद ली। अब आप ट्रांसफर हमारे नाम करते नहीं, पैसा हमारा लग गया और पार्टी के पास पैसा पहुंच गया। तो इस कानून पर आप पुनर्विचार क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत आ रही है? गरीब आदमी को जमीन मिली है उसको अगर मार्केट रेट से पैसे मिल जायें तो आपको क्या दिक्कत है, किसी भी माननीय सदस्य को क्या दिक्कत है? सदन को क्या दिक्कत है? एक गरीब आदमी बेच करके अपने घर में किसी दूसरे काम में लगा देगा। उसको लैण्डलेस मत मानिये। उसको आगे जमीन मत दीजिए। आज बिजनसमैन है वह अपने बिजनस को बेचकर आ जायेगा तो उसको कौन रोकेगा? तो वस्तुतः इस सिद्धान्त को बदलिये। कानून को बदलिये। इस कानून को बदलवाने के लिए ही अमेंडमेंट दिया है। यह बिलकुल बोगस कानून है, यह बिलकुल धोखाधड़ी का कानून है। इससे सब लोग लुटते हैं। वह भी लुट रहा है जो अलाटी है, वह भी लुट रहा है जिसने खरीदी है और उसमें सब फंसे हुए हैं। तो इसको आप रेगुलेराइज कीजिए। इस कानून को हटाइये कि बेच नहीं सकते और बेचान का राइट दीजिये अलाटी को।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के बोलने के पहले....

श्री रामनारायण चौधरी : आप लुटा रहे हैं दोनों तरफ से।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप क्या बात करते हैं। आपने यह बनाया था 1954

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

में। मैं नहीं थी तब ? मैं जो बात कहने जा रही हूं आपको अनुमान ही नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : इसे मैंने बनाया या और किसी ने बनाया, आप इस झगड़े में क्यों पड़ते हो ? आज जरूरत है इस बात की।

श्री अध्यक्ष : आपका क्या कहना रह गया ? पहले तो आपने बोला ही नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तृतीय वाचन पर भी बोल सकती हूं, इस पर भी बोल सकती हूं। मैं जनमत के लिये भी बोल सकती हूं।

श्री अध्यक्ष : यह प्रवर समिति वाली बात है। जनमत वाली बात तो खतम हो गयी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपसे कह रही हूं कि अगर मैं एक संशोधन रख देती हूं तो मुझे तीनों पर बोलने का अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। आप कहते हैं मैं अभी नहीं बोलूं और इसके बाद बोलूं तो कोई बात नहीं, मैं बाद में बोल लूंगी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं आप बोलिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, हमारे कुछ मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं। हमें अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त है। हमें सम्पत्ति क्रय करने का अधिकार प्राप्त है, उसकी रक्षा करने का और उसके विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है। मैं समझ नहीं पाती हूं कि किन्हीं लोगों को हम इस अधिकार से कैसे वंचित कर देते हैं। इस अधिकार का सबको अधिकार होना चाहिये। हमारे यहां जयपुर में भी कोलोनाइजेशन की बात मैं नहीं करती लेकिन कृषि भूमि में जब मीणों का राज था, मीणों ने जमीन बेची उनको हमने प्रतिबंधित कर रखा है कि वह विक्रय नहीं करें लेकिन वह भी विक्रय कर रहे हैं और जिन्हें आवश्यकता है, जो जमीन जिन्हें आबंटित की गयी है उनको अधिकार विक्रय का भी होना चाहिए। अगर उनको अच्छा पैसा मिलता है तो हमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। मैं नहीं समझ पाती हूं कि छतरगढ़ में भूदान की जमीन और अन्य जगह की भूदान की जमीनों को भी आप दूसरी तरह से बदलना चाहते हैं। तो फिर यहां क्या उस गरीब ने कसूर किया है कि अगर उसका बाप मर गया या किसी और काम के लिये उसको पैसे की जरूरत है तो वह नहीं बेच सके। मंत्री महोदय, पांच बार पहले इसमें टाइम बढ़ चुका है फिर आप एक बार सम्पूर्ण रूप से सोच कर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि एक बार फिर सोच कर फिर इसको करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोलोनाइजेशन एक्ट 1954 में बना था और उसके बाद में इसमें सैक्शन 13 जोड़ करके कलेक्टर की स्वीकृति के बिना बेचान पर बंदिश लगा दी गयी थी लेकिन इस क्षेत्र में कई लोगों ने इसके बावजूद भी जमीन को कलेक्टर की स्वीकृति के बिना भी बेच दिया। अधिकांश ने बेच दिया और 1983 के अन्दर, 1984 के अन्दर एक सुझाव आया होगा उस समय की सरकार के सामने कि इस तरह के बेचान

(श्री गंगाराम चौधरी)

जो बड़ी तादाद में हैं उनको रेगुलेराइज करना चाहिए। तब सरकार ने यह फैसला किया था कि जिन्होंने बिना स्वीकृति के बेचान कर दिया है वह कम्पाउन्डिग फीस सिंचित भूमि पर एक मुरब्बे पर 20 हजार रुपया और असिंचित भूमि पर 4 हजार रुपया अगर दे देते हैं तो उनका रेगुलेराइज कर दिया जायेगा। एक और सैक्शन बाद में जोड़ा गया 13 1(ए), कुछ लोगों ने जिनको खातेदारी नहीं मिली थी उन्होंने भी बेचान कर दिया। स्वीकृति का तो सवाल ही नहीं, बिना खातेदारी के बेचान कर दिये उनकी कम्पाउन्डिग फीस कुछ ज्यादा रख कर सरकार ने यह प्रोवीजन किया था लेकिन लोगों ने समय पर बहुत-सों ने दरख्वास्त नहीं दी और इस कारण समय-समय पर इस मियाद को पहले की सरकारों ने बढ़ाया है। छह दफा पहले बढ़ा दिया था और अन्तिम तारीख 31–12–1992 को खतम हो गयी है। 31–12–1992 के बाद में समय नहीं दिया गया था सरकार की ओर से। इसलिए जिला कलेक्टर, गंगानगर ने एक सुझाव राज्य सरकार के पास भेजा और उन्होंने यह कहा कि 31–12–1992 के बाद भी कुछ दरख्वास्तें आई हैं और वह लगभग 2300 से ऊपर हैं – इतनी दरख्वास्त अभी भी पेन्डिंग हैं और उनके बेचान के रेगुलेराइजेशन के लिये कुछ न कुछ समय और बढ़ाया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह ठीक समझा कि एक्ट के अन्दर बार-बार अमेन्डमेंट लाने के बजाय एक अधिकार सरकार के पास रख दिया जाये जिससे कि सरकार नोटिफिकेशन के जरिये अगर जरूरत पड़े तो उस मियाद को और बढ़ा दे। इसी तरह का प्रोवीजन सैक्शन 13 1(ए) में जो बिना खातेदारी के बेचान करने वाले उनमें पहले ही कर दिया था और ऐसे ही और समान प्रोवीजन करने के लिये यह संशोधन हम यहां पर लाये हैं। जिनमें दो प्रोवीजो हैं और मोटे रूप से जो बात आई है कि बार-बार संशोधन नहीं लाने वाली बात, यह आई है तो बार-बार का मैंने निवेदन किया कि सरकार अपने पास में अधिकार ले रही है इसलिए एक्ट में बार-बार संशोधन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और जब भी आवश्यकता पड़ेगी मियाद बढ़ाने की तो बढ़ा दी जायेगी।

दूसरा प्रश्न आया 18 पर्सेण्ट ब्याज का। 18 पर्सेण्ट ब्याज कुछ और मामलों में भी सरकार ने पहले पीनल इन्ट्रेस्ट लगाया और 1993 में राष्ट्रपति शासन के दौरान दिनांक 1–10–1993 को उस वक्त की एडवाइजरी काउंसल ने एक निर्णय लिया और उसमें जो 13 1(ए) जो सैक्शन है जिसमें बिना खातेदारी के लिये बेचान करने की छूट दी गयी थी और कम्पान्डिग फीस लेने की बात थी उसके रेगुलाइजेशन के लिये आगे मियाद बढ़ायी, पहली बात। और दूसरा उस पर 18 पर्सेण्ट पीनल ब्याज लगाया। उसी को समान रखते हुए, कुछ और जगह भी 18 पर्सेण्ट ब्याज है समान प्रोवीजन रखने के लिये यह प्रोवीजन इस बार भी 18 पर्सेण्ट हमको रखना पड़ा। इसी कारण हम यह प्रस्ताव आपके सामने लाये हैं। कुछ और सुझाव भी माननीय सदस्यों ने दिये हैं। माननीय श्री हरिसिंह जी ने कहा है 25 पर्सेण्ट छूट वाली, 25 पर्सेण्ट रिबेट समझ लीजिये एक तरह से वह अब भी लागू है वह प्रोवीजन हमने

(श्री गंगाराम चौधरी)

हटायी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जो अपने बेचान को रेगुलराइज करवाना चाहता है वह अगर एक मुश्त रकम दे देता है तो 25 पर्सेण्ट की छूट अब भी रहेगी और उसके बाद में जो राशि बचेगी उस पर 18 पर्सेण्ट ब्याज 1-1-1993 से अवश्य लगेगा। इस तरह का उसमें प्रोवीजन है, छूट हमने हटाई नहीं है। कुछ और सुझाव, माननीय श्री शिवनाथ सिंह जी ने प्रिंसिपल की और सारी बात की है कि ड्राफ्ट बड़ा है ऐसा बताया लेकिन हमारा ड्राफ्ट बड़ा नहीं है। पहले से जो सैक्शन बड़ा है वह बात तो अलग है हमने दो प्रोवीजो जोड़े हैं। एक में तो सरकार ने अपने हाथ में अधिकार लिये हैं और दूसरे में जो इंटरेस्ट का प्रोवीजो है वह 18 पर्सेण्ट का इसमें रखा है जो पहले इसमें नहीं था। दूसरे कानूनों में है, इसमें नहीं था। इसलिए उसको जोड़ा है। तो मैं समझता हूं यह सदन जो प्रस्ताव माननीय सदस्य लाये हैं उनको स्वीकृत नहीं करेगा और इसको विचारार्थ लेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1995 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया?

एक माननीय सदस्य: अभी नहीं।

श्रीमती कमला: विचारार्थ पर भी बोलते हैं।

श्री पूनम चन्द विश्नोई: विचारार्थ में अमेंडमेंट हो तो बोलेंगे।

विधेयक का पारण

श्री गंगाराम चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाये।

श्रीमती कमला: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अभी जो स्पष्टीकरण दिया कि हम यह क्यों लाये हैं उसमें वस्तु स्थिति यह है कि जिनको भी जमीनें अलाट हुई थीं और जैसा कि रामनारायण जी ने भी कहा कि अधिकांशतः लोगों ने उनके बेचान कर दिये हैं। लेने वाले ने जमीन ले ली और बेचने वाले ने बेच दी है लेकिन वर्षों तक बिना किसी कायदे-कानून के एण्ट्री के यह चल रहा है। समय बढ़ाने की मजबूरी इसलिए आती रही है कि जिसने बेच दिया वह भी निश्चिन्त है और जिसने जमीन ले ली वह भी निश्चिन्त है। आपकी पैनल्टी देकर के उसको रेगुलराइज कराने की वह जरूरत नहीं समझता। इसलिए समय बढ़ाने के बावजूद भी कई लोग पैनल्टी देकर के रेगुलराइज कराना नहीं चाहते, वेलिडेट नहीं करवाना चाहते। इसलिए आप चाहे उम्र भर इसकी तारीख को बढ़ाते रहना तो भी जिन्होंने बेचान कर दिया है वह पैनल्टी देकर के आपको किसी

239

(श्रीमती कमला)

भी प्रकार से सैटिसफाई नहीं कर पायेंगे। उधर दूसरी तरफ क्या है कि जिस लैण्डलैस को हमने जमीन दी वह जब बेचान करता है वह चूंकि बेकायदे करता है, कानून के विपरीत करता है इसलिए लेने वाला उससे आधे पैसे में ही जमीन ले लेता है। तो उसको बेचान करने में पैसे का बहुत बड़ा घाटा हो गया और जो लेता है उसको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसने तो आधे पैसे में ली है। जब कभी कोई कानून उसका गला दबायेगा तो देखा जाएगा, अभी उसको चलने देता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है जैसा इन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वह चाहे आप अपनी तरफ से प्रस्तुत कर लें यह जो पाबन्दी लगी हुई है इसको कतई तौर पर आप हटा दें। सिर्फ यह शर्त लगा दें कि जिस लैण्डलैस को यह जमीन दी गई थी वह अगर इस जमीन का बेचान कर देगा तो वह लैण्डलैस की परिभाषा में कभी नहीं आयेगा। यह आप कर दें तो आपको बार-बार कुछ भी नहीं करना पड़ेगा।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह कानून में जो प्रावधान रखा था वह इसलिए रखा था कि वह लैण्डलैस है अगर दूसरा क्रय कर लेता है तो वह तो सदा के लिए लैण्डलैस हो जाएगा। क्योंकि नियम के खिलाफ में है लेने वालों को उसमें फायदा होता है और लैण्डलैस ही रहता है, इसलिए जो कानून बना है, सरकार की जो मंशा थी वह गलत नहीं थी। मैं विरोध करता हूं और कानून यथावत रहना चाहिए नहीं तो गरीब के लिए जो जमीन दे दी गई है वह कभी उसके ऊपर नहीं आयेगा, उसके बाल-बच्चे बेघर हो जाएंगे, उनका कोई सहारा नहीं रहेगा। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो सरकार की मंशा है, जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि जब कभी भी उनको जमीन अलाट होती है जो भूमिहीन होते हैं मुख्यतः उसमें एस. सी. और एस. टी. के लोग और भूतपूर्व सैनिक होते हैं, लैण्डलैस होते हैं। इस अमेंडमेंट के लाने से सरकार की यह मंशा जाहिर होती है कि जो कोलोनाइजेशन का एरिया है उसमें अनुसूचित जाति, आदिवासी, एस.टी. के लोग और गरीब लोग न रहें और उसमें समृद्ध लोग उनकी जमीन खरीद कर रजिस्ट्री करवाकर नियमित करके रहे और फिर यह कहीं लैण्डलैस रहते जायें। अगर आपकी यही मंशा है तो फिर आप यह कानून सारे राजस्थान में क्यों नहीं बनाते जमीन का बेचान और खरीदान किया जा सकता है। आप क्यों एक पर्टीकुलर एरिया में लागू कर रहे हैं। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। सरकार की इसके पीछे मंशा यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबों को जमीन से वंचित रखा जाये, क्योंकि अगर आप बेन लगा देंगे कि वह बेचान नहीं कर सकते तो एक दिन यही स्थिति आयेगी कि वह अपनी जमीन पर काबिज हो जाएंगे उसको चालू करेंगे, उसको बोयेंगे, कमायेंगे और खायेंगे। आप उनको बेसहारा का बेसहारा रखना चाहते हैं कि जब जरूरत पड़े शादी के लिए, विवाह के लिए, कर्ज चुकाने के लिए यह अपनी जमीन बेच दे फिर भूमिहीन की कतार में खड़े हो जाएं। फिर आगे आने वाली सरकारों को यह समस्या हो कि

(श्री जुबेर खान)

भूमिहीन इतने किसान हैं, प्रान्त में इतने परिवार हैं इनको फिर से जमीन दी जाये। चाहे आप यह क्लाज लगा दीजिए कि आप भूमिहीन श्रेणी में तो डाल देंगे लेकिन जो भूमिहीनों की गिनती होती जाएगी उसको आप कम नहीं कर पायेंगे और वह प्रान्त के ऊपर वजन बढ़ता जाएगा। इसलिए सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, यह दोहरी भेदभावपूर्ण नीति नहीं रखनी चाहिये या तो इसको पूरे प्रान्त में लागू करो और इसको सख्ती से लागू करो कि कोई भी आदमी भूमिहीन जिसको जमीन दी गई है उसका बेचान नहीं होगा। इससे यह मंशा हो रही है कि आप ऐसे लोगों को इधर नहीं बसना देना चाहते बस जमीन अलाट कर देंगे। बराबर के काश्तकार जो समृद्धशाली है वह खरीद लेंगे और यह गरीब भूमिहीन बनकर डोलते रहेंगे। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं।

श्री जगतार सिंह कंग (श्रीकरणपुर) : परम आदरणीय अध्यक्ष जी, जैसा हमारे माननीय सदस्य जुबेर खान जी ने कहा.... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : इतने एस.सी.,एस.टी. के लोग हैं। इतना कुठाराघात हो रहा है, एस. सी. और एस. टी. के लोगों के साथ इनको बोलना चाहिए। आने वाले समय में आपको भुगतना पड़ेगा।

श्री जगतार सिंह कंग : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक भूमिहीन का सवाल आता है जिसको एक बार जमीन मिल गई और उसने अपनी जमीन बेच दी तो वह आटोमैटिकली भूमिहीन की लिस्ट से निकल गया एक बार फायदा उठाने के बाद। मगर जहां तक सवाल आता है कि बेचान तारीख एक्सटेण्ड करके रेगुलराइज किया जावे, मैं यह निवेदन करता हूं कि 1983–84 में भी यही प्राब्लम थी बहुत से लोगों ने अपनी जमीनें बेच दीं दूसरे धन्धे करने के लिए या उनको जरूरत थी। तो न तो लेने वाले को कुछ मिला न सरकार को कुछ मिला, तो यही सोचकर कि जमीनें रेगुलराइज हो जाएं, आपस में किसी तरह की गलत फहमी न रहे और सरकार को दो पैसे मिलें। इसी मंशा से यह प्रोवीजो किया गया था 20–30 हजार रुपये वह सरकार को भी मिल जाए। होता क्या है अगर कानून नहीं है तो कोई भी चीज चोरी से बिकती है तो उसकी आधी कीमत लगती है। जिन लोगों की अपनी जमीनें हैं वे काश्त नहीं कर सके, जैसे किसी हमारे फौजी की विधवा को मिली या किसी ऐसे आदमी को मिली जो खेती में इण्टरेस्ट नहीं रखते हैं और वे दूसरा धंधा करना चाहते हैं, तो उसमें अगर यह प्रोविजन नहीं होगा तो वह जमीन जिसकी बाजार में कीमत पांच लाख, छह लाख या 10 लाख है उसको मैं समझता हूं कि 1/4 या आधी कीमत में, आधी से भी कम कीमत में दूसरे आदमी खरीद लेंगे। तो सरकार में भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सरकार को भी उसका पैसा नहीं मिलेगा। मेरा माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन है कि यह जो अपन इसकी तारीख एक्सटेंड करते हैं इसकी तारीख एक्सटेंड नहीं इसको परमानेंट परमीशन मिल जानी चाहिए कि कोई भी आदमी जब चाहे अपनी जमीन बेच सकता है। उसको उसकी मार्केट में कीमत भी पूरी मिलेगी, सरकार को रजि-

(श्री जगतार सिंह कंग)

स्ट्रेशन की चोरी भी नहीं होगी और सरकार को एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा। तो मैं माननीय मंत्रीजी से पुनः निवेदन करूंगा कि यह जो भूमिहीनों, नहीं तो इसमें भूमिहीनों की लाइन बढ़ेगी, भूमिहीनों की लिस्ट हमने पहले से बना रखी है। माननीय जुबेर खान जी कह रहे हैं कि जमीनों पर ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यह होगा कि चोरी रुक जाएगी और लूट रुक जाएगी उस गरीब की जो वह इस कानून की आड़ में दूसरा आदमी कर रहा है और सरकार को भी पैसा आयेगा।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है, जैसा चौधरी रामनारायण जी ने आपके सामने प्रस्तुत किया, वास्तव में यहबात नहीं है कि शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स या आर्मी के कुछ लोगों की जमीन बिक जाएगी। आज उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, पास में, पड़ौस में एक मुरब्बा तो मिलता है 20 लाख रुपये का और दूसरा मुरब्बा बिकता है दो लाख रुपये का। तो उस गरीब शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी के साथ आज अन्याय हो रहा है। अगर उसको उसी जगह लायेंगे तो जिसको काश्त करनी है वह काश्त करेगा, अगर उसे कोई अन्य काम करना है, अलग काम करना है तो उसको पूरे पैसे मिलेंगे ताकि वह कोई और काम अच्छे ढंग से कर सके। यह बिलकुल गलत है। जब दूसरी स्टेटों में नहीं है। जब शहरी भूमि के ऊपर आज कोई मकान बनाता है शिड्यूल्ड कास्ट या ट्राइब का आदमी, वह तो बेच सकता है और जमीन का टुकड़ा, उसे अपनी लड़की की शादी करनी है, तीन बीघा जमीन मेरे पास पड़ी है, मैं उस जमीन को खरीद नहीं सकता, दूसरा आदमी खरीदता नहीं और वह गरीब रिक्शा चलाता फिरता है, लुटता है। न तो उसकी काश्त कर सकता है। बिलकुल स्पष्ट तौर पर गवर्नमेंट को इस पर विचार करके, मनन करके मेरी यह इच्छा है, जैसा कि कमला जी ने, चौधरी रामनारायणजी ने सुझाव रखा, हमेशा के लिए गवर्नमेंट की वाह-वाही हो जाएगी और लोग जय-जयकार करेंगे। गवर्नमेंट को घोषणा कर देनी चाहिए।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मैंने अपना सैलेक्ट कमेटी के लिए प्रस्ताव रखते वक्त संक्षेप में बात कही थी लेकिन सदन में जिस प्रकार के विचार आये हैं, मैं समझता हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करूं।

अध्यक्ष जी, हमारे यहां टीनेंसी एक्ट बना, कालोनाइजेशन एक्ट बना और उस वक्त इस प्रकार के प्रावधान रखे गये थे, टीनेंसी एक्ट में प्रावधान है शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जमीन दूसरे को नहीं दी जा सकती। शिड्यूल्ड कास्ट वाला शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाले को नहीं दे सकता। यह सिद्धांत इसलिए रखा गया था कि ये लोग-बाग वीकर सेक्शंस से हैं, रुपये के दबाव में आकर अपनी जमीनों से महरूम हो जाएंगे, जो पैसे वाले लोग–बाग हैं उनको जमीनें चली जाएंगी और इस सदन में जो भाव व्यक्त हुए हैं वह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जिन लोगों का, जो पैसे वाले हैं, बड़े काश्तकार हैं, जिनके पास पैसा है, पैसे की ताकत पर दूसरों की जमीन खरीद सकते

(श्री शिवनाथ सिंह)

हैं, उधर से यह थ्योरी आती है। यदि आप ऐसा कहते हैं, कालोनाइजेशन में हों तो यहीं आप कल आर्ग्युमेंट देंगे कि टीनेंसी एक्ट में जो प्रावधान हैं रेस्ट्रिक्शन के, वह भी हटा दीजिये वह भी गरीब हैं। इस तरह से यदि हम करते जाएंगे तो वीकर सैक्शंस की रखवाली हम कहां कर पायेंगे। कालोनाइजेशन में जमीनें दी गयीं, उन लोगों को जमीनें दी गयीं थीं कि जिनकी स्थिति कमजोर थी और उनकी माली हालत को हम ठीक करें इसलिए उनको जमीन दी गयी थी। आज यह कहते हैं कि क्या आज उनके पास जमीन है, यदि यह डिफेक्टिव कानून नहीं बनता तो उनके पास जमीनें रहतीं, खरीदने वाले हिचकते कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा लेकिन सरकार ने बार-बार इसमें अमेंड करके, छूट देकर और इस प्रकार का माहौल पैदा कर दिया कि इससे कोई भी पैसे वाला जमीन लेकर उस कमजोर आदमी को जमीन से विहीन कर सकता है, अपने खाने कमाने से विहीन कर सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं तो इसका सख्त विरोध करता हूं कि इस प्रकार की छूट नहीं होनी चाहिए।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जमीन को दूसरा कोई खरीद नहीं सकता है वह प्रावधान तो इस एरिया की जमीनों पर भी लागू रहेगा। इसलिए कोई भी माननीय सदस्य अगर इस बात से चिन्तित है कि उन्हें बेरोजगार कर दिया जाएगा, उन्हें निराधार कर दिया जाएगा तो वह कानून तो इन पर भी लागू है। बाकी जो पाबन्दी लगी हुई है उसके बेचान की, उसके बाबत में यह बात है कि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब तो बेचान दूसरे को फिर भी नहीं करेगा, न उसकी कोई खरीद सकेगा इसलिए इस एरिया में जो भी शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स को अलाटमेंट हुई है वह कानून के अन्तर्गत संरक्षित है। बाकी लोगों को जो ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है उसकी छूट का मामला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शिवनाथ सिंह जी, समझ में आ गयी क्या ?

श्री शिवनाथ सिंह : कतई नहीं आयी।

श्री रामनारायण चौधरी : अगर मुख्य मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि संशोधन कर रहे हैं तब तो ठीक है नहीं तो क्यों यह झगड़ा चला रहे हो।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं हर वक्त महत्वपूर्ण बात ही कहता हूं। क्या यह सही है कि इसके कारण और दूसरे की जो पाबंदी लगी हुई है कि एस.सी., एस.टी. की जमीन दूसरे को नहीं बेच सकते हैं तो उनकी जो जमीन है उसकी रेट बहुत कम हो गयी है यह भी सही है या नहीं और अगर वह जरूरी बेचना ही चाहें और वह दुःखी है कि उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है। यह बुरी हालत है। यह सही है या नहीं यह पूछ रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से, माननीय सदस्यों ने जो शंका व्यक्त की है उसका उत्तर तो

(श्री गंगाराम चौधरी)

कुछ वैसे कमला जी ने दिया, मैं निवेदन करूं कि अपना राजस्थान टीनेंसी एक्ट बना था तो बेचान के लिए उस वक्त भी प्रावधान कर दिया था कि खातेदार टीनेंट अपनी जमीन बेच सके। जागीरी वक्त में और राजाओं के वक्त में इन्हेरिटेंस के राइट्स थे लेकिन ट्रांसफर के अधिकार उस वक्त नहीं थे। इसलिए टीनेंसी एक्ट में यह बहुत बड़ा प्रोविजन करके किसान को अधिकार दिया वह अधिकार इसमें भी मौजूद हैं। हालांकि यह सही है कि उसमें धारा 42 जोड़कर के कुछ बंदिशें लगायी थी कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का खातेदार भी अपनी जमीन कास्ट वाला कास्ट को बेच पायेगा और ट्राइब वाला ट्राइब वाले को बेच पायेगा दूसरे को नहीं बेच पायेगा। यह प्रोविजन आज भी टीनेंसी एक्ट में मौजूद है और वह कालोनाइजेशन एरिया में लागू है।

हमारा यह जो सेक्शन है 13ए, इसमें भी यह लिखा है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 42, धारा 42 का अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो वह तो रेगुलराज होगा नहीं किसी भी हालत में और उसका उल्लंघन नहीं किया है वह ही केवल रेगुलराज होंगे। अब दो बात इसमें और आयी है कि गरीब आदमी जल्दी से जमीन बेच देता है इसलिए वह महरूम रह जाता है। हमारी सरकार ने पिछले वर्ष में एक संशोधन किया था, उसमें एक बात लगायी थी कि खातेदारी पांच साल से पहले प्राप्त नहीं होगी किसी को। अव्वल तो यह साधारण अलाटमेंट होता है, साधारण अलाटमेंट की 15 किश्तें है, शिड्यूल्ड कास्ट के लिए 16 किश्तें हैं। 15 और 16 किश्तें पूरी भरने के बाद उसको खातेदारी मिलती है और वह एक-एक वर्ष की किश्त है। तो 16 साल के बाद उसको खातेदारी मिलती है, खातेदारी मिलने के बाद में उसको बेचने की जरूर छूट है और विशेष आबंटी को पहले यह छूट थी कि वह पूरी किश्त भर देता तो उसको खातेदारी प्राप्त हो जाती। लेकिन हमारी सरकार ने यह बंदिश डाल दी उस पर कि पांच साल तक न तो विशेष आबंटी को खातेदारी मिलेगी और न साधारण आबंटी को खातेदारी मिलेगी। ऐसी स्थिति में पांच वर्ष तक तो कोई व्यक्ति बेच नहीं पायेगा तो वह गरीब आदमी कम से कम इतने वर्ष तक वह काश्त करेगा तो शायद वह सैटल हो जाएगा, ऐसी सरकार की मंशा थी। एक बात और आयी कि इसे बेचान की हमेशा के लिए छूट दे देनी चाहिए यानि कलक्टर से मंजूरी लेने की छूट हो जानी चाहिए? तो यह तो सरकार ने पहले ही निर्णय ले लिया। 22-4-1991 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उस वक्त में कलक्टर से स्वीकृति लेने की जो शर्त पहले लगी हुई थी इस सेक्शन 13 के तहत तीन जगह पर, इन्दिरा गांधी केनाल, भांखड़ा केनाल और गंग केनाल।

21.00

बाकी जगह तो कलक्टर की परमिशन की आवश्यकता नहीं थी तो राजस्थान सरकार ने दिनांक 22-4-1994 को एक नोटिफिकेशन जारी करके इस शर्त को हटा लिया और इन तीन स्थानों पर भी बिना कलक्टर की परमिशन के बेचान की छूट दे दी तो बेचान वाली छूट भी दी गयी। इस प्रकार मैं समझता हूं कि सदन को संतोष

(श्री गंगाराम चौधरी)

हो गया होगा इसलिए बिल को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995

श्री गंगाराम जी चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1995 को विचारार्थ लिया जाए।

व्यवस्था का प्रश्न

संशोधनों की सूचना

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। हमें इस बहुत ही इम्पोर्टेन्ट बिल पर अमेंडमेंट प्रस्तुत करने का समय नहीं मिला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्यों ?

श्री जगदीप धनखड़ : अण्डर रूल 71, एक दिन का समय होता। पहले this Bill was scheduled for tomorrow. कल का था और इस प्रकार का कोई भी प्रोविजन नहीं रखा गया that we could move amendments today. तो चूंकि बहुत ही व्यापक संशोधन किया जा रहा है। अब तक का जो ढांचा था वह पूरा बदला जा रहा है और इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी है तो मैं समझता हूं कि लेजिस्लेशन ही तो हमारा मैन काम है और इसमें यदि इस प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जाएगी कि सदस्य ऐसे इम्पोर्टेन्ट बिल पर भी अपने अमेंडमेंट्स नहीं दे सकें तो मैं समझता हूं, यह सर्वथा अनुचित रहेगा। आम मानस भी सदन के सामने नहीं आ पायेगा और इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसको आज नहीं कल लिया जाए और कल 12 बजे तक हम अमेंडमेंट दे दें ताकि इस पर व्यापक चर्चा हो जाए। जिस तरीके से इसको किया गया है, मैं समझता हूं इसमें भारी बदलाव की आवश्यकता है। मंत्री महोदय से भी अलग से बात की गयी थी....

श्री रामनारायण चौधरी : आपने भी आश्वासन दिया था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह बिल एक तारीख को आने वाला था लेकिन संशोधित लिस्ट के अनुसार यह बिल आज आया। एक तारीख के लिये माननीय सदस्य के पास मौका था कि आज एक बजे तक वे अमेंडमेंट्स पेश कर सकते थे और क्योंकि कार्य सूची रात में आपको मिल गयी थी, उसके बाद भी आज अमेंडमेंट एक बजे तक आये, वे स्वीकार भी किये गये। यदि कोई अमेंडमेंट माननीय सदस्य पेश करते तो निश्चित रूप से स्वीकार होता। अब माननीय सदस्य के पास बिल पिछले समय से आया हुआ है, उसके बाद आप अमेंडमेंट पेश नहीं कर सके

245

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

इसलिए, कल और क्या कर लेंगे इसलिए मेरा निवेदन है कि आज ही पास किया जाए।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष की प्रथम पंक्ति में भामड़ाजी भी बैठे हैं। वे अध्यक्ष रहे हैं। आप इस मामले में उनकी भी राय लीजिये कि सदस्य के क्या अधिकार हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पाइंट आफ आर्डर पर आप निर्णय दीजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, मुझे एक निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : मैं बोल रहा हूं ना, आप सुनेंगे ही नहीं क्या ? 21 तारीख को बिल पेश हुआ, बिल जारी हो गया....

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, इनके पाइंट आफ आर्डर पर ही मैं निवेदन कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने पाइंट आफ आर्डर उठाया है, उस पर ही मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोई अधिकार की बात नहीं करते हुए भी मैं सदन के नेता महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट बिल है, इसके फार-रीचिंग इफेक्ट्स हैं। रात के नौ बज रहे हैं और मैं यह चाहता हूं कि इस पर ठीक ढंग से चर्चा हो और इस प्रकार के सुझाव आएं ताकि किसानों के साथ में जो अन्याय होने वाला है, उसको हम....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां होने वाला है ?

श्री शिवनाथ सिंह : आप इसके प्रावधान देखिये। आपका लेजिस्लेचर पास करने का जो शिड्यूल है उस अवधि में हम पूरा सहयोग करके इसको पास कराने की चेष्टा करेंगे। आज हमें अवसर मिल जाए। माननीय मंत्रीजी से भी बातचीत हुई हैं, वे भी हमारे जो आब्जेक्शंस हैं, आशंकाएं हैं, उनसे कंवीन्स्ड हैं लेकिन उनकी सीमा है। वे आज यहां नहीं कर सकते, हमारी भी सीमाएं हैं। इसलिए मैं फिर सदन के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि इसको कल ले सकते हैं। आप हमें दूसरे मामलों में और कम टाइम दे दीजिये। यह बहुत इम्पोर्टेन्ट मैटर है इसलिए इसको आप कल रख दीजिये, कोई दिक्कत नहीं है और भामड़ा साहब तो सब जानते हैं। आज हमारे साथ अमेंडमेंट्स पेश करने के लिये जो कुठाराघात हो रहा है, उसको भी छोड़ो आप लेकिन इस पर हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है इसमें पूरी तरह से हम विचार व्यक्त करें और कहीं सुधार करा सकें तो करने की चेष्टा करें इसलिए इसको आप ले लीजिये, बाकी इसके लिये सदन की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाएंगे। पूरा को-आपरेट करते हुए, हम खुशी से 5–7 सदस्य हैं जो इसमें बोलना चाहेंगे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोल लें, हमारा भी ज्ञानवर्द्धन हो जाएगा।

श्री शिवनाथ सिंह : आपका तो ज्ञानवर्द्धन हुआ हुआ है। आप मानो जब है। आप मानते नहीं हैं, आपकी जिद है।

श्री जगदीप धनखड़: रूल 71 देखिये...

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सम्बन्ध में माननीय शिवनाथ सिंहजी ने इंगित किया है, उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी चर्चा हुई, माननीय मंत्रीजी से भी चर्चा हुई लेकिन जो पार्ट आफ द सेंटेंस डिलीट करने के लिये बहुत से माननीय सदस्यों ने निवेदन किया और आपने उसको माना भी और मुझे यह भी निर्देश दिया कि मैं मंत्री महोदय से कहूं कि वह इतने को डिलीट कर लें लेकिन वे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा कि मंत्री महोदय से बात कर लीजिये, वे विचार कर लेंगे।.... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : ऐसा है, मैंने मंत्रीजी से बातचीत की थी, तब आप नहीं थे, इस लिए आप बीच में नहीं बोलें....

श्री पूनम चन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने यह फरमाया था कि हम लोगों से बात करें। मंत्रीजी ने एक तरह से यह कहा था कि मैं इसमें संशोधन लाऊंगा।

श्रीमती कमला : तो वह एज इट इज ही रखा जा रहा है सिवाय इसके कि उसमें यह लिखा जा रहा है, अण्डर द रूल्स तो यह लिखने से वह मंशा पूरी नहीं होती और किसानों को इतनी बड़ी परेशानी होने वाली है कि तमाम जितने पुराने खाते दर्ज हैं उन सबको लैण्ड रिकार्ड्स अधिकारी अपनी मर्जी से सुओ मोटो, मर्जी आये जब उसको बदल सकेगा, उसके केस बना सकेगा, यह सब उसके अन्दर होने वाला है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई नहीं बदल सकेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको वहम हो गया है। मैंने देख लिया है।

श्रीमती कमला : यह होगा साहब। आप कैसे मना करोगे, इसके प्रावधान से तो सब कुछ होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो पाइंट आफ आर्डर माननीय सदस्य ने उठाया है, वह बहुत वेलिड है। यह बिजनस कल के लिये शिड्यूल्ड था और सुबह मैंने भी आपसे निवेदन किया था कि ...

श्रीमती कमला : इसलिए आपसे एक बार और बात करने के लिये और समय दीजिये और इसको कल ले लीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : ये दोनों इम्पोर्टेन्ट बिल हैं और बिजली पर इम्पोर्टेन्ट बहस हो रही है। आप कृपा करके बिजली पर आज बहस करवा दीजिये। इन दोनों बिलों को कल ले लीजिये। अब आप दोनों बिल तो नहीं ले रहे हैं। एक तो आपने पास करवा दिया और एक बिल पर आप अमेंडमेंट देने के लिये माननीय सदस्यों को मौका दीजिये। इतनी जल्दी हरा-अप करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, यह कल पास हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, यह ऐसा नहीं है। धनखड़ साहब के पास तो अभी भी कोई अमेंडमेंट नहीं है....

श्री शिवनाथ सिंह : उनके पास समय नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बताओ ना, यदि कोई हो तो वे बता दें। वे बोल कर बताएंगे कि यह अमेंडमेंट करना चाहिए।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी की बात पर कड़ी आपत्ति करता हूं। इनके स्ट्रेचर के विपरीत यह बात कही गयी है कि ये ऐसा इम्प्रेशन देना चाहते हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कौनसे नियम के तहत आपत्ति कर रहे हैं, वह तो आप बताइये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सदन के नेताजी, पिछले कुछ समय से आपने ऐसी प्रवृत्ति डवलप कर ली है कि एस.सी. के लोग हों, उनके लिये कह दिया कि चोर हैं। मैं बताता हूं कि इसमें किस अमेंडमेंट की आवश्यकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बताइये ना।

श्री जगदीप धनखड़ : यदि आप विदिन ओपन माइंड देखोगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बताओ न, मैं तो यह कह रहा हूं कि आप अपने अमेंडमेंट हो तो बताओ।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, सदन के नेताजी, आप देखिये सैक्शन 125 और पढ़िये जरा एक बार, आपके पास यदि इसकी प्रतिलिपि हो, पेज पांच पर है, अब तक जो कुछ पजेशन के आधार पर होता था, समरी इंक्वायरी होती थी, आपने गायब कर दी और उसका नतीजा आपने क्या किया है, एक अधिकारी के हाथ में आपने पूरे अधिकार केन्द्रित कर दिये, फिर से जागीरदारी प्रथा जैसी बातें हो जाएगी। आप देखिये इसको....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देख लिया।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : वह अपने विवेक से कोई भी अधिकारी बिना किसी को नोटिस दिये उसमें संशोधन कर सकता है....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है, देखिये....

श्री पूनम चन्द विश्नोई : दो पार्टी हो गयी जब तो कंटेस्ट करेंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : समरी इंक्वायरी बिलकुल हटा दी।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : लेकिन सुओ-मोटो, स्वविवेक से वह अगर बदल सकता है तो उसको जरूरत ही नहीं है, वह और किसको नोटिस देगा।

श्री जगदीप धनखड़ : और 136 पढ़िये। एक बार 136 पढ़ लेंगे, आप बोल नहीं पाएंगे—"The Land Records Officer may, at any time,...." कोई सीमा नहीं है।

"....correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit

(श्री जगदीप धनखड़)

to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any register...."

मुझे तो लगता है माननीय सदन के नेताजी कि कोई न कोई, कहीं न कहीं बहुत बड़ी गफलत करना चाहता है इसलिए इतना बड़ा अधिकार लेना चाहते हैं। दूसरा, माननीय सदन के नेताजी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका इतना लम्बा अनुभव रहा है, रूल 71 में स्पष्ट प्रावधान है – This Bill was scheduled to come today. I should get one day's time I got the list only this morning. यह कह देना कि मुझे प्रतिलिपि कब मिल गयी थी इससे रूल 71 डाइल्यूट नहीं होता है। पहली बार, यदि आप अपनी दाहिनी तरफ देखेंगे तो बहुत ही अनुभवी आदमी उपस्थित हैं वह सदन के अध्यक्ष रहे हुए हैं, आप उनसे इस मामले में राय ले लीजिये। आप को पूरा ज्ञान देंगे और यह किसानों का जो अहित हो रहा है जिसको आप लाइटली करना चाहते हैं कि धनखड़जी ने तो कोई अमेंडमेंट रखा ही नहीं है, बहुत गहन अध्ययन के बाद इस सदन में बोलते हैं, इस सदन ने जब आप जैसे आदमी को बना दिया और राजस्थान में क्या, आप देश में छाये हुए हो, हर आदमी की तमन्ना होती है कि जब यह सदन इतना महान् व्यक्तित्व पैदा कर सकता है तो तैयारी करके ही बोलते हैं ताकि कभी पता नहीं कोई मौका लग जाय। इसलिए माननीय सदन के नेता जी, गम्भीरता से आप इस पूरी बात पर ध्यान देकर वरिष्ठ नेताओं ने जो बात कही है, काफी उनको अनुभव है, इस बात को ध्यान में रखकर इसको कल रखिये। हमारे अमेंडमेंट हमारी हैसियत के अनुसार जैसे भी आयेंगे, आपके समक्ष आयेंगे, आप ओपन माइंड से विचार कीजिये और तत्पश्चात् निर्णय कीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : आप भी देखें मुख्य मंत्रीजी, इतनी जल्दी मत कीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, उससे पहले एक बार रूल 71 का आप अवलोकन कर लीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अमेंडमेंट का कल मौका भी नहीं मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमेंडमेंट तो आज आ चुके, जो एक बजे तक आ चुके हैं कल के लिये भी वही स्वीकार होंगे, अब कल तो कोई स्वीकार होंगे नहीं, जब तक आप रिलेक्स नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। (व्यवधान) आप बिराजिये राधेश्यामजी। बिराजिये आप।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, जब सी.एम. साहब ने मान ली है तो फिर क्या दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये। यह बिल 21 तारीख को सर्कुलेट हो गया, सभी सदस्यों को 21 तारीख को सर्कुलेट हो गया, 26 को बिजनस एडवाइजरी कमेटी में यह तय किया गया कि एक तारीख को यह लिया जायेगा और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी, और कल जब यह

(श्री अध्यक्ष)

तय किया गया कि कल बिजली की मांग लेनी है तो इस विधेयक को कल के लिये जो था वह आज रखा गया और आज एक बजे तक उसमें किसी अमेण्डमेंट दिया उसे स्वीकार किया, और हमने लिये हैं और आज भी यदि आप कल रखवाना चाहते हैं तो भी आपको आज एक बजे तक ही देना था। अमेंडमेंट तो अब आप दे नहीं सकते, अमेंडमेंट तो आपको एक बजे तक ही देने थे, आज अब....

श्री रामनारायण चौधरी : वह तो आपको रिलेक्स करना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : रिलेक्स कर दें साहब।

श्री अध्यक्ष : मैंने रिलेक्स किया न, और आज एक बजे तक का रिलेक्स करके सब के लिये है, और किसी का कोई आया नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आया है तो उसे स्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष : केवल शिवनाथ सिंहजी का, आपका आया है, और किसी माननीय सदस्य का नहीं आया है।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, मैं रूल्स के झगड़े में नहीं पड़ता....

श्री अध्यक्ष : जिनका आया है उनको स्वीकार किया है।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं रूल्स के झगड़े में नहीं पड़ता, सदन के नेता महोदय से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आपकी कल की काज लिस्ट है वह पूरी करेंगे और इस बिल को भी कल पास कर देंगे, हम पूरा सहयोग करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सही है, लेकिन आज एक बार जो आपकी शंकाएं हैं उनका समाधान राजस्व मंत्री कर दें और फिर संतोष नहीं हो तो बताइये।

श्री शिवनाथ सिंह : हम राजस्व मंत्री से, इनको कंवींस करेंगे और यह अपनी तरफ से अमेंडमेंट पेश करेंगे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कंवींस कर दीजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, हमको इजाजत नहीं देंगे लेकिन हम इनको कंवींस करेंगे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको इजाजत है, आप कंवींस कर दीजिये, इस सदन को कंवींस कर दीजिये, हम तो सदन की राय मानने वाले हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : अब तो कहां कंवींस कर दें साहब, देखो सुबह से बैठे हैं, इसलिए....

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं, अभी....

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्रीजी भी तो नहीं थे, पूनमचन्दजी मंत्रीजी को तलाश कर रहे थे, मैंने कहा मंत्रीजी को आप किसलिए तलाश कर रहे हैं तो बोले कि यह समस्या है, तो मैंने कहा कि यह समस्या वहां हल नहीं होगी, आप....

श्री अध्यक्ष : इसलिये श्रीमान् धनखड़ साहब द्वारा जो पाइंट आफ आर्डर रेज किया गया है उसको मैं रिजेक्ट करता हूं।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो प्रस्तावित किया है....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आन ए पाइंट आफ आर्डर सर।

श्रीमती कमला : उसके लिए हमने बाकायदा अमेंडमेंट इसलिए नहीं दिये कि उनसे हमने यह रिक्वेस्ट की कि आप खुद ही यह अमेंडमेंट ले आयें और उन्होंने इस बात की सहमति भी दी और उसको असेप्ट भी किया कि इस तरह से किया जा सकता है लेकिन बाद में आपने यह सोचा कि बजाय इसको निकालने के, डिलिट करने के इसको हम अण्डर द रूल्स इसमें जोड़ देंगे तो वह हानि होने से बच जायेगी लेकिन वह नहीं बच रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह पहले ही लिखा हुआ है, इन द प्रेस क्राइब्ड मैनर....

श्रीमती कमला : हां तो इसलिए उससे हानि नहीं बच रही है, यही तो मैं कह रही हूं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह जरूरी ही नहीं है, यह क्या अमेंडमेंट है....

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जैसे माननीय धनखड़ साहब ने यह पढ़ा है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अब रूलिंग हो गई न उस पर तो।

श्री नरपत सिंह राजवी : लेकिन उसका प्रोवीजो नहीं पढ़ा—"Provided that notice shall be served to the parties." यही माननीय पूनमचन्दजी को थोड़ा वहम था, यही माननीय रामनारायण जी का था। यह हुई है बात, यह पढ़ा ही नहीं।

एक माननीय सदस्य : वह पढ़ लिया था।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सदस्य को ध्यान ही नहीं है कि पूरा....

श्रीमती कमला : बाद में नोटिस देंगे। आप उसको डिस्प्यूटेड मानेंगे उसके बाद नोटिस देंगे....

श्री जगदीप धनखड़ : समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या बात हुई है....

श्रीमती कमला : हम यह कह रहे हैं कि किसी भी अधिकारी को सुओमोटो अपने आप में उस रिकार्ड को डिस्प्यूटेड नहीं मानना चाहिये, जो पार्टी एग्रीव्ड है वह खुद अधिकारी के पास आवे और अधिकारी उसको सुनकर डिस्पोज आफ करे। अधिकारी को क्या तकलीफ है कि वह अपने आप किसी को डिस्प्यूटेड बना रहा है।

श्री अध्यक्ष : अब बिराजें आप।

श्रीमती कमला : बहुत सारे पुराने से पुराने रिकार्ड खोल कर रख देंगे और किसान दुःखी होता फिरेगा।

श्री जगदीप धनखड़ : कोई पाइंट ग्राफ ग्रार्डर ग्राप मंजूर भी करेंगे या नहीं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : I have a second point of order. यह जो बिल है वह इतना लीगली डिफेक्टिव है, इसमें इतना लीगल लेकुना है, इसको ग्राप पास भी कर देंगे तो यह निरर्थक होगा। वह कैसे है, मैं ग्रापको बताना चाहता हूं। इसमें सेक्शन 136 इस प्रकार से सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं—

"Correction of errors.—The Land Records Officer may, at and time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors." 'in the prescribed manner', ग्रब प्रेसक्राइब्ड मैनर के लिये इन्होंने जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का क्लाज है उसमें क्या लिखा है, ग्राप मुलाहजा करें—Section 136 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 sought to be substituted by clause 5 of the Bill,...."

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह तो इस पर बहस शुरू हो गयी।

श्री ग्रध्यक्ष : नया पाइंट ग्राफ ग्रार्डर रेज किया है....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : ग्राप सुन लीजिये।

"....if enacted, will empower the State Government to prescribe the manner in which the Land Records Officer may correct...."

ग्रापका यह मेमोरेंडम रिकार्डिंग डेलीगेशन, यह मंशा देता है कि स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर होगी। स्टेट गवर्नमेंट कब एम्पावर होती है जबकि रूल 261 के ग्रन्तर्गत इसमें रूल मेकिंग पावर है इस सेक्शन के 261 के ग्रन्दर यह प्रोवीजन है कि 136 के ग्रन्तर्गत स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। इसलिए कहीं क्लाज नहीं है कि 261 के ग्रन्तर्गत 136 के ग्रन्दर कोई रूल बना सकते हैं। केवल ग्रापके मेमोरेंडम ग्राफ डेलीगेशन में लिखने से रूल मेकिंग पावर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं ग्रायेगी। 136 का ग्राप मुलाहजा करें। मेरे पास सेक्शन 261 भी है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : हरिसिंहजी ने जो बात कही वह बिलकुल सही है। उसमें जो एनेबलिंग क्लाज है कि रूल्स बनाये जायेंगे तो उसमें दिया हुग्रा है कि इस सेक्शन के ग्रन्तर्गत रूल्स बनायेंगे। वह ग्रगर नहीं है तो यह उन रूल्स में ग्रन्डर रूल्स कवर ही नहीं हो सकते....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : ग्राप इसमें मुलाहजा करें, इसका क्लाज 6 है....

श्री गंगाराम चौधरी : वह लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पहले ही दे रखे हैं। धारा 261 जो लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की है....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मेरी पूरी बात सुन लीजिये।

श्री गंगाराम चौधरी : उसमें रूल मेकिंग पावर है, उसमें 136 क्या सारे ही कवर होते हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सुन लीजिये

(श्री हरिसिंह)

आप। कहां, कहां पर होते हैं। आप मेरी पूरी बात सुन लें, उसके बाद जो कहना चाहें कह दीजियेगा।

श्री पूनम चन्द बिश्नोई : रूल मेकिंग पावर में जो सेक्शंस मेंशंड हैं कि इन-इन में रूल्स बना सकेंगे वह उसमें होने चाहिए, उसमें है ही नहीं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्लाज 6 है, वह कहता है—

"In clause (xxiii) of sub-section (2) of section 261 of the principal Act, for the expression 'under sections 123, 124 and 125', the expression 'under section 124' shall be substituted." आपने 123, 124, 125 की पावर्स थी 261 में रूल बनाने की, उसमें आपने 123, 124 को डिलिट कर दिया, केवल 125 की पावर है 261 में। अब देखिये आप, यह जो आपका 261 है उसे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। 261 में है—

"Power to make rules.—The Board may, with the previous sanction of the State Government, make rules consistent with the provisions of this Act." यहां तो बोर्ड के लिये दिया हुआ है। अब इसमें आगे दिया हुआ है—

"(i) prescribing qualifications of the previous eligible appointment of chairman....." फिर आप आगे चलिये, मैं टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता, इसमें 23 पर आ जाइये आप—

"....regulating under Section 94 of control and management of forests, regulating under Section95, regulating holding of auction, regulating under Section 99, regulating under Section 100, regulating Section 101, 112 131, prescribing under section form and contents of the...." जब 136 में आपके है ही नहीं तब कैसे बना देंगे साहब....

श्री पूनम चन्द बिश्नोई : इसका मतलब उसमें है ही नहीं। इसमें रूल मेकिंग पावर ही नहीं है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इतना बड़ा लीगल लेकुना है, लीगल डिफेक्ट है, इसको आप जब तक....

श्री गंगाराम चौधरी : आप 261 शुरू से पढ़िये उसमें यही लिखा है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : शुरू से पढ़ता हूं....

श्री गंगाराम चौधरी : "... to carry out the purposes of the Act and any specific...."

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 'The Board May, with the previous sanction of the State Government, make rules consistent with the provisions of this Act."बोर्ड के लिये है।

श्री पूनम चन्द बिश्नोई : इसकी मंशा लागू करने के लिये नियम बनाने की क्षमता

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

बोर्ड को और सरकार को है लेकिन उसमें जब स्पेसिफिकली सेक्शंस मेंशंड कर दिये हैं तो उन्हीं तक वह सीमित रहेगा, यह नहीं है कि किसी भी सेक्शन में आप रूल बनायेंगे ...

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उसकी जान तो प्रेसक्राइब्ड मैनर है, उसको आप बना देंगे बगैर रूल मेकिंग पावर के—, it will be sturck down. किसी भी कोर्ट में जायेगा, स्ट्रक डाउन हो जायेगा, इसलिए क्या जल्दी है....

श्री पूनम चन्द विश्नोई : रूल 261 में जो पावर होती है जो सेक्शन मेंशंड है उसी में होगी, जनरल नहीं है....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या है इसमें, इसके आगे क्या परेशानी आ रही है, जाने कैसे लागू हो जायेगा।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : मैं हाउस के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि आप किसानों को और वक्त क्यों लेना चाहते हैं ? पास तो वह कल भी हो जाना है, आपको पास की कोई फिक्र तो है नहीं, आपसे सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मान लीजिये।... (व्यवधान).... कोई इसमें लम्बी-चौड़ी बात नहीं है। आने वाले चुनावों में आपको इस बात का फायदा मिलेगा। आप इस तरह क्यों करते हैं ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आपको रूल मेकिंग पावर लेनी चाहिए।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : जब तक आप किसान की बात नहीं सुनेंगे तब तक हाउस में पूरी बात नहीं आयेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये किसान के हित में है।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : नहीं, एक दिन में क्या फर्क पड़ता है। कल हो जायेगा।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, मैं पुनः सदन के नेता महोदय से निवेदन करूंगा।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : बहुमत आपके पास है, कोई दिक्कत तो है नहीं।

श्री शिवनाथ सिंह : आपका लोहा हम मानते हैं। आपने प्रदेश में लंगोट घुमा दिया, हाउस में भी घुमा दिया। अब आप इस बात को थोड़ा मान लीजिये, कोई जिद वाली बात नहीं है, कल आपकी बात हम सब मान गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां मानी ?

श्री शिवनाथ सिंह : हम सब मान गये, आपने कहा कि मैं एडजोर्न नहीं करूंगा, हमने स्वीकार कर लिया मत करो, हम बाहर निकल जाते हैं। आज आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अभी जो प्रोविजन्स पढ़े गये हैं उनको देखते हुए आप भी कंविन्स्ड हैं कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, हमारे राजस्व मंत्रीजी भी कंविन्स्ड हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं, 136 तो आप बता रहे हैं और जल्दी से पास कर रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिये इसमें

(श्री शिवनाथ सिंह)

कोई ऐसी बात नहीं है। हम आपको पूरा-पूरा को-आपरेशन देंगे, कल बिल को पास कर देंगे और कल की लिस्ट वाला सब बिजनस हम पास कर देंगे इसलिये आपसे निवेदन है कि आप क्यों जिद करते हो? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैं एक व्यावहारिक पहलू आपके सामने रखना चाहती हूं कि जिस किसी व्यक्ति का रिकार्ड गलत इन्द्राज हो गया है, तकलीफ उस व्यक्ति को है कि वह कहीं उसका निराकरण पा सके इसलिये वह अपील करे उस लैण्ड रिकार्ड आफिसर से और वह उसको तसल्ली दे और उसको राहत प्रदान करे। (व्यवधान) जरा एक मिनट उपमुख्य मंत्रीजी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पहले आप मंत्रीजी को सुन लीजिये।

श्रीमती कमला : मंत्रीजी अभी बोल लेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उसके बाद आपकी कुछ शंकाएं रहें तो फिर आप बता देना। पहले आप इन्हें सुन तो लीजिये।

श्रीमती कमला : पहले मेरा सेंटेंस तो पूरा कर लीजिये न, क्या आपत्ति है? (व्यवधान) मैं तो आपको व्यवहारिक पहलू बता रही हूं कि आपका रिकार्ड दूसरे के नाम चढ़ गया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपने पाइण्ट रखा।

श्रीमती कमला : अब आप मुझे-मोटो उस अधिकारी को पावर देना चाहते हैं तो मुझे तकलीफ नहीं है लेकिन जाकर खोज-बीन करके कि किसका रिकार्ड गलत लिखा गया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसलिए इस प्लस पाइण्ट पर मंत्रीजी जो कहते हैं वह भी सुन लीजिये।

श्रीमती कमला : तो वह पटवारी उनको किसानों के पीछे लगा देगा कि इसके रेकार्ड कि तुम अर्जी दे दो और इसके रिकार्ड की तुम अर्जी दे दो और बिना मतलब केस तैयार करायेगा। जब वह अफेक्टेड पर्सन ही नहीं है तो वह खुद किस तरह से रेकार्ड को बदलने का मन करना चाहता है? क्यों हम उसको यह पावर देना चाहते हैं? Affected person himself is the proper person जिसको कि राहत मिलनी है। बिना रिकार्ड आफिसर के आप जबरदस्ती किसानों के रेकार्ड में दखलंदाजी करने का अधिकार दे रहे हैं और वह 10-10, 20-20 वर्ष पुराने रेकार्ड को किसी न किसी से लिखवाकर लोगों को दुःखी करेगा। क्या जरूरत है? जिसको तकलीफ है वह खुद उसके पास जाकर राहत ले लेगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : तो इसका दूसरा रूख सुनने में आपको आपत्ति क्या है? इसके प्लस पाइण्ट भी सुन लीजिये। देखिये मैं बताऊं, एक मामूली क्लेरिकल इर्रेगुलेरिटी हो उसके लिये भी काश्तकार को रेगुलर सूट करना पड़ता है और कई काश्तकारों को तो 10-10, 12-12 साल तक पता ही नहीं चलता कि हमारे रिकार्ड में कोई क्लेरिकल गलती हुई है। हठात में

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

उनकी पता चलता है तो वे बड़े परेशानी में पड़ते हैं, सूट टाइम बार्ड हो जाता है और उनकी जो रेमेडी है वह नहीं मिलती। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : इसलिए क्या आप बिना जरूरत ही सूट करेंगे ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बहुत से काश्तकारों को पता ही नहीं है कि उनके रिकार्ड में क्या गलती रह गयी है।

श्री अध्यक्ष : 125 का एन्ट्री का कई बार डिक्लेरेशन का स्यूट लाना पड़ता है, इविल्स टूगेदर डिक्लेरेशन का दावा करना पड़ता है। 15-15, 20-20 साल चल जाते हैं डिक्लेरेशन के दावे, एक एण्ट्री के लिये 125 की।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : आप तो स्वयं वकील रहे हुए हैं। सिविल स्यूट केवल एग्रीव्ड पार्टी कर सकती है सिर्फ क्रिमिनल केसेज के अन्दर यह प्रोविजन है कि स्टेट सुओ-मोटो कागिनजेबल आफेंस में बीच में पड़ सकती है वरना बिना किसी शिकायत के सुओ-मोटो, कोई अधिकार नहीं है। कॉज आफ एक्शन जो एग्रीव्ड है उसी को दावा करना पड़ेगा। यहां बहुत से वकील बैठे हैं अच्छी तरह से जानते हैं। कमलाजी के और मेरे डिस्प्यूट है और शिवनाथ सिंह जी दावा पेश कर रहे हैं कि यह खेत उनका नहीं है। Is it sustainable in law ? It is not. एग्रीव्ड पार्टी ही कर सकती है सिवाय क्रिमिनल केस के उसमें भी क्रिमिनल ओफेंसेज, उसमें सुओमोटो सरकारी अधिकारी को अधिकार है मतलब ऐसे तो कोई अधिकार नहीं है बाकी है ही नहीं।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : ब्यूरोक्रेसी तो पहले ही हावी है, आप तो अपने हाथ में रखो।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो पाइण्ट आफ आर्डर आपने रूल आउट कर दिया है, मैं बिल को पेश करूं या कुछ मुझे पहले....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : रूल आउट कहां कर दिया ? It has not been ruled out. It still has not been ruled out.

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो धनखड़ साहब वाला रूल आउट हुआ है।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मेरे पाइंट आफ आर्डर का क्या हुआ साहब ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक पाइन्ट आफ आर्डर पर दूसरा पाइन्ट आफ आर्डर आपने और उठा दिया और 125 का सवाल है इसमें और कोई एन्ट्री का झगड़ा ही नहीं है डिक्लेरेशन से दावा लाना पड़ेगा 125 के साथ....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 136 ए और....

श्री अध्यक्ष : और अर्से दराज तक चलेगा इस लिए आपका यह पाइंट आफ आर्डर है इसको मैं रिजेक्ट करता हूं।

श्रीमती कमला : झगड़े नहीं हैं, लेकिन

(श्रीमती कमला)

वह अधिकारी झगड़ा पैदा करेगा यही तो हम कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्रीमती कमला : वह बिना झगड़े के झगड़े पैदा करायेगा।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : प्रेसक्राइब्ड मैनर के बाद झगड़ा होगा (व्यवधान)

श्री पूनम चन्द विश्नोई : मैं एक बार आपसे निवेदन करता हूं। (व्यवधान)

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व....

श्री अध्यक्ष : एस डी.ओ. कोर्ट में लोअर कोर्ट में ही उसके 20 साल लग जाएंगे।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : 25 साल लग जायें लेकिन आप कानून को तोड़कर नहीं चल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : कोई तोड़ेगा नहीं।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : मेरे से दूसरा आदमी रुपया मांगता है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी की सुन लें आप।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : क्या तीसरा आदमी उसका दावा मेरे खिलाफ कर सकता है? हरगिज नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : आप पहले बात तो सुन लें।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : सिर्फ एक एक्ससेप्शन है क्रिमिनल लॉ में और वह भी काग्निजेबल आफेंस में जहां स्टेट इण्टरवीन कर सकती है, दूसरी सब जगहों में प्रोविजन यह है कि स्टेट निष्पक्ष है, एग्रीव्ड पार्टी है जिसके पक्ष में कॉज आफ एक्शन है वह ही कर सकता है। उसमें भी अगर सब ने नहीं किया और आवों ने किया है तो भी दावा खारिज हो जायेगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आजकल पब्लिक इंटरेस्ट के मुकदमे हाई कोर्ट सुनता है जिसमें कोई पार्टी इंटरेस्टेड नहीं होती।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : कौनसा?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पब्लिक इंटरेस्ट के पोस्ट कार्ड पर वह अपनी मर्जी आवे तो उसको रिट मान लेता है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : हां, वह तो एक्स्ट्रा है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, तो वह सर्कमस्टेंसेज बदल रही हैं।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : एक्स्ट्रा आर्डिनरी रेमेडी है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप समाज के उन काश्तकारों की चिन्ता नहीं कर रहे हैं जो अपनी अज्ञानता की वजह से नहीं जानते हैं कि उनके राइट आफ रेकार्ड में गलती रह गयी है और उनके दावा करने का समय निकल चुका है।

श्रीमती कमला : आप एक अधिकारी को जबरदस्ती किसान को हरेस करने के अधिकार क्यों दे रहे हैं।

श्री हरिशंकर भामड़ा : आज उनका स्यूट टाइम बार्ड हो गया है इसलिये स्यूट हो नहीं सकता ।

श्रीमती कमला : एक अधिकारी को बिना जरूरत, बिना कारण काश्तकारों को हरेस करने की आप शक्ति दे रहे हैं। (व्यवधान) पुराने रेकार्ड उसके हाथों से खुलवाकर भ्रष्टाचार की तैयारी कर रहे हैं इसलिये आपसे निवेदन है कि इसको प्रेस्टिज पाइंट मत बनाइये । किसानों को बहुत मुसीबत हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : यदि इस पर आज बहस हो जाती और कल बहस हो जाती तो उसमें स्टेट्स में कोई फर्क थोड़े ही पड़ जाएगा ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं, नहीं स्टेट्स का सवाल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप तो वहां से कर लीजिये, कल रखा जायेगा ।

श्रीमती कमला : नहीं, हम मंत्रीजी से और बात करना चाहते हैं, मुख्य मंत्रीजी से करना चाहते हैं । (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : हम सोच समझकर और भी बात कह सकें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है । (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, इसमें पचासों झगड़े पैदा होंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, हम भ्रष्टाचार को न्यौत रहे हैं ।

श्रीमती कमला : यह तो खुल्ला कर रहे हैं कि अधिकारी जाकर इनके रेकार्ड के अदला–बदली के केस शुरू कर दें । मुख्य मंत्रीजी हम आपसे मिलना चाहते हैं, इसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं इसलिए आप इसको अभी न करके कल कर दीजिये ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : वह एक्स्ट्रा आर्डिनरी रेमेडी है, उसके बारे में कर रहे हैं और वह फण्डामेंटल राइट्स के बारे में आता है, सिविल स्यूट के बारे में पोस्ट कार्ड पर नहीं जा सकता ।

श्री जुबेर खान : लेकिन साहब पोस्ट कार्ड भी तो एग्रीव्ड पार्टी ही भेजती है ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : ये फण्डामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में आप....

श्री जगदीप धनखड़ : फ्री फॉर आल नहीं है उनमें भी लिमिटेशन हैं ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रावधान यह है कि यदि कोई लैण्ड रेकार्ड आफिसर दुरुस्ती करना चाहेगा तो पहले उस पार्टी को नोटिस देगा । They will hear them. ऐसा थोड़े ही है कि हरेक के कहने पर ही कर देगा । जो कंसर्निंग पार्टी हैं उनको नोटिस दिया जायेगा आपको सुना जायेगा और यह इसलिए हुआ कि जो क्लेरिकल मिस्टेक है, जो टाइम बार्ड स्यूट होते हैं उनमें मिल जायेगी ।

श्री रामनारायण चौधरी : उसको क्या दिक्कत आ रही है कि वह नोटिस देगा । यह अधिकार क्यों देना चाहते हो उसको ? उसको क्या गरज है कि वह देगा ? इसमें आपका क्या परपज हल हो रहा है । यह बताइये ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : परपज अननेसेसरी लिटिगेशन को रोकना है। इसमें लिटिगेशन की जरूरत नहीं है। कोई क्लेरिकल मिस्टेक की वजह से लिटिगेशन हो उसको रोकना है और उससे हेरेसमेंट होता है वह रोका जाय। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि... (व्यवधान)

श्री पूनम चन्द विश्नोई : सामने वाले का लेना पड़ेगा, वह अपील में जायेगा, सैकण्ड अपील में जायेगा, रिट में जायेगा। आप नोटिस देने के बाद में उसको कैसे रोकेंगे। कौन सा शॉर्ट सर्किट हो जायेगा?

श्री हरिशंकर भामड़ा : मुझे बताइये कि आप इस बात को तो मानते हैं कि स्यूट तो चलता रहे। स्यूट भले ही चले इस पर तो आप एग्री करते हैं?

श्री पूनम चन्द विश्नोई : स्यूट हो गया, नोटिस हो गया।

श्री हरिशंकर भामड़ा : हां, उस पर तो आप एग्री करते हैं? आप स्यूट में एग्री करते हैं न कि स्यूट तो चले? यदि किसी को अपनी लैण्ड रिकार्ड की एण्ट्री दुरुस्त करवानी है तो उसका रेगुलर स्यूट चले, यह मानते हैं ना आप।....(व्यवधान)

श्री पूनम चन्द विश्नोई : साहब, यह दो तरह की होती है। एक तो पिटीशन होती है एक स्यूट होता है।... (व्यवधान) रेरेवेन्यू में दो है स्यूट एण्ड पिटीशन।

श्री हरिशंकर भामड़ा : तो फिर इसमें अन्तर क्या हुआ?

श्री पूनम चन्द विश्नोई : एक तो एप्लीकेशन होती है उसमें... (व्यवधान).... और दूसरा है जो रेवेन्यू स्यूट होता है, जैसे ही आप नोटिस देंगे उसके बाद में.... (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ही जानकारी चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : यह बहुत ही स्पेसिफिकली इसमें लिखा है। करेक्शन ऑफ लॉ....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक मिनट सुनें, अध्यक्ष महोदय।....(व्यवधान)

"To obviate these problems, it is proposed to delete sections 123 and 125 and amend section 136 so as to limit it only to correction of clerical errors or admitted errors...."

मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि 125 के अन्दर यह भी है—"No order as to possession passed under this section shall debar any person from establishing his right to the property in any civil or revenue court having jurisdiction." अगर इसको भी आपने डिलीट कर दिया तो गलत हो जायेगा।

श्री जगदीप धनखड़ : इसको तो कर दिया।... (व्यवधान)....This has been done.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह तो रहना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : It has been done.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह तो रहना चाहिए। यह कैसे डिलीट कर सकते हैं। उसकी रजिस्ट्री जा रही है, आगे वह अपील नहीं कर सके। यह तो रहना चाहिए।....(व्यवधान)....उसका राइट ही, फण्डामेंटल राइट ही छोड़ रहे हैं कि वह कोर्ट में नहीं जा सके। यह कैसे होगा....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, मेरा निवेदन यह है कि उप मुख्य मंत्रीजी.... (व्यवधान) एक सैकण्ड, इसको मैरिट पर ले आएं।....(व्यवधान) आज हम यह नहीं कह रहे हैं कि इसकी मैरिट, डि-मैरिट क्या है.... (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह blanket right आप कैसे कर सकते हैं ? आपने एस.डी.ओ. को blanket right कर दिया कि जिसको भी हटाना हो हटा दें। यह blanket right तो नहीं हो।....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : हम इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि रेवेन्यू मिनिस्टर के साथ में और ऑफिसर्स के साथ में बैठकर हम इस बात को कन्वींस करना चाहते हैं कि हम कन्वींस हो जाएं।.... (व्यवधान) .. अच्छा है, बुरा है। इसका फण्डामेंटल राइट.... (व्यवधान).... बिना मतलब के ही, हम तो इतना ही निवेदन कर रहे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : स्यूट की रेमेडी कभी खतम नहीं होती है।....(व्यवधान) फण्डामेंटल राइट नहीं जाता है, आपको गलत ध्यान है।

श्रीमती कमला : माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, आपने जो एक सवाल पूछा कि पिटीशन तो फिर भी चलेगी, स्यूट तो फिर भी चलेगा। जो एग्रीव्ड पार्टी है, वह पिटीशन करेगी तो वह स्यूट जरूर करेगा...

श्री अध्यक्ष : आप बात सुन लें पहले।

श्रीमती कमला : लेकिन कोई पार्टी एग्रीव्ड ही नहीं है और ऑफिसर जबर्दस्ती केस तैयार कर रहा है, वह क्यों चलना चाहिए। सवाल यह है।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं प्रस्ताव करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, धारा 132 जो मौजूदा लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में है, उसमें यह लिखा हुआ है कि कोई भी डिस्प्यूट हो तो पजेशन के आधार पर तय किया जाए। हमारे सैटलमेंट के चेप्टर में, सर्वे एण्ड लैण्ड रिकार्ड के चेप्टर में यह बात दे रखी है। इसलिये सैटलमेंट अधिकारियों को इन सिद्धान्तों के आधार पर मामला तय करना चाहिए लेकिन पिछले वर्षों में इसका दुरुपयोग हुआ। सैटलमेंट अधिकारियों ने पजेशन के आधार पर राजकीय भूमि में भी खातेदारी दे दी, चारागाह में भी दे दी, दूसरी सार्वजनिक भूमियों में भी दे दी, काश्तकारों में भी कोई काश्तकार थोड़ा-सा आगे बढ़ गया, नहीं भी बढ़ा तो उसका पजेशन मानकर के एक काश्तकार की जमीन दूसरे काश्तकार को दे दी। इस प्रकार से सैटलमेंट जब भी खतम होता तो हजारों की तादाद में उज्रदारियां हो जाती थीं। इतना ही नहीं, सरकार की कई भूमियां भी चली गयीं। एक मोटा मामला डबोक तहसील का सामने आया। उस तहसील में यह शिकायत आयी

(श्री गंगाराम चौधरी)

कि सैटलमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ी-बड़ी गलतियां कर दीं इसलिये दुबारा सैटलमेंट करवाया जाए। सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा और उस तहसील का दुबारा सैटलमेंट करवाया। उसकी गलतियां क्या रहीं ? उसमें सात प्रकार की गलतियां रहीं। पहली तो यह गलती रही, रिकार्डेड खातेदारों के रकबों में कमी-बेशी, 125 का फायदा, राजकीय भूमि, सिवाय चक, चारागाह और विवादित भूमि आदि में खातेदारी प्रदान करना, मन्दिर व कमाण्ड एरिया की भूमि में खातेदारी प्रदान करना, एस.सी. व एस.टी. की भूमि में अन्य लोगों को खातेदारी प्रदान करना, खातेदारों के खातों में अनियमित विभाजन करना, धारा 125 के तहत कब्जे के आधार पर अन्य लोगों को खातेदारी देना, गलत नामांकन भरना, विशेष रूप से फोतगी विरासतनामा, गोदनामा। तो 125 का जो निश्चय है, वर्ड जो इसमें ऐसे हैं, उस वक्त में बात दूसरी थी, 1956 में यह जब सेक्शन जोड़ा था तो राजस्थान के कई इलाकों में सैटलमेंट नहीं था, रिकार्ड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब काश्तकार को यह राइट दिया था कि पजेशन के आधार पर उसको अधिकार देंगे तो उस वक्त काश्तकारों को बड़ी तादाद में इसका लाभ मिला लेकिन उसके बाद में इसका दुरुपयोग होने लगा और इसलिये इस पर फिर सोचना विचारना जरूर हो गया था कि 125 के, म्यूटेशन के चेप्टर में जो है इसको हटाया जाय या नहीं हटाया जाय। एक 136 सैक्शन उस वक्त में जोड़ा था लैंण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर। उसकी पहले की भाषा है, उसकी मंशा तो यह थी कि एण्ट्रीज जो रिकार्ड में हैं उन एण्ट्रीज को लैंण्ड रिकार्ड आफिसर, डिस्ट्रिक्ट लैण्ड रिकार्ड आफिसर उसको समरी इंक्वायरी से बदल सकता है। लेकिन उसमें जो वर्ड्स थे वे डिफेक्टिव थे इसलिये हमारे रेवेन्यू बोर्ड ने 1994 में एक निर्णय दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि सैटलमेंट की एण्ट्रीज को एस.डी.ओ. एज लैंण्ड रिकार्ड आफिसर बदल नहीं सकता। यह रूलिंग 1994, आर.आर.डी. 505 पर रिकार्डेड हुआ और माननीय सदस्य श्री टी. श्रीनिवासन ने यह निर्णय दिया था। उसके बाद में यह सोचना जरूरी हो गया कि सैटलमेंट की जो गलतियां हो जाती हैं, वह समरी इंक्वायरी से तो दूर की नहीं जा सकती हैं, यदि दावा ही करना पड़ता है तो सरकार के लिये भी दावा करना पड़ता है और काश्तकारों के लिये भी दावा करना पड़ता है, अगर बाद में मालूम पड़ता हो तो। इसलिये यह सोचा गया कि 125 को हटाया जाए और 136 में ऐसा प्रोविजन किया जाए कि जो गलतियां की हैं, वे समय पर ठीक कर दी जाएं। अब 136 के बारे में जो संशय व्यक्त किया है, माननीय हरिसिंह जी ने कहा था कि जो डेलीगेटेड पावर्स हैं, वे रूल मेकिंग नहीं हैं। इसे मैं निवेदन कर दूं क्योंकि 1960, 261 (2) की जो गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं उसके अन्दर क्लॉज जो लास्ट में दे रखा है, पहले तो सैक्शन दिये, इस सैक्शन में रूल बनाये। लास्ट में यह दिया Generally for carrying out the provisions of this Act.

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : फिर एक यह रख देते तो, दूसरा रखने की जरूरत ही नहीं थी... (व्यवधान) एक ही बहुत था.... (व्यवधान) 261 के अन्दर....

श्री गंगाराम चौधरी : ठहरिये, इस रूल के अन्दर कोई खामी नहीं है ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : फिर रखने की क्या जरूरत है, एक यह क्लॉज रख देते....

श्री गंगाराम चौधरी : यह आपका इंटरप्रटेशन है ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : Govt shall have power to make rules regarding whole of this Act. इसका मतलब तो फिर यह हुआ ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यही है ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : नहीं, नहीं । तो फिर ऊपर यह एनुमरेट क्यों किया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब इसको इम्पलीट करने के लिये रूल्स बनाने हैं । इसके बनने के बावजूद भी यदि इस एक्ट को इम्पलीमेंट करने में कोई कमी रहती है तो इस क्लॉज का उपयोग किया जा सकता है ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : नहीं, नहीं । वह आप इसमें नये नहीं जोड़ सकते हैं ।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और चीज निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई कानून नहीं है जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : सब रद्द होगा । आपस में विवाद नहीं होगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूरा अधिनियम गलत होगा तो वापस आ जायेंगे ।

श्री गंगाराम चौधरी : मुझे एक मिनट सुन लीजिए आप ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट, बैठने से पहले आप उसका जवाब दे देना । एक्स का नाम लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि यह क्लेरीकल एरर है, एक्स की जगह मैं वाई करता हूं । वह नोटिस देंगे ।....

श्री गंगाराम चौधरी : वह भी मैं बताता हूं ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : जो जिस दिन नोटिस देंगे उस दिन भी चाहे उसको पिटीशन कह दो, एप्लीकेशन या स्यूट कह दो, वह की वह प्रक्रिया ठेठ हाई कोर्ट तक चलेगी । उसको आप नहीं रख सकते हैं, कैसे रखोगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनो तो सही ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सुनवाई की जाएगी ।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं आगे निवेदन कर दूं, एक चीज और है । अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जनरली कैरिंग आऊट मैंने बताया लेकिन हमारे जनरली क्लॉज एक्ट में एक चीज दे रखी है उसमें प्रेस्क्राइब्ड मैनर जो शब्द हैं उसमें दे रखे हैं कि prescribed means prescribed under the rules. और हमने इसके अन्दर भी, अगर वह भी नहीं है तो भी हमने इसमें लिखा है, वर्ड प्रेस्क्राइब्ड यूज किया है। हमने prescribed

(श्री गंगाराम चौधरी)

in the manner. Prescribed means prescribed under the rules. और हम इसमें नहीं लिखें, 136 तब भी सरकार को पावर प्रेस्क्राइब्ड करने का। दूसरी चीज मैं अर्ज करता हूं जो एतराज 136 पर किया है, मैंने ऑब्जेक्शंस एण्ड रीजंस में भी सारी बात लिखी है। इसमें यह बात लिखी है कि हमारा ऑब्जेक्ट यह है कि 125 का जो मिसचीफ है, या निर्देशन के चेप्टर में जो दी हुई बातें हैं, उसकी मिसचीफ है जिसका दुरुपयोग हो रहा है और उसमें विशेष तौर से चारागाह और सिवाय चक जमीनों की खातेदारी दे दी जाती है और जैसा मैंने डबोक का उदाहरण दिया, उसमें इतना ही नहीं, दूसरों में भी हेर-फेर कर दी इसलिये एरर करक्ट करने के लिये हम 136 की जो पहले भाषा थी उसको बदलना चाहते हैं– "The Land Records Officer may, at any time, correct of cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any effors which the parties interested admit." समरी इन्क्वायरी है इसलिये समरी इन्क्वायरी में हमने बहुत लिमिटेड पावर दी....

श्री अध्यक्ष : दोनों पार्टी एडमिट.... (व्यवधान)....

श्री गंगाराम चौधरी : Parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any register.

श्री पूनम चन्द विश्नोई : यह गलत है।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक चीज...(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : विवाद की जड़ यह है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : असल मिसचिफ यह है....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें नोटिस देने का प्रोविजन है। इसमें नोटिस देने का प्रोविजन है.... (व्यवधान)

श्री गंगाराम चौधरी : देखिये, अध्यक्ष महोदय, जो लास्ट हमने जो रखा है ना कि जिस....

एक माननीय सदस्य : नहीं आगे लिखा है ना प्रोवाइडेड....

श्री गंगाराम चौधरी : इंस्पेक्शन के वक्त नोटिस में आये उसके लिये हमने लिख दिया "Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights durring the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties."

Notice to show cause given to the parties.

श्री अध्यक्ष : This very much clear.

श्री गंगाराम चौधरी : यह सारी चीज

(श्री गंगाराम चौधरी)

है, इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैं एक सवाल माननीय मंत्री महोदय, आपसे पूछ रही हूं। सिर्फ एक सवाल। सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूं, जिसका जवाब दे दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले आप बोल लो।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि यह तो काश्तकारों को रिलीफ देने के लिये यह सब कुछ किया है। दावों से बचने के लिये किया है ताकि और सरकारी जमीनों की भी गलत एण्ट्री हो जाती है, उसमें भी समरी इन्क्वायरी दी है, उसके बावजूद भी स्यूट करने के लिये कोई बंदिश नहीं है। स्यूट तो किसी भी बात पर किया जा सकता है, टिनेंसी एक्ट में प्रोविजन है।

श्रीमती कमला : मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रही हूं कि सरकारी जमीन का अगर गलत इन्द्राज हो गया है तो सरकार का जो कन्सर्न आफिसर है, वह अपील करें या पिटीशन करें और उसको दुरुस्त करवायें। मेरी बात सुनिये, इसलिये कि वह जमीन सरकार की है और अगर किसी खातेदार की जमीन का गलत इन्द्राज हुआ है तो वह अपनी दुरुस्ती करवाने के लिये इस अधिकारी के यहां पर अपना पिटीशन पेश करें लेकिन यह अधिकारी खुद केस क्यों बनाये?

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्यों नहीं बनाये? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : नहीं, किस लिये बनाये? इसलिये कि बिना गलती के ही वह उसमें गलती करार दे, उसका स्यूट बनाये, लोगों को परेशान करे और उसको बाकायदा वर्षों तक घसीटता रहे। जो एग्रीव्ड पार्टी है, चाहे सरकार है, चाहे इंडिविजुअल है, वह पिटीशन करके अपना रिलीफ ले, लेकिन वह आफिसर को आप अधिकार क्यों देना चाहते हो कि वह केस बनाये?

श्री अध्यक्ष : Apparent mistake नजर आयेगी तो proper opportunity of hearing is being given. Notice will be served to him.

श्री गंगाराम चौधरी : देखिये, इसमें एक बात है....(व्यवधान)

श्री पूनम चन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये। ऐसा है: अध्यक्ष महोदय, आपने नोटिस दे दिया। नोटिस देने के बाद में चाहे स्यूट का ट्रायल हो, चाहे एप्लीकेशन का ट्रायल हो, इन दोनों में फर्क क्या होगा? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हो जाएगा, उसमें क्या है...(व्यवधान)

श्री पूनम चन्द विश्नोई : प्रोसीजर वह का वह होगा और इसमें गलती, आज यह क्यों मानकर चलते हो कि सरकारी अधिकारी जो कार्य करेगा, वह ठीक करेंगे.... (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : समर्थन करता हूं, खाली एक ही मेरे को आपत्ति है, छोटी-सी....(व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, आप आपत्ति बाद में सुना देना ....(व्यवधान)....

श्री पूनम चन्द विश्नोई : यह जानबूझ कर की जा रही है ना ... (व्यवधान) ...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हमारे आसीन्द के अन्दर रेवेन्यू विभाग की बहुत गलतियां हो गयीं ...(व्यवधान) .. वह तो बिलकुल ठीक हो जाएगा पर वह सेक्शन–3 है कि आगे डिबार करते हैं, आगे जाकर वे इसमें नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते .... (व्यवधान)....

श्री गंगाराम चौधरी : वह तो एक्स्ट्रा प्रिकोशन है ... (व्यवधान)....

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो डबोक का उदाहरण दिया, यह डबोक का ही नहीं है, हर तहसील में, हर गांव के अन्दर आपको यह उदाहरण मिलेंगे। बीकानेर के 34 गांवों में पिछले पन्द्रह साल में सैटलमेंट में रिकार्ड में चेंज किया है। सांगानेर तहसील में कम से कम 720 बीघा सरकारी जमीन आज भी इंडिविजुअल लोगों के नाम से छोड़ी हुई है। (व्यवधान)

श्री पूनम चन्द विश्नोई : इसका मतलब यह है कि हजारों केस आप लॉज करना चाहते हैं अपनी तरफ से ... (व्यवधान)....

श्री नरपत सिंह राजवी : हजारों केस लॉज करने की बात नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हजारों केसेज.... (व्यवधान)....

श्री पूनम चन्द विश्नोई : इसका मतलब तो यह हुआ कि आप सैटल्ड को अनसैटल्ड कर रहे हैं ...(व्यवधान)....

श्री नरपत सिंह राजवी : सरकार करे, एस.डी.ओ. को पावर्स नहीं है, रेवेन्यू बोर्ड तक वह जाएगा, तीस साल से पहले खतम नहीं होगा वह केस। यह बिलकुल इंट्रेस्ट की बात है, सीरियसली इसको समझे तो....(व्यवधान) ...

श्री पूनम चन्द विश्नोई : नोटिस देते ही वही तरीका .. (व्यवधान)....

श्री नरपत सिंह राजवी : किसानों के इंट्रेस्ट की बात है, आप इसको डिबार नहीं करें।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : और चाहे रेवेन्यू एप्लीकेशन में होता है।

श्री नरपत सिंह राजवी : पुराने रेकार्ड की एण्ट्री यथावत रहनी चाहिये, वह चैंज क्यों हुई फिर....(व्यवधान)....

श्री पूनम चन्द विश्नोई : सिर्फ एक मिसचिफ करने का अधिकार आप दे रहे हो आखिर....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : इसको मिटाने का अधिकार दे रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : पर यह मिसचिफ मिटेगी नहीं... (व्यवधान)....

श्री पूनम चन्द विश्नोई : मनमाना

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

अधिकार आप दे रहे हो कि नहीं ? यह जमीन तो ऐसी है, यह जमीन तो ऐसी है, किसी को एतराज नहीं है, अगर गवर्नमेंट को एतराज है तो नोटिस देकर स्यूट करो ... (व्यवधान)....

श्री राम रिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ... (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । काफी डिस्कसन हो चुका । मंत्रीजी ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक मिनट निवेदन करना है कि मैंने इस पर संशोधन दिया है, आपका, भारत का कानून है कि possession is the nine tenth of ownership. और कब्जा सच्चा और झगड़ा झूठा, इन दोनों कानूनी कहावतों के खिलाफ यह एक्ट का अमेंडमेंट आ रहा है । इस तरीके से आ रहा है कि आज गरीब किसान जो कब्जे के आधार पर काबिज है उसको 123 और 125 की धारा हटाने के बाद 136 की धारा इजराय करने के बाद बेदखल कर दिया जाएगा । वह टी. आई. डिक्लेरिटरी स्यूट नहीं लाएगा, स्यूट में इन्जेक्शन नहीं मिलेगा और उसको राइट ऑफ इन्जेक्शन है, वह नहीं मिल पायेगा, यह अल्ट्रा वायरस (ultra vires) है अगेंस्ट दी फिलिंग आफ दी कांस्टीट्यूशन (against the feeling of the Constitution) है । मेरा निवेदन करना यह है कि यह डबल एजेड स्वोर्ड है । आज आप यह सोच रहे हैं कि इससे लिटिगेशन कम होगा, आज इससे मुकदमेबाजी कम होगी, लेकिन आप वह भयावह स्थिति देखिये कि एक सामान्यतया बड़ा कृषक है, बड़ी जोत का और वह रिकार्ड्स ऑफ राइट्स में खुद के प्रभाव से एण्ट्री करवा लेता है लेकिन उसका पजेशन नहीं है । आज पजेशन के आधार पर एक गरीब किसान, जो टी.आई. का मुकदमा लाता है, वह नहीं ला पायेगा ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । श्री हरिसिंहजी ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा....(व्यवधान)....

श्रीमती कमला : इसका तो जवाब दीजिये कि वह आगे अपील कहां करेगा ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : कानून में बड़ी विसंगति खड़ी हो जाएगी राजस्थान के अन्दर ।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अगर पजेशन को डिस्कार्ड कर दे, पजेशन मिनिंगलेस हो जाए, यह तो लॉ का मेक्सिमम (maxi-

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

mum) है Possession is the nine tenth of ownership.

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से एक छोटी-सी बात पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्रजी जोशी, श्री मोहनलालजी मोदी, श्री जुबेर खान, श्री शांति कुमारजी धारीवाल, श्री लक्ष्मणसिंह जी, श्री माधवसिंह दीवान, श्री रामनारायण मीणा, श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री हरजीराम बुरडक, श्री भीमसेन चौधरी, श्री अमराराम....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इसमें केवल नोटिस देना पर्याप्त है, नोटिस के बाद दोनों पार्टियों का डिसीजन होगा, यह भी नहीं लिखा हुआ है। यह भी इनको ....(व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह....(व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : Mere issuing of the notice have no meaning in the eyes of law.

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप बोल रहे हैं अब ?

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं–नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय। स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजंस देखिये मंत्रीजी। आपने लिखा है कि:—

"To obviate these problems it is proposed to delete section 123 and 125 and amend section 136 so as to limit it only to correction of clerical errors or admitted errors after giving notice.

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : और आपका सेक्शन देखिये 136 में। आपने कोई नोटिस प्रोवाइड नहीं किया है। आपने नोटिस प्रोवाइड किया है, सिर्फ इंस्पेक्शन के लिये If an effor is noted during the inspection क्लेरिकल एरर का और एडमिटेड का कोई नोटिस नहीं है।....(व्यवधान).... it goes counting to the objects and reasons.

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनके संशोधन प्रस्ताव आये हैं, उनको आप पढ़ें।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपने विवेक का उपयोग कीजिये। आपने देखा है कि लाखों किसानों का Kyon aap at the mercy of these Revenue Officer.....

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराज जाए।

श्री जगदीप धनखड़ : रेवेन्यू आफिस पर डाल रहे हैं।....(व्यवधान)....

श्री राम रिछपाल नुवाल : अध्यक्ष महोदय,

(श्री राम रिछपाल नुवाल)

मैं भी आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि धारा 125 के तहत किस प्रकार की मिसचिफ के बारे में ...(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : अब विराजिये आप।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ?

(अस्वीकृत)

राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1995 को जनमत जानने हेतु परिचालित प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, हमने अमेंडमेंट प्रपोज किया है, हमें बोलने का मौका दिया जाए, हमने आज से पांच दिन पहले अमेंडमेंट प्रपोज किया है।....(व्यवधान)....

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर), श्री शिवनाथ सिंह जी, श्री रामनारायणजी चौधरी, श्री विष्णु मोदी....(व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, हमने पांच दिन पहले अमेंडमेंट प्रपोज किया है, आप हमें बोलने की अपार्चुनिटी दीजिये।

श्री अध्यक्ष : संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

एक माननीय सदस्य : प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, हमने पांच दिन पहले अमेंडमेंट प्रपोज किया है नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कहता है कि आप हमको सुनिये। और आप तो इनको पास करने, पारित करने जा रहे हैं। आप कम से कम यह अपार्चुनिटी तो दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी। आप पहले बोल चुके हैं, हरिसिंहजी बोल रहे हैं, आप विराजिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स यह है, प्रवर समिति को सौंपा जाए। प्रवर समिति को सौंपा जाए, मैं यह आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं–To obviate these problems, it is proposed to delete sections 123 and 125 and amend section 136 so as to limit it only to correction of clerical errors or admitted errors after giving notice to the parties यह इसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स है कि जो क्लेरिकल एरर हुए हैं या जो ऐसे एरर्स हैं जिनको पार्टीज एडमिट करती हैं, उसके बारे में 136 सेक्शन प्रोवाइड किया गया है। केवल यहां ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स का है। अब आप इससे आगे बढ़ गये। इस बिल के अन्दर हमारे जो मंत्री महोदय हैं, इससे आगे बढ़ रहे हैं, क्या आगे बढ़ रहे हैं आप मुलाहिजा करें, इसमें—

"The Land Records Officer may, at any time, correct or cause

(श्री हरिसिंह)

to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties Interested admit to have been made in the record of rights or register...." यहां तक तो आपका ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स क्लाज कवर करता है। इसके बाद "....or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any register."

अब मैं आपको अपनी शंका बताता हूं। क्या होता है कि गिरदावर, पटवारी मौके पर जाते हैं खसरा के अन्दर इन्द्राज करने के लिए। फिर नायब तहसीलदार जाते हैं, तहसीलदार जाते हैं और अब तक राजस्थान के अन्दर किसानों की बहुत ज्यादा लूट इसलिए हो रही थी कि कोई जाकर कहता था कि मौके पर मेरी काश्त इन्द्राज कर दीजिये, दूसरा कहता था इसमें मेरी काश्त इन्द्राज कर दीजिये। और तहसीलदार ने पैसा बना कर के उसको तनाजा काश्त डाल देते थे, फिर जाकर के लिटिगेशन शुरू होता था और कई-कई हजार रुपये कनेवशन में लगते रहते थे। अब अगर इस बात को भी यह इसमें कवर करेगा कि मौके पर जाकर के जो खातेदार चला आ रहा है 50 साल से उसकी इन्द्राज को भी जो रेवेन्यू आफिसर है वक्त इंस्पेक्शन चेन्ज कर देगा इसमें, क्योंकि वह कहेगा मौके पर मुझे एरर मिला और नोटिस दे देगा किसी के लिए भी। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं अगर आप इस प्रकार की तनाजा काश्त को खोलना नहीं चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आज जो सेटलमेंट के अन्दर गलत इन्द्राज हो रहे हैं, चारागाह को इन्द्राज कर दिया गया है या मंदिर की जमीन को दर्ज कर दिया गया है उन्हें आप करें हमें कोई एतराज नही है लेकिन आप मौके पर अगर तहसीलदार को, गिरदावर को, पटवारी को तनाजा काश्त डाल कर के किसान को लुटवाना चाहते हैं तो, रेवेन्यू मिनिस्टर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर इससे ज्यादा काला कानून कोई विधान सभा पास नहीं कर पायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू सैकण्ड अमेंडमेंट बिल, 1995 को एक सलैक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय और यह मेरा प्रस्ताव उन आशंकाओं को लेकर है जो इस बिल में ड्राफ्ट करते वक्त हो सकता है माननीय राजस्व मंत्री जी के ध्यान में न लायी गयी हों या आफिसर्स ने अपने हिसाब से यह लिख दिया हो। इस सम्बन्ध में सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। जिन मुद्दों पर चर्चा हो चुकी उनको मैं नहीं लेऊंगा जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई सलैक्ट कमेटी में भेजने के लिए मैं उन्हीं तक अपने आप को सीमित रखूंगा।

जैसा माननीय हरिसिंहजी ने कहा कि एण्ट्रीज का आफिसर अपने आप इंस्पेक्शन करके और करेक्ट करने का नोटिस दे सकता है, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता महोदय जानते हैं राजस्थान में गिरदावरी का एक सिस्टम था और गिरदावरी के

(श्री शिवनाथ सिंह)

अन्दर पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एस.डी.ओ. और कलेक्टर इनको मौके पर जाकर गिरदावरी का चैकिंग करने का अधिकार था। मैं ऊपर के आफिसर्स के लिये नहीं कहता, लेकिन पटवारी ने जो कि एक रेवेन्यू आफिसर है, उन्होंने इतनी प्रकार की, इस प्रकार की धांधलियां की, मेरा खेत आपके नाम, आप का खेत मेरे नाम। सरकार में सद्बुद्धि आयी और इन्होंने इस गिरदावरी सिस्टम को खतम कर दिया। उसके बाद राजस्थान का किसान बहुत खुश है। पटवारी की मार से, गिरदावर की मार से आपने उनको बचा दिया।

अध्यक्ष महोदय यह जो संशोधन दुबारा लाया जा रहा है इसमें आधा ठीक है, लेटर पोरशन जो सुओमोटो रेवेन्यू आफिसर को अधिकार दिया जा रहा है यह गलत है और इससे वही झगड़े फिर शुरू हो जाएंगे। एक आशंका व्यक्त की गयी कि सरकारी जमीनों पर आफिसर्स ने गलत एण्ट्री कर दी हैं। यह बात समझ में आने वाली है और वह आफिसर सरकार के ही हैं, अमीन हों, ए.एस.ओ. हों, सैटलमेंट आफिसर हों, उन्होंने सरकारी जमीन का इन्द्राज बिना किसी इच्छा के, बिना किसी प्रावधान के दूसरे लोगों के नाम कर दिया और इस प्रकार से बहुत-सी सरकारी जमीन पर लोगों को अनाधिकार अधिकार मिल गये। वह करेक्शन होने चाहिए। इसमें यह प्रावधान किया जा सकता है कि जो सरकारी लैण्ड के सम्बन्ध में यदि कोई रोंग एण्ट्रीज हैं तो रेवेन्यू आफिसर सुओमोटो उनको रीओपन कर सकता है और उस कन्सर्न्ड पार्टी को जिसके नाम से हुआ है वह प्रावधान इसमें किया जा सकता है लेकिन वह प्रावधान तभी किया जाएगा जबकि यह सलेक्ट कमेटी को जाएगा या फिर माननीय राजस्व मंत्रीजी यहां संशोधन में पेश करें। मैं इस सम्बन्ध में तो इतना ही कहूंगा।

मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रोवीजंस हैं 122, 123, 124 और 125, यह सब म्युटेशन से सम्बन्धित हैं। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में यह प्रावधान म्युटेशन से सम्बन्धित रहते हैं और म्युटेशन का जहां झगड़ा होता है इन प्रावधान के तहत कार्यवाही की जाती है। आज म्युटेशन दो प्रकार के हैं। एक तो म्युटेशन जो खातेदार की मृत्यु हो गयी उसके लड़कों के बीच कोई डिस्प्यूट नहीं है और उसके तीन-चार लड़के हैं, लड़की है, उसकी विधवा है, उनके नाम से उसका म्युटेशन हो जाना चाहिए। यह प्रावधान आज इन प्रोविजंस के अन्दर है। दूसरे म्युटेशन के केसेज वह आते हैं जहां बाई रजिस्टर डीड, गिफ्ट, अदर तरीके से एक जमीन ट्रांसफर होती है और वह जब ट्रांसफर होती है तो इस रजिस्टर डाकूमेंट के आधार पर उनका म्युटेशन करने का अधिकार, कर्तव्य और दायित्व पटवारी, तहसीलदार, एस.डी.ओ. को है, वह होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि और भी इस प्रकार के ट्रांसफर हैं जिनका वैलिड, उनके सेंक्टिटी इन ला नहीं है लेकिन ट्रांसफर होते हैं और पटवारी से मिल कर कोई भी उसका ट्रांसफर अपने नाम म्युटेशन करा लेता है। तहसील तक वह चला जाता है। आपने म्युटेशन के पावर्स दे रखे हैं इस वक्त ग्राम पंचायत और तहसीलदार को। कान्क-

(श्री शिवनाथ सिंह)

रेंट पावर्स हैं और कान्करेंट पावर्स में वह पावर्स हैं जो अनडिस्प्यूटेड एण्ट्रीज हैं म्युटेशन करने की, वह अधिकार तो ग्राम पंचायत और तहसीलदार को है और जो डिस्प्यूटेड एण्ट्रीज हैं उनके अधिकार एस.ओ. को हैं। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बाद में अब कौनसा डिस्प्यूट है और कौनसा अनडिस्प्यूट है, हमारे एक्ट में अभी तक इसकी कोई व्याख्या नहीं की गयी है, परिभाषा नहीं दी गयी है। अदालतों के जजमेंट के आधार पर, अदालतें मानती हैं रेवेन्यू बोर्ड के डिसिजन हैं, उनके आधार पर अदालतें इसका फैसला करती हैं और कौनसा डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड नहीं है वह रेवेन्यू बोर्ड के जजमेंट से गाइड होते हैं।

अब मैं जिस प्रावधान की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि तहसीलदार और पंचायत वह जब डिसिजन देते हैं उससे एग्रीव्ड पार्टी है तो इसकी अपील आपको डायरेक्टर, लैण्ड रिकार्ड्स को जाती है। डिस्प्यूटेड एण्ट्रीज का जहां मामला होता है, अन-डिस्प्यूटेड का नहीं है। आपने आज के दिन जो प्रावधान रखे हैं अपील के वह प्रावधान हैं सैक्शन 75, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का सैक्शन 75 इस अमेंडमेंट बिल के सन्दर्भ में बहुत इम्पार्टेंट है। आप उन अपील के पावर्स को कहां रखना चाहते हैं? आज एक कलेक्टर फैसला करता है उसके अपील करने का अधिकार पार्टी को राजस्व अपील अधिकारी को है। वह जजमेंट हैं कलेक्टर का। एक एस.डी.ओ. ने जजमेंट दे दिया उसकी अपील भी राजस्व अपील अधिकारी को होती है लेकिन इन म्युटेशन की एण्ट्रीज जो बहुत माइनर है, इनकी अपील डायरेक्टर, लैण्ड रिकार्ड्स को होती है कुछ मामलों में। मेरा राजस्व मंत्रीजी से निवेदन है कि अपील जो छोटी-सी बात है इसके लिए डायरेक्टर, लैण्ड रिकार्ड्स को अपील करने जाएंगे और उससे बड़े जो मामले हैं उनकी अपील वहीं हो सकती है तो एक तो 75 को जब तक आप अमेंड नहीं करेंगे तब तक वह रिलीफ काश्तकारों को नहीं मिलेगी और मैं इसी लिये आपसे सलैक्ट कमेटी के लिये निवेदन कर रहा हूं। मैंने इसलिये कहा कि इस प्रकार के बहुत से प्रावधान हैं जो आप अमेंडिंग बिल ला रहे हैं उसके माध्यम से वह रिलीफ आप दे सकते हैं। आपने उस प्रोविजन को 75 सैक्शन को नहीं दिया है।

22.00

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सैक्शन 135 अभी जो आप फरमा रहे थे उसकी अपील लैण्ड रिकार्ड आफिसर को होती है, जिसके पावर्स आज एस.डी.ओ. को है वो अनडिस्प्यूटेड एण्ट्रीज का है लेकिन जहां डिस्प्यूटेड एण्ट्रीज हैं उनकी अपील 135(2) में डायरेक्टर, लैण्ड रिकार्ड्स को होती है जिसके अधिकार आपने कमिश्नर को दे रखे हैं, एडीशनल कमिश्नर को दे रखे हैं।

एक तो मेरा सबमिशन यह है कि अपील के प्रोवीजन को आप देखिये, अपील का आज का जो प्रोविजन है वह बहुत डिफेक्टिव है, बहुत दुःखदायी है। एक छोटे से मामले में अपील के लिये डायरेक्टर, लैण्ड रिकार्ड के पास जाना पड़ता है। इसलिये यह प्रावधान सुधारा जाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह से जो

(श्री शिवनाथ सिंह)

सैटलमेंट के बाद एस.ओ., ए.एस.ओ., अमीन के द्वारा जो एण्ट्रीज होती हैं उनकी अपील भी सैटलमेंट आफिसर और उसके बाद में डायरेक्टर, लैण्ड रिकार्ड के पास जाती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अपील के जो प्रावधान सैक्शन 75 में है उनको आप सिम्पलीफाइ कीजिये और इस प्रकार से कीजिये ताकि वह राजस्व अपील अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट लैण्ड रिकार्ड आफिसर से ऊपर उस अपील करने वालों को नहीं जाना पड़े इससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

मैं, अध्यक्ष जी, यह जो सैक्शन आपने डिलिट किये हैं या अमेंड किये हैं, उनके एक-दो क्लाजेज पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आपने सैक्शन 122 को अमेंड किया है, अमेंडेड सैक्शन क्या होगा ? 'अटेस्टेशन ऑफ एण्ट्रीज' पहले था 'एण्ड डिसिजन ऑफ डिस्प्यूट' को आपने छोड़ दिया, डिलिट कर दिया। यह किस मकसद से आपने किया है अटेस्टेशन और फिर—'All undisputed entries in the record of rights shall be attested by the parties interested,....' आगे के सब प्रोवीजन आपने डिलिट कर दिये। इसी तरह से आपने सैक्शन 136 अमेंड किया है। आज जो अमेंडेड सैक्शन 136 लाये हैं और जो प्रजेंट 136 है उन दोनों का मुलाहिजा कीजिये। 136 पुराना सैक्शन है उसका नये से मिलान करने के बाद में दोनों में अलग-अलग प्रावधान है इनमें डिस्प्यूटेड मैटर्स का और अनडिस्प्यूटेड मैटर्स का, आपने इस 136 को अमेंड करके दोनों का घपला कर दिया। इसलिये मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय इस बात को सोचें, अपने आफिसर्स के साथ में बैठकर बात कर लें। यह डिस्कशन के लिये ले लिया हम इसको स्वीकार करते हैं लेकिन क्लाजेज का डिस्कशन फिर कल या आज आप उनसे पूछ लीजिये, जो हमने शंकाएं पेश की हैं उनका निराकरण होता हो तो करने की चेष्टा कीजिये वरना हमारा तो कहने का अधिकार है। किसानों को हम जरूर कहेंगे कि हमने आपकी आवाज को उठायी लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारी बात को नहीं सुना। इतना ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, किसानों के नाम पर चर्चा की जाय। मैं ऐसा समझता हूं सदन के माननीय सदस्य, खास तौर से फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि इस सदन में कई बार इस बात की चर्चा हुई है कि सैटलमेंट डिपार्टमेंट को खतम कर दिया जाए और उसका तर्क यह दिया गया कि सैटलमेंट में जिस तरह की गलतियां होती हैं उनके कारण काश्तकार कई वर्षों तक मुकदमों में फंसे रहते हैं। एक बार नहीं, इस सदन में हमारी तरफ से भी मांग की गयी थी कि सैटलमेंट आफिस या सैटलमेंट आपरेशन बिलकुल खतम कर दिया जाए और आपकी तरफ से भी इस प्रकार की मांग रखी गयी और उसमें यही उदाहरण दिया गया कि सैटलमेंट के बाद जब यह सारा सैटलमेंट बन्द हो जाता है और लैण्ड रिकार्ड आफिसर के पास सारे मामले चले जाते हैं तो उसमें पैरवी करते-करते लोग रेवेन्यू बोर्ड तक जाते हैं और रेवेन्यू बोर्ड तक कितने आदमी पहुंच पाते हैं ? इसलिये सबकी एक

(272)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इच्छा थी कि सैटलमेंट आपरेशंस का सिस्टम बदला जाय, लैण्ड रिकार्ड का सिस्टम बदला जाए। अगर सिस्टम बदला नहीं जाय तो इस सैटलमेंट आपरेशन को ही खतम किया जाय।

अब यहां प्रश्न दो हैं, एक आदमी तो है जो रेवेन्यू बोर्ड में जा सकता है और एक गरीब आदमी है जो लैण्ड रिकार्ड आफिसर के पास तक ही पहुंचने में उसके सामने समस्या खड़ी होती है। कई बार राजस्थान में समरी सैटलमेंट हुए हैं और आपको मालूम होगा जिस समय 1951 में समरी ट्रायल के आधार पर जमीनों के ऊपर काश्तकारों के कब्जे कराये गये, यह भी आपको ध्यान में होगा। 1951 आर्डिनेंस प्रोटक्शन आफ टीनेंसी एक्ट के मातहत यह भी हुआ था। अब ऐसी स्थिति में किसी चीज में हम गरीबों को उलझाना चाहे, यह एक अवसर मान लें कि यह एक एरर है, यह क्लेरिकल एरर है और उस क्लेरिकल एरर की दुरुस्ती के लिये पहले जाय लैण्ड रिकार्ड आफिसर के पास और फिर ए.डी.एम. के पास जाय, फिर एडीशनल कमिश्नर के पास जाए, रेवेन्यू बोर्ड में तो इसका मतलब वह गरीब थक कर एक दिन यह स्वीकार कर लेगा कि इस एरर को दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है जिसके नाम पर एण्ट्रीज हो गयी वही एण्ट्रीज हम मान लेंगे। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि आप किसानों के नाम पर क्यों बोल रहे हैं? और किसानों के नाम पर बोले हैं तो उन लोगों के खिलाफ बोले हैं जो सैटलमेंट आपरेशंस में सैटलमेंट आफिसर से मिलकर मिसचिफ करके गरीब की जमीन को किसी न किसी तरह से गलती कराकर अपने नाम पर लिखवाते हैं। आज ऐसे गरीबों को राहत दी जा रही है। उसमें कहां किसानों का सवाल पैदा हो गया, किस जगह किसान आ गया जिसमें किसान के इन्टरेस्ट को खतम किये जाने की बात की जा रही है? किसानों को रिलीफ दे रहे हैं। किसानों को रिलीफ इस बात की है, छोटी-सी गलती कर दी, उस गलती को लेकर एक आदमी अपनी जमीन से महरूम रह जाए वह जमीन का महरूम रहने वाला व्यक्ति यदि दोनों पार्टियों के बीच में समझौता हो, तो उस आधार के ऊपर इस एरर को दुरुस्त कर दे या क्लेरिकल एरर हो और उस क्लेरिकल एरर या रेवेन्यू आफिसर के नोटिस में यह चीज आ जाय, तो रेवेन्यू आफिसर के बारे में यह चर्चा करना कि पटवारी के नोटिस में आ जाय या यह चर्चा करना कि तहसीलदार के नोटिस में आ जाय, लैण्ड रिकार्ड आफिसर कलेक्टर होता है और कलेक्टर अपने पावर्स डेलिगेट करेगा, डेलिगेट करेगा तो यह मैं कह सकता हूं इस प्रकार की गलतियां डिटेक्ट करने में एस.डी.ओ. के नीचे का कोई आफिसर नहीं होगा। अब कहां पटवारी आ गया, कहां तहसीलदार आ गया, कहां गिरदावर आ गया।

आप यदि यह चाहें कि काश्तकारों के हजारों मुकदमे जो सैटलमेंट के बाद सारे कोर्ट्स के अन्दर चलते रहते हैं और कोर्ट्स में चलते रहते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता। न्याय बहुत कोस्टली है। न्याय को कोस्टली से कम करने की गरज से यह समरी, एक व्यवस्था की गयी है इससे काश्तकारों को रिलीफ मिलेगा। इसलिए काश्तकारों के नाम पर पैरवी करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मिस-चिफ को रोका जाय । यह मिस-चिफ होती किस तरह से है, सैटलमैंट आपरेशंस करने में जितनी भी पार्टीज हैं उनसे जो भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं वह मिल बैठते हैं और मिल-बैठकर या तो सरकारी जमीन पर कब्जा दिखा देंगे या गोचर भूमि पर कब्जा दिखा देंगे, मंदिरों की भूमि पर कब्जा दिखा देंगे, सार्वजनिक स्थानों के काम आने वाली जमीन के ऊपर कब्जा दिखा देंगे । आप यह समझेंगे कि उस मामले को लेकर कोर्ट तक लड़ें रेवेन्यू बोर्ड तक जाएं ? आज अगर किसी का श्मशान भूमि पर कब्जा दिखा दिया उस कब्जे को दुरुस्त करने की आवश्यकता इसलिये है । क्या श्मशान भूमि बंद हो जाएगी, क्या वहां किसी का दाह-संस्कार हो सकेगा? गोचर भूमि के लिये कोर्ट में रेवेन्यू बोर्ड तक लड़ें । गोचर भूमि गांव के काम आने वाली चीज है इसलिये उनके लिये कानून बनाया है । इसमें किसी किसान का विरोध नहीं है, न विरोध हो सकता है बल्कि किसानों को इससे राहत मिलेगी ।

इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको सलैक्ट कमेटी को जनमत के लिये सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं है । जो कानून माननीय मंत्रीजी ने रखा है उसको पारित किया जाय ।

श्री शिवनाथ सिंह : मैंने चलाकर यह बात कही थी ताकि माननीय मुख्य मंत्रीजी कुछ तो मुंह खोलें । आपने अपना मुंह खोल दिया । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि इस प्रकार की क्लेरिकल एरर्स ठीक होनी चाहिये ।

दूसरी बात जो एपरेट मिस्टेक है जिससे किसी काश्तकार के राइट्स पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वह होनी चाहिये । इसलिए हमने कहा कि जो क्लाज है उसका पहला पोर्शन हम स्वीकार करते हैं । लेकिन दूसरा पोर्शन जिसके द्वारा आप आफिसर को अधिकार देते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आपकी सरकार की जमीन पर ए.एस.ओ. ने, अमीन ने, सैटलमैंट आफिसर ने रांग एण्ट्रीज कर दीं, सरकार उस आफिसर पर कण्ट्रोल नहीं कर पायी । क्या एस डी.ओ. पर गरीब किसान कण्ट्रोल कर पाएगा ? एस. डी. ओ. कोई भी एण्ट्री ओपन कर सकता है । सरकार की जमीन पर सैटलमैंट आफिसर ने, असिस्टेंट सैटलमैंट आफिसर ने रांग एण्ट्रीज कर दी, जैसे अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे हजारों बीघा कर दी, सरकार उसको चैक नहीं कर पायी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही है तरीका ।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं आपसे कह रहा हूं नहीं कर पायी इसलिए आपको यह कानून लाना पड़ा है । तो आप यह उम्मीद रखते हैं कि गरीब किसान उस एस.डी.ओ. पर नियत्रण रख पायेगा और दूसरा आपने यहां क्लियर किया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई जरूरत ही नहीं है एस.डी.ओ. पर नियंत्रण रखने की ।

श्री शिवनाथ सिंह : आपने अभी क्लियर किया है कि एस.डी.ओ. से नीचे

(श्री शिवनाथ सिंह)

हम नहीं रखेंगे लेकिन अभी तक तो चर्चा आयी इसमें कहीं भी नहीं था, रेवेन्यू आफिसर, आपका पटवारी भी रेवेन्यू आफिसर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कहता हूं कि एस.डी.ओ. से नीचे का नहीं होगा।

श्री शिवनाथ सिंह : आपने इसमें प्रावधान रखा है। वह तो ठीक है नहीं होगा तो मानेंगे उस बात को। लेकिन हमने यह जो आशंका व्यक्त की है उससे यह आप मान लीजिये मुख्य मंत्री जी कि हजारों इस तरह के केसेज री-ओपन हो जाएंगे और लोग मुकदमे लड़ने से तबाह हो जाएंगे। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि हजारों, लाखों आदमियों को इससे रिलीफ मिलेगी। यह कानून रिलीफ देने के लिये है, काश्तकारों का अधिकार छीनने के लिये नहीं है। दो आदमी आपस में मिलकर कहते हैं कि गलती हो गयी इसको दुरुस्त कर दो, तो दुरुस्त करने के लिए कोर्ट में घूमते फिरो। अब वो आपस में कर देगा।

श्री शिवनाथ सिंह : उसके लिये इन्कार कौन कर रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो आप काहे के लिये इन्कार कर रहे हैं? आप इन्कार यह कर रहे हैं कि वह सुओ-मोटो कार्यवाही करेगा। सुओ-मोटो कार्यवाही करने के लिये प्रोवीजो है। उसमें नोटिस दिया जाएगा। कोई नहीं करेगा इसमें तो नोटिस मिलेगा, दोनों पार्टीज की सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद फैसला होगा इसमें दिक्कत कहां आ रही है। आज भी फैसले एस. डी. ओ. ही करता है।

श्री रामनारायण चौधरी : झगड़े तो खोल दिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : झगड़े, तो पोल खुल गयी झगड़ा क्या खुल गया। जिन लोगों ने गलती करवायी अपने हित में उनकी पोल खुल गयी। झगड़ा नहीं खुला है पोल खुल गयी है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : मुख्य मंत्रीजी एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपका सबसे बड़ा एलीगेशन यह है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस सरकार ने कानून बनाया था उस सरकार की पोल खुल गयी है। कांग्रेस पार्टी का कानून बनाया हुआ था....

श्री शिवनाथ सिंह : सरकार की जमीन पर उसके अधिकारियों ने गलत एण्ट्रीज कर दी पोल तो सरकार की खुली है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिये। यह कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया था और कानून बनाकर पजेशन के आधार पर रिकार्ड आफ राइट्स देने की बात की थी। गरीब की जमीन पर पजेशन दिखा दिया, उनको पकड़कर दूसरी जगह ले गये और पजेशन दिखाने के बाद लोगों ने कब्जा कर लिया। आज मैं आपको बता दूं किसी गांव में भी आप चले-चलो राजस्थान में, इस पजेशन के आधार पर गरीब का जितना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

शोषण हुआ है हिन्दुस्तान के किसी कानून में किसी का शोषण नहीं हुआ है.... (व्यवधान)....

श्री पूनम चन्द विश्नोई : ऐसा है, आपका सबसे बड़ा आग्यूमेंट यह है कि सरकारी अधिकारियों ने बड़े काश्तकारों से मिलकर सार्वजनिक भूमि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपका आग्यूमेंट होगा मैंने नहीं किया।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : गोचर भूमि, पायतण अन्यों पर कब्जा कर लिया तो सरकारी अधिकारियों ने कर लिया तो क्या ये अधिकारी कोई स्वर्ग से लायेंगे? दूसरे अधिकारी तो वो के वो हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विश्नोई जी, मेरी बात तो सुन लो, न तो कोई बड़ा काश्तकार है, न कोई छोटा काश्तकार है जो चालाक है वह इसका लाभ उठाते हैं। उनकी चालाकी को रोकने के लिये यह कानून है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मुख्य मंत्री महोदय, धारा 123 और 125 में जो राइट टू स्यू था वह कैंटल डाउन हुआ है और एडवर्स पजेशन है उसका क्या होगा।

श्री गंगाराम चौधरी : जो दावा करने का अधिकार है वह राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में पहले से है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री जुबेर खान : आपने प्रचारित वाला तो जिक्र ही नहीं किया कार्य सूची में जो नम्बर एक है।

श्री अध्यक्ष : पहले कर दिया, आधा घंटा हो गया।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह पारित करने के लिये दे दिया है। हां, करायें ना आप।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : खण्डशः अमेंडमेंट प्रस्तुत कीजिएगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, खण्डशः अमेंडमेंट है।

श्री अध्यक्ष : हां, खण्डशः के लिये करिये।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 4 कोई संशोधन नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड 5–श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

खण्ड–5

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, क्लाज 5 में मैंने यह अमेंडमेंट दिया है कि "In Section 136 of the Principal Act as sought to be substituted by Clause 5 of the Bill. The words "any clerical error" shall be inserted between the words "the record of rights or register, or" and words "which a Revenue Officer." यानि रेवेन्यू आफिसर जो नोटिस करेंगे दुरुस्ती को ठीक करने के लिये वह क्लेरिकल एरर होने चाहिये। यह मैंने अमेंडमेंट पेश किया है और वह इसलिये पेश किया है कि सैक्शन–36 इस प्रकार से लीड करता है—

"The Land Records Officer may, at any time, correct or couse to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register...." यहां आयेगा और '....or a clerical error wich a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any register.' इसलिए पेश कर रहा हूं मैं कि बहुत देर से बहस हो रही है कि नोटिस दिया जाएगा। नोटिस किसको दिया जाएगा यह आप देखिये प्रोवीजन के अन्दर—'Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection,...." अगर रिकार्ड आफ राइट्स के अन्दर कोई एरर नोटिस किया जाएगा और उसकी दुरुस्ती की बात होगी तब तो नोटिस दिया जाएगा पार्टी के लिए और अगर रिकार्ड आफ राइट नहीं है खाली खसरा के अन्दर कोई इन्द्राज करना चाहते हैं गोलमाल करना चाहते हैं तहसीलदार या एस.डी.ओ. तो उसमें नोटिस की भी जरूरत नहीं है इस सैक्शन के अन्दर। रिकार्ड आफ राइट्स तो केवल जमा बन्दी होती है और खसरा केवल एन्यूअल रजिस्टर होता है एन्यूअल रजिस्टर के अन्दर कोर्स आफ इंस्पेक्शन एनी रजिस्टर। इसमें कहां दिया है नोटिस देने का प्रोवीजन। खसरा के अन्दर एस.डी.ओ. जब चाहेंगे बैठकर किसी की भी इन्द्राज कर देंगे। मेरी खातेदारी चली आ रही है, मेरा इन्द्राज चला आ रहा है, मेरी उसके अन्दर काश्त चली आ रही है और एस.डी. ओ. साहब किसी दिन भी दफ्तर के अन्दर बैठकर उसको कर देंगे। नोटिस देने का कहां है इसमें प्रोवीजन ? अगर जमाबंदी के अन्दर वह करेंगे तो नोटिस देना पड़ेगा।

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं आपसे, मैंने अमेंडमेंट किया है इसके अन्दर कि जो बीमारी आज राजस्थान के अन्दर नहीं है उसे क्यों पुनर्जीवित करना चाहते हैं। आप बीमारी का इलाज करें कोई एतराज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बीमारी यह है कि लोगों ने सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा कर लिया उसको छुड़ाना है....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उसे आप दुरुस्त कर दीजिये मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप उसी का विरोध कर रहे हैं गोचर भूमि पर कब्जा कर लिया, मत छुड़ाओ, श्मशान की भूमि पर कब्जा कर लिया मत छुड़ाओ, स्कूल के प्ले ग्राउण्ड पर कब्जा कर लिया मत छुड़ाओ, यह कोई तरीका है।

श्री पूनम चन्द बिश्नोई : 91 का सेक्शन क्लियर है, बहुत से वकील बैठे हैं...

श्री शिवनाथ सिंह : आप बात को घुमाकर कहना चाहते हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घुमाने की बात नहीं है। मैं कोई घुमाकर नहीं रख रहा, मैं असलीयत रख रहा हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : कुछ बातों के लिये हम आपके साथ हैं लेकिन आप किस इरादे से कर रहे हैं वह भी हम जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत :, वह इरादा एक ही है कि सार्वजनिक भूमि पर जिन लोगों ने कब्जा कर लिया, माननीय बिश्नोई साहब मैं आपको कहना चाहता हूं कोई दिन ऐसा नहीं है मेरे पास कि दो चार हजार आदमी सुबह मिलते हैं, गोचर भूमि पर कब्जा कर लिया, श्मशान भूमि पर कब्जा कर लिया, प्ले ग्राउण्ड पर कब्जा कर लिया और रेकार्ड आफ राइट्स पर उनके नाम लिखे हुए हैं। अब वह गांव वाले मुकदमे कहां तक लड़ेंगे। उन लोगों को समेरिली रिलीफ देनी है। वह जमीन को छुड़वानी है, बच्चे खेलें उस प्रकार की व्यवस्था करनी है, गायें चरें उसकी व्यवस्था करनी है, लोग श्मशान भूमि में दाह संस्कार कर सकें उसकी व्यवस्था करवानी है।

श्री शिवनाथ सिंह : सेक्शन 91 क्या कहता है अधिकार पहले से है आप ले लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वो अधिकार तो लड़ते रहो वह तो बहुत है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं तो एक क्वेश्चन पाज करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, एक गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी है उसके पास केवल पांच बीघा जमीन है खसरा में उस पांच बीघा जमीन का इन्द्राज है और कोई बहुत बड़ा असरदार आदमी, पैसे वाला आदमी एस डी.ओ. से मिलकर के उस गरीब आदमी की पांच बीघा जमीन को अपने नाम करा लेता है। एस.डी.ओ. कर देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं होगा। यह अन्दाज है, यह सम्भव नहीं है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यह कर सकते हैं...(व्यवधान).... इसके अन्दर इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि उसका कोई सेफ गार्ड करिये। आप। उस गरीब का सेफ गार्ड करिये।

(278)

श्री अध्यक्ष : उसको नोटिस दिया जाएगा बाकायदा ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इसमें नहीं है नोटिस का प्रोवीजन । खसरा के अन्दर नोटिस का प्रोवीजन नहीं है । केवल रिकार्ड आफ राइट्स के अन्दर प्रोवीजन है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो रजिस्टर का नहीं है । हां, तो रिकार्ड आफ राइट्स बना काहे के लिये है ।

श्री अध्यक्ष : करेक्शन करेंगे तो नोटिस देकर करेंगे ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : है ही नहीं साहब इसमें, प्रोवीजन ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन रखा है माननीय सदस्य ने, क्लेरिकल एरर रेवेन्यू आफिसर के पहले जोड़ने का । जैसा अभी मुख्य मंत्री महोदय ने फरमाया था कि रेवेन्यू आफिसर को जो अधिकार हमने दिये हैं ड्यूरिंग दी कोर्स आफ इंस्पेक्शन करेक्ट करने के वह केवल क्लेरिकल एरर के नहीं हैं । जैसा आपने फरमाया था कि सरकारी जमीन भी दूसरों के नाम लिख दी गयी है तो वह क्लेरिकल एरर नहीं होगा, उसको भी इंस्पेक्शन के दौरान अगर नोटिस में आये तो वह उसको करेक्ट करने के लिये कार्यवाही शुरू करेगा और ऐसे प्रकरण में वह सुनवाई का अवसर देकर फिर निर्णय लेगा । एक तो यह मैं निवेदन करना चाहता था ।

दूसरी बात आपने खसरा गिरदावरी की एण्ट्री के लिये कहा कि अगर खसरा गिरदावरी में एण्ट्री हो जाय तो बिना नोटिस दिये वह कर लेगा वह रिकार्ड आफ राइट्स में नहीं है । अध्यक्ष महोदय, आपको भी जानकारी है कि खसरा गिरदावरी के अन्दर अब राज्य सरकार का यह आदेश है कि केवल कृषक का ही नाम लिखा जाय जिसके नाम खातेदारी है या जिसके नाम गैर खातेदारी है । इसलिए इसमें कोई दूसरी एंट्री तो हो ही नहीं सकती । उसको करेक्ट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और रिकार्ड आफ राइट्स में जो होगा तो उसमें नोटिस देकर करेगा । इसलिए इस संशोधन को खारिज किया जाय ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : खातेदारी खसरा के अन्दर इस सेक्शन के अन्तर्गत कोई विलम्ब (व्यवधान) यह रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के यहां से आदेश से जाते हैं ।

श्री गंगाराम चौधरी : खसरा गिरदावरी रिकार्ड आफ राइट्स नहीं है, एन्युअल रजिस्टर नहीं है ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हां, तो फिर उसमें नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–5 में जो संशोधन श्री हरिसिंह (कुम्हेर) एवं श्री तैयब हुसैन ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड–5 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड–5 स्वीकार किया गया।

खण्ड–6

खण्ड–6 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–6 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड–6 स्वीकार किया गया।

खण्ड–1

प्रश्न यह है कि खण्ड–1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायं?

(स्वीकृत)

खण्ड–1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय।

श्री कुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमें विस्तार से समझाया। उनकी बात से सहमति है कि चरागाहों पर, श्मशान घाटों की जमीन पर, कब्रिस्तानों की जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि उसी उद्देश्य के लिये यह बिल लाया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि अगर आप वास्तविकता में जो भारी मात्रा में अतिक्रमण हो रहा है मन्दिरों की जमीनों पर, चरागारों पर, कब्रिस्तानों पर, श्मशान घाटों पर, स्कूलों पर, सरकारी भूमियों पर आप अतिक्रमियों को हटा पायें तो मैं समझूंगा कि यह जो कानून बना है सही है और खाली बना रहेगा और फिर वही लिटिगेशंस चलते रहेंगे, क्योंकि आज तक जो लिटिगेशंस चल रहे हैं आगे चलायेंगे तो मैं समझता हूं कि इसका कोई उपयोग नहीं होगा। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि कड़ाई से इसको लागू किया जाय और जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उन अतिक्रमियों को हटाया जाय। यह जनता के लिये हितकारी होगा। मेरा यही कहना है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : इसमें राजस्व मंत्री महोदय यह प्रावधान बता दें कि उसको हटाने का इसमें कहां रखा है?

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में....(व्यवधान)

श्री कुबेर खान : कैसे नहीं, एण्ट्री गलत है। चारागाहों की जमीन को खातेदारी करवा ली जबकि कानून में नहीं है। मन्दिर माफी की करा ली, कब्रिस्तानों की करा रखी है।

श्री अध्यक्ष : यदि एण्ट्री गलत होगी तो....

श्री जुबेर खान : कैसे नहीं कर रखा है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मुख्य मंत्री महोदय, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 में आल रेडी अन-आथोराइज्ड आकूपेंट को रिजेक्ट करने के लिये जो गोचर भूमि है, जो सिवाय चक जमीन है उस पर से हटाने का आलरेडी प्रोवीजन है। जब ऐसी स्थिति में धारा 123 और 125 को हटा कर, डिलीट करके और राइट टू स्यू कर्टेल करके एक फार्मर का फिर 136 को इन्सर्ट करना मैं समझता हूं इसमें बाद में आपत्ति आएगी और काश्तकार मुसीबत में आ जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिन्होंने अतिक्रमण किया है वे मुसीबत में आ जाएंगे।

एक माननीय सदस्य : श्मशान घाटों पर तो अतिक्रमण होना ही नहीं चाहिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार हो तो खाली करवा दो, सब के काम आने वाली चीज है। सरकार से खाली करवा दो और बाहर से ताला लगवा दो।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको भी कहना था, माननीय आपको क्या तकलीफ है ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : रजिस्टर में दर्ज होना चाहिये लेकिन एक काश्तकार का राइट टू स्यू है उसका इंपीचमैंट नहीं होना चाहिये, उसको राइट टू स्यू मिलना चाहिये और जो डिग्निटी शूट करके तिहाई ले सकता था अब वह उससे महरूम हो जाएगा।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट का ही समय लूंगा। राजस्व मंत्री विद्वान हैं। मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। मंत्री महोदय एक बार आप अपने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स रीजंस को देखिये। मुझे पता है कि इस सदन के वरिष्ठ सदस्य शिवनाथ सिंहजी जब आपको कन्वींस नहीं कर पाये तो आन रिकार्ड यह बात कही जा रही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको गलतफहमी है। आपको जो कहना है कह दें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपने जो अमेंडमेंट प्रपोज किया है उसका कोई भी इंडिकेशन आपके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स रीजंस में नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, आपने तीन प्रकार के एरर्स को नोट किया है। क्लेरिकल एरर्स, एनी एरर्स जो पार्टी एडमिट कर लें या ऐसे एरर्स जो ड्यूरिंग दी इंस्पेक्शन नोटिस किये जा सकें। अब माननीय मंत्री महोदय स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स रीजंस में आपने स्पष्ट लिखा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने बोला उस पर ताली बजायी है।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं माननीय मंत्री महोदय, से निवेदन करूंगा in your Statement of Objects and Reasons, you have specifically said, 'only to

281

(श्री जगदीप धनखड़)

correction of clerical errors or admitted errors....'

माननीय मंत्री महोदय, आप देखिये, आपने अपने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स रीजंस के अन्दर थर्ड एरर का कोई जिक्र नहीं किया है। आपने अपने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स रीजंस में स्पेसिफिकली यह कहा है only those errors जो क्लेरिकल एरर्स हैं या एडमिटेड एरर्स हैं और इसमें भी आगे देखिये, माननीय मंत्री महोदय, 'after giving notice to the parties....' आप के अमेंडमेंट में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, क्लेरिकल एरर्स के लिये कोई नोटिस नहीं है, जबकि आपसे स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स रीजंस में कहा है, एडमिटेड एरर्स के लिये कोई नहीं है। जब आपने यह कहा है माननीय मंत्री महोदय, I think you will rise to the occasion at least now कि जो आब्जेक्ट्स रीजंस आप लेकर आये हो you are making farce of it. मैं समझता हूं कि इस सरकार का कोई भी वरिष्ठ मंत्री, मुख्य मंत्रीजी यह डेस्पोटिक, डेस्पोटिक वर्ड यूज किया है, मुझे सस्पेंड मत कर देना, क्योंकि आपकी पार्टी में तो ऐसा हो गया है।....

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं करूंगा। मैं कई लोगों के इस प्रकार के शब्दों के लिये गुनाह नहीं मानता।

श्री जगदीप धनखड़ : despotic is a credit. तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, I will appeal to the Leader of the House, I will appeal to the Hon'ble Minister that when amendment is making total joke of the Statement of Objects and Reasons; और यह बिलकुल प्लेन रीडिंग जब ट्रांसपेरेंट है इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है, तो माननीय मंत्री महोदय आपकी मंशा के विपरीत आपके आब्जेक्ट्स रीजंस हैं....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, Neither this Bill is a joke, nor this is a jokery, I would like to clarify only one thing ...(Interruption)

श्री जगदीप धनखड़ : Please take your seat. (interruption)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं तो एक बात कहना चाहता हूं,....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अपील के अन्दर सैटलमेंट हुआ और इसकी गड़बड़ी सैटलमेंट वालों ने किया और उसके कारण से और कई हजार आदमी जिन्होंने मन्दिर के नाम से, उनके नाम से करा ली है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय आप देखिये, बिलकुल आपके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स रीजंस के विपरीत एक बात कही जा रही है जिसके जो और दुष्परिणाम होंगे उनकी तरफ तो ध्यान माननीय शिवनाथ सिंहजी आकर्षित कर चुके हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सरकार की जमीन पर, मन्दिर के नाम पर कर दी है, यह जो गलतियां की हैं....

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, Let the Chair appeal to the Treasury Benches.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बिना अमेंडमेंट के हटाने के लिये....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : Let the Chair appeal to the Treasury Benches. क्योंकि आप पढ़ लीजिये, यह बिलकुल साफ प्रावधान है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : The provision is clear....

श्री जगदीप धनखड़ : जो कहा गया है वह अमेंडमेंट में नहीं है। चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से इसको सरसरी निगाह से पढ़ा है और समझा कि ऐसा है।

श्री अध्यक्ष : इसमें साफ लिखा है कि नोटिस टू दी पार्टीज है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : Minister or the Chief Minister for that matter....

श्री अध्यक्ष :....after giving notice to the parties....

श्रीमती उजला अरोड़ा : वी.पी. सिंह जी कोई आवश्यकता इनको समझाने की नहीं है। 1980 से लेकर 1990 तक हम उधर की सीटों से समझा-समझा कर थक गये लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, फटाफट पास करवा कर ले गये। हमने सारी गलतियां बतायीं लेकिन किसी ने नहीं सुनीं। धनखड़जी, आप तो नहीं थे और ये इधर और हम उधर थे। बात सही कही जाय वह मानी जाय। हमने कई बार कही।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान भू राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया गया।

अनेक माननीय सदस्य (प्रतिपक्ष) : नो, नो।

श्री शिवनाथ सिंह : नो, नो। डिवीजन मांग रहे हैं। हम डिवीजन मांग रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, हम डिवीजन मांग रहे हैं, डिवीजन मांग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब तो हो गया।

सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 1 नवम्बर 1995 के 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 22.30 बजे बुधवार, 1 नवम्बर, 1995 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 82 का विवरण

पर्यटन विभाग एवं सूचना व जन सम्पर्क विभाग के समकक्ष पदों की
वेतन श्रृंखला का तुलनात्मक विवरण

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के पद व वेतन श्रृंखला			पर्यटन विभाग के पदों की वेतन श्रृंखला		
क्र.सं.	पद	वेतन श्रृंखला	क्र.सं.	पद	वेतन श्रृंखला
1.	अतिरिक्त निदेशक	3450–5000	1.	अतिरिक्त निदेशक	3450–5000
2.	उप निदेशक	2650–4500	2.	उप निदेशक	2650–4500
3.	सहायक निदेशक	2200–4000	3.	सहायक निदेशक	2000–3500
4.	जनसम्पर्क अधिकारी	2000–3200	4.	पर्यटक अधिकारी	1400–2600
5.	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	1400–2600	5.	सहायक पर्यटक अधिकारी	1200–2050

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या–84

(स्थगित)

नवसृजित राजस्व ग्रामों में विद्युत व्यवस्था

85. श्री पूनम चन्द विश्नोई (फलोदी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल केवल उन गांवों में विद्युत देता है जिनको मर्दुमशुमारी (सेंसस) में कोड नम्बर मिला हुआ होता है ? क्या यह भी सही है कि कोड नम्बर 10 वर्ष के बाद होने वाली मर्दुमशुमारी में ही दिया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्व विभाग बड़े क्षेत्रफल वाले गांवों को कई भागों में बांट कर नये राजस्व गांव गजट में प्रकाशित करता है लेकिन इनको विद्युत मण्डल द्वारा मान्यता न देने के कारण उनका विद्युतीकरण नहीं होता ?

(3) क्या सरकार नवसृजित राजस्व गांवों को मान्यता देने हेतु विद्युत मण्डल को आवश्यक आदेश/निदेश देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल जनगणना पुस्तिका अनुसार राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण करता है। राज्य सरकार द्वारा जनगणना पुस्तिका में 10 वर्ष के अन्तराल में ही प्रकाशित कर नये राजस्व ग्रामों के अलग से कोड नम्बर दिये जाते हैं।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित जनगणना पुस्तिका में प्रकाशित सभी राजस्व ग्रामों को मान्यता प्रदान करता है तथा किसी भी विद्युतीकृत ग्राम से बने अलग राजस्व ग्राम में भी उस ग्राम का भाग मान कर विद्युत कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही की जाती है।

(3) विद्युतीकृत ग्राम से पृथक होकर बने राजस्व ग्रामों में विद्युत कनेक्शन दिये जाने के पहले ही दिशा निर्देश दिये हुए हैं, अतः नये आदेश/निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। नवसृजित राजस्व गांवों को विद्युत मण्डल द्वारा पूरी मान्यता दी जाती है।

आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद

86. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के आयुर्वेदिक औषधालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? औषधालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य के संचालित औषधालयों/चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्सकों के 258 पद, नर्स/कम्पाउण्डर के 145 पद, कनिष्ठ लिपिक के 4 पद तथा परिचारकों के 267 पद रिक्त हैं। औषधालयवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां। आयुर्वेद चिकित्सकों के पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में साक्षात्कार चल रहे हैं। साक्षात्कार उपरान्त चयनित आशार्थियों से रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

नर्स/कम्पाउण्डर के रिक्त पदों को भरने हेतु दिनांक 31.10.1995 तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं।

परिचारक/चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध है। प्रतिबन्ध समाप्त होने पर नवीन नियुक्ति कार्यवाही करना सम्भव होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजससंघ (उदयपुर) के प्रबन्ध मण्डल का गठन

87. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस संघ, उदयपुर में प्रबन्ध मण्डल के गठन का प्रावधान है? यदि हां, तो उसमें कितने सरकारी-गैर-सरकारी जन प्रतिनिधियों के मनोनयन की व्यवस्था है।

(2) क्या वर्तमान में प्रबन्ध मण्डल है? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सदस्य हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रबन्ध मण्डल की बैठकें आयोजित करने का क्या प्रावधान है?

(4) यदि संघ के काम-काज के अनुसार प्रबन्ध मण्डल का गठन नहीं किया गया है, तो कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस संघ, उदयपुर में प्रबन्ध मण्डल के गठन का प्रावधान इसके उपनियम संख्या 32 व 33 में दिया गया है जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। वर्तमान में प्रबन्ध मण्डल में कुल 17 सदस्य हैं जिसकी सूची परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) राजस संघ के उपनियमानुसार कम से कम तीन माह में एक बार प्रबन्ध मण्डल की बैठक आवश्यक है किन्तु आवश्यकतानुसार इससे पूर्व भी बैठक बुलायी जा सकती है।

(4) संघ के काम-काज के लिये प्रबन्ध मण्डल का गठन किया हुआ है जिसकी अवधि 30.6.1996 तक है।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि. उदयपुर के संचालक मण्डल के गठन सम्बन्धी प्रावधान उपनियम संख्या 32 एवं 33

32. संघ का प्रबन्ध निदेशक बोर्ड में निहित होगा जिसमें 13 सदस्य होंगे इसका गठन निम्न प्रकार से होगा :—

क्रम सं.	प्रतिनिधि संख्या	
1.	"क" श्रेणी के सदस्यों में से निर्वाचित प्रतिनिधि	6
2.	"ख" श्रेणी के सदस्यों में से निर्वाचित प्रतिनिधि	2
3.	"ग" श्रेणी के सदस्यों के नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि	3
4.	"घ" श्रेणी के सदस्यों में से निर्वाचित प्रतिनिधि	1
5.	"ङ" श्रेणी के सदस्यों में से नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि विलोपित	—
6.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि. पदेन संचालक	1

33. संघ का प्रथम निदेशक बोर्ड राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष की कालावधि के लिये नाम निर्दिष्ट किया जावेगा तथा इसके पश्चात् तीन-तीन वर्ष की छह कालावधि के लिये और नाम निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप–4) सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक प. 4(2)कृषि/सह/76 द्वारा मनोनीत संचालक मण्डल

1. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर — पदेन अध्यक्ष
2. आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर — सदस्य
3. सचिव, समाज कल्याण विभाग, राज. जयपुर अथवा उनका प्रतिनिधि — "
4. सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर अथवा उनका प्रतिनिधि — "
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर — "
6. निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर — "

7. निदेशक, मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर — सदस्य
8. पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर अथवा उनका प्रतिनिधि — ,,
9. अध्यक्ष/प्रशासक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि०, जयपुर — ,,
10. जिलाधीश, उदयपुर — ,,
11. निदेशक, खनिज विभाग, राजस्थान, उदयपुर — ,,
12. जिलाधीश, डूंगरपुर — ,,
13. जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ — ,,
14. जिलाधीश, बांसवाड़ा — ,,
15. जिलाधीश, सिरोही — ,,
16. अध्यक्ष सहरिया विकास समिति एवं जिलाधीश, बारां — ,,
17. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, उदयपुर — सदस्य सचिव

विधान सभा क्षेत्र सीकर में पशु चिकित्सालय व प्रजनन केन्द्र

88 **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सीकर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कितने पशु चिकित्सालय, प्रजनन केन्द्र व कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्ष 1990 से अब तक कितने पशु चिकित्सालय, प्रजनन केन्द्र व कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गये ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पशु चिकित्सालय, प्रजनन केन्द्र व कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या हैं ? क्या मानदण्ड पूरा करने वाले स्थानों पर मानदण्डानुसार उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सीकर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 1 बहु-उद्देशीय पशु चिकित्सालय, 2 पशु चिकित्सालय, 2 पशु औषधालय एक ग्राम आधार योजना एवं 7 कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र कार्यरत है, जिनकी सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) वर्ष 1990 से अब तक एक भी नया पशुचिकित्सालय नहीं खोला गया है। कृत्रिम गर्भाधान एवं स्वास्थ्य संधारण हेतु 750 उपकेन्द्र खोले गये हैं, जिनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(पशु पालन राज्य मंत्री)

(3) राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के अनुसार 10,000 पशु इकाई व 10 किलोमीटर के दायरे में एक पशु चिकित्सालय स्थापित करने के प्रयास किये जावें। इसके अतिरिक्त जनसंख्या, भवन आवागमन के साधन, डाक सुविधा आदि साधनों को भी ध्यान में रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 1995–96 में नई पशु चिकित्सा संस्था खोलने का प्रावधान नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा एवं बारां जिले के विद्यालयों में गबन व चोरी के प्रकरण

89. श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा एवं बारां जिले के राजकीय विद्यालयों में चोरी एवं गबन आदि के प्रकरण विभाग के ध्यान में आये हैं? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय में कितने-कितने गबन के प्रकरण ध्यान में आये और उन प्रकरणों के सम्बन्ध में क्या विभाग द्वारा किसी प्रकार की जांच करवायी गयी है?

(2) जांच के आधार पर क्या किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध और यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। कोटा जिले में 51 चोरी तथा 92 गबन के प्रकरण तथा बारां जिले में 18 चोरी तथा 16 गबन के प्रकरण विभाग के ध्यान में आये हैं। इन प्रकरणों में न्यायालय एवं विभागीय स्तर पर कार्यवाही जारी है। प्रकरणों का विवरण (परिशिष्ट "अ") संलग्न है।

(2) उपर्युक्त प्रकरणों में 69 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है। 106 प्रकरणों में विभागीय स्तर पर कार्यवाही जारी है। 2 प्रकरणों में सम्बन्धित कर्मचारी को दण्डित किया है।

न्यायालय के निर्णय व विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने पर शेष प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि उपज मण्डी समितियों व कृषि विपणन बोर्डों का निर्वाचन

90. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में अन्तिम बार कृषि उपज मण्डियों व कृषि विपणन बोर्डों के चुनाव कब हुए थे? अब उनमें प्रशासक कब से नियुक्त हैं?

(2) उपरोक्त संस्थाओं के चुनाव अब कब तक करा दिये जाएंगे? अब तक चुनाव नहीं कराने के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) राज्य में कृषि उपज मण्डियों के चुनाव अन्तिम बार एवं प्रशासकों की

(कृषि राज्य मंत्री)

नियुक्ति का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में गठन से अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। प्रथम बोर्ड का मनोनयन दिनांक 6–6–1974 को किया गया था तथा प्रथम बैठक दिनांक 17–6–1974 को आहूत की गयी तथा दिनांक 9-1-1978 को इसे भंग किया गया। द्वितीय बोर्ड का मनोनयन दिनांक 5-12-1978 को किया गया तथा इसे दिनांक 9-5-1980 को भंग किया गया। शेष अवधि में प्रशासक नियुक्त रहे हैं।

(2) सरकार का विचार इस वित्तीय वर्ष में कृषि मण्डियों के चुनाव कराने का रहा है। चुनाव प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिये कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 में संशोधन हेतु नीतिगत निर्णय विचाराधीन है। नीतिगत निर्णय के पश्चात् अधिनियम में संशोधन हो जाने पर यथा सम्भव शीघ्र चुनाव उपरोक्त संस्थाओं के कराये जाएंगे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सराना डूंगर (जयपुर) में पशुपति गोशाला को भू-आबंटन

91. **श्री गोपीराम जाट (आमेर) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सराना डूंगर तहसील जयपुर में पशुपति गोशाला के नाम भूमि का आबंटन किया गया था? यदि हां, तो आबंटन प्रार्थना पत्र एवं आबंटन उद्देश्यों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पशुपति गोशाला की भूमि का उपयोग वाणिज्यिक कार्यों हेतु हो रहा है? यदि हां, तो नियमों के विपरीत होने पर भी आबंटन निरस्त क्यों नहीं किया गया? अब आबटन निरस्त कब तक किया जावेगा?

(3) क्या आवंटित भूमि की खातेदारी संस्थान के अलावा व्यक्ति विशेष के नाम से है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत एवं इसमें कौन दोषी है?

(4) क्या सरकार इस संस्था को और भी भूमि का आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है। वांछित प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(2) जी, नहीं। यह सही नहीं है। अपितु आवंटित भूमि में गोशाला के लिये बाजरा, चारा, अनाज की फसल काश्त होती है जिसका उपयोग पशुओं के लिये किया जाता है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) जी, नहीं। यह सही नहीं है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार विषयान्तर्गत भूमि पशुपति गोशाला सराना डूंगर के नाम गैर खातेदारी दर्ज है।

(4) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का तहसील स्तर पर परीक्षण कराया जा रहा है।

श्रीमान्/श्रीमती राजस्व मंत्री महोदया,
राजस्थान सरकार,
जयपुर ।

विषय :- प्रार्थना पत्र बाबत गोशाला के लिये भूमि आवंटन करने हेतु ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत गोशालाओं को भूमि आवंटन नियम 1957

1-गोशाला का नाम व स्थान जहां वह स्थित है.	श्री पशुपति गोशाला सरणा डूंगर ग्राम सरण डूंगर, तहसील जयपुर (कदमों वाली डूंगरी ग्राम सरणा डूंगर पोस्ट खोराबीसल तह० जयपुर)
2-नाम, पता व्यवसाय उस व्यक्ति का जो इसके नियन्त्रण का जिम्मेदार है	महन्त सीतारामदास जी मन्दिर संत मंगलदास जी महाराज सरणा डूंगर । व इसका ट्रस्टी व गोशाला के पदाधिकारीगण व सदस्यगण
3-गोशाला के रजिस्ट्रेशन की तारीख मय संख्या रजिस्ट्रेशन प्रमाणितपत्र की संख्या के ।	1- श्री राजस्थान गोशाला पिंजरापोल संघ, जयपुर सदस्य क्रम सं. 205 । 1984 । 2- पंजीयक (रजिस्ट्रार) गोशालाएं, राज. जयपुर के पंजीकरण क्रमांक 65 । 85 नोट:-उक्त दोनों प्रमाणपत्रों की फोटो स्टेट कॉपियां सलग्न हैं ।
4-समय जब से गोशाला इस कार्य को कर रही है ।	तीन वर्ष से अधिक से कार्य कर रही है ।
5-औसत संख्या ढोरों की जो गोशाला गत तीन वर्ष से रख रही है ।	गायें 55, बछड़े 10, सांड 1, कुल संख्या 66
6-माली हालत व आमदनी के साधन	माली हालत अच्छी है आमदनी का साधन दूध विक्रय करके, तथा ट्रस्ट के धन से व चन्दे इत्यादि से ।

7–क्षेत्रफल उस भूमि का जो कि चराई के लिये रखनी है ।	15 एकड़ भूमि
8–स्थान, सीमाएं खसरा नम्बर उस भूमि का जिसके लिये आबंटन प्रश्न है	आराजी खसरा नं. 133 रकबा 69 बीघा 11 बीस्वा वाके ग्राम सरणा डूंगर, तहसील जयपुर में से 15 एकड़ भूमि पहाड़ी के पास वाली भूमि आबंटन किये जावें ।

नोट:–उक्त खसरा नं 133 चारागाह भूमि है और ग्राम पंचायत सरणा डूंगर, पंचायत समिति जयपुर (झोटवाड़ा) ने अपने प्रस्ताव स. 3 दि. 28–10–1985 के द्वारा सर्वसम्मती से एवं बहुमत से 15 एकड़ भूमि चरागाह में से पशुपति गोशाला सरणा डूंगर को अलॉट किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है, राज्य सरकार अलॉट कर देने में ।

प्रस्ताव की फोटो कापी वास्ते अवलोकनार्थ संलग्न है । ग्राम सरणा डूंगर में कुल 144 एकड़ भूमि है ।

भवदीय,

ह०

(संत सीतारामदास)

कार्यालय कलक्टर, जयपुर

क्रमांक राजस्व–II (G–4) 85/10920 दिनांक 11–9–1989

आदेश

शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान, जयपुर की स्वीकृति संख्या प–2 (287) राज/3/87 दिनांक 10–8–1989 की अनुपालना में ग्राम सरणा डूंगर तहसील जयपुर स्थित भूमि ख. नं. 133 रकबा 69 बीघा 01 बिस्वा किस्म चरागाह में से 11 एकड़ भूमि चरागाह से खारिज कर जयपुर विकास प्राधिकरण की सहमति पत्रांक सं. भा /भूमि/ज. वि. प्रा./87/2498 दिनांक 24–8–1987 में

उल्लेखित शर्तों के अनुसार एवं राजस्थान भू–राजस्व (गोशाला के लिये भूमि आबंटन) नियम, 1957 के प्रावधानान्तर्गत निम्न शर्तों के अनुसार श्री पशुपति गोशाला सरणा डूंगर को गोशाला प्रयोजनार्थ आबंटन किया जाता है :–

1. भूमि पट्टे (इजारे) पर दी जावेगी, खातेदारी व गैर-खातेदारी अधिकार पर नहीं।

2. लगान मौजुदा बन्दोबस्त मे 1/4 लिया जावेगा, यदि इस जमीन पर लगान निर्धारित है। यदि लगान निर्वारित नहीं है तो 1 रुपये प्रति वर्ष प्रत्येक 25 बीघा पर या इससे कम पर वार्षिक वसूल होगा।

3. इजारा 10 साल के वास्ते होगा या जब तक वह भूमि गोशाला के कार्य में आती है उसमें जो भी समय के लिये होगा और सरकार द्वारा निर्धारित लगान पर होगा।

4. इजारदार को कोई अधिकार इस भूमि या इसके किसी भी भाग को बेचने, इजारे पर देनें या सबलेट करने का नहीं होगा। बिना पूर्व स्वीकृति राज्य सरकार के।

5. यह भूमि गोशाला में रहने वालों ढोरों के केवल चराई प्रयोजनार्थ काम आवेगी और इसमें ऐसी फसल या जिन्स जो ढोरों के चराने के काम आवे जैसे मोठ, ज्वार, रजका वगैरह इत्यादि इस शर्त पर उगाया जा सकेगा कि वह चारा बाजारों में या किसी अन्य व्यक्ति को बेचा नहीं जायेगा और केवल गोशाला के ढोरों के चराई में काम आवेगा।

6. गोशाला कुल इजारे के समय प्रति बीघा एक मवेशी के हिसाब से मवेशियों की संख्या रहेगी यदि इस निर्धारित संख्या में से मवेशियों की संख्या किसी बीमारी, प्राकृतिक प्रकोप से कम हो जावे तो कलक्टर द्वारा 6 माह का समय मवेशियों को पूरा करने के वास्ते दिया जा सकता है।

7. बिना पूर्व स्वीकृति राज्य सरकार के इस भूमि पर कोई पक्का निर्माण या भवन नहीं बनाया जा सकेगा। परन्तु ढोरों के गृह, गोदाम, चारा भरने के मकानात, मजदूरों के वास्ते झोपड़ियां मकान या गौशाला से सम्बन्धित अन्य तालाब पानी इकट्ठा करने का बनाया जा सकेगा। इस प्रकार के निर्माण जमीन के साथ राज्य सरकार में चले जावेंगे।

8. इजारदार को इस भूमि में जो वृक्ष स्थित है इन पर कोई अधिकार नहीं होगा और इसमें से कोई भी वृक्ष कलक्टर की आज्ञा के बिना नहीं काटे जावेंगे और इस प्रकार की आज्ञा उस समय तक नहीं दी जावेगी कि जब तक भूमि काश्त करने के वास्ते इसकी आवश्यकता न हो।

9. इजारे की कोई भी शर्तें पूर्ण न होने पर इजारा समाप्त करने योग्य होगा और 1 मास का नोटिस देकर जमीन सरकार में वापिस ली जा सकेगी। और इस प्रकार पुनर्ग्रहण पर इजारेदार को किसी निर्माण आदि के लिये जो इस भूमि पर किया हो उसके मुआवजे का अधिकार नहीं होगा।

10. जो भूमि आवंटन की गई है उस पर इजारदार ढोला लगायेगा।

11. इजारदार गोशाला की कुल संख्या का 1/4 भाग अच्छी नस्ल के बैल व गाय का रखेगा। बैल (सांड) का आस-पास के क्षेत्र की गायों को ग्याबन करने हेतु (जो दर ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क पर) उपयोग किया जा सकेगा। इजारदार अयोग्य व रद्दी गायों को कुल गोशाला की संख्या का 25 प्रतिशत रख सकेगा।

ह०

कलक्टर, जयपुर।

जोधपुर में बीयर बार

92. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पर्यटन विभाग ने जोधपुर शहर में कितने स्थानों पर बीयर बार खोले हैं? इनमें रोजना कितनी बीयर की बोतलें बिकती हैं? क्या खाली बोतलें व इसके ढक्कन को कर्मचारियों द्वारा इकट्ठा किया जाता है? यदि हां, तो औसतन कितनी बोतलें इकट्ठा हो जाती हैं?

(2) क्या यह सही है कि बीयर की बोतल पर लिखी कीमत से एक रुपया ज्यादा उसे ठण्डी करने के लिए लिया जाता है? यदि नहीं, तो वास्तव में क्या कीमत ली जाती है?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा एक भी बीयर बार नहीं खोला गया है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

देशी/विदेशी शराब विक्रेताओं के विरुद्ध शिकायतों के निराकरण हेतु गठित समिति

93. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रत्येक जिले में देशी व विदेशी शराब बिक्री हेतु चलायी जाने वाली दुकानों सम्बन्धी शिकायतों के निराकरण हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन किया गया जिसके सदस्य जिले के पुलिस अधीक्षक तथा सम्बन्धित विधायक भी हैं?

(2) यदि हां, तो क्या इन कमेटियों

(श्री शिवनाथ सिंह)

के अधिकार व कार्य क्षेत्र आदि निर्धारित किये गये हैं ?

(3) क्या इन कमेटियों में शराब के ठेकेदारों द्वारा अधिकृत दुकानों के अलावा अन्य स्थानों पर चलायी जा रही बिना स्वीकृत दुकानों की समस्या के बारे में भी विचार-विमर्श किया जाकर ऐसी दुकानों को बन्द करने के बारे में निर्णय लिया जा सकता है ?

(4) झुन्झुनू जिले में इस कमेटी की गत एक वर्ष में सितम्बर, 1995 तक कितनी बैठकें आयोजित हो चुकी हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। समिति के गठन की आज्ञा दिनांक 17.4.1995 (प्रति संलग्न) में समिति का कार्य क्षेत्र निर्धारित है। इस आज्ञा में कार्य सम्पादन हेतु दिशा-निर्देश भी दिये हुए हैं।

(3) जी, नहीं। बिना स्वीकृति के मदिरा की दुकान चलाना राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं उसके अधीन बने नियमों की अवहेलना है। कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसी अवैध दुकानों को तुरन्त बन्द कराया जाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किया जाना ही अपेक्षित है। इसीलिये मदिरा की अवैध दुकानों का विषय समिति के कार्य क्षेत्र में नहीं है।

(4) समिति के गठन के आदेश दिनांक 17.4.1995 को जारी किये गये थे। गठन के पश्चात झुन्झुनू जिले में इस समिति की एक बैठक दि. 25.5.1995 को हुई है।

राजस्थान सरकार

वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक-प. 4(20)वित्त/आब/95 जयपुर, दिनांक 17.4.95

आज्ञा

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के तहत स्वीकृत देशी/भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की खुदरा दुकानों की अवस्थिति (लोकेशन) के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर विचार करने के लिये समिति का गठन किया जाता है :—

1. जिला कलेक्टर — अध्यक्ष
2. जिला पुलिस अधीक्षक — सदस्य
3. सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक — सदस्य
4. जिला आबकारी अधिकारी — सदस्य सचिव

यह समिति इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपना कार्य सम्पादित करेगी :—

(i) आबकारी विभाग द्वारा नियमानुसार स्वीकृत दुकानों के सम्बन्ध में शिकायत के आधार पर उनके स्थान परिवर्तन के मामले पर सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् अनुशंसा की जायेगी।

(ii) आबकारी आयुक्त द्वारा नियमों में छूट देकर स्वीकृत की गयी दुकान नियमानुसार स्वीकृत दुकान के समकक्ष होती है, अतः ऐसी दुकानों के प्रकरणों पर उन्हीं के अनुरूप विचार कर अभिशंषा की जायेगी।

(iii) निर्धारित प्रक्रिया के तहत आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत दुकान यदि एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से स्थान-विशेष पर संचालित है और समिति जनहित में उसके स्थान परिवर्तन की अनुशंषा करने का निर्णय लेती है तो समिति उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए वैकल्पिक स्थान का सुझाव भी देगी।

(iv) किसी प्रकरण के सम्बन्ध में मतभेद होने की स्थिति में समिति बहुमत के निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करेगी।

(v) समिति अपना प्रतिवेदन आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर को भेजेगी जिसकी अभिशंषाओं को आबकारी विभाग द्वारा स्वीकार किया जावेगा।

आज्ञा से

ह०/-

(जि. पी. शर्मा)

उप शासन सचिव

विधान सभा क्षेत्र मकराना में सड़क निर्माण

94. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र मकराना में सड़कों के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड डीडवाना को आश्वासित रोजगार व नियोजन योजना के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर द्वारा वर्ष 1993-94 से 1995 तक कितनी राशि किन-किन सड़कों के लिये स्वीकृत की गयी उसमें से अब तक कितनी राशि खर्च हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र मकराना में सड़कों के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड डीडवाना को आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों पर स्वीकृत एवं

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

9/95 तक उपयोग में ली गयी राशि का विवरण परिशिष्ट क, ख व ग पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र मकराना में सड़कों के निर्माण हेतु सा. नि. विभाग खण्ड डीडवाना को निर्बन्ध योजना के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों पर स्वीकृत एवं 9/95 तक उपयोग में ली गयी राशि का विवरण परिशिष्ट 'घ' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विद्युतीकरण हेतु गांवों का चयन

95. **श्री गुलाबसिंह शक्तावत** (वल्लभनगर), **श्री हरिसिंह** (महुआ) एवं **श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कृषि कनेक्शन निर्धारित संख्या के अनुपात में जिलेवार आबंटन कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो जिलेवार आबंटन की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में वर्ष 1995-96 में विद्युतीकरण हेतु किन-किन जिलों में कितने गांवों एवं सिंचाई कुओं का चयन किया गया ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा कृषि कनेक्शन स्वीकृत किये जाने बाबत वर्ष 1995-96 के लिये कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सिंचाई कुओं को विद्युतीकृत करने हेतु एक पोल कनेक्शन बन्द कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। जिलेवार आबंटन किये गये कृषि कनेक्शनों की संख्या सूची "अ" संलग्न है। विभिन्न क्षेत्रों में मांग को ध्यान में रखते हुए आबंटन किया गया है।

(2) वर्ष 1995-96 के वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 750 ग्रामों के विद्युतीकरण करने का प्रावधान है तथा प्रथम चरण में 650 ग्रामों का विद्युतीकरण कार्यक्रम जिलेवार चयनित कर दिया गया है। जिलेवार चयनित ग्रामों की संख्या सूची उपरोक्त सूची "अ" में दर्शायी गयी है।

(3) कृषि कनेक्शन दिये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त दिशा निर्देश की पुस्तिका सभी विधायकों प्रधानों व ग्राम पंचायत स्तर तक आम जनता को सूचनार्थ भेजी गयी हैं। उक्त पुस्तिका की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) एक पोल दो पोल योजना में हजारों प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाने के कारण इस योजना में 1.2.1995 से भविष्य में आवेदन पत्र लेना बन्द कर दिया गया है परन्तु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो गये हैं उन्हें नियमानुसार कनेक्शन दिये जा रहे हैं। इस योजना में समस्त कृषकों को समान

(ऊर्जा मंत्री)

अवसर नहीं मिलता था, जो विद्युत लाइन के नजदीक होते उन्हें कनेक्शन मिल जाता तथा जो कुएं दो खम्भों से अधिक दूरी पर थे, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलता था। अतः अब नर्सरी योजना चालू की गयी है जिसमें पोल संख्या का कोई बन्धन नहीं है। एक पोल योजना के दुरुपयोग की भी कई शिकायतें आयी थीं, जिनमें विद्युत लाइन के पास खड्डा खोदकर कनेक्शन लेने की चेष्टा की गयी और कनेक्शन मिल जाने के पश्चात् कनेक्शन शिफ्ट करने के प्रयास किये गये। नर्सरी योजना में इस प्रकार के बनावटी कनेक्शन की सम्भावना नहीं है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

दूदू के विद्यालयों में रिक्त पद

96. **श्री बाबूलाल बछेर** (दूदू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में कुल कितने राजकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में रिक्त चल रहे पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में संचालित राजकीय विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) उक्त क्षेत्र के विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा। अध्यापक द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम मौजा सायला (जालोर) की भूमि पर अतिक्रमण

97. **श्री मगराज चौधरी** (आहोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मौजा सायला जिला जालोर के खसरा नं. 2133 किस्म गैर मुमकिन ओरण में अतिक्रमण किये जाने पर अतिरिक्त तहसीलदार, सायला द्वारा मुकदमा संख्या 104/95 में अतिक्रमण को हटाने बाबत दि. 15-9-1995 को आदेश पारित किये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो उक्त वर्णित आदेश की पालना में ओरण भूमि से अभी तक अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया ? अब अतिक्रमण कब तक हटा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) उक्त आदेश के विरुद्ध अपील जिला कलेक्टर न्यायालय में अप्रार्थी श्री मंगल सिंह द्वारा अपील सं. 134/95 दर्ज कर दी है जो वर्तमान में विचाराधीन है। साथ ही अप्रार्थी मंगल सिंह द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालौर के न्यायालय से वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा 12/95 में दर्ज करवायी। उक्त प्रार्थना पत्र सुनवायी की जाकर दिनांक 14.9.1995 को अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जा चुका है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अपील जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालौर में 87/95 दर्ज करवायी है। जिसमें आगामी पेशी दिनांक 2.11.1995 तक यथास्थिति कायम रखे जाने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबन्द किया हुआ है। न्यायिक निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अतिक्रमण हटा दिया जायेगा।

पर्यटन उद्योग के विकास हेतु प्रचार-प्रसार

98. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर-श्योपुर राजमार्ग स्थित चम्बल नदी के पाल घाट पर यातायात हेतु सेतु उपलब्ध हो जाने से प्रदेश का मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिये सड़क मार्ग से सुगम सम्पर्क स्थापित होने से पर्यटन उद्योग का एक नया व्यापक क्षेत्र विकसित होने की सम्भावनाएं बढ़ी हैं?

(2) क्या सरकार प्रदेश में पर्यटन उद्योग के विकास को ध्यान में रखते हुए खजुराहो—झांसी—शिवपुरी—शाहबाद (बारां)—रामगढ़ मण्डदेवरा (बारां)—रणथम्भौर-इन्द्रगढ़—बून्दी—चित्तौड़—उदयपुर आदि के पुरातात्विक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों को विश्व मंच पर व्यापक प्रचार-प्रसार की दृष्टि से देशी-विदेशी पर्यटकों के पैकेज टूर्स आयोजित करने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) इन क्षेत्रों के व्यापक प्रचार व प्रसार हेतु पर्यटन विभाग राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रचार करता है। विदेशी पर्यटकों के पैकेज टूर साधारणतः निजी क्षेत्र के व्यवसायी ही आयोजित करते हैं। राज्य के भीतर इन स्थानों में से कई स्थानों पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम भी पैकेज टूर आयोजित करता आया है।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग कर्मियों हेतु सेवा नियम

99. **श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में सब रजिस्ट्रार सर्विस रूल्स एवं

(श्री रघुवीर सिंह)

इंस्पेक्टर रजिस्ट्रेशन स्टाम्स सर्विस रूल्स बने हुए हैं ? यदि हां, तो मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नति किन मानदण्डों के आधार पर की जाती है ?

(2) उक्तानुसार किन-किन कर्मचारियों की पदोन्नति गत पांच वर्षों में की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, नहीं । राजस्थान पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में सब रजिस्ट्रार सर्विस रूल्स एवं इंस्पेक्टर रजिस्ट्रेशन स्टाम्स रूल्स बने हुए नहीं है । सब रजिस्ट्रार तहसीलदार सेवा से राजस्व मण्डल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं तथा इंस्पेक्टर रजिस्ट्रेशन के पद का नाम उप महानिरीक्षक कर दिया गया है जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा से नियुक्त किये जाते हैं ।

(2) शून्य । चूंकि सब रजिस्ट्रार तहसीलदार सेवा से तथा उप महानिरीक्षक राजस्थान प्रशासनिक सेवा से नियुक्त किये जाते हैं इसलिए मंत्रालयिक कर्मचारियों को उक्त पदों पर पदोन्नति देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

कोटा थर्मल से प्रदूषण

100. श्री राम किशन वर्मा (रामगंज मण्डी) एवं **श्री राम गोपाल बैरवा** (पीपल्दा): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर का दादाबाड़ी, शक्ति नगर, तलवंडी एवं विज्ञान नगर क्षेत्र कोटा थर्मल से निकलने वाले धुआं तथा कोयले के छोटे टुकड़ों से प्रदूषित हो रहा है ?

(2) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) कोटा थर्मल से निकलने वाली धुआं तथा कोयले के कणों से आस-पास के क्षेत्रों में प्रदूषण की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

(2) 1. प्रदूषण की समस्या के निराकरण हेतु पावर प्लाण्ट की पांचों इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (ई.एस.पी.) में समुचित सुधार करवाया गया है और उन्हें मण्डल मानक एस.पी.एम. (धूल के कण) 150 मिग्रा. प्रतिघन मीटर को संतुष्ट करने योग्य करवा लिया गया है ताकि प्रदूषण नियंत्रण में रहे ।

अ. यह कार्य उद्योग की प्रथम इकाई (110 मेगावाट) में नवम्बर, 1993

ब. दूसरी इकाई (110 मेगावाट) में जुलाई, 1994

स. तीसरी इकाई (210 मेगावाट) में सितम्बर, 1992

द. चौथी इकाई (210 मेगावाट) में जुलाई, 1992

य. पांचवीं इकाई (210 मेगावाट) में मार्च, 1994 में पूरा करवाया जा चुका है ।

(पर्यावरण मंत्री)

2. उद्योग के कोयला हथालन संयंत्र (कोल हैण्डलिंग प्लांट) से उत्पन्न कोयले व धूल के कणों को नियंत्रित करने हेतु 1024 जल के फव्वारे लगवाये गये ताकि कोयले व धूल के कणों को उड़ने से रोका जा सके।

3. कोल हैण्डलिंग प्लांट में कोयले के बारीक कणों एवं धूल को उड़कर आसपास के क्षेत्रों में जाने से रोकने हेतु इस क्षेत्र में लगभग 11000 पौधे लगवाये गये हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के रिक्त पद

101. **श्री जितेन्द्र नीनामा** (घाटोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) शिक्षा विभाग के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नयी नियुक्ति पर प्रतिबन्ध होने से बांसवाड़ा जिले में कितने पद रिक्त हैं ? सरकार इस पाबन्दी को कब तक हटाने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार इन विद्यालयों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पदों को चतुर्थ श्रेणी के पदों में परिवर्तित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में 178 पद दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रिक्त चल रहे है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति पर लगाया गया प्रतिबन्ध फिलहाल दिनांक 31–3–1996 तक हटाने का कोई विचार नहीं है।

(2) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्राम विजयपुरा (अलवर) की गोचर भूमि पर अतिक्रमण

102. **श्री रमाकान्त** (थानागाजी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विजयपुरा में 16 बीघा गोचर भूमि पर किसी व्यक्ति ने पिछले तीन वर्ष से अतिक्रमण कर रखा है ?

(2) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि ग्राम विजयपुरा के ख. नं. 388 एवं 394 की 8 बीघा 15 बिस्वा चारागाह भूमि पर संवत 2050 में श्री हीरालाल पुत्र भूरा मीना निवासी विजयपुरा द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

(2) नायब तहसीलदार थानागाजी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जाकर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जिसकी अपील न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर में विचाराधीन है।

शाही रेलगाड़ी पर व्यय

103. श्री भरत सिंह (खानपुर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पेलेस आन व्हील्स के बड़ी लाइन पर चालू होने पर कुल कितनी राशि खर्च हुई, तथा यह रेलगाड़ी राजस्थान के किन किन शहरों में होकर निकलेगी तथा कहां-कहां पर रुकेगी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि हाड़ौती के अभ्यारण्य व पर्यटन स्थलों का भी अपना कोई महत्व है ? यदि हां, तो शाही रेल को कोटा या बून्दी में नहीं रोकने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विदेशी पर्यटकों को हाड़ौती संभाग में आकर्षित करने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) बड़ी लाइन पर शाही रेलगाड़ी चालू होने पर कुल राशि 20.00 करोड़ के लगभग व्यय होने की सम्भावना है। यह गाड़ी राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से होकर निकलती है :–

दौसा, जयपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर, चित्तौड़, जोधपुर, जैसलमेर, भरतपुर एवं निम्नलिखित स्थानों पर रूकती है :–

जयपुर, चित्तौड़, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर।

(2) जी, हां। शाही रेलगाड़ी रेलवे मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित समय सारणी के आधार पर चलायी जा रही है। इतनी अल्प समयावधि में राज्य के सभी स्थलों को सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं है। न ही शाही रेल पर्यटन प्रोत्साहन का एक-मात्र साधन है।

(3) पर्यटन विभाग हाड़ौती संभाग में पर्यटकों को महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्यटन साहित्य मुद्रित कराकर उपलब्ध कराता है तथा कोटा में दशहरा मेला तथा झालावाड़ में चन्द्रभागा मेले का आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त हाड़ौती क्षेत्र के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के विकास के लिये मैसर्स टाटा कंसलटेंसी, नयी दिल्ली से सर्वेक्षण करवाया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट को केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग को विदेशी आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये भिजवाया गया है, जो अभी अपेक्षित है।

श्रीगंगानगर की लघु औद्योगिक इकाइयों से विक्रय कर की वसूली

104. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्री गंगानगर) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या श्री गंगानगर शहर में औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार में स्थित लघु औद्योगिक इकाइयों पर गैर कानूनी तरीके से विक्रय कर लगाने और पैनल्टी लगाने के विरुद्ध उद्योग विहार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत किया गया ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) मांग पत्र की कौन-कौन सी मांग सरकार द्वारा स्वीकार कर उद्योगों को

(श्री राधेश्याम गंगानगर),

कर और पैनल्टी में कितनी-कितनी राशि की राहत दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) मशीनरी को ढ़कने हेतु उपयोग में ली गयी सीमेंट टीन की चादरों पर कर और पैनल्टी नहीं वसूलने के लिए क्या कोई मांग की गयी ? यदि हां, तो क्या इसे स्वीकार कर लिया गया ?

(4) प्रश्न के भाग 3 में वर्णित सामग्री पर कर और पैनल्टी वसूल करने का क्या औचित्य है, और कानून की किस धारा अथवा किस नियम के अन्तर्गत यह वसूली उचित है ?

उत्तर

(1) उद्योग विहार, गंगानगर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) मांग पत्र ही प्राप्त नहीं हुआ है, अतः सरकार द्वारा मांग स्वीकार करने एवं पैनल्टी की राशि आदि में राहत प्रदान करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(3) ऐसी कोई मांग नहीं हुई है तथा ना ही कोई मांग पत्र प्राप्त हुआ है।

(4) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(3) (बी) के अन्तर्गत राज्य के बाहर से (सी) फार्म के जरिये वस्तु का आयात "फार रि सैल" फार मैन्युफैक्चरिंग एण्ड प्रोसेसिंग आफ गुड्स फार सैल के लिये ही किया जा सकता है, जैसे कि सीमेन्ट की चद्दरें व टिन की नालीदार लोहे की चद्दरें व इनको लगाने के लिये, ऐंगल आदि जिन उद्योगपतियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री (सी फार्म के जरिये मंगवायी जाती है उन पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 10(1) (डी) की अवहेलना करने पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 10—ए के अन्तर्गत "सी" फार्म के दुरुपयोग की शास्ती आरोपित की जाती है।

जिला सवाई माधोपुर के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

105. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की नीति क्या है ?

(2) इस सत्र में जिला सवाई माधोपुर में कितने विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं, सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में छात्राओं के एक भी प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया गया है ? जब कि वहां छात्राओं की संख्या व भवन पर्याप्त है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के कन्या विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के

(शिक्षा मंत्री)

लिये विभाग द्वारा निम्नांकित मानदण्ड निर्धारित हैं :-

मानदण्ड	सामान्य क्षेत्र	जनजाति क्षेत्र /रेगिस्तानी क्षेत्र
1. गांव की जनसंख्या	1000	500
2. कक्षा-5 की छात्र सं.	20	15
3. कक्षा 1-5 तक की कुल छात्र संख्या	100	75
4. फीडर प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	2	2
5. समकक्ष विद्यालयों की न्यूनतम दूरी (कि. मी.)	2	2

उपरोक्त मानदण्ड के अतिरिक्त निम्नांकित अन्य आधार बिन्दु भी ध्यान में रखे जाते हैं :-

1. उपलब्ध वित्तीय प्रावधान
2. प्रशासनिक आधार
3. क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताएं
4. भौगोलिक परिस्थितियां
5. पर्याप्त भवन एवं मैदान

(2) जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1995-96 में 1 माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में, 3 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में, एवं 29 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है विद्यालयवार सूची सदन की पटल पर रख दी गयी है।

(3) वर्ष 1995-96 में गंगापुर सिटी के छात्राओं के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है।

(4) विद्यालय क्रमोन्नति के लिए राज्य सरकार मानदण्ड के अनुकूल विद्यालयों में से प्रतिवर्ष उपलब्ध बजट को ध्यान में रखे हेतु गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत करती है गंगापुर सिटी में वर्ष 1995-96 में एक बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है।

सवाईमाधोपुर जिले में 1995-96 में क्रमोन्नत विद्यालय की सूची :-

	पंचायत समिति	विद्यालय का नाम
	1	2
सीनियर माध्यमिक विद्यालय	बौंली	रा.उ.प्रा.वि. 1. खिरनी

1	2	3
माध्यमिक विद्यालय	गंगापुर	1. मोहचा
	सपोटरा	2. मीजोरा
	बामनवास	3. मंडाल
रा.उ.प्रा.वि.	करौली	1. मोलुपुरा
		2. पीपराली
		3. पेटोली
	सपोटरा	4. बापोती
		5. श्रोडाव
		6. कुमडार
	टोडाभीम	7. जोल
	खण्डार	8. कटारा अजीज
		9. बाजोली
		10. नायपुरा
	बामनवास	11. डाबर
	बौंली	12. कमसूदनपुर
		13. दतूली
		14. थडोली
	गंगापुरसिटी	15. सालोदा
	सवाईमाधोपुर	16. धानोली
		17. नीदरदा
		18. जीनापुर
	टोडाभीम	19. पाडली
	हिण्डौन	20. रारासायपुर
		21. बायजट
		22. सोमली
	नादौती	23. रीगरापुरा
	हिण्डौन	24. झिरना
	सपोटरा	25. नानपुरा (डांग क्षेत्र)

	1	2
रा. उ. प्रा. वि.	हिण्डौन	26. कांदरोली
	टोडाभीम	27. डोरका
	हिण्डौन	28. फुलवाडा
	बामनवास	29. नयी बस्ती सुकार (संस्दत)

बयाना (भरतपुर) में नामान्तरणकरण पर रोक

106. श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा (बयाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या तहसील बयाना (भरतपुर) में दाखिल खारिजों (नामान्तरणकरण) पर रोक लगा रखी है ? यदि हां, तो कब तक यह रोक हटा दी जावेगी ?

उत्तर

जी, नहीं । कोई रोक नहीं लगा रखी है । तहसील बयाना का भू-प्रबन्ध कार्य वर्ष 1986 से चल रहा है, जिसके शीघ्र पूर्ण होने की सम्भावना है । वर्तमान में तहसील बयाना का भू-अधिकार अभिलेख (मिसल बन्दोबस्त) लेखन का कार्य प्रगति पर है । तद्नुसार भू-प्रबन्ध संक्रियाएं बन्द करने की अधिसूचना जारी की जावेगी । चूंकि भू-अभिलेख लेखन का कार्य प्रारम्भ हो चुका है । ऐसी स्थिति में फिलहाल भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा नामान्तरणकरण तस्दीक नहीं किये जा रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या 107

(स्थगित)

ग्राम झाडोली (जायल) का ग्रिड सब स्टेशन

108. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील जायल, जिला नागौर के ग्राम रूणियां, बुगरड़ा, ढांगला व ढांगली में चार-चार वर्षों से बिजली के पोल आदि लगाये हुए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि किसी भी ग्रामीण को उक्त गांवों में विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों एवं अब कब तक विद्युत कनेक्शन देने का सरकार विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम झाडोली, तहसील जायल, जिला नागौर में जी.एस.एस. बने हुए तीन वर्ष हो गये हैं ? यदि हां, तो उक्त जी.एस.एस. को चालू नहीं

306

(श्री मोहन लाल बारूपाल)

किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त जी. एस. एस. को कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम रूणियां, बुगरड़ा एवं ढांगला को वर्ष 1991 एवं 1992 में विद्युतीकृत किया गया था। ग्राम ढांगली नोन-पोटेंशियल ग्राम था जिसे अगस्त, 1995 में विद्युतीकृत घोषित किया गया था। ग्राम रुणियां, बुगरड़ा एवं ढागला में 11 के.वी. लाइन खींची हुई है।

(2) ग्राम रुणियां एवं ढांगला में लघु उद्योग के क्रमश: 1 व 4 विद्युत कनेक्शन दिये हुये हैं तथा लम्बित प्रार्थना पत्रों के तखमीने बनाये जा चुके हैं जिन्हें शीघ्र ही मांग पत्र जारी किये जा रहे हैं। ग्राम ढांगली में विद्युत कनेक्शन हेतु अभी तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। बुगरड़ा में लम्बित आवेदनों का कृषि को छोड़ कर तखमीना बनाया जा चुका तथा मांग पत्र जारी किये जा रहे हैं।

(3) जी, हां। ग्राम झाडोली में 33/11 के.वी. उपचौकी का कार्य पूर्ण हो चुका है लेकिन इस उपचौकी से सम्बन्धित नागौर से झाडोली 33 के.वी. लाइन का कार्य अपूर्ण होने के कारण उक्त उपचौकी चालू नहीं की गयी है। इस उपचौकी को चालू करने हेतु इससे सम्बन्धित 33 के.वी. लाइन का कार्य प्रगति पर है तथा सामान की उपलब्धता के अनुसार इसे शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या 133 का विवरण

राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को देय पेन्शन एवं सुविधाओं की सूची।

1. आजीवन न्यूनतम पेंशन रु. 500/— मासिक।
2. स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा को स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु की तिथि से आजीवन न्यूनतम पेंशन रु. 500/— मासिक।
3. दिनांक 11.11.91 को जारी की गयी अधिसूचना के अन्तर्गत गोवा आन्दोलनकारियों को भी स्वतंत्रता सेनानी माना जाकर अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की तरह पेंशन/सुविधाएं।
4. कारोबार उद्योग या कृषि कार्य करने के प्रयोजनार्थ रु. 3,000/— तक प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत अनुदान।
5. वित्तीय वर्ष में स्वतंत्रता सेनानी/विधवा पत्नी को रुपये 3,000/— तक का चिकित्सा अनुदान।
6. स्वतंत्रता सेनानी एवं उसकी विधवा को उनकी पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की या पूर्व मृत भ्राता की पुत्री या आश्रित बहन के विवाह हेतु रुपये 4,000/— तक का अनुदान।
7. स्वतंत्रता सेनानी के देहावसान पर उनके दाह-संस्कार के लिये रुपये 500/— की राशि का अनुदान उनके निकटतम रिश्तेदार को।
8. स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पौत्र-पौत्रियों को स्कूलों तथा महाविद्यालय में किसी प्रकार की फीस नहीं देनी पड़ेगी।
9. सरकारी सेवा में प्रवेश सम्बन्धी निर्बन्धनों का शिथिलीकरण।

(क) राजनैतिक आन्दोलन के सम्बन्ध में या उसे आगे बढ़ाने के सिलसिले में किये गये किसी अपराध के लिये ठहरायी गयी दोषसिद्धी सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिये बाधक नहीं होगी।

(ख) राजनैतिक आन्दोलन में भाग लेना एक प्रकार से अतिरिक्त अर्हता मानी जावेगी और अन्य बातें समान होने पर उन अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जावेगी, जिन्होंने ऐसे किसी आन्दोलन में भाग लिया हो।

(ग) वह अभ्यर्थी जिसने राजनैतिक आन्दोलन में भाग लिया हो उसे परीक्षा में बैठने या साक्षात्कार में प्रवेश पाने का एक और अवसर अनुज्ञात किया जावेगा।

(308.)

10. जिन स्वतंत्रता सैनानियों को सरकारी सेवा से हाथ धोना पड़ा हो, उन्हें सरकारी सेवा में पुनः लिया जा सकेगा।

11. स्वतंत्रता सैनानी पेंशन की पेंशन समपहरण की तारीख में भूतलक्षी प्रभाव से प्रत्यावर्तित की जावेगी।

12. स्वतंत्रता सैनानी की अत्यधिक विपन्नता की स्थिति में उसके आश्रितों में से किसी दो को और यदि आश्रित व्यक्ति जीवित नहीं होने की दशा में उसके वारिसों में से किसी एक को सरकारी सेवा में नियोजन की व्यवस्था।

13. नियमों के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता के बदले या इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की करमुक्त 20 बीघा सिंचित अथवा 60 बीघा असिंचित भूमि का आबंटन।

राजस्थान स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के अन्तर्गत देय उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सैनानियों को समय-समय पर निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं :—

1. राजकीय समारोहों में स्वतंत्रता सैनानियों को आमंत्रित किया जाकर उनके बैठने की उचित व्यवस्था की जाती है। इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक 8(1)सा.प्र./2/78 दिनांक 16.12.86 को समस्त जिला कलेक्टर को निर्देश प्रदान किये हैं।

2. राज्य के स्वतंत्रता सैनानियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–2) द्वारा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं सम्बन्धित अन्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किये हैं। ये आदेश उनके पत्र क्रमांक 17(3)चि.स्वा./74/2 दिनांक 4.10.74, 11.4.80 एवं 16.9.83 के अन्तर्गत प्रदान किये गये हैं।

3. स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग से उनके पत्र क्रमांक एफ 10(6)शिक्षा/3/84 दिनांक 9.5.85 एवं 29.8.85 द्वारा निदेशक, कालेज शिक्षा को आवश्यक निर्देश जारी किये हैं।

4. ऐसे स्वतंत्रता सैनानी जिन्हें केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तथा ताम्रपत्र प्रदान किये गये हैं, उन्हें गृह कर से मुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा एक अधिसूचना दिनांक 4.10.72 को जारी की गयी है।

5. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक 14(67)पी.डब्ल्यू.डी./82 दिनांक 1.4.87 के द्वारा स्वतंत्रता सैनानियों को अन्य राजकीय कर्मचारियों की

तरह नियमानुसार किराये पर डाक बंगलों में ठहरने की सुविधा प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश जारी किये हैं।

6. वित्त विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक 6(11)एफ.डी.आर.आर./76/पार्ट दिनांक 27.3.84 द्वारा स्वतंत्रता सेनानी पेंशनरों को क्षेत्रीय बैंकों से भुगतान प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी आदेश प्रसारित किये हैं।

7. स्वतंत्रता सेनानियों को व उनकी विधवाओं को निगम की वाहनों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान पथ परिवहन निगम आदेश सं. एफ 4(म./याता./70/लेखा/87/716 दिनांक 25.8.87 एवं आदेश सं. एफ 4/29/याता/लेखा/88/42 दिनांक 13.1.88 जारी किये हैं।

8. विधान सभा सत्र के दौरान दिनांक 30.3.94 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वतंत्रता सेनानियों को राजस्थाम राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में एक सहयात्री को निःशुल्क यात्रा की घोषणा की है, जिसके अनुरूप राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा दिनांक 7.5.94 को आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 135 का विवरण

भाग एक का विवरण

1.	श्री कैलाशचन्द गुप्ता, कार्यालय सहायक	जिला न्यायालय बून्दी से अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण पर।
2.	श्री गिरधर गोपाल गोस्वामी, स्टेनो	जिला न्यायालय बून्दी से अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण पर।
3.	श्री महेशकुमार दाधीच, क.लि.	जिला न्यायालय प्रतापगढ़ से अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण पर।
4.	श्री ललित कुमार मीणा, व.लि.	जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण श्रीगंगानगर से स्थानान्तरण पर।
5.	श्री सुरेशचन्द जैन, क.लि.	जिला न्यायालय बून्दी से अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण पर।
6.	श्री विमलकुमार जैन, व.लि.	जिला न्यायालय बून्दी से अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण पर।
7.	श्री शशिकुमार शर्मा, क. लेखाकार	निदेशक कोष एवं लेखा, जयपुर के द्वारा पदस्थापन किया गया।
8.	श्री सतीश कुमार चतुर्वेदी, च. श्रे. कर्म.	सीधी भर्ती के द्वारा।
9.	श्री राधेश्याम शर्मा, च.श्रे.कर्म.	सीधी भर्ती के द्वारा।

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 144 का विवरण

बांसवाड़ा जिले में पंचायत समितिवार व्यय राशि एवं उपचारित क्षेत्र की सूचना

क्र.सं.	पंचायत समिति	वर्ष 1994–95		वर्ष 1995–96 (माह सितम्बर 95 तक)	
		व्यय राशि (लाखों में)	उपचारित क्षेत्र है.	व्यय राशि (लाखों में)	उपचारित क्षेत्र है.
1.	बांसवाड़ा	18.75	486	9.65	1083
2.	बागीदौरा	19.05	492	9.54	1070
3.	घाटोल	20.25	704	21.08	1110
4.	पीपलखूंट	23.22	824	21.99	1158
5.	गढ़ी	39.23	930	13.30	620
6.	आनन्दपुरी	14.66	360	25.72	1196
7.	कुशलगढ़	41.46	1193	15.52	1380
8.	सज्जनगढ़	40.12	1155	13.67	1215
		217.24	6143	130.47	8832

(319)

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 155 की सूची

(1)	1.	रा.सी मा.वि.	भीमसर	छात्र संख्या	533
	2.	,,	मण्ड्रेला	,,	643
	3.	,,	गुढा गोडजी	,,	743
	4.	,,	मण्डावा	,,	586
	5.	,,	मोडकी	,,	665
	6.	,,	परसरामपुरा	,,	610
	7.	,,	बनगोठडी	,,	688
	8.	,,	अलसीसर	,,	607
	9.	,,	झाझड़	,,	583
	10.	,,	कुहाड़वास	,,	715
	11.	,,	छापोली	,,	607
	12.	,,	टीबाबसई	,,	650
	13.	,,	गोरीर	,,	678
	14.	,,	बलौदा	,,	506
	15.	,,	सांतोर	,,	722
	16.	,,	खांदवा	,,	509
	17.	,,	घरड़ानाखुर्द	,,	538
	18.	,,	टमकोर	,,	943
	19.	,,	बबाई	,,	966
	20.	,,	बिसाऊ	,,	788
	21.	,,	बुहाना	,,	899
	22.	,,	चनाना	,,	764
	23.	,,	शिमला	,,	877
	24.	,,	काजड़ा	,,	776
	25.	,,	नुंआ	,,	1109
	26.	,,	पचेरीबड़ी	,,	1007
	27.	,,	खेतड़ी	,,	1495

28.	रा.सी.मा.वि.	खेतड़ीनगर	छात्र संख्या	2273
29.	,,	झुन्झुनूं	,,	1627
30.	,,	सिंहाना	,,	1068
31.	,,	उदयपुरवाटी	,,	1333
32.	रा.बा.सी.उ.मा.वि.	झुन्झुनूं	,,	997
33.	,,	सूरजगढ़	,,	626
34.	,,	खेतड़ी	,,	672

(रिक्त पदों की सूचना)

क्र.सं.	नाम विद्यालय		व्याख्याता	द्वितीय वेतन श्रृंखला	तृतीय वेतन श्रृंखला
1	2		3	4	5
1.	रा.सी.मा.वि.	टीबाबसई	—	1 अंग्रेजी	—
2.	रा.मा.वि.	टांई	—	1 अंग्रेजी	—
3.	,,	चन्देवा	—	1 अंग्रेजी	—
4.	,,	बेरला	—	1 विज्ञान	—
5.	,,	काजला	—	1 विज्ञान	—
6.	,,	जैतपुरा	—	1 विज्ञान	—
7.	,,	अलीपुर	—	1 विज्ञान	—
8.	,,	दूधवा	—	1 विज्ञान	—
9.	,,	मणकसास	—	1 विज्ञान	—
10.	,,	महपालवास	—	1 विज्ञान	—
11.	रा.सी.मा.वि.	बिसाऊ	1 हिन्दी	—	—
12.	,,	खेतड़ीनगर	1 गृह विज्ञान 1 व्याव.शिक्षा	—	—
13.	,,	झुन्झुनूं	1 संस्कृत 1 व्याव.शिक्षा	—	—
14.	,,	टमकोर	1 इतिहास	—	—

1	2	3	4		5
			2 व्याव.शिक्षा		
15.	रा.सी.मा.वि.	गौरीर	1 हिन्दी	—	—
16.	,,	मण्डावा	1 अर्थशास्त्र	—	—
17.	,,	मण्ड्रेला	1 राज.विज्ञान	—	—
			1 हिन्दी	—	—
18.	,,	छापोली	1 भूगोल	—	—
19.	,,	गुढ़ागोड़जी	1 वाणिज्य	—	—
20.	,,	गुढ़ापोख	1 अंग्रेजी	—	—
21.	,,	कुहाड़वास	1 कृषि	—	—
22.	,,	परसरामपुरा	1 हिन्दी	—	—
23.	,,	भीमसर	1 राज.विज्ञान	—	—
			2 भूगोल		
24.	,,	सांतोर	1 इतिहास	—	—
			1 अंग्रेजी		
			1 भूगोल		
			1 राज.विज्ञान		
25.	,,	खान्दवा	1 भूगोल	—	—
			1 हिन्दी		
26.	,,	मोई	1 हिन्दी	—	—
27.	,,	बलोदा	1 हिन्दी	—	—
			1 अंग्रेजी		
			1 राज.विज्ञान		
			1 इतिहास	—	—
28.	,,	सिंघाना	1 संस्कृत	—	—
			2 रसायन विज्ञान	—	—
			1 राज.विज्ञान		
29.	,,	पचेरबड़ी	1 इतिहास	—	—

1	2	3	4		5
30.	रा.सी.मा.वि.	बरेड़ानाखुर्द	1 हिन्दी 1 इतिहास 1 राज.विज्ञान	—	—
31.	,,	टीबा बसई	1 हिन्दी	—	—
82.	रा.बा.सी.उ.मा.वि.	झुन्झुनू	3 व्याव.शिक्षा	—	—
33.	रा.बा.मा.वि.	कुल्होटकलां	—	1 अंग्रेजी	—
34.	रा.बा.उ.प्रा.सि.	घमोरा	—	1 सामान्य	—
35.	रा.बा.मा.वि.	छापोली	—	—	1
36.	रा.बा.उ.प्रा.वि.	अजाड़ीकलां	—	—	1
37.	,,	घमोरा	—	—	1
38.	,,	पापड़ा	—	—	1
39.	,,	खानपुर	—	—	1
40.	,,	ककराना	—	—	1
41.	,,	जसरापुर	—	—	1
42.	,,	भडुन्दाकलां	—	—	1
43.	,,	जीणी	—	—	2
44.	,,	ढोसी	—	—	1

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 158 का प्रपत्र

उपखण्ड लाडनूं खण्ड सुजानगढ़ में नर्सरी श्रेणी में कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन तथा उनमें जारी मांग पत्र व दिये गये कनेक्शनों की 1.4.95 से 21.10.95 तक की सूची।

क्र.स.	प्रार्थी का नाम	ग्राम का नाम	प्रार्थना पत्र का दिनांक	मांग पत्र जमा कराने की तिथि	कनेक्शन जारी करने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1,	हनुमानाराम/मूंगाराम	गेनाणा	21.3.95	31.3.95	14.6 95
2.	राजूराम/कुशलाराम	रताऊ	27.3.95	31.3.95	14.6.95
3.	सोहनराम/लिछमाराम	चकगौरड़ी	17.5.95	28.6.95	25.7.95
4.	रामधन/गौरधनराम	लाडनूं	17.5.95	28.6.95	27.7.95
5.	बालाराम/लादूराम	बल्दू	24.5.95	20.6.95	कनेक्शन लेने से इंकार
6.	ओमप्रकाश/लालचन्द	चकगौरड़ी	24.5.95	20.6.95	25.7.95
7.	लिछमणसिंह/पृथ्वीसिंह	मोडिट	26.5.95	,,	30.6.95
8.	लिछमणराम/गोरधन	बल्दू	,,	,,	25.7.95
9.	किशनराम/लालराम	सुनारी	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6
10.	भरतसिंह/हमीरसिंह	लाडनूं	31.5.95	20.6.95	25.7.95
11.	रोशन/अजीम मो.	निम्बीजोधा	"	—	—
12.	प्रभुराम/खुबाराम	लाडनूं	2.6.95	—	—
13.	बलदेवाराम/गणेशराम	बल्दू	5.6.95	20.6.95	25.7.95
14.	बागाराम/मोमाराम	मालासी	8.6.95	—	—
15.	मोहनराम/रूपाराम/रतनाराम	निम्बीजोधा	14.6.95	14.7.95	11.9.95
16.	लादूराम/बक्ताराम	"	"	"	"
17.	चैनाराम/जस्साराम	सुनारी	16.6.95	3.7.95	24.8.95
18.	महावीरसिंह/भंवरराम	"	20.6.95	"	"
19.	उमाराम/तुलछाराम	कासण	"	"	"
20.	किशनगिरी/गोरधन	बल्दू	22.6.95	—	—
21.	अमरपुरी/सुखपुरी	खोखरी	"	17.8.95	×
22.	श्रीमती कुशमलता/प्रेमप्रकाश	लाडनूं	28.6.95	6.7.95	11.9.95
23.	प्रकाशचन्द/निहालचन्द	लाडनूं	3.7.95	22.7.95	29.9.95

1	2	3	4	5	6
24.	मूलसिंह/दुर्जनसिंह	लाडनूं	18.7.95	22.7.95	11.9.95
25.	नाथूराम/जवानाराम	रताऊ	17.7.95	—	—
26.	मोहनराम/हरदीनाराम	ओडिट	,,	1.9.95	×
27.	हरदीनाराम/जीरामाराम	रताऊ	,,	4.9.95	×
28.	रामसुख/केसाराम	,,	,,	,,	×
29.	गिरधारीराम/जीवणराम	बल्दू	28.7.95	5.9.95	×
30.	श्रीमती किसनीदेवी	खोखरी	3.8.95	—	—
31.	भंवरराम/गिरधारीराम	रताऊ	8.8.95	1.9.95	×
32.	सुजाराम/मूलाराम	बाकलिया	19.8.95	8.9.95	×
33.	श्री जेठापुरी/लिछापुरी	,,	19.8.95	11.9.95	×
34.	,, हरजीराम/देवाराम	,,	19.8.95	11.9.95	×
35.	,, उमाराम/छोगाराम	,,	19.8.95	11.9.95	×
36.	,, नाथूराम/जवानाराम	रताऊ	22.8.95	7.9.95	×
37.	,, पीराराम/टोडाराम	गेनाणा	1.9.95	19.10.95	×

1	2	3	4	5	6
38.	श्री नानू खां/अर्जुन खां	निम्बी जोधा	5.9.95	9.10.95	×
39.	,, चंदाराम/मनाराम	लुकास	6.9.95	9.10.95	×
40.	,, करीम बक्स/रहीम बक्स	घुड़ास	7.9.95	9.10.95	×
41.	,, आंसूराम/रुघाराम	सरड़िमा	11.9.95	9.10.95	×
42.	,, धूलाराम/गैनाराम	चक गोरड़ी	11.9.95	9.10.95	×
43	,, असगर अली/मो. अली	निम्बी जोधा	12.9.95	—	
44.	,, दयालाराम/घासीराम	रताऊ	20.9.95	—	
45.	,, बागाराम/भोमाराम	मालासी	20.9.95	—	
46.	,, बल्लूराम/जगमालाराम	रताऊ	21.9.95	—	
47.	,, खूमाराम/हुकमाराम	निम्बी जोधा	23.9.95	—	
48.	,, किसन गिरी/गोरधन	बल्दू	27.9.95	—	
49.	,, प्रेमाराम/हिमताराम	सिंहराली	30.9.95	—	
50.	,, जोराराम/हुकमाराम	निम्बी जोधा	17.10.95	—	

नोट : (×) सामान की अनुपलब्धता के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके ।

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 159 का प्रपत्र

ग्राम कुम्हारिया, बन्थली व श्रीनगर के कृषि एवं घरेलू उपभोक्ता जिनके मांग पत्र राशि जमा होने के बाद विद्युत कनेक्शन नहीं किये जा सके।

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	ग्राम का नाम	मांग पत्र के जमा की तिथि
	कृषि उपभोक्ता		
1.	श्री देवीलाल/श्री लालाजाट	कुम्हारिया	9.3.1989
2.	श्री हनुमान सिह/श्री मोहन सिह	,,	1.3.1993
3.	श्री प्रभु/मथुरा मीणा	बन्थली	17.4.1990
4.	श्री केशरा/रामकिशन मीणा	श्रीनगर	31.3.1984
	घरेलू उपभोक्ता		
1.	प्रेम शंकर/लक्ष्मी नारायण	कुम्हारिया	21.9.1992
2.	देवी लाल/श्रीलाल जाट	,,	,,
3.	छीतर/बैजनाथ जाट	,,	,,
4.	बृज मोहन/बजरंग मीणा	,,	,,
5.	शोजी/चुन्नी लाल बैरवा	,,	,,
6.	कालू/मांगली लाल बैरवा	,,	,,
7.	बजरंग/मांगीलाल बैरवा	,,	,,
8.	रामलाल/बरधा बैरवा	,,	,,
9.	अमरा/बरधा बैरवा	,,	,,
10.	मोती/श्योनाथ गुजर	,,	,,
11.	शोजी/नन्दा बैरवा	,,	,,

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 162 की सूची

गंगानगर जिले में रिक्त पदों की सूची

जिले का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद का नाम	रिक्त पद की संख्या	रिक्त पद का स्थान	कब से
1	2	3	4	5	6
श्रीगंगानगर	17	पशु शल्य चिकित्सक	3	(1) एकीकृत पशु विकास योजना, श्री गंगानगर	जनवरी, 95
				(2) सब डिवीजनल मोबाइल, रायसिंहनगर	जून, 93
				(3) सब डिवीजनल मोबाइल, श्रीकरणपुर	दिसम्बर, 95
	66	सहायक शल्य पशु चिकित्सक	2	(1) पशु चिकित्सालय, गजसिंहपुरा	अगस्त, 95
				(2) आरक्षण क्षेत्र, फतुही	अक्टूबर, 95
	8	बी. ए.	5	(1) पशु चिकित्सालय, लालगढ़	अप्रेल, 94
				(2) पशु चिकित्सालय, रोहिड़ावाली	सितम्बर, 94
				(3) पशु चिकित्सालय, दौलतपुरा	अगस्त, 94
				(4) पशु चिकित्सालय, 17 जेड	अक्टूबर, 94
				(5) सब डिवीजनल मोबाइल,	सितम्बर, 95
	151	पशुधन सहायक	3	(1) चल पशु चिकित्सा इकाई, श्री गंगानगर	अगस्त, 95
				(2) सब डिवीजनल मोबाइल, श्रीकरणपुर	जुलाई, 94
				(3) आरक्षण क्षेत्र, फतुही	अक्टूबर, 95

1	2	3	4	5	6
	185	चतुर्थ श्रेणी			
		सइस/जलवाहक	1	(1) पशु चिकित्सालय, जोरावरसिंहपुरा	अगस्त, 94
हनुमानगढ़		वी. ए.	3	(1) पशु चिकित्सालय, लीलावाली	अगस्त, 94
				(2) पशु चिकित्सालय, नेठराना	फरवरी, 95
				(3) पशु चिकित्सालय, मक्कासर	अगस्त, 94
		पशुधन सहायक	1	(1) सब डिवीजनल मोबाइल युनिट, नोहर	अक्टूबर, 95
		सइस/जलवाहक	3	(1) पशु चिकित्सालय, गोगामेड़ी	अप्रेल, 94
				(2) पशु चिकित्सालय, पीलीबंगा	सितम्बर, 95
				(3) सब डिवीजनल मोबाइल, नोहर	अगस्त, 95
		स्वीपर	4	(1) पशु चिकित्सालय, मलसीसर	अक्टूबर, 95
				(2) पशु चिकित्सालय, उतरादावास	
				(3) पशु चिकित्सालय, गोगामेडी	अप्रेल, 95
				(4) पशु चिकित्सालय, सांगरिया	अप्रेल, 95

परिशिष्ट–10

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव

[श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)]

खाजूवाला क्षेत्र में सिंचाई सुविधा

खाजूवाला सिंचित क्षेत्र में इ. गा. न. प. की अनूपगढ़ शाखा से सिंचाई की सुविधा है। अनूपगढ़ शाखा से कई वितरिकाओं यथा बी. डी., के. एल. डी., के. वाई. डी., के. जे. डी., नहरों से इस क्षेत्र में सिंचाई होती है, लेकिन यहां पर इन नहरों की टेल पर निम्न कारणों से पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं :—

1. समय पर सिल्ट नहीं निकाली जाती है।
2. के.जे.डी. नहर की बेड लेवल आर. डी. 5 से 19 तक ऊंची है जिससे यहां बार-बार मिट्टी जमा हो जाती है। फलतः टेल के चकों को पानी नहीं मिलता।
3. नहरों के अपर रिचेज (Upper Reaches) में क्षमता से अधिक पानी ले रहे हैं। जिनको निर्धारित क्षमता के अनुसार किया जाना आवश्यक है।
4. नहरों के किनारे पेड़ों से व्यवधान होता है, जिन्हें कटवाना है।

इसके अलावा भविष्य में बाढ़ से बचाव व पानी के उपयोग हेतु एवं घग्घर बाढ़ के पानी के लिए अनूपगढ़ शाखा की आर. डी. 42–46 व आर. डी. 42 के पास बने डिप्रेशन नं. 19 के पानी के लिए इन्टेक रेगुलेटर बनाया जावे।

इसके अलावा के. जे. डी. टेल के चकों की सिंचाई सुधार करने हेतु पूगलशाखा आर. डी. 211 पर नई 6 आर. डी. माइनर बनाकर व आर. डी. 216 से माइनर द्वारा के. जे. डी. नहर की आर. डी. 146 को कनेक्ट Concat किया जावे व पूगल शाखा की क्षमता बढ़ाने हेतु फ्री बोर्ड को तीन इंच कम करने की स्वीकृति दी जावे।

इस प्रकार इस क्षेत्र की सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जावे।

[श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर)]

अस्थायी कालेज व्याख्याताओं के स्थायीकरण में भेदभाव

राजस्थान में राजकीय महाविद्यालयों में वर्षों से कार्यरत अस्थायी प्राध्यापकों

को स्क्रीनिंग द्वारा स्थाई किये जाने का महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार ने लेकर शिक्षा जगत में एक विशेष योगदान दर्शाया है जो वास्तव में सराहनीय है। 5 अप्रेल, 1995 के इस निर्णय के तहत 17 जून, 1993 से पूर्व छः माह की अवधि तक तदर्थ अथवा तत्काल सेवा में लिये गये प्राध्यापकों को लाभान्वित किया जावेगा। किन्तु जहां इस निर्णय से अधिकांश प्राध्यापक लाभान्वित हो रहे हैं वहीं कुछ अस्थाई प्राध्यापक ऐसे हैं जो 17 जून, 1993 से पूर्व छः माह की अवधि के इस निर्णय से तुरन्त बेरोजगार होते दिखलाई देते हैं। राज्य सरकार से निवेदन है कि उक्त निर्णय में छः माह की अवधि तक तदर्थ से क्या तात्पर्य है जबकि शेष इस लाभ से वंचित होने वाले अस्थाई प्राध्यापकों की नियुक्तियां भी 17 जून, 1993 से पूर्व ही हो गई थी। राज्य सरकार उक्त निर्णय से भलीभांति परिचित होगी कि जब 17 जून, 1993 के पश्चात् राजकीय महाविद्यालयों में कोई अस्थाई प्राध्यापक नियुक्त ही नहीं किये गये तो ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय में छः माह की अवधि जैसे शब्द का निर्धारण करके 17दिसम्बर, 1992के पूर्व के व्याख्याताओं को सम्मिलित किया जा रहा है तथा इसके दो दिन पश्चात से जनवरी व फरवरी, 1993 तक की अवधि में नियुक्त अस्थाई व्याख्याताओं के साथ स्पष्टतः भेदभाव व अन्याय किया जा रहा है जबकि राज्य सरकार के उक्त निर्णय के आदेश प्रसारण की तिथि 5–4–1995 तक इन शेष अस्थाई प्राध्यापकों ने भी अपनी राजकीय सेवाओं में दो वर्ष से अधिक की अवधि पूरी कर ली है।

इसी संदर्भ में एक ओर बिन्दु से राज्य सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि इन शेष प्राध्यापकों हेतु कार्मिक विभाग एवं शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग की सहमति क्रमशः 9–9–1992 व 7–9–1992 को प्राप्त कर ली गई थी। अर्थात राज्य सरकार की छः माह के आधार पर निर्धारित तिथि 17 दिसम्बर, 1992 से लगभग 3 माह पूर्व ही प्राप्त हो गई थी इसके पश्चात् यदि निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा इनकी नियुक्ति में देरी कर उन्हें जनवरी, 1993 में नियुक्ति प्रदान की गई तो इसका नुकसान इन शेष प्राध्यापकों को क्यों पहुंचाया जा रहा है।

इस सन्दर्भ में राज्य सरकार के निर्णय से उद्धृत निम्न बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट है—

— जब समस्त अस्थाई प्राध्यापकों की नियुक्ति 17 जून, 1993 से पूर्व ही हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में उसमें छः माह अर्थात् 17 दिसम्बर, 1992 की तिथि का निर्धारण किस आधार पर किया गया तथा 17 दिसम्बर, 1992 के पश्चात् व 17 जून, 1993 से पूर्व के मध्य नियुक्त व्याख्याताओं के साथ भेदभाव क्यों?

— उक्त अवधि में नियुक्त इन शेष सभी प्राध्यापकों ने भी राज्य सरकार के निर्णय आदेश प्रसारण तिथि 5 अप्रेल, 1995 तक राजकीय सेवा में 2 वर्ष

से ऊपर की अवधि पूरी कर ली है। सामान्यतः किसी भी आदेश का आकलन आदेश प्रसारण तिथि के आधार पर ही किया जाता है। ऐसे में 5अप्रेल, 1995 के आदेश में 17 जून 1993 की तिथि का निर्धारण किस आधार पर किया गया ?

— इन शेष प्राध्यापकों हेतु शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग एवं कार्मिक विभाग द्वारा सहमति क्रमशः 9-9-1992 व 7-9-1992 के तहत प्राप्त कर ली गई थी, अर्थात् निर्धारण तिथि 17 दिसम्बर, 1992 से 3 माह पूर्व किन्तु उन्हें नियुक्तियां प्रदान करने में कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा समय लगाया गया। जिसके फलस्वरूप उन्हें नियुक्ति जनवरी, 1993 में प्रदान की गई, अन्यथा ये शेष प्राध्यापक भी निर्धारित तिथि 17 दिसम्बर, 1992 से पूर्व की ही अवधि में आते हैं।

अतः माननीय उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान इस प्रकरण की ओर आकृष्ट कर अनुरोध है कि शेष वंचित प्राध्यापकों के जीवन के साथ हो रहे खिलवाड़ एवं भेदभावपूर्ण नीति से हो रहे अन्याय से बचावें तथा सहानुभूतिपूर्ण एवं संवेदनशीलता के आधार पर शेष सभी अस्थाई प्राध्यापकों को स्थाईकरण की प्रक्रिया के तहत सम्मिलित कर राज्य सरकार के हितकारी निर्णय में भेदनीति का अन्त कर सामान रूप से लाभान्वित करावें।

[श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम)]

अजमेर व उदयपुर शहरों में नागरिक सुरक्षा योजना

प्रदेश के कई नगरों में नागरिक सुरक्षा की योजना चल रही है उदाहरणार्थ जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर आदि। इस योजना के अन्तर्गत उक्त नगरों को युद्ध व शांति दोनों समय में नागरिकों को हवाई आक्रमण से बचने, आगजनी के समय तथा अन्य प्रकार की प्राकृतिक व अप्राकृतिक विपदा से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उक्त योजना का आधा व्यय केन्द्र सरकार तथा आधा राज्य सरकार वहन करती है।

महोदय, अजमेर तथा उदयपुर राजस्थान के दो महत्वपूर्ण नगर हैं। उदयपुर पर्यटन, ऐतिहासिक तथा खनिज महत्व के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। उदयपुर का महत्व दिल्ली, बम्बई राष्ट्रीय राज मार्ग पर होने एवं मुख्य केन्द्रीय नगर होने तथा राजमार्ग 2 पर स्थित होने से और भी ज्यादा बढ़ जाता है।

अजमेर भी विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा साहब की दरगाह तथा पुष्कर के धार्मिक महत्व के कारण भारतवर्ष का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण नगर है। इसके अलावा रेलवे लोकोशेड, पेट्रोलियम डिपो के भण्डार, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं यथा मेयो कालेज आदि होने तथा दिल्ली, अहमदाबाद रेलवे लाइन का महत्वपूर्ण जंक्शन होने के कारण अति महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है।

कुछ समय पूर्व तक अजमेर व उदयपुर संभवतः नागरिक सुरक्षा की योजना में सम्मिलित थे परन्तु कुछ समय से इन नगरों का महत्व बढ़ने के बावजूद इन्हें नागरिक सुरक्षा नहीं प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार को रक्षा की दृष्टि से अतिसंवेदनशील टैकिनकल व स्ट्रेटेजीकल महत्व के इन नगरों को नागरिक सुरक्षा योजना में शामिल करने हेतु ठोस प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजना चाहिये, ताकि शांति व युद्ध के समय इन नगरों के निवासी अपनी सुरक्षा का प्रशिक्षण लेकर अपने आप को तैयार कर सकें व प्राकृतिक व अप्राकृतिक विपदा का मुकाबला करने में सक्षम बन सकें।

[श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)]

अग्निशमन सेवाओं के सेवा नियम

मान्यवर, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जयपुर नगर व राजस्थान में अग्निशमन सेवाओं में पर्याप्त व शीघ्र निर्णय लिये जाने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

नियमों के अभाव में सिविल डिफेन्स व नगर निगमों, नगर परिषदों, पालिकाओं में, इस विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों की पदोन्नति व तत्सम्बन्धी अन्य भत्तों का भी कोई प्रावधान नहीं है। बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में उक्त सेवाओं का विस्तार भी नहीं हो पा रहा है। वर्षों से रिक्त पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की जा रही है। जो कि होना नितान्त आवश्यक है। खेद है, कि जितने प्रावधान नागपुर ट्रेन्ड कर्मचारियों के लिये माने जाने थे वह भी नियमों के अभाव का हवाला देकर बराबर टाले जाते रहे हैं। नियुक्ति पदोन्नति आदि सभी से इन्हें, कर्मचारियों को वंचित रहना पड़ रहा है और अप्रशिक्षित व्यक्ति ठेकेदार के द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिन्हें आग पर काबू पाने का कोई तरीका नहीं आता। जयपुर नगर के (होने तो छह केन्द्र चाहिये थे) टिन्डल, ड्राइवर आदि की कमी पिछले दिनों मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताई गई थी। यह स्थिति अच्छी नहीं है। इन सेवाओं को सुदृढ़ किया जाना

नितान्त आवश्यक है। यह वह सेवक हैं — जब प्रियजन, परिवार जन, परिजन, निकटस्थ साथ नहीं देते, ये आग में घुस कर जान की परवाह किये बगैर आग पर काबू पाकर सुरक्षा करते हैं। यदि इन्हें कुछ हो जाये तो परिवार पूरा असुरक्षित रह जाये। एतदर्थ इस विषय पर तत्काल ही अग्नि शमन सेवाओं के सेवा नियम बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

इसीलिये निदेशक से बातचीत में जानकारी मिली कि इन सेवाओं को अब गृह विभाग के अधीन किये जाने की योजना विचाराधीन है। प्रसन्नता भी हुई कि अब ये सेवाएं सुदृढ़ हो जायेंगी परन्तु 6–10–1995 का लिखा पत्र अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशासन, राजस्थान, का मिला उसमें उल्लेख था कि ये सेवाएं गृहरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, नगर निगम/नगर पालिका से सम्बन्धित हैं अतः विभाग का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होगा। मुख्य मंत्री महोदय, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पंजाब आदि प्रान्तों में एतदर्थ नियम बने हैं— उनमें से किसी एक को आधार बनाकर सेवा नियम बनाये जा सकते हैं। केन्द्र सरकार ने पिछले दिनों उक्त सेवा पर अतिरिक्त सुविधाएं भी उक्त कर्मचारियों के लिये जुटाने की बात कही है। एतदर्थ सेवा नियमों का प्रावधान अत्यन्त आवश्यक है। नियमों के अभाव में कर्मचारियों में एतदर्थ बेहद असंतोष आक्रोश है। मुख्य मंत्री जी आपका हस्तक्षेप अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि नियमों के अभाव में स्वायत्त शासन विभाग कुछ भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है।

(1) ट्रेण्ड, प्रशिक्षित कर्मचारी धीरे-धीरे (नई नियुक्ति के अभाव में) कम होते जा रहे हैं।

(2) अप्रशिक्षित ठेकेदार के दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारियों के हाथों में जन जीवन असुरक्षित है।

(3) हार्डड्यूटी एलाउन्स, गमबूट, चश्में, सिर पर लोहे के टोपे, सामान्य आग के अतिरिक्त अन्य रसायनों से लगी आग बुझाने के पदार्थ लम्बी लाइनें, समय पर ठण्डी गर्म वर्दी, छल्लेदार मुड़ने खुलने वाले सिड़ी (जो बहुमंजली इमारतों के लिये जरूरी हैं) और अग्नि शमन फायर की सेवा की गाड़ियों की हालत आदि का अभाव है पर मैं आज इन विषयों पर जोर नहीं दे रही हूं। विभाग स्वयं निरीक्षण करे यह उनकी ड्यूटी है।

(4) सन् 1965 में बने इस विभाग में अब सेवा नियमों के निर्माण से इनके, भविष्य सुरक्षित हो सकते हैं व जन जीवन सुरक्षित हो सकता है। अतः यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। कृपया मुझे इस विषय को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें।

---

(328)

[श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 के वैकल्पिक राजमार्ग का विकास

केन्द्रीय परिवहन मन्त्रालय ने अब राजस्थान में किसी भी राष्ट्रीय मार्ग को चार लेन करने के नये काम को हाथ में न लेने का मानस बना लिया है परिवहन मन्त्रालय द्वारा अब सुपर हाइवे ही बनाये जाएंगे। केन्द्रीय परिवहन मन्त्रालय की इस घोषित नीति के अनुसार देश में बड़े-बड़े शहरों को जोड़ते हुए आठ सुपर हाइवे मार्ग बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। यह सुपर हाइवे सिस्टम वर्तमान सड़क व्यवस्था से एकदम भिन्न होगा। सड़क जमीन से लगभग चार मीटर की ऊंचाई पर खम्भों पर या मिट्टी भर कर बनायी जाएगी तथा किसी भी वाहन की बीच में एन्ट्री नहीं होगी। अर्थात् इस सुपर हाइवे पर बीच में वाहन दिल्ली के बाद कोटपूतली या शाहपुरा पर चढ़ पाएंगे अन्यथा सीधे दिल्ली से जयपुर बिना किसी रोक व व्यवधान के गाड़ियां तेज रफ्तार से चल सकेंगी।

इस नयी व्यवस्था के कारण जयपुर–अजमेर नेशनल हाइवे की दुर्दशा सुधरने की जो आशा बंधी थी वह आगे और बीस साल तक पूरी नहीं हो सकेगी। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी हो जाती है कि दिल्ली–जयपुर नेशनल हाइवे को चार लेन का काम पूरा होने में ही कम से कम पांच–सात साल लग जाएंगे और यह तो वर्तमान सड़क को केवल चौड़ा करने का ही काम था परन्तु सुपर हाइवे के लिए नये सिरे से समस्त सड़क के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही करनी पड़ेगी जिसमें किसी का खेत, किसी का मकान आएगा, कहीं वन और कहीं पर्यावरण का बंधन होगा। कई सालों तक विवादों का निपटारा नहीं हो सकेगा।

जहां आज एक किलो मीटर लम्बी सड़क बनाने में सवा–डेढ़ करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर की लागत आ रही है वहीं सुपर हाइवे की एक किलोमीटर सड़क बनाने में लगभग 15 से 20 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर की लागत आएगी। अतः दिल्ली–जयपुर–अजमेर सुपर हाइवे बनने में कम से कम दो दशक का समय लगाना मामूली सी बात है। इस नयी व्यवस्था के कारण से जयपुर अजमेर सड़क की चार लेन का काम जो बहुत पहले हाथ में लिया जाना चाहिए था वह भी अटक गया है।

यातायात विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार आज भी जयपुर दिल्ली मार्ग पर कूकस के नजदीक लगभग पचास हजार वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं और इनमें से लगभग चालीस हजार वाहन अजमेर-जयपुर मार्ग पर से गुजरते हैं। मापदण्डों के अनुसार दो लेन की सड़क की क्षमता पन्द्रह हजार वाहनों के चौबीस घंटे में चलने की होती है और उसके बाद सड़क को चार लेन की करना आवश्यक हो जाता है। तथा चार लेन सड़क की क्षमता भी तीस हजार वाहन प्रतिदिन चलने की होती है मापदंडों के अनुसार जयपुर–अजमेर नेशनल हाइवे को चार लेने ही नहीं बल्कि छह लेन चौड़ा हो जाना चाहिए

पर अब सुपर हाइवे की महत्वाकांक्षी योजना के पीछे जयपुर–अजमेर नेशनल हाइवे दो लेन से चार लेन होने की संभावना भी खतम हो गयी है। इन हालातों में जयपुर–अजमेर हाइवे की दुर्दशा दिनबदिन, साल दर साल बदतर ही होगी।

यद्यपि राजकोष से सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं परन्तु तकनीकी खामियों की वजह से यह सड़कें शीघ्र ही टूट जाती हैं जिसके कारण जहां नागरिकों को आवागमन में कठिनाई होती है वहीं दूसरी ओर राजकोष का अपव्यय भी होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 8 जो दिल्ली से अहमदाबाद का है, पर प्रतिदिन 42,000 से अधिक विभिन्न किस्म के वाहन गुजरते हैं और परिवहन की दृष्टि से उक्त राजमार्ग प्रदेश का जीवन आधार है।

इन सब हालात को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 8 पर बढ़ते हुए यातायात के दबाव को कम करने की दृष्टि से वैकल्कि मार्ग के रूप में राज मार्ग विकसित किये जाने की कार्य योजना हाथ में लिया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः मेरा सुझाव है कि—

1– गुजरात–बांसवाड़ा–प्रतापगढ़–चित्तौड़गढ़–भीलवाड़ा–बनेड़ा–केकड़ी – मालपुरा–सांगानेर–जयपुर,

2– अजमेर–बबायचा–परबतसर–नावां– खूड़ (दांतारामगढ़)–सीकर – उदयपुरवाटी–नीम-का थाना – पाटन (हरियाणा) निजामपुर – नारनौल – रेवाड़ी – पटौदी – गुड़गांव

3– जोधपुर–पिपाड़–रिछमालिया–पीसांगन–कड़ेल–परबतसर

4– जयपुर–चौमूं–सामोद–अजीतगढ़–कांवट–नीमकाथाना–पाटन से हरियाणा

5– अजमेर–बबायचा–सलेमाबाद–रुपनगढ़–जोबनेर–जयपुर

जो प्रदेश में कहीं डबल एवं सिंगल रुट के रूप में मौजूद है, को राजमार्ग के लिए (वैकल्पिक रूप में) विकसित किये जाने के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

———

[श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)]

जोधपुर के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय में वित्तीय अनियमितता

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जोधपुर के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के कार्य क्षेत्र में बेहिसाब वित्तीय अनिमितताएं हो रही हैं अधिकारी वर्ग जानबूझ कर इस बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं कुछ उदाहरण सदन के सम्मुख रखना चाहूंगी :—

(1) विभाग में वर्क-शॉप होने के उपरान्त भी पम्प व मोटर बाहर से ही रिपेयर हो रहे हैं। ऐसा क्यों ? पिछले पांच वर्षों में इसके कार्य क्षेत्र में कितने रुपये बाहर रिपेयर के मद पर खर्च हुए और क्या कारण रहा कि यह सभी कार्य बाहर से करवाना पड़ा। इसका विवरण सदन के पटल पर रखा जाय ताकि सदन खुद जानकारी में ही निर्णय कर सके।

(2) लिफ्ट केनाल से 40 लाख गैलन से 80 लाख गैलन पानी की मात्रा बढ़ाने हेतु पाइप लाइन की सप्लाई का आदेश जिस फर्म को दिया गया था, उस फर्म द्वारा कार्य न किये जाने के कारण सम्बन्धित अधिशासी एवं अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही उक्त फर्म के विरुद्ध नहीं की गई, जिससे राज्य सरकार को काफी हानि उठानी पड़ी। इस प्रकरण की सम्पूर्ण जानकारी सदन की जानकारी में लाई जाये।

(3) इंजीनियरिंग कॉलेज के पास निर्माणाधीन पानी की टंकी का निर्माण कार्य बन्द पड़ा है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वयं माननीय मंत्री महोदय के सम्मुख यह कहा गया कि इस कार्य को छः माह में पूर्ण कर लिया जायेगा। उसे सात माह से भी अधिक का समय हो गया परन्तु कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। जबकि जगदम्बा कॉलानी की टंकी के कार्य हेतु इस अधिकारी द्वारा टेण्डर स्वीकृत होने के पश्चात् भी वित्तीय शर्त में छूट देकर राज्य सरकार को हानि पहुंचा कर कार्य करवाया गया।

(4) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जोधपुर जिले में पानी ट्रांसपोर्ट का कार्य उन गांवों से भी करवाया गया जहां विभाग की सप्लाई पहले से ही चालू थी। यहां तक की आदेश से पांच गुना अधिक का कार्य करवा लिया गया। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति ली गई थी क्या ? विभाग की सप्लाई वाले गांवों में कार्य का कितने प्रतिशत पानी सप्लाई हुआ और क्या कारण रहा ?

इस बारे में विस्तृत जांच करवा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाय ताकि भविष्य में राज्य सरकार को इस प्रकार से होने वाली हानि से बचाया जा सके।

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)]

बागली (जिला कोटा) ग्राम पंचायत की सरपंच के साथ हुए अभद्र व्यवहार पर पुलिस कार्यवाही

दिनांक 16–9–95 को 11.00 बजे ग्राम पंचायत बागली की सरपंच श्रीमती आशा कुमारी बैरवा जो अनुसूचित जाति की हैं, 1500/– रुपये का भुगतान लेने के लिये दिनांक 15-9-95 से दिनांक 16-9-95 को कई बार मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक, शाखा खातोली, जिला कोटा के पास गयी और बार-बार भुगतान करने के लिये आग्रह किया। लेकिन बैंक मैनेजर ने एस.सी. महिला सरपंच को परेशान करने के लिये बार-बार चक्कर लगवाये। दिनांक 16-9-95 को 11 बजे महिला सरपंच के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया।

उक्त प्रकरण हेतु प्रार्थीनी द्वारा थाना खातोली जिला कोटा में एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी। अनुसूचित जाति एक्ट की धारा 3 सी.आर.पी.सी. की धारा 354, 332 व 504 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया परन्तु डेढ़ माह का समय निकल जाने के बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा सेन्ट्रल बैंक मैनेजर, श्री दीनदयाल शर्मा अपने प्रभाव व पुलिस की मिली भगत से अभी तक भी केस को दबाने की कार्यवाही कर रहे हैं जिससे प्रार्थी को न्याय मिलने की कोई आशा नहीं है।

अतः उक्त प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करने का कष्ट करें।

[श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा)]

उदयपुर नगर विकास न्यास की नियमन समिति के निर्णय की पालना

उदयपुर नगर विकास प्रन्यास के सीमा क्षेत्र में सज्जननगर ओ.टी.सी. 'बी' ब्लाक में लोग जब ये क्षेत्र तहसील गिर्वा के पटवार सर्किल सीसारमा में था तब से तहसील द्वारा आवंटित पट्टों (भूखण्डों) के आधार पर मकान बनाकर निवास कर रहे हैं।

जब से यह क्षेत्र जिला कलेक्टर द्वारा नगर विकास प्रन्यास को हस्तान्तरित हुआ, नगर विकास प्रन्यास ने आवासित लोगों को बेदखल करने के लिए नोटिस आदि दिये एवं न्यास कर्मी मय जाब्ते के मौके पर जाकर के निर्मित भवनों की तोड़फोड़ करते थे। न्यास की बार-बार विध्वंसकारी कार्यवाही से तंग आकर स्थानीय लोगों ने नगर विकास प्रन्यास के तत्कालिक अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह को ज्ञापन दिये। इससे पूर्व ओ.टी.सी. 'बी' ब्लाक के निवासियों ने न्यास के नियमन समिति के अध्यक्ष को भी ज्ञापन प्रस्तुत कर उनकी कालोनी के निवासियों की समस्याओं का निराकरण करने हेतु आग्रह किया।

न्यास की नियमन समिति ने अपनी बैठक दिनांक 8.10.93 को विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिया।

"न्यास निर्णयानुसार ओ.टी.सी. योजना के 'बी' ब्लाक में किये गये नाजायज कब्जों को नियमित किये जाने के बारे में प्रकरण विचारार्थ नियमन समिति की बैठक में रखा गया। अध्यक्ष, न्यास द्वारा बताया गया कि कब्जेधारी नियमन हेतु बार-बार न्यास में आ रहे हैं। अतः नियमन की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न की जानी चाहिये, उक्त ब्लाक का न्यास के सर्वेयर द्वारा इस क्षेत्र का सर्वे कराया जाकर सर्वे प्लान समिति के समक्ष प्रेषित किया गया है। तहसीलदार, न्यास द्वारा अवगत कराया गया कि इस योजना में किये गये कब्जेधारियों के पास पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे भी उपलब्ध हैं। साथ ही तहसीलदार द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इस योजना क्षेत्र में काफी गहरे खड्डे हैं, ऐसी परिस्थति में उचित राशि ली जाकर नियमन की कार्यवाही की जाना उचित रहेगा। योजना क्षेत्र का पूर्व में सामूहिक मौका निरीक्षण भी किया गया है स्थिति विशेष को देखते हुए प्रार्थीगण बैठक में स्वयं उपस्थित हुए व अवगत करवाया कि इस योजना क्षेत्र में विकास कार्यों के लिये भविष्य में बाध्य नहीं करेंगे, विकास शुल्क/नियमन शुल्क कम रखा जावे। इसी परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया कि जिन लोगों के पास पंचायत तहसील के पट्टे हैं या मौके पर मकान बनाकर काबिज हैं, उनका नियमन हेतु मुख्य सड़क पर स्थित कब्जेधारियों से 12/– रु. प्रति वर्ग फीट व पीछे 6.00 रु. प्रति वर्ग फीट के हिसाब से राशि ली जाकर नियमन किये जाने का निर्णय लिया गया। भूमि एवं विकास कार्यों की लागत को दृष्टिगत रखते हुए न्यास, सचिव ने इस दर को कम बताया। न्यास सदस्य श्री हीरालाल अग्रवाल द्वारा अवगत करवाया गया कि ओ. टी.सी. ब्लाक 'ए' में भी नियमन की कार्यवाही उक्त अनुरूप ही की जावे। अतः सर्व-सम्मति से समिति के सभी सदस्यों एवं न्यास अध्यक्ष द्वारा सहमति व्यक्त की गयी एवं नियमन करने की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। जिसमें विकास कार्यों की जिम्मेदारी न्यास की कतिपय नहीं होगी।"

नियमन समिति के निर्णय एवं ट्रस्ट की सामान्य बैठक दिनांक 10.1.94 में ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर नियमन समिति की बैठक दिनांक 8.10.93 की पुष्टि की गयी जिसमें ओ टी.सी 'बी' ब्लाक के मुख्य सड़क के पास वाले भूखण्डों की नियमन दर

12/– रुपये प्रति वर्ग फीट एवं पीछे के गहरे खड्डे जो पत्थरों की खानें हैं की 6/– रुपये प्रति वर्ग फीट उचित मानते हुए नियमन की पुष्टि की।

न्यास के तात्कालीक सचिव ने उक्त निर्णय के बावजूद भी अनुमोदनार्थ राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प्लान/न.वि.प्र./93-94/1568 दिनांक 27.1.94 एवं पत्र क्रमांक प्लान/न.वि.प्र./94-95/ 16 से 18 दिनांक 27.4.95 के द्वारा दरें अनुमोदन हेतु भेजी गयी। न्यास के उक्त निर्णय एवं राज्य सरकार को पत्र भेजने के उपरान्त भी इस कार्यवाही को भेजे करीब डेढ़ वर्ष हो गया एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मामले को निपटाने हेतु बार-बार आग्रह किया फिर भी राज्य सरकार द्वारा निर्णय नहीं करने से न्यास के वर्तमान सचिव व अधिकारियों द्वारा ओ.टी.सी. के निवासियों को बार-बार नोटिस देकर एव तोड़फोड़ की कार्यवाही करके आतंकित कर रखा है जिससे स्थानीय निवासियों में भारी असंतोष एवं भय व्याप्त है।

मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये माननीय नगरीय विकास मंत्री एवं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर नगर विकास प्रन्यास के जन प्रतिनिधियों के न्यास के द्वारा लिये गये निर्णय की तुरन्त पालना कराने हेतु आग्रह करता हूं।

[श्री रमाकान्त (थानागाजी)]

पंचायती राज व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गिरावट

पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था चल रही है, उसमें दिन प्रतिदिन भारी गिरावट आ रही है। उचित तो यह है कि उच्च प्राथमिक शिक्षा भी पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत हो परन्तु यदि व्यवहारिक परिस्थितियां सही नहीं हो तो केवल सिद्धान्तों के आधार पर जन आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। पंचायती राज विभाग में सम्भवतः उप निदेशक शिक्षा का पद है परन्तु इन उप निदेशक ने शायद ही कभी किसी प्राथमिक शाला का निरीक्षण किया हो। जहां शिक्षा विभाग में निदेशक द्वारा अधिकारियों की एक लम्बी कड़ी के माध्यम से प्राथमिक शालाओं एवं उच्च प्राथमिक शालाओं तक पूर्ण नियन्त्रण रहता है, वहां पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत प्राथमिक शालाओं पर पंचायती राज विभाग का। ना तो कोई दिशा दर्शन मिलता है, ना कोई व्यवस्था में सुधार की और कार्यवाही होती है और ना ही प्राथमिक शालाओं में शिक्षा का क्या स्तर चलता है इस सम्बन्ध में कोई सोच है।

थानागाजी पंचायत समिति में हाल ही में जब राज्य सरकार की ओर से स्थानान्तरणों पर पूर्ण प्रतिबन्ध था तब राजनैतिक कारणों से अनेक स्थानान्तरण कर दिये गए।

पिछली तिथि लगाकर स्थानान्तरण किये गए। कार्यवाहक विकास अधिकारी ने ऐसी स्थिति में स्थानान्तरण कर दिए जबकि इनका स्वयं का स्थानान्तरण वहां से हो चुका था। ऐसे अनेक स्कूल हैं जहां 4 अध्यापक चाहिए वहां एक अध्यापक है और जहां एक अध्यापक पर्याप्त है वहां 3 अध्यापक लगे हुए हैं।

बाल्यकाल वह अवस्था है जहां 85 प्रतिशत मस्तिष्क का विकास होता है और संस्कारों का निर्माण होता है। यदि इस अवस्था में शिक्षा व्यवस्था की उपेक्षा की जावे तो निश्चय ही उन बच्चों और देश के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जावेगा।

थानागाजी पंचायत समिति क्षेत्र में जो अनियमित स्थानान्तरण हुए हैं, उनके सम्बन्ध में विभाग को तीन माह से बराबर अवगत कराने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होना विभाग की जो भयंकर निष्क्रियता है, उसके बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)]

बूंदी जिले के इन्द्राणी बांध के निर्माण से उत्पन्न जन समस्याओं का निदान

बूंदी जिले के इन्द्राणी बांध का निर्माण 15 वर्ष पूर्व हो चुका था। बांध निर्माण के समय बांध से पैदा होने वाली जन समस्याओं के निराकरण बाबत योजना तैयार नहीं करने से आबाद ग्राम कोटड़ी, केमला, बांसी, हीरापुर आदि को आवागमन की भारी परेशानी पैदा हो गई है। बांध के वेस्ट वियर (उगाल) से निकलने वाले पानी ने लाखेरी से कोटड़ी होकर बांसी बंथली, नीमखेड़ा, फुटतालाब की तरफ होकर बूंदी–नैनवा रोड को मिलाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। कोटड़ी से मुख्य सड़क तक पहुंचने के मार्ग को काट दिया है। बरसात के मौसम में ग्रामीण कहीं भी निकल कर जाने की स्थिति में नहीं हैं। बीमार व्यक्ति को तथा गर्भवती महिला तक को इलाज के लिए ले जाने के लिये रास्ता नहीं रहता है। इसी बरसात में सांप के काटने से गूजर जाति के होनहार नवयुवक को इलाज के अभाव में मृत्यु का ग्रास होना पड़ा। क्योंकि इन्द्राणी बांध के वेस्ट वियर से निकलने वाले पानी ने पूरी तरह रास्ता बर्बाद कर दिया है और पानी के कटाव के कारण भी निकलने का कोई रास्ता नहीं था। केमला, बांसी की तरफ बांध के पानी के भराव से रास्ता जलमग्न हो गया था। कोटड़ी से केमला, बांसी, नीमखेड़ा जाने वाले रास्ते पर कोटड़ी से केमला के मध्य जंगलात विभाग की भूमि आती है। जिस स्थान पर रास्ता उक्त बांध निर्माण से जलमग्न हो जाता है, वहां पर वन विभाग की भूमि में से रास्ता निकाला जावे और निकाले जाने वाले रास्ते में आने वाली वन भूमि के बदले अन्यत्र सिवाय चक भूमि वन विभाग को दी जाने बाबत प्रस्ताव

तैयार करवाये जावें, ताकि कोटड़ी से केमला के मध्य का रास्ता बहाल हो सके एवं बांध निर्माण से अवरुद्ध रास्ते की एवज में सही रास्ता मिल सके।

बांध वेस्ट वियर के पानी के बहाव तथा डूब से खतम हो चुके रास्ते की समस्या के निराकरण हेतु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता से निवेदन किया गया तो उन्होंने भी सहायक अभियन्ता को पत्रांक 6780 दिनांक 16.9.95 लिख कर इतिश्री कर ली।

अतः उक्त ज्वलंत जन-समस्या को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार से मांग है कि कोटड़ी गांव से लाजेरी जाने वाली पक्की सड़क को जोड़ने वाले रास्ते पर बांध के फालतू पानी से हुए कटाव की समस्या के समाधान के लिये पानी निकासी के लिये पक्का नाला (Structure) बनाया जावे और खतम हुए रास्ते का पुनर्निर्माण करवाया जावे। इसी प्रकार से कोटड़ी से केमला के मध्य बांध के पेटे व पानी भराव में आ चुके रास्ते को उससे 50 फीट ऊपर की तरफ निकाला जावे तथा रास्ते के बदलाव को राजस्व नक्शे में तरमीम करने हेतु जिला कलेक्टर को लिखा जावे। नये रास्ते का निर्माण करवाया जावे और उसमें यदि जंगलात विभाग की भूमि आती है तो उसका तत्काल सर्वे करवाया जाकर उतनी ही सरकारी भूमि को हस्तान्तरित की जाने के लिये प्रस्तावित की जावे। इस सम्बन्ध में की जाने वाली समस्त कार्यवाही आदि से अविलम्ब ही मुझे भी अवगत कराया जावे।

[श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)]

परबतसर, जिला नागौर में अतिरिक्त जिला एवं सैशन कोर्ट खोलना

नागौर जिले में मेड़ता में जिला एवं सत्र न्यायालय है। नागौर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय है, तथा डीडवाना में ए.डी.जे. नागौर 15 दिन तक कैम्प कोर्ट रखते हैं, परबतसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मात्र 6 दिन कैम्प कोर्ट करते हैं, जबकि परबतसर उपखण्ड के सिविल व फौजदारी प्रकरण नागौर जिले में सर्वाधिक है।

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने भी परबतसर में ए.डी.जे. कोर्ट खोलने हेतु सिफारिश की है। क्या यह अभिशंषा विधि विभाग के पास विचाराधीन है ?

परबतसर में ए.डी.जे. कोर्ट स्वीकृत कर मकराना, कुचामन, नावां, परबतसर क्षेत्र की जनता को सुलभ न्याय प्रदान कराने के लिये सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार रखती है तथा इस सम्बन्ध में कब तक स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

[श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली)]

कोटपूतली कस्बे में स्थित नगरपालिका पार्क में व्याप्त गन्दगी

मैं सदन व सरकार के समक्ष लोक महत्व के तथ्य सदन में विचारार्थ पेश कर रहा हूं। विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कस्बा कोटपूतली के बीच में यानि कि शहर की आबादी के बीच मे एक नगर पालिका पार्क है। इस पार्क के चारों ओर घनी आबादी है। ज्यादातर शहर का गन्दा पानी यही पर आकर जमा होता है और हमेशा इस पार्क में पानी इकट्ठा रहता है। इस जमा पानी से शहर में काफी बदबू व गन्दगी फैलती है तथा प्रत्येक वर्ष मलेरिया जैसी अनेक बीमारियां फैलती हैं। यह पार्क काफी नीचे होने के कारण पानी तो भरा रहता ही है व आस-पास के लोग सुबह-शाम शौचालय भी इस स्थान को बना रखा है। इस संकट से उबारने के लिए सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब तक लागू की जा रही है। आज तक विभाग ने क्या-क्या प्रयास किये हैं ? क्या उक्त पार्क में गन्दा पानी रोकने की, पार्क को ऊंचा बनाकर पेड़ आदि लगाकर, स्थायी समाधान हेतु कोई योजना है ? यदि हां, तो सदन को अवगत कराये और नहीं तो क्यों ?

सरकार से इस सम्बन्ध में मेरी यह मांग है कि इस नगरपालिका पार्क को सरकार की तरफ से बजट पास कर मिट्टी की भरत करवा कर एवं पेड़-पौधे व लॉन बनाया जाये ताकि शहर की गन्दगी हट जाये। सरकार आवश्यक कारगर योजना शीघ्र काम में लायी जाये। इस समस्या जैसी महत्वपूर्ण बिन्दु पर सदन में चर्चा की अनुमति प्रदान की जानी चाहिये।

[श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)]

सवाईमाधोपुर जिले में विद्युत आपूर्ति की समस्या

राजस्थान के जिला सवाईमाधोपुर में बिजली की हालत गम्भीर हो गयी है। किसानों को 4 घंटे भी लगातार बिजली नहीं मिल पा रही है। जो बिजली मिल रही है वह भी डाउन वोल्टेज में मिल रही है जिसके कारण किसानों की मोटरें चल नहीं रही है। जो चल रही हैं वो लगातार जल रही हैं। ट्रांसफार्मर जल जाते हैं वो भी किसानों

समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते । जो ट्रांसफार्मर दिये जाते हैं वे घटिया किस्म के ते हैं । इसी जिले के मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में हालात वह है कि पहले ग्रापरेटिव थी उसको सरकार ने तोड़ दिया और किसान पतली छाछ से भी गये और आज वहां पर न कोई अफसर है, न कोई कर्मचारी। आये दिन लाइन खराबी के कारण फाल्ट होती है और 10 दिन तक भी ठीक नहीं की जाती है। दफ्तर में जाते हैं तो कह देते हैं हमारे पास कर्मचारी नहीं है। वहां पर ट्यूब वैल व्यवस्था उस से किसान सिंचाई करता है, वो मात्र बिजली से चलती है, इन्जिन से नहीं चल सकती क्योंकि बोरिंग अत्यधिक गहरी है। 300 फीट व 400 फीट से पानी खींचना पड़ता है।

श्री महावीरजी में भी 133 के.वी. के ट्रांसफार्मर को अभी धीमी गति से लगाने की कार्यवाही हो रही है। इससे टोडाभीम क्षेत्र को भी जोड़ा जावे ताकि समस्या का हल हो। पुरानी लाइनें बदली जावे क्योंकि उनके कारण आये दिन बिजली की व्यवस्था खराब होती रहती है। किसानों को मीटर नहीं दिये गये जिसके कारण किसानों को मनमाना टैक्स देना पड़ता है। नये कनेक्शन किसानों को नहीं दिये जा रहे हैं। जो दिये जा रहे हैं वे नर्सरी योजना में दे रहे हैं जो कि बहुत महंगे हैं। जिसने पैसा जमा करा दिया उसे आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया।

अतः मैं इस प्रक्रिया के माध्यम से मेरे जिला सवाईमाधोपुर एवं मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की विद्युत समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

———